



बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड-18



डॉ. अम्बेडकर - सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में



बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891

परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब
डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 18

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 18

डॉ. अम्बेडकर – सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में

पहला संस्करण : 2002

दूसरा संस्करण : 2013 (जनवरी)

तीसरा संस्करण : 2013 (फरवरी)

चौथा संस्करण : 2013 (अप्रैल)

पाचवां संस्करण : 2013 (जुलाई)

छठा संस्करण : 2013 (अक्टूबर)

सातवां संस्करण : 2014 (फरवरी)

आठवां संस्करण : 2016

नौवां संस्करण : 2019 (जून)

ISBN :978-93-5109-167-7

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण परिकल्पना : देबेन्द्र प्रसाद माझी

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : 978-93-5109-149-3

खंड 1–21 सामान्य (पेपरबैक) के 1 सेट का मूल्य :

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15, जनपथ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001

फोन : 011–23320588, 23320571

जनसंपर्क अधिकारी मोबाइल नं. 85880–38789

वेबसाइट :<http://drambedkarwritings.gov.in>

Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमि., W-30 ओखला, फेज-2, नई दिल्ली-20

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्रीमती नीलम साहनी

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

श्रीमती रश्मि चौधरी

संयुक्त सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री देबेन्द्र प्रसाद माझी

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

अंग्रेजी में सकलन

श्री वसंत मून

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

अनुवादक

सीताराम खोड़ावाल

पुनरीक्षक

श्री उमराव सिंह

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA



कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फ़ैक्स: 011-23381902
ई-मेल: min-sje@nic.in



संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष के प्रतीक हैं। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान अतुलनीय है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के लेख एवं भाषण क्रान्तिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन-सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिये डॉ. अम्बेडकर जी का दृष्टिकोण और जीवन-संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिये बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने देश की जनता का आह्वान किया था।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिये, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिये अनिवार्य दस्तावेज हैं। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर जी का चिंतन-मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के स्वप्न का समाज-"सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान द्वारा, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : सम्पूर्ण वांगमय" के खण्ड 1 से 21 तक के संस्करणों को, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों और देश के आम जनमानस की मांग को देखते हुये पुनर्मुद्रण किया जा रहा है।

विद्वान पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत करायेंगे तो हिंदी में अनूदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

9/7/19

(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

प्राक्कथन


भारत रत्न बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश की महान सेवा की। देश को कमजोर बनाने वाली समस्याओं को समझा और उनके कारणों को एक अन्वेषी के रूप में तह तक पहुंचकर जानने का अथक प्रयास किया। समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को वे प्रजातंत्र के लिए घातक मानते थे। वे वर्ण-व्यवस्था को, जाति व्यवस्था की जननी मानते थे। मनुष्य-मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार करे, उसके साथ छुआछूत बरते, वह मनुष्य सभ्य नहीं कहा जा सकता, वह समाज जो इसकी आज्ञा दे वह समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। आज समाज की कुप्रथा को अवैध करार दे दिया गया है। बाबासाहेब के प्रयासों का ही परिणाम है।

बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंग्रेजी में प्रकाशित वाङ्मय को हिन्दी के अतिरिक्त देश की अन्य 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित किया जा रहा है।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता 'मंत्री' एवं सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

प्रस्तुत हिन्दी खंड-18 में "डॉ. अम्बेडकर-सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में" नामक शोधपूर्ण रचना समाहित है। मानविकी के अध्येताओं लिए तो आधारभूत सामग्री है ही, साथ ही यह सामग्री समाज निर्माण के सुधी एवं सजग प्रहरियों के लिए चिंतन का आधार बनेगी। पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की प्रतिक्रिया बनी रहेगी।

नई दिल्ली



रश्मि चौधरी
सदस्य सचिव,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

प्रकाशकीय

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, वाङ्मय का हिंदी एवं अन्य 8 क्षेत्रीय भाषाओं में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुवाद किया गया। इस अनूदित कार्य का सुधी पाठकों ने हृदय से स्वागत किया है।

हमें प्रसन्नता है कि हम अपने पाठकों के समक्ष खंड 18 हिंदी में समर्पित कर रहे हैं।

प्रस्तुत खंड में “डॉ. अम्बेडकर—सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में” में शोधपूर्ण सामग्री समाहित की गई है। बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारतीय इतिहास के तथाकथित स्वर्णयुग से छुआछूत के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज की सभ्यता और आवश्यकता के संदर्भ में सुधी पाठक, इतिहास को नए सिरे से देखना चाहेगा।

अंत में मैं अपने संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों आदि सभी सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

हमें आशा और विश्वास है कि हमारे पाठक पूर्ववत् की तरह इस खंड का भी स्वागत करेंगे।

नई दिल्ली

देबेन्द्र प्रसाद माझी
निदेशक,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

अस्वीकरण

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन—सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ—साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन—संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, “बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर: संपूर्ण वाङ्मय” के अन्य अप्रकाशित खण्ड 1 से 21 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन—मानस की मांग को देखते हुए मुद्रण किया जा रहा है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में तथा व्याकरण एवं मुद्रण सम्बन्धी सुझाव से डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई—मेल आई.डी. cwbadaf17@gmail.com पर अवगत कराएं ताकि हिंदी में प्रथमवार अनुदित, इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकें।

पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की प्रतिक्षा बनी रहेगी।

निदेशक

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
नई दिल्ली—01

कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है, जहां शोषण का समूल नाश कर दिया जाता है, जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणामस्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी-रोटी की हानि के भय से मुक्त है।

— डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

| | |
|--|------|
| संदेश | v |
| प्राक्कथन | vii |
| प्रकाशकीय | viii |
| अस्वीकरण | ix |
| डॉ. बी. आर. अम्बेडकर—जीवन—झाँकी | xiv |
| वाइसराय की कौंसिल में श्रम—सदस्य के रूप में नियुक्ति | xxii |

अध्याय

| | |
|--|-----|
| 1. श्रम संबंधी कानून में एकरूपता | 3 |
| 2. भारतीय भू—सर्वेक्षण विभाग की उपयोगिता शाखा की सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन | 11 |
| 3. भारत की स्थिति | 13 |
| 4. भारतीय भू—सर्वेक्षण विभाग की उपयोगिता शाखा की सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन | 22 |
| 5. भारतीय—श्रमिक युद्ध जीतने के लिए क्यों दृढ़ संकल्प हैं | 27 |
| 6. कागज नियंत्रण आदेश | 35 |
| 7. कामगारों को अपर्याप्त मंहगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में घोषणा | 40 |
| 8. भारतीय वित्त विधेयक | 43 |
| 9. श्रम विभाग की स्थायी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन | 49 |
| 10. भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक | 52 |
| 11. युद्ध आहत (मुआवजा बीमा) विधेयक | 57 |
| 12. कुशल और अर्ध—कुशल कार्मिकों के लिए रोजगार कार्यालय | 66 |
| 13. भारतीय बॉयलर्स (संशोधन) विधेयक | 69 |
| 14. मोटर वाहन (चालक) संशोधन विधेयक | 72 |
| 15. खदान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक | 75 |
| 16. युद्ध—आहत (मुआवजा बीमा) विधेयक | 77 |
| 17. पूर्ण श्रम सम्मेलन का प्रथम सत्रा | 88 |
| 18. मजदूर और संसदीय लोकतंत्रा | 95 |
| 19. भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक | 102 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 20. | भारत में विद्युत शक्ति का युद्धोत्तर विकास | 110 |
| 21. | श्रम सदस्य की झरिया की कोयला—खानों की यात्रा | 120 |
| 22. | श्रम सदस्य की कोयला—खानों की यात्रा | 121 |
| 23. | भारत में श्रम कल्याण को प्रोत्साहन | 126 |
| 24. | कोयले की खानों में भूमिगत कार्यों में महिलाओं की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध का उठाया जाना | 130 |
| 25. | कोयला खान सुरक्षा (लदान) संशोधन विधेयक | 135 |
| 26. | श्रमिकों के प्रति सरकार की नीति | 139 |
| 27. | विविध विभाग | 148 |
| 28. | नई दिल्ली में मस्जिदों का संरक्षण | 150 |
| 29. | कारखाना (संशोधन) विधेयक | 153 |
| 30. | कोयला खान कल्याण कोष संबंधी परामर्श समिति | 157 |
| 31. | अभ्रक उद्योग को सुदृढ़ और स्थिर बनाया जाएगा | 160 |
| 32. | स्थायी श्रम समिति में मजदूर संघों की मान्यता पर विचार | 165 |
| 33. | कुशल श्रमिकों को युद्धोपरांत रोजगार | 168 |
| 34. | त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का पूर्ण अधिवेशन | 175 |
| 35. | कारखाना (दूसरा संशोधन) विधेयक | 187 |
| 36. | वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक | 196 |
| 37. | दामोदर घाटी योजना : कलकत्ता सम्मेलन | 204 |
| 38. | युद्धोत्तर बिजली विकास | 209 |
| 39. | भारत के खनिज साधनों पर सरकार की नीति | 218 |
| 40. | भारत सरकार की श्रम नीति | 223 |
| 41. | खानों की महिलाओं को भूमिगत काम देने पर से हटाए गए प्रतिबंध को पिफर लगाए जाने की आवश्यकता | 232 |
| 42. | श्रम विभाग : अनुपूरक मांग के संबंध में | 239 |
| 43. | खदान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक | 243 |
| 44. | कारखाना (दूसरा संशोधन) विधेयक | 246 |
| 45. | खदान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक | 252 |
| 46. | औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा | 254 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 47. | राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण का युद्ध कार्य | 256 |
| 48. | दामोदर घाटी का बहुउद्देशीय विकास | 260 |
| 49. | भारत के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था | 266 |
| 50. | श्रमिकों के प्रति सरकारी दायित्व | 268 |
| 51. | उड़ीसा की नदियों के विकास की बहुउद्देशीय योजना | 276 |
| 52. | छंटनी के बारे में रेलवेमेंस पफेडरेशन की मांग अस्वीकृत | 285 |
| 53. | दामोदर घाटी परियोजना चलाने के लिए गांवों को खाली कराने का प्रस्ताव | 289 |
| 54. | कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक | 292 |
| 55. | भारतीय खान (संशोधन) विधेयक | 295 |
| 56. | कारखाना (संशोधन) विधेयक | 298 |
| 57. | पुनर्वास योजनाएं | 305 |
| 58. | कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा | 309 |
| 59. | मुसलमानों की स्थिति श्रम विभाग में बेहतर है | 313 |
| 60. | भारतीय वित्त विधेयक | 321 |
| 61. | कलकत्ता में गवर्नमेंट आफफ इंडिया प्रेस के कर्मचारियों की हड़ताल | 330 |
| 62. | कारखाना (संशोधन) विधेयक | 333 |
| 63. | अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष विधेयक | 339 |
| 64. | औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक | 352 |
| 65. | अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष विधेयक | 358 |
| 66. | विविध | 360 |
| 67. | अनुक्रमणिका | 370 |

*डा. बी. आर. अम्बेडकर

जीवन-झॉकी

तीस वर्ष पूर्व एक महार युवक के लिए शिक्षा के द्वारा अवसर की स्वर्णिम भावनाओं के द्वार खुल गए और उसने संकल्प किया कि उसका जीवन उस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ने में व्यतीत होगा जिसने उसे और उसके निकट संबंधियों को अछूत घोषित किया है और जिनकी छाया पड़ने से ही सवर्ण हिंदू अपने घर में भी रह कर अपवित्र हो जाता है। आज डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर को वाइसराय की कार्यकारी कौंसिल में श्रम विभाग का कार्यभार दिया गया है, किन्तु अभी भी वह यह महसूस करते हैं कि उनका सर्वप्रथम कर्तव्य तथाकथित दलित वर्ग में आने वाले लाखों भारतीयों के प्रति है और उनके उद्धार के कार्य में अगुआई करते समय निजी-स्वार्थ या महत्वाकांक्षाएं आड़े नहीं आनी चाहिए।

जिन्हें इस संबंध में जानकारी है कि उन्होंने हिंदू सामाजिक पद्धति पर किस प्रकार प्रहार किया और सवर्ण हिंदू नेताओं से उनका किस प्रकार का मतभेद था उन्हें निश्चित रूप से यह अनुभव होगा कि वह बहुत खरी बात कहने वाले व्यक्ति थे। किन्तु जिन्हें उनके जीवन वृत्त और पूर्ववृत्त की जानकारी है वे आश्चर्य करते हैं कि उनमें इससे भी अधिक कड़वाहट क्यों नहीं है और जिस प्रकार अपने जीवन को अस्पृश्यता के विरुद्ध जिहाद छेड़ने में इतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार संलग्न कर दिया है कि इस बारे में अनेक क्षेत्रों में रुचि उत्पन्न हो गई है और बड़ी योग्यता के साथ उन्होंने विविध विषयों का अध्ययन किया है।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस अछूत ने किस प्रकार शिक्षा का जुगाड़ किया? उत्तर सीधा-सादा है - उनके समुदाय के लोग, अर्थात् महार, कृषक, गांव में सेवादार और सैनिक होते हैं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बाम्बे सेना को एक बार सैनिक उपलब्ध कराए, ठीक जैसे कि बिहार के दुसाधों और मद्रास के परिहाओं ने उन प्रांतों में कंपनी की सेना को सिपाही दिए थे। उस समय सिपाहियों को सेना में शिक्षा दी जाती थी और अम्बेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी अम्बेडकर सैनिक विद्यालय में अध्यापक रह चुके थे।

* इंडियन इनफार्मेशन, 1 मार्च, 1943, पृष्ठ 194-95, यह लेख 'व्यक्तित्व' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। लेख पर लेखक के नाम मुद्रित नहीं है - संपादक

प्रारंभिक शिक्षा

यदि 1892 में सेना में महारों की भर्ती पर रोक न लगाई होती तो इस बात की बहुत संभावना थी कि सूबेदार के बेटे ने भी सैनिक वृत्ति को ही अपनाया होता, किन्तु घटना-चक्र इसके विपरीत घटा। शिक्षा के महत्व को महसूस करते हुए सूबेदार ने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश की परंतु इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा। विद्यालयों ने महार के बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया। वह अपने गृह-नगर रत्नागिरी से सतारा चले गए और बाद में मुंबई चले गए जहां अंततः बस गए। एक स्थिति तो यह आ गई कि उन्हें यह भी निर्णय लेना पड़ा कि अपने दो बेटों में से विद्यालय में किसकी पढ़ाई का खर्च उठाएं और उन्होंने छोटे बेटे को पढ़ाने का निर्णय लिया जो अब दलित वर्ग का नेता है।

इस युवक को अल्पायु में ही यह पता चल गया कि अच्छा होना कितनी बुरी बात है। उसका जन्म वर्ष 1893* में महू में सैनिक छावनी में प्रजातांत्रिक वातावरण में हुआ किन्तु बचपन में ही उसे बाम्बे प्रेसिडेंसी जाना पड़ा। उसे सतारा में अपने पाठशाला के दिन याद हैं जब वह बोरी का एक टुकड़ा लेकर जाता और कक्षा के एक कोने में दुबक कर बैठ जाता। पाठशाला का नौकर भी उस टाट को नहीं छूता था जिसे बालक अम्बेडकर प्रतिदिन अपने साथ लेकर पाठशाला जाता और वापस लाता था। वह पाठशाला के नल को भी नहीं छू सकता था और वह तभी पानी पी सकता था जब पाठशाला का चपरासी वहां नल खोलने के लिए मौजूद रहता। घर पर उसकी बहनें कह कपड़े धोती थी क्योंकि कोई भी धोबी उनके कपड़े नहीं धोता था और वे ही अपने भाई के बाल भी काटती थीं।

उनके मानस-पटल पर एक घटना आज भी बहुत स्पष्ट रूप से अंकित है। एक बार वह अपने दो बड़े भाइयों और एक छोटे भतीजे के साथ अपने पिता से मिलने के लिए एक कस्बे के लिए चल पड़े जो रेलवे स्टेशन से दूर था। कोई गाड़ीवान उन्हें यात्रा के अंतिम चरण में ले जाने को तैयार नहीं हुआ। अंततः उन्हें दुगना भाड़ा भी चुकाना पड़ा और बैलगाड़ी भी स्वयं हांकनी पड़ी। रास्ते में भूख मिटाने के लिए जो खाना बनाकर दिया गया था वह खराब हो गया क्योंकि उनके पास पीने का पानी नहीं था और रास्ते में पीने को कोई भी उन्हें पानी नहीं देता।

बड़ौदा के शासक द्वारा सहायता

समय बीतता गया बी. आर. अम्बेडकर ने विद्यालय की शिक्षा पूरी की और बंबई में

* डॉ. अम्बेडकर के जीवनी-लेखकों के अनुसार, सतारा के विद्यालय में पंजीकरण के अनुसार, जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी, उनकी जन्म-तिथि 14 अप्रैल, 1891 है - संपादक

एलफिंस्टोन कालेज में प्रवेश लिया। अभी विश्वविद्यालय की शिक्षा अधूरी ही थी कि इनके पिता के पास धनाभाव हो गया और एक मित्र इस युवा स्नातक विद्यार्थी को बड़ौदा के गायकवाड़ के पास ले गए। गायकवाड़ द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के सहारे वह अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त कर सके।

स्नातक होकर जब बी. आर. अम्बेडकर गायकवाड़ महोदय को धन्यवाद देने गए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनसे पूछा गया कि क्या आगे अध्ययन के लिए वह विदेश जाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को सुनकर वह खुशी से उछल पड़े और न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश की व्यवस्था की गई। अमेरिका की समुद्र यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व प्रतीक्षा काल के दौरान के लिए गायकवाड़ ने उन्हें सुझाव दिया कि अपने पूर्वजों की परंपरागत वृत्ति में प्रवेश करें और उन्हें बड़ौदा की राजकीय सेना में ले“टीनेंट का पद दिया।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजविज्ञान, राजनीति और नैतिक दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हुए स्नातकोत्तर होकर पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1971 में वे लंदन गए और इंडिया लाइब्रेरी तथा लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स में अनुसंधान कार्य आरंभ करने के साथ-साथ ग्रेज-इन में भी प्रवेश लिया।

भारत लौट कर उन्होंने अपनी सेवाएं उस व्यक्ति को अर्पित की जिसने उनकी मदद की थी और उन्हें बड़ौदा के एकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रोबेशनर (परिविद्यार्थी) के रूप में नियुक्त किया गया।

बड़ौदा में अनुभव

डॉ. अम्बेडकर कई वर्षों तक विदेश में रहे और बहुत से मित्र बनाए जिनमें भारतीय, अमेरिकी और यूरोपीय थे। उन लोगों ने उन्हें कभी भी अछूत नहीं समझा। इस प्रकार उनके मन से यह भावना बहुत कुछ समाप्त हो गई कि वे दलित वर्ग के हैं। अब जब उन्होंने बड़ौदा पहुंच कर कार्य आरंभ किया तो वह सभी बातें काटें की भांति पुनः चुभने लगीं। वह एक महार कहां ठहरे? उन्होंने एक पारसी सराय वाले को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह उन्हें रहने और खाने की सुविधा दे दे। सौभाग्य से वहां कोई और ठहरने वाला नहीं था, किन्तु दस दिन बाद एक बड़ी संख्या में पारसी लोग हाथ में लाठी लिए आए और उन्हें बुलाया और पूछा कि उनके समुदाय के लिए आरक्षित होस्टल को भ्रष्ट करने का उनका क्या मतलब है और कहा कि उसी शाम तक होस्टल खाली कर दें।

उन्होंने दो मित्रों से आश्रय मांगा जिनमें से एक हिंदू था दूसरा ईसाई। उनमें से पहले ने कहा, “यदि तुम मेरे घर आओगे तो मेरे नौकर छोड़ जाओगे।” दूसरा मित्र अपनी पत्नी से परामर्श करना चाहता था। डॉ. अम्बेडकर यह जानते थे कि वे पति पत्नी

दोनों रूढ़िवादी ब्राह्मण वंशज थे और पत्नी में अभी भी जातीयता की भावना भरी थी, अतः उन्होंने बंबई वापस आने का निर्णय लिया।

वहां जाकर वे सिडेन्हम कॉमर्स कालेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। किन्तु उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने का निश्चय किया। उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन करके अपनी आय में वृद्धि की। एक-एक पाई बचाई और एक या दो साल बाद लंदन स्कूल आफ इकनामिक्स में पुनः प्रवेश लिया।

उन्हें 'प्राबलम आफ द रूपी' (रुपए की समस्या) पर लंदन में लिखे गए शोध-पत्र पर डी.एस.सी. की उपाधि मिली और एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता दी गई। उनकी इच्छा जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की थी जो उन्हें बोन ले गई, किन्तु विनिमय दर में गिरावट के कारण उन्हें बिना उपाधि के ही भारत वापस आना पड़ा।

अब उन्होंने सरकार में या विश्वविद्यालय में नौकरी करने की बजाए वकालत करने का निर्णय लिया जिससे कि वे पूर्णतः स्वतंत्र रह कर अछूतों के लिए काम कर सकें।

दलित वर्गों से निकट संपर्क

उनके मन का यह भय कि सवर्ण हिंदू अधिवक्ता और वकील जिन पर वह कानूनी हिदायतों के लिए निर्भर हों, भेदभाव बरतेंगे और उनकी वकालत में बाधा पहुंचेगी, निराधार निकाला और उन्होंने बंबई में दीवानी के अच्छे वकील के रूप में स्थान बना लिया। बंबई और नागपुर विश्वविद्यालय तथा बंबई उच्च न्यायालय ने इन्हें विधि विषय का परीक्षक बनाया और कुछ समय तक वह राजकीय विधि महाविद्यालय, बंबई में आचार्य एवं प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। उन्होंने समय-समय पर न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए रखे गए प्रस्तावों को इस लिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसके कारण उन्हें राजनीतिक जीवन से अलग होना पड़ेगा।

दस वर्ष तक यह अछूत बैरिस्टर एवं प्रोफेसर परेल में बंबई विकास विभाग की एक चाल में रहा। यह चालें पांच मंजिला विशाल भवन थे जिनमें प्रत्येक में एक कमरे वाले लगभग एक सौ आवास थे। उनमें कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, प्रत्येक मंजिल पर केवल एक शौचालय था और नहाने-धोने तथा बर्तन साफ करने के लिए केवल एक नल था। वहां रहने वाले अधिकांश लोग मिलों में काम करते थे जिनकी आय औसतन 25 रुपए प्रति मास होती थी।

इन्हीं स्थितियों में रहते हुए डॉ. अम्बेडकर को बंबई के कामगारों के जीवन का प्राथमिक परिचय मिला। यह उनके लिए बड़ा सहारा था कि उन्हें सैकड़ों कामगार व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उनकी सलाह और सहायता लेते थे। इस रूप में

उन्हें अनेक कामगारों का विश्वास प्राप्त हुआ और अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान में दलित वर्ग के नेता के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया।

अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान

इस अभियान की दो अभूतपूर्व घटनाएं उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम घटना कोलावा जिले के महाद में चौदर तालाब के सत्याग्रह के रूप में जानी जाती है जब उन्होंने किसी विशेष तालाब से पानी लेने के दलित वर्ग के सदस्यों के अधिकार को लेकर विशाल प्रदर्शनों का आयोजन किया। जब अछूतों ने पानी लिया तो कड़ियों के सिर फूटे और डॉ. अम्बेडकर को पुलिस की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। किंतु अछूतों को अपना लक्ष्य मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें अपने अस्तित्व की भावना जागी और मानव के रूप में अपने सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा हुई जिसके सहारे अपने उद्धार के लक्ष्य को वे आगे बढ़ा सके।

अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर, अछूतों ने नासिक के सबसे पवित्र मंदिर में प्रवेश पाने के अधिकार के लिए लड़ने का निश्चय किया। पांच वर्ष तक उन्होंने कलाराम मंदिर के सामने सत्याग्रह किया। उन्होंने वहां के वृहद वार्षिक मेले में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इस सीमा तक रूकावटें पैदा की कि मेला नहीं लग सका। उन्होंने उस घाट पर स्नान किया जो अब तक उनके लिए बंद था क्योंकि इससे पवित्र गोदावरी का जल प्रदूषित हो जाता। अनेक लोग, जिनमें बहुत सी महिलाएं भी थीं, जेल गए और यद्यपि अछूतों को उस समय तक मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला, लेकिन सत्याग्रह समाप्त करने तक उन्होंने यह दिखा दिया कि वे एक हो सकते हैं और स्वर्ण हिंदुओं को उन्होंने यह झटका दिया कि उनकी धमकियों से दुखी होकर वे लोग सदैव के लिए हिन्दुत्व से नाता तोड़ लेंगे।

राजनीतिक क्रियाकलाप

डॉ. अम्बेडकर अछूतों के नेता के रूप में राजनीति में प्रख्यात हो चुके थे। उन्हें 1926 में मुंबई विधान परिषद् (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के लिए मनोनीत किया गया और ग्यारह वर्ष बाद बंबई विधान सभा के लिए बंबई नगर से अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। वह लंदन में हुई तीन गोलमेज सभाओं में तथा उस संयुक्त संसदीय समिति में अपने लोगों के लिए लड़े जिसने वह विधेयक तैयार किया था जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 का आधार बना।

उनके राजनैतिक जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटना है नए संविधान में सुरक्षा उपायों के मुद्दों पर महात्मा गांधी से मतभेद। डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए कतिपय सुरक्षा उपायों की मांग की। ब्रिटिश सरकार सुरक्षा उपायों के बारे

में जो प्रावधान बनाना चाहती थी उसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार नए संविधान के अधीन प्रांतीय विधान सभा के निचले सदन के निर्वाचनों में अछूतों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं।

नए अधिनियम के अधीन हुए प्रथम निर्वाचन में डॉ. अम्बेडकर ने अपने प्रांत बंबई में और कुछ हद तक केंद्रीय प्रांतों में अपने अनुयायियों को संगठित किया। बंबई में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 11 सीटें स्वतंत्र लेबर पार्टी को मिलीं। रत्नागिरी जिले में उनकी पार्टी से खड़े किए गए सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों ने दो सीटों पर कब्जा कर लिया जो दलित वर्गों के लिए आरक्षित नहीं थी। केंद्रीय प्रांतों में दलित वर्गों के अधिकांश विजेता उम्मीदवार गैर-कांग्रेसी थे और वे डॉ. अम्बेडकर के अनुयायी थे।

छुआछूत का कलंक

डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर का था, फिर भी वह छुआछूत के कलंक से नहीं बच सके। वर्ष 1929 में जब वह अछूतों की कुछ शिकायतों की छानबीन करने वाली समिति में काम कर रहे थे तो वह खानदेश जिले में गए और वहां चालीसगांव नामक स्थान पर स्थानीय महारों ने उनका स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर बहुत देर इंतजार करने के पश्चात उन्हें एक तांगे में बैठाया गया। तांगा महारवाड़ा की ओर चल पड़ा जहां महारों की बस्ती थी। तांगे वाला अनाड़ी और अनुभवहीन था और एक पुलिया पर घोड़ा अड़ गया जिससे डॉ. अम्बेडकर पथरीले रास्ते पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। तब उन्हें पता चला कि अछूतों को तांगा कठिनाई से मिलता है और चूंकि कोई तांगा चालक उन्हें लेकर जाने को तैयार न था इसलिए महारों में से एक ने स्थिति को संभाला, पर अपने नेता के प्रति होने वाले जोखिम की ओर ध्यान नहीं दिया।

डॉ. अम्बेडकर और उनके कुछ सहयोगी कर्मचारी भ्रमण के लिए निजाम के राज्य में स्थित दौलताबाद किले में गए। जब वे किले में पहुंचे तो धूल-धूसरित हो रहे थे और अनायास ही एक तालाब से पानी लेकर हाथ-मुंह धोने लगे। जिस समय वे अंदर जाने की अनुमति ले रहे थे, एक बूढ़ा मुसलमान दौड़ कर आया और उसने शोर मचाया “ढेड़ों (अछूतों) ने तालाब अपवित्र कर दिया है।” स्थिति गंभीर हो गई, मुसलमानों के तेवर से क्षुब्ध डॉ. अम्बेडकर ने कहा “क्या यही आप का धर्म सिखाता है? क्या किसी अछूत को यदि वह मुसलमान बन जाए आप इस तालाब से

पानी लेने से रोकोगे?" यह सुनकर भीड़ खामोश हो गई किन्तु अछूतों को किले के भीतर एक सशस्त्र सैनिक के साथ ही जाने दिया गया जिससे वह ध्यान रखे कि कहीं अन्य स्थल पर जल को अपवित्र न कर दे।

डॉ. अम्बेडकर के जीवन के अनुभवों ने स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि जातिवाद और छूआछूत हिंदू धर्म की अपनी रचना है, फिर भी भारत के मुसलमान, पारसी और ईसाई भी इस विषय पर हिंदू-धारणा से अलग नहीं हैं। अपने लंबे संघर्ष के दौरान, उन्हें विश्व में विद्वानों की एक ऐसी अमूल्य मित्र-मंडली मिली जो मानव-मानव के बीच जाति के आधार पर किसी को विजातीय समझ कर प्यार की भाषा से वंचित नहीं करती।

साहित्यिक क्रियाकलाप

जिसने भी डॉ. अम्बेडकर को उनके घर में देखा है, वह निश्चित रूप से उन विभिन्न विषयों के अनेक ग्रंथों को नहीं भूल सकता जो उनकी अलमारियों में भरे रहते तथा मेज के आस-पास पड़े रहते। उन्हें हर प्रकार की पुस्तकें प्रिय थीं, पर विशेष रूप से संविधान, विधि, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान संबंधी पुस्तकें अधिक प्रिय थीं। उनकी अपनी लिखी गई पुस्तकों में "रूपे की समस्या" (दि प्राबलम आफ रूपी) "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था" (प्राविंशियल फाइनांस इन ब्रिटिश इंडिया) "जाति प्रथा का उन्मूलन" (एनिहिलेशन आफ कास्ट) "गणतंत्र बनाम आजादी" (फेडरेशन वर्सेज) और "पाकिस्तान पर मत" (थाट्स आन पाकिस्तान) शामिल हैं।*

उन्होंने अछूतों की राजनीतिक जाग्रति के लिए मराठी समाचारपत्र चलाए। वर्ष 1919* में उन्होंने मुखनायक (गुंगों का नेता) का प्रकाशन आरंभ किया किन्तु ज्योंही वे यूरोप में अपनी पढ़ाई पूरी करने गए इसका स्वाभाविक अंत हो गया। वर्ष 1923/ में उन्होंने 'अपवर्जित भारत' (एक्सक्लूडेड इंडिया) आरंभ किया। बाद में इसका नाम बदल कर 'जनता' (पीपल) कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि इसकी अपील अपवर्जित समुदायों तक ही सीमित न रहे।

धर्म के प्रति दृष्टिकोण

धर्म के प्रति डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण के संबंध में एक-दो शब्द कहना उचित होगा। यह यह महसूस करते थे कि चार जातियों में विभाजित भारतीय हिंदू सामाजिक

* 1920 होना चाहिए - संपादक

@ 1927 होना चाहिए - संपादक

व्यवस्था, जिसमें बड़ी संख्या अछूतों की हैं, संपूर्ण देश की कमजोरी का मुख्य कारण रहा है और वे इसके दायरे में नहीं रहना चाहते थे।

कुछ वर्ष पूर्व, एक सुधारवादी हिंदू संगठन “जातिपात तोड़क मंडल” ने उन्हें अपने वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। बाद में सम्मेलन रद्द हो गया क्योंकि उनके अध्यक्षीय भाषण का यह अंश मंडल को स्वीकार्य नहीं था कि एक हिंदू की हैसियत से यह उनका अंतिम भाषण होगा। उन्होंने उस अप्रसारित भाषण को “जाति का उन्मूलन” शीर्षक देकर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया। इस शीर्षक से ही जाति प्रथा के बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है।

किन्तु यद्यपि वह हिंदू न रहने के लिए कृत-संकल्प हैं और उन्होंने कतिपय अन्य धर्मों के उपदेशों का अध्ययन किया है जिसमें बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म भी शामिल हैं, फिर भी डॉ. अम्बेडकर अभी भी अन्य धर्म में प्रवेश की घोषणा नहीं करेंगे। उनका विश्वास है कि अभी भी अछूतों को उनकी आवश्यकता है। अभी उनके धर्म-परिवर्तन की दूरगामी प्रतिक्रिया होगी। उनकी आस्था और उनके प्रत्येक अनुयायी की आस्था ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए और इस विषय में वे अपने अनुयायियों पर अपना प्रभाव नहीं डालना चाहते। जब वे अछूतों का नेतृत्व दूसरों को सौंपेंगे और जन सेवा से अवकाश ग्रहण करेंगे तब वे लोगों को अपने निर्णय की जानकारी देंगे। फिलहाल, अभी उनका अभियान चलता रहेगा।

*वाइसराय की कौंसिल में श्रम-सदस्य के रूप में नियुक्ति

डॉ. अम्बेडकर ने 20 जुलाई, 1942 को वाइसराय की कौंसिल में श्रम-सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें श्रम विभाग का कार्य सौंपा गया। इस संबंध में सम्राट के कार्यालय से जारी किए गए नियुक्ति-पत्र को नीचे उद्धृत किया जा रहा है - संपादक।

जार्ज आर-1

ईश्वर की महान अनुकम्पा से ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और समुद्र पार के ब्रिटिश साम्राज्य के आस्था के रक्षक भारत के सम्राट जार्ज षष्ठम द्वारा -

हमारे विश्वासपात्र एवं प्रिय भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर ऑफ साइंस और बार-एट-ला को।

अभिवादेन!

हम अपने इस आदेश-पत्र (वारंट) और हस्ताक्षरयुक्त मैनुअल के जरिए आप अर्थात् भीमराव रामजी अम्बेडकर को अपने प्रसाद पर्यन्त भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त करते हैं।

(II) और हम एतद्द्वारा आपको नियुक्त करते हैं कि जैसे ही आप कार्यभार ग्रहण करेंगे हमारा यह आदेश-पत्र (वारंट) प्रभावी हो जाएगा।

हमारे सेंट जेम्स, स्थित कार्यालय (कोर्ट) से आज लार्ड क्राइसट के एक हजार नौ सौ बयालीसवें वर्ष और हमारे शासन के छठे वर्ष के जुलाई मास के इस नौवें दिन जारी किया गया।

महामहिम के आदेश से
ह. एल. एस. एमेरी

* खैरमौड सी. बी. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मराठी जीवन चरित्र) खंड 9, 1987, पृष्ठ 113 (महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, बंबई द्वारा प्रकाशित)

डॉ. अम्बेडकर को दिनांक 21 जुलाई, 1941 की सरकारी सूचना के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य पहले ही नामनिर्दिष्ट किया जा चुका था।

भाषण

*श्रम संबंधी कानून में एकरूपता

(शुक्रवार, 7 अगस्त, 1942 को नई दिल्ली में हुए संयुक्त श्रम अधिवेशन में भारत सरकार के श्रम सदस्य की हैसियत से माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतरण)

मुझे इस त्रिपक्षीय श्रम अधिवेशन के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप लोगों ने हमारे निमंत्रण को जिस तत्परता से स्वीकार किया है और इस अवसर पर पधारने का कष्ट किया है उसके लिए मेरे और भारत सरकार के पास कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपकी इस भागीदारी के साथ-साथ इस अधिवेशन को सफल बनाने में भी आपका स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप इसके प्रयोजन को फलीभूत करेंगे।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता; यह गंभीर आपात स्थिति के दिन हैं और मैं महसूस करता हूँ कि आप में से प्रत्येक को यथासंभव शीघ्र अपने स्थान पर वापस पहुंच जाना चाहिए। इसलिए इस अवसर पर मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता बल्कि कुछ ही मुद्दों को रखना चाहता हूँ जिससे आपके समक्ष इस अधिवेशन का महत्व और उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य को स्पष्ट कर सकूँ।

दो विशेषताएं

जैसा कि आप जानते हैं, अब तक भारत सरकार के श्रम विभाग के तत्वाधान में नई दिल्ली में तीन श्रम-अधिवेशन हो चुके हैं। इनमें से प्रथम 22 और 23 जनवरी, 1940 को, दूसरा 27 और 28 जनवरी, 1941 को और तीसरा 30 और 31 जनवरी, 1942 को हुआ था। इस श्रृंखला में वर्तमान अधिवेशन चौथा है। यदि मैं संक्षेप में इस अधिवेशन की विशेषताओं को आपके समक्ष रखूँ, तो आप महसूस करेंगे कि

* इंडियन इनफार्मेशन, सितम्बर 15, 1942

किन-किन बातों में यह अधिवेशन पूर्व अधिवेशनों से भिन्न है। पहली बात तो यह है कि यद्यपि पूर्व अधिवेशन नियमित रूप से एक निश्चित अंतराल के पश्चात् होते रहे हैं, उन अधिवेशनों में स्थायित्व की कोई योजना नहीं थी। उनकी योजनाओं का क्रम टूट सकता था और किसी नियम या प्रथा को क्षति पहुंचाए बिना अथवा किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही मुद्दे त्याग दिए जाते थे। वर्तमान अधिवेशन की योजना में स्थायित्व निहित है। जिस संगठन की स्थापना हम करना चाहते हैं उसमें स्थायी और नियमित रूप से काम करने वाली समिति होगी और जब भी उसे काम सौंपा जाएगा उसे करने को तत्पर रहेगी।

अधिवेशन की इस विशेषता से अधिक महत्वपूर्ण दूसरी विशेषता है जिसकी ओर मैं खास तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अधिवेशन के गठन की बाबत है। पूर्ववर्ती अधिवेशन केवल सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे - उनमें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों और कुछ भारतीय राज्यों के ही प्रतिनिधि होते थे। इन अधिवेशनों में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्वों, अर्थात् नियोजकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि नियोजकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से संपर्क किया गया था। उदाहरण के लिए जब हमारे विशिष्ट सहयोगी माननीय ए. रामास्वामी मुदलियार श्रम विभाग के प्रभारी सदस्य थे, तो वह कलकत्ता गए थे और वहां नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले थे।

इसी प्रकार, हमारे प्रतिष्ठित साथी माननीय सर फिरोज खान नून ने जिनके बल पर वर्तमान अधिवेशन की परियोजना टिकी है, श्रम सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों से विचार-विमर्श करने का अवसर निकाला। तथापि श्रम संबंधी अधिवेशनों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन में नियोजकों और कर्मचारियों को आमने-सामने लाकर खड़ा किया गया है। मेरे विचार से अधिवेशन की यह ऐसी विशेषता है जिसका प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वागत होना चाहिए, विशेष रूप से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की ओर से। जब से विटली आयोग ने भारत में श्रम की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा है कि भारत में औद्योगिक परिषद के रूप में एक स्थायी निकाय की स्थापना की जानी चाहिए तभी से हम सिफारिश को लागू कराने के लिए श्रमिक प्रतिनिधियों ने आंदोलन चलाया है। विभिन्न कारणों से, अब तक औद्योगिक परिषद की अवधारणा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। मैं यह दावा नहीं करता कि इस सम्मेलन से जिस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कहा जा रहा है उससे उस महत्वपूर्ण अवधारणा का पूर्ण कार्यान्वयन होता है। परंतु मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक मार्ग बनाने का काम करता है, और यदि मैं यह कहूँ कि

उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह एक लंबी छलांग है तो आप इसे अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे।

श्रम सम्बन्धी विधान

अब मैं अधिवेशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में दो शब्द कहूंगा। आप में से कुछ लोग जो पिछले अधिवेशनों से परिचित हैं जानते होंगे कि जिन उद्देश्यों को लेकर इन अधिवेशनों का आयोजन किया गया उनमें से एक मुख्य उद्देश्य यह था कि श्रम संबंधी विधान में बिखराव न हो क्योंकि श्रम संबंधी विधान में प्रांतीय स्वतंत्रता के कारण यह समस्या देश के सामने पहले से ही चली आ रही थी।

चूंकि भारत सरकार संघात्मक सरकार है, इसलिए श्रम विधान में एकरूपता लाना कठिन कार्य नहीं है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा जो गणराज्यीय संरचना की गई, जिसके द्वारा श्रम विधान को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, उससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। यह आशंका व्यक्त की गई कि यदि कोई केंद्रीय विधान न बनाया गया तो प्रत्येक प्रांत अपनी सुविधानुसार विशेष प्रकार से विधान बनाएगा जो पड़ोसी प्रांत के लिए कठिनाई पैदा करेगा क्योंकि ऐसा करने से सामान्य एवं राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की अपेक्षा प्रांतीय महत्व पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

तीन मुख्य उद्देश्य

बुलाए गए सम्मेलनों से आग्रह किया गया था कि ऐसा उपाय करें जिससे इस प्रवृत्ति में सुधार हो और प्रांतीय सरकारों के मन में श्रम विधान की बाबत पूर्ण एकरूपता का सिद्धांत बैठ जाए। इस सम्मेलन का गठन करते हुए मैं यह नहीं चाहता कि श्रम विधान में एकरूपता का उद्देश्य त्याग दिया जाए जिसके बारे में पिछले तीन सम्मेलनों में मुख्य रूप से चिंता व्यक्त की गई है। यह ऐसा उद्देश्य है कि जिस पर सम्मेलन जोर देगा। किन्तु इसके साथ में दो उद्देश्य और जोड़ना चाहता हूँ अर्थात् औद्योगिक विवादों के सुलझाने की प्रक्रिया निर्धारित करना तथा अखिल भारतीय महत्व के सभी मामलों पर जो श्रमिक और मालिकों के बीच हैं चर्चा करना। इसलिए हमारे सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्य होंगे -

- (i) श्रम संबंधी विधानों में एकरूपता को बढ़ावा देना,
- (ii) औद्योगिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करना; और
- (iii) कर्मचारियों और नियोजकों के बीच के अखिल भारतीय महत्व के मामलों पर विचार-विमर्श करना।

प्रथम मुद्दे के संबंध में यह कहना व्यर्थ है कि हमने इसे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों में क्यों शामिल किया। भारत जैसे विशाल देश में जहां प्रशासनिक और प्रांतीय

अधिकारिता में अनेकरूपता है, श्रम संबंधी विधान की एकरूपता का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भविष्य में भी इस ओर हमारा ध्यान उसी प्रकार जाता रहेगा जैसा कि अतीत में जाता रहा है।

औद्योगिक विवाद

औद्योगिक विवादों को लेकर श्रमिकों और मालिकों के बीच एक समय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने जिम्मेदारी से विचार किया और इस प्रकार जितनी हड़तालें हुई वे इतने बड़े पैमाने पर या इतना संकट उत्पन्न करने वाली नहीं थी जितनी हो सकती थीं। इस वर्ष के आरंभ में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना किन्तु भारत रक्षा नियम के नियम 81क के अधीन विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से हाल के महीनों में अच्छा परिणाम सामने आया। हमें आशा है कि वह प्रक्रिया प्रभावशाली और विश्वसनीय उपाय के रूप में सफल होगी, किन्तु यह प्रक्रिया औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए है जो इस सम्मेलन का लक्ष्य है जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं।

अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अंतिम मद का चयन करते समय हमने जानबूझकर व्यापक शब्दावली का प्रयोग किया है, जिससे सम्मेलन के विचार क्षेत्र से ऐसा कोई मुद्दा छूट न जाए जो श्रमिकों और मालिकों के लिए महत्वपूर्ण हो। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस व्यापक शब्दावली, अर्थात् 'अखिल भारतीय महत्व के' शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। हम इसमें श्रमिकों के कल्याण और श्रमिकों के मनोबल को बनाए रखने से संबंधित सभी बातों को शामिल करना चाहते हैं। इसे इस प्रकार समझ लेने पर हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि भले ही इस मद को अंत में रखा गया हो, फिर भी वह सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसे निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह शीघ्रता युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

आपूर्ति का युद्ध

वर्तमान युद्ध माल की आपूर्ति का युद्ध है, और आपूर्ति औद्योगिक शांति पर निर्भर करती है। उद्योगों में शांति कैसे सुनिश्चित की जाए, यही आज की ज्वलंत समस्या है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उद्योग के क्षेत्र में शांति दो बातों पर निर्भर है। प्रथम यह कि औद्योगिक विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए कोई व्यवस्था तत्काल उपलब्ध रहे। दूसरे यह कि उद्योगों के क्षेत्र में लगाई गई ऐसी सभी शर्तों को समाप्त कर दिया जाए जिनसे आक्रोश बढ़ता है और जिनसे उद्योगों में लगे लोगों

का मनोबल गिरता है। फिर भी अनेक प्रश्न रह जाते हैं जो इतने गौण हैं कि उनके कारण औद्योगिक अशांति नहीं हो सकती फिर भी इनसे आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। अधिकांश ऐसे मामले जिनसे आक्रोश उत्पन्न हो सकता है उन्हें साधारण संदर्भ में सामाजिक कल्याण से जोड़ा जा सकता है।

ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और यह हमारी मुख्य आवश्यकता है कि तत्काल ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जो सरकार को इन समस्याओं के शांतिपूर्ण और संतोषजनक रूप में सुलझाने की बाबत सलाह दे जिसके लिए सरकार ने यह सम्मेलन तत्काल बुलाया है।

अगला कार्यक्रम

यह है इस सम्मेलन का महत्व और ये हैं इसके लक्ष्य और उद्देश्य। अब इस सम्मेलन के समक्ष जो कार्यक्रम है उसके संबंध में आप देखेंगे कि हमारी कार्यसूची बहुत संक्षिप्त है। इसमें बहुत सामग्री नहीं है, किन्तु यह अपरिहार्य है। हम आपके समक्ष तब तक इससे बेहतर कार्यसूची नहीं रख सकते जब तक कि मूलभूत प्रश्नों पर हम किसी निर्णय पर न पहुंच जाएं कि इस प्रकार के सम्मेलन की योजना से हम सहमत हैं या नहीं और इसका गठन किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया निम्नलिखित मुद्दों पर अपना निर्णय दें :-

1. स्थायी संगठन के रूप में एक ऐसे स्थायी श्रमिक सम्मेलन की स्थापना की आवश्यकता है जिसकी कम से कम वर्ष में एक बार बैठक हो;
2. इस सम्मेलन के लिए एक ऐसी स्थायी समिति के गठन की आवश्यकता है जो सरकार के कहने पर तत्काल अपनी बैठक बुलाए और सरकार द्वारा रखे गए मुद्दों पर अपनी सलाह दे; और
3. इन निकायों के गठन की प्रक्रिया को सामान्य रूप से परिभाषित करना।

जहां तक इन निकायों के गठन का प्रश्न है, यह वांछनीय होगा कि मैं आपके समक्ष वह योजना रखूं जो हम इस तरह के त्रिपक्षीय सम्मेलन के लिए सर्वोत्तम समझते हैं।

हमारा विचार दो और निकायों की स्थापना करने का है -

- (1) खुला सम्मेलन, और
- (2) स्थायी सलाहकार समिति।

खुला सम्मेलन

खुला सम्मेलन में केंद्रीय सरकार, प्रांतों, राज्यों, कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि होंगे। सामान्य तौर पर प्रत्येक प्रांत और बड़ा राज्य प्रतिनिधि भेजने का हकदार

होगा और जो राज्य व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि नहीं भेज पाएंगे उनका प्रतिनिधित्व चेम्बर आफ प्रिंसेज (युवराज सदन) करेगा।

कर्मचारियों और नियोजकों के मुख्य संगठनों का भी प्रतिनिधित्व होगा और सरकार को ऐसे कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने की छूट होगी, जिनका उसकी राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। खुले सम्मेलन के मामले में, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा कि कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि सरकारी प्रतिनिधियों के बराबर हों।

स्थायी सलाहकार समिति

स्थायी सलाहकार समिति का गठन अधिक दृढ़ होगा और जैसा कि आप इस संकल्प के पाठ को जो आपके समक्ष रखा जाएगा, पढ़कर देखेंगे, इसमें प्रतिनिधित्व का बंटवारा निम्नलिखित रूप में होगा -

1. भारत सरकार के प्रतिनिधि, 2. प्रांतों के प्रतिनिधि, 3. राज्यों के प्रतिनिधि, 4. नियोजकों के प्रतिनिधि, 5. कर्मचारियों के प्रतिनिधि - केंद्र सरकार का श्रम प्रतिनिधि इसका अध्यक्ष होगा।

स्थायी सलाहकार समिति के गठन की बाबत हमने जहां तक हो सका बहुत बारीकी से अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के नियंत्रणधीन निकाय के गठन में निहित सिद्धांतों का अनुसरण किया है जो लीग आफ नेशन्स के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। हमारे विचार में, तीन ऐसे सिद्धांत हैं जो इसके गठन के मूल तत्व हैं। प्रथम है सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के बीच बराबरी। इसे अनुच्छेद 7 के खंड (1) में स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार 32 प्रतिनिधियों में से 16 सरकार के प्रतिनिधि होंगे और 16 कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि होंगे। इस सिद्धांत को प्रभावी करने के लिए हमने 10 सीटें सरकार को और 10 सीटें उद्योगों को दी हैं।

दूसरा सिद्धांत है नियोजकों और कर्मचारियों के बीच समानता। इस संबंध में भी उसी अनुच्छेद में उपबंध किया गया है जिसके अनुसार 16 गैर-सरकारी सीटों को नियोजकों और कर्मचारियों में बराबर बांट दिया गया है। हमने इसे मान्यता देते हुए उद्योगों के लिए आवंटित 10 सीटों को नियोजकों और कर्मचारियों के बीच बराबर-बराबर बांट दिया है।

तीसरा सिद्धांत

तीसरा सिद्धांत है आरक्षण के जरिए कतिपय वर्गों को प्रतिनिधित्व आश्वस्त करना। यह अनुच्छेद 7 में दिया गया है जिसके खंड (2) के अनुसार 16 सरकारी सीटों में से

6 सीटें गैर-यूरोपीय राज्यों के लिए आरक्षित है और खंड (4) के अनुसार नियोजकों के कोटे से दो सीटें गैर-यूरोपीय राज्यों को आवंटित की गई हैं। इस सिद्धांत को अपनाते हुए हमने नियोजकों और कर्मचारियों में से प्रत्येक के कोटे से एक प्रतिनिधि का केंद्रीय सरकार के श्रम प्रतिनिधि द्वारा नामनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव रखा है। इससे कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य नियंत्रक और कर्मचारी संगठन नहीं करते। इन प्रस्तावों में न्याय और निष्पक्षता है जो आप पसंद करेंगे और आपको इनका अनुमोदन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

हम इन निकायों की स्थापना केंद्र में कर रहे हैं, पर जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, श्रम का संबंध केंद्र की अपेक्षा प्रांतीय सरकारों से अधिक है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतर स्तर पर गठित निकाय के लिए भी निचले स्तर से समर्थन की आवश्यकता होगी और इसलिए यदि प्रांतीय सरकारें भी इसी प्रकार के निकाय अपने प्रांतों में स्थापित करना चाहती हैं और ऐसे प्रश्नों का निबटारा करना चाहती है। जिनका केंद्रीय सरकार के संगठन निपटारा करते हैं तो मैं केंद्रीय सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम निस्संदेह ऐसे किसी सुझाव को प्रोत्साहित करेंगे।

खुले श्रम सम्मेलन एवं स्थायी समिति की स्थापना

खुले श्रम सम्मेलन एवं स्थायी समिति के गठन की बाबत एक प्रस्ताव त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

सम्मेलन में केंद्र और प्रांत सरकारों के राज्यों और सभी महत्वपूर्ण कामगार संगठनों के लगभग 50 प्रतिनिधि उपस्थित हुए और माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इसका उद्घाटन किया।

नियोजकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्देश्यों से पूर्णतः सहमत थे।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वी. वी. गिरि ने सम्मेलन के गठन का स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि वह केवल विचार-विमर्श में ही व्यस्त न रहकर श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उद्योग के क्षेत्र में शांति के लिए काम करेगा।

भारतीय श्रम संगठन के अध्यक्ष श्री जमनादास मेहता ने कहा कि सम्मेलन के जरिए शांति सुनिश्चित होनी चाहिए और उद्योगों में इस संकट की घड़ी में स्थिरता आनी चाहिए।

नियोजकों के दो अखिल भारतीय संघों के अध्यक्ष श्री ए. आर. दलाल और श्रीयुत श्रीराम ने अपने-अपने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। प्रिंसेज चेम्बर तथा हैदराबाद, बड़ौदा और ग्वालियर के प्रतिनिधियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों ने भारतीय राज्यों की भागीदारी का स्वागत किया।

खुले सम्मेलन में 44 सदस्य होंगे और भारत सरकार के श्रम प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। बाईस सदस्य विभिन्न सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 11 कामगारों का और 11 नियोजकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस प्रकार स्थायी समिति में 20 सदस्य होंगे और श्रम सदस्य अध्यक्ष होंगे जिसमें एक ओर सरकार की ओर से ओर दूसरी ओर नियोजकों और कामगारों की ओर से समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे।

माननीय श्रम सदस्य ने, जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, भारत सरकार की ओर से इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि नियोजकों और कामगारों के समस्त संगठनों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति ऐसे संगठनों की सहमति से की जानी चाहिए।

2

*भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग की उपयोगिता शाखा की सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) :श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा, ऐसी रीति से, जो माननीय अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति में कार्य करने के लिए सभा का एक प्रतिनिधि निर्वाचित करे जो भारतीय भू-सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के कार्य से संबंधित समस्याओं पर सलाह दें”।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

“कि यह सभा, ऐसी रीति से, जो माननीय अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति में कार्य करने के लिए सभा का एक प्रतिनिधि निर्वाचित करे जो भारतीय भू-सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के कार्य से संबंधित समस्याओं पर सलाह दें”।

@माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह सच है कि माननीय मित्र को मेरा प्रथम भाषण सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैंने जीवन में अनेक भाषण दिए हैं और मैं नहीं समझता कि मुझे यहां प्रथम भाषण देने में कोई भय होगा।

हमारे माननीय मित्र ने बताया कि मैं प्रस्ताव के समर्थन में इसलिए नहीं बोला कि कहीं कुछ संदिग्ध है जिसे विभाग प्रकट नहीं करना चाहता। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस परियोजना के पीछे ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मैं या भारत सरकार शर्मिदा हो। जब मैंने यह प्रस्ताव रखा था तो सोचा था कि यह ऐसे अन्य प्रस्तावों की भांति सामान्य रूप से स्वीकृत हो जाएगा और यदि मुझे जरा भी संकेत होता कि मेरे मित्र मुझे उठाएंगे तो मैं इन प्रश्नों के लिए तैयार रहता।

* विधान सभा वादविवाद (केन्द्रीय) खंड 3, दिनांक 14 सितम्बर, 1942, पृष्ठ 76

@ वही पृष्ठ 78-79

(**एक सदस्य** : आप को सभा की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए।” ठीक है, मैं नया व्यक्ति हूँ और मैं इस सभा से और अधिक दयालुता की अपेक्षा रखता हूँ। यदि मेरे मित्र ऐसी कोई जानकारी जो वे प्रस्ताव पारित होने से पूर्व जानना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इस बहस को अगली किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाए जब मैं अपने माननीय मित्र को वह जानकारी दे सकूंगा जो वे चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य (श्री नियोगी) प्रश्न के जरिए सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु मैं समझता हूँ कि सभा की यह इच्छा है कि इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाए।

ध्वनि : “जी, हां।”

प्रस्ताव स्थगित किया जाता है।

3

भारत की स्थिति

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अब सभा निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेगी :

“भारत की स्थिति पर विचार किया जाए।”

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** (श्रम-सदस्य) : श्रीमन्, प्रस्ताव पर जो बहस पिछले दो या तीन दिनों से चल रही है उससे यह पता चलता है कि इस सभा के सदस्यों द्वारा रखे गए विचार दो प्रकार के हैं। एक विचार यह है कि कांग्रेस सदस्यों को सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाना और भड़के हुए उग्र आंदोलन को दबाना न्यायोचित नहीं था। सभा में एक अन्य वर्ग का मानना है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह कहना ठीक होगा कि बहस में मात्र इस कारण से हस्तक्षेप करना अनावश्यक है कि सभा का एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात को रद्द करता है। किन्तु हमारे माननीय साथी विधि मंत्री ने जो कुछ कहा उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि सरकारी सदस्यों, खासकर कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्यों के लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मामले को वहीं का वहीं रहने दें। बजाय इसके कि यह जिम्मेदारी सभा के ही एक वर्ग पर छोड़ दी जाए, मैं समझता हूँ कि यह बहुत आवश्यक है कि यह भार सरकारी सदस्य अपने ऊपर लें और इसलिए, मैं ऐसे कुछ मुद्दों का निपटान करना चाहता हूँ जिन्हें सभा के उस वर्ग ने उठाया है, और जो समझता है कि कार्यवाही न्यायोचित नहीं थी।

मुद्दे जो उठाए गए हैं वे स्पष्ट रूप से दो वर्गों में आते हैं। कुछ मुद्दे अपनी प्रकृति और महत्व की दृष्टि से विशिष्ट हैं, कुछ मुद्दे सामान्य महत्व के हैं, और चाहे हम में से कुछ के लिए यह वांछनीय हो कि केवल विशिष्ट मुद्दों पर ही विचार न करें

* विधान सभा वादविवाद (केन्द्रीय) खंड 3, दिनांक 18 सितम्बर, 1942, पृष्ठ 281-87

बल्कि सामान्य मुद्दों पर भी बात करें, मुझे भय है कि समय इतना कम है कि लगाए गए आरोपों में से कुछ का ही जबाव संभव होगा। इसलिए मैं सरकार के विरुद्ध विरोधी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों में से दो पर ही टिप्पणी करूंगा।

महोदय, सरकार के आलोचकों ने कहा है कि कांग्रेसी सदस्यों को सरकार द्वारा गिफ्तार करना न्यायोचित नहीं था और यदि मैं तर्क को ठीक से समझता हूं तो तर्क से यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस ऐसी संस्था है जो अहिंसा में विश्वास करती है और यदि कांग्रेस को स्वतंत्र रखा गया होता तो वह स्थिति को इस तरह नियंत्रण में कर लेती कि हिंसा होने ही न पाती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन सदस्यों ने यह दलील दी है उन्होंने इस बात का ठीक से अध्ययन नहीं किया कि पिछले दो वर्षों से कांग्रेस और इसकी कार्या समिति के सदस्यों को अहिंसा के सिद्धांत को लेकर क्या हो गया है। मान्यवर, मैं पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान कांग्रेस की कार्यवाहियों को पढ़ता रहा हूं। मेरे मन पर इसकी जो छाप पड़ी है उससे तो स्पष्ट है कि अहिंसा के सिद्धांत से जबरदस्त विलगाव हुआ है। अहिंसा को गहरा दफना दिया गया है। यह कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है।

अब मैं सभा को कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं। महोदय 22 दिसम्बर, 1939 को कांग्रेस ने सबसे पहले सिविल अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। फिर 19 मार्च, 1940 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी को सर्वोच्च संचालक बनाया गया और संघर्ष का पूरा प्रभार उन्हें सौंपा गया। इस प्रस्ताव के जरिए गांधी जी सर्वोच्च सेना-नायक बन गए, किन्तु 22 जून, 1940 को मात्र तीन महीने के भीतर ही गांधी जी को सर्वोच्च सेना-नायक के पद से हटना पड़ा। कार्य समिति ने कार्यवाही के लिए अहिंसा को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने से इन्कार कर दिया और श्री गांधी को त्यागपत्र देना पड़ा।

डॉ. पी.एन. बनर्जी (कलकत्ता-उपनगर गैर-मुस्लिम शहरी) : यह बात युद्ध के संबंध में थी।

माननीय डॉ. आर. आर. अम्बेडकर : कृपया मुझे टोकें नहीं।

15 दिसम्बर, 1940 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई में हुई और वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके जरिए गांधी जी को एक बार फिर सर्वोच्च सेना-नायक बनाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वे संघर्ष का संचालन करें।

गांधी जी दिसम्बर, 1941 तक सर्वोच्च सेना-नायक बने रहे। कार्य समिति की बैठक दिसम्बर, 1941 में बारदौली में हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर गांधी जी को अपदस्थ कर दिया गया। दिसम्बर, 1941 में जो घटना घटी उसकी प्रमुख विशेषता मेरी समझ में सभा के सदस्यों की जानकारी में नहीं है! बारदौली में गांधी जी और उनके उन अनुयायियों के बीच जो अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे बड़ी खींचातानी थी। यह मामला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्धा बैठक में उठाया गया। भारत के सभी लोग, विशेष रूप से कार्य समिति के सदस्य, यह अपेक्षा रखते थे कि गांधी जी इस मामले पर कोई न कोई निर्णय करा लेंगे और या तो बारदौली में कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, और यदि ऐसा करना संभव न हुआ तो वह अपना त्यागपत्र दे देंगे। वार्धा में गांधी जी की जो सबसे हैरानी की बात थी वह यह थी कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लाया गया तब अहिंसा के पुजारी ने अपने अनुयायियों को यह हिदायत दी कि इस मामले पर मत विभाजन की नौबत नहीं आनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्य समिति के साथ सहयोग किया और इसके सर्वोच्च सेना नायक बने रहे। महोदय, यदि यह इस बात का साक्ष्य नहीं है कि कांग्रेस में हिंसा की भावना घर कर गई थी - जो ठीक कांग्रेस और गांधी जी के सामने हुआ तो मेरे विचार में इस मुद्दे पर इससे अच्छा साक्ष्य और क्या हो सकता है।

एक अन्य मुद्दा भी है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। यह मात्र तथ्य ही नहीं है कि कांग्रेस कार्य समिति के लगभग सभी सदस्यों, निश्चय ही उनमें से अधिकांश का अहिंसा में विश्वास नहीं रह गया था। उनमें से बहुत से इस सिद्धांत से अलग हो गए थे, किन्तु यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि कांग्रेस के भीतर योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का अभियान चल रहा था।

सरदार सन्त सिंह : जहां तक युद्ध का संबंध है

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कृपया टोका-टोकी न करें

सरदार सन्त सिंह : आप गलत बयानी कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : यह बात ठीक नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कोई असत्य बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एक साक्ष्य है जिसकी चर्चा सदन में नहीं की गई और मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ।

देवली नजरबंदी कैम्प में, जहां श्री जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, एक घटना घटी थी। सदन को संभवतः ज्ञात है कि कैम्प के अधीक्षक के हाथ कुछ ऐसे कागजात लगे जो कि श्री जयप्रकाश नारायण चोरी-छिपे अपनी पत्नी के पास कारागार से बाहर भेजना चाहते थे। यह घटना दिसम्बर, 1941 की है और कोई व्यक्ति जो यह जानना चाहता हो कि कांग्रेस के भीतर कार्य समिति में क्या कुछ चल रहा है तो मेरा निवेदन है कि वह उन दस्तावेजों पर पूरी तरह ध्यान दे। उस दस्तावेज से क्या प्रकट होता है? यह दस्तावेज यदि मैंने उसे ठीक से पढ़ा है, तो उससे चार या पांच मुद्दे सामने आते हैं। सर्वप्रथम मैं श्री जय प्रकाश नारायण के शब्दों का ही प्रयोग करता हूं - यह सत्याग्रह जो गांधी जी चला रहे हैं उसे अधिकांश कांग्रेस जनों ने मूर्खतापूर्ण कार्य माना है। इसमें कोई समझदारी नहीं है न ही इसका कोई अर्थ है। दूसरे, जय प्रकाश नारायण यह मानते हैं कि यदि कांग्रेस अपना लक्ष्य पूरा करना चाहती है तो इसे चाहिए कि नैतिक विजय प्राप्त करना बंद कर दे और राजनैतिक विजय प्राप्त करने का प्रयास करे। यह गांधी पर दूसरा प्रहार था। दूसरा तथ्य जो इस दस्तावेज से प्रकट होता है वह यह है कि भारत में कतिपय ऐसी पार्टियां अस्तित्व में हैं जो न केवल अहिंसा में अविश्वास करती हैं, बल्कि हिंसा के लिए दृढसंकल्प हैं; और उस दस्तावेज में जिन पार्टियों का हवाला दिया गया मेरी समझे में वे कहीं और नहीं कांग्रेस के भीतर ही हैं : भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, बंगाल में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी; हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। श्री जय प्रकाश नारायण ने यह परियोजना बनाई थी कि संभवतः कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़कर इन सभी पार्टियों को एक संगठन में मिला दिया जाए जो एक गुप्त पार्टी हो, कांग्रेस के भीतर ही काम करती रहे और छुपकर काम करे और इसके लिए ठीक तकनीकी नाम दें तो यह भूमिगत रहे। श्री राय प्रकाश नारायण ने यह भी सुझाव दिया कि यह गुप्त पार्टी न केवल कांग्रेस के भीतर रहे बल्कि अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए राजनैतिक डकैती भी डालकर धन एकत्र करे। यदि ये दो तथ्य जिनका मैंने हवाला दिया है सही विचार वाले लोगों का समाधान नहीं करते कि कांग्रेस केवल जबानी जमाखर्च के लिए अहिंसा के सिद्धांत की बात करती है तो मैं नहीं समझता कि इससे भी बड़ा कोई साक्ष्य हो सकता है जिससे सही व्यक्तियों का समाधान किया जा सके। मान्यवर, यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे सरकार ने कार्यवाही करने से पूर्व ध्यान में रखा।

अब, मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं जो मेरे भाषण का मुख्य विषय है। विपक्षी सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि यद्यपि किन्हीं परिस्थितियों में दमन को न्यायोचित ठहराया

जा सकता है, फिर भी सरकार का यही कर्तव्य नहीं है कि वह दमन को दमन से रोक दे, बल्कि सरकार को रचनात्मक कदम उठाना चाहिए।

जब कोई उन रचनात्मक कदमों की जांच करना आरंभ करता है जिनका उल्लेख सदन के विभिन्न वर्गों ने किया है, तो आश्चर्य से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी यह जानकर कि कितने अस्पष्ट सुझाव दिए गए हैं। इसलिए मैं इनमें से एक को लेता हूँ जो कुछ ठोस है और जिसे आप स्वयं जांचना चाहेंगे। यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान सरकार का पुनर्गठन हो, इसे नया स्वरूप दिया जाए और यह राष्ट्रीय सरकार की तरह काम करे। मैं इस सदन में अपने विचार रख सकूँ जो इस सुझाव की बाबत रखना चाहता हूँ तो यही बेहतर होगा कि मैं यहीं से आरंभ करूँ कि वर्तमान सरकार क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, भारत सरकार अधिनियम की धारा 33 में कहा गया है कि भारत सरकार का नागरिक एवं सैनिक अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल में निहित है। मैं संवैधानिक वकील हूँ। मैं यह दावा नहीं करता कि इस विषय का विशेषज्ञ हूँ, पर यह दावा करता हूँ कि इसका छात्र हूँ और धारा 33 की परीक्षा करने और अन्य संविधानों से इसकी तुलना करने पर और इसे एक ऐसा प्रावधान मानकर कि भारतीय जनता इसी प्रकार की सरकार चाहती है, मुझे यह कहने में झिझक नहीं है कि धारा 33 में ऐसी सरकार का उपबंध किया गया है जिसकी दो विशेषताएँ हैं जो निश्चित महत्व की हैं। एक विशेषता जो इस सरकार में है वह यह है कि इसमें निरंकुशता के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है। दूसरी विशेषता इस सरकार में यह है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व अधिरोपित किया गया है, जो भारतीय जनता के मन में बसा हुआ तत्व है -

एक माननीय सदस्य : क्या इसका पालन हो रहा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस बात पर आऊंगा। अधिनियम में पर्याप्त उपबंध उपबंध किया गया है। सरकार गवर्नर जनरल में निहित नहीं है, किसी एक प्राधिकारी में निहित नहीं है, बल्कि यह गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल में निहित है.....

श्री जमनादास एम. मेहता (बंबई केंद्रीय मंडल, : गैर मुस्लिम ग्रामीण) : राज्य सचिव के आदेश के अधीन रहते हुए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं इन सभी बातों पर विचार रखूंगा। स्थिति यह है कि कार्यकारी परिषद का प्रत्येक सदस्य गवर्नर जनरल का सहयोगी है। इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए, मेरा निवेदन

है कि यदि भारतीय ऐसी सरकार चाहते हैं जो प्रजातांत्रिक हो, जिसमें निरंकुशता के लिए स्थान न हो और जो विधि द्वारा न कि मात्र तथा प्रथा द्वारा प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों पर सामूहिक दायित्व सौंपती हो। इसलिए सदन से मेरा अनुरोध है कि आप इस सरकार से बेहतर सरकार नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ कि इस सरकार के विरुद्ध कहा गया है कि इस सबके बावजूद यह सरकार वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वीटो के अधीन है

श्री जमनादास एम. मेहता : केवल वीटो के नहीं - आदेशों के।

माननीय श्री बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसे वीटो कहता हूँ। आप इसे आदेश कह सकते हैं। मैं इसके लिए संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग करूंगा क्योंकि मैं संविधान का अध्येता हूँ।

एक मानवीय सदस्य : यह तो वाइट हाल के शासकों की प्रतिध्वनि है।

माननीय श्री बी. आर. अम्बेडकर : मैंने बताया कि इस सरकार स्वतंत्र सरकार नहीं है; यह ऐसी सरकार है जो वाइसराय और सेक्रेटरी आफ स्टेट के वीटो के अधीन है। जहां तक वाइसराय के वीटो का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह वीटो भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों तक ही सीमित है। यह वीटो देश के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों पर लागू नहीं है

सरदार संत सिंह : क्यों मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?

माननीय श्री बी. आर. अम्बेडकर : आप अभी कोई प्रश्न न पूछें, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं बहस के लिए यह मान लेता हूँ कि वीटो है। मैंने अनेक संविधान पढ़े हैं वीटो से डरने की कोई बात नहीं है।

सरदार संत सिंह : मैं वैधानिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप बाद में पूछ लें, अभी मेरे पास वक्तव्य के लिए समय नहीं है।

मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि वीटो की व्यवस्था है और वीटो विद्यमान है। माननीय सदस्य जो वीटो से इतने चिंतित हैं उनसे मेरा यह कहना है कि वीटो का क्या महत्व है, इस बात को समझें? वीटो का क्या अर्थ है? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ चूंकि मैं देख रहा हूँ कि अनेक विद्वान सदस्यों के मन में दुविधा है, और वे संवैधानिक प्रश्न पूछना चाहते हैं। किसी निरंकुश सरकार में और उत्तरदायी सरकार में क्या अंतर है? हिटलर के अधीन वाले जर्मनी में और ग्रेट ब्रिटेन की सरकार में

क्या अंतर है? इसका सीधा सा उत्तर है.....(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : शांति, शांति, माननीय सदस्यों को इस प्रकार व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका उत्तर बहुत सीधा है और मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप में रखना चाहता हूँ - एक निरंकुश सरकार और उत्तरदायी सरकार के बीच का अंतर - मैं पुनः जोर देकर कहता हूँ - इस तथ्य में निहित है कि निरंकुशता में वीटो के लिए कोई स्थान नहीं है, किन्तु उत्तरदायी सरकार में वीटो है। इसके लिए इस बाबत सीधे तथ्य हैं। उन सभी लोगों को जो संविधान को समझना चाहते हैं और जो संविधान बनाना चाहते हैं इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, एकमात्र प्रश्न या विवाद जो उत्पन्न हो सकता है - मैं उस विवाद को पूरी तरह समझ सकता हूँ - वह यह है कि वीटो किसके पास रहे? सेक्रेटरी आफ स्टेट के पास, वाइसराय के पास या किसी अन्य स्थान पर या किसी अन्य संगठन के पास? यही एकमात्र विवाद का प्रश्न बन सकता है। जहां तक वीटो के विद्यमान होने का संबंध है, मैं समझता हूँ कि जिन्हें उत्तरदायित्व में विश्वास है और जो लोकतंत्र की सरकार में विश्वास रखते हैं, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रश्न उठता है वह यह है : यदि हम सेक्रेटरी आफ स्टेट को वीटो का अधिकार नहीं देते, तो हम इसे किसे दें? मुझे ऐसा लगता है कि यदि सेक्रेटरी आफ स्टेट से आप वीटों को हटाना चाहते हैं तो एकमात्र स्थान जहां इसे ठीक ढंग से स्थापित किया जा सकता है वह विधानमंडल है। वीटो के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है।

सर सैय्यद रजा अली : (संयुक्त प्रांत के नगर-मुस्लिम-शहरी) : मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मित्र ने अंत में विधानमंडल की बात सोची।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसलिए प्रश्न यही है, और मैं समझता हूँ कि यह एक सरल प्रश्न है। क्या हम वीटो विधानमंडल को हस्तांतरित कर सकते हैं जिस रूप में आज यह है? (पं. लक्ष्मीकांत मंत्रा द्वारा व्यवधान) मैं आपको संवैधानिक विधि नहीं सिखा सकता। इसके लिए मुझे कक्षा आरंभ करनी पड़ेगी। मैंने पिछले पांच वर्ष तक विधि महाविद्यालय में संवैधानिक विधि पढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि प्रश्न यह है कि क्या हम वीटो विधानमंडल को हस्तांतरित कर सकते हैं? इस प्रश्न पर हम वर्तमान विधानमंडल को नजर में रखते हुए विचार करेंगे क्योंकि मांग यही है कि ब्रिटिश सरकार तत्काल अलग हो जाए। प्रश्न यह है कि क्या यह विधानमंडल वीटो सौंपे जाने के लिए उचित पात्र है?

विधानमंडल का गठन क्या है, इसका स्वरूप क्या है? मान्यवर, मैं कोई बात इस सदन की मर्यादा को कम करने के लिए नहीं कह रहा, किन्तु यह सच है कि

परिवर्तित समय का ध्यान करें तो यह सदन रूग्णावस्था को प्राप्त हो चुका है।

सरदार संत सिंह : यह सदा से है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका चुनाव तीन वर्षों के लिए हुआ था, पर यह लगभग नौ वर्षों से कार्यरत है। मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान सदस्यों का किस सीमा तक अपने चुनाव क्षेत्र से इस सदन में प्रत्यक्ष या ताजा जन-समर्थन है। क्योंकि यह समयावसान के साथ पुराना हो गया है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, किंतु अब आगे चलें और सदन के गठन की जांच करें।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य समय से अधिक बोल चुके हैं।

पं. लक्ष्मी कांत मैत्रा (प्रेसीडेंसी डिवीजन) : गैर मुस्लिम ग्रामीण) : जो कुछ हमारे माननीय दोस्त ने कहा उसका संबंध सदन के समक्ष लाए गए प्रस्ताव से नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मान्यवर, यदि आप समझते हैं मेरा समय समाप्त हो गया है

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : समय सीमा सभी दलों की सहमति से नियत की गई थी और इसे मुझे लागू करना है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आप जिस नजरिए से चाहें, विधानमंडल की परीक्षा करें। इसे जनादेश के नजरिए से देखें, या इसके गठन की दृष्टि से, इसके प्रतिनिधि-स्वरूप की नजर से जांचें चाहे उन मतदाताओं के नजरिए से जिनका प्रतिनिधित्व यह करता है। मुझे इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि यह सदन इतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता कि वह राष्ट्रीय सरकार को वीटो सौंप दे।

श्री जमनादास एम. मेहता : आप ने सत्र क्यों बुलाया? (कुछ और टोका टोकी हुई)।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसलिए मुद्दा यह है कि या तो आप इस तथ्य को स्वीकार करें कि यह सदन इतना प्रतिनिधित्व नहीं करता कि इसमें वीटो अधिरोपित किया जाए, अथवा आप विचार करें कि युद्ध की अवधि के दौरान क्या हमारे लिए संभव है विधानमंडल को हम ऐसा नया स्वरूप दें कि इसमें पर्याप्त संख्या

में, हिंदू, मुसलमान, दलित वर्ग और ऐसे तत्व शामिल हों जो देश के राष्ट्रीय स्वरूप के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्रीय सरकार की जो मांग की गई है वह निश्चित रूप से दिगभ्रमित विचारों का परिणाम है। क्या अधिकांश की इच्छा उसे छोड़ने की है मैं जिसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझता हूँ अर्थात् जातीय समझौता, क्योंकि जब तक जातीय-समझौता नहीं हो जाता तब तक सदन को ऐसा स्वरूप देना संभव नहीं होगा जिसमें वह कार्यपालिका के ऊपर वीटो-शक्ति प्राप्त कर सके। इसे नया स्वरूप नए संविधान के जरिए ही दिया जा सकता है। मान्यवर, मैं इस विषय पर और नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

*भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग की उपयोगिता शाखा की सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : (माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा 14 सितम्बर को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार।) उस समय डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि यह प्रस्ताव स्थगित किया जा सकता है ताकि वह इस पर कुछ जानकारी दे सकें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम-सदस्य) : महादेव, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप संशोधनों पर विचार करना चाहेंगे? यह अच्छा होगा कि संशोधन लिए जाएं ताकि मैं प्रस्ताव और संशोधन दोनों पर अपनी बात कह सकूँ।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्य संशोधन रखना चाहते हैं वे अपने संशोधन औपचारिक रूप से अभी प्रस्तुत करें। फिर प्रस्ताव और संशोधन दोनों पर सदन में विचार होगा।

श्री एच. ए. साथ एच. इसाक सेट (पश्चिमी तट और नीलगिरि : मुस्लिम) : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि - प्रस्ताव में ‘एक प्रतिनिधि’ शब्दों के स्थान पर ‘चार प्रतिनिधि’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।”

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि प्रस्ताव में ‘एक प्रतिनिधि’ शब्दों के स्थान पर ‘चार प्रतिनिधि’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।”

पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा (प्रेसीडेंसी डिवीजन; गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : “महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूँ : “कि प्रस्ताव में ‘एक प्रतिनिधि’ शब्दों के स्थान पर ‘तीन प्रतिनिधि’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।”

माननीय अध्यक्ष : (सर अब्दुर रहीम) : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि प्रस्ताव में, ‘एक प्रतिनिधि’ शब्दों के स्थान पर ‘तीन प्रतिनिधि’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, प्रस्ताव और संशोधनों से दो प्रश्न उठते हैं। पिछले बार जब मैंने प्रस्ताव रखा था, उस समय मेरे माननीय मित्र श्री नियोगी ने भारतीय भू-सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के गठन के संबंध में कुछ जानकारी सदन के समक्ष रखे जाने के लिए कहा था। सदन को याद होगा कि अगले ही दिन श्री नियोगी ने उस विषय की बाबत एक प्रश्न की सूचना दी। उत्तर के दौरान मैंने उपयोगिता शाखा के बारे में जानकारी दी थी और मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यगण इस शाखा के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या नहीं।

परंतु कुछ जानकारी मैं सदन को उस समय इसलिए नहीं दे पाया था कि मुख्य प्रश्न के उत्तर के रूप में इसे नहीं प्रस्तुत किया जा सका क्योंकि जो प्रश्न उस दिन पूछा गया था वह अलग तरह का था। मैं सदन को अब कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो उस दिन नहीं दे पाया था।

पहली बात जो मैं जानकारी की दृष्टि से बताना चाहता हूँ वह है उपयोगिता शाखा का काम जो मैं उस दिन नहीं बता पाया था। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि उपयोगिता शाखा के गठन के अनुसार, इसके तीन मुख्य काम होंगे : प्रथम यह कि खनिज भंडार को खोजने के लिए उसे आवश्यक सर्वेक्षण करना होगा; दूसरे, जहां आवश्यक हो यह आरंभिक कार्य आरंभ करेगा, और तीसरे, यह कच्चे लोहे की सफाई और पिघलने तथा उत्पादन की अन्य समस्याओं की बाबत प्रयोगात्मक कार्य करेगा जिससे भारत के खनिजों की उपयोगिता की समस्याएं सुलझाई जा सकें। उपयोगिता शाखा के यही कार्य हैं।

इसके बाद, उपयोगिता शाखा के कार्यक्रम के संबंध में मुझे सदन को यह बताना है कि इस समय यह छह शीर्षों में आता है - 1. उदयपुर राज्य के मेवाड़ में जावार की सीसा और जस्ता की खानों को दोबारा चालू करना, 2. राजपूताना की अभ्रक की खानों का विकास करना, 3. बलूचिस्तान में सल्फर की खानों में काम कराना, 4. बंगाल और मध्य प्रांत में बोलफ्राम की खुदाई, 5. बिहार में कुछ भंडारों का परीक्षण और 6. कुछ खनिजों, लवणों और पत्थरों तथा अन्य संबद्ध पदार्थों की खोज।

तीसरा प्रश्न जिसके बारे में मेरे मित्र श्री नियोगी जानकारी चाहते थे वह यह है कि उपयोगिता शाखा और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक बोर्ड के बीच क्या संबंध है। मान्यवर, अब स्थिति इस प्रकार है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड तीन क्षेत्रों

में काम कर रहा है अर्थात् आविष्कार, भारी रसायन और प्राकृतिक नमक। उपयोगिता शाखा खनिजों की खोज और उनके उत्खनन का काम करती है। स्पष्ट है कि इनके कार्य अलग-अलग हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड और उपयोगिता शाखा में परस्पर संबंध भी है और यह संबंध बराबर चला आ रहा है। डॉ. फाक्स, जो भारतीय भू-सर्वेक्षण के प्रभारी हैं, भारी रसायन समिति के अध्यक्ष भी हैं जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड के अधीन है। दूसरी ओर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड के निदेशक भारतीय भू-सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के सदस्य भी हैं। दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था से सदन को पता चलेगा कि दोनों विभागों के बीच परस्पर विचार-विनिमय की व्यवस्था बनी है।

अन्य दो प्रश्न और हैं जिनका जिक्र हमारे सम्मानित साथी ने किया है। उन्होंने सरकारी कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा कि भारत की खनिज संपदा की उपेक्षा हो रही है और यह भी कहा कि उपयोगिता शाखा को बर्मा के विस्थापितों को और अधिक रोजगार प्रदान कराने के लिए स्थापित किया गया था। मान्यवर, प्रथम प्रश्न के बारे में, मुझे उतना ही खेद है जितना मेरे माननीय मित्र को कि खनिज संपदा का विकास पहले नहीं किया गया। किन्तु मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र महसूस करेंगे कि तीन प्रमुख कठिनाइयाँ थीं जिनके कारण भारत में ऐसी परियोजना पहले आरंभ नहीं की गई जैसी अब हमने हाथ में ली है, अर्थात् उपयोगिता शाखा की स्थापना। यह स्वीकार करना होगा कि अब तक भारतीय भू-सर्वेक्षण के पास आवश्यक योग्यता वाले सरकारी खनन कार्य के कार्मिक नहीं थे। दुर्भाग्यवश, भारतीय भू-सर्वेक्षण ने वही कार्य पद्धति अपनाई जो इंग्लैंड के भू-सर्वेक्षण विभाग की थी अर्थात् खानों के निरीक्षक के रूप में कार्य करना न कि विशेषज्ञों के तकनीकी निकाय के रूप में जो भारत की खनिज संपदा के विकास में योगदान करती। दूसरे, खनिज विदोहन में यहां तनिक संकोच है जो खनिज भंडारों के खुल जाने से होने वाले जोखिम को लेकर है। भारत में एक सामान्य धारणा बन गई है जो संभवतः लंबे अरसे से खानों का उपयोग न करने के कारण बनी है कि भारत में अधिकांशतः ऐसी खनिज संपदा है जिनका निर्यात होता है जैसे मैंगनीज और भ्रमक। मैं सदन और अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूँ कि हमें खेद है कि हमने इस व्यवसाय को पहले क्यों नहीं बढ़ाया और अब इसे हाथ में लिया है। परंतु मैं यही कहूंगा कि यह देर आए, दुरुस्त आए वाली बात है।

जहां तक बर्मा के विस्थापितों के नियोजन का संबंध है, मैं अपने माननीय मित्र और सदन को बताना चाहता हूँ कि इस मामले में वस्तुतः हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि मैंने अपने माननीय मित्र को बताया, हमारे पास खनन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारों की कमी थी। बर्मा ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां खनन

कार्य में इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाता था। परिणामस्वरूप, बजाए यह कहने के कि हमने यह शाखा बर्मा विस्थापितों को रोजगार देने के लिए खोली है, मैं समझता हूँ कि यह कहना ठीक होगा कि हम विस्थापितों का लाभ उठाने में सक्षम थे और यह परियोजना चलाने की हमारी क्षमता थी जो भारत के लिए केवल युद्धकालिक प्रयास नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा वरदान है।

मान्यवर, संशोधन के प्रश्न पर विचार करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये संशोधन लाए गए हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि उपयोगिता शाखा का जो विवरण मैंने दिया है वह इतना समाधानपरक है कि जो लोग भर्त्सना के लिए आए थे वे भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं।

किन्तु यह मंदिर बहुत छोटा है और यद्यपि श्रद्धालुओं का स्वागत करता है फिर भी इस छोटे से मंदिर में मैं नहीं चाहता कि इतनी भीड़ हो जाए कि सांस लेने की भी जगह न बचे। मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

सर सैय्यद रजा अली (संयुक्त प्रांत के नगर : मुस्लिम शहरी) : क्या आप मंदिर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोक देंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूँ। मैं सदन को वह यथार्थ कारण बताना चाहता हूँ जिससे यह नीति बनानी पड़ी। मैं उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन रखे हैं यह बताना चाहता हूँ कि यह समिति कार्यकारिणी समिति नहीं है। यह समिति निर्णय भी नहीं ले सकती, इसलिए इस समिति द्वारा किया गया कोई कार्य इस सदन को किसी रूप में वचनबद्ध नहीं कर सकता। यह केवल सलाहकार समिति है। दूसरा कारण जिसमें अधिक बल है वह समिति के उद्देश्य का एक अंग है। समिति का उद्देश्य है कि व्यवसाय और उपयोगिता के प्रतिनिधियों के बीच जो विशेषज्ञ है उन्हें परस्पर निकट लाना। यही समिति का आरंभिक उद्देश्य है। अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस विशिष्ट समिति के गठन की ओर आकर्षित करता हूँ जिससे मुख्य उद्देश्य पूरा हो सके। मान्यवर, योजना के अनुसार, इस समिति में 16 सदस्य हैं। सदन को ज्ञात होगा कि समिति में 5 विशेषज्ञ रखे गए हैं और उनके साथ व्यवसाय तथा उद्योग तंत्र के 5 प्रतिनिधि रखे गए हैं। सर्वप्रथम, भू-सर्वेक्षण विभाग के निदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के निदेशक, एक प्रतिनिधि खनन एवं धातु संस्थान से, एक प्रतिनिधि भारतीय खनन संस्थान से तथा भारतीय खनन महासंघ से भी एक प्रतिनिधि। इनसे मिलकर बनी है यह समिति जो विशेषज्ञों का निकाय है। इसमें से व्यवसाय और उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में दो स्थान इंडियन चेम्बर आफ कॉमर्स के परिसंघ को दिए गए हैं। हमने इस्पात उद्योग को दो स्थान दिए हैं। हमने सचिव, वाणिज्य विभाग, को भी प्रतिनिधि

बनाया गया है जो वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे सदन को यह पता चलेगा कि समिति का उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञों को लाने का है जो उद्योगपतियों और व्यवसाय के प्रतिनिधियों को बता सकें कि किन खनिजों का उन्हें पता लगा है और व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि उन्हें बताएंगे कि वाणिज्यिक रूप से खानों का कैसे विकास होगा।

मान्यवर, अब सदन यदि यह बात ध्यान में रखे कि समिति का यही मुख्य उद्देश्य है तो मैं नहीं समझता कि इसमें देश भर की सामान्य राय को और अधिक स्थान देने की गुंजाइश है।

डॉ. पी. एन. बनर्जी (कलकत्ता उप-नगरीय गैर-मुस्लिम शहरी) : सामान्य जनता की प्रतिनिधि।

माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर : हां, सामान्य जनता के प्रतिनिधि। दूसरा तर्क मैं यह देना चाहता हूँ कि वस्तुतः यह समिति पहले ही एक बड़ी समिति है। अब जैसी योजना बनी है, इसमें 14 सदस्य हैं। यदि मैं संशोधन स्वीकार कर लेता हूँ जिसमें चार सदस्य मांगे गए हैं तो संख्या होगी 18 सदस्यों की। और यदि मैं इस सदन से चार सदस्य जोड़ देता हूँ तो अपर हाउस भी कम से कम तीन सदस्यों की मांग करेगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि समिति में 21 सदस्य होंगे जिनके बारे में निस्संदेह सदन भी सहमत होगा कि वह उस कार्य के लिए उपयोगी नहीं होगी जो वस्तुतः उसे करना है।

अगला मुद्दा जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि समिति के गठन में श्रम सदस्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह चार सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकता है और उस नामनिर्देशन की शक्ति की बाबत कोई लक्ष्मण रेखा खींचे बगैर मैं समझता हूँ कि नामनिर्देशन के माध्यम से इस सदन के एक सदस्य को स्थान दिया जा सकता है। इसलिए जो विचार मैंने सदन के समक्ष रखा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

*भारतीय-श्रमिक युद्ध जीतने के लिए क्यों दृढ़ संकल्प हैं

आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से डॉ. अम्बेडकर का भाषण

“श्रमिकों को यह बात ज्ञात है कि यदि यह युद्ध ‘नई नाजी’ व्यवस्था के विरुद्ध है तो यह पुरानी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। यह पुरानी व्यवस्था और नाजी व्यवस्था दोनों के विरुद्ध है। श्रमिक इस बात से अवगत हैं कि इस युद्ध की क्षतिपूर्ति तभी होगी जब ऐसी नई व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा केवल मात्र सैद्धांतिक रूप में न रहे, बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाएं।” यह बात भारत सरकार के श्रम सदस्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भारतीय श्रमिक युद्ध जीतने के लिए क्यों दृढ़-संकल्प है, विषय पर बोलते हुए कही।

नीचे डॉ. अम्बेडकर के भाषण का पूरा पाठ प्रस्तुत है :

यहां उन लोगों द्वारा वार्ता की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी जो श्रमिकों से जुड़े हैं और उनमें रुचि रखते हैं। इस श्रृंखला में आज रात यह मेरी प्रथम वार्ता है। मेरी वार्ता का विषय सामान्य प्रकृति का है। यह इस श्रृंखला की भूमिका होगी। मैंने विषय का शीर्षक रखा है “भारतीय श्रमिक युद्ध जीतने के लिए क्यों दृढ़ संकल्प हैं।” यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी ओर सभी का ध्यान जाना चाहिए। इसका संबंध युद्ध के प्रति भारतीय श्रमिकों के लगाव में है। भारत में युद्ध के प्रति अचानक उत्पन्न हुई असहयोग और विरोध की भावना हम देख रहे हैं। इसके बावजूद श्रमिक सक्रिय रूप से युद्ध प्रयासों को अंजाम देने में लगा हुआ है। इस बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती। इसके बावजूद श्रमिकों को उनके कार्यों से विमुख करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु श्रमिकों ने अपना काम पूरा किया है और करते रहने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

* इंडियन इनफार्मेशन, जनवरी 1, 1943, पृष्ठ 16-19

श्रमिक क्या चाहते हैं

युद्ध के दौरान श्रमिकों को बहुत सी उपलब्धियां मिली हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वे कई और उपलब्धियां सुनिश्चित कर लेंगे। जैसा कि मैंने अभी हाल ही में संकेत किया था, श्रमिकों को विधान द्वारा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब उन्हें सुरक्षा - देखभाल और उपचार की सुविधाएं भी प्राप्त हो गई हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार ने उनके कल्याण के लिए नियोजकों पर लागू किया है। किन्तु यदि श्रमिक अपने युद्ध प्रयत्नों को पूरी शक्ति से संपन्न करना चाहता है तो उसका यह कारण नहीं है कि वह तत्काल लाभ के लालच में ऐसा कर रहा है। इसके लिए अन्य और ठोस कारण हैं जो इस इच्छा शक्ति के मूल में हैं। श्रमिक मात्र यहीं नहीं चाहता कि काम करने का ठीक वातावरण प्राप्त हो। श्रमिक चाहता है कि जीवन की स्थिति बेहतर हो। मैं इसे स्पष्ट करता हूं कि जीवन की बेहतर स्थितियों से क्या तात्पर्य है।

स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा

श्रमिक को स्वतंत्रता चाहिए। कदाचित्त यह कोई नई बात नहीं है। इसमें नयापन है श्रमिक की दृष्टि में स्वतंत्रता का आशय। श्रमिक के विचार से स्वतंत्रता का अर्थ बंधन हटाने का नकारात्मक अर्थ नहीं है। और न ही श्रमिक की दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ जनता को मतदान की स्वतंत्रता देने से है। श्रमिकों का स्वतंत्रता का विचार बहुत सकारात्मक है। इसमें जनता की सरकार की भावना निहित है। श्रमिक की राय में इसका अभिप्रायः संसदीय गणतंत्र से नहीं है।

संसदीय गणतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने मालिकों का चयन करती है और उन्हें शासन का अधिकार दे देती है। श्रमिकों का स्वतंत्रता का अभिप्रायः महज प्रतिबंधों का न होना नहीं है। न ही इसका अर्थ उनके लिए मात्र वोट देने का अधिकार है। श्रमिक ऐसी सरकार चाहता है जो नाम से और काम से भी जनता की सरकार हो। दूसरे श्रमिक जो स्वतंत्रता चाहता है उसमें समान अवसर का अधिकार भी शामिल है और जिसमें राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी सुविधा प्रदान करें।

श्रमिक समानता चाहता है। समानता से श्रमिक का अभिप्राय सिविल सेवा, सेना, कराधान, व्यवसाय और उद्योग में हर प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त करना - वस्तुतः ऐसी समस्त प्रक्रियाओं को समाप्त करना जिससे असमानता उत्पन्न होती हो।

श्रमिक भाईचारा चाहता है। भाईचारे से उसका अर्थ है भाईचारे के सभी मानव उद्देश्य जो सभी श्रमिकों को और राष्ट्रों को 'पृथ्वी पर मनुष्य मात्र के प्रति शांति और सद्भावना के लक्ष्य की ओर ले जाते हों।

नई नाजी व्यवस्था

ये हैं श्रमिकों के आदर्श। इन्हीं से नई व्यवस्था का स्वरूप बनता है। इनकी स्थापना से ही मानवता विनाश से बच सकती है। यदि मित्र राष्ट्र युद्ध में हार जाते हैं तो यह नई व्यवस्था कैसे स्थापित होगी? यहीं वह सर्वोच्च प्रश्न है जिसे श्रमिक जानता और है और इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती और इससे बचना भी घातक होगा। क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और लड़ने से इंकार करने से नई व्यवस्था स्थापित की जा सकती है? श्रमिक को विश्वास है कि मित्र राष्ट्रों की विजय से ही आशा की किरण नजर आ सकती है जिससे नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो सकता है। यदि मित्र राष्ट्र विफल हो जाते हैं तो निश्चय ही नई व्यवस्था कायम होगी। किन्तु वह नई व्यवस्था नाजी व्यवस्था ही होगी। यह व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें स्वतंत्रता दबा दी जाएगी, समानता नहीं मिलेगी और भाईचारे को घातक सिद्धांत मानकर समाप्त कर दिया जाएगा।

यह पूर्ण रूप से नई नाजी व्यवस्था नहीं है। नाजी व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में प्रत्येक भारतीय को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इससे क्या संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए धर्म, जाति, राजनीतिक आस्था का भेदभाव भूलकर विचार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है जिसमें जातीयता के आधार पर वर्गभेद निरूपित किया गया है। नाजी व्यवस्था का यहीं मूल मंत्र है। नाजी लोग जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अन्य श्वेत जातियों को जर्मनी से नीचे स्थान देने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है। किन्तु भूरी जातियों को - जिनमें भारतीय भी आते हैं - श्रेणी में सबसे नीचा स्थान मिला है। इतने अपमान से ही पेट नहीं भरा तब नाजियों ने घोषणा की कि भूरी जातियां जर्मनी और श्वेत लोगों की दास होंगी। इन्हें शिक्षा न दी जाए, इन्हें राजनैतिक या आर्थिक स्वतंत्रता न दी जाए।

प्रत्यक्ष खतरा

हिटलर ने अपनी पुस्तक 'मैन कैम्फ' में जिन क्रोधयुक्त शब्दों में ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को शिक्षा और राजनैतिक स्वाधीनता देने के लिए भर्त्सना की है उसे सभी जानते हैं। नाजी दर्शन भारतीयों की स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। यह एक ऐसा कारण है जिसके लिए भारतीयों को इस युद्ध में नाजीवाद से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। यदि कोई नाजी व्यवस्था की तुलना उस नई व्यवस्था से करता है जो श्रमिकों के दिमाग में है तो उस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि श्रमिक

मित्र राष्ट्रों के लिए लड़ने के लिए अपना निश्चय दृढ़ कर रहा है जिससे नाजीवाद को नष्ट किया जा सके। उसने वही निर्णय लिया है जो कोई समझदार व्यक्ति ले सकता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विचार को नहीं मानते हैं।

कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके विचार में नाजी विजय और आने वाली नई नाजी व्यवस्था से कोई अंतर नहीं पड़ता। सौभाग्य से देश में ऐसे लोग अधिक नहीं हैं। जो ऐसे विचार रखते हैं वे स्वयं बहुत गंभीर नहीं हैं। उनकी बात कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। वे लोग राजनैतिक लोग हैं, उन्हें तब तक संतोष नहीं होगा जब तक उन्हें अपने विचार थोपने न दिए जाएं। और उनका नारा है “सब कुछ या कुछ नहीं।”

कुछ लोग शांतिवादी हैं जिनका तर्क है कि सभी युद्ध गलत है। इनकी दलील है कि संसार में युद्ध के कारण ही कठिनाइयां पैदा हुई हैं और इसके कारण ही वह मानव सभ्यता विकृत हो गई है जिसे मानव ने बड़ी साधना से बनाया था। यह सच है। किन्तु इस सबके बावजूद, श्रमिक शांतिवाद को जीवन का आदर्श मानना अस्वीकृत कर देता है। युद्ध से यह कह कर नहीं बचा जा सकता है कि हमला होने पर भी हम लड़ाई नहीं करेंगे। हिंसक शक्तियों के समक्ष घुटने टेक कर प्राप्त की गई शांति को शांति नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार की आत्महत्या है जिसके लिए कोई औचित्य खोजना कठिन है। यह तो मानव जीवन के मूल्यों का बर्बर शक्तियों के समक्ष समर्पण है।

श्रमिकों का युद्ध को समाप्त करने का मार्ग समर्पण नहीं है। श्रमिकों की दृष्टि में केवल दो ही बातों से युद्ध समाप्त हो सकता है। एक है युद्ध को जीतना और दूसरा है न्यायोचित शांति की स्थापना। श्रमिक के नजरिए से दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। श्रमिकों की धारणा है कि युद्ध मानव की युद्ध पिपासा में निहित नहीं है। युद्ध का मूल उद्गम उस मिथ्या शांति में है जो विजेता प्रायः पराजित पर थोपता है। श्रमिक के अनुसार शांतिवादी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह आक्रोश व्यक्त करे किन्तु युद्ध छिड़ जाने पर लड़ने से इंकार कर दे। श्रमिक का विश्वास है कि शांतिवादी का कर्तव्य है कि वह युद्ध छिड़ने पर भी और जब शांति की शर्तें रखी जा रही हों उस समय भी सक्रिय और सतर्क रहे। शांतिवादी व्यक्ति ठीक समय पर सही निर्णय लेने में चूक जाता है। वह युद्ध के समय युद्ध के विरुद्ध सक्रिय होता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, शांति आरंभ होती है, तब वह निष्क्रिय और उदासीन हो जाता है। इस प्रकार शांतिवादी युद्ध और शांति दोनों में हारता है। यदि श्रमिक युद्ध में लड़ने का निर्णय लेता है तो इसी कारण कि श्रमिक युद्ध समाप्त करने के लिए शांतिवाद का आश्रय नहीं लेता।

फ्रांसीसी क्रांति की याद

कुछ निराशावादी भी हैं जो कहते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विजय के बाद नई व्यवस्था आएगी। इस निराशावादी के लिए कोई स्थान नहीं है। नई व्यवस्था, जो श्रमिक का आदर्श है, उसकी जड़ फ्रांसीसी क्रांति में है। फ्रांसीसी क्रांति ने दो सिद्धांतों को जन्म दिया - स्वशासी सरकार का सिद्धांत और आत्म निर्णय का सिद्धांत। स्वशासी सरकार के सिद्धांत में जनता की उस इच्छा की अभिव्यक्ति होती है कि वह स्वयं शासन करे न कि दूसरों द्वारा शासित हो, शासक चाहे पूर्ण स्वेच्छाचारी, तानाशाह हों या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग हों। इसे प्रजातंत्र कहा जाता है।

आत्म-निर्णय का सिद्धांत समान आदर्श और समान प्रयोजन वाले लोगों की इच्छा व्यक्त करता है जिस पर बाह्य दबाव न हो। इसकी राजनैतिक हैसियत-चाहे स्वतंत्र हो, या परस्पर निर्भर या संसार के अन्य लोगों के संघ से मिलकर बने - इसे राष्ट्रीयता कहते हैं। इन सिद्धांतों के परिणाम पर मानवता की आशा केंद्रित थी। दुर्भाग्यवश लगभग 140 वर्ष बीतने पर भी ये सिद्धांत अपनी जड़ नहीं जमा सके। प्राचीन व्यवस्था या तो अपने पूर्णतः मूल रूप में अथवा इन दोनों सिद्धांतों की नाममात्र स्वीकार्यता के साथ बनी रही है। कुछ देशों को छोड़कर, विश्व में कहीं भी न तो स्वशासी सरकार रही है और न ही आत्मनिर्णय के अधिकार वाली सरकार। यह सब यथार्थ है। पर श्रमिकों द्वारा अपनाए गए इस रूख के विरुद्ध यह कोई तर्क नहीं है कि नई व्यवस्था की स्थापना की आरंभिक शर्त है - नाजी शक्तियों के विरुद्ध विजय। इसका अभिप्राय यही है कि श्रमिक को अधिक सतर्क रहना चाहिए और नाजियों पर विजय प्राप्त करके ही युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। क्योंकि तब तक शांति नहीं होगी जब तक पुरानी व्यवस्था पर, चाहे वह कहीं भी हो, विजय नहीं प्राप्त कर ली जाती।

श्रमिक और राष्ट्रीयता

श्रमिकों के अधिक गंभीर विरोधी राष्ट्रवादी ही हैं। वे श्रमिकों को इसलिए कोसते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक एवं असंगत है। इनकी दूसरी आपत्ति है कि श्रमिक तो भारत की स्वतंत्रता की गारंटी लिए बिना भी युद्ध लड़ने को सहमत हैं। यह प्रश्न प्रायः उठता है और इतनी गंभीरता से इस पर बहस होती है कि यह बताना आवश्यक हो गया है कि इस बारे में श्रमिक के क्या विचार हैं।

जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, श्रमिकों का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। श्रमिक राष्ट्रीयता को भूत भगाने का मंत्र बनाने को तैयार नहीं है। यदि राष्ट्रीयता का अर्थ है अपने अतीत की पूजा करना - ऐसी हर वस्तु का बहिष्कार जो मूल रंग रूप में

नहीं है - तो श्रमिक राष्ट्रीयता को अपनी आस्था नहीं बनाएगा। श्रमिक मृतकों की जीवन्त आस्था को जीवितों की मृत आस्था नहीं बनने देगा। श्रमिक मानव की बढ़ती हुई आकांक्षा का अतीत के द्वारा हनन बर्दाश्त नहीं करेगा - जिसके लिए वर्तमान का कोई अर्थ नहीं और भविष्य में कोई उम्मीद नहीं और न ही इसे स्थानीय विशिष्टता के संकीर्ण सांचे में ढलने देगा।

श्रमिक की आस्था अंतर्राष्ट्रीयता में है। श्रमिक राष्ट्रीयता में मात्र इसलिए दिलचस्पी रखता है जिससे कि प्रजातंत्र की गाड़ी चलती रहे अर्थात् प्रतिनिधि संसद, उत्तरदायी कार्यपालिका, संवैधानिक प्रथाएं आदि राष्ट्रीय मनोभावनाओं से जुड़े समुदाय में अच्छी तरह काम कर सके। श्रमिक की राष्ट्रीयता किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है। यह अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है जिसके प्रति श्रमिक त्याग करने को सहमत हो क्योंकि उसे ही वह जीवन का सबसे आवश्यक सिद्धांत मानता है।

स्वतंत्रता : गलत दृष्टिकोण

स्वाधीनता का अर्थ मात्र यही है कि श्रमिक इसका महत्व पूर्णतः पहचानता है। लेकिन श्रमिक सोचता है कि स्वतंत्रता के प्रश्न पर गलत दृष्टिकोण है और इसके महत्व के बारे में गलतफहमी है। राष्ट्र पर अपनी स्वतंत्रता से सरकार और सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप निश्चित करने का कोई बंधन नहीं हो जाता। स्वाधीनता कितनी उपयोगी है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार और कैसे समाज की रचना होती है। स्वाधीनता का उस दशा में कोई मूल्य नहीं रह जाएगा यदि उससे ऐसी सरकार बनती है और ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसके विरुद्ध विश्व युद्ध चल रहा है। श्रमिक चाहता है कि नए भारत के निर्माण पर अधिक बल दिया जाए और भारत छोड़ों पर कम। नई व्यवस्था के साथ नए भारत के निर्माण की अपील स्वाधीनता के आह्वान से अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः नए भारत में नई व्यवस्था का विचार स्वाधीनता संग्राम को जीने में सार्थक भूमिका निभाएगा। ऐसे दृष्टिकोण से निश्चित रूप से अनेक परेशान करने वाले तत्व शांत हो जाएंगे जो पूछे जा रहे हैं कि आजादी किस लिए और किसके लिए?

दूसरी बात है युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए शर्त के रूप में तुरंत स्वाधीनता मिल जाना। श्रमिक की समझ में यह बात नहीं आती। इस शर्त से कुछ लोगों के दृष्टिकोण में युद्ध के प्रश्न पर अचानक परिवर्तन हुआ है और इसे तभी उचित कहा जा सकता है जब कोई अचानक ऐसा षड्यंत्र किया गया हो जो भारत को उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करता हो। किन्तु ऐसे किसी षड्यंत्र का कोई सबूत नहीं है। न ही ऐसा कोई षड्यंत्र सफल हो सकता है, चाहे षड्यंत्रकारी कोई भी क्यों न हो। श्रमिक की दृष्टि से, भारत को स्वाधीनता के अधिकार से कोई वंचित

नहीं कर सकता यदि एकजुट लोगों की संयुक्त शक्ति यह मांग करे। यदि भारत की स्वाधीनता अधर में है तो यह भारतीयों में ही बिखराव के कारण है। भारत की स्वाधीनता के शत्रु भारतीय ही हैं, कोई और नहीं

श्रमिक और युद्ध

इस युद्ध की बाबत श्रमिकों का दृष्टिकोण इस बात का पूर्ण एहसास हो जाने के बाद बना है कि युद्ध में क्या कुछ दांव पर लगा है। श्रमिक को पता है कि यदि संसार से युद्ध समाप्त करने हैं तो युद्ध को जीतना भी होगा और शांति को भी। श्रमिक को पता है कि नाजियों को हटाना ही पर्याप्त नहीं है। नाजी व्यवस्था की संभावनाओं को भी नष्ट करना होगा। यह पुरानी व्यवस्था या नाजी व्यवस्था के लिए युद्ध नहीं है। श्रमिक को पता है कि इस युद्ध की कीमत पर नई व्यवस्था लानी होगी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और सौहार्द केवल नारे के रूप में न हों बल्कि जीवन का यथार्थ बन जाए। किन्तु सब प्रश्नों का महा प्रश्न यह है कि नई व्यवस्था की आशा कैसे पूर्ण हो? इस प्रश्न पर श्रमिक बहुत आशावादी हैं। श्रमिक इस बात पर जोर देता है कि इन सभी आदर्शों को पूरा करने के लिए एक आरंभिक शर्त है, और वह है युद्ध में विजय। युद्ध में विजय के बिना भारत में स्वायत्तशासी सरकार नहीं हो सकती। युद्ध में विजय के बिना, स्वतंत्रता पाना स्वप्न भर होगा। यही कारण है कि श्रमिक युद्ध जीतने के लिए इतना कृत-संकल्प हैं।

वर्तमान युद्ध की दो विशिष्टताएं

इस युद्ध में अनेक अच्छी संभावनाएं छुपी हैं। इनमें नई व्यवस्था को जन्म देने की क्षमता हैं। श्रमिक को पता है कि यह युद्ध अन्य युद्धों से भिन्न है। यहां दो लक्षण हैं जो इसे अन्य युद्धों से पृथक करते हैं। पहली बात तो यह है कि यह युद्ध इसलिए नहीं हो रहा है कि शक्तिशाली देश आपस में विश्व का राज्यक्षेत्र बांट लें जैसाकि इसके पहले लड़ गए युद्धों में हुआ था। यह युद्ध मात्र संसार का राज्यक्षेत्र बांटने के कारण से नहीं लड़ा जा रहा है। यह युद्ध कुछ आदर्शों को लेकर लड़ा जा रहा है, कि किस प्रकार की सरकारें बने जिनमें मानवता फले-फूले। दूसरे यह युद्ध अन्य युद्धों की तरह मात्र युद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल शत्रु को हराकर उसकी राजधानी पर कब्जा का शांति की शर्तें मनवाना नहीं है।

यह युद्ध केवल युद्ध ही नहीं एक क्रांति है। ऐसी क्रांति समेकित जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन और समाज के पुनर्गठन की मांग करती है। इस दृष्टि से, यह आम जनता का युद्ध है और यदि ऐसा नहीं है तो इसे जनता का युद्ध बनाया जाना चाहिए।

इन तथ्यों की दृष्टि में श्रमिक वर्ग युद्ध और उसके परिणामों के बारे में उदासीन नहीं हो सकता। श्रमिक को पता है कि भविष्य में नई व्यवस्था को स्थापित करने के प्रयास को किस प्रकार बार-बार विफल किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब प्रजातंत्र अस्तित्व में आया तो उसे अनुदारदली हाथों में सौंप दिया गया। यदि अब दुनिया के लोग ध्यान रखें कि इस गलती को भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा तो श्रमिक विश्वास रखेगा कि इस युद्ध को लड़ने और नई व्यवस्था स्थापित करने से विश्व को प्रजातंत्र के विकास के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

सही नेतृत्व

देश को नेतृत्व चाहिए और प्रश्न यह है कि नेतृत्व कौन देगा। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि श्रमिक देश को वह नेतृत्व दे सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। अन्य बातों के अतिरिक्त, सही नेतृत्व के लिए आदर्श और स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता होती है। अभिजात वर्ग के लिए आदर्शवाद संभव है, किन्तु वहाँ स्वतंत्र चिंतन संभव नहीं। श्रमिक के लिए आदर्शवाद और स्वतंत्र चिंतन दोनों ही संभव हैं। किन्तु मध्यम वर्ग के लिए न तो आदर्शवाद संभव है और न ही स्वतंत्र चिंतन। मध्यम वर्ग में अभिजात की उदारता नहीं होती जो आदर्श के स्वागत और पोषण के लिए आवश्यक है। इसमें नई व्यवस्था की भूख निहित नहीं है जिस पर श्रमिक वर्ग की आशाएं टिकी हैं। इसलिए अतीत के उन सुलझे और सुरक्षित मार्गों पर लौटने में श्रमिक का योगदान स्पष्ट है जिसके लिए भारतीय अपने राजनैतिक लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करते रहे हैं। भारत और भारतीयों के लिए श्रमिकों का नेतृत्व युद्ध में शामिल होने और एकजुट रहने में है। विजय का परिणाम होगा स्वाधीनता और नई सामाजिक व्यवस्था। ऐसी विजय के लिए सबको मिल कर लड़ना चाहिए। तब ही विजय का फल सबके हिस्से में आएगा और कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसे एकजुट भारत में अधिकारों से वंचित किया जा सके।

6

*कागज नियंत्रण आदेश

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय बाजोरिया ने यह स्थगन रखा है जिससे सरकार सदन के समक्ष देश में कागज की स्थिति के बारे में तथ्य रख सकेगी। मान्यवर, सदन में जो भाषण दिए गए उनमें सरकार के संबंध में कुछ बहुत कठोर बातें कही गईं। इस देश की शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में सरकार पर कठोर एवं स्वार्थी होने और पाषाण हृदय होने के आरोप लगाए गए। मैं सदन के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहता हूँ जिनके कारण सरकार को यह आदेश जारी करना पड़ा और बताना चाहता कि स्थिति से निपटने के लिए तथा भविष्य के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

महोदय, सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, वह किस प्रकार का है इसके बारे में गलतफहमी है। एक के बाद दूसरे सदस्य ने सदन में खड़े होकर सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपने उत्पादन का 90 प्रतिशत सरकार स्वयं लेना चाहती है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह पूर्ण रूप से गलतफहमी है। कागज नियंत्रक द्वारा जारी आदेश कोई हथियाने का आदेश नहीं है। यह ऐसा आदेश है जिसमें कहा गया है कि कागज निर्माता अपने उत्पादन का 90 प्रतिशत सरकार को सौंपने के लिए बाध्य होंगे। इस आदेश को नियंत्रण आदेश कह सकते हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जो अंतर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ वही वास्तविक अंतर है। यह आदेश कागज-निर्माताओं को यही बताता है कि वे अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक जनता को नहीं बेच सकते।

इसमें यह नहीं कहा गया है कि वे 90 प्रतिशत कागज सरकार को सौंप देंगे। मैं समझता हूँ कि यह एक मूलभूत और वास्तविक अंतर है जिसे सदन को ध्यान में रखना चाहिए।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 1, फरवरी 11, 1943, पृष्ठ 128-31

पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा (प्रेसीडेंसी डिवीजन) : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : इस अंतर का वास्तविकता पर क्या प्रभाव पड़ा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सरकार 10 प्रतिशत से अधिक कागज की निकासी कर सकती है।

बापुर बैजनाथ बाजोरिया : कैसे?

डॉ. पी. एन. बनर्जी : जब सरकार को अकल आएगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आदेश यही है। मैं आदेश की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं आदेश की भाषा को स्पष्ट कर रहा हूँ। (कतिपय सदस्यों के बोलने से व्यवधान हुआ)

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : शांत रहिए। शांति रखिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : दूसरा मुद्दा जिसे सदन को ध्यान में रखना है, वह यह है कि आदेश की तामील कागज की मिलों को की गई है। इसकी तामील आढतियों को नहीं की गई है जिनके गोदामों में पहले से ही भारी मात्रा में कागज का भंडार है। जनता अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्टॉक में उपलब्ध कागज से कर सकती है क्योंकि आदेश जारी हाने से पूर्व कागज की जमाखोरी कर ली गई थी। इस आदेश की बाबत तीसरी बात जिसकी मैं सदन को याद दिलाता हूँ वह यह है कि आदेश जिस रूप में बनाया गया है उससे कागज नियंत्रक मिलों को 10 प्रतिशत से अधिक बेचने की अनुमति दे सकता है। कागज नियंत्रण की ओर से इस पर कोई बंधन या रूकावट नहीं है। जो आदेश 5 नवम्बर को पारित हुआ है उसमें किसी बात के होते हुए भी यदि कागज नियंत्रक की उसके लिए 10 प्रतिशत से अधिक कागज जनता के उपयोग के लिए देना संभव है तो वह 10 प्रतिशत से अधिक कागज जनता के लिए उपलब्ध कराएगा। उसे ऐसा करने से छूट अभी भी है। सरकार द्वारा जारी आदेश में क्या कुछ अंतर्निहित है इसे नष्ट करने के पश्चात अब मैं सदन को उन बातों की जानकारी दूंगा कि वह कौन सी तात्कालिक परिस्थितियां थीं जिनमें सरकार यह आदेश जारी करने को मजबूर हुई।

संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं। अप्रैल से सितम्बर तक के छह महीनों में हमारी कागज की आवश्यकता हमारे केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय के अनुसार 34,000 टन थी। यह ज्ञात हुआ कि मिलों ने पहले ही सरकार को 16,000 टन कागज केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय की ओर से उपलब्ध करा दिया है। सदन को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हमने कागज मिलों से 25,900 टन कागज की आपूर्ति कराने का करार किया था। यदि सदन हिसाब लगाए तो पता चलेगा कि संविदा के अधीन हमें

कागज मिलों से प्रथम छह महीनों में केवल 9000 टन कागज ही मिला था और अभी छह महीने और काम चलना था। परिणामस्वरूप, सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। सरकार ने अपने प्राक्कलन का पिछले छह महीने की परिस्थितियों के प्रकाश में पुनरीक्षण किया। दूसरा काम सरकार ने यह किया कि कागज की मांग की पद्धति को समेकित कर दिया, और यहां मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आदेश पारित होने से पूर्व दो पद्धतियों के जरिए सरकार की ओर से मांग रखी जाती थी। एक तरीका था केंद्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय की मांग, जो केंद्रीय सरकार की ओर से की गई मांग होती थी और साथ ही बंगाल, उड़ीसा असम तथा उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश एवं मध्य प्रांत की मांग होती थी दूसरी थी केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय की मांग से भिन्न मांग जिसे तकनीकी रूप से केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय के अधीन न आने वाले प्रांतों की मांग कहा जा सकता था अर्थात् वे प्रांत जो स्वतंत्र रूप से मांग रखते थे और इनके अतिरिक्त मांग रखने वाले थे भारतीय राज्य, सिक्कीम प्रिंटर्स, आपूर्ति विभाग और राज्यतर-रेल विभाग। यह पाया गया कि इस तरह कागज की मांग को दोहरी पद्धति से यह निष्कर्ष निकालना कठिन हो गया था कि वस्तुतः कितनी कागज की मांग है। परिणामस्वरूप, पहला कदम यह उठाया कि दोनों मांगों को एकीकृत कर दिया गया और अब संपूर्ण विषय केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय के हाथ में आ गया है।

जैसा कि मैं सदन को पहले बता चुका हूँ, जब यह देखा गया है कि कागज के अत्यधिक प्रयोग के कारण, विशेष रूप से संविदा की गई मात्रा से अधिक खपत से, स्थिति गंभीर हो गई है तब हमने अपने प्राक्कलन की पुनरीक्षा की और मांग का केंद्रीकरण कर दिया और अक्टूबर के अंत में जो गणना की गई उससे निम्नलिखित आंकड़े सामने आए -

| | |
|--|---------------|
| अगली छमाही, अर्थात् अक्टूबर से मार्च 1943, के लिए | टन |
| निर्धारित केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय की मांग | 32,000 |
| गैर-केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय की निर्धारित मांग | 9,500 |
| दोनों का जोड़ | 41,500 |

उस वर्ष के दौरान मिलों का जो उत्पादन हुआ उसके आधार पर यह गणना की गई कि मिलें अक्टूबर और मार्च के दौरान 47,575 टन कागज का उत्पादन करेंगी। यह पता चला कि 41,000 टन की सरकारी मांग मिलों के छह मास के उत्पादन का 87 प्रतिशत है। मोटे तौर पर वह 90 प्रतिशत है और यही कारण है कि आदेश में 90 प्रतिशत अंक रखा गया है। अब सदन यह समझ सकेगा कि नवम्बर में यह

आदेश जारी करना क्यों आवश्यक हो गया। अब मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं

सदन यह महसूस करेगा कि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह कागज के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिलों की और मशीनों का आयात करने में सहायता करे। नौवहन में जो समस्याएँ हैं उन्हें सभी जानते हैं। इस संबंध में कुछ भी करना सरकार की शक्ति के बाहर है। परिणामस्वरूप, हमें ही पता लगाना है कि हम अपने उपलब्ध साधनों से कागज का कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं; और मैं सदन का ध्यान तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो सरकार ने की हैं जिनका उल्लेख उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उत्पादों के रूप में किया जा सकता है। सरकार ने एक कागज उत्पादन अधिकारी नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य यह पता लगाना है कि किन उपायों व साधनों से कागज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है.....

एक माननीय सदस्य : यह कौन महाशय हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री भार्गव। दूसरे सरकार ने बढ़िया किस्मों के अनावश्यक कागज में कटौती कर दी है और सरकारी आवश्यकता को कुछ मानक गुणवत्ता वाले कागज तक सीमित कर दिया है। तीसरे, सरकार प्रत्येक कारखाने से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कौन सी मिल अपनी मशीनों और संयंत्रों के माध्यम से किस प्रकार के कागज का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकती है। इस समय यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप कुल बढ़ोतरी 12,000 टन होगी।

स्थिति को संभालने के लिए अगला कदम जो सरकार ने उठाया है वह है विभिन्न विभागों द्वारा रखी गई कागज की मांगों में कटौती। यह कटौतियाँ इस प्रकार हैं - प्रांतों और राज्यों की मांग में 10 प्रतिशत की कमी की गई है जिसमें 950 टन की बचत होगी। दूसरे, जहाँ तक केंद्रीय सरकार का प्रश्न है, विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किए जाने वाले कागज के बजट का पुनरीक्षण करके उसमें पर्याप्त कटौती की गई है। इस पुनरीक्षण में सरकार ने क्या किया इसे स्पष्ट करते हुए मैं सदन के समक्ष निम्न आंकड़े रखूंगा। सिविल विभागों का छह मास के लिए मूल प्राक्कलन 11,400 टन था जिसमें कटौती करके इसे 4,600 टन कर दिया गया। रक्षा विभाग का मूल प्राक्कलन 15,000 टन था जिसे कम करके 10,000 टन कर दिया गया। ईस्टर्न ग्रुप सप्लाय कौंसिल का मूल प्राक्कलन 9,400 टन था; इसमें कटौती करके 7,900 टन कर दिया गया। आपूर्ति विभाग की 3,100 टन की आवश्यकता को बढ़ाकर 4,500 टन किया गया - यह वाणिज्यिक कागज है जो उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जैसा कि सदन देखेगा। ऊपर निर्दिष्ट विभागों की मूल प्राक्कलित आवश्यकता 39,100 टन थी जब कि पुनरीक्षित प्राक्कलन 27,600 टन का हुआ। सदन को यह जानकर

प्रसन्नता होगी कि प्रांतों और राज्यों के खर्चों में कटौती करने में 950 टन की बचत हुई। इसके अतिरिक्त 11,900 टन विभिन्न विभागों के प्राक्कलनों के पुनरीक्षण से प्राप्त हुआ और कुल योग 12,850 टन हुआ। अब इस आंकड़े का मिलान भारत में उपयोग किए जाने वाले कागज के साथ करते हैं। इस संबंध में ठीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, न ही उपलब्ध हो सकता है। किन्तु सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कागज की वार्षिक खपत लगभग एक लाख टन है। छह मास के लिए यह 50,000 टन बनती है, और सदन को याद होगा कि नियंत्रक मुद्रण के आदेश से इसका 10 प्रतिशत जनता के लिए छोड़ा गया है। तदनुसार जनता को 5000 टन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, 12,850 टन कागज जो बचाया जाएगा या जो कटौती के जरिए बचेगा वह मिलाकर कुल 17,850 टन कागज जनता के लिए दिया जा सकेगा। सदन देखेगा कि यह उस मात्र का 33 प्रतिशत बनता है जिसे शांति के समय जनता उपयोग करती है

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया। कोई विकल्प नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अन्य उपायों का जिक्र करने जा रहा था जिसे कागज की बर्बादी रोकने के लिए अमल में लाया जा रहा है। चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है अतः मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। यदि सदन का विचार हो तो मैं उसे प्रेस को दे दूंगा।

अगली बात जो मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं वह यह है कि हम अगले वर्ष के लिए क्या करना चाहते हैं। अगले वर्ष का प्राक्कलन है 70,000 टन का; उसमें हमने यह किया है कि प्रत्येक विभाग के लिए कागज का कोटा निश्चित कर दिया है। उदाहरण के लिए नियंत्रक आकाशवाणी को बता दिया गया है कि उन्हें 260 टन से अधिक कागज नहीं मिलेगा। प्रति प्रचार निदेशालय को मात्र 100 टन कागज दिया जाएगा; राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा को 350 टन; लोक सूचना विभाग को 300 टन। बहुत सी बातें हैं जो यदि समय होता, मैं सदन के समक्ष रखता। मैं सदन से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि सरकार निरंकुश है उचित नहीं है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि फिर भी मितव्ययिता के लिए गुंजाइश है और मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सुझाव दिया कि आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित होगी और निश्चित रूप से इन सुझावों को मैं समुचित प्राधिकारियों तक पहुंचा दूंगा जिससे कार्यवाही की जा सके। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का समाधान हो जाएगा कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो इस विषय में वह उठा सकती है।

*कामगारों को अपर्याप्त मंहगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में घोषणा

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) :श्रीमन्, यदि मैं ठीक समझ सका हूं तो श्री मेहता द्वारा रखे गए प्रस्ताव से दो मुद्दे सामने आते हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि जिस समय मंहगाई भत्ते का प्रश्न उठाया गया, सरकार ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से परामर्श करने में विफल रही। दूसरा मुद्दा जो प्रस्ताव में उठाया गया है, यह है कि 21 जनवरी को जिस मंहगाई भत्ते की घोषणा की गई वह बहुत कम और अपर्याप्त था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यद्यपि मुझे यह प्रस्ताव लाने के लिए श्री मेहता से हमदर्दी है फिर भी मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि यह प्रस्ताव गलतफहमी पर आधारित है।

श्रीमन्, मैं प्रथम प्रश्न को लेता हूं कि भारत सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ता कम और अपर्याप्त है। भत्ते की कमी के बारे में मुझे कहना पड़ रहा है कि सदन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है और यह नहीं कहा जा सकता है कि 23 फरवरी को अधिसूचना द्वारा जिस रकम की घोषणा की गई है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता या से बढ़ाया नहीं जा सकता।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा (प्रेसीडेंसी डिवीजन : गैर-मुस्लिम ग्रामीण): क्या यह प्रयोग के लिए है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हो सकता है। कहा गया कि इस राशि द्वारा पर्याप्त मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया है। किन्तु कह चुका हूं कि इसके बारे में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। विषय अभी भी सक्रिय है और अभी सरकार के समक्ष इस मामले पर विचार किया जा रहा है कि किस रूप में मंहगाई भत्ता दिया जाए। इसे नकदी भत्ते के रूप में दिया जाएगा या खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

* विधान सभा वादविवाद (केन्द्रीय) खंड 1, 12 फरवरी, 1943, पृष्ठ 197-99

यह ऐसा प्रश्न है जिसे सरकार को कोई निश्चित सीमा नियत करने से पूर्व सुलझाना है। इसलिए इस मुद्दे पर मेरा निवेदन है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जिसे सुधार्य, परिवर्तनीय या असंशोधनीय माना जा सके।

पंडित लक्ष्मी कांत मैत्रा : क्या अच्छे आचरण के लिए कोई भत्ता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ डाक विभाग में यह सुविधा दी गई है। जहां तक कम या अपर्याप्त होने का प्रश्न है, यह मामला अभी भी खुला है और उपयुक्त समय पर इस पर विचार किया जा सकता है।

अब दूसरा आरोप जिसमें कहा गया है कि सरकार ने मजदूर संघों के नेताओं से कोई बातचीत नहीं की, मेरी समझ में पहली बात तो यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि श्रमिक वर्ग से संपर्क करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। कठिनाई यह है कि जैसा कि हमारे माननीय मित्र जमनादास मेहता जी जानते हैं, जहां तक रेलवे का संबंध है वहां मजदूर संघ हैं जो एक महासंघ के रूप में संगठित हैं और रेलवे के कामगारों से संपर्क करना और जरूरत पड़ने पर उनकी राय जानना सरकार के लिए आसान किया गया है। मैं समझता हूँ कि श्री जमनादास मेहता को पता होगा कि सरकार ऐसा करती रही है। वस्तुतः परंपरा बन चुकी है और बिना व्यवधान के इस पर अमल किया गया है और समान हित की समस्याओं पर विचार करने के लिए रेलवे बोर्ड और रेलवेमैन्स फेडरेशन साल में दो बैठकें कराते हैं।

फिर केंद्रीय सरकार के डाक-तार विभाग के कर्मचारी हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, डाक-तार विभाग के कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली बारह यूनियनें हैं, जिनमें से चार यूनियनें उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और आठ कामगारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्भाग्यवश, कोई एक निकाय या डाक-तार विभाग के विभिन्न कर्मचारी संघों का कोई महासंघ नहीं है इसलिए ऐसा संपर्क करना संभव नहीं हो सकता जो कि रेलवे बोर्ड में संभव है क्योंकि रेलकर्मियों का एक महासंघ है। किन्तु मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस कठिनाई के बावजूद, सरकार ने कार्रवाई करने से पूर्व डाक-तार कर्मचारियों से संपर्क करने का प्रयास किया था। मैं सदन के समक्ष टेलीग्राफ रिव्यू पत्रिका के जनवरी, 1943 के अंत से एक पैरा पढ़ना चाहता हूँ जिसमें इस बात का उल्लेख है कि डाक-तार विभाग ने अपने कर्मचारियों से संपर्क करने का प्रयास किया था। रिव्यू में कहा गया है :

“अपने कलकत्ता दौरे के दौरान महानिदेशक ने सभी मान्यताप्राप्त सेवा-संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके साथ 10 दिसम्बर, 1942 को मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर संयुक्त सम्मेलन किया। सम्मेलन में प्रतिनिधिगण इस प्रश्न पर

संयुक्त रूप से अपना पक्ष नहीं रख सके। परिणामस्वरूप, पोस्टल क्लब भवन, कलकत्ता में तारापद हाल में 12 दिसम्बर, 1942 का उनकी बैठक हुई और परस्पर सहमति से एक नई मंहगाई भत्ता योजना तैयार की गई जो इस अंक में अन्यथा प्रकाशित की गई है।”

श्री जमनादास एम. मेहता : उनकी योजना में क्या कहा गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे महानिदेशक से दोबारा मिले। प्रतिनिधिगण 18 दिसम्बर, 1942 को महानिदेशक से मिले और अपनी योजना उन्हें सौंप दी।

श्री जमनादास एम. मेहता : उन्होंने क्या मांग रखी हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह बहुत लंबी कहानी है। खेद है कि मुझे इतना समय नहीं दिया गया कि मैं इसे पूरा पढ़ सकूँ। यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो उनके अवलोकन के लिए मैं उन्हें इसे दे सकता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहां तक डाक-तार विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार और संबद्ध कर्मचारियों के बीच मंहगाई भत्ता घोषित किए जाने से पूर्व परामर्श नहीं हुआ था।

महोदय, इसके बाद बचते हैं केंद्रीय सरकार के लिपिक वर्ग के कर्मचारी। कर्मचारियों के इस समूह की कोई यूनियन नहीं है। और चूंकि इनकी कोई यूनियन नहीं है, अतः इनका कोई महासंघ भी नहीं है। कुछ संगठन मात्र हैं। सर्वप्रथम है इम्पीरियल सचिवालय संगठन, दूसरा है दफ्तरी एवं रिकार्ड स्टोर संगठन और तीसरा है सामान्य मुख्यालय संगठन। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनसे परामर्श में चूक होने की बात ही नहीं। उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सरकार के पास भेजा और इस घोषणा से पूर्व उनको माननीय गृह सदस्य और वित्त सदस्य से साक्षात्कार का अवसर दिया गया। मेरी समझ में मैंने जो कुछ कहा न्यायोचित है कि जिन आरोपों पर श्री जमनादास मेहता का प्रस्ताव आधारित है वे सही नहीं थे। सरकार ने जो बात कही, सदैव उस पर अमल किया है अर्थात् जहां तक संभव हो सका है, उसने कर्मचारियों से परामर्श किया है।

8

भारतीय वित्त विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमान मैं उन आलोचनाओं का उत्तर दे रहा हूँ कि जो इस बहस के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दों पर या भूलचूकों पर, जिसका संबंध श्रम विभाग से है, की गई हैं। मैं सर फ्रेड्रिक जेम्स द्वारा उठाए गए मुद्दों से आरंभ करूंगा। जैसा कि सदन को विदित है, जहां तक श्रम विभाग का संबंध है, दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर माननीय सदस्य ने विशेष रूप से जोर दिया है पहला मुद्दा कागज से सम्बंधित है। सर जेम्स फ्रेड्रिक ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत सरकार कागज के उपयोग के संबंध में किस हद तक अपव्ययी है और जिधर भी देखिए इस बरबादी के लिए सरकार उत्तरदायी है। महोदय, सदन को याद होगा कि इसी कागज के प्रश्न को लेकर इसी सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव के ऊपर बहस हुई थी और सरकार की ओर से मैंने उत्तर दिया था। यह स्पष्ट है कि मेरे माननीय दोस्त सर फ्रेड्रिक जैम्स उस समय सरकार की ओर से दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और आज इसी विषय को लेकर उठ खड़े हुए हैं। उनके पुनः इस प्रश्न को लेकर खड़े होने के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे इससे यह स्पष्ट करने के लिए एक और अवसर प्राप्त हुआ है कि कागज के संरक्षण के संबंध में सरकार क्या कुछ कर रही है। महोदय, विषय पर आने से पूर्व सदन से यह कहना वांछनीय होगा कि जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा प्रतीत होता है कि सदन इस बात को लेकर कुछ अधिक चिंतित दिखाई देता है कि कागज की घोर कमी है। किन्तु मैं नहीं समझता कि इस विषय में कोई बड़ी परेशानी है। सदन के वास्ते यह दिलचस्प बात होगी यदि मैं ग्रेट ब्रिटेन और भारत में जारी किए गए किन्हीं प्रकाशनों संबंधी आंकड़ों को माननीय सदस्यों के सम्मुख पेश करूं। महोदय, ग्रेट ब्रिटेन में सन 1939 के दौरान पन्द्रह हजार पुस्तकें और सन 1940 में ग्यारह हजार पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जब कि सन 1941 में यह आंकड़ा बढ़कर चौदह हजार हो गया। मैं यह नहीं कहता हूँ कि कागज की कमी का सवाल ऐसा नहीं है

जिसकी चिंता हमें नहीं है। जैसा मैंने कहा कमी तो है ही, फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि गंभीर रूप से चिंतित होने जैसी स्थिति नहीं है।

इसके आगे चलें तो सदन को स्मरण होगा कि सर फ्रेड्रिक जेम्स ने भारत सरकार के विरुद्ध अपव्ययी होने के आरोप को पुष्ट करने के लिए दो उदाहरणों को आधार बनाया था। पिछली बार जब इस विषय पर विवाद चल रहा था तो सर फ्रेड्रिक जेम्स ने एक किराया बिल पेश किया जो वेस्टर्न कोर्ट से उस भवन का उपयोग करने वाले किराएदारों को जारी किया गया था। उनका कहना था कि किराएदारों को पेश किया गया बिल ऐसा विशाल दस्तावेज था जिसमें ऐसे ब्यौरे दिए गए थे जो संभवतः अनावश्यक थे और किसी भी सूरत में युद्ध की अवधि के दौरान इनमें कटौती की जानी चाहिए थी। इस बार वह कलकत्ता गजट की फटी पुरानी प्रति ले आए हैं और यह इंगित किया है कि इसमें ऐसी कुछ जानकारियां दी गई हैं जिन्हें युद्ध की अवधि के दौरान छोड़ा जा सकता था।

सर फ्रेड्रिक जेम्स (मद्रास यूरोपीय) : क्या मैं एक क्षण के लिए अपने माननीय मित्र को बीच में टोक सकता हूँ? कलकत्ता गजट का जो अंक मैंने दिखाया था वह कलकत्ता से ठीक उसी दिन प्राप्त हुआ था और मेरा अंदाज है कि उसकी तारीख इस वर्ष की फरवरी थी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र का अनुग्रहीत हूँ। महोदय, जो मैं कहना चाहता हूँ वह इस प्रकार है। यदि सर फ्रेड्रिक जेम्स एक वकील होते तो निश्चय ही उन मुद्दों के लिए जिन पर वह जोर देना चाहते हैं, उदाहरणस्वरूप इन दो मामलों को प्रस्तुत नहीं करते। किराया बिल के संबंध में स्पष्टतः सर फ्रेड्रिक जेम्स वह तारीख देखना भूल गए जिस तारीख को इसका मुद्रण हुआ था। वह बिल 1938 में मुद्रित हुआ था और भारत सरकार की इस बिल का उपयोग करने के लिए निंदा करने के बजाय, मैं समझता हूँ, उसे बधाई दी जानी चाहिए कि पुराने बिलों को नष्ट करने की अपेक्षा भारत सरकार ने बिल में अपेक्षित परिवर्तनों को किनारे करते हुए सरकार के भंडार में विद्यमान बिल का उपयोग किया और कागज को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पुराने स्टाक का उपयोग करने पर जोर दिया।

सर फ्रेड्रिक जेम्स : उन्हें नष्ट कर दीजिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, गजट के प्रश्न के संबंध में मेरी समझ से सर फ्रेड्रिक जेम्स द्वारा एक चूक हुई है कि गजट के महत्व को वह नहीं आँक सके हैं। गजट मात्र ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें उपयोगी सूचनाएं रहती हों, ऐसी सूचनाएं जो सरकार के लिए उपयोगी हों किन्तु प्रत्येक वकील इस बात से वाकिफ है कि गजट ही ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी न्यायालय में कुछ मामलों में सबूत पेश किए जा सकते हैं, जो सिवाय गजट प्रस्तुत करने के अन्यथा नहीं

हो सकता। यहां तक कि शत्रु फर्मों की सूची, पेटेंटों आदि के मामले में भी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सरकारी गजट ही ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिनके आधार पर कुछ बातें साबित की जा सकती हैं। अतः मैं सर फ्रेड्रिक जेम्स से आग्रह करूंगा कि चाहे वे हमसे सहमत हों या नहीं, सरकारी कागज के बारे में हम कुछ भी करें परंतु गजट को हमें इस विवाद में लाना नहीं चाहिए।

सर फ्रेड्रिक जेम्स : मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मांग यह थी कि इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए कि क्या ऐसी मदों को जो निस्संदेह महत्वहीन हैं और केंद्रीय सरकार के गजट में प्रकाशित हुई है, सभी प्रादेशिक गजटों में प्रकाशित करना आवश्यक था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका स्पष्ट कारण यह है कि प्रत्येक प्रादेशिक सरकार को अपने प्रांतीय गजट उस रूप में प्रकाशित करने होते हैं जैसा भारत सरकार अधिनियम द्वारा विहित किया गया है। परंतु मैं ऐसी बातों का सहारा नहीं लेना चाहता जिन्हें माननीय मित्र के तर्क को काटने के लिए वाग्मिता भरा प्रति-उत्तर कहा जाए। भारत सरकार ने कागज के अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए जो व्यावहारिक कदम उठाए हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं गजट के प्रश्न को लूंगा। मैं अपने सम्मानित मित्र सर फ्रेड्रिक जेम्स और सदन के अन्य सदस्यों से जो इस प्रश्न में दिलचस्पी रखते हों, अनुरोध करूंगा कि वे 29 अगस्त के भारत के गजट भाग-2, खंड-1 का मिलान 6 मार्च, 1943 के बजट भाग-2, खंड-1 से करें। अगर यह सदन और इसके सम्मानित सदस्य गजट के इन दो अंकों का मिलान करने का कष्ट करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि गजट के डेढ़ पृष्ठ में जितनी बातें छपती थीं, उन्हें अब आधे स्तम्भ में समाहित कर लिया गया है। और इस प्रकार स्थान के अपव्यय को रोका गया है। सारे पार्श्ववर्ती अंश हटा दिए गए हैं।

डॉ. पी. एन. बनर्जी (कलकत्ता उपनगर : गैर-मुस्लिम शहरी) : क्षीण दृष्टि वाले व्यक्ति का क्या होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं हरेक को प्रसन्न नहीं रख सकता। लेकिन सर फ्रेड्रिक जेम्स ने जो प्रश्न उठाए हैं उनके संबंध में मैं उन्हें यह सूचित कर दूँ कि भारत सरकार ने सभी प्रांतीय सरकारों से कहा है कि क्या ऐसा करना उचित और संभव नहीं होगा कि वे भारत सरकार द्वारा भारत के गजट में की गई अधिसूचनाओं का ही उपयोग करें और अपने गजट में अपने उपयोग के लिए पुनः प्रकाशित करने के व्यय से बचें रहें। निश्चय ही हम इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें सलाह दें और सिफारिश करें।

तत्पश्चात् “इंडियन इनफारमेशन” के संबंध में, सदन को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि हमने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं कि इसका आकार आधा कर दिया जाए।

जहां तक पत्रों का प्रश्न है, सदन को मैं बताना चाहता हूँ कि वस्तुतः युद्ध की अवधि के दौरान 149 पत्रों को रोक दिया गया है और 190 पत्रों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। दूसरे, पत्रों का आकार भी 1941 के आकार से छोटा कर दिया गया है। जुलाई, 1942 के बाद मुद्रित पत्रों में फालतू जगहें नहीं रखी गई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यदि माननीय सदस्यों को कोई सुझाव भारत सरकार को देना है तो निश्चय ही मैं अत्यधिक अनुग्रहीत होऊंगा और अपना यथेष्ट ध्यान उस पर दूंगा।

फिर प्रकाशन के संबंध में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक पूर्णतः अनिवार्य न हो जाए, कोई बात प्रकाशित नहीं की जाती। किसी भी प्रकाशन की अनिवार्यता अवधारित करने के लिए भारत सरकार ने प्रकाशन पर तीन प्रकार की रोकें लगा रखी हैं। पहली रोक, नियंत्रक मुद्रण और लेखन सामग्री द्वारा लगाई जाती है। अब वह केवल ऐसा मशीनी व्यक्ति नहीं रह गया है जो मुद्रण आदेशों के पालन से वास्ता रखता था, अब हमने उसे प्राधिकृत कर रखा है कि उसके समक्ष पेश प्रकाशन की विषय-वस्तु के प्रकाशित होने की अनिवार्यता की जांच करें। यदि वह असहमत होता है और आपत्ति करता है तो यह बात श्रम विभाग के सचिव के पास भेजी जाती है, जो इस प्रश्न पर विचार करते हैं और अगर श्रम विभाग और मुद्रण नियंत्रक एकमत हो जाएं कि प्रकाशन अनिवार्य नहीं है तब यह बात विचार के लिए एक समिति को सौंप दी जाती है जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है। फिर महोदय हमने मुद्रकों को भी अनुदेश दे रखा है कि वह मुद्रण में स्थान, पार्श्ववर्ती छूट तथा अन्य बातों के संबंध में और कागज के उपयोग के संबंध में अधिक से अधिक मितव्ययिता बरतें। मेरा विश्वास है कि यद्यपि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए ये कदम बहुत प्रभावशाली नहीं हैं, तथापि कागज के उपभोग में मितव्ययिता लाने के लिए निस्संदेह यह एक गंभीर कदम है। महोदय, जैसी कि कहावत है, हाथी से एक चींटी की चाल चलने की आशा कोई नहीं कर सकता। भारत सरकार, या कह लें कोई सरकार, एक विशाल जानवर है जो धीरे-धीरे चल रहा है और उसकी गति मंद है। फिर भी यह आशा की जा सकती है कि यह हंस की चाल सीखें। और मैं समझता हूँ कि सदन इस बात से सहमत होगा कि भारत सरकार ने हंस की चाल सीख ली है; यदि नहीं सीखी है, तो सीखने को तैयार है।

सर फ्रेड्रिक जेम्स : यह हंस अभी काफी छोटा है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब महोदय मैं अपने माननीय मित्र सर फ्रेड्रिक जेम्स द्वारा भारत सरकार में कागज के व्यय संबंधी मितव्ययिता लाने के संबंध

में दिए गए विशिष्ट सुझाव पर आता हूँ। उनका विशिष्ट सुझाव, यदि मैं सही-सही समझ पाया हूँ तो यह है कि इंग्लैंड में एक निकाय नियुक्त किया गया था, अर्थात् एक समिति जिसके सदस्य थे चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रकाशन गृह का एक प्रतिनिधि और मुद्रण स्थापना का एक प्रतिनिधि। उन्होंने उस रीति और तरीके का जिसमें उक्त समिति अपना कार्य करती है कोई ब्यौरा हमें नहीं दिया है और न उन्होंने ऐसे किसी सिद्धांत का उल्लेख किया है जिसका अनुपालन उक्त समिति मितव्ययिता लाने के लिए करती है। अतः अभी इस अवस्था में मेरे लिए यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि मैं उनके द्वारा दिए गए सुझावों को मनाने को तैयार हूँ। परंतु मैं उनको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे द्वारा उठाए गए कदम न्यूनाधिक, वे भी मानेंगे, उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते के आस-पास ही हैं। हमने जो कदम उठाए हैं वे हैं नियंत्रक मुद्रण को सलाह देने के लिए कमर्शियल मास्टर प्रिंटर नामक अधिकारी का नियुक्त किया जाना। हमने हाल ही में वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है और शीघ्र ही ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि यह अधिकारी वह कार्य कर सकेगा जो इंग्लैंड की उक्त समिति है।

डॉ. पी. एन. बनर्जी : वह भारतीय है या यूरोपीय मूल का?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमें अभी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

श्री जमनादास एम. मेहता : (बंबई मध्य डिविजन : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : क्या इससे उन पर आने वाली लागत की अपेक्षा बचत अधिक होगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमें ऐसी आशा करनी चाहिए। अनुमान लगाने और आशा करने में कोई हानि नहीं है। बस कागज के प्रश्न के संबंध में मुझे इतना ही कहना है।

सर फ्रेड्रिक जेम्स द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न अधिकारियों के परिवारों के लिए शिमला में आवासीय व्यवस्था मुहैया की जाने के संबंध में है। वे इस बात की सराहना करेंगे कि जहां तक आवासीय व्यवस्था का संबंध है, भारत सरकार इस विषय में अपने आपको बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पाती है। सरकार के पास जितनी आवास व्यवस्था थी और जितनी आवासीय क्षमता वह आवास ग्रहण करने के आदेश के परिणामस्वरूप एकत्र कर सकी है वह ऐसे अधिकारों की संख्या की तुलना में कुछ नहीं हैं जिन्हें युद्ध की तैयारी के फलस्वरूप भारत सरकार को नियोजित करना है। वह इस बात से भी सहमत होंगे कि यदि हमें युद्ध की तैयारियां पूर्ण रूप से करनी है तो हमें आवास गृहों की प्राथमिकता निश्चित करनी होगी, और जहां तक प्राथमिकता का प्रश्न है स्वयं अधिकारियों की तुलना में उनके परिवारों को वरीयता नहीं दी जाएगी। साथ ही, भारत सरकार यह भी जानती है कि पति-पत्नी और पिता-पुत्र का अलगाव

उन अधिकारियों की मनःस्थिति और मानसिक संतोष को कैसे प्रभावित कर सकता है जिनकी सेवाएं युद्ध संबंधी तैयारियों में अपेक्षित हैं। ऐसी व्यवस्था करने में जो कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं उन्हें कम करने के लिए भारत सरकार ने शिमला में तीन आवासीय गृह खोले हैं ताकि ऐसे अधिकारियों की, जो अपना केंद्र छोड़ नहीं सकते, पत्नियां वहां रह सकें। मैं आशा करता हूँ कि सर फ्रेड्रिक जेम्स इसे इस गंभीर समस्या के प्रति भारत सरकार की सद्भावना का प्रतीक मानेंगे।

अब मैं तीसरे बिंदु पर आता हूँ जो मेरे माननीय मित्र सर जमनादास मेहता ने उठाया है।

श्री जमनादास एम. मेहता : मुझे माफ कीजिएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं आशा करता हूँ कि आपको नाइट-हुड मिलने जा रही है, मैं न वापस लूंगा और न क्षमता मागूंगा; इस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पूर्वानुमान है।

मौलाना जफर अली खां (पूर्वी मध्य पंजाब : मुस्लिम) आने वाली घटनाएं अपना पूर्वाभास दे देती है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री जमनादास मेहता ने अपनी बहस के दौरान डोमिनियन लेबर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उस बैठक का उल्लेख किया जो इंग्लैंड में होने जा रही है या होने वाली है और शिकायत की कि उस डोमिनियन सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। महोदय, श्री जमनादास मेहता ने जिस खेद और तकलीफ का इजहार किया है उसे मैं भी महसूस करता हूँ जो इतने महत्वपूर्ण श्रम सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व न होने से हुआ है। परंतु मैं भी जमुनादास मेहता से कहना चाहूंगा कि सरकार के श्रम विभाग पर किसी भी प्रकार से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दायित्व नहीं है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहूंगा कि इस सम्मेलन के संयोजकों ने श्रम विभाग से कोई पूछताछ नहीं की।

मुझे विश्वास है कि श्री जमुनादास मेहता इस बात को मानेंगे कि वास्तव में हम इसमें कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमसे परामर्श ही नहीं किया गया। उन्होंने हमसे परामर्श क्यों नहीं किया और क्यों उन्होंने इस देश में श्रमिक आंदोलन के नेताओं से, जिनका इस सम्मेलन के लिए कार्य कर रहे महानुभावों से अच्छा परिचय है, सीधे संपर्क किया, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि श्री मेहता इस बात से सहमत होंगे कि श्रम विभाग अपनी स्थिति और अपने हित को सुरक्षित रखने के मामले में उतना ही सतर्क और चौकस है जितना कि कोई विभाग हो सकता है। बस मुझे इतना ही कहना है।

*श्रम विभाग की स्थायी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा ऐसी रीति से जो माननीय अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, स्थायी समिति में कार्य करने के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्य निर्वाचित करें जो उन विषयों पर जिनसे श्रम विभाग संबंधित है, सलाह दें।”

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि यह सभा ऐसी रीति से जो माननीय अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, स्थायी समिति में कार्य करने के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्य निर्वाचित करें जो उन विषयों पर जिनसे श्रम विभाग संबंधित है, सलाह दें।”

डॉ. पी. एन. बनर्जी (कलकत्ता उपनगर : गैर मुस्लिम शहरी) : महोदय, विभिन्न विभागों से संलग्न अनेक स्थायी समितियां हैं, किन्तु इस सदन की कोई स्थायी समिति नहीं है जिसमें यहां के तीन से अधिक सदस्य हों। क्या कारण है कि इस सदन द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या इतनी कम है? या तो श्रम विभाग कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, या इसका यह कारण भी हो सकता है कि स्थायी समिति कभी बुलाई नहीं जाती या किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिए कभी-कभी ही बुलाई जाती है। मैं इन दोनों विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। क्या श्रम विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है? मैं देखता हूँ कि यह विभाग डॉ. अम्बेडकर जैसे विख्यात व्यक्ति के प्रभार में है। यदि पहले यह महत्वहीन विभाग रहा भी हो कम से कम आज के दिन इसे महत्वपूर्ण विभाग नहीं होना चाहिए जब यह उनके नियंत्रण में है। अगर इसे महत्वपूर्ण विभाग बनना है तो स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए। स्थायी वित्त समिति को देखें, रेलवे की स्थायी वित्त समिति को देखें, और फिर लोक लेखा समिति को देखें। इन समितियों में से किसी समिति के सदस्यों

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 2, 20 मार्च, 1943, पृष्ठ 1278-80

की संख्या तीन से कहीं अधिक है। मैंने सुना है कि इस समिति की बैठक बहुधा नहीं होती है। मुझे नहीं मालूम की यह कितना सही है, परंतु यदि इसकी बैठक होती भी है तो इस समिति के सामने अधिक कार्य नहीं होते। यदि बात सचमुच ऐसी है, तो मुझे डर है कि इस प्रकार की समिति की उपयोगिता बहुत घट जाएगी। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा की वह सदस्यों की संख्या बढ़ाकर आठ कर दे। मैं समझता हूँ कि दो सदस्यों का चयन अन्य स्थान से किया जाता है। मेरा सुझाव है कि आठों सदस्य इस सदन द्वारा निर्वाचित किए जाएं। यदि आप चाहें तो अन्य सदन को दिए गए सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे प्रस्ताव पर सदन ने इतनी दिलचस्पी दिखाई है। तीन की संख्या मैं समझता हूँ न तो समिति के महत्व पर आधारित है और न ही किसी अन्य कारण से इसे निर्धारित किया गया है। परंतु मैंने सुना है कि यह एक मानक संख्या है और यदि इसमें कोई बढ़ोतरी की जाती है या मानक संख्या से हटकर कोई संख्या निर्धारित की जाती है तो यह एक अपवाद होगा न कि नियम।

महोदय, मेरे माननीय मित्र डॉ. बनर्जी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर कि यह संख्या तीन पर सीमित इसलिए है कि विभाग इस समिति के प्रति बहुत कम सौजन्यता बरतता है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह तथ्य पर आधारित सत्य नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उससे सदन को पता चलेगा कि सन 1940 में इस समिति की दो बैठकें हुई थीं जिनमें समिति के समक्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामले रखे गए थे। उदाहरणास्वरूप सन 1940 में बुलाई गई दो बैठकों में समिति के समक्ष रखे गए विचारणीय विषय थे - श्रम सम्मेलन का निष्कर्ष, तकनीकी प्रशिक्षण, जांच समिति की रिपोर्ट, कुशल कारीगरों के प्रशिक्षण की स्कीम और दिल्ली में उनके रहने की व्यवस्था आदि। सन 1941 में एक बैठक हुई जिसमें समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों में श्रम मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के निष्कर्ष और बेविन प्रशिक्षण स्कीम के अधीन तकनीकी प्रशिक्षण की प्रगति भी सम्मिलित थी। सन् 1942 में एक बैठक हुई थी और उसके तुरंत बाद भी एक बैठक हुई थी जिसे स्थगित कर दिया गया था। श्रम मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन की कार्यवाही कुछ विषयों पर नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के विचारों का सार संक्षेप, दिल्ली और शिमला में भवन-निर्माण कार्यक्रम, ट्रेड यूनियनों की मान्यता संबंधी प्रस्ताव, बेविन प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण में की गई प्रगति और राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कार्मिक) अध्यादेश, 1940 में संशोधन आदि विषय समिति की बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। मेरा विश्वास है कि यह कोई नहीं कह सकता कि यह विभाग समिति के समक्ष ऐसी बातें नहीं रखता जो कि महत्वपूर्ण और श्रमिकों के हित की हैं।

अब तो दूसरी बात मैं सदन के सम्मुख पेश करना चाहूंगा वह यह है कि श्रम विभाग को परामर्श देने वाली समिति एक यही नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने अब एक पूर्ण सम्मेलन की स्थापना की है, जिसमें केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि, नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं और जो बड़े पैमाने पर सम्मेलन में भाग लेते हैं। माननीय डॉ. बनर्जी द्वारा सुझाई गई इतनी बड़ी वृद्धि की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त, हमारे यहां एक स्थायी श्रम सलाहकार समिति भी है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का यदि कोई मामला बनता भी था तो वह पूर्ण सम्मेलन के गठन के कारण और स्थायी श्रम समिति के कारण अब दब गया है। फिर भी, यदि मेरे माननीय मित्र का ऐसा सोचना है कि समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तो मैं यह संख्या आठ तक बढ़ाने को तैयार हूँ - इसमें से पांच सदस्य इस सदन के होंगे और तीन ऊपरले सदन के। मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के मेरे माननीय मित्रगण इससे संतुष्ट होंगे।

श्री एच. आर. साथर एच. एसाक सेट (पश्चिमी घाट और नीलगिरि : मुस्लिम) : क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि इस समिति के सदस्य पूर्ण सम्मेलन के सदस्य हैं या नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनमें से कुछ जैसे श्री मेहता और श्री जोशी, इस सम्मेलन और स्थायी समिति दोनों के सदस्य हैं।

श्री एच. आर. साथर एच. एसाक सेट : क्या वे पूर्ण सम्मेलन के पदेन सदस्य हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, वे अपने-अपने संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी (तिरहुत डिवीजन : मुस्लिम) : महोदय, युद्ध की स्थिति देखते हुए, इस श्रम समिति का होना परमावश्यक हो गया है। यह श्रमिक समस्याओं का समाधान करती है। इसके अतिरिक्त यह समिति, जैसा कि मेरे माननीय प्रभारी सदस्य ने कहा है, अनेक अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार भी करती है जैसे भवन-निर्माण संबंधी बातें.....।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय श्रम सदस्य ने अभी-अभी यह बात कही है।

प्रश्न है :

“कि यह सभा ऐसी रीति से जो माननीय अध्यक्ष निर्दिष्ट करें स्थायी समिति में कार्य करने के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्य निर्वाचित करें, जो उन विषयों पर जिनसे श्रम विभाग संबंधित है, सलाह दें”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : महोदय, अपने माननीय मित्र श्री जोशी की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह उचित जान पड़ता है कि मैं उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करूं। एक तरह से श्री जोशी की टिप्पणी असंगत प्रतीत होती है। हम चाय नियंत्रण अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं और प्रत्यक्षतः यहां श्रमिकों की स्थिति की चर्चा करना पूर्ण रूप से अप्रासंगिक होगा। किन्तु इस प्रश्न से एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए यह स्वीकार करना होगा कि जब राज्य से यह कहा जा रहा है कि मांग पूर्ति के सिद्धांत को लागू करने से किसी उद्योग पर लंबित रखा जाए, तब यह उचित ही है कि ऐसे लोग जो श्रमिकों में अभिरुचि रखते हैं यह कहें कि उनके हितों की रक्षा की जाए। और यह मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि इस बिंदु पर सरकार की ओर से उत्तर आना आवश्यक है।

महोदय, पहली बात तो श्री जोशी ने कही है वह यह है कि श्रम संबंधी रॉयल कमीशन की रिपोर्ट को आए बारह वर्ष से अधिक गुजर चुके हैं और भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों के संबंध में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी सरकार के लिए ऐसे रॉयल कमीशन की, जिसे इस विषय की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बारह वर्ष का समय एक लंबी अवधि है। परंतु मैं समझता हूं कि उन तथ्यों के पेशेनजर जो मैं अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में कहना चाहता हूं कि श्री जोशी और यह सदन इस बात को महसूस करेंगे कि भारत सरकार के माथे बहुत गंभीर दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य को याद होगा श्रम विधेयक रॉयल कमीशन ने पांच सिफारिशें, चाय बागानों के संबंध में की थी। पहली सिफारिश यह थी कि असम श्रमिक उत्प्रवासी अधिनियम निरसित किया जाए और ऐसा अधि नियम पारित किया जाए जिसमें श्रमिक के लिए इससे अधिक सुविधाएं दी गई हों। दूसरी सिफारिश श्रमिकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए मजदूरी बोर्ड स्थापित

करने के संबंध में थी। तीसरी सिफारिश श्रमिकों के कल्याण के लिए सुविधाजनक क्षेत्रों में ऐसा स्वास्थ्य बोर्ड स्थापित करने की थी जिसे पीने का पानी, सफाई, जल निकासी, स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्राप्त हो। चौथी सिफारिश यह थी कि श्रमिकों को नियमित रूप से शीघ्र पारिश्रमिक भुगतान करने और उन्हें दिए गए अग्रिम भुगतान से कटौती करने संबंधी प्रावधान चाय बागान के श्रमिकों को भी उपलब्ध होने चाहिए। अंतिम सिफारिश थी कि चाय बागानों को जनता तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाएं।

इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये सिफारिशों की गई थी तब भारत सरकार ने बिना समय बर्बाद किए इन सिफारिशों की समीक्षा यह पता लगाने के लिए की कि इन सिफारिशों से निबटने के लिए कौन सा समुचित प्राधिकरण हो सकता है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सिवाय पहली सिफारिश के, जिसका संबंध उत्प्रवास अधिनियम को निरसित करने और उसे दूसरे अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने से था, अन्य सभी सिफारिशों वैध दृष्टि से मूलतः स्थानीय रूप से निबटाने योग्य थीं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इस बात को लेकर विरोध प्रकट करेगा कि इन सिफारिशों के मुताल्लिक दायित्वों को बांटने में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया रवैया सही नहीं था। मेरा निवेदन यह है कि रॉयल श्रम कमीशन की सिफारिशों के संबंध में जो निर्णय भारत सरकार ने लिया था उसके अनुसरण में उसने असम सरकार को यह सूचना देते हुए तुरंत एक पत्र लिखा कि स्थानीय सरकार को अन्य सिफारिशों के संबंध में कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी जाती है और जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं, भारत सरकार ने बिना समय खोए इस विषय में अधिनियम पारित करने की कार्रवाई भी की, जो कानूनी पुस्तक में दर्ज है और इसके अंदर रॉयल श्रम कमीशन की पहली सिफारिश आ गई है। महोदय, दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों के चलते, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है, असम की स्थानीय सरकार इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। और, यदि मुझे ऐसा कहने की इजाजत हो, तो मेरे माननीय मित्र श्री जोशी ने भी, यद्यपि वे सिफारिश की जाने के समय से बराबर इस सदन में रहे हैं, कभी इस प्रश्न को लेकर कोई कदम न तो उठाया और न ही उठा रहे हैं। परंतु, महोदय, मैं इसका श्रेय भारत सरकार को देना चाहता हूं कि उसने वास्तव में इस ओर भी कदम उठाया। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जब सन् 1938 में चाय नियंत्रण अधिनियम को उसकी अवधि बढ़ाने के लिए विधानमंडल में पेश किया गया तो भारत सरकार ने पहल करके चाय बागान उद्योग के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वह बागान श्रमिकों की दशा की जांच-पड़ताल करे। मेरे माननीय मित्र, श्री ग्रिफथ और सर फ्रेड्रिक जेम्स को स्मरण होगा कि श्रम विभाग और बागान मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन भी हुआ था।

मौलाना जफर अली खां : भारत सरकार ने इस विषय में कोई कदम नहीं उठाने के लिए असम सरकार से जवाबतलब क्यों नहीं किया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का जवाब उस समय के इस विभाग के प्रभारी माननीय सदस्य द्वारा दिया गया होगा। मैं तो कल ही आया हूँ और मैं इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं रखता। माननीय मित्र श्री जोशी ने जो प्रश्न उठाया है, हम तो उस पर विचार कर रहे हैं - कि सिफारिशों की शर्तों के संबंध में पूछताछ करने का समय आया है या नहीं। महोदय, मैं पाता हूँ कि बात जब लगभग निर्णय की ओर बढ़ रही थी तब नई असम सरकार ने, जो कि कांग्रेस सरकार थी, इसमें उंगली डालना उचित समझा और एक संकल्प के द्वारा 23 मई, 1939को एक समिति का गठन किया। यह स्वाभाविक है कि असम सरकार द्वारा उठाए गए कदम के परिणामस्वरूप भारत सरकार अपना हाथ इस क्षेत्र से बहार खींच ले जिसको उसने स्थानीय सरकार को मूल पत्र की शर्तों के द्वारा सौंप दिया था। चूंकि मेरे माननीय मित्र श्री जोशी ने यह प्रश्न उठाया है मैं यह कहने के लिए तो तैयार नहीं हूँ कि वास्तविक कारण क्या था, परंतु ऐसा लगता है कि समिति सदस्यों के बीच कोई टकराव था और यह टकराव लगभग संघर्ष में बदल गया जिसके फलस्वरूप समिति के कार्य को निलंबित करना पड़ा अंततोगत्वा, असम सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बस उन्होंने इतना भर किया कि एक अधिसूचना यह बताते हुए जारी की कि क्या हुआ और किन कारणों से समिति को निलंबित करना पड़ा। 1 जुलाई, 1939 के अंत तक बातें यहां तक पहुंची कि अब इसके कुछ महीनों पश्चात ही युद्ध की घोषणा कर दी गई और अब किसी के लिए, चाहे वह स्थानीय सरकार हो या केंद्रीय सरकार हों, इस बात की जांच-पड़ताल प्रारंभ करना असंभव है। मेरा विश्वास है इन परिस्थितियों से श्री जोशी मानेंगे कि भारत सरकार वास्तव में अपनी ओर से किसी प्रकार की अकर्मण्यता के लिए उत्तरदायी नहीं है।

जहां तक मुख्य प्रश्न का सवाल है कि सरकार श्रमिकों के हित की सुरक्षा करने की आवश्यकता समझती हैं या नहीं, मैं सीधे यह कहते हुए जवाब दूंगा कि सरकार इस प्रश्न को सर्वोच्च महत्व का प्रश्न समझती है। मैं बागान में कार्यरत श्रमिकों की अवस्था के प्रश्न के भीतर नहीं जाना चाहता हूँ। समाचार पत्रों से विभिन्न प्रकार के आंकड़े हमें सुनने में आते हैं, ये ब्यौरे श्रीलंका में दी जा रही मजदूरी और असम चाय बागान में दी जा रही मजदूरी के संबंध में होते हैं। मैं मजदूरी आदि संबंधी इन दोनों वर्गों के आंकड़ों को सरकार की ओर से पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि हमें सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिसका कारण यह है कि इस विषय में अभी तक कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। परंतु एक बात मैं कहूंगा कि चाय-बागानों में परिस्थितियों को विनियमित नहीं किया गया है और वे बड़े पैमाने

पर एक जगह से दूसरी जगह बदली हुई हैं। कार्य की शर्तों और अवस्थाओं में कोई सामान्य और एकरूप मानक नहीं होता। भारत सरकार नहीं सोचती है कि यह ऐसे हालात हैं जिन्हें वह बर्दाश्त कर सकती है। यह भी स्पष्ट है कि हम तब तक किसी विधि निर्माण की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते जब तक कि किसी निष्पक्ष जांच द्वारा इसके लिए पर्याप्त सामग्री हमारे सामने नहीं आ जाती। यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसे यह कहा जाए कि भारत सरकार ने ऐसे कदमों को बाधित करने के उद्देश्य से दूँड निकाला है जो बागान के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए जा सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री जोशी स्वयं याद करेंगे कि रॉयल श्रम कमीशन द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों में से यह भी एक था। रॉयल कमीशन ने सिफारिश करते समय यह परंतुक जोड़ा था कि उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने से पहले बागानों में विद्यमान परिस्थितियों की विशेष जांच कर ली जानी चाहिए। अब, महोदय, भारत सरकार को इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी जांच अवश्य की जानी चाहिए। सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यह कहने को तैयार हूँ कि सरकार यह सोच रही है कि श्रम कल्याण संबंधी समुचित मानदंड बागानों में अवश्य लागू किए जाएं। इससे बचा नहीं जा सकता; मेरे माननीय मित्र श्री जोशी ने जो कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। भारत सरकार यह नहीं कर सकती कि श्रीलंका पर तो मजदूरी की उचित शर्तें एक पूर्वगामी उदाहरण के रूप में लागू करें, पर श्रमिकों के लिए वहीं मानदंड भारत में लागू किए जाएं। विभिन्न अध्यादेशों के द्वारा भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि जहां कहीं श्रमिकों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है वहां भारत सरकार आश्वस्त करेगी कि श्रमिकों को काम की सुकर दशाएं मुहैया कराई जाएं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बहुत पहले बागानों की जो कुछ भी स्थितियां रही हों, अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि वे मजदूरी के ऐसे मानकों को भार वहन कर सकते हैं, जो बोर्ड उन पर अधिरोपित करें। अतः अब मात्र यह प्रश्न उठता है कि क्या हम इस समय में कोई जांच बिठा सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री जोशी और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे विचारों में इन दोनों प्रश्नों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उदाहरण के लिए, समुचित मानदंड अवश्य निर्धारित किए जाएं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री जोशी और सदन के अन्य माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, चाय बागानों का बहुत बड़ा भाग भारत के पूर्वी, कोने, असम और बंगाल में स्थित है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह क्षेत्र दुश्मनों की कार्रवाई के लिए एकदम खुला हुआ है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस भू-भाग में आरंभ की जाने वाली किसी भी जांच का प्रभाव विक्षोभ पैदा करने वाला होगा। अतः जो एकमात्र प्रश्न रह जाता है वह यह है कि क्या हम ऐसे चाय बागानों में जो दक्षिण भारत में स्थित हैं यह जांच शुरू कर सकते हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि किस तरह उत्तरी और दक्षिणी भारत में चाय बागान विभाजित हैं। आंकड़े जो मेरे पास हैं और जिनका संबंध सन् 1941 से है, दिखलाते हैं कि, जहां तक चाय बागानों

के क्षेत्रफल का संबंध है उत्तरी भारत में यह क्षेत्रफल 607,000 एकड़ और दक्षिणी भारत में केवल 163,132 एकड़ हैं। जहां तक चाय-बागानों में नियोजित श्रमिकों का संबंध है, उत्तरी भारत में नियोजित श्रमिकों की संख्या 773,969 है जब कि दक्षिण भारत में नियोजित श्रमिकों की संख्या 144,385 है।

सर एफ. ई. जेम्स (मद्रास : यूरोपीय): यह केवल चाय से संबंधित है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हां, हम केवल चाय की बात कर रहे हैं। इन आंकड़ों से जो मैंने प्रस्तुत किए हैं, यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के चाय-बागान भारत में चाय बागान उद्योग का बहुत छोटा अंश हैं।

मौलाना जफर अली खां : असम में इसका क्षेत्रफल क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उत्तर और दक्षिण को ले रहा हूं, अलग से असम को नहीं ले रहा। असम उत्तरी भारत में सम्मिलित है। इन आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि दक्षिण भारत के चाय बागानों में लगी जनसंख्या इस देश के चाय बागानों में कार्यरत कुल जनसंख्या का बहुत छोटा अंश है।

भारत सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी आंशिक और सीमित जांच करने से न तो इस देश को और न ही श्रमिकों को किसी प्रकार की उपलब्धि होगी। ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध के कारण यह संभव नहीं है कि ऐसी जांच संपूर्ण क्षेत्र में प्रारंभ की जाए। इसलिए कोई भी जांच अनिवार्यतः कुल चाय बागान क्षेत्र के बहुत कम भाग तक सीमित रह जाएगी।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि श्रम का प्रश्न इस प्रस्ताव में महज प्रसंगवश उठा कर आया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे आगे कुछ नहीं कहना है।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या मैं जान सकता हूं कि बागानों के स्वामियों को चाय बिल्कुल न उगाने के लिए बहुत सी धनराशि दी गई है और वह भी उपभोक्ताओं की कीमत पर?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह ऐसा विषय है जिसका संबंध वाणिज्य सचिव से है।

कुछ माननीय सदस्य : अब प्रश्न रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न है :

“कि अब प्रश्न को रखा जाए।”

*युद्ध आहत (मुआवजा बीमा) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि युद्ध से आहत होने वाले कामगारों को मुआवजा देने का दायित्व नियोजकों पर अधिरोपित करने और ऐसे दायित्व के लिए नियोजकों द्वारा बीमा कराने का उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जिसके सदस्य सर विठ्ठल एन. चन्द्रावरकर, श्री एन. एम. जोशी, श्री जमनादास एम. मेहता, श्री डी. एस. जोशी, श्री हुसेनभाई ए. लाल जी, खान बहादुर मियां गुलाम कादित मोहम्मद शमान, श्री सी.सी. मिलर, श्री ई. एल. सी. ग्विल्ट, मौलाना जफर अली खान, श्री यूसुफ अब्दुल्ला हारून, हाजी चौधरी, मुहम्मद इस्माइल खान, श्री एच.ए. साथर, एच. एसाक सेट, श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, श्री आर. आर. गुप्ता और प्रस्तावक होंगे और समिति की बैठक के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यक संख्या पांच होगी और समिति अपनी बैठक शिमला में करने के लिए प्राधिकृत होगी।”

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : क्या माननीय सदस्य ने नाम दे दिए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं अभी सूची दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : नाम पहले ही दिए जाने चाहिए थे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों तक यह संदेश ले जाने में मुझे सदन का अधिक समय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विधेयक के तीन मुख्य उपबंध हैं। यह विधेयक ऐसे कामगारों को जो युद्ध के आघातों के शिकार हुए हैं मुआवजा देने का उपबंध करता है। विधेयक का दूसरा उद्देश्य है नियोजकों को ऐसे मुआवजे के लिए उत्तरदायी बनाना और तीसरा उद्देश्य है नियोजकों पर अधिरोपित दायित्वों के लिए उन्हें बीमा करने के लिए मजबूर करना।

अब मुआवजे के प्रश्न को लेते हुए मैं जिस मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि यह विधेयक एक संबद्ध उपाय है। यह कामगार मुआवजा अधिनियम से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक का युद्ध आघात अध्यादेश से, जिसकी ओर मैंने पहले ही इशारा किया है, संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि युद्ध आहत अध्यादेश, 1941 परिभाषित करता है कि मुआवजे के लिए पात्र आघात क्या हैं। इस अध्यादेश में ऐसे आघातों को वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत विधेयक में युद्ध आघात अध्यादेश में यथापरिभाषित पात्र आघातों की परिधि और सीमाओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। जहां तक प्रस्तुत विधेयक का कामगार मुआवजा अधिनियम से संबंध का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को यह संबंध इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि इस विधेयक में युद्ध से क्षतिग्रस्त लोगों के लिए जो मुआवजा राशियां नियत की गई हैं वे कमाबेश उसी मापमान पर आधारित हैं जो कामगार मुआवजा अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं।

महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि युद्ध आहत अध्यादेश, 1941 के पारित होने के पश्चात एक प्रश्न उठाया गया - ऐसा प्रश्न जिसमें कुछ दम है और अगर मैं कहूँ तो महत्वपूर्ण भी है। यह प्रश्न है कि क्या किसी कामगार को जो दुर्भाग्यवश ऐसा आघात उठा चुका है जिसे पात्र आघात कहते हैं, किया जाने वाला भुगतान राहत के रूप में होगा या मुआवजे के रूप में होगा। मुआवजा और राहत के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट है। राहत किसी व्यक्ति को ऐसी दिक्कतों, जिसमें वह फंस चुका है, से उबरने के लिए मात्र मदद के रूप में दी जाती है क्योंकि युद्ध की क्षति से आक्रांत होने के कारण वह सामान्य मजदूरी अर्जित कर पाने से अक्षम होता है। दूसरी ओर कामगार मुआवजा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया गया भुगतान ऐसा संदाय है जो आहत व्यक्ति को क्षति की पूर्णतः प्रतिपूर्ति करता है। जब यह प्रश्न उठाया गया तब इंग्लैंड में प्रचलित किन्हीं शर्तों का उल्लेख किया गया था और यह पाया गया कि ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जो युद्ध आहत प्रकीर्ण अधिनियम, 1936 के नाम से जाना जाता है। इस अंग्रेजी विधान के उपबंधों की जांच से पाया गया कि उस अधिनियम के अधीन जो भुगतान किया जाता है वह मुआवजे के बराबर है और मात्र राहत नहीं है। स्पष्टतः यह प्रश्न उठा कि क्या भारत सरकार के लिए उन सिद्धांतों का, जो ब्रिटिश कानूनों में अधिकथित किए गए हैं, अनुकरण करना वांछनीय है या नहीं है। दूसरे, कुछ नियोजकों ने युद्ध आघात अध्यादेश, 1941 के पारित किए जाने के पश्चात अपने आप भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपना दृष्टिकोण जाहिर किया था कि युद्ध आघात अध्यादेश में किए गए उपबंध श्रमिकों के नैतिक बल को बनाए रखने के

लिए अपर्याप्त हैं और भुगतान ऐसा किया जाना चाहिए कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक अपने कार्य से विचलित न हों। इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने कामगारों को उस राशि के बदले जिसे आरंभ में राहत के रूप में दिया जाना था मुआवजा देने के सिद्धांत को मान लिया।

युद्ध आहत अध्यादेश के उपबंधों की जांच करने पर यह पता चला कि इस अध्यादेश के अधीन भुगतान की जाने वाली 24 रुपए के स्तर की रकम न केवल राहत था बल्कि मुआवजा भी थी। अतः यह आवश्यक है कि जो कामगार 24 रुपए की रकम से अधिक वेतन पा रहे हैं उन्हें अतिरिक्त रिबेट दी जाए, जो उन्हें दी राशि को मुआवजे के बराबर कर दे। अर्थात्, जो राशि वह अध्यादेश के अधीन पाता है, उसकी अनुपूरक वह रकम होगी। यह ऐसा उपाय है जिसे अनुपूरक उपाय कहा जा सकता है जो युद्ध आघात अध्यादेश, 1941 का अनुपूरक है।

सदन को मुख्य उपबंध अर्थात् मुआवजे की बात स्पष्ट करने के बाद और यह बतलाने के बाद कि किस तरह यह विधेयक आहत अध्यादेश और कामगार मुआवजा अधिनियम से संबंधित है, और सदन को वह कारण जिसके चलते भारत सरकार यह अनुपूरक विधेयक लाने को बाध्य हुई है, स्पष्ट करने के बाद, मैं अब विधेयक का दूसरा मुख्य उपबंध स्पष्ट करने की ओर बढ़ूंगा। यह दूसरा उपबंध नियोजक को ऐसे मुआवजे के लिए उत्तरदायी बनाने के संबंध में है। यह कहा जा सकता है कि युद्ध आहत अध्यादेश के उपबंधों के अधीन चूंकि सरकार राहत देने का दायित्व अपने ऊपर लेती थी, अतः सरकार को उसी तरह मुआवजा उन लोगों को देने का दायित्व भी लेना चाहिए जिन पर कि प्रस्तुत विधेयक लागू होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के लिए ऐसा दायित्व लेना संभव नहीं है जो मामले की परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है क्योंकि भारत में इस समय जो स्थिति है वही रही आई तो कोई दायित्व ही नहीं होगा। या, यदि परिस्थिति बिगड़ती है, तो दायित्व बिल्कुल अनिश्चित होगा, और भारत सरकार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह का अनिश्चित दायित्व लेने को सरकार से नहीं कहा जा सकता है कि सरकार इस मामले में दायित्व नहीं ग्रहण कर रही है क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस दायित्व के द्वारा नियोजक जो कुछ मुआवजा देने को बाध्य होगा वह निस्संदेह ई.पी.टी. के अधीन अनुज्ञेय राजस्व व्यय माना जाएगा और परिणामतः इसका मुख्य भार अंततोगत्वा सरकारी खजाने पर पड़ेगा।

मैं यहां यह भी उल्लेख कर दूँ कि जब भारत सरकार का प्रयास नियोजकों पर यह दायित्व थोपने का है, तो वह अपने ही कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व को

नजरअंदाज नहीं कर रही है। माननीय सदस्यगण इसमें ऐसी धारा पाएंगे जिसमें कहा गया है कि यह विधेयक 'क्राउन' के सेवकों अथवा फेडरल रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। परन्तु उसका यह मतलब नहीं है कि इन कर्मचारियों को विधेयक में उपबन्धित फायदों के समान लाभ प्राप्त नहीं होगा। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि फेडरल रेलवे वालों ने और भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को बताया कि वे अतिरिक्त पेंशन के उन उपबन्धों का विस्तार उन तक करने को तैयार हैं जैसा कि सिविल सेवा विनियमों और कानूनी नियमों में, जिनसे रेल सेवा में नियोजित कर्मचारी शासित होते हैं, अंतर्विष्ट है।

अब महोदय, तीसरा उपबन्ध जिसमें नियोजकों पर अधिरोपित किए गए दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला गया है, बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा उपबन्ध है। ऐसा उपबन्ध करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामगारों को सदा वह मुआवजा मिलता रहे जिसके लिए इस विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है। ऐसा संभव है, जिसका एहसास सदन को होगा, कि यदि कोई कारखाना बम के द्वारा ध्वस्त होता है और नियोजक की आस्तियां नष्ट हो जाती हैं और ऐसा कोई उपबन्ध जैसा कि इस विधेयक द्वारा किया जाने वाला है अस्तित्व में है, तो भी कामगारों को अधिनियम में प्राप्त लाभ के होते हुए भी, अंतिम विश्लेषण में कामगार ऐसी स्थिति में पड़ जाए जहां उन्हें कोई मुआवजा पाने का अवसर ही न हो। अतः कामगार को बीमा की गारंटी दी गई है जिससे कि सभी परिस्थितियों में वे लाभ जो विधेयक उसे देने जा रहा है, उसे प्राप्त होंगे यदि वह ऐसी दुर्भाग्यजनक स्थिति में पड़कर युद्ध से आहत हो जाए। इस पद्धति को कुछ निम्न प्रकार से क्रियात्मक रूप दिया जाएगा। विधेयक की शर्तों के अनुसार पहले नियोजक द्वारा कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। नियोजक को प्रतिपूर्ति उस बीमा-निधि से की जाएगी जो सरकार द्वारा प्रबन्धित होगी। इस बीमा-निधि में नियोजक उस प्रीमियम का अंशदान करेगा जिसका निर्धारण युद्ध के अंत में कुल दायित्व का आकलन के बाद किया जाएगा। इस बीच, सरकार नियोजकों से अंतिम प्रीमियम के एवज में, जिसका निर्धारण युद्ध के बाद किया जाएगा, अग्रिम वसूली करती रहेगी। अग्रिम की मात्रा तिमाही से तिमाही बदलती रहेगी। पहली तिमाही में अग्रिम की राशि प्रति एक सौ मजदूरी बिल आठ आने से अधिक नहीं होगी। बाद की तिमाहियों में यह रकम बकाया दायित्वों के आधार पर बदलती रहेगी। ऐसा हो सकता है कि पूर्ववर्ती तिमाही में कोई युद्ध आघात न पहुंचा हो। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि नियोजक से कोई अग्रिम नहीं लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, इस बीमा स्कीम का लाभ यह है कि यह कामगार को भुगतान सुनिश्चित करती है। दूसरे, खतरे के प्रभाव का वितरण उन क्षेत्रों तक हो जाता है जहां किसी आक्रमण का खतरा कम है। ऐसे क्षेत्र भी, वहां रह रहे और काम कर रहे कामगारों

को मुआवजे के भुगतान में अंशदान करेंगे। तीसरे, इसका भार भी समानुपाती है, क्योंकि यह प्रत्येक नियोजक के मजदूरी बिल पर आधारित है।

अतः, महोदय, यह स्पष्ट होगा कि यह विधेयक एक बहुत ही सरल विधान है। मैं यह भी कहूंगा कि यह विवाद-रहित उपाय है। सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि विधेयक का विचार 1942 के आरंभ में बंबई स्थित मिल-मालिकों के संघ से आया। भारत सरकार के पास सुझाव भेजने के पश्चात अप्रैल, 1942 में श्रम विभाग के सचिव सर हेनरी रिचर्डसन और सर फ्रेड्रिक जेम्स, मि. हेडो, मि. ग्विल्ट और मि. हुसैन भाई लाल जी के बीच एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था। इनके सुझाव पर नियोजकों से परामर्श किया गया। दो नियोजक संगठनों से बातचीत की गई तथा दो अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठनों ने इस उपाय का पूर्णतः समर्थन किया। जहां तक नियोजकों के फेडरेशन का संबंध है, दुर्भाग्यवश इस संगठन में भिन्नता थी। उनमें से कुछ इसके पक्ष में है जबकि अन्य विरोध में। जहां तक श्रमिक प्रतिनिधित्व का संबंध है, स्थायी श्रमिक समिति ने इस उपाय की अनुशंसा सर्वसम्मति से की है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस विधेयक के उपबंधों को पूर्णतः सदन को समझाने के लिए किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत है। महोदय, अपनी इन टिप्पणियों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे यह जानकार खुशी हो रही है कि इस प्रस्ताव को जिसे प्रस्तुत करने का आज सुबह मुझे अवसर मिला इतना व्यापक समर्थन मिल रहा है। आलोचना में जो शब्द कहे गए हैं वे आश्चर्यजनक रूप से बहुत थोड़े हैं और उनमें से अधिकतर मेरे माननीय मित्रगण श्री मिलर और श्री जोशी ने कहे हैं। माननीय मित्र श्री मिलर ने कहा है कि यह जरूरी है कि इस विधेयक के संबंध में सरकार और अधिक जानकारी दे। ऐसी सूचनाएं देने में मुझे बराबर खुशी होगी यदि वे कृपा कर यह बताएं कि उनके मन में किस बात की चिंता है। उनके द्वारा एक और प्रश्न उठाया गया कि उनके मन में भेदभाव की कतिपय आशंका उठी है कि युद्ध आहत अध्यादेश के अधीन दिए जाने वाली दरों और प्रस्तुत विधेयक में प्रस्तावित दरों में अंतर है। इसके संबंध में मेरा कहना है कि वे गलतफहमी में हैं क्योंकि, जैसा मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है, इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में उन लोगों की स्थिति को बराबरी पर लाना है जो आहत अध्यादेश के अधीन आते हैं और जो इस समय प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत आते हैं। जैसा मैंने कहा था, युद्ध

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 2, 31 मार्च, 1943, पृष्ठ 1659-61

आहत व्यक्तियों को दी जाने वाली दरों की जांच करने पर हमने पाया कि जो लोग चौबीस रुपए और उससे ऊपर पाते हैं उन्हें राहत दी जाती है और जो लोग चौबीस रुपए और उससे निम्न मजदूरी पाते हैं उन्हें मुआवजा दिया जाता है और अभी इस विधेयक के द्वारा हम जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह उन लोगों को भी मुआवजा देने का है जो चौबीस रुपए से ऊपर पाते हैं। अतः मेरे माननीय मित्र यह देख सकेंगे कि हम भेदभाव नहीं कर रहे। हम तो उन सभी कामगारों की स्थिति को समान बनाने जा रहे हैं जिन पर से दोनों कानून लागू होंगे। मैं जो मुद्दा मेरे माननीय मित्र श्री मिलर ने उठाया। उसकी प्रशंसा करता हूँ अर्थात् यह कि यह विधेयक कतिपय ऐसे कामगारों या कामगारों की ऐसी श्रेणियों तक सीमित है जिन्हें खंड (5) में परिभाषित किया गया है। यह बात विधेयक के उपबंधों से स्वतः बहुत स्पष्ट है। किन्तु जैसा मैंने कहा था, दो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे सभी प्रकार के कामगारों पर लागू नहीं कर सकती। पहली यह कि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि सभी कामगारों को मुआवजा देने का दायित्व वह अपने ऊपर ले और दूसरी यह कि बीमा की कोई स्कीम जिसे सरकार चालू करती है प्रशासनिक रूप से चलाने योग्य अवश्य होने चाहिए। निष्कर्ष यह है कि सरकार सभी किस्म के कामगारों को समेटने का भार नहीं संभाल सकती क्योंकि, जैसा मैंने कहा, सरकार की क्षमता से कहीं अधिक क्षमता की अपेक्षा रखने वाला ये दायित्व है। यह स्कीम प्रशासनिक रूप से कार्यक्षम नहीं होगी। बीमा की स्कीम चलाई जा सके इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि हम नियोजक को खोजें जिसके ऊपर यह दायित्व निश्चित रूप से डाला जा सके और जिससे हम प्रीमियम वसूल सकें। सामान्य जनसंख्या के मामले में, ऐसे व्यक्ति को दूढ़ निकालना जिस पर यह दायित्व लादा जा सके और जिससे प्रीमियम की मांग की जा सके, संभव नहीं है। यही कारण है कि इस स्कीम को ऐसे कतिपय कामगारों की श्रेणियों तक सीमित करना पड़ा है जिन्हें खंड 5 में परिभाषित किया गया है। मेरे माननीय मित्र श्री मिजर कहते हैं कि खण्ड 5 में परिभाषित कामगारों की श्रेणियों तक स्कीम को सीमित करने के संबंध में हमने कोई औचित्य नहीं दर्शाया है। कुछ उत्तर जो मैं उन्हें देता वे मेरे माननीय मित्र श्री जोशी पहले ही दे चुके हैं और मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। ये उत्तर वस्तुतः उद्देश्यों और कारणों के विवरण में देखे जा सकते हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा दो में वह स्पष्ट है कि उन्हें कारखानों और अन्य औद्योगिक कारोबारों में खतरा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह पर्याप्त स्पष्ट कारण है जो उनसे परिभाषित कामगारों की श्रेणियों तक सीमित करने के लिए दिया जा सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कारखाने और उद्योग दुश्मनों के आक्रमण के सीधे निशान होते हैं तथा इनमें काम करने वाले लोगों को सामान्य जनता की अपेक्षा अधिक खतरा है।

माननीय मित्र श्री जोशी द्वारा प्रश्न उठाया गया कि यह विधेयक सभी कामगारों पर लागू नहीं होता है और उन्होंने दो विशेष मामलों का उल्लेख किया इच्छा जाहिर की कि इस विधेयक के उपबंधों का विस्तार असम के चाय बागानों में काम कर रहे कामगारों और सागर नाविकों तक किया जाए। इसके संबंध में मुझे कहना है कि निस्संदेह ये मामले ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ खास उत्तर की आवश्यकता है। महोदय, श्रीमान जोशी की आलोचना के सामान्य उत्तर में खासकर इन दो बिंदुओं के संबंध में मुझे कहना है कि सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि उन्होंने क्या कहा है कि सही कारण है कि खंड 5 के साथ उपखंड (ग) जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से सरकार ने यह शक्ति अपने पास आरक्षित कर ली है कि इस विधेयक के उपबंधों को किसी दूसरे नियोजन में नियोजित अन्य कामगारों तक विस्तारित किया जा सके। सरकार यह नहीं मानती है कि कामगारों की जो कोटियां परिभाषित की गई हैं वे अंतिम हैं और इसमें अन्यो को शामिल नहीं किया जा सकेगा।

डॉ. पी. एन. बनर्जी : ये पूरी नहीं हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ये पूरी नहीं हैं, और इसीलिए यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सरकार को यह स्पष्ट झलकने लगता है कि विधेयक के उपबंधों को अन्य नियोजनों में कार्यरत कामगारों तक विस्तारित किया जाए तो सरकार निस्संदेह उस पर विचार करेगी।

असम से संबंधित प्रश्न के विषय में जो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा वह यह है कि जैसा मैंने कहा, हम इस विधेयक को ऐसे कामगारों तक सीमित रख रहे हैं जो ऐसे स्थानों में रह रहे हैं जिन्हें असुरक्षित केंद्र कहा जा सकता है। मेरे विचार से, और प्राप्त हुई सूचनाओं के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि चाय बागान भी ऐसे असुरक्षित केंद्रों में आते हैं। यदि किसी समय ऐसा होता है कि चाय बागान असुरक्षित केंद्र बन जाते हैं और उन पर खतरा मंडराने लगता है तब इसमें संदेह नहीं है कि या तो श्री जोशी इस विषय को उठाएंगे या सरकार इसके प्रति खबरदार होगी और ऐसा उपाय करेगी कि इस विधेयक के उपबंधों का विस्तार असम के श्रमिक तक किया जाए।

जहां तक सागर नाविकों का प्रश्न है, मैं समझता हूं, वाणिज्य विभाग ने इस विषय को उठाया था और मुझे मालूम हुआ कि इस संबंध में कोई प्रावधान पहले से विद्यमान है जिसके अंतर्गत उन्हें प्राप्त होने वाला लाभ यदि इतना न भी हो जो इस विधेयक में सन्निविष्ट है, तो भी वह कम से कम हमारी इस स्कीम से मिलता-जुलता अवश्य है। यदि मेरे माननीय मित्र श्री जोशी सोचते हैं कि प्रवर समिति द्वारा इसकी जांच कर ऐसा उपबंध करना वांछनीय है जो इस विधेयक के मुख्य लक्षणों और

स्वरूप से मेल खाता हो तो निश्चय ही मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा कि प्रवर समिति में इस पर विचार किया जाए।

मेरे माननीय मित्र श्री मिलर ने विधेयक के एक या दो खंडों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पहला उपबंध 5(3) है। इस संबंध में मैंने अपना उत्तर दे दिया है कि सरकार ने सावधानी बरतते हुए जानबूझकर यह उपखंड जोड़ा है क्योंकि सरकार समझती है कि ऐसा औचित्य उभर सकता है कि इस विधेयक के उपबंधों का विस्तार करना पड़े।

दूसरी धारा जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया है, वह धारा 10 का उपखंड (3) है। उनकी आलोचना का बिंदु था कि सरकार इस उपबंध के द्वारा यह विचार कर रही है कि यदि कोष में से कोई राशि शेष रह जाती है तो इस राशि को सामान्य राजस्व में अंतरित कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ श्री मिलर का कहना यह था कि भारत सरकार की यह नीति मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित नहीं है। किंतु यदि श्री मिलर इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूँ, अर्थात् कि ऐसा धन जो प्रीमियम के रूप में नियोजकों द्वारा इस निधि में डाला जाएगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा ई.पी.टी. से निकल आएगा, तो ऐसी हालत में केवल यही उचित है कि सरकार ऐसे अतिशेष की वसीयतदार बनें। महोदय, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री ई. एल. सी. गिवल्ट (बंबई : यूरोपीय): क्या मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न कर सकता हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि इस स्कीम का आरंभ मिल मालिकों के संघ ने किया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था।

श्री ई. एल. सी. गिवल्ट : उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था कि क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से की जाने के बाद यदि निधि में कोई रकम बच जाती है तो उसका व्यय औद्योगिक अनुसंधान पर किया जाए और ऐसा है तो क्या मेरे माननीय मित्र इस सुझाव पर विचार करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे स्मरण नहीं है, किन्तु मैं इसकी जांच करूंगा।

सभापति महोदय (सैयद गुलाम भीक नायरंग) : प्रश्न यह है :

“कि युद्ध से आहत होने वाले कामगारों को मुआवजा देने का दायित्व नियोजकों पर अधिरोपित करने और ऐसे दायित्व के लिए नियोजकों द्वारा बीमा कराने का उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जिसके सदस्य श्री

विट्ठल एन. चन्द्रावरकर, श्री एन. एम. जोशी, श्री जमनादास एम. मेहता, श्री डी. एस. जोशी, श्री हुसैनभाई ए. लालजी, खान बहादुर, मियां गुलाम कादिर मोहम्मद शमान, श्री सी. सी. मिलर, श्री ई. आई. सी, ग्विल्ट, मौलाना सफर अली खान, श्री यू अब्दुल्ला हारून, हाजी चौधरी मोहम्मद, इस्माइल खान, श्री एच. ए. साथर एच. इसाक सैट, श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, श्री आर. आर. गुप्ता और प्रस्तावक होंगे और समिति की बैठक के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यक संख्या कम से कम पांच होगी और समिति अपनी बैठक शिमला में करने के लिए प्राधिकृत होगी।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कुशल और अर्ध-कुशल कार्मिकों के लिए रोजगार कार्यालय

स्थायी श्रम समिति में विचार-विमर्श

7 और 8 मई को बंबई में स्थायी श्रम समिति की तीसरी बैठक में श्रमिक-कल्याण, युद्ध-उत्पादन, कुशल और अर्धकुशल कार्मिकों, औद्योगिक विवादों तथा श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं पर सांख्यिकीय सूचना एकत्र किए जाने संबंधी प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया। माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, श्रम-सदस्य, ने अध्यक्षता की।

कुशल और अर्धकुशल कार्मिकों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना संबंधी योजना पर आम राय यह बनी कि इस योजना को एक स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाए। रोजगार कार्यालयों से संलग्न सलाहकार समिति में प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि हों - ऐसा भी एक सुझाव स्वीकार किया गया।

सरकारी अनुबंधों में उचित मजदूरी की शर्त जोड़ने के बारे में भी सम्मेलन में विचार किया गया। ये सुझाव भी थे कि लोक-निर्माण विभाग के अनुबंधों के अलावा अन्य अनुबंधों को भी शामिल किया जाए।

श्रम कानून

युद्ध के दौरान श्रम कानून तथा श्रम कल्याण की योजना में सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी और कल्याण आदि पहलुओं पर और भारत में भी वेतन बोर्ड गठित करने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया गया कि सरकार की त्रिपक्षीय सम्मेलन व्यवस्था को श्रमिक कल्याण में मदद करने के लिए एक सलाहकार समिति के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।

* इंडियन इनफार्मेशन, जून 1, 1943 पृष्ठ 431

इस बात पर आम सहमति बनी कि औद्योगिक उपक्रमों में श्रम अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो श्रमिकों के साथ निकट संपर्क में रहें, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनका यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित हो। श्रम अधिकारियों को “बंबई मिल मालिक संघ” की योजना के अनुसार प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई।

इस बैठक में भारत के प्रांतों, राज्यों, नियोजकों तथा कामगारों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों और सलाहकारों ने भाग लिया :-

भारत सरकार : श्री एच. सी. प्रायर, सी. आई. ई, आई.सी.एस, सचिव, श्रम विभाग; डॉ. डी.टी. जैक (सलाहकार); श्री आर. एस. निम्बकार (सलाहकार), सर थ्योडोर ग्रेगोरी (सलाहकार); और श्री डी. एस. जोशी (बैठक के सचिव)।

बंबई : महामहिम राज्यपाल के सलाहकार श्री सी.एस. ब्रिस्टो, सी.आई.ई, आई.सी.एस., श्री जी. बी. कोस्टेन्टाइन, आई.सी.एस. श्रम आयुक्त (सलाहकार)।

बंगाल : श्री ए. ह्यूजेज, आई.सी.एस., श्रम आयुक्त।

संयुक्त प्रांत : श्री जे. ई. पैडली, सी.आई.ई., एम.सी., आई.सी.एस., श्रम आयुक्त

मद्रास और मध्य प्रांत और बरार : राव बहादुर एन. आर. चन्दोरकर, श्रम आयुक्त मध्य प्रांत और बरार,; श्री एफ. आर. ब्रिस्ली, आई.सी.एस., श्रम आयुक्त, मद्रास (सलाहकार)।

पंजाब, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत : श्री ए.पी.ली. मेसूरियर, आई.सी.एस., श्रम आयुक्त, सिंध, श्री अमीनउद्दीन, आई.सी.एस., सचिव; विद्युत और उद्योग विभाग, पंजाब (सलाहकार)।

बिहार, आसाम और उड़ीसा : श्री एस.एन. मजूमदार, आई.सी.एस., श्रम आयुक्त बिहार, श्री ए.एस. रामचन्द्रन पिल्ले, श्रम आयुक्त, आसाम (सलाहकार); श्री एस. सोलोमन, आई.सी.एस., उद्योग निदेशक तथा फ़ैक्टरीज के प्रमुख निरीक्षक, उड़ीसा (सलाहकार)।

चेम्बर आफ़ प्रिंसेज : श्री मकबूल महमूद, सचिव, चैम्बर आफ़ प्रिंसेज।

हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, बड़ौदा, ग्वालियर और होल्कर राज्य : श्री महदी अली मिर्जा, श्रम आयुक्त, हैदराबाद; कर्नल सरदार एम.एन. शितोल, उद्योग, वाणिज्य और संचार मंत्री, ग्वालियर; श्री बी.जी.ए. मुदलियर, श्रम आयुक्त, मैसूर (सलाहकार); श्री ई.आई. चाको, उद्योग निदेशक और श्रम आयुक्त, ट्रावनकोर (सलाहकार); श्री के.आर. धोतीवाला, उद्योग और श्रम निदेशक,

बडौदा (सलाहकार); कप्तान एच.सी. ढान्डा, वाणिज्य मंत्री, होल्कर राज्य (सलाहकार)।

अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी संगठन : सर रहमत-उल्लाह, एम. शिनाय, बंबई; श्री कस्तूरभाई लालभाई, अहमदाबाद; श्री डी.जी. मुलहरकर; दिल्ली (सलाहकार)।

इंफ्लायर्स फ़ैडरेशन आफ इंडिया : सर वी. एन. चन्दावरकर, बंबई; श्री के.डब्ल्यू. मीलिंग, कलकत्ता; श्री ए. एच. बिशप (सलाहकार)।

अन्य नियोजक : दीवान बहादुर सी.एस. रत्नसबपथी मुदलियर, सी.बी.ई., कोयम्बटूर।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस : श्री एन. एम. जोशी, बंबई; श्री फजल इलाही कुर्बान, लाहौर; श्री बी.के. मुकर्जी, लखनऊ (सलाहकार); श्री पी.आर. के. शर्मा, मद्रास (सलाहकार)।

इंडियन फ़ैडरेशन ऑफ लेबर : श्री. एस. गुरुस्वामी, मद्रास; श्री एस.सी. मित्रा, कानपुर; श्री एम.ए. खान, लाहौर (सलाहकार)।

अन्य कामगार : श्री आर.आर. भोले, विधायक (बंबई) पूना।

*भारतीय बॉयलर्स (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

यह विधेयक एक बहुत ही साधारण विधेयक है। यह एक विवाद-रहित विधेयक है और इसमें कोई सिद्धांत का मामला नहीं जुड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरा इस अधिनियम के प्रावधानों की कोई लंबी व्याख्या करने का नहीं है। यह बतलाना पर्याप्त होगा कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण सरकार को इस संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई। संक्षेप में वे परिस्थितियां ये हैं।

23 फरवरी, 1942 को बंबई की एक मिल में बॉयलर दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप बहुत गंभीर जीवन हानि हुई। बंबई सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की खोज के लिए एक जांच समिति बिठाई। जांच के परिणामों से पता चला कि यह दुर्घटना ‘इकोनोमाइजर’ नामक यंत्र के विस्फोट के कारण हुई थी। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बताया गया कि इस ‘इकोनोमाइजर’ की नलिकाएं जिन्हें तकनीकी भाषा में ‘पोषक नलिकाएं’ कहा जाता है क्षरण के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। इस जांच के परिणामों को देखकर सरकार को आश्चर्य हुआ क्योंकि भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 में बॉयलर निरीक्षक के लिए यह प्रावधान है कि वह नियमित रूप से बॉयलर का निरीक्षण करके यह प्रमाणपत्र दे कि बॉयलर्स सही चालू हालत में हैं। अब प्रश्न यह है कि बॉयलर निरीक्षक ने यह जानते हुए कि ‘इकोनोमाइजर’ की पोषक नलिकाएं काम करने लायक नहीं रहीं, किन हालात में इस प्रकार का प्रमाणपत्र दिया। जब नियमों की छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि इंडियन बॉयलर्स एक्ट की धारा 28 के अनुसार बॉयलर निरीक्षक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह बॉयलर की पोषक नलिकाओं या अन्य ऐसे दूसरे यंत्रों की जांच करे और यही वह कारण है

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 29 जुलाई, 1943, पृष्ठ 176-77

कि पोषक नलिकाओं की जांच नहीं की गई थी जिनके कारण वह घातक विस्फोट हुआ। इन कमियों को दूर करने के लिए ही यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

प्रस्तुत विधेयक में दो संशोधन सुझाए गए हैं। पहला संशोधन तो धारा 2 में एक नया खंड (ग ग) शामिल करना है जो स्पष्टीकरण देने वाला उपखंड है। इसके द्वारा एक नई शब्दावली 'पोषक नलिका' जोड़ी गई है और यह परिभाषित करता है कि 'पोषक नलिका' क्या है। दूसरे संशोधन का संबंध जिसे 'वाष्प नलिका' कहा जाता है उसके कार्यक्षेत्र के विस्तार करने से है। आज की यथास्थिति के अनुसार, कानूनी तौर पर 'वाष्प नलिका' का तात्पर्य केवल मुख्य 'वाष्प नलिका' से है और इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद सरकार के लिए धारा 28 के तहत निर्मित नियमों में संशोधन करना संभव हो सकेगा ताकि बॉयलर निरीक्षक पर वाष्प नली के अतिरिक्त पोषक नलिकाओं की जांच करने का अनिवार्य उत्तरदायित्व सौंपा जाए। यही कारण है कि यह विधेयक सदन में लाया गया है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

श्री सी.सी. मिलर (बंगाल : यूरोपीय) मैं केवल एक छोटे से मुद्दे पर माननीय सदस्य से प्रकाश डालने का अनुरोध करता हूँ। इसका संबंध 'पोषक नलिकाओं' जिन्हें 'इकोनोमाइजर' कहा जाता है कि कार्य प्रणाली से है। यह बॉयलर का अभिन्न अंग न होकर एक सहायक अंग है और मैं समझता हूँ कि नलिकाओं में खराबी होने पर भी बॉयलर निरीक्षक कानूनी तौर पर बॉयलर के सही दशा में होने का प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार नहीं कर सकता। यदि मालिक उन पोषक नलिकाओं को निकाल देता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र यह मानेंगे कि मेरे लिए इस संबंध में सुनिश्चित उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन मुझे यह बताया गया है कि उनकी मान्यता बिल्कुल सही है जो उन्होंने कहा है।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

'कि भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक में खंड 2 और 3 को शामिल किया गया।

विधेयक में खंड 1 को शामिल किया गया।

विधेयक में 'शीर्षक' और 'प्रस्तावना' को शामिल किया गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाए'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*मोटर वाहन (चालक) संशोधन विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

‘कि मोटर वान (चालक) अध्यादेश, 1941 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।’

यह एक साधारण विधेयक है। जैसा कि सदन को याद होगा, ऐसे अनेक अध्यादेश हैं जिनके माध्यम से सरकार ने अनेक लोगों की सेवाएं अधिग्रहीत की हैं।

एक माननीय सदस्य : कुल कितने लोगों की?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास यह सूचना नहीं है किन्तु मेरे विचार से यह तथ्य सर्वविदित है। यह भी एक अध्यादेश है जिसके द्वारा मोटर चालकों की सेवाएं मांगी गई हैं। अध्यादेश पारित होने के पश्चात पता चला था कि एक प्रावधान है जो एक अन्य अध्यादेश में है किन्तु मोटर चालक अध्यादेश में नहीं है। वह प्रावधान यह था कि अध्यादेश में ऐसा कुछ नहीं था जिससे प्राधिकरण द्वारा किसी मोटर चालक की सेवाएं अधिग्रहीत करने और बाद में उसे सेवा मुक्त कर देने के पश्चात मालिक पर उसको पुनः बहाल करने का दायित्व हो। इसी कमी को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस संशोधन के तीन उद्देश्य हैं। संशोधन में अपेक्षा की गई है कि यदि कोई मोटर चालक, जिसकी सेवाएं सरकार ने अधिग्रहीत की थीं, सरकार द्वारा सेवा-मुक्त कर दिया जाए तो उसे पुनः नियोजित करना मालिक की जिम्मेवारी होगी। दूसरे, मालिक की इस जिम्मेवारी से उठे विवाद को सुलझाने का तरीका इसमें दिया गया है। इस बारे में यह उपबंध किया गया है कि ऐसा विवाद प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। तीसरे, प्राधिकरण के आदेशों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अन्य प्रावधान मोटर चालकों को दिए गए रोजगार के अधिकारों की सीमा के

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 29 जुलाई, 1943, पृष्ठ 178

बारे में हैं, जो द्विमुखी हैं। प्रथम, मोटर चालक को रोजगार मांगने से पूर्व लगातार 6 माह तक कार्यरत रहना होगा। दूसरा, राष्ट्रीय सेवा से अलग होने के बाद दो माह के भीतर पुनः रोजगार के लिए दरखास्त करनी चाहिए। इन शर्तों के पूरा होने पर, प्रस्तुत विधेयक उसे उन लोगों की बराबरी के स्तर पर लाता है जिनकी सेवाएं अधिग्रहीत की गई थीं। अब मुझे इस विधेयक के संबंध में और कुछ नहीं कहना। महोदय, इन टिप्पणियों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ!

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

‘कि मोटर वाहन (चालक) अध्यादेश, 1942 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : खंड 2

*सर कावसजी जहांगीर (बंबई शहर : मुस्लिम शहरी) : श्रीमान्, खंड 2 इस विधेयक का मुख्य खंड है। इस विधेयक के लिए जाने का प्रयोजन उन मोटर वाहन चालकों को रोजगार मुहैया कराना है जिनकी सेवाएं सरकार ने युद्ध प्रयासों के दौरान अधिग्रहीत कर ली थीं। इसके द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि, यदि वह मोटर वाहन चालक अपने पूर्ववर्ती नियोजक की नौकरी में लगातार छह मास तक रहा हो और दो मास के भीतर फिर उसकी नौकरी के लिए अर्जी दे दे, तो उस नियोजक को दो शर्तों के अंतर्गत उक्त मोटर चालक को पुनः नौकरी पर लेना होगा। यदि माननीय श्रम सदस्य इन मुद्दों पर विचार करें तो इसके लिए वह समय ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वह जनता और इस सदन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाएंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र सर कावसजी जहांगीर ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे एक बहुत बड़ी काली तस्वीर इस मुद्दे पर उभरी है कि यदि पूर्ववर्ती नियोजक अपने पहले वाले मोटर वाहन चालक को बहाल करने से इन्कार कर दे तो क्या कुछ हो सकता है। लगता है कि वह यह समझ रहे हैं कि इस मुद्दे पर एक बार विवाद उठ जाए तो यह बहुत लम्बे अरसे तक चलता रहेगा। किन्तु मुझे विश्वास है कि यह बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगा। हमने उपबंध किया है कि सरकार एक प्राधिकरण नियुक्त करेगी और मुझे तनिक भी शंका नहीं है कि यह प्राधिकरण दोनों पक्षों को मंजूर होगा।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 29 जुलाई, 1943, पृष्ठ 179-80

सर कावसजी जहांगीर : हम यह कैसे जानेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हमें प्रांतीय सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि वह पूरा प्रयत्न करेगी।

सर कावसजी जहांगीर : क्या माननीय श्रम सदस्य को नहीं मालूम कि जब इस प्रकार का प्राधिकरण नियुक्त किया जाता है, तो नियम और विनियम बहुत विस्तृत होते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मामला चाहे जितना भी सरल हो, अत्यंत असुविधा होती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह इतना असुविधाजनक नहीं हो सकता कि लोग मामले को तेजी से तय न कर सकें, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विधेयक पर और गहराई से सोचने के लिए इसे स्थगित कर देने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे विचार में, जो मुद्दे उठा सकते हैं वे बहुत मामूली होंगे जिन्हें दोनों पक्ष बिना कठिनाई या परेशानी के सुलझा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

‘कि खंड 2 विधेयक का अंग बने’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

शीर्षक और प्रस्तावना विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

‘कि विधेयक पारित किया जाए’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*खदान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

‘कि खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।’

सदन यह जानना चाहेगा कि यह संशोधन क्यों आवश्यक हो गया है। वर्तमान खदान प्रसूति लाभ विधेयक के तहत, खान की एक महिला कर्मचारी 8 हफ्तों का लाभ आठ आना प्रतिदिन की दर से ले सकती है। यह आठ हफ्ते का समय चार-चार हफ्ते के दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रसव के पहले और दूसरा प्रसव के बाद। पहले भाग में महिला स्वैच्छिक आराम कर सकती है और चाहे तो निरंतर काम करके पूरा वेतन अर्जित कर सकती है। आराम के लिए काम से गैर-हाजिर रहने पर वह प्रसूति लाभ पा सकती है। प्रसूति के बाद का चार हफ्ते का समय आवश्यक आराम का समय है जिसमें किसी महिला को काम नहीं करना चाहिए। वास्तव में, इस अवस्था में उसका काम करना गैर-कानूनी और आपराधिक है और उसे केवल प्रसूति लाभ पर ही संतुष्ट होना है। प्रसूति लाभ विधेयक की धारा 5 में प्रसूति लाभ की अदायगी का प्रावधान किया गया है। यदि माननीय सदस्य इस प्रावधान की पंक्ति 9 में काम के संदर्भ में वर्णित शब्दों की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि शब्दावली ‘काम से गैर-हाजिर’ का प्रयोग किया गया है। अब यह सुझाव दिया गया है कि विशेषकर ‘काम से गैर-हाजिर’ या फिर ‘काम से’ शब्द अस्पष्ट है और मैं संक्षेप में स्पष्ट करूंगा कि इनमें क्या अस्पष्टता है।

मान लीजिये कि खदान के मालिक ने किसी विशेष दिन खदान बंद कर दी, तो क्या उस दिन महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ पाने का अधिकार है? कहा जाता है कि ‘नहीं’, क्योंकि ‘काम से गैर-हाजिर’ शब्दों की जटिलता से यह भी अर्थ निकलता है कि ‘काम’ तो है किन्तु जब खदान बंद कर दी गई तो काम नहीं है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 29 जुलाई, 1943, पृष्ठ 180

अतः 'काम से' शब्दों की प्रस्तुति ने इस संदेश को जन्म दिया है। मैंने विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रसूति लाभ विधेयकों के साथ धारा 5 का तुलनात्मक अध्ययन किया है और मैंने पाया कि ये शब्द 'काम से' उनमें विद्यमान नहीं हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन शब्दों 'काम से' को, संदेह समाप्त करने के लिए, निकाल दिया जाए। मैंने धारा 5 की तुलना पांच विभिन्न प्रांतों के प्रसूति लाभ अधिनियमों से की और पाया कि शब्द 'काम से' उनमें नहीं है। यह संशोधन, दो अलग-अलग संशोधनों के माध्यम से किया जा रहा है। एक तो धारा 5 से इन शब्दों को निकाल कर जो अस्पष्टता पैदा करते हैं। अब महिला कर्मचारी प्रसव से पहले चार हफ्तों में प्रतिदिन प्रसूति लाभ पाने की अधिकारी होगी। उन दिनों के संबंध में जब वह स्वेच्छा से आराम करना चाहती है और, जैसा कि मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं, प्रसव से पहले के चार हफ्ते स्वेच्छा से आराम करने के लिए हैं, यह उसकी इच्छा पर है कि वह काम पर जाए और अपनी पूरी दिहाड़ी कमाए या फिर घर पर रहे और अपने प्रसूति लाभ पर ही संतोष करे। इस संबंध में हमने परंतुक जोड़ा है कि इन दिनों "वह किसी प्रसूति लाभ की कतई अधिकारी नहीं होगी।" इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

'कि खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

शीर्षक और प्रस्तावना विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि विधेयक पारित किया जाए।'

*युद्ध-आहत (मुआवजा बीमा) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

‘कि युद्ध से आहत होने वाले कामगारों को मुआवजा देने का दायित्व नियोजकों पर अधिरोपित करने और ऐसे दायित्व के लिए नियोजकों द्वारा बीमा कराने का उपबंध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।’

पिछली बार जब विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया था उस समय मैंने विधेयक के लक्ष्यों को स्पष्ट किया था। इसलिए उन्हीं बातों को फिर दोहराना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मैं संक्षेप में प्रवर समिति द्वारा मूल विधेयक में वर्णित सिद्धांतों में किए गए परिवर्तन के संबंध में सदन को बताना चाहूंगा। सदन ने ध्यान दिया होगा कि प्रवर समिति द्वारा परिवर्तन किए जाने के बावजूद भी, वास्तव में केवल चार परिवर्तन ऐसे हैं जिनका सिद्धांत से संबंध है। पहला तो यह कि कामगारों के वर्गों का विस्तार किया गया है जिन पर यह विधेयक लागू होगा हमने अब बागानों के कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया है। दूसरा परिवर्तन जो किया गया है वह बीमा कोष में किए जाने वाले पहले अंशदान की दर से संबद्ध है। मूल रूप में विधेयक द्वारा सौ रुपयों पर आठ आना की दर लगा करती थी। अब यह आठ आना से घटाकर चार आना कर दी गई है। तीसरा परिवर्तन, शेष बचे धन को बीमा कोष में प्रयुक्त करने के संबंध में है। विधेयक का मूल प्रस्ताव यह था कि बचे हुए धन को आम राजस्व में मिला दिया जाए और सरकारी व्यय की आम मदों पर इस्तेमाल किया जाए। प्रवर समिति ने परिवर्तन किया है कि बचे हुए धन को अंशदान करने वाले नियोजक को, उसके द्वारा दिए गए अंशदान के अनुपात में, वापस कर दिया जाए। चौथा परिवर्तन ठेके के श्रमिकों के संबंध में है। अब व्यवस्था दी गई है कि उन मामलों में, जहां नियोजक ठेकेदार नियुक्त करता है और ठेकेदार उस काम को कराने के लिए कामगारों को काम पर लगाता है, मुआवजा अदायगी के संबंध में नियोजक का दायित्व होगा।

ये ही वे सिद्धांत हैं जिनमें प्रवर समिति ने परिवर्तन किए हैं। जैसा कि सदन देखेगा,

इस विधेयक पर ऐजेंडा में अनेक संशोधन हैं। कुछ संशोधन प्रक्रिया से संबंधित हैं और उनमें से अधिकतर सरकार द्वारा इसलिए प्रस्तावित किए गए हैं कि प्रवर समिति से आय इस विधेयक पर जो आलोचना की गई थी उसका निराकरण हो जाए। मुझे आशा है कि इन संशोधनों पर अधिक विवाद नहीं उठेगा।

महोदय, मैं नहीं समझता कि मुझे इस विधेयक के संबंध में और कुछ कहना है। मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि युद्ध के आहत होने वाले कामगारों को मुआवजा देने का दायित्व नियोजकों पर अधिरोपित करने और ऐसे दायित्व के लिए नियोजकों द्वारा बीमा कराने का उपबंध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।”

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं नहीं समझता कि इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के भाषणों से ऐसी कोई बात पैदा हुई है, जिसका विस्तृत उत्तर देने की आवश्यकता है। उठाए गए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी प्रासंगिकता सदन में प्रथम वाचन के लिए विधेयक पेश किए जाने के समय हो सकती थी। मुझे याद है कि वे मुद्दे उठाए भी गए थे और मुझे यह भी याद है कि मैंने उसी समय अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास किया था। अतः मैं नहीं चाहता कि उन्हीं मुद्दों पर दुबारा चर्चा करके समय नष्ट किया जाए।

विधेयक में कुछ खास खंडों और संशोधनों के संबंध में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वहीं कार्यसूची में हैं। समय की बचत की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि इस अवसर पर मैं अपने भाषण पर व्यर्थ समय नष्ट न करूँ। यह तब अधिक प्रासंगिक, उचित और संगत होगा जब संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे।

* * *

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि विधेयक की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

“6. यह अधिनियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन पर कि कर्मचारी

मुआवजा विधेयक, 1923 लागू होता है।”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र श्री जोशी यह महसूस करेंगे कि मेरा यह विरोध कर्मचारियों के प्रति किसी भी प्रकार की हमदर्दी की कमी के कारण नहीं है।

श्री एन. एम. जोशी : मैंने ऐसा नहीं कहा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र श्री जोशी यह महसूस करेंगे कि यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यावहारिक रूप से उन कर्मचारियों की संख्या पर एक गंभीर प्रतिबंध लग जाएगा जो इस विधेयक से लाभ मिलने के पात्र हैं। सर्वप्रथम, जैसा श्री जोशी ने कहा, हमें बड़ी सावधानी से इस संबंध में सोचना चाहिए क्योंकि उनके अधिनियम में यह मान लिया गया है कि नियोजकों की एक संगठित संस्था है जिस पर यह दायित्व रखा जा सकता है। यह तो बीमा-किस्तों की वसूली का प्रश्न है और आप सड़क पर चलते लोगों से बीमा किस्त नहीं वसूल सकते। आपके पास एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिस पर यह दायित्व आरोपित कर सकें और इसलिए कर्मचारियों की संख्या को इसमें शामिल करने पर बड़ी सावधानी से विचार करना है। दूसरी कठिनाई जो मैं महसूस करता हूँ वह यह है कि यह सच है कि श्री जोशी के संशोधन को मान लेने पर उन कर्मचारियों की श्रेणियों में कोई वृद्धि नहीं होगी जिन्हें वर्तमान में इस विधेयक में शामिल किया गया है। महोदय, मैंने बड़ी सावधानी से कर्मचारी मुआवजा अधिनियम का अध्ययन किया है और यह पाया है कि कर्मचारियों की इसमें भिन्न-भिन्न कुल नौ श्रेणियाँ हैं जिन पर यह विधेयक लागू होता है उनके साथ, उन कर्मचारियों की श्रेणियों पर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम लागू होता है जिन कर्मचारियों की श्रेणियों जिनके लिए हमने यह विधेयक प्रस्तावित किया है की तुलना करने पर मैंने केवल एक अंतर पाया है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, भवन और सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर लागू होता है। अन्य के संबंध में, दोनों - यह विधेयक और कर्मचारी अधिनियम - मैं समानता है। और दूसरा अंतर यह है कि यदि हम कर्मचारी मुआवजा अधिनियम इसके विद्यमान रूप में लागू करते हैं तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में दी गई कर्मचारी शब्द की परिभाषा का प्रश्न भी साथ में उठेगा। मेरे माननीय मित्र श्री जोशी को याद होगा कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में दी गई कर्मचारी शब्द की परिभाषा बहुत ही परिसीमित

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 13 अगस्त, 1943, पृष्ठ 710

है। इसमें कर्मचारियों की श्रेणियों से अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और ऐसे कितने अनियमित कर्मचारी उन विशेष उद्योगों में काम कर रहे हैं जिन पर यह विधेयक लागू होता है, कोई नहीं जानता। मेरे माननीय मित्र श्री जोशी को यह भी याद होगा कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम ने उन लोगों को भी अलग रखा है जो क्लर्क की हैसियत में काम कर रहे हैं। मेरा विचार है कि श्री जोशी यह मानेंगे कि कर्मचारियों की कोई छोटी श्रेणी भले ही छूट गई हो पर कर्मचारी शब्द की परिभाषा, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में दी गई परिभाषा से बहुत बड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र इस आश्वासन पर अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

* * *

***अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) :** प्रश्न यह है :

“कि विधेयक की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

6. यह अधिनियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन पर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 लागू होता है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा अगला संशोधन सं. 5 है जो धारा 3 पर निर्भर करता है, जिससे सदन सहमत है कि इसे रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : क्या यह किसी अन्य संशोधन का विकल्प है? क्या मैं यह समझूँ कि यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो खंड 3 का संशोधन सं. 3 अनावश्यक होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं महोदय। यह आवश्यक है। दोनों आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : उस स्थिति में, मैं यह नहीं समझा कि आप इस संशोधन को अभी पेश क्यों नहीं कर सकते?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस संशोधन सं. 5 को अब पेश करूँगा। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक के खंड 6 के उपखंड 2 का लोप कर दिया जाए।”

इस संशोधन से समर्थन में अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सदन को याद होगा, यह धारा जैसी कि इस समय है, सरकारी कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों को इस विधेयक की परिधि से बाहर करती है। जब मैंने प्रथम वाचन के लिए विधेयक को पेश किया था तब सदन को बतलाया था कि यद्यपि यह विधेयक इस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, तथापि सरकार ने अपने कर्मचारियों को मुआवजा देने के बहुत सारे प्रावधान किए थे। दुर्भाग्य से मेरा भाषण स्पष्टतः सदन के कुछ सदस्यों को संदेह दूर नहीं कर सका और वे जोर देते रहे कि प्रशासनिक ढंग से उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा कानून के द्वारा उत्तरदायित्व आरोपित किया जाए। महोदय, मैं सुझाव स्वीकार करता हूँ और इसलिए मैं बाद में धारा 3 के संशोधन को, जो मेरे नाम पर है, पेश करूंगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक के खंड 6 के उपखंड 2 का लोप किया जाए।”

*अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

“कि धारा 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक के खंड 7 के उपखंड 5 के भाग (छ) में निम्नलिखित परंतुक और जोड़ा जाए :”

“बशर्ते, यह और भी कि खंड ग के उपखंड 2 के अंतर्गत यदि केंद्रीय सरकार ने कोष में कोई अग्रिम धन अदा किया है, तो पहले भुगतान के बाद किन्हीं आवधिक भुगतानों की दर उस दर से अधिक नहीं होगी जिससे कि कोष की राशि अनुमानतः 15 लाख रुपए हो जाती हो।”

इस परंतुक का अभिप्राय नियोजक वर्ग के प्रतिनिधियों के कुछ संदेहों का समाधान करना है। उनको यह संदेह था कि हम इस धारा के प्रावधानों का, जैसा कि वे मूल रूप में थे, कोष की राशि को किसी भी सीमा तक बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और जिस उद्देश्य से इसकी व्यवस्था की गई है, व्यावहारिक रूप से उसकी आवश्यकता न होने पर भी धन संचित करेंगे। मैंने पहले ही सदन को यह आश्वासन दिया था कि सरकार की इस विधेयक के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 13 अगस्त, 1943, पृष्ठ 712

प्रयोग करके इस प्रकार धन संचित करने की कोई मंशा नहीं है, जिससे कि नियोजक को निजी प्रकार की क्षति पहुंचे।

महोदय, इस पर भी वे मेरे वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हुए और मैंने यही उत्तम तरीका समझा कि मैं इस संशोधन को लाकर उन्हें संतुष्ट करूं। जैसा कि आप देखेंगे, कोष के अधिशेष के लिए 15 लाख रुपए की सीमा निश्चित की गई है और मेरा विचार है कि सदस्यगण इस संशोधन को इसकी अभिप्रेत भावना के रूप में मान लेंगे ताकि वे लोग जो सरकार के कर निर्धारक अधिकारों के प्रति ईर्ष्यालु हैं, संतुष्ट हो सकें। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

***अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) :** संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि विधेयक के खंड 9 के उपखंड 2 की दूसरी पंक्ति में शब्द ‘असफल होने’ के पश्चात शब्द ‘आवश्यक सूचना के पश्चात’ अंतःस्थापित किए जाएं।”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं सूचना देने की आवश्यकता पर जोर दिए जाने की सराहना करता हूं किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहूंगा कि सूचना देने का प्रावधान है यद्यपि यह प्रावधान विधेयक में दिखलाई नहीं पड़ता। वह यह महसूस करेंगे कि खंड 9 में जो इस संबंध में महत्वपूर्ण शब्द हैं, वे हैं - “योजना के अनुरूप”। यदि मेरे मित्र खंड 9 को उलटना चाहते हैं तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसी कारण उन्होंने यह संशोधन पेश किया है। और स्वतः योजना के शब्दों पर गौर करें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसमें खंड है और वह खंड प्रारूप योजना की धारा 1(8)(क) मौजूद है, जिसमें 15 दिन की सूचना की व्यवस्था है। मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र इस सूचना के आधार पर अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि विधेयक के खंड 9 के उपखंड 2 की चौथी पंक्ति में शब्द ‘दंडनीय’ के पश्चात शब्द ‘भुगतान की तिथि के तीस दिन के पश्चात’ अंतःस्थापित किए जाएं।”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे माननीय मित्र जो बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। जैसा कि मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं, 15 दिन का समय देने का प्रावधान मौजूद है, उसके बावजूद मैं नहीं समझ पाया कि

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 13 अगस्त, 1943, पृष्ठ 713

मेरे विद्वान मित्र क्यों नियोजक की सुविधा हेतु 15 दिन की अतिरिक्त छूट समय-सीमा में बढ़ाने के इच्छुक हैं। यदि हमने नोटिस दिए जाने की व्यवस्था न की होती, तो मैं समझ सकता था कि समय में छूट के दावे का कोई औचित्य है। किन्तु यदि मेरे विद्वान मित्र आज्ञा दें। तो मैं कहना चाहूंगा कि नोटिस के समय और छूट के समय में कोई अंतर नहीं है या फिर बिना किसी के यह भेद किया जा रहा है।

श्री हुसैन भाई ए. लालजी : महोदय, मेरे विचार से, मेरे माननीय मित्र श्री अब्दुर रशीद चौधरी ने जो निवेदन किया है वह बहुत उचित है। चाहे जो कुछ भी कहिए, व्यापारिक जीवन में प्रबंध तो करने ही पड़ते हैं, और जब हम अनेक लोगों को समाहित कर रहे हैं तो 15 दिन का नोटिस और 15 दिन की छूट देने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता। मैं तो सभी 30 दिनों के लिए 'नोटिस' शब्द के स्थान पर 'छूट' शब्द अधिक पसंद करता हूँ क्योंकि 15 दिन की छूट एक ऐसा मामला है और बिल्कुल ऐसा मामला है जिसे सरकार अपनी दायनतदारी से दे सकती है। अतः मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा होगा कि जो लागे यह समझते हैं कि हम भारतवासी विश्व के अन्य लोगों से अधिक बेईमान हैं, मेरे मित्र उस दिशा में सोचने को बाध्य न हो।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं 15 दिन की छूट के लिए तैयार हूँ।

* * *

***अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) :** प्रश्न यह है :

“कि विधेयक के खंड 11 के उपखंड (1) में निम्नलिखित पंक्तिक जोड़ा जाए।”

“बशर्ते 'ताज' अर्थात् 'सरकार के' दायित्व निर्वाह की दिशा में इसके द्वारा भुगतान कर्मचारी को इस निधि में से किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक की खंड 11 की उपखंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए” :

“(3) यदि इस निधि से किए जाने वाले सभी भुगतान चुका देने के

बाद कुछ शेष बचता है तो उस शेष से एक ऐसा कोष बनाया जाएगा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिए प्रयुक्त और प्रशासित किया जाएगा।”

विधेयक को सदन में पेश करते समय जैसा कि मैंने मूल स्थिति के संबंध में संकेत दिया था, बचे हुए धन को सरकार की आम मदों पर प्रयुक्त होगा और इसे सरकार के आम राजस्व में शामिल किया जाएगा। प्रवर समिति ने इस खंड में परिवर्तन कर दिया और व्यवस्था दी कि यदि कोई धनराशि बचती है तो वह नियोजक को उसके अंशदान, जो उसने इस निधि के लिए दिया है, के अनुपात में उनको वापस की जानी चाहिए। मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूँ वह एक ऐसा संशोधन है जो इन दोनों स्थितियों का मध्य मार्ग है। मैं यह सुझाव देता हूँ कि धन न तो सरकार द्वारा आम मदों पर खर्च किया जाए और न ही नियोजक को वापस किया जाए, अपितु इसे एक न्यास कोष माना जाए जिसे केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में प्रयुक्त व प्रशासित करेगी। मैंने यही सर्वोत्तम मार्ग सोचा है, और आशा करता हूँ कि पूरा सदन बिना किसी विवाद के इसे स्वीकार कर लेगा। किन्तु मैं देखता हूँ कि अब भी सदन में कुछ सदस्य इस संशोधन में दी गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। मेरे नाम पर जो संशोधन हैं, सर्वप्रथम मैं उनके आधार बिंदुओं का औचित्य स्पष्ट करता हूँ। मेरे विचार में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नियोजकों द्वारा बीमा निधि के लिए जो भी अंशदान किया जाएगा उसे वित्त विभाग के राजस्व की संज्ञा दी जाएगी और वह ऐसा राजस्व होगा जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा ऋण दिया जाएगा। वास्तव में, यह वह राजस्व है जो साधारण परिस्थितियों में आय-कर तथा अतिरिक्त लाभ-कर के रूप में भारत सरकार को जाता है। अतः मैं यह स्पष्ट करने में कोई झिझक नहीं करूंगा कि इस कोष का एक बहुत बड़ा भाग जिनके लिए है, वह उन्हें मिले और वे लोग उसे प्रयोग करें जो उनका है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी गंभीर बात है जिसके आधार पर इस व्यवस्था का विरोध किया जाए। किन्तु, जैसा कि मैंने कहा, मैं उस स्थिति से पीछे लौट आया हूँ और मैं इस कोष को सामान्य राजस्व न मान कर एक ऋण-कोष मानता हूँ जो कर्मचारियों के हित में प्रयुक्त किया जाएगा। जो तर्क मैं सदन में सुन चुका हूँ और जो अभी तक मेरे कुछ माननीय सदस्यों के दिल-दिमाग पर हावी है, उसी कारण, सदन में स्थिति स्पष्ट करने पर भी वे स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। वे यह सोचते मालूम होते हैं कि यह तो ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए उद्योगों पर लेवी लगाने का मार्ग तैयार कर रही है। मैं उन सदस्यों की सोच को बुरा नहीं मानता जिनके मन में इस प्रकार का संदेह है। मैं इससे पहले ही उन्हें आश्वस्त कर चुका हूँ कि सरकार,

उद्योगों पर भार डालकर, उन कार्यों के लिए, जिनकी आवश्यकता नहीं है, धन इकट्ठा करने के लिए इस खंड का दुरुपयोग करने की कोई मंशा नहीं रखती। और मैं पुनः उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा जिनके मन में भय है, कि इस तरह चोरी छुपे कोई पूर्व-दृष्टांत स्थापित करना या कराना सरकार के लिए बिल्कुल अनावश्यक है। सरकार के पास बहुत काफी अधिकार हैं यहां भारत में और इंग्लैंड दोनों जगह कानूनन प्रदान किए गए हैं और जिनके माध्यम से सरकार के लिए श्रमिकों के लाभार्थ किसी भी प्रकार की लेवी या उपकर लगाना संभव है। इस देश में हमारे पास कोयला-उपकर तथा कोक-उपकर हैं जो उद्योगों के कार्यों पर या उनके लिए जो उद्योग में कार्यरत हैं किया जाता है; जो धन राशि उपकर द्वारा इकट्ठी की जाती है वह श्रमिकों के कल्याण के लिए अलग रखी जाती है। अतः मैं माननीय सदस्यों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि गोपनीय ढंग से ऐसा पूर्व-दृष्टांत तैयार करने के प्रयास की कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा केवल श्रमिकों के कल्याण की है और मैं नहीं समझता कि बहुत से वे नियोजक जो हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए किसी न किसी रूप में कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सहृदयता एवं रुचि दिखलाते आए हैं, अब इस संशोधन को जिसे मैं पेश कर रहा हूँ, मानने में संकोच नहीं करेंगे। महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री चैम्पैन-मॉर्टीमर ने जो मुद्दा उठाया है, वह यह है कि वह कहते हैं कि हम अपना उद्देश्य बदल रहे हैं। इस कोष की स्थापना की मूल मंशा तो यह है कि मुआवजा दिया जाए। अब हम शेष बचे हुए धन को कल्याण-कार्यों पर खर्च करना चाहते हैं। निस्संदेह, यह एक परिवर्तन है, इसके उद्देश्य में। किंतु मेरी अभी भी यह मान्यता है कि इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। मुझे यह मानना चाहिए कि इसमें यह एक सुनिश्चित सिद्धांत है कि जब तक कोई धनराशि किसी अन्य मद के लिए स्वीकार नहीं की गई है तब तक उसे उसी मद में खर्च किया जाए जिसके लिए विधानमंडल ने स्वीकृति दी है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, किन्तु इस बात का संबंध कार्यकारिणी की कार्यवाही से है। मेरा इस धनराशि को किसी भी कार्यकारिणी की कार्यवाही के माध्यम से प्रयुक्त करने का विचार नहीं है। मैं यह भी नहीं चाहता कि इसके किसी भी तरह के अनुचित व्यय के लिए, मैं अपने आप को दोषी पाऊँ, और सदन से यह स्वीकृति मांगू कि बचे हुए धन को किसी ऐसे मद पर खर्च किया जाए जिसे सदन पूर्ण रूप से लाभकारी मानने के लिए सहमत न हो। अतः मेरा निवेदन है कि हम जहां तक

उद्देश्य के परिवर्तन पर सदन की विधिवत स्वीकृति की मांग कर रहे हैं उसके उद्देश्य परिवर्तन में कोई अनौचित्य नहीं है।

फिर यह मुद्दा उठाया गया है कि शब्द 'कल्याण' बहुप्रयोजनबोधक शब्द है। मैं मानता हूँ कि यह एक बहुप्रयोजनबोधक शब्द है, और मैं नहीं समझता कि मैं ऐसे मर्दों को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट कर सकता हूँ जिन्हें 'कल्याण' शब्द की परिभाषा की परिधि में शामिल किया जाए और जिनके संबंध में सदन के एकमत होने की आशा की जाती हो। अतः मैं अब यह प्रयत्न नहीं करूंगा कि 'कल्याण' शब्द की परिभाषा की परिधि में क्या-क्या शामिल किया जाएगा। किंतु मैं अपने उन माननीय मित्रों से जो यह नहीं जानते कि कल्याण का मतलब क्या है और उन माननीय मित्रों से जो यह सोचते हैं कि सरकार पर इस धन के व्यय की जिम्मेवारी डाली जाए, कहना चाहूंगा कि यह सब सदन के हाथों में छोड़ दिया गया है। इस धन को किस प्रकार उपयोग में लाया जाए, इस प्रश्न को उठाने के अनेक बार सदन को अवसर मिलेंगे और मुझे विश्वास है अनेक माननीय सदस्य जो यह जानते हैं कि 'कल्याण' क्या है और जिनको इसकी समझ है उन अवसरों का सरकार को यह सूचित करने के लिए उपयोग करेंगे कि किस प्रकार धन का प्रयोग किया जाए। महोदय, मैं समझता हूँ कि सदन बिना दुविधा के मेरा संशोधन स्वीकार कर लेगा।

***अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) :** प्रश्न यह है :

“कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए:

“बशर्ते कि धारा 9 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसरण में, जहां किसी नियोजक ने बीमा पालिसी ले रखी है और किस्तों के रूप में ऐसी सभी भुगतान कर दिए हैं जो योजना के प्रावधानों के अनुसार देय होते हैं अथवा अनुच्छेद 12 के उप-अनुच्छेद (2) के प्रावधानों के तहत नियोक्ता बीमा कराने के लिए बाध्य नहीं हैं उस स्थिति में उस नियोक्ता की ओर से उप-धारा के अंतर्गत उस नियोक्ता द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व सरकार स्वयं ले और उसे अंजाम दे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक के खंड 3 में निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाए :

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 3, 13 अगस्त, 1943, पृष्ठ 719

“(3) यह धारा सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।”

मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम इस विधेयक के प्रावधानों के प्रति सरकार पर संवैधानिक दायित्व निभाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी टिप्पणी के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ।

***अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) :** संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि विधेयक के खंड 13 के उपखंड (1) के भाग (ख) का लोप किया जाए।”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, हो सकता है कि मैं पर्याप्त रूप से सुसंस्कृत न होऊँ किन्तु मैं औसत दर्जे की बुद्धि रखने का दावा करता हूँ। महोदय, उसी औसत बुद्धि का, जैसा कि मैंने इस खंड में प्रयोग किया है, प्रयोग करते हुए मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय सदस्य ने इसके उद्देश्य तथा आवश्यकता को नितांत गलत समझा है। वास्तव में, इस खंड का प्रयोजन कोई लेवी लगाना या शक्ति हासिल करना नहीं है, इसका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना या सूचना की खोज करना है। मेरे मित्र यह नहीं समझे कि इस मामले में सही सूचना की आवश्यकता क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें बतलाता हूँ कि यह सूचना न केवल सरकार के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, वरन स्वयं नियोजकों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, बेईमान नियोजकों के लिए यह बिल्कुल संभव है कि वे गलत हों और त्रुटिपूर्ण सूचनाएं दें जिनमें बिलों में मजदूरी कम लिखी हो, उनके नीचे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या कम लिखी हो। बीमा की किस्त तो दी गई सूचना पर ही आधारित होगी और अच्छे नियोजकों के संबंध में, यह संभावना है कि वे इसकी सजा भुगतें और उन्हें, बेईमान नियोक्ताओं द्वारा दी गई गलत सूचना के कारण, अधिक भुगतान करना पड़े। अतः यह खंड नितांत आवश्यक है, और स्वयं नियोक्ताओं के हित में आवश्यक है। मैं नहीं समझ सकता कि इसमें केवल इसलिए कोई ऐतराज हो सकता है क्योंकि कानून व्यवस्था देता है कि जब भी किसी दी गई सूचना पर संदेह हो तो सरकार को सही सूचना उपलब्ध करने के अधिकार से लैस होना चाहिए। इस व्यवस्था की मजबूत बुनियाद यह सूचना ही है जिसका सही होना परमावश्यक है। महोदय, मैं संशोधन का विरोध करता हूँ।

*पूर्ण श्रम सम्मेलन का प्रथम सत्र

सामाजिक सुरक्षा के बारे में डॉ. अम्बेडकर के विचार

दिल्ली में सोमवार, 6 सितम्बर को आयोजित पूर्ण श्रम सम्मेलन के प्रथम सत्र में श्रम सदस्य माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण का पूर्ण मूल-पाठ इस प्रकार है :-

मैं 'पूर्ण श्रम सम्मेलन' के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तेरह महीने पूर्व गत वर्ष 7 अगस्त को प्रांतीय सरकारों, भारतीय रिसायतों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया गया था।

इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य दोहरा था। काफी समय से यह दृढ़ विश्वास जड़ जमाए हुए था कि औद्योगिक समस्याओं तथा श्रम कल्याण से संबंधित समस्याओं का तब तक निराकरण नहीं हो सकता जब तक तीन पक्ष- सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना न रखें, एक दूसरे के प्रति अधिक आदर न दिखाएं तथा आदान-प्रदान की भावना से प्रेरित होकर मिलजुल कर काम करने के लिए सहमत न हों। काफी समय से परस्पर आदर और उत्तरदायित्व का विचार पनप नहीं रहा था क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष की आलोचना करने में लगा हुआ था। एक दूसरे को परस्पर समीप लाने तथा एक ही मेज पर आमने-सामने विचार-विमर्श करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना की आवश्यकता महसूस की गई।

यद्यपि इस प्रकार के त्रिपक्षीय संगठन का विचार पहले ही से बन रह था, तथापि इसमें संदेह है कि इससे शीघ्र ही कोई ठोस आधार तैयार हो जाता; परंतु युद्ध ने श्रमिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता उत्पन्न कर दी। युद्ध ने एक अन्य प्रकार से भी त्रिपक्षीय संगठन के कार्यान्वयन में गति उत्पन्न कर दी।

ठोस नीति

युद्ध के दबाव से भारत सरकार को औद्योगिक समस्याओं और श्रम कल्याण से संबंधित समस्याओं से निपटने की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस हुई और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार को ठोस कार्रवाई करने में तनिक भी झिझक नहीं हुई।

भारत सरकार ने अकुशल व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर बनाया और इस हेतु अनेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए।

भारत सरकार ने विद्यमान श्रम संहिता में दो सिद्धांतों का समावेश किया जिनका सुदूरगामी महत्व है और जो परंपरा से कहीं अलग हटकर अपना विशेष महत्व रखते हैं।

सरकार ने इस अधिकार को निभाने में अपना कर्तव्य और दायित्व समझा कि उचित मजदूरी तथा सेवा की उचित परिस्थितियों को निर्धारित किया जाए।

भारत सरकार ने यह भी अपना कर्तव्य और दायित्व समझा कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों को बाध्य किया जाए कि वे अपने विवादों को पंच-फैसलों के लिए प्रस्तुत करें। केवल इतना ही नहीं भारत सरकार ने श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने का दायित्व भी संभाला जिसके अनुसार केवल दिशानिर्देश का ही काम न था कि श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, अपितु अपना ऐसा अभिकरण भी नियुक्त करना था जो यह देखे कि जारी किए गए निदेशों का पालन होता है अथवा नहीं।

भारत सरकार ने अपनी ही पहल और निर्णय से इस ठोस नीति को अपनाया। फिर भी यह महसूस किया गया कि भारत सरकार की अपनी श्रमिक नीति के लिए अधिक हितकर होगा यदि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो प्रांतों और रियासतों की सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों से परामर्श कर सके और इस प्रकार अपने उन नवीन कर्तव्यों को विश्वास के साथ निभा सके जो उसे वहन करने हैं।

दो निकायों का गठन

इसी दोहरे उद्देश्य के लिए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या ऐसा समय नहीं आ गया है जब एक स्थायी और प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय की स्थापना की जाए ताकि श्रम कल्याण की समस्याओं पर उनके कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं से विचार-विमर्श किया जा सके और वह निकाय भारत सरकार को भी यह परामर्श दे सके कि इन समस्याओं

के निराकरण के लिए सबसे संतोषजनक उपाय क्या है। उस समय जो प्रतिनिधि उपस्थित थे, उन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दो निकायों के गठन का संकल्प पारित किया। बड़े निकाय को 'पूर्ण श्रम सम्मेलन' और छोटे निकाय को 'स्थायी श्रम समिति' का नाम दिया गया।

त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की उत्पत्ति युद्ध की आवश्यकता के कारण हुई। परंतु मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि यह सम्मेलन युद्ध के बाद भी बना रहा। अब यह एक ऐसी संस्था का रूप धारण कर रहा है जिसका देश के आर्थिक ढांचे में स्थायी स्थान होगा।

मुझे विश्वास है कि किसी को भी औद्योगिक और श्रम-समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए ऐसे प्रतिनिधि मंच के गठन के निर्णय की बुद्धिमत्ता पर तनिक भी संदेह नहीं होगा। गत तेरह महीनों में जो सर्वेक्षण किया गया है वह इस संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

7 अगस्त, 1942 से दोनों निकाय अस्तित्व में आए और तब से स्थायी श्रम समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी श्रम समिति की पहली बैठक की कार्यसूची में युद्धकालीन श्रम कानून, विवादों के समझौते, अनुपस्थिति, कार्य करने के घंटे, औद्योगिक बेगार, स्वास्थ्य अनुसंधान बोर्ड, मजदूरों की आय, मंहगाई भत्ते, लाभ विषयक बोनस, बचत, कल्याण के प्रश्न, लागत पर आधारित अनाज की दुकानें ए.आर.पी और कल्याण-कार्य के लिए संयुक्त समिति और छोटे सिक्कों के अभाव की दृष्टि से मजदूरी की राशि को सुगमांक करने जैसे विषय सम्मिलित किए गए।

दूसरी बैठक की कार्यसूची में शामिल किए गए विषय इस प्रकार के थे : श्रमिकों के लिए आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं की आपूर्ति, भारत सुरक्षा नियम 81-क, और आस्थगित बोनस।

तीसरी बैठक में सरकारी ठेकों में सही मजदूरी के बारे में नियमों, संयुक्त उत्पादन समितियों, औद्योगिक कारोबार में श्रम कार्यालयों की स्थापना, भारत सुरक्षा नियम 81-क का कार्यान्वयन और औद्योगिक सांख्यिकीय अधिनियम के अधीन रोजगार कार्यालयों की स्थापना तथा आंकड़ों के संग्रह के बारे में विचार किया गया।

इससे उन सभी विषयों की व्यापक परिधि पर किए गए विचार का पता लगता है जिनके बारे में स्थायी श्रम समिति में विचार-विमर्श किया गया है। यह संभव नहीं हो सका कि ऐसे मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय किया जा सके जिनके बारे में विचार-विमर्श किया गया है।

अत्यंत उपयोगी

ये विचारों के आदान-प्रदान अत्यंत उपयोगी रहे और भारत सरकार ने इनसे बहुत लाभ उठाया। सर्वसम्मति के अभाव में, भारत सरकार ने उन मामलों में ठोस कार्रवाई नहीं की जिनके बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। परंतु जहां कहीं भी सर्वसम्मति हुई वहां भारत सरकार ने उन निर्णयों को स्वीकार करने में कोई देर नहीं की और उन्हें कार्यान्वित किया। इसके समर्थन में मैं कुछ मदों का उल्लेख करूंगा जो इस प्रकार हैं : युद्ध से आहत (मुआवजा बीमा) अधिनियम और राष्ट्रीय सेवा (टेक्नीकल कर्मचारी संशोधन) अध्यादेश। अन्य विषय थे - औद्योगिक सांख्यिकीय अधिनियम और रोजगार कार्यालय योजना। इन दोनों विषयों के बारे में सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी।

दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन

कुछ लोगों को यह प्रगति बहुत कम लगती है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत धारणा है। प्रगति का मार्ग छोटा नहीं है और कोई भी आश्चर्य नहीं हो सकता कि छोटा मार्ग सही मार्ग होगा। शांतिपूर्ण साधनों द्वारा प्रगति सदैव धीमी प्रक्रिया होती है और मुझ जैसे अधीर आदर्शवादी के लिए कभी-कभी यह धीमी गति दुःखदायी बन जाती है। भारत जैसे देश में सामूहिक कार्य की कोई परंपरा नहीं है और सामाजिक चेतन के विकास का भी कोई चिह्न नहीं मिलता। अतः प्रगति अपेक्षाकृत धीमी ही होगी। इससे किसी को भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दृष्टि में, प्रगति की गति की अपेक्षा यह ज्यादा जरूरी है कि इसके प्रति दृष्टिकोण क्या है।

इस दृष्टिकोण से त्रिपक्षीय सम्मेलन का अवलोकन करते हुए मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन का महान उपलब्धि श्रम समस्याओं पर सरकार और नियोक्ता तथा कर्मचारियों के दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन लाना है। इन सम्मेलनों में जिस किसी ने भी भाग लिया है उसे यह एहसास हुआ है। इस दृष्टिकोण में एक स्वस्थ और पूर्ण परिवर्तन आया है और इसलिए हम अपनी प्रगति की गति में तीव्रता लाने के लिए विश्वास के साथ आशा कर सकते हैं।

कार्यसूची के विषय

पूर्ण श्रम सम्मेलन की सूची में आठ विषय सम्मिलित किए गए हैं। ये विषय इस प्रकार हैं :-

- (i) कोयला और कच्चे माल आदि की कमी के कारण अस्वैच्छिक बेरोजगार।

- (ii) सामाजिक सुरक्षा; न्यूनतम मजदूरी।
- (iii) मंहगाई भत्ता निर्धारित करने के सिद्धांत।
- (iv) बृहद औद्योगिक फर्मों में, बंबई औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय-V के उपबंधों के आधार पर स्थायी आदेशों के लिए उपबंध।
- (v) पूर्ण सम्मेलन के लिए प्रक्रिया के नियमों को स्वीकार करना।
- (vi) प्रांतों में त्रिपक्षीय संगठनों का गठन।
- (vii) विधानमंडलों और अन्य निकायों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व।
- (viii) भविष्य निधि के लिए आदर्श नियम।

इन विषयों में दो विषय महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि वे आपके ध्यान से ओझल नहीं होंगे। मैं सामाजिक सुरक्षा और मजदूरों के प्रतिनिधित्व की ओर संकेत कर रहा हूँ। इन दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में विश्व भर में गंभीर विचार किया जा रहा है और इस सामान्य रुचि का एक उदाहरण है बैवेरिज रिपोर्ट। हम भारत में उन मुद्दों की ओर से आंखें नहीं मूंद सकते। यह मेरे बताने की बात नहीं है कि आप उनको किस प्रकार सुलझाएं अथवा उनके संबंध में सही दृष्टिकोण क्या होगा। परंतु आप मुझे दो ऐसी बातें बताने की अनुमति देंगे जो इन मामलों से उत्पन्न हुई हैं और वे इन विषयों में निहित हैं। प्रथम बात यह है।

दो विरोधी तत्व

ऐसे व्यक्ति को जो औद्योगिक संगठन के पूंजीवादी तरीके के अंतर्गत रह रहे हैं और संसदीय लोकतंत्र कहे जाने वाले राजनीतिक संगठन के अंतर्गत रहते हैं, उन्हें इन पद्धतियों के विरोधी तत्वों को मान्यता देनी चाहिए। पहला विरोधाभास अपार धन और अकिंचन दीनता के बीच अपने सरल रूप में विद्यमान है, अपने सरल रूप में नहीं अपितु उस बढ़े हुए रूप में जिसमें हम उसे देखते हैं - धन उन लोगों के लिए जो काम नहीं करते और दीनता उन लोगों के लिए जो परिश्रम करते हैं।

दूसरा विरोधाभास राजनीतिक और आर्थिक पद्धतियों के बीच है। राजनीति में समानता है तो आर्थिक पद्धति में असमानता है। एक व्यक्ति का एक मत, एक मत का एक मूल्य हमारा राजनीतिक आदर्श वाक्य है। हमारी आर्थिक पद्धति का आदर्श-वाक्य हमारे राजनीतिक आदर्श वाक्य का प्रतिवाद है। इन विरोधों के समाधान के लिए अलग-अलग मत हो सकते हैं, परंतु इस बात में मत की कोई भिन्नता नहीं है कि ये विरोधी तत्व विद्यमान हैं।

यह सच है कि यद्यपि ये विरोधी तत्व सुस्पष्ट हैं, फिर भी अधिकतर जनता इन्हें नहीं देख पाती। परंतु आज परिस्थिति बदल चुकी है और इनमें सबसे तीव्र विरोधाभास जो दिखाई नहीं देता था वह अब सबसे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को भी नजर आने लगा है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है। जब से सामाजिक जीवन का आधार प्रतिष्ठा से बदलकर विरोधाभास पर आ पहुँचा है तब से यह सामाजिक सुरक्षा उत्पन्न हुई है और इसके निराकरण में उन सभी व्यक्तियों का चिंतन लगा हुआ है जो मानव-जीवन की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रता के उन विभिन्न तरीकों के समझाने में पर्याप्त शक्ति लग गई है जो उसका अनन्य जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाना चाहिए। जो भी हो, यह सब बहुत अच्छा है, बहुत आशाजनक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तब तक बहुत कम सुरक्षा होगी जब तक कि प्रशांत महासागर के देशों के संबंधों के सम्मेलन के आर्थिक ग्रुप की रिपोर्ट के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। इन अधिकारों को ऐसी सरल भाषा में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए जिसे आम जनता समझ सके अर्थात् शांति, एक घर, पर्याप्त वस्त्र, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बीमा किसी भय के विश्व के चौड़े राजमार्गों में प्रतिष्ठा के साथ चलने का अधिकार।

प्रतिष्ठित अस्तित्व के लिए

हम भारतवासी इन समस्याओं को पहचानने में असफल नहीं हो सकते अथवा उनकी ओर से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें इन मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए तैयार रहा चाहिए। हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि हम भारत में औद्योगिक विकास को अपना लक्ष्य बनाएं। हमें इस बात पर सहमत होना होगा कि इस प्रकार का औद्योगिक विकास वांछनीय सामाजिक स्तर पर बनाए रखें। केवल यह पर्याप्त नहीं होगा कि हम अपनी शक्ति को भारत में अधिक संपत्ति जोड़ने में लगाएं। हमें सभी भारतीयों के उस आधारभूत अधिकार को ही मान्यता देने पर सहमत होना होगा कि उस संपत्ति को न केवल सुकर और प्रतिष्ठित अस्तित्व का साधन माना जाए अपितु असुरक्षा से बचने के लिए भी उसको सुनिश्चित करने का आधार बनाना होगा। इससे पूर्व कि मैं अपने भाषण को समाप्त करूँ, एक ऐसा मामला है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हमारी बैठकों में कभी-कभी असंबद्ध और अव्यावहारिक बातें हो जाती हैं।

मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस मामले में अधिक आलोचना करूँ, परंतु मैं प्रतिनिधियों से यह कहना चाहूँगा कि वे यथासंभव अपनी बात संक्षेप में कहें और विषय तक ही सीमित रहें। मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी प्रतिनिधि चर्चा में भाग

लेने के अवसर से वंचित रह जाए, परंतु मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य प्रतिनिधियों के विचारों से अवगत होना है। किसी भी प्रतिनिधि का अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वागत है, परंतु अपने विचार व्यक्त करते समय अनेक तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, जो तर्क दिया जाए वह स्पष्ट हो। मुझे विश्वास है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी कार्यवाही पूरी तरह व्यावहारिक हो और इस प्रकार हम उस आरोप से अपने को अलग रखें जो कारलाइल ने हाउस आफ कॉमन्स के विरुद्ध लगाया था।

*मजदूर और संसदीय लोकतंत्र

(इंडियन फ़ैडरेशन ऑफ़ लेबर के तत्वावधीन में 8 से 17 सितम्बर, 1943 तक दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं के अध्ययन शिविर के समापन सत्र में दिया गया भाषाण)

मैं आपके सचिव का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज संध्या-समय यहां आने और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है। मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करने में झिझक रहा था जिसके दो कारण थे। पहली बात तो यह कि मैं शायद ही कोई ऐसी बात कह सकता हूँ जिससे सरकार बंध जाए। दूसरे, मैं मजदूर संघ के बारे में भी जिसमें आप मुख्य रूप से रुचि रखते हैं, बहुत कम कह सकूंगा। मैंने इस निमंत्रण को इसलिए स्वीकार किया है कि आपके सचिव किसी प्रकार भी मेरी 'ना' स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मैंने भी यह महसूस किया कि शायद मेरे लिए यह सर्वोत्तम अवसर है जब मैं भारत के श्रम संगठन पर अपने विचार व्यक्त कर सकूंगा जो मेरे मन में सर्वोपरि स्थान बनाए हुए हैं और जिसके बारे में मैंने सोचा कि वे लोग भी दिलचस्पी ले सकते हैं जो मुख्य रूप से मजदूर-संघवाद में रुचि रखते हैं।

मानव समाज की सरकार कुछ बहुत अहम परिवर्तनों से गुजरी है। एक ऐसा भी समय था जब मानव समाज की सरकार के निरंकुश शासक तानाशाही शासन चलाते थे। यह सरकार एक लंबे और खूनी संघर्ष द्वारा संसदीय लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध शासन पद्धति में बदल गई। यह महसूस किया गया कि यह शासन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। यह विश्वास किया गया कि यह एक ऐसा स्वर्णिम युग लाएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशहाली का अधिकार प्राप्त होगा। इन आशाओं का अच्छा आधार भी था। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका होती है जो जनता की आवाज अभिव्यक्त करती है; कार्यकारिणी भी होती है जो विधायिका के अधीन

* इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर, 30 फ़ैज बाजार दिल्ली द्वारा प्रकाशित भाषण। बंबई के श्री आर. टी. शिंदे द्वारा सौंपी गई प्रति।

होती है और उसे विधायिका की आज्ञा का पालन करना होता है। विधायिका और कार्यकारिणी के ऊपर न्यायपालिका का अधिकार होता है और न्यायपालिका इन दोनों को निर्धारित सीमाओं में बांधे रखती है। संसदीय लोकतंत्र में लोकप्रिय सरकार के सभी चिह्न होते हैं। इस प्रकार की सरकार लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए होती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध हुआ है यद्यपि एक शताब्दी भी नहीं बीती है जबकि इसकी व्यापक रूप से स्वीकृति हुई। इस पद्धति के विरुद्ध इटली, जर्मनी, रूस और स्पेन में विद्रोह हुआ है, और कुछ ही ऐसे देश हैं जहां संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध असंतोष नहीं है। संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध इस बेचैनी और असंतोष का क्या कारण है? यह प्रश्न विचार करने योग्य है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रश्न पर विचार करने की तात्कालिकता भारत से अधिक हो। भारत संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बातचीत कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है जिसमें भारतीयों से यह कहने के लिए पर्याप्त साहस हो कि, “संसदीय लोकतंत्र से बचिए। यह सर्वोत्तम पद्धति नहीं है जैसा कि वह दिखाई देती है।”

संसदीय लोकतंत्र क्यों असफल हुआ? तानाशाहों के देश में यह पद्धति असफल हुई क्योंकि यह ऐसी व्यवस्था है जिसकी गति बहुत धीमी है। यह पद्धति तीव्र कार्रवाई में विलंब करती है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यकारिणी को उस विधायिका द्वारा रोका जा सकता है जो उन कानूनों को पारित करने के लिए इन्कार करे जिन्हें कार्यकारिणी चाहती है, और यदि विधायिका इन कानूनों को पारित करने में देर न करे तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर देर कर सकती है। संसदीय लोकतंत्र तानाशाही को खुली छूट नहीं देता। इसीलिए, इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में लोकतंत्रीय पद्धति की अवहेलना की जाती है जहां तानाशाहों का शासन है। यदि केवल तानाशाह ही संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध होते तो कोई अंतर नहीं पड़ता। संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध उनकी शहादत कोई माने नहीं रखती। वास्तव में संसदीय लोकतंत्र का इस कारण स्वागत किया जा सकता है कि वह तानाशाही पर प्रभावकारी नियंत्रण रख सकती है। परंतु, दुर्भाग्यवश, उन देशों में भी संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध भारी असंतोष है जहां लोग तानाशाही के विरोधी हैं। यह संसदीय लोकतंत्र के बारे में सबसे खेदनजक तथ्य है। इससे भी अधिक खेदजनक यह है कि संसदीय लोकतंत्र कहीं थमा नहीं है। इसने तीन दिशाओं में प्रगति की है। राजनीतिक अधिकारों की समता की धारणा के विस्तार द्वारा इसकी प्रगति हुई है। संसदीय लोकतंत्र वाले ऐसे बहुत कम देश हैं जहां वयस्क मतदान हो। इस पद्धति ने सामाजिक समता और आर्थिक अवसर के सिद्धांत को स्वीकार किया है और तीसरे इसकी मान्यता यह है कि जो

संस्थाएं अपने उद्देश्य में समाज-विरोधी हैं वे राज्य की अवहेलना नहीं कर सकती। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, उन देशों में संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध भारी बैचैनी है जो लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं। ऐसे देशों में असंतोष के कारण स्पष्टता वे उन देशों से अलग हैं जो तानाशाही देश कहलाते हैं। इसमें विस्तार से जाने का समय नहीं है। परंतु सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति असंतोष इस अनुभव के कारण है कि यह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति अथवा खुशहाली के अधिकार के आश्वासन के प्रति असफल रहा है। यदि यह सच है, तो उन कारणों को जानना महत्वपूर्ण है जिनके फलस्वरूप यह असफलता प्राप्त हुई है। इस असफलता के मूल में गलत विचारधारा अथवा गलत संगठन अथवा दोनों ही हो सकते हैं। मेरे विचार से दोनों में ही ये कारण खोजे जा सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र को दूषित करने वाली विचारधारा के बारे में मैं केवल दो बातें कह सकता हूँ। मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाली चीज है करार की स्वतंत्रता का विचार। इस विचार को बड़ा पुनीत माना गया और इसे स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार किया गया। संसदीय लोकतंत्र ने आर्थिक असमानताओं की ओर ध्यान नहीं दिया और इस बात पर विचार नहीं किया कि करार करने वाले पक्षों की स्वतंत्रता के परिणाम क्या निकलेंगे, यदि वे पक्ष असमान हों। इसने इस बात की परवाह नहीं की कि करार की स्वतंत्रता ने सशक्त को यह अवसर दिया कि वह कमजोर को धोखा दे सकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता की अग्रणी हिमायती होते हुए गरीबों, दलितों और वंचितों की आर्थिक विषमताओं को और बढ़ाया है। दूसरी गलत विचारधारा जिसने संसदीय लोकतंत्र को दूषित किया है, यह समझ पाने की असफलता जहां कोई भी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो वहां राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इस उक्ति पर कोई भी प्रश्न उठा सकता है। ऐसे लोगों से जो इसके बारे में प्रश्न उठाते हैं मैं एक प्रति प्रश्न करना चाहूंगा। इटली, जर्मनी और रूस जैसे देशों में संसदीय लोकतंत्र इतनी सरलता से क्यों असफल हो गया? यह पद्धति इंग्लैंड और अमरीका में इतनी सरलता से भंग क्यों नहीं हुई? मेरे विचार से इसका केवल एक उत्तर है - अर्थात् इन दोनों देशों में पहले बताए गए देशों की अपेक्षा अधिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र के स्नायु और तंत्र हैं। ये स्नायु और तंत्र जितने अधिक मजबूत होते हैं, उतना ही शरीर सशक्त होता है। लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। संसदीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता की चाह का विकास किया, परंतु समानता के प्रति इसने नकारात्मक रुख अपनाया। यह समानता के महत्व के अनुभव करने में असफल रहा और इसने स्वतंत्रता तथा समानता के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रयास नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता ने

समानता को निगल लिया तथा असमानता को पनपने दिया।

मैंने उन गलत विचारधाराओं का उल्लेख किया जो मेरे विचार से संसदीय लोकतंत्र की असफलता के लिए उत्तरदायी हैं। परंतु मुझे इस बात का यकीन है कि गलत विचारधारा से भी अधिक लोकतंत्र का त्रुटिपूर्ण संगठन इसकी असफलता के लिए उत्तरदायी है। सभी राजनीतिक समाज दो वर्गों में विभाजित होते हैं - शासक और शासित। यह एक अनिष्टकर बात है। यदि यह बात यहीं रुक जाती तो अधिक तूल न पकड़ती। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि यह विभाजन इतना दकियानूसी और संतुष्टिदायक बन जाता है कि शासक सदैव शासक वर्ग के होते हैं और शासित वर्ग कभी भी शासक वर्ग नहीं बन सकता। लोक स्वयं को शासित नहीं करते अपितु वे एक सरकार की स्थापना करते हैं और उस सरकार को स्वयं पर शासन करने के लिए मुक्त छोड़ देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यह सरकार उनकी नहीं है। यह स्थिति होने के कारण संसदीय लोकतंत्र की कभी भी ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो लोगों की हो अथवा लोगों द्वारा हो, और यही कारण है कि यह सरकार कभी भी लोगों के लिए नहीं बनी। संसदीय लोकतंत्र लोकप्रिय सरकार का ताना-बाना होते हुए भी वास्तव में एक वंशानुगत शासक वर्ग द्वारा वंशानुगत प्रजा वर्ग की सरकार है। यही उस राजनीतिक जीवन का अनिष्टकारी संगठन है जिसने संसदीय लोकतंत्र को बिल्कुल असफल बनाया है। यही कारण है कि संसदीय लोकतंत्र ने उस आशा की पूर्ति नहीं की जिसे उसने मानव की स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए जनसाधारण तक पहुंचाया था।

प्रश्न यह है कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि संसदीय लोकतंत्र गरीब मजदूर और दलित वर्गों को लाभ पहुंचाने में असफल हुआ है, तो यहीं वे वर्ग हैं जो मुख्यतया इस स्थिति के उत्तरदायी हैं। सर्वप्रथम, इन वर्गों ने मानव जीवन में आर्थिक तत्व के प्रभाव क प्रति निपट उदासीनता दिखलाई है। हाल ही में किसी ने “एंड आफ द इकानॉमिक मैन (आर्थिक व्यक्ति का अंत)” नामक पुस्तक लिखी है। हम वास्तव में ‘एंड ऑफ द इकानॉमिक मैन’ की चर्चा नहीं कर सकते जिसका आम कारण यह है कि आर्थिक व्यक्ति कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। मार्क्स के विरुद्ध यह कही जाने वाली बात है कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे ही जीवित नहीं रहता, दुर्भाग्यवश सच है। मैं कारलाइल के इस विचार से सहमत हूँ कि सभ्यता का उद्देश्य यह नहीं है कि मनुष्य केवल मोटा बनाया जाए जैसा कि हम सुअरों को बनाते रहते हैं हम उस स्थिति से बहुत दूर हैं। सुअरों के समान मोटा होना तो दूर, श्रमिक वर्ग भूखा मर रहा है और हम चाहते हैं कि उनके लिए सर्वप्रथम रोटी की व्यवस्था की जाए और बाद में किन्हीं अन्य वस्तुओं की।

मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसकी वैधता के बारे में भारी मतभेद उभरा। मेरे विचार से मार्क्स ने इसे सिद्धांत के रूप में नहीं वरन् श्रमिकों को दिशा दिखाने के रूप में प्रतिपादित किया था कि यदि श्रमिक वर्ग अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि महत्व दे, जैसाकि स्वामी-वर्ग अपने हितों को देता है, तो इतिहास जीवन के आर्थिक पहलुओं को पहले से बेहतर तरीके से उजागर करेगा। यदि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत पूर्णतया सत्य नहीं है, तो इसका कारण यह है कि कुल मिलाकर श्रमिक वर्ग आर्थिक तथ्यों को वह आवश्यक शक्ति देने में असफल हुआ है जो वह सहयोगी जीवन को दिशा के रूप में उसे प्रदान करती है। श्रमिक वर्ग मानवता की सरकार से संबंधित साहित्य से अपने को अवगत कराने में असफल हुआ है। श्रमिक वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिकों की परिस्थितियों के बारे में रूसो के सोशल कांटेक्ट, मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनीफैस्टों और पोप लियो XIII के एनसाइक्लिकल के विचारों और जान स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के विचारों से अवगत होना चाहिए। आधुनिक समय के सामाजिक और सरकारी संगठन के आधारभूत कार्यक्रम दस्तावेजों में से मैंने केवल चार का उल्लेख किया है, परंतु श्रमिक वर्ग इन पर उतना ध्यान नहीं देगा जितनी आवश्यकता है। इसके विपरीत श्रमिकों को प्राचीन सम्राटों और महारानियों की असत्य और कल्पित कहानियों के पढ़ने में आनंद आता है और वे इस प्रकार का साहित्य पढ़ने के आदी हो गए हैं।

एक अन्य और बड़ा अपराध है जो उन्होंने स्वयं अपने विरुद्ध किया है। उन्होंने सरकार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा विकसित नहीं की है, और वे इस बात की आवश्यकता नहीं समझते कि उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, यहां तक कि सरकार में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उन तमाम त्रासदियों में जिन्होंने मानवता को उथल-पुथल किया है, यह सबसे बड़ी त्रासदी है। कोई भी संगठन हो उसने मजदूर संघ का स्वरूप धारण कर लिया है। मैं मजदूर संघों का विरोधी नहीं हूँ। उनसे बहुत उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति होती है। परंतु यह मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी कि मजदूर संघ श्रमिकों की सभी व्याधियों के लिए रामबाण है। मजदूर संघ कितने ही सशक्त क्यों न हों, फिर भी ये इतने शक्तिशाली नहीं होते कि पूंजीवादियों को पूंजीवाद सही प्रकार चलाने को बाध्य कर सकें। मजदूर संघ तभी अधिक प्रभावकारी होंगे जब उनके पीछे श्रमिकों की एक विश्वसनीय सरकार हो। श्रमिकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे सरकार पर नियंत्रण करना अपना लक्ष्य बनाएं। जब तक कि मजदूर संघवाद का उद्देश्य सरकार के नियंत्रण का नहीं होता, तब तक मजदूर संघ कामगारों को बहुत कम लाभ पहुंचा सकेंगे और मजदूर संघ नेताओं के बीच अनवरत तकरार का स्रोत बने रहेंगे।

श्रमिक वर्गों का तीसरा दुर्बलकारी पाप यह है कि वे उस सरल मार्ग को अपनाते हैं जो उन्हें राष्ट्रीयता की अपील द्वारा भ्रमित कर देता है। श्रमिक वर्ग प्रत्येक दशा में कंगाल है और उसके पास देने के लिए नाम मात्र का धन है, परंतु वह प्रायः तथाकथित राष्ट्रीयता के उद्देश्य के लिए अपना सभी कुछ बलिदान कर देता है। श्रमिक वर्गों ने भी यह जानने की चिंता नहीं की कि जिस राष्ट्रीयता के लिए वे बलिदान कर रहे हैं तो क्या यह राष्ट्रीयता स्थापित होने के पश्चात्, उन्हें सामाजिक और आर्थिक समता प्रदान करेगी। अधिकतर मामलों में, स्वतंत्र राष्ट्रीय देश जिसका उद्भव सफल राष्ट्रवाद से हुआ है और जो श्रमिकों के बलिदानों से पोषित हुआ है, अपने सत्ताधारी स्वामियों के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग का शत्रु बन जाता है। यह शोषण की सबसे खराब स्थिति है जो श्रमिकों ने स्वयं ही अपने ऊपर अधिरोपित कर ली है।

यदि श्रमिक वर्ग को संसदीय लोकतंत्र पद्धति के अंतर्गत रहना है तो उसे यथासंभव सर्वोत्तम साधन तैयार करने चाहिए जिनके द्वारा उस पद्धति को वह अपने लाभ-कार्यों में प्रयुक्त कर सके। जहां तक मैं समझता हूं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात यह है कि मजदूर संघों की मात्र स्थापना को भारत के श्रमिकों के अंतिम उद्देश्य और प्रयोजन की दृष्टि से नकारा जाए। इसे यह घोषणा कर देनी चाहिए कि इसका उद्देश्य श्रमिकों की सरकार बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे एक राजनीतिक श्रम पार्टी संगठित करनी चाहिए। ऐसी पार्टी में मजदूर संघ तो निश्चित रूप से होंगे ही, परंतु इसे संघवाद के संकीर्ण और निरुद्ध करने वाले दृष्टिकोण से, अंतिम लाभ के स्थान पर तात्कालिक लाभ पर जोर देने से और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने में मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के निहित स्वार्थ से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही इसे सांप्रदायिक अथवा पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों तथा हिंदू महासभा अथवा कांग्रेस से अलग किया जाना चाहिए। श्रमिकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कांग्रेस अथवा हिंदू महासभा अथवा इनमें से किसी शिविर के महज इसलिए अनुयायी बनें कि वे संस्थाएं भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का दावा करती हैं। श्रमिक अपने ही प्रकार के अलग राजनीतिक संगठन द्वारा इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। श्रमिक कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों के ही चुंगल से मुक्त होकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई अधिक अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं। श्रम संगठन राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा खाने से अपने आपको रोक सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम संगठन भारतीय राजनीति की अविवेकता के विरुद्ध सशक्त अवरोध के रूप में कार्य कर सकता है। कांग्रेस राजनीति का दावा है कि वह क्रांतिकारी है। यही कारण है कि इसके अनेक अनुयायी बन गए हैं। परंतु यह भी सत्य है कि कांग्रेस राजनीति ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया

है, अपितु नैराश्य ही उत्पन्न किया है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस की राजनीति अत्यधिक अविवेकी है और इस अविवेक का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भारत के श्रमिकों की एक पार्टी इस अविवेक को दूर करने के लिए, जिसने गत दो दशकों में भारतीय राजनीति पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगी। दूसरी बात यह है कि भारत के श्रमिकों को यह अनुभव करना है कि ज्ञान के बिना शक्ति नहीं आती। जब श्रमिकों की कोई पार्टी भारत में बनाई जाए और जब यह पार्टी चुनाव से पूर्व गद्दी पर बैठने का अपना दावा करे तो प्रश्न यह उठेगा कि क्या श्रमिकों की पार्टी शासन करने योग्य है? यह उत्तर देना ठीक नहीं होगा कि श्रमिक अन्य वर्गों की तुलना में देश अथवा विदेश के मामलों में कम कुशलता अथवा दिवालियापन नहीं दिखाएंगे। श्रमिकों को ठोस तरीके से यह सिद्ध करना होगा कि वे अधिक कुशलता से शासन कर सकते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रमिकों की सरकार का स्वरूप अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक कठिन है। श्रमिकों की सरकार 'अहस्तक्षेप नीति' की सरकार नहीं बन सकती। यह ऐसी सरकार होगी जो वस्तुतः नियंत्रण की पद्धति पर आधारित होगी। नियंत्रण की पद्धति में 'अहस्तक्षेप नीति' की सरकार की अपेक्षा अधिक ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश भारत के श्रमिकों ने अध्ययन के महत्व को नहीं समझा है। भारत के श्रमिकों के नेताओं ने यह सीखा है कि उद्योगपतियों को किस प्रकार बुरा-भला कहा जाए। श्रमिकों के नेताओं की अंततोगत्वा भूमिका यह रही है कि उन सबको अधिक से अधिक बुरा-भला कहें।

इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इंडियन फेडरेशन आफ लेबर ने यह कमी पहचान ली है और श्रमिकों के वर्गों के लिए अध्ययन की व्यवस्था है जिससे श्रमिक शासन करने योग्य बन जाएंगे। मुझे आशा है कि फेडरेशन अन्य आवश्यकता यथा श्रमिकों की पार्टी के उद्घाटन को नहीं भूलेगी। जब यह कार्य सम्पन्न हो जाए तो फेडरेशन धन्यवाद की पात्र होगी कि उसने श्रमिक वर्ग की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया।

*भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को उस पर राय जानने हेतु परिचालित किया जाए।”

इस विधेयक के बारे में राय जानने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव केवल परिचालन के लिए है इसलिए मुझे यह अनावश्यक लगता है कि मैं सदन का समय लूं और इस विधेयक के उन उपबंधों पर ब्यौरवार चर्चा करूं जो इस विधेयक में निहित हैं। मेरे विचार से सदन से यह कहना पर्याप्त है कि विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसा क्या उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सरकार को यह विशिष्ट विधेयक लाना पड़ा।

इस विधेयक की तीन प्रमुख बातें हैं। इसमें नियोक्ता पर यह जोर दिया गया है कि वह मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करे। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में मजदूर संघ पर भी कतिपय शर्तें आरोपित की गई हैं। इन शर्तों के अनुसार मजदूर संघ को नियोक्ता द्वारा मान्यता दिए जाने के योग्य होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि यदि किसी मजदूर संघ ने इस विधेयक में निर्धारित मान्यता-प्राप्ति की सभी शर्तों का पालन किया है और जिस कारण वह मान्यता योग्य है, ऐसी दशा में यदि कोई नियोक्ता उसे मान्यता देने से इन्कार करता है, तो इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार, नियोक्ता को ऐसा करना एक अपराध होगा जिसके लिए वह कानूनन दंड का भागी होगा।

जैसाकि मैं कह चुका हूँ, इस विधेयक के उपबंधों पर इस समय चर्चा करना अनावश्यक है। यह प्रस्ताव केवल परिचालित करने के लिए है जिसका स्पष्टतया अर्थ यह है कि सरकार द्वारा बनाए गए विधेयक में इस समय जो उपबंध हैं वे केवल अस्थायी हैं। इनके बारे में कोई अंतिम स्थिति अभी नहीं है और सरकार का ऐसा

कोई प्रस्ताव नहीं है कि इन उपबंधों को अंतिम माना जाए। जब सरकार को श्रमिकों के नेताओं, नियोक्ताओं, प्रांतीय सरकारों और उन अन्य पार्टियों के मत प्राप्त होंगे जिनका कि इन विधेयक से संबंध है तब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उस समय लाया जाने वाला विधेयक उस प्रारूप से नितान्त भिन्न हो सकता है जो इस समय हमारे सम्मुख है। सरकार उन विभिन्न सुझावों पर ध्यान देगी जो इसके परिचालन के फलस्वरूप आएंगे।

श्री एन. एम. जोशी (मनोनीत गैर-सरकारी) : मैं समझता हूँ कि यह बेहतर होगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सदस्य का यही दृष्टिकोण होगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार किस उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए यह विधेयक लाई है।

सदन को याद होगा कि इस मामले पर विचार किया जा चुका है और इस प्रश्न पर काफी ध्यान दिया गया था कि मजदूर संघों को नियोक्ताओं द्वारा मान्यता दी जाए और वे सभी माननीय सदस्य जिन्होंने श्रमिकों के संबंध में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है याद करेंगे कि रॉयल कमीशन ने मजदूर संघों के स्वस्थ विकास के लिए और नियोक्ताओं व मजदूरों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयोजन से मजदूर संघों को मान्यता देने पर बड़ा जोर दिया है। सदन को यह भी याद होगा कि रॉयल कमीशन ने उस समय यह कहा था कि सर्वोत्तम तो यह होगा कि यह मान्यता नियोक्ताओं पर विधि का दबाव न डालकर उनकी स्वेच्छा से प्राप्त की जाए। सदन को यह भी याद होगा कि रॉयल कमीशन ने 1929 में रिपोर्ट दी थी और अब 12 वर्ष बीत जाने पर भी नियोक्ताओं की ओर से ऐसी कोई इच्छा प्रकट नहीं की गई है कि वे स्वेच्छा से मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करेंगे। वास्तव में नियोक्ताओं ने मजदूर संघों की मान्यताओं के विरोध में रॉयल कमीशन के समक्ष जो भी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं वे आपत्तियां आज भी मौजूद हैं और नियोक्ताओं का यह दबाव है कि मजदूर संघों को मान्यता न दी जाए। इसके फलस्वरूप, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस प्रश्न पर 1937 के बाद, जब प्रांतीय स्वायत्तता अस्तित्व में आई उन अधिकांश प्रांतीय सरकारों ने विचार किया था जो अस्तित्व में आई थी और जिन्होंने नवीन अधिनियम के अंतर्गत कार्यभार संभाला था। गैर-सरकारी सदस्यों तथा सरकारी मंत्रालयों द्वारा विधेयक पेश किए गए ताकि नियोक्ता मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करें। उदाहरणार्थ, मद्रास में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया और तत्कालीन मंत्रालय ने भी एक सरकारी कानून इस संबंध में बनाया। बंबई में, बंबई मजदूर विवाद अधिनियम आया। मध्य प्रांत में एक

अधिनियम के बारे में सोचा गया और एक प्रारूप तैयार किया गया और इसी प्रकार का कार्य संयुक्त प्रांत में भी किया गया। दुर्भाग्यवश, बंबई को छोड़कर अन्य प्रांतों के मंत्रालयों ने अपनी योजनाओं को विधिसम्मत रूप देने से पूर्व त्यागपत्र दे दिए। फिर भी भारत सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता के अस्तित्व में आने के बाद केंद्र और प्रांतों में सहयोग की पद्धति का सुभारंभ किया और इस सहयोग के लिए अपनाया गया एक मार्ग श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित करना। श्रम मंत्रियों का पहला सम्मेलन 1940 में इस विषय पर प्रांतीय सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के बीच विचार-विमर्श करने के बाद आयोजित किया गया। उस समय यह निर्णय किया गया कि पर्याप्त सामग्री के अभाव में इस मामले में सम्मेलन द्वारा कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है और इसलिए सम्मेलन ने केंद्रीय सरकार को यह निदेश दिए कि इस मामले को प्रांतीय सरकारों को भेजना चाहिए ताकि प्रांतीय सरकारों तथा श्रमिकों के नेताओं और नियोक्ताओं के मत मिल सकें और यह सभी सामग्री श्रम मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन में प्रस्तुत की जाए जिसका आयोजन वर्ष 1941 में हो। तदनुसार, भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को एक पत्र भेजा जिसका प्रयोजन उन विभिन्न पक्षों के मतों का संग्रह करना था जिनका इस कानून से संबंध था। विभिन्न प्रांतीय सरकारों द्वारा पर्याप्त मत एकत्र किए गए और उन्हें विभिन्न प्रांतों ने केंद्रीय सरकार को भेज दिया। 1941 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में यह पूरी सामग्री प्रस्तुत की गई। उस समय यह निष्कर्ष निकाला गया कि केंद्रीय सरकार कानून बनाने का काम अपने हाथ में ले और वह कानून विशुद्ध प्रांतीय नहीं होना चाहिए तथा उसका प्रारूप उन उत्तरों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए तो प्रांतीय सरकारों तथा उन विभिन्न पक्षों से प्राप्त हुए थे। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले लिया और प्रस्तुत विधेयक वस्तुतः उन मतों पर विचार करके तैयार किया गया है। यही इस विधेयक का मूल है। इससे यह स्पष्ट होगा कि श्रम कानून प्रांतीय विषय होते हुए भी केंद्रीय सरकार इस विधेयक को क्यों लाई है।

मैं नहीं समझता कि मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं इसके बारे में अधिक कुछ कहूं। जैसा कि मैं ने पहले कहा, ये प्रस्ताव अस्थायी है, अपने अंतिम रूप में नहीं है, और तब तक कोई अंतिम रूप नहीं हो सकता जब तक कि मौजूदा विधेयक के प्रारूप के बारे में लोक मत प्राप्त न हो जाएं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह उन सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है जिन पर इस विधानमंडल से विचार करने का आग्रह किया गया है। यह एक अत्यंत महत्व का कानून है। अमरीका और स्वीडन के देशों को छोड़कर, अन्य देशों में मजदूर संघों की मान्यता स्वैच्छिक प्रयत्न

पर अवलंबित है। मुझे आशा है कि यह कानून विवादास्पद नहीं होगा। मैं इससे अधिक कहने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मैं विधेयक में प्रस्तावित उपबंधों के लिए तब उत्तरदायी बनूँ जब इसकी सार्वजनिक जांच-पड़ताल हो चुके। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को उस पर राय जानने हेतु परिचालित किया जाए।”

*श्री पी. के. ग्रिफिथ्स (असम : यूरोपीय) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष प्रस्ताव है कि विधेयक को परिचालित किया जाएमैं अपने माननीय मित्र को यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि मजदूर संघों के अनेक दुश्मन हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनमें से एक नियोक्ता है।

* * *

@माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके बारे में वाद-विवाद उठ खड़ा है यद्यपि ऐसी आशा नहीं थी। मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में कहा था कि यह विधेयक असंदिग्ध रूप से विवादास्पद कानून है, परंतु मैंने यह भी कहा था कि मैं इस समय किसी भी वाद-विवाद में उलझना नहीं चाहता तथा उन विभिन्न मुद्दों पर कुछ नहीं कहना चाहता जो उठाए गए हैं। मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति कोई प्रतिकूल भावना या अशिष्टता दिखाकर कुछ नहीं कहना चाहता जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है तथा अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी बताई गई बातों को मैं अपने ध्यान में रखूँगा तथा उनकी वैधता के बारे में उपयुक्त अवसर आने पर विचार करूँगा।

यदि मैं इस समय उत्तर देने के लिए खड़ा हो जाऊँ तो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह अवसर उन सब विभिन्न मुद्दों के उत्तर देने का नहीं है जो उठाए गए हैं। परंतु मैं यह महसूस करता हूँ कि मुझे उन कुछ आलोचनागत मुद्दों का उत्तर देना है जो हमारे माननीय मित्र श्री ग्रिफिथ्स ने उठाए हैं। उन्होंने एक मुद्दा ऐसा उठाया है जिसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बहुत अनुचित है। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा कानून प्रस्तुत किया है जिसमें किसी न किसी प्रकार की अस्पष्टता है और जैसा कि कहा गया है, यह खोखला है। उनकी आलोचना यह थी कि इस प्रकार का अस्पष्ट और खोखला कानून प्रस्तुत करना मेरे लिए एक अनुचित कार्य

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय) खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 256

@ वही, पृष्ठ 276

था। मैं इस आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं यह कहता हूँ कि यह पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण तथा निराधार आलोचना है। सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार नहीं करता कि इस विधेयक में ऐसे खंड हैं जो अस्पष्ट हैं अथवा ऐसे खंड हैं जो खोखले हैं जिससे कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि विधेयक का उद्देश्य क्या है। भले ही एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि कुछ अस्पष्ट हैं और अन्य कुछ में विषय-सामग्री के सम्मिलित करने की आवश्यकता है, तो भी मैं यह नहीं समझता कि इस प्रकार की आलोचना संगत है। यदि मैं सदन से यह निवेदन करता कि इस अधिनियम को उसी रूप में कानून बना दिया जाए जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है तो मैं आलोचना की बात समझ सकता था। परंतु मैं यह नहीं कर रहा हूँ। मैं सदन से केवल अनुमति ही चाहता हूँ कि यथास्थिति में इस विधेयक को मत प्राप्त करने के उद्देश्य से परिचालित किया जाए ताकि सरकार को ऐसे सभी पक्षों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके तो मार्गदर्शन दे सकते हैं और सरकार रिक्त स्थानों को भरने के योग्य बन सके तथा उन सभी चीजों के बारे में सुनिश्चित हो सके जो अस्पष्ट हैं। अतः मेरा निवेदन है कि श्री ग्रिफिथ्स ने जो आलोचना की है उसमें कोई दम नहीं है।

श्री ग्रिफिथ्स ने तत्पश्चात् कहा कि उनके विचार से यह विधेयक सिद्धांततः ठीक नहीं है। ठीक है, यह मामला विचारों का है। मैंने विपक्ष के कुछ लोगों को यह कहते सुना है कि इस विधेयक में ठोस सिद्धांत निहित हैं और इसे अधिनियम में बदल दिया जाना चाहिए। अतः मैं उनकी इस आलोचना पर कुछ अधिक नहीं कहूंगा।

उन्होंने एक और बात यह कही है कि मैंने यह नहीं बताया कि प्रतिनिधि मजदूर संघ क्या होता है बिना किसी अपराध की भावना से यदि मैं कहूंगा कि उन्होंने विधेयक के खंडों का अध्ययन नहीं किया है अथवा किया भी है तो वह इन खंडों को नहीं समझे हैं। विधेयक के खंडों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विधेयक में दो मुख्य शर्तें रखी गई हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि यदि मजदूर संघ को मान्यता दी जानी है तो उसे कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। दूसरी शर्त यह रखी गई है कि यदि दी गई शर्तों को पूरा भी किया जाता है तो यह केवल मान्यता देने के लिए अर्हता नहीं है परंतु मजदूर संघ इन अर्हताओं को पूरा करने के अलावा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र के परीक्षण के लिए भी तैयार हो। वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि विधेयक का मुख्य सिद्धांत - उसका आधार - यह है कि मजदूर संघ की मान्यता अन्य शर्तों पर आधारित होगी जिन्हें श्रमिकों, सरकार और नियोक्ताओं के एक त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा तैयार किया जा सकता है। मेरे मित्र ने खंड 28(घ) के उपखंड (छ) के बारे में कुछ कहा है जबकि इस खंड में

उपबंध है : “ऐसी अगली शर्तें जो निर्धारित की जाएं।” मैं बिल्कुल नहीं समझा पर रहा हूं कि ग्रिफिथ्स ने कैसे उस खंड के उद्देश्य को बिल्कुल गलत समझा है। सरकार की स्थिति है

श्री पी. जे. ग्रिफिथ्स : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि मैंने उपखंड (छ) का उल्लेख नहीं किया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इस बात का खेद है कि मैंने माननीय सदस्य को गलत समझा। मैंने यही समझा था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार की स्थिति नितांत स्पष्ट है और इसे संक्षेप में बताया जा सकता है। मैं 1941 में प्राप्त श्रम और पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों के विचारों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो ठोस शर्तें रखी गई हैं, वे पर्याप्त हैं। परंतु सरकार इस बारे में कोई हठधर्मिता नहीं रखना चाहती और सरकार यह भी महसूस नहीं करती कि कुछ ऐसी शर्तें भी हो सकती हैं जिन्हें प्रांतीय सरकारें या श्रमिकों के नियोक्ता अथवा मजदूर संघ मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विधेयक में जोड़ना आवश्यक समझें। इसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिए हमने इन खंडों में कई जगह यह कहा है कि अन्य शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। यह एक बचाव का रास्ता है, यह एक अवसर है जो हमने प्रदान किया है तथा इन खंडों को इस प्रकार बताया है कि हम उस परामर्श का लाभ उठा सकें जो हमें मिले। विधेयक के उपबंधों में इस बारे में कोई अस्पष्टता तथा अनिश्चितता नहीं है कि प्रतिनिधि स्वरूप से क्या अभिप्राय है।

श्री पी. जे. ग्रिफिथ्स : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप नये खंड 28(घ) और उपखंड (ज) के अर्थ को सदन के समक्ष स्पष्ट करेंगे जिसमें कहा गया है कि “यह प्रतिनिधि मजदूर संघ है”?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका अर्थ ऐसे संघ से है जिसे प्रतिनिधि मजदूर संघ के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

श्री पी. जे. ग्रिफिथ्स : क्या बोर्ड अपनी मर्जी के अनुसार मान्यता देगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बोर्ड जांच करेगा, और यही मेरे मित्र श्री जोशी की टिप्पणी का मुख्य बिंदु था। श्री जोशी ने कहा था कि बोर्ड को सभी प्रकार की जानकारी मांगने का अधिकार है जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों के विचार भी शामिल हैं।

श्री पी. के. ग्रिफिथ्स : क्या ऐसा कोई इरादा है कि बोर्ड को इस बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया जाएगा कि “प्रतिनिधि” का क्या अर्थ होता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम ऐसा सोच रहे हैं। इस बारे में हम विभिन्न पक्षों के सुझाव को जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या निर्देश हैं जो वे बोर्ड को देना चाहेंगे।

श्री पी. जे. ग्रिफिथ्स : अतः आप इस विषय में अनभिज्ञ हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अनभिज्ञता नहीं है अपितु खुला दिमाग है। यही मार्ग है जिस पर चल कर मैं अपनी स्थिति को आगे सही ढंग से स्पष्ट कर सकूंगा।

श्री ग्रिफिथ्स और अन्य सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने खंड 27(झ) द्वारा सरकारी कारोबारों को इससे छूट देकर अतार्किक कार्य किया है।

अब, श्रीमन्, मैं पहली बात उठाना चाहूंगा जो इस विचार के उत्तर में है कि **तर्क निश्चित रूप से सदैव ही जीवन नहीं होता।** ऐसे कई अवसर आते हैं जब अतार्किकता की अपेक्षा अतिवाद को अधिक महत्व देगा। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, यदि कोई भी बात खंड 28(झ) के संबंध में कही जा सकती है तो वह यह है कि सरकार डरपोक नहीं है, सरकार अतार्किक नहीं है, अपितु सरकार बुद्धिमान है और सरकार सचेत है। मेरा विचार है कि इस खंड को कुछ गलत समझा गया है। ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस विधेयक के उपबंधों से सरकार को मुक्त रखा जाए। जो भी कहा गया है वह यह है कि एक ऐसी तारीख निश्चित की जाएगी जब इस विधेयक के उपबंध सरकारी कारोबारों पर लागू किए जाएंगे। इसलिए सरकार के पक्ष में कोई विभेद है तो इस विधेयक के लागू करने के संबंध में नहीं है अपितु उस तारीख के बारे में है जिस पर इसे सरकार पर लागू किया जाएगा।

श्री पी. जे. ग्रिफिथ्स : ऐसा क्यों किया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसकी आवश्यकता हो सकती है।

श्री पी. जे. ग्रिफिथ्स : ऐसी आवश्यकता क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस समय किसी भी वाद-विवाद में उलझना नहीं चाहता और जैसा कि डाक और तार विभाग के सचिव ने कहा है, सरकार यह महसूस करती है कि फिलहाल किसी भी दशा में ऐसे सरकारी विभाग जो श्रमिकों के नियोक्ता हैं, अपने मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त उपबंध रखते हैं और इस तथ्य की दृष्टि से कि सरकार ने निश्चय ही निजी नियोक्ताओं की अपेक्षा मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए

अधिक तत्परता दिखाई है, मैं यह नहीं समझता कि श्रमिकों के हितों की हानि होगी यदि इस विधेयक के सरकार पर लागू किए जाने की तारीख को स्थगित किया जाए। श्रीमन्, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

“कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को उस पर राय जानने हेतु परिचालित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत में विद्युत शक्ति का युद्धोत्तर विकास

डॉ. अम्बेडकर का भाषण

भारत में विद्युत शक्ति के युद्धोत्तर विकास से संबंधित समस्याओं पर उस पुनर्निर्माण नीति समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया जिसकी बैठक 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी और भारत सरकार के श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय सरकारों, प्रमुख विद्युत शक्ति वाले राज्यों और इंजीनियरी हितार्थियों ने सरकार के निर्मंत्रण पर इस बैठक में भाग लिया।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा :

महानुभाव, मैं पुनर्निर्माण समिति संख्या 3ग की नीति-समिति की इस बैठक में आपका स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष पर प्रारंभिक भाषण करने का दायित्व भी है और यह उसका अधिकार भी है। मैं यह दायित्व स्वीकार करता हूँ परंतु मैं एक लम्बा भाषण आप पर थोप कर उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। मेरा यह विचार है कि मैं कुछ संगत तथ्यों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करूँ ताकि हमारा ध्यान उन्हीं तथ्यों पर केंद्रित रहे।

आप में से जिन्हें भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्माण की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित व्यवस्था तंत्र के बारे में मालूम नहीं है उन्हें मैं संक्षेप में इस कार्य योजना के बारे में बताना चाहूँगा जो अधिक अच्छे कार्य के लिए अपनाई गई है तथा परिषद की पुनर्निर्माण समिति द्वारा शीघ्रता से लागू किए जाने के लिए हाथ में ली गई है।

पांच समितियां

मुझे विश्वास है कि आपको यह ज्ञात होगा कि पूर्व वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने मार्च में परिषद की पुनर्निर्माण समिति बनाने का निर्णय लिया जिसके अध्यक्ष मेरे

साहसी मित्र और साथी माननीय श्री जे. पी. श्रीवास्तव थे। परिषद की पुनर्निर्माण समिति ने पांच अलग-अलग पुनर्निर्माण समितियां स्थापित की हैं। समिति संख्या 1 का संबंध पुनर्बंदोबस्त और पुनर्रोजगार से है समिति संख्या 2 निपटान, ठेके और सरकारी खरीदों के बारे में काम करती है। समिति संख्या 3 का काम तीन समितियों में विभाजन है : समिति संख्या 3(क) परिवहन से; समिति संख्या 3(ख) डाक-तार और वायु-संचार से; और समिति संख्या 3(ग) लोक-निर्माण और विद्युत शक्ति से संबंधित हैं। समिति संख्या 4 का संबंध व्यापार और उद्योग से है और समिति संख्या 5 का संबंध कृषि से है।

इन समितियों में से प्रत्येक समिति की एक नीति-समिति है जो परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में कार्य करती है और जिसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकारों, रियासतों की सरकारों, तथा व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रत्येक समिति की एक सरकारी समिति भी होती है जो विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है तथा इस समिति में अन्य संबंधित विभागों के सचिव भी होते हैं।

इस प्रकार की दो समितियों के अलावा कुछ पुनर्निर्माण समितियों के पास एक तीसरी समिति होती है जो विषय समिति कहलाती हैं जो अपने क्षेत्र में उठने वाले तकनीकी विषयों को देखती है। इन समितियों के अलावा, सामाजिक सेवाओं की एक सरकारी समिति और अर्थशास्त्रियों की एक परामर्शदात्री समिति होती है। इस प्रकार की कार्य योजना केंद्रीय सरकार द्वारा पुनर्निर्माण की समस्याओं का निराकरण करने के लिए की गई है। हमारी यह बैठक पुनर्निर्माण समिति संख्या 3(ग) की नीति समिति से है। इस समिति का कार्य विद्युत शक्ति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना तथा यह सिफारिश करना है कि इन समस्याओं को सुलझाने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है।

इन समस्याओं का विश्लेषण करने से पूर्व मैं इस प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका संबंध विद्युत शक्ति के उत्पादन से है और जिसके बारे में मैं प्रारंभ में ही कुछ कहना चाहूंगा ताकि यह हमारे रास्ते से हट जाए। इसका संबंध उन मशीनों, औजारों और संयंत्रों को मंगाने से है जिनकी आवश्यकता विद्युत शक्ति के उत्पादन में होगी। इस मशीनरी को विदेश से प्राप्त करना होगा, अधिकांश को ग्रेट ब्रिटेन से। ऐसी मशीनरी को प्राप्त करने में कठिनाइयां आने की संभावनाएं हैं। ग्रेट ब्रिटेन को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी बहुत सी उत्पादन क्षमता को आरक्षित करना है।

कुछ अन्य यूरोपीय और एशियाई देश भी हैं जिन्हें ब्रिटिश और अमरीकी बाजारों से आवश्यक औजारों और संयंत्रों की खरीद करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत के लिए

अपनी आवश्यकता की मात्रा का पर्याप्त सामाना प्राप्त कर पाना कठिन होगा। भारत की स्थिति की सुरक्षा के लिए यह वांछनीय होगा कि भारत औजारों और संयंत्रों के लिए अपने आर्डर यथासंभव शीघ्र दे दे और अधिक से अधिक सामान जो लिया जा सकता है ले। प्राथमिकता के बारे में अधिक कठिनाइयां नहीं हो सकतीं। मैं इस बात से पर्याप्त रूप से आश्वस्त हूँ कि हम महामहिम की सरकार का भरोसा कर सकते हैं और भारत के लिए उच्च प्राथमिकता उस सेवा के बदले में मांग सकते हैं जो हमने युद्ध के दौरान की थी। परंतु अन्य कठिनाइयां हैं जो मुख्यतया इंडेंट तैयार करने तथा पक्के आर्डर के रूप में उन्हें निर्माताओं को भेजना है।

सर्वप्रथम, विद्युत विशुद्ध रूप से प्रांतीय विषय है। अतः औजारों और मशीनरी का तखमीना प्रांतों से प्राप्त करना होगा। केंद्र उन्हें समेकित कर सकता है।

दूसरे, मशीनरी का प्रकार इस बात पर निर्भर होगा कि विद्युत के उत्पादन का आधार कहां क्या है, जैसे जल, भाप, तेल आदि।

तीसरी कठिनाई उन सरकारों की प्रवृत्ति की अनिश्चितता से उत्पन्न होती है जो युद्ध के बाद अस्तित्व में आएंगी। क्या भावी सरकारें वर्तमान सरकार की योजनाओं को स्वीकार करेंगी? क्या भावी सरकारें वर्तमान सरकार का वही कराधान स्तर बनाए रखेंगी जो इन योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है? इन प्रश्नों के बारे में कोई भी व्यक्ति आश्वस्त नहीं हो सकता। परंतु साथ ही यह विडम्बना भी है कि यह सरकार अपने कर्तव्य में असफल होगी यदि इसने भारत की समृद्धि के लिए युद्ध समाप्ति पर विद्युतिकरण की दिशा में आवश्यक उपकरण और संयंत्र प्राप्त नहीं किए।

नीति-समिति के कृत्य

मैं इस मामले को तात्कालिक और महत्वपूर्ण मानता हूँ। परंतु मुझे विश्वास है कि आप मानेंगे कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसका संबंध मुख्यतया इस समिति से हो। यह नीति-समिति है और हमारा मुख्य कार्य है कि हम बिजली के प्रशासन, उत्पादन और वितरण से उभरी समस्याओं का निराकरण करें तथा यह सिफारिश करें कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो भावी भारत सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमने आज अपनी नीति-समिति की बैठक का लाभ उठाया है और प्रांतीय सरकारों तथा रियासतों की सरकारों से कहा है कि वे इस बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजें ताकि उनके विचारों का लाभ उठाया जा सके।

बिजली का विषय सार्वजनिक है और इसने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। भारत सरकार पहली बार 1905 में इससे अवगत हुई और उस समय उसने प्रांतीय सरकारों को एक परिपत्र भेजा। इसके बाद प्रांतीय सरकारें और केंद्रीय सरकार दोनों ही इस

बारे में चुप हो गए। वे तब आगे जब 1918 में भारतीय औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट द्वारा बिजली में सक्रिय रुचि की तात्कालिता पर बल दिया गया और भारतीय सैन्य सामग्री बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में, जो एक वर्ष बाद प्रकाशित की गई, इस बात पर जोर दिया।

औद्योगिक आयोग ने भारत के जल सर्वेक्षण की आवश्यकता की सिफारिश की और यह कहा कि यह सर्वेक्षण निजी उद्यम की अपेक्षा सरकार द्वारा हाथ में लिया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और संयुक्त प्रांत की सिंचाई शाखा के पूर्व चीफ इंजीनियर स्वर्गीय श्री जी. टी. बारलो, सी.आई.ई. को चीफ इंजीनियर के रूप में जल सर्वेक्षण का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया। इस जांच कार्य में उनके साथ भारत सरकार के विद्युत सलाहकार श्री जे. एम. मीरेस, एम. आई. सी. ई. को सहयोगी बनाया गया। श्री बारलो के निधन के बाद शीघ्र ही उनका कार्य श्री मीरेस द्वारा किया जाने लगा जिन्होंने 1919 और 1922 के दौरान तीन अत्यंत उत्कृष्ट रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जिनमें पांच शीर्षकों के अंतर्गत विद्युत सप्लाई की संभावनाओं के संबंध में प्रांत दर प्रांत सूचना दी गई थी। ये शीर्षक इस प्रकार थे : (1) पहले ही से विकसित जल-विद्युत; (2) निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र; (3) खोजे गए क्षेत्र परंतु जिनका विकास नहीं किया गया; (4) ज्ञात स्थल जिनके बारे में विस्तृत जांच वांछनीय है; और (5) ऐसे क्षेत्र और स्थल जिनकी खोज नहीं की गई।

बिजली - एक प्रांतीय विषय

दुर्भाग्यवश, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, बिजली को प्रांतीय विषय बना दिया गया। इस अधिनियम में दुर्भाग्यवश ऐसा कोई उपबंध नहीं था जैसाकि कि मौजूदा अधिनियम में है जो केंद्र सरकार को यह अनुमति देता है कि वह अपने राजस्व को ऐसे मुद्दों पर व्यय करे जो वह उपयुक्त और उचित समझे, यद्यपि वे इसके प्रशासन के क्षेत्र के बाहर थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार के लिए यह असंभव हो गया कि जल-सर्वेक्षण को वित्तपोषित कर सके। भारत को विद्युत मुहैया कराए जाने का श्रेष्ठ, महान और आवश्यक कार्य समाप्त हो गया।

केंद्र में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो भारत में बिजली के विकास का प्रभारी हो। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें केंद्र में अभी तक कोई आंकड़े प्राप्त नहीं थे जिनका संबंध भारत में उत्पादन, वितरण और प्रशासन से हो।

अंतः मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि भारत में बिजली से संबंधित विषय एक बार फिर गंभीर विचार के लिए सामने आया है। वहां तक मैं इसका पूर्वानुमान करने

के योग्य हूँ, ऐसे प्रश्न जो इस समिति के लिए चिंताजनक होने चाहिए, वे हैं :

(1) क्या बिजली निजी क्षेत्र के पास होनी चाहिए अथवा इसका स्वामित्व राज्य का होना चाहिए?

(2) यदि बिजली निजी स्वामित्व में हो, तो क्या ऐसी भी शर्तों लगाई जाएं जो सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हों?

(3) बिजली के विकास का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो अथवा प्रांतीय सरकारों का?

(4) यदि यह उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है, तो इसके प्रशासन का सबसे प्रभावकारी तरीका क्या हो ताकि बिजली की सस्ती और प्रचुर आपूर्ति की जा सके और संसाधनों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

(5) यदि यह उत्तरदायित्व प्रांतों का है, तो क्या प्रांतों में इसका प्रशासन एक अंतःप्रांतीय बोर्ड के अधीन हो जिसका परामर्श देने तथा समन्वय करने की शक्ति भी प्राप्त हो?

तीन विचार

इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के दो पहलू हैं। प्रत्येक पक्ष के अपने समर्थक हैं। मैं इस समय अपना कोई भी मत व्यक्त नहीं करना चाहता। मेरा खुला दिमाग है, परंतु यह विचारहीन दिमाग नहीं है। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उनसे ऐसे निष्कर्षों पर आना चाहता हूँ जिनके द्वारा बिजली के विकास का बेहतर तरीका उपलब्ध हो सके। अतः हमें अपने मस्तिष्क में ये तीन बातें रखनी होंगी :

(1) दोनों में से किससे हमें बिजली कम कीमत पर ही नहीं अपितु सबसे कम कीमत पर मिल सकती है;

(2) दोनों में से किससे हमें बिजली केवल पर्याप्त रूप में ही नहीं अपितु प्रचुर मात्रा में भी मिल सकती है; और

(3) दोनों में से कौन सा तरीका हमें महत्वपूर्ण रेलवे के समान ही भारत में बिजली की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा, अर्थात् तात्कालिक लाभ के विचार के बिना एक उपक्रम के रूप में इसे प्रारंभ किया जाना।

मैं उपरोक्त विचारों पर जोर देता हूँ क्योंकि भारत चाहता है कि उसे सस्ती बिजली और प्रचुर मात्रा में बिजली की सप्लाई आश्वस्त की जाए।

ये प्राथमिक प्रश्न हैं। आपमें से कुछ के मन में इनके बारे में इस आधार पर संशय उत्पन्न हो सकता है कि इनमें से अधिकांश प्रश्नों से संविधान में संशोधन करने का मुद्दा उठता है। जहां तक मेरा संबंध है, मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। संवैधानिक मामले पर निर्णय करने और उस पर मत अभिव्यक्त करने में अंतर होता है। हम संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय नहीं करेंगे। हम उनके संबंध में केवल अपने मत अभिव्यक्त करेंगे। हम इस पर विचार करने से महज इस कारण वंचित ही हो जाते कि ये प्रश्न संवैधानिक प्रकृति के हैं। मुझे पूरा विश्वास है यदि हमें इस विषय पर न्याय करना है जो हमें सौंपा गया है, तो इनसे बच नहीं सकते, हमें इन प्रश्नों का विचार करना ही होगा।

बिजली आपूर्ति विभाग

इन प्रमुख प्रश्नों के अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिन्हें गौण स्थान नहीं दिया जा सकता। यदि विद्युतिकरण में सफलता प्राप्त की जानी है, तो इन प्रश्नों पर भी हमें विचार करना होगा। ये प्रश्न हैं :-

(1) क्या केंद्र में बिजली सप्लाई विभाग की स्थापना आवश्यक है जिसका कर्तव्य उपलब्ध बहुत-स्रोतों यथा कोयला, पेट्रोल, अल्कोहल और प्रवाहित जल आदि का विधिवत सर्वेक्षण करना तथा उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय और साधनों को सुझाव देना हो?

(2) क्या यह आवश्यक है कि केंद्र में विद्युत अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना की जाए ताकि विद्युत के स्रोतों और व्यवस्था तंत्र के बीच संबंध के बारे में समस्याओं का अध्ययन किया जा सके जिससे उपलब्ध बिजली का अधिकतम दक्षता से उपयोग हो सके?

(3) क्या यह आवश्यक है कि विद्युत प्रौद्योगिकी में भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं ताकि भारत को ऐसे कर्मचारी मिल सकें जो विद्युत संयंत्र तथा उपकरणों के निर्माण, अनुरक्षण और सुधार की योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कर सकें?

इससे पूर्व कि मैं अपने भाषण का समापन करूं, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा जो भारत में विद्युत विकास की आवश्यकता का महत्व और लक्ष्य दर्शाती हैं। यह आवश्यक है कि जो लोग भी इस विषय के प्रभारी बनाए जाएं, उन्हें इस महत्व और उद्देश्य को पूर्णतया समझना चाहिए। यदि आप मुझसे इस मामले में सहमत हैं, तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप आपने से यह प्रश्न पूछिए कि “हम भारत में सस्ती और प्रचुर मात्रा में बिजली क्यों चाहते हैं?” इस प्रश्न का उत्तर यह है

कि सस्ती और प्रचुर मात्रा में बिजली के बिना भारत में औद्योगिकीकरण का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। यह उत्तर इस समिति के उस कार्य के महत्व का केवल एक भाग है जो इस समिति को सम्पन्न करना है।

दूसरा प्रश्न आप यह पूछिए कि “औद्योगिकीकरण क्यों आवश्यक है?” और आपके समक्ष शीघ्र ही उसका महत्व स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में गरीबी के अनवरत चक्र से लोगों को बचाने का सबसे विश्वसनीय उपाय औद्योगिकीकरण है। चूँकि भारत के अधिकांश लोग गरीबी की चपेट में हैं, अतः भारत में औद्योगिकीकरण को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाना चाहिए।

भारत का औद्योगिकीकरण

भारत में औद्योगिकीकरण वर्षों से केवल बहस का मुद्दा बना रहा परंतु कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ कि औद्योगिकीकरण के बारे में गंभीर अभियान चलाया जाए। अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल दिखावटी प्रेम रखते हैं। अन्य कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इसे सनक नहीं तो झक्कीपन समझते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो यह उपदेश देते नहीं थकते कि भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए हमें अपनी समस्त शक्ति कृषि सुधार में लगानी चाहिए और औद्योगिकीकरण के पीछे नहीं भागना चाहिए। किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत मुख्यतया एक कृषि प्रधान देश है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कुछ ही लोग यह महसूस कर सके हैं कि यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं यह जानता हूँ कि इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या यह सिद्ध करने के लिए कि यह दुर्भिक्ष से भी कहीं बड़ा दुर्भाग्य है, उस दुर्भिक्ष से भी बड़ा साक्ष्य चाहिए जो बंगाल और भारत के अन्य भागों में लुक-छिपकर शिकार कर रहा है और जहाँ कृषि में लगे अनेक व्यक्ति खाद्यान्न अथवा क्रय शक्ति के अभाव में प्रतिदिन मर रहे हैं?

मेरे विचार से यह दर्शाने के लिए कि भारत में कृषि असफल हो गई है और नितांत असफल हो गई है इस बड़े प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो सकती कि भारत खाद्यान्न के अलावा किसी अन्य उत्पादन में नहीं लगा हुआ है और फिर भी वह इतना पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाता कि अपने लोगों का पेट भर सके। इसका क्या कारण है? मेरे विचार से भारत की गरीबी का मूल आधार यह है कि भारत कृषि पर निर्भर करता है।

भारत में जनसंख्या प्रति दशक बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। इस असीमित जनसंख्या वृद्धि की तुलना में भूमि बहुत सीमित है, बल्कि यह सीमित भूमि ऐसी है जिसकी उर्वरता प्रति वर्ष घटती जा रही है। भारत ऐसे दोहरे हमले के बीच में फंस गया है - एक ओर जनसंख्या की प्रगामी वृद्धि है तो दूसरी ओर भूमि की उर्वरता का प्रगामी ह्रास है।

गिरावट शुरू हो गई है

इसका परिणाम यह हुआ है कि एक दशक की समाप्ति होने तक हम जनसंख्या और उत्पादन के बीच एक नकारात्मक संतुलन में आ जाते हैं तथा रहन-सहन का स्तर बराबर गिरता जाता है। प्रत्येक दशक में जनसंख्या और उत्पादन के बीच का यह नकारात्मक संतुलन तीव्र गति से बढ़ रहा है और भारत को गरबी, अधिक गरीबी और चिरस्थायी गरीबी विरासत में मिल रही है। एक गिरावट शुरू हो गई है। मैं यह महसूस करता हूँ कि इस गिरावट को कृषि-प्रदर्शनियों, पशु मेलों अथवा अच्छी खाद के प्रचार द्वारा नहीं रोका जा सकता। यह गिरावट उसी दशा में रोकी जा सकती है जब कृषि को लाभदायक बनाया जाए। भारत में कृषि को लाभदायक बनाने की संभावनाएं तभी बन सकती हैं जब औद्योगिकीकरण के पक्ष में गंभीर आंदोलन चलाया जाए। औद्योगिकीकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कृषि पर भयंकर दबाव डालती हुई जनसंख्या को खपाया जा सकता है, जहां कृषेतर लाभकारी व्यवसायों में इस बढ़ती हुई जनसंख्या को काम पर लगाया जा सकता है।

संक्षेप में, जहां तक हमारे इरादे और उद्देश्य का संबंध है, हमारी पुनर्निर्माण समितियां निस्संदेह उस माडल पर बनाई गई हैं जो उन अधिकांश यूरोपीय देशों में अस्तित्व में आई हैं जिनके औद्योगिक ढांचे को जर्मनी ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। पुनर्निर्माण की समस्याएं अलग-अलग होती हैं और ये समस्याएं एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती हैं। कुछ देशों में पुनर्निर्माण की समस्या यह है कि पुराने संयंत्रों तथा उपकरणों को फिर से चुस्त-दुरुस्त किया जाए।

भारत में समस्या का रूप

कुछ देशों में पुनर्निर्माण की समस्या यह है कि उन उपकरणों और संयंत्रों को बदला जाए जो युद्ध में नष्ट कर दिए गए हैं। भारत में पुनर्निर्माण की समस्या में उन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाना जरूरी है जिनसे अन्य युद्ध-रत देशों का सम्बन्ध है।

इसके साथ ही, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में पुनर्निर्माण की समस्या आवश्यक रूप से अन्य देशों की पुनर्निर्माण की समस्या से भिन्न है। उन देशों में पुनर्निर्माण की समस्या उन उद्योगों को फिर से चलाने की समस्या है जो अस्तित्व में रह रहे हैं।

मेरे विचार से भारत में पुनर्निर्माण की समस्या मुख्यतया भारत में औद्योगिकीकरण की समस्या है जो उद्योग के पुनर्जीवन तथा औद्योगिकीकरण से भिन्न है, परंतु जो अंततोगत्वा अनवरत गरीबी को हटाने की है।

अतः मुझे आशा है कि हम पूरी निष्ठा तथा कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में मानव

जीवन पर विचार करते हुए बिजली से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर लेंगे तथा इस हेतु केंद्र बनाम प्रांतीय सरकार के प्रतियोगी दावों का प्रश्न बीच में नहीं लाएंगे।

मैं निराशावाद पर अपनी बात का समापन नहीं चाहता यद्यपि अतीत में पुनर्निर्माण की स्मृति निराशाजनक रही है। युद्ध से पुनर्निर्माण की तात्कालिता उत्पन्न होती है ठीक जैसे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है अथवा विपत्ति ईश्वर में विश्वास उत्पन्न करती है। विडंबना यह है कि युद्ध से उत्पन्न हुई यह उत्कंठा अब शांति में मृतप्राय सी लगती है। भारत में भी गत युद्ध के बाद भारतीय औद्योगिक आयोग और सैन्य सामग्री के भारतीय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पुनर्निर्माण की योजना के साथ यही हुआ। मेरा विश्वास है कि इस पर पुनर्निर्माण की योजना निष्क्रिय और समाप्त नहीं होने दी जाएगी। हमें इस युद्ध में वह आरोपित आंतरिक प्रेरणा मिली है जिससे विलियम जेम्स ने नाम दिया था, “प्रभावी यथार्थता की तीक्ष्ण भावना” जो कि भारत की गरीबी में झलकती है परंतु जो गत युद्ध के राजनीतिज्ञों के पास नहीं थी।

* * *

***अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों और भारतीय शरणार्थियों के लिए सहायता**

स्थायी वित्त समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का अनुदान जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विषयों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा युद्ध क्षेत्रों से आए भारतीय शरणार्थियों और वहां रोके गए व्यक्तियों के आश्रितों का व्यय वहन करना - ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिन्हें भारत सरकार के वित्त सदस्य माननीय सर जेरेमी रैसमैन की अध्यक्षता में 20 नवम्बर, 1943 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में स्थायी वित्त समिति ने अनुमोदित किया था।

प्रथम प्रस्ताव के अनुसार पांच वर्ष के तीन लाख रुपए के वार्षिक अनुदान की आवश्यकता होगी और बाद के प्रस्ताव से वर्ष 1944-45 में 225 लाख रुपए के व्यय किए जाने की आशा की जाती है।

* इंडियन इन्फॉर्मेशन, 15 दिसम्बर, 1943, पृष्ठ 337

छात्रवृत्तियां

यह कहा गया कि अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता दी जानी है जो हाई स्कूल के स्तर तक पहुंच गए हैं और इस हेतु पांच वर्ष के लिए तीन लाख रुपए तक की छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रस्ताव किया गया। ये छात्रवृत्तियां भारत और विदेश दोनों में ही वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अध्ययन के लिए दी जाएंगी।

समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

*श्रम सदस्य की झरिया की कोयला-खानों की यात्रा

श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, श्रम विभाग के सचिव माननीय श्री एच. सी. प्रायर और भारत सरकार के श्रम कल्याण सलाहकार श्री आर. एस. निंबकर ने हाल ही में धनबाद की यात्रा की ताकि कोयला-खानों में काम की परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके। धनबाद में आवास के दौरान उन्होंने नियोक्ताओं और कर्मचारियों से विचार-विमर्श किया तथा कोयले के उत्पादन की वृद्धि और कोयला-क्षेत्रों में श्रमिकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति से निपटने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की।

महिलाओं को फिर से जमीन के नीचे काम करने की अनुमति दिए जाने के साथ, कोयला मजदूरों को दी जाने वाली रियायतों और कोयला क्षेत्रों में कल्याण संबंधी परिस्थितियों के सुधार का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन गया है। मालूम हुआ है कि केंद्र सरकार श्रमिकों को खाद्यान्न और अन्य रियायतें उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही कदम उठा रही है। बंगाल में अपर्याप्त खाद्यान्न की सप्लाई से उभरती कठिनाइयों और मजदूरों को बंगाल और बिहार दोनों में ही अपर्याप्त रियायतों के बारे में कुछ समय से श्रम विभाग में विचार किया जा रहा है।

इस प्रश्न पर हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कोयला सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया और समझा जाता है कि धनबाद में श्रम-सदस्य के ठहरने के समय इस उद्योग के बारे में आगे विचार किया गया।

*श्रम-सदस्य की कोयला खानों की यात्रा

काम करने की परिस्थितियों और खान मजदूरों के आवासों का निरीक्षण

भारत सरकार के श्रम सदस्य, डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर बृहस्पतिवार 9 दिसम्बर को कोयले की खानों में काम की परिस्थितियों के अध्ययन के लिए धनबाद पहुंचे। अनेक स्थानीय कर्मचारी जिनमें बिहार के श्रम आयुक्त, श्री एस.एन. मजूमदार, खानों के मुख्य निरीक्षक, श्री डब्ल्यू. किर्बी, विभिन्न खनन संघों के प्रतिनिधि तथा कोयला खानों के मालिक भी शामिल थे, उनके स्वागत के लिए आये। श्रम विभाग के सचिव, श्री एच. सी. प्रायर और भारत सरकार के श्रम कल्याण सलाहकार, श्री आर. एस. निम्बकर भी उस दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे।

श्रम सदस्य ने, आगमन के तुरंत बाद, खानों के मुख्य निरीक्षक, खानों के मालिक, श्री प्रायर और श्री निम्बकर के साथ भुलनबरारी की कोयला खान के लिए प्रस्थान किया। मजदूरों के प्रतिनिधि, श्री कर्णिक, जो भारतीय श्रमिक संघ के प्रतिनिधि थे और कुमारी शांता मालराव, जो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की प्रतिनिधि थीं, कोयला खानों की कार्य-परिस्थितियों के अध्ययन के लिए इस दल के साथ गईं। इस कार्यक्रम में भूमि पर तथा भूमि के नीचे दोनों स्थलों पर कार्य की परिस्थितियों का निरीक्षण सम्मिलित था।

भूमि के 400 फुट नीचे

फौज में प्रयुक्त टीन के बने टोपों की तरह के 'सुरक्षा टोप' पहन कर श्रम सदस्य तथा दल के अन्य सदस्य जमीन के 400 फुट नीचे दो पारियों में गए जहां उन्होंने मजदूरों को कोयला काटते हुए देखा। कोयला खानों में महिलाओं को काम करने की निषेधाज्ञा के हटने के फलस्वरूप, हाल ही में काम पर लगाई गई कुछ महिलाएं भी वहां दिखाई दीं। श्रम सदस्य, श्री निम्बकर और दल के अन्य सदस्यों ने मजदूरों से उनकी मजदूरी तथा आय के बारे में अनेक प्रश्न किए।

* इंडियन इन्फॉर्मेशन, 1 जनवरी, 1944, पृष्ठ 39-40

भूलनबरारी को कोयले की खान के निरीक्षण के दूसरे चरण में इस दल ने भराई के कार्यों को देखा। सतह के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों के साथ उनकी मजदूरी और आय के बारे में मैत्रीपूर्ण बातचीत की।

इसके बाद श्रम सदस्य कोयले की खान के समीप मजदूरों के क्वार्टरों में गए। हम अंदर आ सकते हैं - इन शब्दों के साथ श्रम सदस्य ने एक मजदूर के घर में प्रवेश करने की अनुमति मांगी और यह अनुमति उन्हें तत्काल मिल गई। उन्होंने घर के फर्नीचर तथा अन्य सामान का निरीक्षण किया और रोशनी के प्रबंध का मुआयना किया।

इसके बाद पार्टी को एक सुसज्जित तथा स्वच्छ अस्पताल ले जाया गया। यह अस्पताल इसी खान का था जहां श्रम सदस्य ने कुछ रोगियों से बातचीत की। उन्हें महिलाओं का विशेष वार्ड भी दिखाया गया।

श्रमिकों की बस्ती में

इसके बाद यह दल डिगवाडीट कोयले की खान पर पहुंचा, जहां इसने कोयले के उत्पादन में काम आने वाले नवीन संयंत्र और उपकरण देखे। यहां श्रम सदस्य ने श्रमिकों की बस्ती में लगभग एक घंटा बिताया और स्वामियों द्वारा मजदूरों के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार के घरों को देखा। उन्होंने कोयला खान के श्रमिकों की भर्ती के तरीकों और स्त्रोतों में बहुत रुचि दिखाई।

इस दिन के कार्यक्रमों में तसरा कोयले की खान का निरीक्षण भी सम्मिलित किया गया। यह निरीक्षण कोयले की खान के नियोक्ताओं द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी दरों से प्रारंभ हुआ। शाम देर से यह दल खान के ऊपरी निरीक्षण के लिए बाहर आया। मजदूर आराम-आराम से अपने घरों को वापस जा रहे थे। वे अपने हाथों में फावड़े, कुदाल और मिट्टी के तेल के सुरक्षा-लैंप लिए हुए थे। इस प्रकार श्रम सदस्य ने मजदूरों और उनकी महिलाओं को अपने घरों में संध्या समय का भोजन पकाते हुए देखने का अवसर प्राप्त किया। वे इस बात के लिए अधिक उत्सुक थे कि मजदूरों को उपलब्ध भोजन की मात्रा और प्रकार किस तरह का है। तसरा स्थित कोयले की खान में उन्होंने कुछ खदानों को देखा जहां पुरुष और महिलाएं सतह पर काम कर रही थीं।

रानीगंज स्थित कोयला क्षेत्रों का दौरा

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और उनके साथ के दल ने शुक्रवार को दिन भर रानीगंज स्थित कुछ कोयला क्षेत्रों में कोयला उत्पादन के कामों की परिस्थितियों और तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

खान में काम करने वालों के कल्याण और चिकित्सीय सहायता के लिए शिवपुर कोयला खान के मालिकों द्वारा किए गए प्रबंधों की जांच से निरीक्षण-कार्य प्रारंभ किया गया। इसके बाद दल को एक मंजिली चौकोर श्वेत अस्पताल में ले जाया गया जहां आधुनिक एक्स-रे उपकरण और अन्य शल्य-चिकित्सा के साज-सामान थे। यह बताया गया कि यह अस्पताल शीघ्र ही कार्य करने लगेगा।

दोपहर के बाद श्रम सदस्य कुष्ठ कल्याण केंद्र गए जहां कुष्ठ रोग का आरंभिक अवस्थाओं में प्रभावकारी उपचार किया जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने एक और भवन का निरीक्षण किया जिसमें शिशु कल्याण केंद्र स्थित था जहां उन्होंने खान में काम करने वालों के दुर्बल बच्चों को देखा जिनकी देखभाल आया करती थी। श्रम सदस्य ने इन कल्याणकारी प्रयत्नों की सराहना की, परंतु यह पूछा कि बच्चे इतने दुबले-पतले क्यों हैं। उन्हें बताया गया कि यह दशा उनके आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण है।

खनिकों के बच्चों का स्कूल

सीतापुर खान को जाने वाली वर्तुलाकार सड़क पर दल ने एक प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया जहां खान में काम करने वाले बच्चों ने डॉक्टर अम्बेडकर को फूलमलाएं पहनाईं। श्रम सदस्य ने एक सात-वर्षीय बच्चे के साथ बातचीत की। यह बच्चा खान में काम करने वाले का था। इस बच्चे ने रुक-रुक कर परंतु समझ में आने वाली अंग्रेजी में अपने परिवार की आय के बारे में बताया।

इससे पूर्व, दल ने सोधपुर के भराई-संयंत्र का निरीक्षण किया। यह एक विशाल यांत्रिक उपकरण है जो पड़ोस में दामोदर बेसिन से प्रति घंटा 200 टन मिट्टी हटाता है और स्वतःचालित रोपवे के सहारे खानों तक ले जाता है।

दल ने सीतापुर स्थित कोयले की खान के अंदर की दशा का भी निरीक्षण किया। दल के सदस्य लगभग 1000 फुट नीचे उतरे और उन्होंने आधुनिकतम कोयला काटने वाली मशीनों द्वारा कोयला उठाने की प्रक्रिया देखी।

धनबाद लौटते समय मार्ग में श्रम सदस्य ने 'धौरस' (एक कमरे के घरों) का बेगुनिया कोयले की खान के मजदूरों की बस्ती में परीक्षण किया। कमरों में अंधेरा था और एक स्थान पर उन्होंने एक गाय का बछड़ा देखा जो धीरे-धीरे सूखी घास बचा रहा था और एक छोटे बरामदे में बहुत कम स्थान में कुछ लोग रह रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस घर में रहने वालों से बातचीत की। उन्हें बताया गया कि मजदूरों को अपने घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला निःशुल्क मिलता है। उन्होंने मजदूरों के भोजन, कपड़ों और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी हासिल की।

धनबाद में श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा

कोयले की वर्तमान कमी के कारणों और उस कमी को दूर करने के उपायों के बारे में शनिवार को धनबाद में आयोजित सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकार, बंगाल और बिहार की सरकारों तथा खनिज कार्यों में संलग्न तीन संघों व श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रम सदस्य माननीय डॉक्टर अम्बेडकर ने की।

अध्यक्ष ने अपने संक्षिप्त प्रारंभिक भाषण में इस सम्मेलन की ऐसे त्रिपक्षीय सम्मेलनों से तुलना की जहां औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। उन्होंने भारत के उद्योगों के अधिक उत्पादन पर जोर दिया और यह आशा व्यक्त की कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस मामले में अपनी सर्वोत्तम सलाह देंगे।

श्रमिकों की कमी के कारण बताए गए और कहा गया कि “अधिक अन्न उपजाओं” आंदोलन के कारण अच्छी फसल होने से फसल काटने के समय श्रमिक खेतों पर चले जाते हैं जिससे उनकी संख्या यहां कम हो जाती है और युद्ध प्रयासों के कार्यों के लिए भी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति का सामना करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने अधिक पेट्रोल और टायरों की मांग की ताकि समीपवर्ती गांवों से इन कोयले की खानों में अधिक श्रमिक लाए जाएं।

कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार द्वारा राशन की एक योजना का प्रस्ताव रखा गया था जिसका उद्देश्य खानों में काम करने वालों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराना था। यह विषय कार्यसूची में दूसरा विषय था। इस विचार-विमर्श के दौरान उस क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा राशनिंग योजना प्रारंभ किए जाने की संभावना का उल्लेख किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि यदि ऐसा हो तो खानों में प्रारंभ की गई योजना पर पुनः विचार किया जाए।

खानों में काम करने वालों के लिए आपूर्ति की योजना में उन मजदूरों के आश्रितों को खाद्यान्न प्रदान करने की व्यवस्था सम्मिलित है। योजना के अनुसार, सप्ताह में कम से कम पांच दिन कार्य करने पर पूरे सप्ताह का राशन दिया जाएगा, परंतु उन लोगों के लिए भी पर्याप्त राशन की व्यवस्था की जाएगी जो इससे कम दिन काम करें। यह सहमत हुई कि मजदूरों को प्रारंभ में प्रति रुपए छह सेर की दर से चावल बेचा जाएगा और इसी भाव पर आवश्यक मात्रा में दाल भी दी जाएगी।

इस सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक अन्य योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया ताकि अन्य सामान यथा नमक, सरसों का तेल, मानक कपड़ा और अन्य

उपभोक्ता वस्तुएं मजदूरों को मुहैया की जाएं। यह भी तय हुआ कि राशन का सामान खनन-संघों को दिया जाए और वे इसे आगे खानों के श्रमिकों में वितरित करें। सरकार द्वारा खान-मजदूरों के कल्याण के लिए प्रस्तावित अन्य उपायों के साथ-साथ कल्याण कर की उस योजना पर विचार किया गया जिसे लागू करके एक कोष स्थापित किया जाना था ताकि इसमें से उनके कल्याणार्थ व्यय किया जा सके। उन सभी खानों में एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी रखा गया जहां 100,000 टन से अधिक उत्पादन होता है।

मजदूरी में वृद्धि

सम्मेलन की कार्यसूची में खानों के कामगारों की मजदूरी से संबंधित कई मुद्दे शामिल थे, और खनन संघ 1939 में दी जा रही मजदूरी में और अधिक वृद्धि के लिए तैयार प्रतीत हुए जिसके परिणामस्वरूप इस मजदूरी में युद्ध में पूर्व काल की मजदूरी से 50 प्रतिशत हो गई। फिर भी उन्हें यह आशंका थी कि जब तक कोयला-क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मुहैया नहीं कराई जाएंगी यह वृद्धि व्यर्थ होगी और इसलिए यह बात सुनिश्चित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई।

कुछ अन्य मद्दें जिन पर विचार-विमर्श किया गया वे थीं कोयले की खानों के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम के लागू किए जाने की संभावनाएं और कोयला उद्योग में इसके लागू किए जाने की कुछ कठिनाइयां। अतिरिक्त लाभ कर तथा मशीनों की व्यवस्था से संबंधित मामलों में सहायता के लिए उद्योग क्षेत्र से प्राप्त निवेदनों पर भी विचार किया गया।

*भारत में श्रम कल्याण को प्रोत्साहन

औद्योगिक कामगारों को मंहगाई भत्ता, अनुपस्थिति की समस्या, सर्विस रिकार्ड का रखरखाव और जलपान गृहों की व्यवस्था आदि विषयों पर भी 25 और 26 जनवरी को लखनऊ में आयोजित स्थायी श्रम समिति की चौथी बैठक में विचार किया गया। यह बैठक कौंसिल हाउस में हुई। भारत सरकार के श्रम सदस्य, माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। नियोक्ताओं और अन्य कामगारों के संगठनों में से प्रत्येक संगठन के पांच प्रतिनिधियों और प्रांतीय सरकारों के पांच प्रतिनिधियों तथा भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

डॉ. अम्बेडकर का भाषण

अध्यक्ष ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में स्थायी श्रम समिति के पिछले सत्र में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए करारों में उचित मजदूरी खंड शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए करारों में इसी प्रकार का खंड शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि श्रम सम्मेलन के गत पूर्ण सत्र में पारित प्रस्ताव को लागू करने के लिए भारत सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी, आय और अन्य परिस्थितियों की जांच के लिए श्रम जांच समिति नियुक्त की थी। उन्होंने बताया कि कृषि मजदूरों के बारे में भी उपयुक्त तरीके से ऐसी जांच कराने के प्रश्न पर प्रांतीय सरकारों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

इसके बाद समिति ने भारत में कानूनन मजदूरी नियंत्रण के तरीकों पर, यदि और जब ऐसा नियंत्रण आवश्यक समझा जाए, विचार किया।

* इंडियन इन्फॉर्मेशन, 15 फरवरी, 1944, पृष्ठ 151-52

प्रतिनिधियों की सामान्य राय यह प्रतीत हुई कि यदि मजदूरी बोर्डों के गठन पर सहमति हो जाए तो ये बोर्ड प्रांतीय आधार पर गठित होने चाहिए और इन्हें अलग-अलग उद्योगों को देखना चाहिए।

रोजगार-कार्यालय योजना और प्रांतों में इस योजना की प्रगति के बारे में प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विवरणों पर संक्षिप्त विचार-विमर्श करने के बाद, समिति ने इस कोष के प्रबंध के कुछ ब्यौरों, इसमें कर्मचारियों और मजदूरों के अंशदानों तथा इसमें से एडवांस लेने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा परिचालित माडल भविष्य नियमावली पर प्रतिनिधियों के विचारों पर चर्चा की।

मंहगाई भत्ता

समिति ने मंहगाई भत्ते की उस रिपोर्ट पर विचार किया जिसे ग्रैगरी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जो इस सम्मेलन के गत सत्र में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा गठित की गई थी। मंहगाई भत्ता निश्चित करने के सामान्य सिद्धांतों, इन रिपोर्ट से उठने वाले अन्य प्रश्नों के साथ, सिद्धांतों की प्रकृति, अलग-अलग उद्योगों या क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरों की वांछनीयता और उठते या गिरते हुए मूल्य सूचकांक की तुलना में मंहगाई भत्ते के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

यह समझा जाता है कि समिति इस बात पर सहमत हो गई कि सरकार द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक सामान्य सिद्धांत बना दिए जाएं ताकि औद्योगिक कारोबारों द्वारा दिए जा रहे या दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते पर विचार किया जा सके। इस बात पर सहमत होते हुए कि मंहगाई भत्ते के सिद्धांतों को सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने में, उप-समिति की रिपोर्ट उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी, समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त मतों के प्रकाश में विचार किए जाने हेतु यह रिपोर्ट भारत सरकार को अग्रेषित की जाए।

अनुपस्थिति की समस्या

औद्योगिक उपक्रमों विशेषकर युद्ध के लिए उत्पादन करने वाले उपक्रमों, में अनुपस्थिति की समस्या का नमूना सर्वेक्षण करने के लिए एक मसौदा योजना भी कार्यसूची में शामिल की गई। इस योजना का उद्देश्य समस्या का तथ्यपरक सर्वेक्षण करना था जिसमें अस्वस्थता, दुर्घटना, छुट्टी, सामाजिक अथवा धार्मिक कारण, परिवहन कठिनाइयां और देर से आने के प्रश्न शामिल थे जिनके फलस्वरूप अनुपस्थिति रहती है। यह ज्ञात हुआ है कि इस योजना पर कुछ संशोधनों के बाद सहमति हो गई।

सत्र के दौरान प्रारंभ में, समिति ने औद्योगिक उपक्रमों में मजदूरों के लिए भोजन तथा जलपान की कैंटीनों के बारे में हुई प्रगति की समीक्षा की। यह मालूम हुआ कि कठिनाइयों के बावजूद ये कैंटीन पर्याप्त संख्या में चल रही थी। और मजदूरों में बड़ी लोकप्रिय साबित हो रही थी।

* * *

***कोयला खान श्रमिक कल्याण अध्यादेश, 1944**

“कोयला खान श्रमिक कल्याण अध्यादेश, 1944” नामक अध्यादेश आज जारी किया गया है जिसके अनुसार कोयला खनन उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए एक कोष बनाया गया है। इस अध्यादेश के अंतर्गत पूरा ब्रिटिश इंडिया आता है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा 31 जनवरी को परिचालित प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया गया :

इस कोष को बनाने के लिए, केंद्र सरकार ब्रिटिश इंडिया की कोयले को खानों से रेल द्वारा भेजे गए सभी प्रकार के कोयले और सॉफ्टकोक पर कर लगाएगी जिसकी दर समय-समय पर निर्धारित की जाएगी और सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह कर प्रति टन एक आना से कम नहीं होगा और चार आना से अधिक नहीं होगा। यह कर भारत सरकार की ओर से रेलवे प्रकाशन द्वारा, जो कोयले अथवा सॉफ्टकोक का परिवहन करता है, एकत्रित किया जाएगा।

इस अध्यादेश में सामान्यतय व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार प्राप्त राशि श्रम कल्याण कोष में जमा की जाएगी ताकि कोयला खनन उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण के विकास में होने वाले व्यय की भरपाई की जा सके। इस अध्यादेश में ऐसी अनेक मदें विनिर्दिष्ट हैं जिनके लिए विशेष रूप से कोष का उपयोग किया जा सकता है। इस कोष द्वारा वित्तपोषित श्रमिक कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य गृह उपलब्ध कराना, जल आपूर्ति, धोने की सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाओं में सुधार और कामगारों के रहन-सहन के स्तर को, पोषण, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार, मनोरंजन की सुविधाओं और परिवहन सुविधाओं द्वारा ऊंचा उठाना है।

जन स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, व्यवस्था और मौजूदा सुविधाओं में सुधार भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसी कोष में से प्रांतीय सरकार स्थानीय प्राधिकरण

* इंडियन इन्फॉर्मेशन, 15 फरवरी, 1944, पृष्ठ 151-52

अथवा मालिक और कोयला खान के एजेंट या मैनेजर को भी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिक कल्याण की किसी भी ऐसी योजना की सहायता की जा सके जिसे केंद्रीय सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि वर्तमान संगठनों को आवश्यकतानुसार सशक्त बनाने से उनका अधिकतम उपयोग हो सकेगा तथा विद्यमान स्वीकृत कल्याण योजनाओं को भी इस कोष से सहायता दी जा सकेगी।

सलाहकार समिति

इस अध्यादेश में केंद्रीय सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह एक सलाहकार समिति गठित कर सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बराबर संख्या में ऐसे सदस्य भी होंगे जो कोयला खान के मालिकों तथा कोयला खनन उद्योग के कामगारों के प्रतिनिधि हों। सलाहकार समिति की एक सदस्य महिला होगी। समिति केंद्रीय सरकार को ऐसे मामलों में जिनकी आवश्यकता इस अध्यादेश द्वारा बताई गई है सलाह देगी और इस अध्यादेश के प्रशासन से उभरने वाले अन्य मामलों में भी परामर्श देगी।

*कोयले की खानों में भूमिगत कार्यों में महिलाओं की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध का उठाया जाना

माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हमारी महिला सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव लाने की बात सोची। मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि मुझे इस सदन को एक ऐसे मामले का स्पष्टीकरण करने का अवसर मिला है जो मेरे मस्तिष्क में बोझा बना हुआ था। मैं प्रारंभ में ही यह कहना चाहूँगा कि यह सदन इस मामले में मेरी भावनाओं को समझे क्योंकि मैं भारत सरकार के इस निर्णय को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूँ। मैं यहीं कहना चाहूँगा कि कुछ परिस्थितियों में भारत सरकार बाध्य हो गई थी और मैं यह नहीं समझता कि यह हमारी कोई भूल है। मैं समझता हूँ कि यह सदन उस विभेद को समझ पाएगा जिसे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ।

मैं बहस को सुनकर इस बात से प्रभावित हुआ कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा वह मुख्यतः मानवीय भावनाओं से प्रेरित था। मेरे विनम्र विचार से वे उस तथ्य से कहीं अलग हो गए हैं जिसे मैं यथार्थ कहूँगा। जब मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूँ, तो मैं उसी बात का समर्थन करूँगा जिसे मैं स्थिति की वास्तविकता कहता हूँ। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अनेक ऐसे मुद्दे चर्चा के दौरान सामने आए हैं मानों वे ऐसे मुद्दे हों जिन पर सदन के निर्णय की आवश्यकता है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा कि कोयला खानों में इस समय चल रही मजदूरी के बारे में उल्लेख किया गया था। कोयला खानों में असंतोषजनक कल्याण परिस्थितियों के बारे में भी उल्लेख किया गया था और मैं अपने भाषण के दौरान इनके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। परंतु मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दे की दृष्टि में ये केवल प्रासंगिक मामले हैं और ऐसे मामले नहीं हैं जिनके बारे में सदन को अपना निर्णय देने को कहा जाए।

इन प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद, पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों की बातों से मुझे ऐसा लगा कि भारत सरकार महिलाओं को भूमिगत काम करने से रोकने की प्रथा के संबंध में कभी भी गंभीर नहीं रही यद्यपि भारत सरकार ने वर्ष 1939 में इस बारे में अपनी अनुमति दे दी थी और 4 वर्ष के अंतराल में ही इस अनुमति को वापस ले लिया। मैं इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। सदन को याद होगा कि भारत सरकार ने इस प्रथा के अस्तित्व में आने से काफी पूर्व ही, भूमिगत स्थलों में महिलाओं के काम न करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, इस मामले पर वर्ष 1923 में उस समय चर्चा हुई थी जब भारत सरकार ने भारतीय कोयला खान अधिनियम के संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य अत्यंत सीमित था। इसका एकमात्र उद्देश्य कोयले की खानों में सुरक्षा के उपाय प्रारंभ करना था। परंतु जब यह अधिनियम प्रवर समिति के समक्ष लाया गया तो प्रवर समिति ने कहा कि भारत सरकार को इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए तथा इस अधिनियम में ऐसे अधिकार ग्रहण करने चाहिए जिनके अंतर्गत कामगार महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम करने से रोका जाए। प्रवर समिति में, भारत सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, भारत सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया, अपितु महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम न दिए जाने के निश्चित उद्देश्य से विनियम भी बनाए। जैसकि सदन को विदित होगा, भारत सरकार ने भूमिगत स्थलों में कार्यरत महिलाओं की वार्षिक संख्या को कम करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाया था। इतना ही नहीं, इस सदन में जब इस बात की स्वीकृत ली गई उसके दो वर्ष पूर्व कोई भी महिला खानों के अंदर काम नहीं कर रही थी। श्रीमन्, इस तथ्य को इस प्रस्ताव की माननीया प्रस्तावक द्वारा उल्लेख किया गया था। परंतु मुझे इससे दुःख हुआ कि उन्होंने इससे यह स्पष्ट परिणाम नहीं निकाला जो मैं समझता हूँ कि तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है कि भारत सरकार ने इस प्रथा के अस्तित्व में आने से बहुत समय पूर्व ही अपना निश्चित मत प्रकट कर दिया था कि महिलाओं को खानों के अंदर काम नहीं करना चाहिए और उसने इस संबंध में ऐसे निश्चित कदम उठाए जिनके द्वारा स्थिति सुधर जाए।

अब भारत सरकार को यह प्रतिबंध उठाने के लिए इस कल्पनात्मक आधार पर दोषी ठहराया गया है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार के आरोप से मुझे बड़ी हैरानी हुई। श्रीमन्, मैं सदन के समक्ष दो विचार-बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा और सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस तथ्य पर ध्यान दे कि इनमें वह बात निहित हैं जिसे मैं एक आपात् स्थिति समझता हूँ। श्रीमन्, भूमिगत स्थलों में महिलाओं के काम पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को हटाने का सीधा संबंध कोयले से है। यह निर्विवाद तथ्य है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से इस बात पर विचार करने

का निवेदन करता हूँ कि क्या कोयले को प्रत्येक दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण पदार्थ नहीं समझा जाना चाहिए? सदन क्या कोयला नागरिकों के लिए उपभोक्ता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ नहीं है? मैं इस तथ्य पर बल देना चाहता हूँ कि हम ऐसी वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं जिसका उपयोग हमारी इच्छा के अनुसार टाला जा सके। यह एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता और मैं निवेदन करूँगा कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसे हमें भोजन अथवा किसी अन्य वस्तु से भी पहले अपने पास रखना होगा। यह एक ऐसा विचार-बिंदु है जिस पर कि मैं चाहता हूँ सदन ध्यान दे। दूसरा विचार-बिंदु सदन के विचारार्थ यह है कि क्या भारत सरकार के लिए यह संभव होता है कि उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक कि यह स्थिति अपने आप न सुधर जाए। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, जैसाकि अधिकांश माननीय सदस्य जानते हैं, कि आम हालत में कोयले का उत्पादन होता है। यह 1943 में उत्पन्न न किया जा सका हो और 1944 में भी उत्पन्न नहीं किया जा सका हो परंतु 1945 में यह उत्पन्न किया जा सकता था। परंतु सदन से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह ऐसा मामला है जिसमें हम प्रतीक्षा कर सकते हैं? क्या यह ऐसा मामला है जिसमें हम सामान्य रूप से उसे होने दें? श्रीमन्, मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि यह मामला उन मामलों में से है जो तात्कालिक महत्व के होते हैं और जिनके बारे में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता होती है और यदि कोई सरकार स्थिति को ठीक करने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाती तो ऐसी सरकार एक निकम्मी सरकार है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आपातकाल से जूझ रहे हैं और महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम करने के प्रतिबंध को उठाना कोई निठल्ला या स्वेच्छाकारी कृत्य नहीं है अपितु एक ऐसी कार्रवाई है जो इस मामले में तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह न्यायसंगत है। इसलिए, श्रीमन्, सरकार के व्यवहार पर आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वे इन दोनों परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सरकार की कार्रवाई के बारे में अपना निर्णय करें। क्या सरकार वह करने में असफल हो गई जो उसे करना चाहिए था? क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया जो करने की आवश्यकता नहीं थी? मेरा निवेदन है कि इस बात पर उन दोनों परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय किया जाना चाहिए जिनका मैंने उल्लेख किया है। अतः मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरकार की कार्यवाही पूर्णतया न्यायसंगत है।

मेरे माननीय सदस्य श्री जोशी ने कहा कि यह ऐसी प्रथा थी जिसको तोड़ना नहीं चाहिए था। मैं इस बात पर सहमत हूँ कि यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें अपने ही स्वागत की प्रणाली निहित नहीं है। परंतु मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह कुछ परिस्थितियों में किसी अंतर्राष्ट्रीय

परिपाटी या अंतर्राष्ट्रीय करार को तोड़ सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि जेनेवा में 1940 में शासकीय निकाय में हुई एक बहस में यही आम राय थी। श्रीमन्, क्या हमने जो कदम उठाए उनसे बचा जा सकता था? मैं इस सदन को उन परिस्थितियों का ब्यौरा देना चाहूंगा जिनके कारण सरकार को यह अधिनियम बनाना पड़ा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कोयले की कमी के कारण श्रमिकों का अभाव था। यह एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में कोई शंका नहीं है। श्रीमन्, श्रमिकों का अभाव तीन कारणों से हुआ जो सरकार की जांच में सामने आए। सर्वप्रथम, भारत सरकार द्वारा चलाया गया 'अधिक अन्न उपजाओं' आंदोलन था। सैन्य कार्यों में अधिक रोजगार के अवसर थे। कोई भी व्यक्ति जो अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन के परिणामों तथा सेना में रोजगार के अवसरों की तुलना निष्पक्ष रूप से कोयले की खानों के काम से करेगा तो वह समझ सकेगा कि कोयला खानों में मजदूरों की कमी क्यों हुई। यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में खाद्यान्नों की कीमतें तीव्र गति से बढ़ रही हैं, इसलिए अधिक अन्न उपजाओं नीति से लोगों को ध्यान कृषि की ओर आकर्षित हुआ है। यदि लोग कोयले की खानों में काम कर रहे हैं और, जैसाकि सब जानते हैं, वे विशुद्ध किसान हैं, तो यदि उनका ध्यान अधिक अन्न उपजाओं नीति की ओर आकर्षित किया जाता है तो उस ओर उनका पलायन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार सैन्य कार्यों से अधिक आय होने के कारण ये लोग उस ओर आकर्षित होते हैं। श्रीमन्, एक और भी ऐसी परिस्थिति है जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत कम महत्व का समझा है, वह एक वास्तविकता है। पहले तो यह बात प्रत्येक व्यक्ति को नितान्त स्पष्ट है कि कोयले की खानों में काम करना सबसे प्रतिकूल कार्य है और खतरनाक भी है। इस काम को कोई भी पसंद नहीं करता और यदि किसी भी कामगार को जमीन के नीचे के बजाय ऊपर काम करने का अवसर मिले तो वह जल्द से जल्द खानों के काम को छोड़ने का प्रयत्न करता है। अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन और सैन्य कार्य ऐसे कार्य हैं जो कोयले की खान में काम करने वालों को ऐसा अवसर उपलब्ध कराते हैं जहां कम खतरा होता है और ये कार्य अधिक अनुकूल होते हैं। दूसरी बात जिसे मैं यहां दोहराना चाहूंगा यह है कि अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन और सैन्य कार्य दोनों में ही कोयले की खान में काम करने वाले को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक लाभ यह है कि वह स्वयं कमाता है और दूसरा लाभ यह है कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी आय का लाभ उठाता है।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य के पास एक मिनट और है।

माननीय डॉ. वी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मुझे खेद है।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : मैं इस मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

माननीय डॉ. वी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, इस प्रकार, श्रमिकों का अभाव चल रहा था।

मुझे दो अन्य बातों का उल्लेख करना है जिन पर सदन को विचार करना आवश्यक है। पहली बात यह है कि सरकार इस मामले में ऐसे ही नहीं कूद पड़ी मानों यह कोई महत्वहीन बात है। मुझे सदन से यह कहना है कि सरकार ने बड़ी सावधानी से आगे कदम बढ़ाया है। सरकार की पहली विज्ञप्ति केवल मध्य प्रदेश पर ही लागू हुई थी, यह विज्ञप्ति समस्त कोयला क्षेत्र पर लागू नहीं की गई थी। नवम्बर के महीने में सरकार ने सोचा कि इसे बंगाल और बिहार में भी लागू करने की स्थिति आ गई है और दिसम्बर में सरकार ने इस विज्ञप्ति को उड़ीसा में भी लागू कर दिया। हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है, और यह एक महत्वपूर्ण बात है, कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही मजदूरी दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि पहली बार किसी उद्योग में लिंग के भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन देने का सिद्धांत स्थापित किया गया है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि महिलाओं से 51/2 फीट से कम की गैलरी में काम नहीं कराया जाएगा। सदन को यह भी याद होगा कि वे विज्ञप्तियां अत्यंत अस्थायी प्रकार की हैं, और मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ। हमने यह नहीं कहा कि वे विज्ञप्तियां युद्धकाल के दौरान चलती रहेंगी; हमने इस मामले को नितांत लचीला रखा है; हम ऐसी स्थिति में हैं कि किसी भी समय जब हम चाहें इनको निरस्त कर दें और हम यह कर सकते हैं। मुझे सदन से यह कहना चाहिए कि हम इसे विशुद्ध आपातकालीन और अस्थायी व्यवस्था मानते हैं। हम एक अन्य उपाय भी कर रहे हैं। जिससे इस विज्ञप्ति की अवधि कम हो जाए। उदाहरणार्थ, हम श्रमिकों का ऐसा शिविर लगा रहे हैं जहां हम पुरुष श्रमिकों की भर्ती करेंगे ताकि उन्हें कोयले की खानों में काम करने के लिए भेजा जा सके। हम एक और भी काम कर रहे हैं। जिससे इस अवधि को कम किया जा सके। हम श्रम आपूर्ति समितियों का गठन कर रहे हैं ताकि ऐसे ठेकेदार बन सकें जो सैन्य कार्यों के लिए श्रमिक मुहैया करें और परिणामतः वहां से श्रमिक खानों के लिए श्रमिक आ जाएं।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है।

माननीय डॉ. वी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, यदि आप मुझे एक मिनट और देने की कृपा करें.....

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : मैं यह नहीं कर सकता। नियम का पालन तो अनिवार्यतः करना ही होगा।

माननीय डॉ. वी. आर. अम्बेडकर : अतः सदन यह देखेगा कि यह विशुद्ध आपात कानून है और सरकार इस मामले की आवश्यकताओं से एक मिनट भी अधिक इस कानून को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं रखती।

*कोयला खान सुरक्षा (लदान) संशोधन विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि कोयला खान सुरक्षा (लदान) अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्रीमन्, इस विधेयक द्वारा कोयला खान सुरक्षा (लदान) अधिनियम, 1939 में कुछ संशोधनों की अपेक्षा की गई है। जैसाकि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, यह अधिनियम, 1939 में पारित किया गया था। इसके द्वारा एक निकाय - लदान बोर्ड - का गठन किया गया था। बोर्ड का कार्य मुख्य रूप से कोयला और कोक पर लेवी से प्राप्त धनराशि का प्रबंध करना और इस धन को कोयला खानों की लदान-क्रिया पर खर्च करना था ताकि खानों में अग्नि-कांडों को रोका जा सके। इस अधिनियम के पालन में पाया गया कि इसमें कुछ खामियां रह गई हैं जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक का आशय केवल तीन प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि यह पाया गया कि इन पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है। इन तीन प्रश्नों में से पहला प्रश्न धारा 8 में संशोधन करने संबंधी है। सदन को याद होगा कि धारा 8 का संबंध बोर्ड के कार्यों से है और यह उन उद्देश्यों का निर्धारण करता है जिनके अनुसार कोष में संचित धनराशि का व्यय किया जाए। धारा 8 में यह व्यवस्था है कि बोर्ड प्रशासन पर धन खर्च कर सके। दूसरे, यह बोर्ड को अधिकार देती है कि वह लदान सामग्री तथा अन्य सहायता की स्वीकृति कोयला खानों के मालिकों, अभिकर्ताओं और व्यवस्थापकों को लदान संचालन के लिए दे सके। धारा 3 में बोर्ड को अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संचालन का अधिकार दिया गया है ताकि अधिनियम के उद्देश्यों का और विस्तार हो सके। चौथे, इसके द्वारा बोर्ड को लदान संबंधी गवेषणा कार्यों पर धन खर्च करने की अनुमति देता है। यह पाया गया कि धारा 8 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय) खंड 1, 23 फरवरी, 1944, पृष्ठ 443-46

है जिसके अनुसार बोर्ड को स्वयं अपने द्वारा की जा रही लदान क्रियाओं पर धन खर्च करने का अधिकार हो। इसे एक बड़ी खामी समझा गया है। विशेषज्ञों की राय में यह जरूरी है कि बोर्ड को ऐसे अधिकार दिए जाएं। परिणामस्वरूप विधेयक के खंड 2 में यह प्रस्ताव किया गया है कि खंड 1 के उपखंड (3) की शब्दावली को बदल दिया जाए और बोर्ड को यह अनुमति हो कि वह लदान कार्य स्वयं कर सके और अपने नियंत्रण वाले धन को वह उन उद्देश्यों पर खर्च कर सके। विधेयक में दूसरा संशोधन खंड 10 में प्रस्तावित किया गया है। कोयला खान सुरक्षा (लदान) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार खानों के मुख्य निरीक्षक को यह अनुमति है कि वह खान मालिक या अधिकर्ता को आदेश दे सके और उनसे कह सके कि वे कोयले की रक्षा के लिए ऐसे सुरक्षात्मक उपाय करें जो खान की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों। अधिनियम की धारा 10 इन आदेशों को अपीलिय बनाती है परंतु ऐसा अनुभव किया गया है कि कोयला खान विशेषज्ञों अथवा निरीक्षक के आदेश अपीलिय तो हैं परंतु अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे खदान के स्वामी को यह अनुमति हो कि वह खदान निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध कहीं अपील कर सके और परिपालन आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर सके। यह सुझाव दिया गया है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उपबंध है, और अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, परंतु मूल आदेश के परिपालन पर स्थगन आदेश की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मौजूदा अधिनियम की धारा 10 में अतिरिक्त प्रावधान करके यह खामी दूर किए जाने का प्रावधान प्रस्तुत विधेयक की धारा 3 में किया गया है। अधिनियम में तीसरा प्रस्तावित संशोधन इस प्रश्न से संबद्ध है कि बोर्ड स्वयं लदान का कार्य करे या नहीं। लदान एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य उस कोयले को बचाना है जिसके जल जाने की आशंका होती है। ऐसा पाया गया है कि कुछ ऐसी खानें हैं जो छोड़ दी गई हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, और यह पता चलने पर कि कोयले में आग लग गई है अधिकांश लोग खान छोड़कर चले जाते हैं ऐसे भी मामले हैं जब कभी किसी खान के स्वामित्व पर विवाद होता है अथवा किसी खान का स्वामी इस स्थिति में नहीं होता कि वह लदान व्यवस्था स्वयं चला सके। परिणामस्वरूप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिस पर लदान की जिम्मेदारी छोड़ी जा सके। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह समझा गया है कि बोर्ड को यह अधिकार दिया जाए कि वह स्वयं ही लदान का कार्य संभाल सके। संयोग से यदि बोर्ड को यह कार्य करना पड़े तो उसे उस स्थान पर जाने का अधिकार होना चाहिए जो किसी खान मालिक की संपत्ति है। इसी के लिए एक नई धारा 10क का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार बोर्ड को लदान के अधिकार दिए जा सकेंगे और वह किसी भी परिसर में दाखिल हो सकेगा।

यह एक साधारण विधेयक है और मैं इस संबंध में अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं समझता। यह एक विवादहीन मामला है और मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

मान्यवर मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

* * * * *

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

मैं इस अवसर पर अपने माननीय मित्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार का विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे माननीय मित्र श्री मिलर ने यह मुद्दा उठाया है कि सरकार की यह आदत बन गई है कि वह ऐसे विधेयकों को बिना पर्याप्त सूचना के पेश कर देती है। मेरा निवेदन यही है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं सरकार को बाध्य कर दूँ कि वह ऐसे विधेयकों के संबंध में किस प्रकार का व्यावहारिक कदम उठाए। परंतु जहां तक मौजूदा मामले का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस विषय में इस बात के लिए दोष नहीं दिया जा सकता कि वह विधेयक को जल्दबाजी में धक्का दे रही है। मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराऊंगा कि यह विधेयक 6 महीने से भी अधिक अवधि के लिए विचाराधीन रहा है। दूसरे, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वह इस बात का ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण है, कि यह सुझाव और इसका प्रारूप स्वयं लदान बोर्ड ने तैयार किया है और, जैसाकि माननीय सदस्य को पता है, लदान बोर्ड कोयला उद्योग से संबंधित निकायों में सबसे अधिक प्रतिनिधात्मक निकाय हैं इसलिए जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जल्दबाजी कहकर मेरी आलोचना नहीं की जा सकती।

उनके दूसरे मुद्दे पर कि इस व्यवस्था का उपयोग केवल आपातकाल में ही किया जाए, मैं कहना चाहूंगा कि इसका प्रयोग तभी किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मैं उन्हें यह आश्वासन देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल हमारा इरादा है कि बोर्ड को हम जो अधिकार दे रहे हैं उनका उपयोग आपातस्थिति तक ही सीमित रखा जाए।

मेरे माननीय मित्र, डॉ. जियाउद्दीन जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, द्वारा उठाए गए मुद्दे का जहां तक प्रश्न है, मैं उनके सुझाव से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से अवगत हूँ कि कोयला खान लदान बोर्ड और खान मालिकों के बीच किसी मुद्दे पर कभी विवाद नहीं रहा और मैं नहीं सोचता कि जो व्यवस्था हम कर रहे हैं उससे खान मालिकों और लदान बोर्ड के बीच किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होगा। जैसा कि मैं जानता हूँ, कुल मिलाकर उनके बीच सुकर संबंध है और मेरे सामने

कोई ऐसा मामला नहीं आया जब बोर्ड ने कोई फैसला किया हो और उसका कोयला खान एसोशिएशन के किसी सदस्य ने विरोध किया हो।

मेरे माननीय मित्र श्री हूजिनभाई लाल जी ने एक प्रश्न उठाया था मैं जिस पर मैं समझता हूँ विचार किए जाने की आवश्यकता है। वह है उस खान पर सरकार के अधिकार के बारे में जहां सरकार ने लदान पर धन खर्च किया हो। मैं समझता हूँ यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और समय आने पर मैं यह कहने की स्थिति में होऊंगा कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या विचार है?

श्रीमन में इतना ही कहना चाहता था।

*श्रमिकों के प्रति सरकार की नीति

केन्द्रीय विधान सभा में भाषण

“मैं समझता हूँ कि मैं यह कह सकता हूँ कि श्रमिकों को लेकर भारत सरकार के बारे में जो भी कहा जाए परंतु यह एक जायज दावा है कि श्रमिकों के संबंध में सरकार ने एक नया अध्याय खोला है।” भारत सरकार के श्रम सदस्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने ये विचार 16 मार्च को केन्द्रीय विधान मंडल में श्रमिकों के प्रश्न पर श्रम विभाग की नीतियों पर श्री एन. एम. जोशी के कटौती प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रकट किए। उन्होंने कहा :

श्री जोशी ने श्रमिक समस्याओं के विस्तृत क्षेत्र के इतने मुद्दे उठाए हैं कि मेरे लिए, श्रम विभाग का प्रतिनिधि होने के नाते, उनमें से प्रत्येक का विस्तार से उत्तर देना और उनमें ब्यौरेवार जाना संभव नहीं हो पाएगा। समयाभाव का ध्यान रखते हुए, मुझे कुछ ऐसे मुद्दों को उत्तर देने के लिए चुनना पड़ेगा जिन्हें मैं आवश्यक समझता हूँ।

मजदूरों की दशा

श्री जोशी ने भारत में श्रमिकों की दशा संसार के अन्य देशों की तुलना में बहुत असंतोषजनक बताई है। श्रीमन मैं यहां खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि यह बात गलत है। निस्संदेह यह सत्य है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि स्थिति इतनी असंतोषजनक है जितनी श्री जोशी ने चित्रित की है तो इसका दायित्व भारत सरकार पर शायद नहीं डाला जा सकता।

श्रीमन, भारत में श्रमिकों की दशा आमतौर पर इस देश के औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है जिस पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और यदि उनकी दशा सचमुच असंतोषजनक है तो भारत सरकार पर दोष मढ़ने से कोई लाभ नहीं है। श्री जोशी ने कहा कि भारत सरकार का व्यवहार प्रकट करता है कि वह निष्क्रियता

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 410-13 (विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 2, 16 मार्च, 1944, पृष्ठ 1187-91)

और उपेक्षा की अपराधी है, कायर है, और उसने जो कुछ भी किया है वह अपर्याप्त है। मेरा कहना है कि अपना फैसला सुनाते समय श्री जोशी एक भेद नहीं कर सके तो बहुत आवश्यक हैं।

श्रमिकों की समस्याएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है, जिनमें कोई आर्थिक प्रश्न नहीं उठते। मैं श्री जोशी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी किसी ऐसी श्रमिक समस्या पर भारत सरकार ने सभी आवश्यक और तत्काल कदम नहीं उठाए जिन पर विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच विवाद नहीं था या जिनका वित्तीय प्रश्नों से संबंध नहीं था? मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन सभी मामलों में जहां पूर्ण सहमति थी या आम सहमति थी और जहां वित्तीय दायित्व वहन की बात नहीं थी, वहां सरकार ने पूरी तत्परता से जायज कार्रवाई की।

नवाबजादा मोहम्मद लियाकत अली खां : ऐसे मामलों में किसी कार्रवाई की दरकार ही नहीं थी।

डॉ. अम्बेडकर : बहुत सी कार्रवाई आवश्यक है।

युद्धकालीन उपाय

श्री जोशी ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान श्रमिकों की दशा बहुत गिरी क्योंकि सरकार ने कारखाना अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित काम के घंटों के बारे में कई अपवाद लागू कर दिए और श्रमिक हड़ताल के लिए 15 दिन की पूर्व सूचना के उपबंध पर सीमा लगा दी जिससे श्रमिकों के हितों को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने “राष्ट्रीय श्रमिक सेवा अध्यादेश” और “तकनीकी कार्मिक अध्यादेश” जारी कर दिया जिसके अंतर्गत लोग ऐसे कार्य करने के लिए विवश कर दिए गए जो उनकी इच्छा के विपरीत हों। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री जोशी ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि युद्ध के दौरान ऐसी सीमाएं लगाना न्यायसंगत है और मैं अपनी ओर से यही कह सकता हूँ कि इन युद्ध उपायों के बारे में मेरे सामने जो भी शिकायत आई मैंने उन्हें दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए। मैं केवल एक मिसाल दूंगा। मुझे याद है कि श्री जोशी ने एक प्रश्न उठाया था कि अध्यादेश के तहत मालिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे मजदूरों पर मुकदमा ठोक सकते हैं जो श्रमिकों का उत्पीड़न है। मैंने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया और मुझे याद है कि अध्यादेश में मैंने संशोधन किया और मालिकों से वह अधिकार छीन लिया और वह अधिकार सरकारी अभियोजन को सौंप दिया गया।

श्रीमन, जैसाकि मैंने कहा, मैं इन मामलों के संबंध में बहुत विस्तार से अपनी बात नहीं कहूंगा। परंतु मैं पूरी स्थिति का सार इन शब्दों में प्रस्तुत करूंगा कि जब

मैंने भारत सरकार के उन युद्धकालीन कानूनों पर विचार किया, जिनसे निस्संदेह श्रमिकों की स्वाधीनता पर असर पड़ा था, तो मैं समझता हूँ उससे दो सिद्धांत उभर कर सामने आए। पहला यह है कि भारत सरकार ने पहली बार वह जिम्मेदारी सिर पर ली जो उसने कभी नहीं उठाई थी कि श्रमिकों को नौकरी पर रखने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। मैं सोचता हूँ यह बिल्कुल नया सिद्धांत है जो अब तक हमारे श्रम कानूनों में नहीं था और मुझे यकीन है कि युद्धकालीन कानून में शामिल किया गया यह सिद्धांत अब देश के स्थायी श्रम कानून का भाग बन जाएगा।

उस युद्धकालीन कानून में दूसरी बात थी अनिवार्य पंच-फैसला। मान्यवर, मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र श्री जोशी और श्री जमनादास मेहता मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि मुझे श्रमिकों के विषय में व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जनता हूँ कि मालिकों से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए श्रमिकों ने हड़तालें कीं और मैं कह सकता हूँ कि यह अतिशयोक्ति न होगी कि श्रमिकों ने लंबी, दुष्कर, कष्टकारी, आत्मघाती हड़ताल महीनों चलाई और अंततोगत्वा मालिकों के आगे घुटने टेक दिए और उनकी पुरानी शर्तों मान ली या ऐसी शर्तें मंजूर कर लीं जो पहले से भी बदतर थीं।

श्रीमन, मेरी समझ में, भारत रक्षा अधिनियम की धारा 81 में समाहित उपबंध सरकार को अनिवार्य पंच-फैसले का अधिकार देते हैं जो श्रमिकों के लिए बहुत लाभकारी बात है।

जहां तक मैं जानता हूँ, जब से यह व्यवस्था लागू हुई है तब से अब तक बहुत कम ऐसे मामले हैं श्रमिक वह चीज न पा सके हों जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक जब ऐसी बहुत कम हड़तालें हुई हैं जिनका अंत श्रमिकों के पक्ष में न हुआ हो। श्री जोशी ने शिकायत की है कि धारा 81 को हमने हर मामले में लागू नहीं किया। जहां तक मैं समझ सका हूँ, उनका आशय यह है कि सरकार ने श्रमिकों द्वारा उठाए गए हर विवाद में इस धारा को लागू नहीं किया।

इस मुद्दे पर मेरी गहरी सहानुभूति है, परंतु श्री जोशी की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री जोशी की बात इस शर्त के साथ स्वीकार नहीं की जा सकती कि जब भी कोई मजदूर संघ हड़ताल पर जाने की घोषणा करे और मालिक उनकी शिकायतें हल न करे, तो इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : भारत में इस अधिकार को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा जबकि अन्य देशों में यह लागू है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूँ कि वहाँ अनिवार्य पंच-फैसले की कोई व्यवस्था नहीं है। मुद्दे पर आते हुए, मेरा निवेदन है कि हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते कि जैसे ही कोई मजदूर संघ मालिकों को नोटिस दे दे या हड़ताल की धमकी दे दे तो हम तुरंत नियम 81 लागू कर दें। हमें अवसर दिया जाए हमारे कंधों पर दायित्व होना चाहिए कि हम यह जांच करें कि क्या शिकायतें जायज हैं? अन्यथा हड़तालों का प्रश्न दिन प्रतिदिन का मामला हो जाएगा और मेरा विश्वास है कि इस सदन में कोई इसका अनुमोदन नहीं करेगा।

अन्य मुद्दा जो श्री जोशी ने उठाया है वह श्रमिकों की समस्याओं पर कार्य करने में श्रम विभाग की कमजोरी या अक्षमता का है। उनको यह शिकायत है कि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से श्रम मंत्रालय हो, इस कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए - एक वृद्धावस्था पेंशन पर रिपोर्ट देने के लिए, दूसरा बीमारी बीमे के लिए और तीसरा श्रमिकों की अन्य जरूरी समस्याओं के लिए। श्रीमन्, मैं जोशी की बात का प्रतिवाद नहीं करना चाहता, वास्तव में, उन्होंने जो कहा, व्यक्तिगत रूप से मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है।

श्रम विभाग का विस्तार

इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि उन परिस्थितियों को देखा जाए जिनमें हम रह रहे हैं और प्रशासन चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्रम विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में समस्याओं को सुलझाने में अक्षम है। श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि श्रम विभाग अब किसी अन्य विभाग का उपांग नहीं है। एक समय था जब यह या तो वाणिज्य मंत्रालय का अथवा उद्योग विभाग का भाग हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है। यह अलग और स्वतंत्र विभाग है। यह सच है कि यह एकदम अलग विभाग नहीं है। परंतु साथ ही कोई यह तर्क भी नहीं दे सकता कि यह अन्य विभागों की तुलना में, जो उन विभागों के माननीय सदस्यों के अधीन हैं, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण विभाग नहीं है।

श्रीमन्, मैंने हाल ही में इस विभाग का विस्तार किया है। वर्ष 1942 के पहले, हमारे यहां श्रम संबंधी मामलों को देखने के लिए मात्र एक अवर सचिव था। अब हमारे यहां एक उप-सचिव है और दो अवर सचिव हैं। इसके साथ ही, एक श्रम सलाहकार है। हमारे विभाग में एक श्रम कल्याण सलाहकार - श्री निम्बकार हैं। इसके अतिरिक्त, आठ सहायक श्रम कल्याण सलाहकार हैं। श्रमिकों के बारे में सभी आंकड़े एकत्र करने के लिए हमने एक संगणक भी रखा है। इसके अतिरिक्त बहुत से कर्मचारी हैं। दरअसल तकनीकी प्रशिक्षण के लिए काफी कर्मचारी हैं जो श्रमिकों के लिए बड़े उपयोगी हैं।

एक माननीय सदस्य : संवीक्षा समिति के लिए काफी हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न है। यह ऐसी बात नहीं है जिसके विषय में विभाग को पता न हो। सच्चाई यह है कि बीमारी बीमे के लिए हमने विशेष अधिकारी की नियुक्ति की शुरुआत कर दी है। वे प्रोफेसर अडारकर हैं। ऐसी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए हम ऐसे ही और अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहते हैं - रिपोर्टें तैयार करने के लिए और इस प्रस्ताव को कानूनी जामा पहनाने के लिए।

परंतु हुआ यह कि पिछले अगस्त में आयोजित त्रिपक्षीय सम्मेलन में हमने यह रिपोर्ट उसके विचारार्थ रखी। समिति और त्रिपक्षीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि भारत सरकार समाज कल्याण के उपायों के बारे में भी विचार करने और तरीके सुझाने के लिए समिति बनाए जिससे भारत के श्रमिक वर्ग में सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत को लागू किया जा सके।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि इसे क्रियात्मक रूप देने के लिए हमने एक समिति बनाई जो इस विषय में कार्य कर रही है। यह एक बहुत गलत बात होती कि विभाग विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए एक के बाद एक अधिकारी नियुक्त करता चला जाता। हमें समिति की रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करनी है। मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वासन दे सकता हूँ कि विशेष समस्याओं की जांच के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्तियों का कार्यक्रम हमने त्यागा नहीं है। परंतु जब समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी तभी इसे क्रियान्वित किया जाएगा। मान्यवर, मैं सोचता हूँ कि जो बातें मैंने इस मुद्दे पर कहीं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए श्री जोशी स्वीकार करेंगे कि श्रमिकों की समस्याओं से निपटने के लिए अब तक जो तंत्र हमारे पास है इसे अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन

श्री जमनादास मेहता ने त्रिपक्षीय सम्मेलन पर कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का दर्जा बढ़ाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का दर्जा दिया जाए। श्री जोशी ने कहा कि इसका अलग सचिवालय हो। श्री मेहता का सुझाव है कि श्रम विभाग का प्रभारी सदस्य जो आम तौर से सम्मेलन की अध्यक्षता करता है वह स्वयं को इस उत्तरदायित्व से मुक्त करे। श्री मेहता ने यह भी कहा कि समिति की रिपोर्ट विधानमंडल के सामने रखी जाए ताकि वह उसकी पुष्टि कर सके।

मान्यवर, मेरे माननीय मित्रों श्री जोशी और श्री मेहता ने जो भी कहा है मेरी उससे बहुत सहानुभूति है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोनों ही सदस्य अवगत हैं कि

समिति की प्रक्रिया के बारे में फैसला सम्मेलन में ही किया जाता है। जब सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था तो अलग सचिवालय के प्रश्न पर विचार किया गया था और सम्मेलन में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि अलग सचिवालय हो। परंतु बाद के एक सम्मेलन में फैसला बदल दिया गया और हमें भिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस मामले पर फिर विचार किया जाएगा।

श्रीमन्, यदि मेरी यह सोच सही है कि श्री मेहता और श्री जोशी दोनों ही त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन को मामूली घटना मानते हैं और समझते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इससे असहमत हूँ क्योंकि मेरे विचार में श्रम सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है कि इस संबंध में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, और सदन के सदस्यों से भी कहूंगा कि वे इसे ध्यान में रखें, कि यदि कोई त्रिपक्षीय सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति की कार्यसूची और विषय को देखेगा तो मैं समझता हूँ कि वह मान जाएगा कि उनके विचारार्थ और बहस के लिए जो मुद्दे रखे जाते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं याददाश्त के आधार पर कह सकता हूँ कि वे मुद्दे ऐसे हैं जिनका संपूर्ण श्रम क्षेत्र में बड़ा महत्व है।

मेरा कहना यह है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन से बाहर के श्रमिक प्रतिनिधियों के लिए यह संभव हो सकता था कि इन मुद्दों पर विचार करने और बातचीत के लिए नियोक्ताओं से मिल सकते?

मैं यह दावा तो कर सकता हूँ कि त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन को यह श्रेय जाता है कि यदि हमने कुछ अधिक नहीं किया है तो कम से कम एक चीज तो की ही है कि कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को, मालिकों को मजदूर करके नहीं तो बहलाकर ही सही, गंभीर महत्व के मामलों पर मालिकों के साथ बातचीत में शामिल तो करा ही लिया।

मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी सेवा है जो इस देश के मजदूर वर्ग के लिए त्रिपक्षीय सम्मेलन कर रहा है।

कोयला खानों में महिलाएं

माननीया श्रीमती सुब्बारायन ने अपने भाषण के दौरान कोयला खानों में महिलाओं को भर्ती करने के प्रश्न पर बहुत कुछ कहा। मैं उनकी भावनाओं पर संदेह नहीं करता जो उन्होंने इस प्रश्न पर व्यक्त की हैं। परंतु, श्रीमन्, मैं फिर उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन पर स्थगन प्रस्ताव पर बहस में विचार हो चुका है। मैं यह बात फिर कहता हूँ कि मुझे प्रसन्नता है कि हमने यह फैसला कर लिया और मैं सदन

को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खदानों में श्रमिकों की भरती बढ़ाने और कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा हूँ जिससे कि मैं इस स्थिति में आ सकूँ कि जल्दी से जल्दी फिर प्रतिबंध लगा सकूँ।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायन : क्या मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? क्या सरकार ने खानों के भीतर महिलाओं को काम दिए जाने के बारे में अध्यादेश जारी किए जाने से पूर्व त्रिपक्षीय सम्मेलन से मशविरा कर लिया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि इसके लिए हमें समय नहीं मिला। जैसाकि मैंने कहा, यह एक तात्कालिक मामला था और हमें इस पर तुरंत उपाय करने पड़े।

उन्होंने एक मुद्दा यह उठाया खासतौर से यह बात कि भारत सरकार श्रमिकों की समस्याएं हल करने के बजाय श्रमिक नेताओं को जेल भेज रही है। श्रीमन्, यह विषय मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। कल मैंने बहस के दौरान काफी कुछ बताया था। न तो कल और न आज ही किसी विशेष मामले को स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने किस श्रमिक नेता को गिफ्तार किया है।

सेठ यूसुफ अब्दुला हारून : मैंने अभी कराची पोर्ट ट्रस्ट के मामले में उल्लेख किया था।

श्री हुसैनभाई ए. लालजी : क्या पोर्ट ट्रस्ट आपके अधीन है?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं,

श्री लालजी : रेल कर्मचारी?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं।

श्री लाल जी : नाविक?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं?

श्री लाल जी : तब आपके अधीन क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : श्रमिकों की और बहुत सी श्रेणियां मेरे विभाग के पास हैं। मैं श्रमिक नेताओं को जेल भेजे जाने की बात पर बोल रहा था।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायन : क्या श्री डांगे को जेल नहीं भेजा गया?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। जैसाकि मैं श्रमिक नेताओं को समझ चुका हूँ, श्रमिक नेता एक से अधिक भूमिकाएं निभाते हैं।

वे कभी तो श्रमिक नेता होते हैं, कभी वे साम्यवादी हैं, कभी वे राष्ट्रवादी नेता हैं, कभी वे कांग्रेस के सदस्य हैं, कभी वे महासभाई हैं या किसी अन्य संगठन से संबद्ध होते हैं।

एक माननीय सदस्य : सब पर बंदिश है?

डॉ. अम्बेडकर : यह कहना बहुत कठिन है कि जो श्रमिक नेता विविध भूमिकाएं निभाते हैं उन्हें मात्र इसलिए जेल भेजा गया कि वे श्रमिक नेता हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ अन्य भूमिका निभाई - साम्यवादी की, कांग्रेसी की या हिंदू महासभा के सदस्य की। दरअसल मैं विनम्रतापूर्वक अपने निष्कर्ष के आधार पर कह सकता हूँ कि यदि श्रमिक नेता पूरी तरह श्रमिकों के लिए ही समर्पित होते और अन्य प्रकार के राजनीतिज्ञों के हाथों में न खेलते होते या अन्य कार्यक्रम न चलाते तो वे अपने आपको न सिर्फ नियम 26 के दायरे से मुक्त रख पाते, बल्कि वे श्रमिकों की महान सेवा कर सकते थे। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे श्रमिक नेता नहीं हैं जो सिर्फ श्रमिकों के प्रति समर्पित हों।

एक माननीय सदस्य : श्री जोशी हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि इस सदन में बहस के दौरान ऐसा कोई अन्य मुद्दा उठाया गया है जिसका उत्तर नहीं दिया गया या जिसके उत्तर की आवश्यकता है।

मैं समझता हूँ कि मैं यह कह सकता हूँ कि श्रमिकों के संबंध में भारत सरकार के लिए चाहे जो कुछ कहा गया हो, यह जायज दावा किया जा सकता है कि श्रमिकों के प्रति सरकार के रवैये में एक नया आयाम उभर कर आया है।

श्री अमरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय : इसके पीछे नीति क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : पिछले आधे घंटे से मैं यही तो बता रहा हूँ।

मौलवी अब्दुल गनी : क्या मैं माननीय सदस्य से एक छोटी सी सूचना प्राप्त कर सकता हूँ? यह क्या कारण है कि एक केंद्र से प्रशिक्षण पाने के बावजूद तकनीशियनों को प्रमाणपत्र नहीं दिए गए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री एन. एम. जोशी : मान्यवर, यह आशा करते हुए कि इस बहस के बाद श्रम विभाग की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभा की अनुमति से कटौती प्रस्ताव वापस लिया गया।

*फिलाडेल्फिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

24 मार्च को जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 1944 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आयोजित श्रम सम्मेलन के लिए निम्नलिखित प्रतिनिधियों को मनोनीत किया है :

सरकारी प्रतिनिधि : भारत के उच्चायुक्त सर मैनुअल रूंगनाधन, नेता, श्रम विभाग के सचिव, श्री एच. सी. प्रायर, प्रतिनिधि, उच्चायुक्त कार्यालय का एक सदस्य, भारतीय प्रतिनिधियों का सलाहकार और भारतीय शिष्टमंडल का सचिव।

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि : श्री जे. सी. महिन्द्रा, प्रतिनिधि, श्री डी. जी. मुल्हेरकर, सलाहकार।

श्रमिकों के प्रतिनिधि : श्री जमनादास मेहता, प्रतिनिधि, श्री आफताब अली, सलाहकार, श्री आर. आर. भोले, सलाहकार।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य की हैसियत से, ऐसे संगठनों की सहमति से जो अपने-अपने देशों के नियोक्ताओं और श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, गैर-सरकारी प्रतिनिधियों तथा सलाहकारों को मनोनीत किया है। नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, सर्वमान्य प्राप्त सिफारिशों के अनुसार, इस पद्धति से चयन किए गए हैं।

जहां तक श्रमिकों का संबंध है, उनके दो मुख्य संगठन हैं और उनसे कोई सहमत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। सरकार के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि इन दोनों संगठनों में से किसका आधार अधिक व्यापक है। परंतु सरकार की इच्छा है कि श्रमिकों को इस सम्मेलन में अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। इसलिए सहमति में विफल हो जाने पर भी सरकार ने फिलहाल यह नीति अपनाई है कि दोनों संगठन आपसी सहमति से बारी-बारी से अपने प्रतिनिधि मनोनीत करें।

इस फैसले के अधीन इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की सिफारिश पर वहां से एक प्रतिनिधि और एक सलाहकार श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में मनोनीत किए गए हैं, और आल इंडिया म्युनिसिपल एम्पलाईज् फेडरेशन की सिफारिश पर श्री आर. आर. भोले को मनोनीत किया गया है जिन्हें कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने सह-सलाहकार के रूप में स्वीकार किया है।

* * * * *

*विविध विभाग

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : सदन में “मांग संख्या 64 : विविध विभाग” जिसे छोड़ दिया गया था, नहीं ली जाएगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मान्यवर, मेरे विचार से माननीय मित्र श्री अविनाशलिंगम चेट्टियार यह जानना चाहते हैं कि 15,26,000 रुपए की धनराशि जो इसमें दर्शायी गई है कि वह स्थायी वित्तीय समिति की रिपोर्ट में कैसे नहीं दिखाई गई है। मैंने रिपोर्ट को देखा तो पता चला कि उनका कहना सही है। मैंने विभाग से सूचना मांगी है कि यह धनराशि किस मद के लिए है। इस बीच यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस विषय पर सामान्य जानकारी दी जा सकती है, जिससे कि इस पूरक मांग का संबंध है। मैं वह जानकारी देने को बिल्कुल तैयार हूँ।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : ज्ञापन में यह सब जानकारी है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : स्थायी वित्त समिति की रिपोर्ट में रोजगार दफ्तरों के कार्यक्रम का पूरा स्पष्टीकरण है।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : हम आंकड़ों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बड़ी मद के संबंध में, संक्षेप में, वस्तुस्थिति इस प्रकार है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, विभिन्न सरकारी, ठेकेदारों के बीच असैनिक और सैनिक क्षेत्र में अकुशल मजदूरों के लिए भारी स्पर्धा है। इस स्पर्धा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों से योग्य मजदूर चले जाते हैं और मजदूरी दरें उचित सीमा से बहुत बढ़ गई हैं। स्पर्धा के कारणों को दूर करने के लिए, सरकार ने कुछ समितियां बनाई जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सके। सरकार ने दो कार्यक्रम चलाए हैं। एक कार्यक्रम “श्रमिक आपूर्ति समिति” नाम से है जो कुछ प्रांतों जैसे

बंगाल और असम में चल रहा है जो सैनिक गतिविधि क्षेत्र से सटे हुए हैं। सरकार का दूसरा काम “श्रम डिपो” की स्थापना है इनमें से एक डिपो गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अधिकांश अकुशल श्रमिकों को एकत्र किया जाता है। फिर उनकी श्रेणियां बनाई जाती हैं और उन्हें योग्यतानुसार कोयला खानों या सैनिक कार्यों के लिए भेज दिया जाता है। यह खर्च “एम” - अकुशल मजदूरों की समन्वय योजना में दिखाया गया है। दरअसल यह राशि इन दोनों योजनाओं के लिए है जिनका मैंने जिक्र किया है। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री एन. एम. जोशी (मनोनीत गैर-सरकारी) : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने हमें अपने दो कार्यक्रमों से अवगत कराया है। एक है श्रम आपूर्ति समिति और दूसरा है श्रम डिपो की स्थापना जहां से उन्हें विभिन्न उद्देश्यों से दूसरे स्थानों पर भेजा जा सके। श्रीमन्, जहां तक उनकी श्रम आपूर्ति समिति का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जब ये समितियां बनाई गई थीं तो क्या उनमें कोई श्रमिक प्रतिनिधि शामिल किया गया था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि मैंने कल ही आदेश जारी किए हैं कि इन श्रम आपूर्ति समितियों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

नई दिल्ली में मस्जिदों का संरक्षण

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : संशोधन प्रस्तुत हुआ :-

“कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

“कि यह विधान सभा गर्वनर जनरल से सिफारिश करती है कि वे कृपया नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित मस्जिदों का संरक्षण करने और उनकी समुचित मरम्मत के उद्देश्य से निर्माकित कदम उठाएं :-

(क) जिन बंगलों के परिसरों में मस्जिदें स्थिति हैं, वे बंगले इस शर्त पर अलाट करने के लिए संबद्ध विभाग को निर्देश दिए जाएं कि उनकी मरम्मत आदि में बाधा नहीं डाली जाएगी और इन मस्जिदों के मुसलमानों को नमाज करने की छूट रहेगी, और

(ख) संबद्ध विभाग और नई दिल्ली नगरपालिका को आगे यह निर्देश भी दिए जाएं कि उन मुसलमानों को सभी सुविधाएं, सहायता और आवश्यक कानूनी इजाजत दी जाए जो नई दिल्ली में मौजूदा मस्जिदों की मरम्मत, बहाली और पुनर्निर्माण के लिए आगे आते हैं।”

*माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, इस प्रस्ताव के दो अंग हैं : भाग (क) और भाग (ख)। परंतु मेरा संबंध केवल भाग (क) से है। भाग (ख) पर माननीय सचिव शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विकास विभाग कार्यवाही करेंगे। भाग (क) में, जिसका मुझे से संबंध है, दो सिफारिशें दी गई हैं। पहली यह कि सरकार यह आश्वासन दे कि जिन बंगलों के परिसर में मस्जिदें हैं वे भारत सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों को अलाट किए जाएं। दूसरी सिफारिश है कि रहने वालों को निर्देश दिए जाएं कि वे किसी को मस्जिद की बहाली में या नमाज पढ़ने पर कोई बाधा न डालें।

मैं कहना चाहूंगा कि मुझे खेद है कि मैं कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं कर

सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उन जजबात की कद्र नहीं करता जो संकल्प प्रस्तुत करते समय मेरे माननीय मित्र ने प्रकट किए हैं, परंतु प्रस्ताव को स्वीकार करने में अंतर्ग्रस्त कठिनाइयां हैं।

संकल्प के पहले भाग को लें। मेरे माननीय मित्र सर यामीन खान ने कहा है कि सरकार ने एक माननीय सदस्य को जो मुस्लिम हैं पहले ही एक मकान अलाट कर दिया है या आरक्षित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने इस तर्क पर बल देने के लिए यह कहा है कि इस सिद्धान्त को पहले ही स्वीकृत कर लिया गया है। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह गलत है। किसी माननीय सदस्य के लिए आवास आरक्षित नहीं किया गया है। यह एक संयोग की ही बात है कि यह मकान एक मुस्लिम सदस्य के कब्जे में है। परंतु मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि यदि यह मकान खाली होता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो वरिष्ठतम सदस्य को अलाट किया जाएगा चाहे वह मुस्लिम हो अथवा गैर-मुस्लिम।

सर मोहम्मद यामीन खान : परन्तु एक पर्दा-दीवार भी बनाई गई है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह अलग बात है। मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूँ कि मौजूदा समय में सरकार के लिए ऐसे संकुचित सिद्धान्त को स्वीकार करना असम्भव है।

मान्यवर, सिद्धान्त को स्वीकार करने का क्या अर्थ है? इसमें दो बातें हैं। इसका अर्थ है कि सरकार यह आश्वासन दे कि सरकार उन गैर-मुस्लिमों को नोटिस दे जिनका उन मकानों पर कब्जा है जो इस संकल्प के अधीन आते हैं, और उन्हें खाली करा लें। यदि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेती है तो इसके यही परिणाम निकलेंगे।

इस संकल्प को स्वीकार करने का दूसरा नतीजा यह होगा। मान लीजिए कोई बंगला खाली होता है और बारी से उसका आबंटन किसी ऐसे गैर-मुस्लिम को किया जाना है जिसे सरकार ने बाहर से दिल्ली बुलाया है और जिसकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है, तो सरकार उसे वह आवास अलाट नहीं कर सकती। श्रीमन्, मेरा विनम्र निवेदन है कि मौजूदा हालात में यह एक असंभव शर्त है जबकि आवासों की अत्यधिक कमी है और जिन अधिकारियों को यहां बुलाया जाता है उन्हें हटमेंट्स में ठहराया जाता है या किसी भी प्रकार की अन्य छोटी-मोटी जगहें उन्हें दी जाती हैं। इस तरह का नियम स्वीकार कर लेने से वही 'न-खाये-न-खाने दें' वाली बात हो जाएगी। मेरे माननीय मित्र इस बात को समझें कि मौजूदा हालात में सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

मैं संकल्प के दूसरे भाग पर आता हूँ जिसमें वहाँ रहने वालों पर सरकार से कुछ पाबंदियां लगाने के लिए कहा गया है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इससे बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। श्रीमन्, यह सर्वविदित है कि कोई भी मालिक मकान किराएदार पर कुछ पाबंदियां लगता है। परंतु मुझे कोई शक नहीं कि माननीय मित्र सर यामीन खान इस बात से सहमत होंगे कि मालिक मकान किसी किराएदार पर ऐसी पाबंदी लगाएगा जिसका मकसद परिसर के संरक्षण से है। मैंने इसके बारे में विस्तार से नहीं देखा है, परंतु इस तरह की पाबंदी जो मेरे माननीय मित्र किराएदार पर चाहते हैं न्यायसंगत नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक परिसर के परिरक्षण से नहीं है।

अब मैं दूसरी कठिनाई पर आता हूँ कि इस तरह के नियमों से किराएदार की क्या हालत होगी। श्रीमन्, मुझे संदेह नहीं, और मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इसे बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ कि संकल्प में की गई व्यवस्था को यदि मैं लागू कर दूँ, और वहाँ रहने वाला चाहे वह मुस्लिम हो या गैर-मुस्लिम, अपने परिसर को नमाज़ के लिए हर आम-खास के लिए खुला छोड़ दें, तो इससे उसका एकांत समाप्त हो जाएगा और उसका घर मुसाफिरखाना बन जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी गैर-मुस्लिम किराएदार के लिए यह बहुत मुश्किल होगा और ऐसी ही पाबंदियां यूरोपियनों पर भी लगानी होंगी। परंतु मैं यह कहने का भी साहस रखता हूँ कि कोई मुस्लिम किराएदार भी उन पाबंदियों को मंजूर नहीं कर सकता जो मेरे माननीय मित्र लगाना चाहते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे माननीय साथी जो प्रस्ताव में वर्णित जैसे घर में रह रहे हैं वह अपनी सभी धार्मिक आस्थाओं के बावजूद नजाज के नाम पर अपने घर में भीड़ को नहीं घुसने देंगे।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि जो कारण मैंने बताए हैं कि उनके आधार पर मेरे माननीय मित्र इससे सहमत होंगे कि ये कोई अस्थायी कारण नहीं हैं। मैं इस संकल्प को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

*कारखाना (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

यह विधेयक एक सामान्य विधायी कार्य है और यह विवादहीन भी है। इस विधेयक के द्वारा चार संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। जिन धाराओं में संशोधन किया जाना है वे हैं 9, 19, 23, 45 और 54 ।

धारा 9 ऐसी धारा है जिसमें प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति कारखाना लगाए तो इससे पहले उसे विशिष्ट विवरण देते हुए कारखाना निरीक्षक को सूचित करना चाहिए। किन्तु ऐसा अनुभव किया गया है कि इस धारा के अंतर्गत कारखाना निरीक्षक को यह अधिकार नहीं है कि जिस सूचना को वह आवश्यक समझता है वह कारखाने के मालिक से प्राप्त कर सके और न ही कारखाने का मालिक ऐसा विवरण देने के लिए बाध्य है। हाल ही में यह पाया गया कि जो कारखाना मालिक कारखाना शुरू करना चाहता है वह उस विवरण को देने से इंकार कर देता है जिसकी कारखाना निरीक्षक को आवश्यकता है। इससे निपटने के लिए धारा 9 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन से सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि निरीक्षक को जो विवरण वांछित है वह उसे मांग सके।

धारा 19 का संबंध कारखाने में पानी और नहाने-धोने का स्थान मुहैया कराने से है। मौजूदा धारा के अनुसार, नहाने-धोने के स्थान का प्रावधान उन कारखानों तक सीमित है जहां श्रमिकों को हानिकारक और घिनौनी सामग्री के संपर्क में आना पड़ता है। इस धारा के अंतर्गत सभी प्रकार के कारखाना मालिकों को नहाने-धोने के लिए

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 3, 4 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1929

अनिवार्य सुविधा नहीं जुटानी होती। यह सुझाव दिया गया कि यह सीमा हटा दी जाए क्योंकि सफाई के स्थान की सभी मजदूरों को आवश्यकता होती है, केवल उन्हीं के लिए नहीं जो हानिकारक सामग्री के संपर्क में आते हैं। इसलिए इस संशोधन के द्वारा सभी कारखानों के लिए नहाने-धोने का प्रबंध करना अनिवार्य बनाया जा रहा है।

धारा 23 की विषयवस्तु किसी स्थापित कारखाने में अग्निरोधक व्यवस्था करना है। इस संबंध में पाया गया है कि यह धारा दोषपूर्ण है। इस धारा के अधीन यह बात कारखाना चलाने वाले पर छोड़ दी गई है। इसके अनुसार, सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह यह निर्धारित कर सके कि किस कारखाने में कितने अवरोधकों की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप धारा 23 में यह संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है कि सरकार को यह अधिकार होगा कि वह निर्धारित कर सके कि किसी कारखाने में कितने अग्निरोधकों की आवश्यकता है। किसी कारखाने की परिस्थितियों को देखते हुए कारखाना निरीक्षक इसकी आवश्यकता निश्चित करेगा।

मान्यवर, अब मैं धारा 45 और 54 पर आता हूँ। इन धाराओं का संबंध दो बातों से है। ये हैं कारखाने में बाल और महिला श्रमिकों से कितने घंटे तक काम कराया जा सकता है या वे कितनी देरी तक काम कर सकते हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य के घंटों की मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसमें यह नहीं कहा गया है उनकी वर्तमान 13 घंटे काम की अवधि में परिवर्तन किया जाए। इसमें केवल इतना कहा गया है कि उन्हें सांय 8.30 के बजाय 7.30 तक ही काम पर लगाया जा सकता है। इस परिवर्तन के दो कारण हैं। पहला यह कि मानक समय में परिवर्तन हो गया है। दूसरे, इससे बिजली की बचत हो सकेगी।

श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि विधेयक की इन व्यवस्थाओं पर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी ने संशोधन की सूचना दी है, किन्तु वे सदन में उपस्थित नहीं हैं और इसलिए सदन विधेयक पर विचार शुरू करेगा।

श्री मुहम्मद नौमेन (पटना और छोटा नागपुर व उड़ीसा, मुस्लिम) : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने विधेयक के जिन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया है उनके बारे में विधेयक से सहमत हूँ। मेरी इतनी ही आपत्ति है कि माननीय सदस्य ने चेम्बर्स

और व्यापारिक से सलाह नहीं ली है जो वास्तव में यह बताने में सक्षम हैं कि क्या इन संशोधनों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की आशंका है कि धारा 19 में जो शर्तें रखी गई हैं इससे उन लोगों को और भी कठिनाइयां होंगी जिनके कारखाने हैं अथवा जिनका कारखाना लगाने का विचार है। मुझे इतनी ही परेशानी है। यदि मुझे यह समझा दिया जाए कि सरकार ने व्यावसायिक सलाह ले ली है और उद्योगपतियों की राय जान ली है तो मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने में खुशी होगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मेरे माननीय मित्र श्री मुहम्मद नौमेन ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर मुझे कहना है कि यह विधेयक देश भर के कारखाना निरीक्षकों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप लाया गया है। उनका ही यह विचार है कि मौजूदा विधेयक में कुछ खामियां हैं सरकार ने तो केवल इतना किया है कि देश भर के कारखाना निरीक्षकों की सर्वसम्मत सिफारिशों को कार्यरूप दिया है। मुझे इस बात का पता नहीं है या मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे पता चले कि देना चेंम्बर्स आफ कॉमर्स का कारखाना कानून से कुछ लेना नहीं है। परंतु मुझे विश्वास है कि मालिकों के संगठनों से सलाह-मशविरा किया गया है।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :-

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री सी.सी. मिलर (बंगाल यूरोपियन) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

“कि विधेयक के खंड 2 में उपधारा (1) के प्रस्तावित भाग (च) में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं :

“इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए”।

श्रीमन्, मैं इस संशोधन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले ही कहा है, मूल धारा 9 में कुछ शीर्षों के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कारखाना मालिकों को अमुख सूचना कारखाना निरीक्षकों को भेजनी चाहिए। कोई भी संदेह कर सकता है कि विधेयक की धारा 77 के संदर्भ में क्या इसमें किया जाना वाला संशोधन आवश्यक है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक सूचना मांगी जा सकती है। परंतु यह मानकर कि सरकार का संशोधन सही है, हमने सोचा कि ऐसे संशोधन से हम कुछ विशिष्ट विषयों पर कुछ ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कारखाना निरीक्षक केवल वहीं सूचनाएं मांगें जो कारखाना अधिनियम में प्रासंगिक हों।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : संशोधन प्रस्तुत हुआ :-

“कि विधेयक के खंड 2 में उपधारा (1) के प्रस्तावित भाग (च) में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएं :-

“इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 3, 4 और 5 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर : “मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए”।

माननीय अध्यक्ष (सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :-

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कोयला खान कल्याण कोष संबंधी परामर्श समिति

केंद्र सरकार ने एक परामर्श समिति गठित की है कि जो गत जनवरी में जारी कोयला खान श्रम कल्याण अध्यादेश के संचालन संबंधी मामलों पर परामर्श देगी।

इस समिति में श्रम विभाग का सचिव, कोयला आयुक्त, श्रम कल्याण सलाहकार, खानों के मुख्य निरीक्षक, रेलवे बोर्ड, बंगाल सरकार, बिहार सरकार और मध्य प्रांत तथा बरार सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य, अखिल भारतीय खान एसोसिएशन के दो मनोनीत प्रतिनिधि, भारतीय खान, संघ, भारतीय खान मालिक एसोसिएशन और मध्य प्रांत तथा बरार खान एसोसिएशन का एक-एक प्रतिनिधि, दो खान इंजीनियर, और खान मालिकों तथा श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार खान श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए पांच व्यक्तियों को मनोनीत करेगी। इनमें से चार पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं और पांचवें की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। अध्यादेश के अनुसार परामर्श समिति में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए और उसका मनोनयन भी शीघ्र हो जाने की आशा है।

अब तक गठित समिति में सरकार के प्रतिनिधि इस प्रकार हैं : श्री एस. लाल, सचिव, श्रम विभाग, श्री आर. एस. निम्बकर, श्रम कल्याण सलाहकार और श्री डब्ल्यू. एच. किर्बी, मुख्य खान निरीक्षक, रेलवे बोर्ड और बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रांत और बरार सरकारों के प्रतिनिधि इस प्रकार हैं : श्री ए. आर. और श्री ए. हग्स, आई. सी. एस., श्रम आयुक्त, बंगाल, श्री ए. जी. बन, आई. सी. एस., अतिरिक्त उपायुक्त धनबाद और सरदार बहादुर शेर सिंह, श्रम आयुक्त, मध्य प्रांत और बरार, सर्वश्री जे. लेटिमार, एस.एफ. तार्लटोन, एम. एन. मुखर्जी, आर. डी. राठौर और ए.ई. डगलस को परामर्श समिति में खान उद्योग का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है।

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 मई 1944, पृष्ठ 522-23

प्रथम बैठक

खान श्रमिकों के चार प्रवक्ता हैं -इंडियन फ़ैडरेशन आफ लेबर से संबद्ध प्रवक्ता सर्वश्री पी. भट्टासाली और एच. घोषाल और मजदूर कांग्रेस से संबद्ध श्री नृपद मुखर्जी और श्री चपल भट्टाचार्य। श्री डब्ल्यू. एन. बर्क और श्री एस. एन. मलिक मनोनीत खान इंजीनियर हैं।

परामर्श समिति की पहली बैठक 27 अप्रैल को धनबाद में हुई। इसकी अध्यक्षता श्रम सदस्य, माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने संक्षिप्त उद्घाटन भाषण में पिछले दिसम्बर में धनबाद में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक का उल्लेख किया जिसमें कोयला उत्पादन की समस्याओं पर और श्रमिकों के काम पर बने रहने के प्रश्न पर विचार किया गया था। उन्होंने कहा कि उस बैठक में दिए गए सुझावों का परिणाम सामने आया है। यद्यपि उत्पादन के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है, यह बैठक कोयला खदानों के मजदूरों के कल्याण के लिए कल्याण कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। पिछली बैठक के विचार-विमर्श के आधार पर, सरकार ने कोयला खान मजदूरों के कल्याण के लिए एक अध्यादेश जारी किया था और अध्यादेश की शर्तों के मुताबिक इस सलाहकार समिति का गठन किया गया।

तत्पश्चात समिति ने अपने समक्ष रखे गए परामर्श समिति के स्वरूप संबंधी नियमों के प्रारूप और निर्मित कोष से किए जाने वाले व्यय तथा कल्याण कार्यक्रमों के संचालन पर होने वाले व्यय पर विचार किया। नियमों के अनुसार, अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारों के अधीन समिति का एक सचिवालय होगा और इसका मुख्यालय धनबाद में होगा। इसकी कई उप-समितियां होंगी और कार्यसंचालन के लिए उनका चुनाव परामर्श समिति करेगी। ये उप-समितियां होंगी : कोष से खर्च होने वाली धनराशि के विषय में परामर्श के लिए एक वित्त उप-समिति, कोष के धन से संचालित होने वाले प्रमुख कार्यों और निर्माणों पर विचार के लिए एक निर्माण उप-समिति और बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रांत, बरार और असम की मुख्य खानों के लिए अलग-अलग कोयला खान उप-समिति जो अपने-अपने क्षेत्रों में कोष से प्राप्त धन के खर्च संबंधी मामलों पर परामर्श देगी। इन उप-समितियों के गठन में खान मालिकों और खान उद्योग के श्रमिकों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

कोष का संचालन

परामर्श समिति के विचार किए गए नियमों के अनुसार, स्वीकृत धनराशि की परिधि में परामर्श समिति केन्द्र सरकार की पुष्टि के लिए योजनाएं सुझाएगी। इन योजनाओं के

दो भाग होंगे - प्रशासनिक योजनाएं जिसमें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सचिवालय कर्मचारियों पर होने वाले खर्च और वेतन आदि शामिल होंगे और कल्याण कार्यक्रम जो या तो अनिवार्य होंगे अथवा वैकल्पिक।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए कोयला खान मजदूर कल्याण कोष द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में प्रांतीय सरकारों, स्थानीय निकायों, खान मालिकों या अभिकर्ताओं या प्रबंधकों पर केंद्र को कुछ शर्तें लगाने के अधिकार इन नियमों में दिए गए हैं। इन शर्तों से यह सुनिश्चित होगा कि जिन कार्यों के लिए धन स्वीकार किया गया है उन्हें समुचित ढंग से और शीघ्र पूरा किया जाए, निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं दी जाएं और स्वीकृत राशि का सही लेखा-जोखा रखा जाए।

किसी स्थानीय निकाय अथवा कार्यकारी अभिकर्ता या कोयला खदान के प्रबंधक को इन शर्तों की पूर्ति के लिए एक करारनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे।

समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि झरिया और आसनसोल स्वास्थ्य बोर्डों तथा झरिया जल बोर्ड का कोष के अनुदान के कार्यकारी निकाय के रूप में कहां तक उपयोग किया जाना चाहिए। यह विचार प्रकट किया गया कि कोयला खानों में मौजूदा निकायों के कोष से प्राप्त राशि से कल्याण कार्यों और अन्य योजनाओं के संचालन के लिए उपयोग किया जाए। समिति ने अध्यक्ष के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि परामर्श समिति हर मामले में अलग से फैसला करे कि अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए या नहीं। समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि तुरंत कितना धन खर्च किया जाना है जिसे कल्याण कोष से लिया जाए। इस उद्देश्य से, जिन मदों का सुझाव दिया गया वे इस प्रकार हैं : कल्याण अधिकारियों पर होने वाला खर्च, नियुक्त किए जाने वाले सचिवालय कर्मचारियों पर खर्च, मध्य प्रांत और बरार की खानों में पहले ही चलाए जा रहे मलेरिया निवारण कार्यक्रमों पर खर्च, और बंगाल-बिहार के लिए स्वीकृत कर लिए जाने पर होने वाला खर्च। समिति ने अध्यादेश द्वारा लगाए जाने वाले उपकर पर भी विचार किया।

*अभ्रक उद्योग को सुदृढ़ और स्थिर बनाया जाएगा

“भारत सरकार अभ्रक उद्योग को सुदृढ़ और स्थिर बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगी, ये विचार श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अभ्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रकट किए। सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधियों, बिहार सरकार के प्रतिनिधियों, मजदूर संघों के प्रतिनिधियों और अभ्रक मजदूरों के प्रवक्ताओं ने भाग लिया। यह सम्मेलन 29 अप्रैल को कोडरमा (बिहार) में हुआ।

इसमें बिहार सरकार की ओर से अन्यों के अतिरिक्त श्री ई.सी. इन्सोर्ज, सलाहकार, श्री जे.एस. विलकाक, सचिव राजस्व विभाग, और श्री एम. जेड खान, उपायुक्त हजारी बाग ने भाग लिया। श्री डी. एल. मजूमदार, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, श्री ई. एल. जी. कलक, निदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और जे.टी.के. क्रासफील्ड, भूगर्भ सर्वेक्षण के पर्यवेक्षक क्षेत्रीय अधिकारी ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि भारत सरकार यह समझती है कि युद्ध के बाद अभ्रक के क्षेत्र में भारत का एकाधिकार शायद इतना न रहे जितना आज है। उन्होंने बताया कि इस उद्योग को स्थिर बनाने और स्थायी रूप देने के उद्देश्य से भारत सरकार चाहती है कि एक जांच समिति बनाई जाए जो अभ्रक उद्योग की तात्कालिक तथा संपूर्ण समस्याओं पर विचार करे।

इस समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे : अभ्रक नियंत्रण आदेश का युद्ध सामग्री निर्माण और दीर्घकालीन नीति पर प्रभाव और इस आदेश के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं आदेशों की समीक्षा, विपणन की वर्तमान प्रणाली-आंतरिक और विदेशी दोनों, गुणात्मकता का मानकीकरण, भारत के सफेद अभ्रक के मुख्य सप्लायर होने की स्थिति पर वैकल्पिक सप्लाई स्रोतों का क्या कुप्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है और अभ्रक के स्थान पर अन्य किन पदार्थों को इस्तेमाल किया

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 मई 1944, पृष्ठ 533-35

जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप कि उद्योगों में इसकी खपत कम हो जाए, और यह किस सीमा तक हो सकता है, तैयार माल बनाने के लिए देश में ही अभ्रक के उपयोग में वृद्धि, गवेषणा और विकास, अनुकूल व्यवस्था तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ताकि या तो कोई केंद्रीय अभ्रक समिति बनाकर अन्यथा किसी और तरह से अभ्रक व्यापार और उद्योग के हितों का ध्यान रखा जा सके।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जांच समिति का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और दो अंशकालिक सदस्य होंगे - एक देसी व्यापार का अनुभवी होगा और दूसरा निर्यात व्यापार का - और एक पूर्णकालिक सचिव होगा। इसमें सात आगणक होंगे - दो बिहार सरकार के, दो बिहार के व्यापारियों के, एक-एक मद्रास और राजपूताना के अभ्रक व्यापार का, और एक अभ्रक मजदूरों का। इसके अतिरिक्त, समिति की सहायता के लिए दो तकनीकी सलाहकार होंगे जिनमें एक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का निदेशक होगा और दूसरा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड का प्रतिनिधि होगा।

श्रम कल्याण

श्रम और उद्योग के प्रश्न पर श्रम सदस्य ने इस बात पर बल दिया कि यदि सरकार उद्योगों की सहायता करना चाहती है तो वह उद्योगों को श्रमिकों का शोषण नहीं करने देगी। यह कहा जाता है कि भारत का इस क्षेत्र में एकाधिकार सस्ते श्रम के कारण है। यदि यह सच है तो न तो यह उद्योगों को शाबाशी देने वाली बात है और न ही श्रमिकों के हित में है। यदि सरकार इस उद्योग की स्थिरता के लिए आगे आती है, तो यह भी आशा की जाएगी कि उद्योग श्रमिकों के हितों की रक्षा करे।

श्रम सदस्य ने विचार प्रकट किया कि सरकार चाहेगी कि श्रमिकों को जीवन-यापन योग्य वेतन मिले, रोजगार की अच्छी शर्तें और सामान्य कल्याण सुविधाएं हों जिससे श्रम कल्याण को जारी रखा जा सके। उन्होंने सरकार की सामान्य नीति का जिक्र किया कि उद्योगों से धन एकत्र किया जाएगा और उदाहरण के रूप में कोयले पर लगे उपकर की ओर संकेत किया। उनका कहना था कि उद्योगों को, विशेष उपकर के रूप में, कल्याण कार्यों का खर्च उठाना चाहिए।

इससे पहले अपने भाषण में श्रम सदस्य ने भारतीय अभ्रक के महत्व पर बल देते हुए बताया कि बिजली तकनीकी उद्योगों का अस्तित्व अभ्रक पर टिका है। और अभ्रक एक सामरिक महत्व का पदार्थ है जिसके बिना देश की सुरक्षा असंभव होगी। अभ्रक चादर का विश्व उत्पादन 1913 में 17018 मीट्रिक टन था जिसमें से 14598 मीट्रिक टन भारत का था अर्थात् 81.7 प्रतिशत। भारत के औद्योगिक मामलों में अभ्रक की भूमिका अद्वितीय है।

उन्होंने कहा “हम कपास के व्यापार के विषय में काफी कुछ सुनते हैं। वस्त्र और जूट उद्योगों की बात होती है, परंतु भारत के अभ्रक उद्योग का जिक्र भूले-भटके ही होता है इसका कारण बताते हुए डाक्टर अम्बेडकर ने बताया कि इसके दो कारण हैं—पहला यह कि अभ्रक का प्रयोग भारत में नहीं होता, इसका निर्यात ही होता है। इसलिए भारत के लोगों को इससे कोई लेना-देना नहीं। लाभ की राशि विदेशों से आती है और खपत वाले देशों को भारत में कोई रुचि नहीं। दूसरा कारण है उद्योग की बेकार और असंगठित स्थिति। उन्होंने उत्पादन के आंकड़े देते हुए बताया कि 1905 में हमारा उत्पादन 1714 मीट्रिक टन था। 1937 में वह 14598 हो गया। उद्योग की असाधारण वृद्धि का एक और लक्षण है कि सूखे मौसम में खदानों और फैक्ट्रियों में 60,000 श्रमिक भर्ती किए जाते हैं और 100,000 घरों में परतें निकालने का काम करते हैं। अपने इतने विस्तार के बावजूद, मिल मालिकों के संघ की तुलना में या उत्तर भारतीय प्रबंधक संघ की तुलना में अभ्रक उद्योग का कोई बड़ा संगठन नहीं है।

चोरी

इस स्थिति के कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग आपसी द्वेष और व्यापारिक तोड़-जोड़ में लगे रहते हैं। हर व्यक्ति दूसरे को पीछे धकेल कर अपना स्थान बनाना चाहता है। यह सहयोग के स्थान पर खींचातानी का क्षेत्र बना हुआ है। उद्योग के भविष्य का जिक्र करते हुए श्रम सदस्य ने कहा कि भारत सरकार इस उद्योग को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करने की हर संभव कोशिश करेगी। सरकार को पता है कि इस उद्योग के सामने दो समस्याएं हैं - एक तो तात्कालिक समस्या है और दूसरी अंतिम जिसके लिए दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। तात्कालिक समस्या अभ्रक की चोरी की है। आमतौर से तो भारत सरकार इसे चोरी की मामूली घटना समझ लेती और चुराई गई अभ्रक लौटाए जाने पर चुप हो जाती, परंतु अभ्रक के महत्व को देखते हुए सरकार ने उद्योग की सहायता की ओर तत्परता से ध्यान दिया। अभ्रक विकास आदेश लागू किया गया। इसमें कोई दोष भी हों तो भी जहां कहीं सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है वहां चोरी की घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जो लोग इस उद्योग में लगे हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए और आश्वासन दिया कि सरकार चोरी रोकने की दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार है।

प्रस्ताव का स्वागत

जांच समिति नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव का सम्मेलन में उद्योग के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से स्वागत किया। यह भी सुझाव दिया गया कि समिति, अभ्रक उद्योग के युद्धोपरांत पुनर्निर्माण के प्रश्न पर भी विचार करे।

इससे पूर्व, सम्मेलन में उद्योग की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के उपायों पर भी विचार किया गया। इनमें अभ्रक की कुछ किस्मों की खरीद और बिक्री तथा हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना, जिलाधीशों और प्रांतीय सरकारों को प्रमाणपत्र देने के लिए कुछ विवेकाधीन अधिकार प्रदान करना, लाइसेंसशुदा अभिकर्ताओं की बाढ़ को रोकना, अभ्रक भंडारण के भंडारग्रहों की स्थिति पर नियंत्रण रखना, और प्रशासन तंत्र में सुधार करना शामिल है।

यह भी संकेत दिया गया कि केंद्र सरकार का इरादा अभ्रक नियंत्रक आदेश, 1940 में इस उद्देश्य से जल्द ही संशोधन करने का है।

अभ्रक उद्योग के श्रमिकों के कल्याण के लिए मौजूदा खाद्यान्न रियायतों, मंहगाई भत्तों, आवास स्थिति, जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं और वेतनों की समीक्षा की गई। श्रम सदस्य ने यह जानकारी प्राप्त की कि क्या अभ्रक मजदूरों के लिए कोई मूल वेतन निर्धारित है और इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा की ओर ध्यान दिए जाने, आवास सुविधाएं जुटाने और जल आपूर्ति की आवश्यकता है। यह बताया गया कि अधिकांश श्रमिक अपने गांवों में रखते हैं। इस बात पर आमतौर पर सहमति नजर आई कि अभ्रक श्रमिकों के हित में कल्याण और विकास उपकर लगाया जाए। इस बात पर सहमति थी कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण पर यह दायित्व हो कि वह अभ्रक उद्योग को कोयले का वितरण करे।

श्रम सदस्य का अभ्रक खानों का दौरा

29 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर, श्री मजूमदार, डॉ. क्लैग और श्री क्रासफील्ड के साथ अभ्रक फैक्ट्री की खादान देखने गए। यह दल सीढ़ियों से उतर कर 400 फुट नीचे गया। खनन के विभिन्न पहलुओं के साथ श्रम सदस्य ने ड्रिलिंग और बोरिंग कार्य भी देखा जो लैंडलीज कम्प्रेसर्स द्वारा तैयार न्यूमैटिक ड्रिल से किया जा रहा था—सरकार ने अभ्रक उत्पादन बढ़ाने के लिए यह सुविधा इस उद्योग को मुहैया कराई है। धरातल पर लौटने पर श्रम सदस्य ने श्रमिकों की झोंपड़ियां देखीं। उसके बीच में केसरिया रंग का एक त्रिकोना पत्थर एक वृक्ष के नीचे रखा हुआ था। श्रम सदस्य को बताया गया कि श्रमिक इन पत्थरों को अभ्रक देवी के रूप में पूजते हैं।

कोडरमा फैक्ट्री में हजारों स्त्री-पुरुष श्रमिक विशाल शयनागार में बैठे अभ्रक के ब्लाकों में काम कर रहे थे। वहां दल के अभ्रक निर्माण की प्रक्रिया देखी जैसे : अभ्रक की स्लेटिंग, नाइफ ड्रेसिंग, सिंक ड्रेसिंग, और दक्ष हाथों से विखंडन। फैक्ट्री के एक अनुभाग में श्रमिक अभ्रक को अलग करके समान आकार की बारीक परत बना रहे थे जो विमानों के स्पार्क प्लगों में इस्तेमाल होता है। एक अन्य अनुभाग में

श्रम सदस्य ने देखा वे लोग अभ्रक के बड़े टुकड़े से छोटी-छोटी परतें निकाल रहे थे जिनसे माइकानाइट तैयार होता है।

विज्ञान ने अभ्रक का महत्व बढ़ा दिया है

भारत संसार भर में अभ्रक की परतें तैयार करने वाला अग्रणी देश है जिसका खनन मुख्य रूप से बिहार के हजारी बाग और गया जिलों की खदानों और मद्रास के नैल्लौर तथा कुछ हद तक मद्रास के अन्य जिलों और राजस्थान के अजमेर-मेरवाड़ तथा टोंक में होता है। इसका 80 प्रतिशत उत्पादन बिहार से आता है और बाकी अधिकतर नैल्लौर से।

अभ्रक किसी पुस्तक के विशाल पृष्ठों के समान होती है जो 10 फुट परिधि के होते हैं। फिर अभ्रक की परत वाली चट्टानों को छील-छील कर अलग-अलग परतें निकाली जाती हैं। शुभ्र अभ्रक में फेल्सपर और बिल्लौर तथा अन्य खनिजों का मिश्रण होता है जैसे बेराइल जो अजमेर से बेरीलियम अयस्क के रूप में निर्यात किया जाता है।

भारत अभ्रक का निर्यात मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमरीका को करता है।

विज्ञान की प्रगति से इस प्राकृतिक पदार्थ का महत्व घटा नहीं है, बल्कि बढ़ गया है। जेनरेटर्स का तापमान बढ़ाया जाना हो, रेडियो और टेलीविजन का विकास करना हो, कारों, विमानों की संख्या बढ़ानी हो अथवा इलैक्ट्रान नियंत्रित करना हो, तो अभ्रक का महत्व बढ़ता ही जाएगा।

निम्नांकित उपकरणों का कार्य बिना अभ्रक के नहीं चल सकता :-

- (1) मोटरों और जेनरेटर्स के कम्प्यूटेटर भाग
- (2) मोटरों और जनरेटर्स के कम्प्यूटेटर वी रिंग।
- (3) आरमेचर्स (उच्च तापमान और उच्च वोल्टेज)
- (4) विमानों के मोटर स्पार्क प्लग।
- (5) रेडियो ट्यूब।
- (6) ट्रांसफार्मर।
- (7) रेडियो कंडेंसर।

*स्थायी श्रम समिति में मजदूर संघों की मान्यता पर विचार

27 जून को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी श्रम समिति की पांचवीं बैठक में मजदूर संघों की मान्यता अनिवार्य करने और भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, 1943 में वर्णित मान्यता बोर्डों की नियुक्ति और गठन पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के श्रम सदस्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की।

प्रबंधकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने मजदूर संघों की प्रतिनिधित्व प्रणाली निश्चित करने के लिए मानकों पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया।

एक ओर प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने मजदूरों के इस विचार का समर्थन किया कि प्रबंधकों और श्रमिकों को मिल कर बैठना चाहिए, दूसरी ओर वे चाहते हैं कि यह सहयोग स्वैच्छिक हो और उसमें कानून का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि मजदूर संघों के स्वस्थ विकास से उनकी मान्यता के विषय में कठिनाई नहीं होगी। कर्मचारियों का कहना था कि मान्यता को अनिवार्य बनाया जाए और साथ ही यह भी दलील दी कि संशोधन विधेयक की परिधि बढ़ाई जाए ताकि मजदूर संघों को और अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

श्रम विवादों के आंकड़े

फिर समिति में श्रम विवादों के मौजूदा आंकड़ों में सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया गया ताकि आंकड़ों के संयोजन की प्रणाली में एकरूपता आ सके और ये भारत के प्रांतों तथा अन्य देशों के बीच तुलना में उपयोगी सिद्ध हो सकें। यह सुझाव दिया गया कि प्रांतीय सरकारों को औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 में आंकड़े संग्रह करने का जो अधिकार दिया गया है उसका उपयोग किया जाए। साथ ही यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों की प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए।

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 जुलाई, 1944, पृष्ठ 53-57

समिति में इस बात पर भी विचार हुआ कि सभी मालिकों को नोटिस जारी किया जाए अथवा केवल उनको जिनके यहां 10 या इससे अधिक मजदूर हैं। समिति के सदस्यों को, नियमों का प्रारूप और आंकड़े एकत्र करने के प्रारूप भी दिखाए गए।

कपड़ा मिलों का दौरा

बैठक के पश्चात डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और स्थायी श्रम समिति के सदस्य सर श्री राम के नियंत्रण पर दिल्ली क्लाथ मिल देखने गए जहां उन्होंने विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को देखा और प्रबंधकों द्वारा चलाए जा रहे श्रम कल्याण कार्यों को भी देखा। सर श्री राम इस दल के साथ मजदूरों के क्वार्टरों में भी गए जहां उन्होंने स्वच्छता प्रबंधों, पेय जल तथा स्नान सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। कर्मचारियों की बस्ती में एक स्कूल है, एक दवाखाना है और एक पुस्तकालय है जिसमें रेडियो सैट लगा हुआ है। उससे तब आकाशवाणी, दिल्ली से फिल्मी गीत सुनवाया जा रहा था।

इस दल ने एक तरणताल भी देखा जिसमें नौसिखियों से लेकर दक्ष तैराक तक तैर सकते हैं। कर्मचारी खेल क्लब में उस समय कबड्डी खेली जा रही थी। साथ ही में एक श्रमिक मंडप था जहां समय-समय पर श्रमिक ऐतिहासिक और दूसरे नाटक खेलते हैं।

केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों, देसी रियासतों, अखिल भारतीय उद्योगपति संगठन, एम्पलाइज फेडरेशन आफ इंडिया, भारतीय मजदूर कांग्रेस, इंडियन फेडरेशन आफ लेबर और मालिकों तथा श्रमिकों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया:-

माननीय श्री एच. सी. प्रायर, श्रम विभाग के सचिव और श्री एस. लाल, संयुक्त सचिव (केंद्र सरकार), सरदार बहादुर ईशर सिंह, श्रम आयुक्त, नागपुर और श्री सी. के. विजयराघवन, आई.सी.एस. श्रमायुक्त, मद्रास (मद्रास, मध्य प्रांत और बरार), श्री एस. वी. जोशी, श्रमायुक्त, और वी. पी. केनी, सहायक-श्रमायुक्त (बंबई), श्री ए. हयुघेस, आई. सी. एस. श्रमायुक्त, बंगाल, श्री जे. ई. पेडली, आई. सी. एस., श्रमायुक्त (संयुक्त प्रांत), श्री एम. एच. महमूद, निदेशक, उद्योग, पंजाब और श्री पी.के. कौल, आई.सी.एस., सचिव, बिजली और उद्योग विभाग पंजाब (पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत), श्री एस. रामचन्द्र, पिल्लई, श्रम उपायुक्त, असम और विकास निदेशक तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, (असम और उड़ीसा), श्री के.एस. श्रीकांतन, उद्योग निदेशक, इंदौर, श्री बी.एस. देसाई, उप-निदेशक श्रम, बड़ौदा और श्री एन.डी. गुप्त, श्रम अधिकारी, ग्वालियर (बड़ौदा, इंदौर और ग्वालियर रियासत), श्री ई. आई. चाको, उद्योग निदेशक और श्रमायुक्त, त्रावणकौर श्री एम. ए. मिर्जा,

राज्य श्रम अधिकारी, हैदराबाद दक्कन (मैसूर और त्रावणकौर रियासतें), मीर मक्बूल अहमद, (चेम्बर आफ प्रिंसेज), सर श्री राम, श्री कस्तूरभाई लालभाई और श्री डी. जी. मुल्हेरकर, सचिव, आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ इंडिस्ट्रीयल एम्प्लायर्स, श्री एच. एस. टाउन, श्री सी.सी. मिलर, विधायक, श्री जी. लेटीमर और श्री टी. एस. स्वामीनाथन, सचिव, एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया, श्री एस.एस. मिराजकर, श्री वी. चक्काराय चेट्टियार, काजी मुस्तबा और श्री वी. जी. बाल्वेक (भारतीय मजदूर कांग्रेस), प्रो. बी. एन. बनर्जी, श्री जमनादास एम. मेहता, श्री अब्दुल सत्तार और श्री बी.जी. कार्निंक (इंडियन फेडरेशन आफ लेबर), राय बहादुर श्याम नंदन सहाय (अन्य नियोक्ता), श्री एस. सी. जोशी, एम. एल.सी और श्री पी.टी. देवरा (अन्य कर्मचारी)।

*कुशल श्रमिकों को युद्धापरान्त रोजगार

“देश के विकास की कोई योजना तब तक संपूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक उसमें तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो। यह मशीनी युग है और युद्धोपरांत इस संघर्षपूर्ण युग में वही देश जीवित रह सकता है और अपनी जनता का जीवन स्तर ऊपर उठा सकता है जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण शिखर पर हो। भारत सरकार इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है और वह यह देखेगी कि तकनीकी प्रशिक्षण योजना न केवल क्रियान्वित की जाए बल्कि यह देश की शिक्षा प्रणाली का एक स्थायी अंग बन जाए।” ये विचार भारत सरकार के श्रम सचिव माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 24 अगस्त को कलकत्ता में तकनीकी प्रशिक्षण योजना सलहाकार समिति को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

इस समिति का गठन केंद्र सरकार ने असैनिक उद्योगों की तकनीकी प्रशिक्षण योजनाओं की आवश्यकताओं पर विचार करने और समायोजन के लिए किया था। इसमें इंजीनियरिंग संघों के प्रतिनिधि और आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ कॉमर्स, आपूर्ति विभाग, रेलवे बोर्ड और इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक तीन दिन चली।

श्रम सदस्य का भाषण

श्रम सदस्य के भाषण का पूरा पाठ इस प्रकार है :-

महानुभावो, आज आपका स्वागत करते हुए मैं आप सब को इस बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आजकल सब अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उस काम में और बढ़ोतरी करने से हम पर भारी दबाव पड़ता है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने देश की बढ़ती हुई तकनीकी प्रशिक्षण मांग के संदर्भ में सरकार की सहायता के लिए यह कष्ट उठाया।

मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं इस समिति को कितना महत्व देता

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 सितम्बर, 1944, पृष्ठ 274-77

हूँ। यद्यपि अंतिम क्षण में कुछ कठिनाइयां आ गई थीं, परंतु मैंने आपसे मिलने और आपको शुभकामनाएं देने कलकत्ता आने का निर्णय लिया और यह इस बात की गंभीरता का द्योतक है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ।

आप यहां हमारी तकनीकी प्रशिक्षण योजनाओं पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो सेना की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तात्कालिक उपाय के रूप में शुरू की गई थी और उसने भारत में अर्धकुशल श्रम शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में आपको मैं अपने विचार बता रहा हूँ। मैं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में आपको उसकी शुरूआत से अब तक की स्थिति के विषय में बताऊंगा। इसका आरंभ अब से साढ़े तीन साल पहले एक गंभीर बाधा का सामना करने के लिए किया गया था और वह थी सेना में भर्ती के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी कार्मिकों का अभाव। हमने एक साथ तीन हजार लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। पर दो वर्षों के भीतर ही हमें यह संख्या 48,000 तक बढ़ा देनी पड़ी जिसके लिए 394 प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता थी। 1942 के अंत तक हमने 54,000 प्रशिक्षित कार्मिकों की सेना को आपूर्ति की। जून, 1944 तक हमने 75,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जिनमें से 63,000 ने रक्षा सेवाओं की तकनीकी शाखाओं में काम करना शुरू कर दिया। 3000 व्यक्ति आयुद्ध निर्माण फैक्ट्रियों में चले गए। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस अवधि के लिए यह कोई कम उपलब्धि नहीं है।

जैसाकि मैंने कहा, यह तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए शुरू किया गया था जो युद्ध के कारण बढ़ गई थी। अब युद्ध समाप्त होने को है और सेना में तकनीकी प्रशिक्षण की मांग घट जाएगी।

युद्ध की समाप्ति पर जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको ध्यान में रखते हुए दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न यह है कि प्रशिक्षित लोगों का क्या होगा जो सेना में भर्ती हो गए हैं। परंतु जिन्हें शीघ्र ही सेना से छुट्टी दे दी जाएगी और रोजगार की तलाश में रहेंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि हम तकनीकी प्रशिक्षण योजना का क्या करें?

कुछ व्यक्तियों ने यह धारणा बना ली है कि सरकार ने तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करने का फैसला कर लिया है। यह बात बिल्कुल गलत है। यह सही है कि सरकार को कुछ प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिए हैं। हमारे यहां 170 प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनकी क्षमता 32000 लोगों को प्रशिक्षित करने की है, जबकि 1942 में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 400 थी जिनकी क्षमता 45000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की थी।

इसके कई कारण हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहला यह कि सेना में मांग घट गई है, और दूसरा है छोटे केंद्रों पर आने वाला भारी खर्च।

सरकार के इरादे

सरकार के इस कदम से पता चलता है कि ये उपाय आवश्यक समायोजन के लिए किए गए हैं जो समय और स्थिति के अनुरूप हैं। इससे यह संकेत नहीं मिलते कि सरकार तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समेट लेना चाहती है। यदि सरकार का ऐसा इरादा होता तो वह समिति का गठन ही न करती। देश के विकास की ऐसी कोई योजनाएं सफल नहीं हो सकती जिनमें तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का प्रावधान न हो। यह मशीनी युग है। युद्धोपरांत संघर्ष में वही देश जीवित रह सकता है और अपनी जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठा सकता है जहां तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण शिखर पर हो। भारत सरकार इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है और वह देखेगा कि तकनीकी प्रशिक्षण योजना न केवल चलाई जाए बल्कि वह देश की शिक्षा प्रणाली का एक स्थायी अंग बन जाए।

उद्योगों द्वारा इन प्रशिक्षितों को खपाया जाना चाहिए

सरकार का यह उद्देश्य तो है पर योजना की सफलता इस संभावना पर निर्भर करती है कि इन प्रशिक्षितों को रोजगार मिले। यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो तकनीकी प्रशिक्षण योजना विफल समझी जानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर उद्योगों का उन लोगों के प्रति रवैये पर निर्भर है जो इन केंद्रों से प्रशिक्षण पाकर निकलते हैं। यदि उद्योग उन्हें रोजगार नहीं देता है तो तकनीकी प्रशिक्षण की कोई परवाह नहीं करेगा और प्रशिक्षण केंद्र बंद करने होंगे। इस दुर्भाग्यवश परिणाम से तभी बचा जा सकता है जब असैनिक उद्योग इन प्रशिक्षितों को खपाने में रुचि दिखाएं।

6000 अतिरिक्त प्रशिक्षितों में से असैनिक उद्योगों ने केवल 3000 को काम दिया है। दरअसल वे अप्रशिक्षित लोगों को रखना चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वे नौकरी के दौरान या प्रशिक्षुओं के रूप में कुशलता और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। हमारे प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पाए लोगों को नौकरी देने में उद्योगों की अनिच्छा के कई कारण हैं। मुझे शिकायत मिली है कि हमारा प्रशिक्षण अपर्याप्त है। असैनिक उद्योगपतियों का बल इस बात पर होता है कि उनके कार्मिक की दक्षता उच्च स्तर की हो अपेक्षाकृत उसके जो हमारे केंद्रों से प्राप्त होती है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा प्रशिक्षण युद्ध के दबाव में हुआ - आठ महीने के भीतर प्रशिक्षण देना जिसके युद्ध-पूर्व 5 साल लगते थे।

फिर भी मुझे विश्वास है कि असैनिक उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह जरूरी नहीं कि प्रशिक्षण की अवधि पांच वर्ष की हो। अन्य देशों में युद्ध काल के जो अनुभव हैं उनके अनुसार सघन प्रशिक्षण से अर्धकुशल व्यक्तियों को अधिकांश उद्योगों में जल्दी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

उद्योगों का दायित्व

तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार जो प्रशिक्षण दिया जाता है, यदि उसको और 'विशिष्टता' प्रदान कर दी जाए तो असैनिक उद्योगों द्वारा ऐसे प्रशिक्षित लोगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। बहरहाल मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे प्रशिक्षण में दोष हैं। मैं किसी भी प्रकार के तर्कसंगत परिवर्तन के लिए तैयार हूँ जिससे प्रशिक्षित लोगों को उद्योगों में लिया जा सके। परंतु जब तक उद्योग हमारे प्रशिक्षितों को खपाने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक इस देश में तकनीकी प्रशिक्षण सेवा की सफलता की आशा नहीं है। इसलिए उद्योगों को यह समझना चाहिए कि उनके कंधों पर एक बड़ा दायित्व है।

महानुभाव, आपको उद्योग की आवश्यकता का मुझ से अधिक ज्ञान है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि यदि यह योजना को सफल बनाना है तो इसके लिए उद्योगों और श्रमिकों का सहयोग चाहिए। अब हम समय बर्बाद न करें वरना हम पाएंगे कि हमने युद्ध तो जीत लिया, पर शांति खो दी।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, हमारे सामने दो विचारणीय प्रश्न हैं : (1) उन प्रशिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना जो युद्ध के बाद सेना से हटा दिए जाएंगे और उन प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार दिलाना जो प्रशिक्षण का निर्धारित कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं, (2) युद्धोपरांत औद्योगिक पुनर्निर्माण के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रशिक्षण की योजना में संशोधन करना। इन दोनों अलग-अलग प्रश्नों को हमें अलग-अलग ढंग से हल करना है। इसलिए हमने इसे बेहतर समझा है कि हम दो चरणों में काम करें। दूसरे चरण के लिए प्रासंगिक प्रश्न है : अपने तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम को असैनिक उद्योगों के लिए पूर्णतः अनुकूल बनाने के लिए इसमें हमें कौन से परिवर्तन करने चाहिए? इसके लिए दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है जिससे कि युद्ध के बाद देश में उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराए जा सकें।

कुशल कर्मचारियों को रोजगार

पहले चरण के लिए हमें जिस प्रासंगिक समस्या पर विचार करना है वह है हमारे उन हजारों प्रशिक्षित कर्मचारियों को पुनर्रोजगार देना जिन्हें इन प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण दिया गया है और जो सेना में कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें युद्ध समाप्त

हो जाने पर शीघ्र ही वहां से हटा दिया जाएगा। हमारी आशा है कि उद्योगों को उन्हें खपाने में कठिनाई नहीं होगी, विशेषकर इस संदर्भ में कि हमें विश्वास है कि युद्ध की समाप्ति के बाद असैनिक उद्योगों का विस्तार होगा और इसके फलस्वरूप तकनीकी प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी।

हमारे सामने तात्कालिक समस्या यह है : उन्हें शांतकालीन औद्योगिक ढांचे में किस प्रकार खपाया जाए? हम तत्संबंधी कठिनाइयों का जायजा लेना चाहते हैं और उनका सामना करने के लिए हमें पहले से ही कार्यक्रम बनाना होगा। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यह देखना है कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या परिवर्धन और संशोधन जरूरी है? मौजूदा उद्योगों में स्वीकार्य होने के लिए हम अपने प्रशिक्षुओं के लिए कौन से सहायक पाठ्यक्रम जोड़ें? हमारे इस विचार-विमर्श से यह निश्चित हो सकेगा कि अगले चरण में किस प्रकार की प्रगति की जाए। दोनों चरणों में गहरा संबंध है और दूसरा चरण पहले से कम महत्व का नहीं है।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। परंतु समापन से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात कितनी महत्वपूर्ण है कि यदि हमें देश का भविष्य उज्ज्वल बनाना है तो हमारे पास कुशल कर्मचारियों की काफी संख्या होनी चाहिए। सरकार, उद्योगपतियों और श्रमिकों के त्रिपक्षीय सहयोग से ही तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुदृढ़ता से सफल होने की आशा की जा सकती है। मैं उद्योगपतियों और नियोक्ताओं से विशेष आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा शुरू की गई तकनीकी प्रशिक्षण योजना को चलाए रखने के लिए आपके विशेष ज्ञान और अनुभव से अधिक आपके सहयोग की आवश्यकता है।

अंत में मैं एक बार कहना चाहता हूं क्या उन प्रशिक्षित व्यक्तियों के भाग्य में बेरोजगारी ही लिखी है जो बहुत जल्द ही असैनिक स्थिति में लौट आएंगे? क्या यही उनकी सेवा का फल होगा जो उन्होंने जोखिम उठा कर की है? मुझे आशा है कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। यदि हम उनकी अनदेखी कर देंगे, तो वे उद्योगों में असंतोष फैलाने वाले सक्रिय तत्व बन जाएंगे। यदि युद्ध के पश्चात उन्हें असैनिक क्षेत्रों में समुचित रूप से खपा लिया जाता है, तो वे उद्योगों की स्थिरता में सहायक होंगे। वे नागरिक उद्योगों में भी वैसा ही अनुशासन दिखाएंगे जैसा उन्होंने सेना में दिखाया। अब यह आप बताएं कि उन्हें असैनिक उद्योगों में नया काम देने के लिए क्या उपाय किए जाएं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सलाह के लिए सरकार न केवल आपकी आभारी होगी बल्कि जो परामर्श तार्किक और व्यावहारिक पाया जाएगा उसे लागू करने के पूरे उपाय करेगी।

समिति में विचार-विमर्श

बाद में समिति ने तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया और तकनीकी प्रशिक्षुओं का शैक्षिक स्तर सुधारने पर बल दिया। श्रम विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस. लाल ने अध्यक्षता की।

* * * * *

*रोजगार दफ्तर का दौरा

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 23 अगस्त को कलकत्ता पहुंचे। उन्होंने कलकत्ता के रोजगार दफ्तर का निरीक्षण किया। उनके साथ भारत सरकार के श्रम विभाग के संयुक्त सचिव और लंदन में भारत के भूतपूर्व उच्चायुक्त श्री एस. लाल भी थे।

श्रम सदस्य ने कलकत्ता में रोजगार कार्यालय कार्यक्रम के संचालन और राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कार्मिक) अध्यादेश के संबंध में बंगाल के श्रमायुक्त श्री ए. हयुघेस के साथ विचार-विमर्श किया। इस बात पर भी विचार किया गया कि भारत सरकार की इस नीति के संबंध में बंगाल में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों को बंदकर देने की नीति पर भी चर्चा की जाए।

डॉ. अम्बेडकर ने नाम दर्ज कराने के लिए रोजगार दफ्तर में भारी संख्या में आए मजदूरों को भी देखा। श्री हयुघेस और श्री बैनेट (कार्यालय के प्रबंधक) ने पंजीकरण की प्रक्रिया और कार्ड इंडेक्स प्रणाली के विषय में जानकारी दी।

रोजगार आंकड़ों में वृद्धि

श्रम सदस्य ने देखा कि रोजगार दफ्तर में उम्मीदवारों की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है। उन्हें बताया गया कि नवीनतम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षित 1029 लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए, जिनमें से 388 को काम मिल गया है! जनवरी, 1914 से 31 जुलाई, 1944 तक पंजीकृत तकनीकी कार्मिकों की कुल संख्या 2254 थी। इनमें से 551 को रोजगार दिलाया गया।

डॉ. अम्बेडकर और दल के अन्य सदस्यों को एक तालिका दिखाई गई जिसमें बंगाल में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम की नवीनतम स्थिति दर्शायी गई थी। उन्हें बताया गया कि 4164 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता वाले 24 केंद्र मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 2270 लोगों को असैनिक प्रशिक्षण देने की क्षमता वाले 15 केंद्र और हैं। इनमें से सतह तकनीकी संस्थान हैं और दो का संबंध औद्योगिक उपक्रमों से है। 31

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 सितम्बर, 1944, पृष्ठ 278

जुलाई, 1944 तक इन प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित 2540 लोगों को असैनिक उद्योगों में रोजगार मिल गया। श्रम सदस्य गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस और केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय भी देखने गए।

बाद में उन्होंने बंगाल सरकार द्वारा गठित मजदूर संघ सलाहकार समिति को संबोधित किया और हाल ही में राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के निष्पादन के विषय में विचार-विमर्श किया।

*त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का पूर्ण अधिवेशन

डॉ. अम्बेडकर का सम्बोधन

27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, श्रम सदस्य, भारत सरकार, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि दो साल के दौरान पाई गई संगठनात्मक कमियों को दूर करने के लिए सम्मेलन गठन में परिवर्तन किए जाएं।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों को दो सूचियों में बांटा जाना चाहिए। पहली सूची में सभी सामान्य विषय होने चाहिए जैसे रोजगार की शर्तें, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध प्रश्न। दूसरी सूची में श्रम कल्याण और श्रम कानूनों के संबंध में ठोस प्रश्नों को रखा जाए।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण का पूरा पाठ इस प्रकार है :-

“किसी सभापति के लिए यह कार्य बहुत ही सरल और आकर्षक होगा कि उसे सभा में एकत्र हुए प्रतिनिधियों का मात्र स्वागत और आभार प्रकट करना पड़े। परंपरा यही है कि सभापति को इससे अधिक भी कुछ कहना होता है। श्रम सम्मेलन जैसे अवसर पर सभापति के लिए अपने भाषण का विषय चुनना कोई आसान काम नहीं है। यह कोई दार्शनिकों का सम्मेलन नहीं है। सभापति केवल वाग्जाल से लोगों को विमोहित करके ही पिंड नहीं छुड़ा सकता है। उसके ऐसे शब्दाडंबर से काम नहीं चलेगा जिसका कोई सामाजिक महत्व न हो। यह समाज के पुनर्निर्माण का सम्मेलन नहीं है और इसका सभापति मात्र पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और अन्य विचारधाराओं के दोष गिनवा कर ही अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता।”

“यह किसी नैतिक संस्था का सम्मेलन नहीं है और इसका सभापति भावनाएं भड़काने के लिए सदाचरण की शिक्षा देकर ही नहीं बैठ सकता। मैं नहीं कह सकता

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 590-97

कि श्रम सम्मेलन के सभापति को किस प्रकार का उद्घाटन भाषण देना चाहिए। इस अधिवेशन में आपके सामने व्यावहारिक महत्व के विषयों पर बोल कर मैं इस कठिनाई से पार पा सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह आपको असंगत नहीं लगेगा।”

मैं दो विशिष्ट मामलों पर बोलना चाहता हूँ जिसमें सम्मेलन के सदस्यों की रुचि हो सकती है। पहले तो मैं उन मामलों पर बोलूंगा जिन पर सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति में चर्चा हो चुकी है और यह बताऊंगा कि विभिन्न मामलों में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। दूसरे, मैं त्रिपक्षीय सम्मेलन के गठन और प्रक्रिया के दोषों पर प्रकाश डालूंगा।

“पहला विषय इतना विस्तृत है कि इस भाषण में उस पर विचार व्यक्त करने में काफी समय लग सकता है। आपकी कार्यसूची को देखते हुए मैं इसमें आपका समय खराब नहीं करना चाहता। इसलिए मैं इस विषय में आपको अलग से एक ज्ञापन दे रहा हूँ जो इस भाषण के साथ संलग्न है। इसे मेरे संबोधन का अंग समझा जाए।”

त्रिपक्षीय संगठन

अब मेरे बोलने के लिए बचता है इस सम्मेलन के संगठन और प्रक्रिया का विषय। स्थायी श्रम समिति और पूर्ण सम्मेलन का हमें दो वर्ष का अनुभव है। यह लंबा नहीं कहा जा सकता। पर थोड़ा होते हुए भी इसने हमारे संगठन की कुछ कमजोरियों को उजागर किया है। इनमें से निम्नांकित मुझे गंभीर लगती हैं :-

1. सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के कार्यों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। बात यह नहीं है कि एक परामर्शदात्री संस्था है और दूसरी कार्यकारी है। दोनों परामर्शदात्री हैं।
2. एक से ही कार्य दोनों के लिए निर्धारित हैं। दोनों एक से ही विषयों पर विचार करती हैं।
3. सम्मेलन और समिति ने सामान्य ढंग से प्रश्नों और ठोस समस्याओं का अंतर नहीं समझा जाता है। सम्मेलन और समिति में विचार-विमर्श इतना सामान्य प्रकार का होता है कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता, यहां तक कि ठोस समस्याओं को भी सामान्य दृष्टि से देखा जाता है।
4. विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कोई तंत्र नहीं है, न ही उनके बारे में सूचना देने की व्यवस्था है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसे सरअंजाम देने के लिए कोई तंत्र होना चाहिए।
5. उद्योगवार श्रम कल्याण की समस्याओं पर सलाह देने के लिए कोई तंत्र होना चाहिए।

पृथक सचिवालय

सम्मेलन के कुछ सदस्यों ने एक दूसरी समस्या की ओर संकेत किया है, अर्थात् श्रम सम्मेलन के अलग सचिवालय का न होना। यह सुझाव दिया गया है कि निम्नांकित कार्यों के निष्पादन के लिए अलग सचिवालय होना चाहिए :

- (क) बैठक की तैयारी अर्थात् दस्तावेजों का वितरण, सदस्यों को निर्धारित तिथि और कार्य-सूची के बारे में अवगत कराना।
- (ख) कार्यवाही का वृत्तांत तैयार करना।
- (ग) इशतहारों और भ्रमण द्वारा प्रचार।
- (घ) वित्तीय प्रशासन, जैसे सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल तैयार करना।
- (ङ.) विचार-विमर्श और सिफारिशों के लिए आधार गवेषण तथा सूचना संग्रह।
- (च) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर निगरानी।

शिकायत के आधार दो और मामले होते हैं और उनमें से एक है श्रम सम्मेलन और स्थायी समिति की कार्यसूची तैयार करना। कार्यसूची तैयार करने की वर्तमान प्रक्रिया में दो प्रकार की कमियां बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि सम्मेलन और समिति सदस्य कार्यसूची में वे विषय सम्मिलित नहीं करा सकते जिन्हें वे चाहते हैं। दूसरी यह है कि कार्यसूची के साथ जो ज्ञापन दिया जाता है वह इतनी देर से पहुंचता है कि उसके पढ़ने-समझने के लिए इतना समय नहीं होता कि किसी विषय पर विचार-विमर्श में योगदान किया जा सके।

शिकायत का दूसरा मामला सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति में विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधित्व से संबद्ध है। नियोक्ताओं के तीन प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। नियोक्ताओं का कथन है कि एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया और ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन आफ इंडस्ट्रीयल एम्प्लायर्स देश के नियोक्ताओं की पूर्णतया प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, इसलिए नियोक्ताओं के और अधिक प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाना आवश्यक है। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व भी दोषपूर्ण बताया गया है क्योंकि जो लोग श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे वास्तव में श्रमिक वर्ग से नहीं आते।

आप स्वाभाविक रूप से जानना चाहेंगे कि हम इस संबंध में क्या कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी ओर से हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ ताकि श्रम सम्मेलन ढंग से काम करे और व्यवस्था तंत्र में किसी प्रकार की गलती के कारण

उसे आघात न पहुंचे। फिर भी, आप इस बात का अहसास करेंगे कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर कोई फैसला लेने से पूर्व उनकी छानबीन की जाए और जांच की जाए। ऐसी भी कुछ बातें हैं जिनकी अभी जांच ही नहीं की गई है। पहले में उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा जिनके बारे में विचार करके सरकार एक निर्णय पर पहुंची है। उनमें अलग सचिवालय, कार्यसूची और प्रतिनिधित्व के प्रश्न शामिल हैं।

मात्र एक परामर्शदात्री संस्था

“मैं समझता हूँ कि श्रम सम्मेलन के पृथक सचिवालय की मांग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की संगति पर आधारित है। सरकार समझती है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और हमारा त्रिपक्षीय संगठन बिल्कुल अलग चीजें हैं। तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वारसा शांति संधि के अंतर्गत बनाया गया है। इस संगठन की सिफारिशों में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है और सदस्य राष्ट्रों द्वारा उनका पालन न करने से कुछ अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भुगतने पड़ते हैं। यह केवल अपने नियमों के पालन से ही नियंत्रित होता है और किसी बाहरी अधिकार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्वयं अपनी वित्तीय व्यवस्था है और वह अपना दायित्व निभाने के लिए जब भी कोई कार्य करना चाहे कभी किसी सरकार या विभाग पर निर्भर नहीं करता है।

हमारा त्रिपक्षीय संगठन आर्थिक दृष्टि से उतना स्वावलंबी नहीं है जितना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसकी स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था नहीं है और न ही हो सकती है। यह मात्र परामर्शदात्री संस्था है और सरकार को उन्हीं मामलों में परामर्श देती है जिन पर उससे सलाह मांगी जाती है। यह कोई निर्णय नहीं ले सकती। यदि उसे ऐसी अनुमति दी गई तो वह विधायिका के अधिकारों को हड़प लेगी। इसी भेद के कारण यह स्पष्ट है कि श्रम सम्मेलन का स्वतंत्र सचिवालय, सरकार और सम्मेलन के बीच दरार पैदा कर सकता है।

यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकुशलता का स्रोत मुख्य रूप से इसका सचिवालय और अच्छा काम है। भारत सरकार समझती है कि गवेषणा और सूचना को छोड़कर सचिवालय का सभी काम भारत सरकार का श्रम सचिवालय कर सकता है। जहां तक गवेषणा और सूचना का प्रश्न है, श्रम और संबद्ध प्रश्नों पर गवेषणा और सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक आवश्यक मशीनरी स्थापित की जाए। इस कारण भारत सरकार त्रिपक्षीय संगठन के लिए पृथक सचिवालय के पक्ष में नहीं है।

कार्यसूची तैयार करने का अधिकार

कार्यसूची के संबंध में सरकार ने विचार किया। सरकार का फैसला यह है कि कार्यसूची निश्चित करने का अधिकार सम्मेलन को नहीं सौंपा जा सकता। सम्मेलन विधानमंडल नहीं है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है और यह निर्धारित करना सरकार का काम है कि किन विषयों पर सलाह लेने की आवश्यकता है।

एक अन्य बात भी है जिसके कारण सरकार कार्यसूची तय करने का काम सम्मेलन को नहीं सौंप सकती। सरकार कार्यसूची में तब तक कोई विषय शामिल नहीं करती जब तक वह इस स्थिति में न हो कि सम्मेलन के समक्ष वे तथ्यपूर्ण विवरण रखे जा सकें जो सदस्यों के लिए विचार-विमर्श के दौरान लाभकारी हो, और उन पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व सदस्यों को उन पर गौर करने का पर्याप्त समय मिल सके। इसलिए उसके लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि कार्यसूची की सामग्री निश्चित करने का काम सम्मेलन को सौंप दे। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि बिना पर्याप्त समय मिले वह विवरण तैयार कर सके। परंतु कार्यसूची तैयार करने के अपने अधिकार के बारे में सरकार प्रक्रिया बदलने को तैयार है।

मौजूदा प्रक्रिया है कि एक बैठक के समापन पर श्रम विभाग दूसरी बैठक की कार्यसूची तैयार करने के लिए पहली बैठक के विषयों में से चयन किए गए मुद्दों पर सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रम संगठनों के सुझाव आमंत्रित करता है। सरकार अथवा समिति के बीच यह फैसला लेने से पहले कोई विचार-विमर्श नहीं होता कि कार्यसूची में कौन से विषय रखे जाएं। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, सरकार कार्य-सूची के लिए नियोक्ता और श्रम संगठन कभी भी सुझाव भेज सकते हैं। यदि वे सुझाव नहीं भेजते हैं तो सरकार प्रत्येक बैठक में प्रतिनिधियों को सुझाव आमंत्रित करेगी।

सरकार एक और परिवर्तन करने को तैयार है कि अंतिम फैसला तो सरकार के हाथ में रहेगा परंतु कार्यसूची तैयार करने के विषय में प्राप्त सभी सुझावों को विचार-विमर्श के लिए हर बैठक में रखा जाएगा। इससे सरकार को यह अवसर प्राप्त होगा कि वह सदस्यों की इच्छा को जान सके और सदस्यों को यह अवसर मिलेगा कि वे अपनी प्राथमिकताएं बता सकें। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे। मौजूदा स्थिति पर यह एक बड़ा सुधार है।

समिति के गठन के विषय में मैं कहूंगा कि इसके लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनमें काफी वजन है। यदि नियोक्ताओं के दोनों संगठन दावा करते हैं कि वे सभी का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं तो अन्य नियोक्ताओं का मनोनयन स्पष्टतः न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार, यह आश्वस्त करना भी आवश्यक है कि श्रमिक वर्ग केवल अपनी रोजगार और कल्याण संबंधी समस्याओं पर ही विचार करने तक सीमित न

रहे और उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। यह तभी हो सकता है जब कि श्रमिक स्त्रियां और पुरुष सभी श्रम सम्मेलन में भाग लें। आपको इस तथ्य का पता होगा कि हाल ही में जब खान कल्याण समिति का गठन किया गया था तो सरकार ने कदम उठाया कि समिति में कोयला खान श्रमिकों में से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

गठन : कुछ सुझाव

सरकार सम्मेलन के गठन के बारे में समुचित परिवर्तनों के विरुद्ध नहीं है। साथ ही सरकार यह भी अनुभव करती है कि सम्मेलन के गठन में परिवर्तन करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है और हम उस पर विचार कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। जैसाकि मैंने पहले त्रिपक्षीय सम्मेलन में कहा था, हमें जल्दी-जल्दी उलट-पुलट नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कुछ जमाव आया है या नहीं। बार-बार उखाड़ कर देखने से पौधा मर जाता है।

मैं अब सम्मेलन के गठन की कमजोरियों पर आता हूँ। सरकार इस कमजोरी को गंभीर मानती है और इसमें सुधार होना चाहिए। परंतु अभी सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आप जो सुझाव देंगे सरकार उनका स्वागत करेगी। इस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं इसके गठन में निम्नांकित परिवर्तन चाहता हूँ :-

1. सम्मेलन के सामने आने वाले विषयों को मैं दो सूचियों में विभाजित करना चाहता हूँ। सभी सामान्य विषय पहली सूची में होंगे जैसे (क) नौकरी की शर्तें; (ख) श्रम कानून, और (ग) सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्न। सूची दो में ये विषय रहेंगे (क) श्रम कल्याण से संबंधित प्रश्न (ख) श्रम कानूनों के पालन से संबद्ध मामले। पहली सूची पूर्ण सम्मेलन के लिए होगी। जिसके नाम के विषय में मेरा प्रस्ताव है कि वह पूर्ण और त्रिपक्षीय न कहलाकर केवल श्रम सम्मेलन कहलाए। यह एक लोकप्रिय नाम होगा।
2. श्रम कल्याण समिति के नाम से एक नई संस्था का गठन हो और इसे दूसरी सूची के काम सौंपे जाएं।
3. श्रम कल्याण समिति का गठन इस प्रकार होगा :- (क) स्थायी श्रम समिति द्वारा चुने गए सदस्य; (ख) संगठित उद्योगों और नगरपालिका तथा रोजगार देने वाली अन्य संस्थाओं के नियोक्ताओं और श्रमिकों का एक एक प्रतिनिधि; (ग) सरकार द्वारा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य; (घ) भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि; और (ड.) प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि।

4. जहां तक स्थायी श्रम समिति का प्रश्न है उसके गठन के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके कार्यों में ही परिवर्तन होगा। यह केवल विचारक संस्था ही नहीं होगी। यह सम्मेलन की अभिकर्ता होगी और उन कर्तव्यों को निभएगी जो सम्मेलन द्वारा इसे समय-समय पर सौंपे जाएंगे।

इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग होंगे : सम्मेलन, स्थायी समिति और कल्याण समिति।

सम्मेलन के कार्य और अधिकार इस प्रकार होंगे :-

1. रोजगार की शर्तों से संबंधित मामलों और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में सरकार से कार्यसूची में रखे जाने योग्य मामलों की सिफारिश करना।
2. ऐसे मामले स्थायी समिति को भेजना और यह हिदायत देना कि इन पर (क) सम्मेलन को पुनः रिपोर्ट दी जाए या (ख) सरकार से सिफारिश की जाए।
3. एक तदर्थ स्थायी समिति की नियुक्ति करना जो कार्यसूची के मुद्दों पर विचार करे और उसका एक निदेशक हो जो अपनी रिपोर्ट (क) सम्मेलन को; और (ख) स्थायी समिति को भेजे ताकि उन पर सरकार से सिफारिशों की जा सके और सम्मेलन को एक और रिपोर्ट दी जा सके।

स्थायी श्रम समिति के कार्य और अधिकार वही रहेंगे जो सम्मेलन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यह सम्मेलन की एक अभिकर्ता होगी और इसे जो भी अधिकार सौंपे जाएंगे वह सम्मेलन ही सौंपेगा। निम्नांकित अपवादों को छोड़कर, यह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो इसे सम्मेलन ने नहीं सौंपा है। लेकिन यह सरकार के ऊपर निर्भर होगा कि वह ऐसे मामले को जिस पर वह शीघ्र राय जानना चाहती है सीधे स्थायी श्रम समिति को सौंप दे जो अपनी रिपोर्ट सम्मेलन को या सरकार को दे। परंतु आमतौर पर स्थायी श्रम समिति की कोई भी रिपोर्ट अथवा सिफारिश सम्मेलन को भेजी जानी चाहिए।

स्थायी श्रम समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

1. सम्मेलन द्वारा सौंपे गए मामलों पर सिफारिश करना अथवा रिपोर्ट देना;
2. ऐसे मामले पर जिसके बारे में सम्मेलन द्वारा स्थायी श्रम समिति को यह हिदायत दी गई है कि वह सरकार को रिपोर्ट दे; और
3. कार्यसूची के किसी भी मामले पर तदर्थ समिति की उस निर्देश के साथ नियुक्ति करना कि वह अपनी रिपोर्ट स्थायी क्रम समिति को दे।

श्रम कल्याण समिति

श्रम कल्याण समिति का कार्य केवल श्रम कल्याण और श्रम कानूनों के मामले तक सीमित रहेगा। इसका अधिकार होगा कि वह ऐसे सभी मामलों पर विचार करे और सरकार को अपनी सिफारिशें दें।

यह मेरे प्रस्ताव हैं उन संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिए जो सामने आई हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इन्हें आपके समक्ष इस सम्मेलन का सदस्य होने के नाते प्रस्तुत किया है। इनमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, यह कार्य निष्पादन का एक ढंग है जो मुझे ठीक प्रतीत होता है। मेरा इन प्रस्तावों को विभागीय जांच के लिए भारत सरकार को भेजने का इरादा है। यदि इन्हें व्यावहारिक पाया गया तो विचार-विमर्श के लिए आपके सामने रखा जाएगा। संगठनात्मक शिकायतें मेरे विचार से गंभीर मामला है और मैं आपको वचन देता हूँ कि इन पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।

सम्मेलन को संबंधित मामलों पर सम्मेलन की विभिन्न संस्थाओं के पुनर्गठन के विषय पर, इसकी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण पर और इसके कार्मिकों के सुधार के बारे में मुझे जो कुछ कहना था, मैं कह चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप सहमत होंगे कि सरकार इसकी कार्यक्षमता और उपयोगिता बढ़ाने में रुचि रखती है।

श्रम कानून

मैं दो अन्य मामलों का जिक्र भी करना चाहता हूँ। विधान सभा के अगले अधिवेशन में श्रम विभाग तीन विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है : कारखाना संशोधन विधेयक, दूसरे शब्दों में सवैतनिक अवकाश विधेयक, मजदूर संघ संशोधन अधिनियम जिसका उद्देश्य श्रम संघों को मान्यता प्रदान करना है, और तीसरा वेतन भुगतान संशोधन विधेयक। पहले दो पर सम्मेलन विचार कर चुका है। तीसरा विधेयक नया है और हमारा प्रक्रिया के अनुसार आपके सामने विचार-विमर्श के लिए रखा गया है।

“जैसा कि आप अवगत हैं, 26वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन पिछले अप्रैल मास में अमरीका में फिलेडेल्फिया में हुआ। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसका नेतृत्व लंदन में भारत के उच्चायुक्त सर सेमुअल रंगनाथन ने किया। भारत सरकार के प्रतिनिधि थे माननीय श्री एच.सी. प्रायर, सी.एस.आई., सी. आई.ई., आई.सी.एस., श्रम सचिव, श्री डी. जी. मुल्हेकर नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और सर्वश्री जमनादास मेहता, विधायक, आफताब अली और आर.आर. भोले श्रमिकों के प्रतिनिधि थे। मुझे यकीन है कि मेरे साथी यह बात स्वीकार करेंगे कि उन्होंने सम्मेलन में शानदार भूमिका निभाई और महान कार्य किया। प्रतिनिधिमंडल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपके समक्ष रखी गई है। आपको यह रोचक भी लगेगी और ज्ञानवर्धक भी।

मैंने कोई नई बात नहीं कही है, इसलिए मैं यह धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपने मुझे धैर्य से सुना। अब हम अपना अगला कार्य निपटाएँ जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।

डॉ. अम्बेडकर का ज्ञापन

त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और उसकी स्थायी श्रम समिति में हुए विचार-विमर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा डॉ. अम्बेडकर ने श्रम सम्मेलन में रखे गए ज्ञापन में दिया। ज्ञापन में शामिल विषय हैं : श्रम विवादों का निपटारा, श्रम कल्याण, औद्योगिक श्रमिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति, सरकारी ठेकों में बेहतर वेतन की शर्त का प्रावधान, औद्योगिक उपक्रमों में श्रम अधिकारी, रोजगार कार्यालय, औद्योगिक आंकड़े, मंहगाई भत्ता, औद्योगिक जलपान-गृह।

मई, 1943 को स्थायी श्रम समिति की तीसरी बैठक में यह निष्कर्ष निकला था कि भारत सरकार रोजगार कार्यालय खोलने का कार्य जारी रखे। भारत सरकार की ओर से तकनीकी कार्मिकों के विषय में विज्ञापन वर्जित करने का प्रस्ताव भी रखा गया था जिसे आम तौर से स्वीकार कर लिया गया था। दोनों प्रस्ताव लागू हो गए हैं। तकनीकी कार्मिकों को रोजगार दिलाने के लिए कई केंद्रों पर रोजगार दफ्तर खोल दिए गए हैं।

इस बैठक में आम राय यह थी कि (1) विवादों में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने की व्यवस्था न्यूनाधिक जारी रहे, और (2) श्रम विवादों के बारे में पूरी नीति नए सिरे से तैयार की जाए और 1929 के श्रम विवाद अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया जाए जिसमें आंतरिक समझौतों को प्रोत्साहन दिया जाए। नए अधिनियम का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है जबकि मद संख्या (1) की सूचना उन प्रांतीय सरकारों को भेज दी गई है जो एक सततता बनाए हुए हैं। सरकार श्रम विवादों के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

बेविन प्रशिक्षण योजना

इस बैठक में एक अन्य प्रश्न यह उठा था कि राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरणों में संगठित श्रमिकों को सहयोजित किया जाए जो बेविन प्रशिक्षुओं का चयन कर सकें, और उम्मीदवारों के चयन के समय न्यायाधिकरण अपने क्षेत्र के प्रमुख मजदूर संघों से परामर्श करें। प्रशिक्षुओं के चयन की इस प्रणाली पर विचार किया जा रहा है। श्रम कल्याण कोष बनाने पर सरकार विचार कर रही है, किंतु ज्ञापन में कहा गया है कि इस संबंध में कोई व्यावहारिक कार्यक्रम चलाने में भारी कठिनाइयाँ हैं।

जनवरी, 1948 में स्थायी श्रम समिति की दूसरी बैठक में औद्योगिक मजदूरों को प्रबंधकों द्वारा चालित सस्ते मूल्य की दुकानों, मान्यताप्राप्त मजदूर संघों की एसोसिएशन द्वारा स्वीकृत और श्रमिकों के अन्य प्रतिनिधियों की दुकानों से अनाज की आपूर्ति और औद्योगिक श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों की दुकानों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह सिफारिशें उचित अधिकारियों के ध्यान में ला दी गई हैं। बड़े शहरों और छोटे कस्बों में राशनिंग प्रणाली शुरू हो जाने से और छोटे कस्बों में इसे धीरे-धीरे लागू करते जाने के कारण उन उपायों की प्रासंगिकता अब नहीं रही है जिनकी सिफारिश की गई थी। परंतु राशनिंग अधिकारी प्रबंधकों द्वारा स्थापित अनाज की दुकानों का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं।

बेहतर वेतन का प्रावधान

ज्ञापन में मई 1943 की सहमति का हवाला दिया गया कि स्थायी समिति की तीसरी बैठक में सरकारी ठेकों में बेहतर वेतन का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई थी। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेके के नियमों में “उचित वेतन” की व्यवस्था पहले ही मौजूद है।

अपने उपक्रमों में भी केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों को लागू कर दिया है कि जहां तक संभव हो सभी बड़े औद्योगिक उपक्रमों में श्रम अधिकारी नियुक्त किए जाएं। प्रांतीय और रियासती सरकारों और निजी नियोक्ताओं से भी कहा गया है कि वे भी ऐसा ही करें। भारतीय खान एसोसिएशन से रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने कार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

समिति का एक सुझाव था कि विवाद के मामलों की एक क्रमवार सूची तैयार की जाए जिसके अनुसार कि उन्हें न्यायनिर्णय के लिए सौंपा जाए। तदनुसार, भारत रक्षा नियम 81(ख) में संशोधन कर दिया गया है। प्रांतीय सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वे इस प्रकार का प्रावधान करें कि जिन कर्मचारियों के व्यवहार की जांच की जा रही है या जिनका विवाद से तुरंत संबंध है उन्हें मालिक द्वारा नौकरी से नहीं निकाला जाए। किन्तु उन मामलों पर यह निर्देश लागू नहीं होगा जिनका गलत व्यवहार उस विवाद से संबद्ध नहीं है, या फिर न्यायाधिकरण या अन्य संबंधित अधिकारी से यह अनुमति ले ली गई है। चुनिंदा उद्योगों में वेतन, आय और काम के घंटों के बारे में आंकड़े संकलित करने के मुद्दे पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

जबरन बेरोजगारी

1943 के पांचवें श्रम सम्मेलन में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि उन मामलों में किसी प्रकार की राहत की आवश्यकता है जहां कोयले या कच्चे माल की कमी के कारण कर्मचारियों को उनकी इच्छा न होने पर भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें सिफारिश की गई है कि परिपत्र में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार ऐसे सिद्धांत निर्धारित करें जिनका पालन करते हुए राहत राशि स्वीकार की जाए। यह पत्र रियासतों को भी भेज दिया गया है। इस अधिवेशन में मजदूरों ने जबर्दस्त मांग की थी कि विधानमंडल में और स्थानीय संस्थाओं में उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह मामला विचाराधीन है और ज्ञापन में कहा गया है कि पुनर्निर्माण नीति समितियों, केंद्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण विभागीय समितियों, केंद्रीय खाद्य सलाहकार समिति आदि केंद्र सरकार की समितियों में मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

वेतन और आय

मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से समुचित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए इस अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया गया कि मजदूरों के वेतन और आय रोजगार और आवास तथा सामाजिक दशा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए। इसी संकल्प के संदर्भ में एक श्रमिक जांच समिति बनाई गई है और इसकी रिपोर्ट 1945 के मध्य तक मिल जाएगी।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जिन उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या ढाई सौ या इससे अधिक है वहां स्थायी आदेश लागू करने के बारे में प्रांतीय सरकारों, रियासतों, मालिकों और कर्मचारी संघों के साथ परामर्श किया गया था और इस बारे में भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक अधिकार प्रयोग किए जाने के प्रति आम विरोध प्रकट किया गया। इस मामले में शीघ्र ही कोई स्थायी कानून लागू किए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है। इस बीच मालिकों के दो अखिल भारतीय संगठनों से अनुरोध किया गया है कि जब तक संपूर्ण कानून तैयार हो तब तक वे स्थायी आदेश ही लागू करें। स्थायी आदेश तैयार करने में मालिकों की सहायतार्थ एक ज्ञापन उन्हें भेजा गया है।

चौथी स्थायी श्रम समिति की बैठक में कानून वेतन नियंत्रण के संबंध में विचार-विमर्श के दौरान वेतन नियंत्रण संबंधी व्यवस्था स्थापित करने के बारे में एक सहमति उभर कर सामने आई। मौजूदा श्रम सम्मेलन की कार्यसूची में यह बात

शामिल थी कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि अधिनियम के अंतर्गत कौन-कौन से उद्योग लाए जाएं।

औद्योगिक कैंटीन

बंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल और बिहार के चार प्रांतों में व्यवसाय की परिभाषा का मानक तैयार करने के प्रश्न पर छानबीन करने के लिए समितियां बना दी गई हैं। इनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसा कि इस बैठक में सुझाव दिया गया था, उसके अनुसार, रोजगार कार्यालयों के प्रशासन के लिए रोजगार समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरणों को सलाह देने के उद्देश्य से श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

ज्ञापन में आगे उल्लेख किया गया है कि सरकार ने औद्योगिक केंद्रों में कर्मचारियों की कैंटीनों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए। उन्हें ऐसी कैंटीनों में किराया मुक्त स्थान और निःशुल्क फर्नीचर तथा मुफ्त बर्तन देना स्वीकार किया गया जहां मजदूर या सरकार या मजदूर और सरकार दोनों मिलकर कैंटीन चला रहे हैं। कुछ दशाओं में ठेकेदारों द्वारा चालित कैंटीनों के लिए भी यह सुविधा दी गई है। कैंटीनों में राशन की जिसे भी दी जाती है।

*कारखाना (दूसरा संशोधन) विधेयक

@कारखानों के कर्मचारियों के सवेतन अवकाश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक (दूसरा संशोधन) को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जो नवाब सिद्दीकी अली खां, खान बहादुर शेख-फैज-ए-हक पिराचा, श्री आर.आर. गुप्त, श्री ए.सी. इन्सकिप, सर विट्ठल एन. चन्दावरकर, राव बहादुर, एन. शिवराज, श्री एन. एम. जोशी, श्री डी.एस. जोशी और प्रस्तावक द्वारा गठित की जाए और समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

विधेयक के उपबंध दो भागों में आते हैं और मैं समझता हूँ कि प्रस्तुतीकरण में सरलता के लिए यह उचित रहेगा कि सदन में विधेयक का स्पष्टीकरण मैं दो भागों में करूँ।

विधेयक का पहला भाग अनिवार्य छुट्टियों की हानि उठाने के बदले पूरक छुट्टियाँ दिए जाने के संबंध में है। सदस्यों को मालूम होगा कि कारखाना अधिनियम की धारा 35 में कारखाना मालिकों अथवा प्रबंधकों के लिए यह बाध्यता है कि वे कारखाने के प्रत्येक वयस्क कर्मचारी को एक दिन का अनिवार्य अवकाश दें। धारा 35 की यह व्यवस्था धारा 43 और 44 पर आधारित है। धारा 43 और 44 में कहा गया है कि धारा 35 में जो बाध्यता है उसमें कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना व्यवस्थापकों या मालिकों को छूट दी जा सकती है। अब यह विचार है कि जब ऐसी छूट दी जाए तो जितनी बार छूट दी गई है। उसकी उतनी ही बार क्षतिपूर्ति की जाए। कर्मचारी के स्वास्थ्य और दक्षता के लिए यह आवश्यक है कि उसे विधि में उल्लिखित वांछित

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 4, 1 नवम्बर, 1944 पृष्ठ 89-91

@ पैराओं के शीर्षक, इंडियन इनफोर्मेशन, 15 अगस्त, 1944, पृष्ठ 600-601 से लिए गए हैं।

छुट्टियों के बराबर छुट्टियां दी जाएं। मौजूदा अधिनियम में पूरक छुट्टियों की व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप इस खामी को दूर करने के लिए विधेयक में खंड 2 प्रस्तावित किया गया है। अब प्रांतीय सरकारों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे कुछ समायोजनों के साथ नियम बना सकें कि यदि यह छूट धारा 35 के अधीन दी गई है तो कर्मचारियों को समतुल्य क्षतिपूर्ति की जाए। विधेयक का यह प्रथम भाग है।

श्रम सम्मेलन

अब मैं विधेयक के दूसरे भाग पर आता हूँ। इसमें प्रावधान है कि कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाए। यह बताना आरंभ में ही उचित होगा कि विधेयक के इस भाग का मूल उद्देश्य क्या है। सदन के अनेक सदस्यों को याद होगा कि 1936 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अधिवेशन में सवेतन छुट्टियों के बारे में एक प्रस्ताव पास हुआ था। भारत सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था परंतु वह अधिवेशन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। सरकार ने 26 जुलाई, 1937 को विधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया था कि वह अधिवेशन की बात को स्वीकार नहीं करती है। प्रस्ताव पास हो गया। परंतु यद्यपि सरकार ने उस समय यह स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दिखाई, तथापि संबंधित प्रभारी सदस्य ने कहा कि सरकार उक्त प्रस्ताव के परिपालन की संभावनाओं का पता लगाएगी और यदि पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक, उसके परिपालन के लिए प्रांतीय सरकारों से तथा मालिकों और मजदूरों से परामर्श करेगी और मालूम करेगी कि इस मुद्दे पर कितनी सहमति है। विधेयक के उपबंधों का यह दूसरा भाग सवेतन अवकाश के बारे में है और कई वर्षों के विचार-विमर्श का परिणाम है।

स्थायी कारखाने

अब मैं स्वयं विधेयक पर आता हूँ। आप देखेंगे कि यह विधेयक कारखानों के बारे में है परंतु कारखानों पर लागू न होकर केवल स्थायी कारखानों पर लागू होता है। इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक की विषयवस्तु 1936 में आयोजित सम्मेलन के प्रावधानों की अपेक्षा सीमित है। जहां तक अन्य प्रावधानों के संबंध में है। मैं समझता हूँ कि यदि उन्हें चार भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उचित होगा क्योंकि यह सवेतन छुट्टी के चार अलग-अलग मुद्दों पर विचार करने के लिए आवश्यक है :

(1) छुट्टी की अवधि; (2) छुट्टी के अधिकार की पात्रता; (3) शर्तों की सीमाएं, और (4) छुट्टी की अवधि का वेतन। छुट्टी की अवधि का प्रश्न एक ऐसा विषय है जिसका उल्लेख नई धारा 49ख में है जिसके विषय में विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि इसे कारखाना अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। इस

धारा के अनुसार, एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले कर्मचारी को लगातार सात दिन का अवकाश दिया जा सकता है। यह प्रश्न उठ सकता है कि हम सात दिन की ही सीमा क्यों रखें अधिक क्यों नहीं। इसका उत्तर यह है कि सात दिन नियत करते समय हमने 1936 के जिनेवा सम्मेलन के प्रावधानों का पालन किया है जिसमें 6 दिन के अवकाश की सीमा निर्धारित की गई है। उसमें हमने सातवां दिन भी जोड़ दिया है जिसे कारखाना अधिनियम की धारा 35 में कामगार के लिए अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम माना गया है।

कामगार सात दिन छुट्टी का दावा कब कर सकता है इस बारे में विधेयक के प्रावधान इस प्रकार हैं। वास्तव में, एक ही शर्त है कि कर्मचारी ने लगातार बारह महीने की सेवा पूरी कर ली हो। अन्य कोई शर्त नहीं है। इस मुद्दे पर कि बारह महीने के लगातार सेवा का क्या अर्थ है, विधेयक में कहा गया है कि अनवरत सेवा और कुछ ऐसे व्यवधान जिनसे सवेतन छुट्टी का दावा अबैध नहीं हो जाता। विधेयक के अनुसार वे व्यवधान हैं बीमारी, दुर्घटना, अधिकृत अवकाश, तालाबंदी की अवधि, और हड़ताल की अवधि बशर्ते कि वह गैर-कानूनी न हो।

जबरन बेरोजगारी

विधेयक में इसी विषय में एक अन्य प्रावधान है और वह है कारखाने के मालिक द्वारा कारखाने को स्वेच्छा से बंद कर देने से जबरन बेरोजगारी का प्रश्न। हमने इसकी अवधि 30 दिन रखी है। यदि कारखाना प्रबंधक द्वारा थोपा गया बेरोजगारी 30 दिन से अधिक नहीं है तो कर्मचारियों का सवेतन अवकाश गैर-कानूनी नहीं होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है : सवेतन अवकाश के संबंध में यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि प्रबंधक या कारखाना मालिक की भुगतान करने की क्षमता हो अथवा कारखाना 30 दिन से अधिक बंद करने की मजदूरी हो। मैं समझता हूँ कि यह देखना जायज है कि क्या वास्तव में मालिक को लाभ नहीं हो रहा है और उसकी मजदूरी है इसलिए वह छुट्टियों का वेतन देने की अवस्था में नहीं है। परंतु यदि थोपा गया बेरोजगार 30 दिन से अधिक नहीं है, तब यह समझा जाता है कि वह भार उठा सकता है और उसे यह उठाना चाहिए। सवेतन छुट्टी के संबंध में विधेयक में सीमित शर्त रखी गई है और यह सीमित शर्त छुट्टी के जमा होने के बारे में है। विधेयक में व्यवस्था है कि जो कर्मचारी अपनी छुट्टी को अर्जित करने का अधिकारी है, वह दो वर्ष की अवधि में जमा छुट्टियाँ अर्जित कर सकता है अर्थात् वह कुल मिलाकर चौदह दिन की हो सकती है।

छुट्टियों का वेतन

छुट्टियों के वेतन के विषय में कई बिंदु हैं जिन पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात है कि यद्यपि सात दिन की छुट्टी की बात कही गई

है तथापि केवल 6 दिन का ही सवेतन छुट्टी होगी। जैसाकि मैंने कहा, सातवां दिन धारा 35 के अनुसार उसका साप्ताहिक अवकाश माना जाएगा। सातवें दिन के संबंध में विधेयक के अनुसार यह बाध्यता नहीं है कि मालिक उसका भुगतान करे। परंतु कर्मचारी का वह अधिकार नहीं छीना गया है कि वह सातवें दिन के वेतन की मांग करे, बशर्ते कि उसकी सेवा की शर्तों में सवेतन छुट्टी की व्यवस्था हो। दरअसल यहां सेवा की शर्तों का पालन होगा।

तीसरा बिंदु इन 6 छुट्टियों के भुगतान से संबद्ध है। हमने इस बारे में एक आम और न्यायसंगत नियम लागू किया है जो इस प्रकार है : कर्मचारी के पिछले तीन महीनों के वेतन का औसत जिसमें ओवर-टाइम का भुगतान शामिल नहीं होगा। मैं समझता हूं यह समता का नियम है। विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि जब कोई कर्मचारी छुट्टी ले उस समय उसे छुट्टी की जो राशि देय है उसकी आधी राशि उसे प्रारंभ में ही दी जानी चाहिए।

एक अन्य मुद्दा इस संबंध में प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण भी है। वह है कि इस विधेयक की परिधि से कुछ उन कारखानों को बाहर रखा गया है जिनमें सवेतन छुट्टियों की प्रणाली विधेयक के प्रावधानों के समान है और प्रांतीय सरकार उनके व्यवहार के विषय में प्रमाण देने की स्थिति में है। उस उपबंध पर बल दिए जाने का उद्देश्य यह है कि यदि मालिक और कर्मचारियों के बीच कोई स्वैच्छिक व्यवस्था है और कर्मचारियों को वे सुविधाएं दी जा रही हैं जिनका हम प्रस्तुत विधेयक में प्रावधान कर रहे हैं तो विधेयक में यह ध्यान रखा गया है कि ऐसी सदभावपूर्ण व्यवस्था में कानून का दखल अनावश्यक है।

श्रीमन्, विधेयक के ये मुख्य प्रावधान हैं। समाप्त करने से पूर्व मैं दो और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं। पहला प्रश्न है किसी मालिक द्वारा कर्मचारियों को छुट्टियां अर्जित करने से रोकने के लिए उसे कार्यमुक्त कर देना। दूसरा प्रश्न है मालिक द्वारा कर्मचारी को अवकाश प्राप्त करने से वंचित रखना, भले ही वह छुट्टी का अधिकारी क्यों न हो। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके विषय में मैं निस्संकोच स्वीकार करता हूं कि इनका विधेयक में समावेश नहीं किया गया है। लेकिन सरकार का विचार है कि फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह सोचा जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि अनुभवों से ऐसा पता चले कि ऐसे मामले आम होते जा रहे हैं तो कानून में संशोधन कर दिया जाएगा ताकि उनकी पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल मेरा विचार है कि विधेयक में कारखाना कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी दिए जाने के बारे में पर्याप्त प्रावधान है।

मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इस तथ्य की दृष्टि से कि विधेयक के संबंध में मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस पर आम सहमति है, मेरा काम बहुत आसान हो गया है और इसलिए मैं चर्चा का उत्तर बहुत संक्षिप्त रखूंगा।

मैं अपने माननीय मित्र डॉ. जिआउद्दीन अहमद के भाषण के विषय में कुछ बातें साफ कहूंगा। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है और मुझे आशा है कि यदि मैं यह कहूँ कि बहस के दौरान जो कुछ उन्होंने कहा उसका विधेयक से कुछ लेना-देना नहीं है तो इसे उनके प्रति अभ्रदता न समझा जाए। उन्होंने श्रम समस्या के समाधान के लिए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे उन्होंने भागीदारी का नाम दिया। मेरा विचार है कि अपने सिद्धांत पर उन्होंने जो प्रकाश डाला है उससे हमें बहुत लाभ होगा और मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब हमारे संविधान का स्वरूप हमारे सामने आएगा तो उनका कथन बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और मुझे ही नहीं उन लोगों को भी लाभ होगा जो उस समस्या से संबद्ध होंगे।

अब मैं दूसरे वक्ताओं पर आता हूँ। पहले मैं अपने मित्र सर विट्ठल चन्दावरकर के विचारों पर बोलना चाहूंगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सवेतन अवकाश संबंधी प्रस्ताव का संदर्भ दिया है जो सर फ्रेंक नोयेस ने सदन में पेश किया था। मैं उस मुद्दे को ठीक से समझ नहीं पाया जिसका उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, परंतु मैं यह समझ सका हूँ कि उनका तात्पर्य यह था कि भारत सरकार ने अपनी नीति बदल दी है।

सर विट्ठल एम. चन्दावरकर : नहीं, नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनका कहना था कि 1936 में सरकार इसके विरुद्ध थी जबकि अब वह सम्मेलन की बातों को मान रही है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है। मैंने बहस को ध्यान से पढ़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय की सरकार द्वारा विरोध का जो कारण था वह यह था कि उस समय यह राय बनी कि यदि किसी अभिसमय के सिद्धांतों को मान्यता देनी है तो वह संपूर्ण मान्यता होनी चाहिए। इसे आंशिक मान्यता नहीं दी गई, और भारत सरकार को उस समय जो सलाह मिली तब इस देश की परिस्थितियां ऐसी थीं कि अभिसमय की बातों को संपूर्ण रूप में स्वीकार करना असंभव था और यद्यपि वह इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार थी और कुछ सीमित क्षेत्रों में लागू करने की संभावना खोजने को भी तैयार थी, सिवा उसके कुछ नहीं कर सकी जो तत्कालीन परिस्थितियों में उसके लिए व्यावहारिक था।

अपने भाषण में मेरे मित्र श्री जोशी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि उनके दो मुद्दे ठोस हैं। उनका पहला मुद्दा है कि हम विधेयक की परिधि सीमित कर रहे हैं, हमने इसे एक कारखाने तक सीमित रखा है और हम यह सिद्धांत एक पूरे उद्योगों पर अपनाने को सहमत नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस बात में दम है, परंतु साथ ही मैं यह कहूंगा कि किसी उद्योग पर लागू करने का अर्थ होगा कि हमें कोई तरीका निकालना होगा जिससे कि उस उद्योग विशेष की सारी इकाइयों के साधनों का एक कोष बनाया जा सके। जैसाकि मैंने कहा, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से मुझे महानुभूति है, परंतु फिलहाल, ऐसा कोष बनाने का अनुभव न होने के कारण जिसके द्वारा किसी उद्योग विशेष में आने वाले सभी कारखानों से कहा जाए कि वे उन फुटकर छुट्टियों का वेतन भुगतान करें जो भिन्न-भिन्न कारखानों में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों ने अर्जित की हैं। यही कारण है कि किसी संपूर्ण उद्योग के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा।

श्री जोशी ने दूसरी बात यह कही कि उन्हें शिकायत है कि अधिनियम में उल्लिखित छुट्टी की अवधि कम है। मैं स्वीकार करता हूँ कि उनकी इस बात में काफी दम है। 7 दिन के अवकाश की अवधि बहुत कम है, इस बारे में भी मेरे समक्ष एक अन्य कठिनाई है। वह एक ऐसी कठिनाई है जिसे श्री जोशी और सर विट्ठल चन्दावरकर दोनों स्वीकार करेंगे। उस कठिनाई का कारण हमारे सर विट्ठल चन्दावरकर दोनों स्वीकार करेंगे। उस कठिनाई का कारण हमारे कामगारों की उच्छिन्न प्रकृति है। जैसा श्री जोशी और सर विट्ठल भाई चन्दावरकर दोनों जानते हैं, विविध कारणों से ली जाने वाली लंबी छुट्टी और इस आदत के कारण काम से अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप स्थिति जटिल हो जाती है। यदि हमारे श्रमिक कारखाने में आजकल की अपेक्षा अधिक समय तक नियमित रूप से काम करते रहे तो मैं बिल्कुल मान जाऊंगा कि छुट्टी की मौजूदा अवधि बढ़ाना बहुत अच्छी बात होगी। परंतु मुझे आशा है कि हमने सात दिन की जो व्यवस्था की है उसका देश के श्रमिक और कर्मचारी वर्ग पर परोक्ष रूप से यह प्रभाव पड़ेगा कि उन्हें अहसास होगा कि यदि वे आजकल की अपेक्षा अधिक समय तक लगातार कार्य करते रहेंगे तो सात दिन से अधिक छुट्टियों के लिए उनका दावा मजबूत होगा। मैं सोचता हूँ कि इस समय सात दिन की छुट्टी की अवधि बढ़ाने का औचित्य नहीं होगा। मेरा विचार है कि सम्मेलन में भी यही सिफारिश की गई थी।

श्रीमन्, जो दूसरा मुद्दा उठाया वह भी उसी प्रश्न से संबंधित है कि इस अधिनियम को अस्थायी कारखानों में भी लागू किया जाए। यह मुद्दा दूसरे पक्ष में बैठे मेरे माननीय मित्र प्रो. रंगा ने उठाया था। इस प्रश्न पर भी मेरे वही उत्तर हैं कि सात दिन के सवेतन अवकाश की व्यवसायी उन्हीं श्रमिकों के लिए की गई है जिन्हें पर्याप्त

समय तक विश्राम नहीं मिलता। अब, एक अस्थायी कारखाना ऐसा कारखाना है जहाँ लोगों को लंबी अवधि तक विश्राम नहीं मिलता। इसका कारण यह हो सकता है कि लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। परंतु मैं इस बात पर रोजगार और बेरोजगार की दृष्टि से विचार नहीं करता। जहाँ तक विधेयक का संबंध है, मैं इस बात पर विश्राम ही दृष्टि से विचार करता हूँ और जहाँ तक अस्थायी कारखानों का प्रश्न है, श्रमिक निश्चय ही लंबी अवधि के विश्राम रखते हैं ताकि यह न कहा जा सके कि उनके लिए सात दिन के सवेतन अवकाश की बहुत आवश्यकता है जैसाकि स्थायी कारखानों में दिया जाता है।

सर विट्ठल चन्दावरकर ने संशोधन करने वाले एक खंड में उल्लिखित शब्द “कम से कम” का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आशंका प्रकट की है कि संशोधन खंड में जहाँ तक “कम से कम” शब्दों का प्रश्न है, प्रांतीय सरकारें आदेश दे सकती हैं कि कारखाना मालिकों को विवश नहीं किया जाएगा कि सात दिन से अधिक का अवकाश दें। मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरे कानूनी सलाहकार के अनुसार संशोधक खंड के अधीन ऐसा संभव नहीं है कि प्रांत सरकारें कारखाना मालिकों को विवश कर सकें कि सात दिन से अधिक का अवकाश दिया जाए। सर विट्ठल चन्दावरकर ने एक और मुद्दा उठाया है कि अभी प्रस्तुत विधेयक द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का समय नहीं आया है और उनके विचार से ये उपाय बाद में किए जा सकते हैं। वह चाहते हैं कि इसे निश्चय ही बीमारी बीमा अधिनियम, जिसके बारे में सरकार सोच रही है और प्रयत्नशील है, के बाद लाया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे मतभेद रखता हूँ। यदि मेरे पास समय होता है तो मैं अपनी बात के पक्ष में कुछ तर्क देता। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर वे प्रोफेसर अदारकर की रिपोर्ट पढ़ें जिसमें उन्होंने पृष्ठ 112 पर सुदृढ़ तर्क प्रस्तुत किए हैं कि सवेतन छुट्टी की व्यवस्था, जो बीमे से घनिष्ठता से जुड़ी है, व्यवस्था को सामाजिक बीमे से पहले लागू करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, यह रिपोर्ट विधानमंडल के सदस्यों को उपलब्ध है और मैं वे बातें दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता जो इस विषय में प्रोफेसर अदारकर ने कही है।

मान्यवर, एक अन्य मुद्दा जो दोनों ने उठाया वह यह है कि यह व्यवस्था अनिवार्य होगी या स्वैच्छिक। जहाँ तक विधेयक का संबंध है, मेरे विचार में एक अच्छा तरीका है कि एक ओर तो हमने यह कानूनी व्यवस्था कर दी है कि एक निश्चित अवधि की सेवा के पश्चात श्रमिक सवेतन अवकाश का अधिकारी होगा, परंतु इस विषय पर मालिकों और कर्मचारियों के बीच कोई स्वैच्छिक समझौता भी हो सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा, विधेयक में एक खंड में कहा गया है कि यदि सरकार को संतुष्टि है कि किसी कारखाने के मालिक ने स्वैच्छा से अपने कर्मचारियों के लिए संवैतनिक छुट्टियों की ऐसी व्यवस्था की है जो इस विधेयक में

की गई व्यवस्था के समान है और उसका क्रियान्वयन संतोषजनक है तो यह उपबंध उस कारखाने पर लागू नहीं होगा। मैंने देखा है कि इस मामले में ग्रेट ब्रिटेन में भी यही स्थिति है। ब्रिटिश प्रणाली में सवेतन अवकाश 1938 से लागू है और 2,300,000 कर्मचारी इसके अधीन आते हैं। इसके अतिरिक्त 50 लाख लोगों को यह स्वैच्छिक समझौते के अधीन मिलती है जिन पर कानून लागू नहीं है और 4000700 लोगों को यह दीर्घकालीन प्रथा के अनुसार प्राप्त होती है।

सर कोवसजी जहांगीर : इसके लिए कहां व्यवस्था है जब कोई मालिक उन छुट्टियों को निलंबित कर दे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी मैं एक दूसरे मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, वह है अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक।

दूसरा मुद्दा मेरे मित्र प्रो. रंगा ने उठाया है और श्री चेट्टियर ने भी। वह है कि हमने इस बारे में व्यवस्था नहीं की है कि जब कोई मालिक बेइमानी करना चाहे तो वह अपने कर्मचारी को अर्जित अवकाश से वंचित रखने के लिए उसे कार्य मुक्त कर सकता है। इस बात पर मैंने अपने आरंभिक भाषण में कहा था कि सरकार को यह अहसास है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परंतु सरकार नहीं सोचती कि वह इस बारे में कोई कदम इस समय उठाए। सरकार इंतजार करेगी और देखेगी कि किस पक्ष ने दूसरे के विरुद्ध क्या तरीका अपनाया है। परंतु यदि इसके बारे में कोई पुष्ट धारणाएं हैं तो श्रमिकों के प्रतिनिधि प्रवर समिति को समझाएं कि ऐसा करना अभी आवश्यक है ताकि अधिनियम में वह ऐसी हरकतों पर रोक लगाने की व्यवस्था अभी से की जा सके। सरकार नहीं समझती कि सिद्धांत रूप से यह कोई गलत बात है और वह प्रवर समिति के माध्यम से इसको सरंजाम देने के मार्ग में बाधा नहीं डालेगी।

एक अन्य मुद्दा उठाया गया है कि क्या छुट्टियों की बात पूरी तरह कर्मचारियों की इच्छा पर छोड़ दी गई है अर्थात् श्रमिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे वह तिथि निर्धारित कर सकें कि वे कब से छुट्टियां लें। हमने विधेयक में जानबूझकर उसकी व्यवस्था नहीं की है क्योंकि हमने यह प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया है कि किसी खास मुद्दे से निपटने के लिए वे अपनी ओर से नियम बना लें। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का प्रयोग करके देखा जाए और हर बात कानून पर न छोड़ दी जाए। यह बेहतर होगा कि हमने विधेयक में जो चीजें प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी हैं वे उन्हें विनियमित करें क्योंकि सदन को पता है कि किसी नियम को बदलना बहुत सरल है, कानून को बदलना कठिन। परंतु जैसाकि मैंने कहा, यदि इस विधेयक से संबद्ध पक्ष चाहे कि इसे वैधानिक रूप दिया जाए तो यह प्रवर समिति के अधिकार में है।

मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य माननीय सदस्य ने कोई और ऐसा मुद्दा उठाया है जिसका मैंने जवाब न दिया हो। इसलिए जो प्रस्ताव मैंने किया है उसके समर्थन में मैं और अधिक नहीं बोलना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चन्द्र दत्त) प्रश्न यह है :-

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक (द्वितीय संशोधन) को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जो नबाव सिद्दीक अली खां, खान बहादुर शेख फैज-ए-पिराया, श्री आर.आर. गुप्त, श्री ए.सी. इंसकिप, सर विट्टल एन. चन्दावरकर, राव बहादुर, एन. शिवराज, श्री एन.एम. जोशी, श्री डी.एस. जोशी और प्रस्तावक द्वारा गठित की जाए और समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जो सेठ युसुफ अब्दुल्ला हारून, श्री मुहम्मद हुसैन चौधरी, श्री लालचंद नवलराय, श्री ए. सी. इंसकिय, सर विट्ठल एन. चंदावरकर, श्री एन.एम. जोशी, डाक्टर सर रतन जी दिनशा दलाल, श्री डी.एस जोशी और प्रस्तावना द्वारा गठित की जाए और समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।”

श्रीमन्, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में पारित किया गया था जिसमें अब कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। जब यह विधेयक पास किया गया था तब इसे एक प्रायोगिक विधान समझा गया था। जब विधेयक का प्रारूप बन रहा था तो हमारे पास बतौर नमूना और कोई कानूनी नहीं था जिस पर हम इस कानून का ढांचा बना पाते। अब हमें इस कानून का 6 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है। इस बीच यह पाया गया कि इसमें बहुत सी खामियां हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हमें यह कहा गया है कि 30 या 40 संशोधन आवश्यक हैं जिससे वेतन भुगतान कानून को सुधारा जा सके। भारत सरकार अनुभव करती है कि विविध वर्गों के सुझावों पर समयाभाव के कारण वह सभी संशोधनों पर विचार नहीं कर पाई है, इसलिए वह स्वयं अधिनियम में सुधार या इसमें सुझाई गई सभी खामियां दूर करने को तैयार नहीं है। मौजूदा संशोधनों के जरिए भारत सरकार कुछ कमियां दूर करना चाहती है जिनका इतना प्रशासनिक महत्व है कि उन्हें दूर किए बिना वह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता जो तब अपेक्षा थी जब यह अधिनियम बना था।

श्रीमन्, हम विधेयक को खंडवार लेते हैं। विधेयक के खंड 2 का उद्देश्य शब्द “वेतन” की परिभाषा में कतिपय संशोधन करना है। मैं सदन का अधिक समय नहीं

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 4, 16 नवम्बर, 1944 पृष्ठ 889-92

लेना चाहता और उन खामियों का क्रमवार जिक्र बार-बार नहीं करना चाहता जो विधेयक में विभिन्न दलों ने बताई है और कहा है कि मौजूदा शब्द “वेतन” की परिभाषा दोषपूर्ण है। परंतु मैं कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। बंबई उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक फैसले में कहा है कि “वेतन” शब्द की मौजूदा परिभाषा इस प्रकार तैयार की गई है कि कोई श्रमिक न केवल उस वेतन का दावा कर सकता है जो उसने अर्जित किया है बल्कि वह संभावित वेतन-ऐसा वेतन जो उसने कमाया होता-की मांग भी कर सकता है। इस मूल व्यवस्था का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। इसमें एक और कमी बताई गई है कि किसी श्रमिक को यदि उत्पादन की मात्रा के आधार पर नियुक्त किया गया है, तो भी वह अपने पूरे वेतन का दावा कर सकता है, भले ही उसने उतना उत्पादन न किया हो। कहा गया है कि इस परिभाषा में भ्रांति है जो किसी ऐसे श्रमिक के मामले में जिसे निश्चित अवधि के लिए रखा गया है और ऐसे श्रमिक के मामले में जिसे उत्पादन की मात्रा के आधार पर रखा गया है, भेद नहीं कर सकती। कुछ पक्षों का कहना है कि इस परिभाषा में उल्लिखित बहुत से शब्द फालतू हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, और उनके कारण भ्रांति ही फैलती है। मैं कुछ शब्दों का उल्लेख कर सकता हूँ जैसे कि शब्द “इसमें कोई बोनस अथवा इसके उपरोक्त में वर्णित अतिरिक्त देय धनराशि शामिल हैं।” हमें बताया गया है कि इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी बताया गया है कि “वेतन” की यह परिभाषा उस समय तो पर्याप्त थी जब युद्ध के पूर्व महंगाई भत्ते की व्यवस्था नहीं थी परंतु आज यह परिभाषा अर्पाप्त है क्योंकि कोई भी मालिक कह सकता है कि महंगाई भत्ता वेतन का भाग नहीं है।

अब जो परिभाषा हमने सुझाई है उसका प्रयोजन इन सब कठिनाइयों को दूर करना है। इससे परिभाषा सरल बन गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मुझे स्वयं को भी विश्वास नहीं है कि विधेयक में संशोधन का जो प्रारूप रखा गया है उसमें यह आशय मौजूद है या नहीं जो मूल अधिनियम में हैं। मैं नहीं समझता कि प्रस्तावित परिभाषा ब्रह्म वाक्य है और यदि प्रवर समिति के सदस्य इसमें सुधार करना चाहते हैं तो निश्चय ही मुझे उसके और संशोधन करने में आपत्ति नहीं होगी।

अब मैं खंड 3 पर आता हूँ। इस खंड के अनुसार मौजूदा खंड 5 में दो संशोधन रखे गए हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि खंड 5 में व्यवस्था है कि किस समय वेतन दिया जाए और इस उद्देश्य से कारखानों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी वह है जिन कारखानों में कर्मचारियों की संख्या एक हजार तक है। दूसरी श्रेणी में वे कारखाने हैं जिनमें एक हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं। यह

वर्गीकरण करने के बाद इस खंड में व्यवस्था की गई है कि पहली श्रेणी में भुगतान 7 दिन के अंदर कर दिया जाना चाहिए और दूसरी श्रेणी में भुगतान 10 दिन के अंदर किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि इस धारा की शर्तों का पालन मुश्किल है और इसका कारण सीधा है। कारखानों का वर्गीकरण कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया गया है और इसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ, यदि एक कर्मचारी कम हो जाता है तो कोई कारखाना पहली श्रेणी से दूसरी में चला जाता है। इसी प्रकार, एक कर्मचारी की संख्या बढ़ने से वह पहली श्रेणी में चला जाएगा। समझा जाता है, और यह ठीक ही है कि यह व्यवस्था न तो न्यायसंगत है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक। प्रस्तुत संशोधन का उद्देश्य इस विभेद को मिटाना है जिसके अनुसार कारखानों को श्रेणियों में बांथा गया है। हमारा उद्देश्य सभी कारखानों के लिए सामान्य सिद्धांत लागू करना है। कर्मचारियों की संख्या को आधार बनाने के बजाए सभी के लिए एकसमान नियम बनाया जाना चाहिए ताकि भुगतान दस दिन में कर दिया जाए। खंड 3 में जिस दूसरे संशोधन का सुझाव है वह भी बहुत आवश्यक है। धारा 5 में कार्यमुक्त कर्मचारी को भुगतान की व्यवस्था की गई है। मौजूदा धारा के अनुसार, कार्यमुक्त कर्मचारी को दूसरे कार्य दिवस को ही भुगतान कर दिया जाना चाहिए। श्रीमन्, वेतन भुगतान अधिनियम केवल उन्हीं स्थायी कारखानों पर ही लागू होता है जो पूरे दिन काम करते हैं। इस संबंध में इस धारा के कारण कोई कठिनाई नहीं है। परंतु मौसमी कारखानों के मामले में कठिनाई है जो जायज लगती है क्योंकि यदि किसी कर्मचारी को अंतिम कार्य दिवस पर कार्यमुक्त किया जाता है और कारखाना मौसमी होने के कारण बंद हो जाता है, तो दूसरा कार्य दिवस लंबे अंतराल के बाद आएगा और कर्मचारी को क्या कठिनाई होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। यदि व्यवस्था न बदली गई तो मौसमी कारखाने के किसी कार्यमुक्त कर्मचारी का वेतन भुगतान अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। अब हमने विधेयक में यह संशोधन रखा है कि शब्द “कार्य” को हटा दिया जाए और शब्द “दूसरे” के स्थान पर “तीसरे” को प्रतिस्थापित कर दिया जाए जिससे कि कारखाने मौसमी हो या स्थाई प्रत्येक कार्यमुक्त कर्मचारी के सातवें दिन भुगतान किया जाएगा और उसे इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा जितना मौजूदा हालात में करना पड़ सकता है।

अब मैं विधेयक के खंड 4 पर आता हूँ। खंड 4 का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा सात में संशोधन करना है। धारा 7 में वर्णित है कि कर्मचारी के वेतन में से क्या-क्या कटौतियाँ की जा सकती हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि फिलहाल इस धारा के अधीन सभी वैध कटौतियों का जिक्र नहीं है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस

ओर दिलाना चाहता हूँ कि मौजूदा अधिनियम में क्या-क्या छूटा हुआ है। उदाहरणार्थ इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि काम छोड़ देने के बाद कर्मचारी ने भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की राशि ले ली है परंतु वह उन सुविधाओं से वंचित रह जाता है जो यदि वह नौकरी में रहा होता तो उसे प्राप्त होतीं। इसके कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। उसे शायद इसलिए जल्दी अवकाश प्राप्त करना पड़ा हो कि भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाए और उसकी कुछ अतिआवश्यक आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाएं। बाद में यदि उसने फिर नौकरी कर ली तो स्वाभाविक है कि वह उन सुविधाओं की फिर प्राप्ति चाहेगा जो उसे अवकाश ग्रहण से पूर्व प्राप्त थी और यह सुविधा इस बात पर निर्भर है कि वह भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की राशि लौटाने को तैयार हो जो कि उसने ले रखी है। कर्मचारी इसकी कटौती कराने को तैयार और इच्छुक भी हो तो कानून में उसकी अनुमति की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन कटौतियों की अनुमति होनी चाहिए क्योंकि ये स्वयं कर्मचारी के पक्ष में हैं। परंतु जैसा मैं कह चुका हूँ, से प्रावधान में मौजूदा कानून नहीं हैं। फिर श्रीमन्, कुछ ऐसी कटौतियां हैं जो कर्मचारी के लिए लाभप्रद हो सकती हैं और कर्मचारी यह चाहता भी हो कि ये कटौतियां कर ली जाए ताकि उसे इससे लाभ हो सके। ऐसा प्रावधान नहीं है कि कर्मचारी स्वेच्छा से इन कटौतियों के लिए सहमत हो तो ये कटौतियां की जाएं जो उसकी दृष्टि में लाभकारी हैं। इस संशोधन के माध्यम से कानून में व्यवस्था है कि उद्देश्य वास्तव में लाभदायी हो। धारा 7 में कुछ और भी छूटा हुआ है और इसका संबंध ऐसे मामलों से हैं जो नियमित वेतन वृद्धि की श्रेणी में हैं। यदि वेतन में एक के बाद दूसरी कटौती होती है, तो उसे वेतनमान से निम्न वेतनमान में नयावनत कर दिया जाता है। तीसरे कर्मचारी को एक वेतनमान में रखने से संबद्ध है, वेतन में कटौती कार्यक्षमता घटने पर की जाती है। इसी कारण यह आवश्यक हो गया है कि धारा 4 की उपधारा (3) में यह संशोधन किया जाए जिसका आधार सिंध के न्यायिक आयुक्त द्वारा दिया गया फैसला है। यह एक ऐसा मामला था जब एक श्रमिक ने अदालत का द्वार खटखटाया। शायद वह एक इंजन चालक था। उसका वेतनमान बदस्तूर रखा गया था, किन्तु वेतन घटा दिया गया था। वह न्याय पाने के लिए अदालत में गया और कहा कि उसके वेतन में कटौती कर दी गई जबकि उसे पुराने वेतनमान में ही रखा गया है और कानूनी दृष्टि से यह एक अवैध कटौती है। जज ने उसका तर्क मान लिया और कहा कि कटौती अवैध थी। परंतु जज ने कहा कि कर्मचारी के साथ कोई नया समझौता नहीं किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि जब उसकी कार्य क्षमता वांछित स्तर की नहीं थी जो उससे तैनात पद पर अपेक्षित है, और यदि यह समझौता कर्मचारी को स्वीकार्य है, तो कटौती न्यायसंगत होगी। अब मैंने इस विधेयक में यह किया है कि जज द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकार

कर लिया है कि जब तक किसी कर्मचारी की सेवाओं की निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाए तब तक इस आधार पर उसका वेतन नहीं घटाया जा सकता कि उसकी कार्यक्षमता में ह्रास आ गया है। श्रीमन्, इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि उसे एक मास की पूर्व सूचना दी जाए। यह एक पूर्ण और सरल प्रक्रिया होगी। एक कानूनी नोटिस दिया जाए कि “हम आपको पहले के समान वेतन नहीं दे सकते, यदि आप नई शर्त पर सेवा में रहना चाहें तो रहें, यदि न रहना चाहें तो सेवा छोड़ दें।” हमने उस लंबी प्रक्रिया को सरल बना दिया है जिसमें पहले नोटिस दिया जाता था, फिर उसका उत्तर आता था, प्रस्ताव आता था, उसे अस्वीकार किया जाता था। अब हमने दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। अब एक महीने के नोटिस की अवधि रखी गई है। नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि कर्मचारी मालिकों से कह देता है कि उसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो वह सेवामुक्त हो सकता है। यह आलोचना गलत होगी कि इस संशोधन से हम कर्मचारी-विरोधी कार्य कर रहे हैं या अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त के फैसले को लागू नहीं करना चाहते। मैं सदन को बता दूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ न्यायिक अधिकारी के फैसले पर अमल करना चाहता हूँ, इसलिए यह संशोधन रखा गया है।

जहां तक दूसरे संशोधनों का प्रश्न है, जैसे वेतन वृद्धि पर रोक और ऊंचे वेतनमान से नीचे वेतनमान पर रखना, इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि तरक्की की अवधि ऐसी निर्धारित की गई है कि तभी पद वृद्धि की जाएगी जब मालिक को यह संतोष हो जाएगा कि कर्मचारी ने मौजूदा वेतनमान में रहते हुए इतना अनुभव और क्षमता प्राप्त कर ली है कि उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह उच्च वेतनमान के दायित्व संभाल सकता है। उदाहरणार्थ, यदि उसकी तरक्की नहीं होती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उसका सीधा कारण है कि उसमें उतनी क्षमता नहीं आई है जितनी चाहिए।

ऐसा ही दूसरे मामलों में है, जैसे ऊंचे वेतनमान से नीचे वेतनमान में पदावनति। मेरे विचार में इसमें कोई वैध आपत्ति नहीं हो सकती। कारण सीधा सा है कि जब मालिक की दृष्टि में किसी कर्मचारी की कार्य क्षमता इतनी नहीं रह जाती तो उसे उसी वेतन में नहीं रखा जा सकता। मैं सोचता हूँ कि यह न्यायोचित है कि उसका वेतन घटा दिया जाए और उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी कम कर दी जाए।

अब मैं विधेयक के खंड 5 पर आता हूँ जो एक सरल सा खंड है। यह धारा 8 की उपधारा (7) में संशोधन करता है। धारा 8 की उपधारा (6) में उस अवधि का उल्लेख है जब से उस पर लागू जुर्माने की रकम वसूल की जा सकती है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वह समय क्या हो। क्या यह तब से लागू हो जब कोई

गलती की गई है या तब से लागू माना जाए जब गलती का पता चला? स्पष्ट है कि किसी मालिक के लिए सदा यह संभव नहीं हो उसके गलती का तुरंत पता चल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि गलती का पता बहुत देर बाद में चलता है। परिणामस्वरूप यह आवश्यक समझा गया है कि वह समय तब से न गिना जाए जब गलती हो गई हो, वरन तब से सजा दी जाए जब से गलती का पता चले। और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस संशोधन में कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस सदन के वकील सदस्यों को पता होगा, कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं कि कुछ मामलों में यह अवधि कार्य का समय है और कुछ में वह तब लागू होती है जब काम का पता चले।

अब मैं खंड 6 पर आता हूं। इसका आशय अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करना है। धारा (7) 2(ख) में यह अनुमति दी गई है कि कार्य से अनुपस्थित रहने पर कटौती कर ली जाए। दुर्भाग्य से स्वयं अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि कार्य से अनुपस्थिति का अर्थ क्या है। इस धारा में यह खामी दूर कर दी गई है और धारा 9 में दूसरी व्याख्या जोड़ दी गई है जहां कार्य से अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं दी गई है। खंड 7 द्वारा धारा 13 में संशोधन किया गया है। धारा 13 दो नई कटौतियों पर लागू होगी जिनका विधेयक की धारा 4 में उल्लेख है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, धारा 13 में कटौतियों की तभी अनुमति है जब प्रांतीय सरकारों द्वारा लागू की गई शर्तें पूरी की जाएं। हम यह भी चाहते हैं कि संशोधन में जिन दो नई कटौतियों का उल्लेख है उन पर वही परंतुक लागू हो।

अंतिम खंड द्वारा अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रस्तावित है। यह धारा अपील के अधिकार को विनियमित करती है। फिलहाल यह धारा एक कर्मचारी को अपील का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार निरीक्षक को नहीं दिया गया है जो इस अधिनियम को लागू करने वाला अधिकारी है। यह अनुभव किया गया है कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह ठीक होगा कि निरीक्षक को भी अपील का अधिकार होना चाहिए।

श्रीमन्, विधेयक के ये प्रावधान हैं। मेरा निवेदन है कि ये विवादहीन हैं और मुझे विश्वास है और आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में और संशोधन करने वाले विधेयक को

एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जो सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून, श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी, श्री लाल चंद राय, नवल श्री ए.सी. इंसकिय, सर विट्टल एन. चन्दावरकर, श्री एन. एम. जोशी, डॉ. सर रतन जी, दिनशा दलाल, श्री डी.एस. जोशी और प्रस्तावक द्वारा गठित की जाए और समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।”

* * * * *

श्री एन. एम. जोशीश्रीमन्, माननीय सदस्य ने कुछ और संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं उनमें से एक है अनुपस्थिति पर कुछ कटौतियां।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैंने अनुपस्थिति की परिभाषा ही दी है। मैंने कटौतियों की अनुमति नहीं दी है। वे पहले से ही मौजूद हैं।

श्री एन. एम. जोशी : मुझे पता है। माननीय सदस्य बहुत भोले हैं। उन्होंने अनुपस्थिति की परिभाषा बदल दी है, परिणामस्वरूप कुछ कटौतियों की अनुमति मिल गई। मूल अधिनियम के अनुसार, कटौतियां काम न करने की वास्तविक अवधि के लिए की जा सकती हैं। यदि संशोधन कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मालिक के लिए यह संभव होगा कि वह कर्मचारी को दोहरी सजा दे दे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सही नहीं है।

श्री एन. एम. जोशी : ठीक है, हम इस पर समय आने पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कोई कर्मचारी एक घंटा गैर-हाजिर रहता है, तो उतने समय का उत्पादन नहीं कर पाता और इसलिए उस घंटे के काम का भुगतान उसे नहीं किया जाता है और इस प्रकार उसका वेतन काट लिया जाता है। कम वेतन पाने के साथ ही यह संभव है कि यदि संशोधन मान लिया गया तो उसके वेतन में और भी कटौती कर ली जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, नहीं,

* * * * *

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** उपाध्यक्ष महोदय, यदि बहस को घटाना है तो मैं कहने को तैयार हूँ कि मुझे यह संशोधन स्वीकार्य है।

* * * * *

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 4, 16 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 896

@माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, मैं वह प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हूँ जो मेरे मित्र श्री जोशी ने किया है। इस हालत में मुझे बोलना अनावश्यक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं कि जनमत के लिए परिचालित करने के पक्ष में कोई ठोस बात कही गई हो। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैंने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि जो संशोधन मैंने रखे हैं वे प्रशासनिक हैं, इनसे वे कठिनाइयां दूर होंगी जो कानून को लागू करने में उपस्थित होती हैं। मैं कह सकता हूँ कि मुझे इनमें ऐसा कोई संशोधन दिखाई नहीं पड़ता जो प्रवर समिति के माननीय सदस्यों के समझ, ज्ञान और जानकारी के बाहर हो। श्रीमन्, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे मित्र श्री जोशी ने स्वयं कोई ठोस बात नहीं कही। मुझे समझ में नहीं आता कि श्री जोशी और मैंने माननीय मित्र श्री लाल चंद नवल राय के सिवाय और कौन वकील होगा जिनकी सेवाएं श्रमिक वर्ग लेगा। उनके प्रतिनिधि चरित्र को ध्यान में रखते हुए और उनके ज्ञान और जानकारी को देखते हुए ही हमने उन्हें प्रवर समिति में रखा है। फिर भी श्रीमन्, यदि वे अनुभव करते हैं कि इन गैर-विवादास्पद मुद्दों पर प्रवर समिति में अपना पक्ष रखने की अपनी क्षमता पर उन्हें विश्वास नहीं है, तो मैं उनका अनुकरण करने को तैयार हूँ और संशोधन स्वीकार करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद दत्त) : प्रश्न है :

“कि विधेयक को उस पर 28 फरवरी, 1945 तक लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*दामोदर घाटी योजना : कलकत्ता सम्मेलन

भाषण

“भारत सरकार मौजूदा हालात से पूरी तरह अवगत है और एक ऐसी नीति तैयार करना चाहती है जिससे देश के जल संसाधनों का सभी के लिए पूरा उपयोग किया जा सके और वह इन जल संसाधनों का उसी प्रकार उपयोग करना चाहती है जैसे अन्य देश अपने जल संसाधनों को आम जनता की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं।” ये शब्द श्रम सदस्य, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने केंद्र, बंगाल और बिहार सरकारों के कलकत्ता में बंगाल सचिवालय में आयोजित सम्मेलन में, जो दामोदर घाटी विकास के लिए उपाय और तरीकों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, 3 जनवरी को अपने भाषण में कहे।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण का पूरा पाठ इस प्रकार है :

भारत सरकार की ओर से इतनी अल्प सूचना पर बैठक के लिए सहमत होने और आपको हुई व्यक्तिगत असुविधा के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस बैठक का उद्देश्य 1944 में बंगाल सरकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा गठित दामोदर नदी बाढ़ जांच समिति द्वारा उपायों और तरीकों पर विचार करना है। मैं सर्वप्रथम यह कहना सार्थक समझता हूँ कि बंगाल सरकार को यह समिति नियुक्त करने पर बधाई दूँ। दामोदर नदी में बाढ़ संबंधी समस्या पर विशेष रूप से और देश के जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की आम समस्या पर समिति द्वारा बहुत ठोस विचार व्यक्त किए जाने पर समिति को धन्यवाद देता हूँ।

समिति की सिफारिशें

मैं समिति की दो सिफारिशों का विशेष रूप से उल्लेख करूँगा अर्थात् :-
सिफारिश संख्या 8 और 13, सिफारिश 13 में समिति ने कहा है :-

* इंडियन इनफार्मेशन, 1 फरवरी, 1945, पृष्ठ 77-101 और 109

“विचार-विमर्श के दौरान यह अनुभव किया गया कि यदि वन और नदियां केंद्र सरकार के अधीन हों तो बाढ़ नियंत्रण से लाभ होगा और बाढ़ नियंत्रण तथा भू-संरक्षण समस्याओं का समाधान होगा।”

सिफारिश 8 में समिति ने सुझाव दिया कि दामोदर पर बांध से केवल बाढ़ ही नहीं रुकेगी अपितु बिजली भी तैयार हो सकेगी और सिंचाई के लिए पानी भी प्राप्त होगा। जिन्हें मौजूदा नीति या नीति की कमी का पता है, वे भारत के जल संसाधनों के उपयोग की बात स्वीकार करेंगे। इसके महत्व को कम करके नहीं माना जा सकता। यह कहना सही नहीं है कि जलमार्गों के विकास की कोई अनुकूल अखिल भारतीय नीति नहीं है। दूसरे, यह ठीक से अहसास नहीं है कि हमारी जलमार्ग नीति बहुउद्देश्यीय होनी चाहिए ताकि उसमें सिंचाई, विद्युतीकरण और नौवहन को भी सम्मिलित किया जा सके।

रेलवे और जलमार्ग

हमारी जलमार्ग नीति का एकमात्र उद्देश्य सिंचाई रहा है। फिर हमने इस पर भी ठीक से विचार नहीं किया है कि रेलमार्ग और जलमार्ग में कोई अंतर नहीं है और यदि रेलवे को प्रांतीय सरकारों के अधीनस्थ नहीं किया जा सकता तो जलमार्गों को भी उन्हें नहीं दिया जा सकता क्योंकि नदियां भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाती हैं। इसके विपरीत, हमने अपने संविधान में व्यवस्था की है कि रेलवे और जलमार्गों के बीच अंतर रखा जाए। इसी कारण रेलवे केंद्र के पास हैं और जलमार्ग प्रांतों के पास हैं।

इस गलती की कई और स्पष्ट हानियां हैं। उदाहरण के रूप में, वह किसी प्रांत को बिजली की आवश्यकता है और इस उद्देश्य से वह जल संसाधनों का उपयोग करना चाहता है। परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिस स्थान पर वह बांध बना सकता है वह दूसरे प्रांत में पड़ता है और उस प्रांत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या उसके पास खर्च करने को धन नहीं है और वह आवश्यकता वाले प्रांत का उपयोग के लिए स्थान नहीं देना चाहता। हम चाहे जो भी शिकायत करें, फिर भी प्रांत इस प्रकार का अमैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रश्न उठाकर इसे न्यायसंगत ठहरा सकता है।

जल संसाधनों का उपयोग

मैंने दो उद्देश्यों से ऐसा कहा। इस पृष्ठभूमि में, बंगाल सरकार द्वारा गठित दामोदर नदी बांध जांच समिति की सिफारिशों का आप बेहतर मूल्यांकन कर सकेंगे जिनका मैंने जिक्र किया। मेरा दूसरा उद्देश्य आप को यह बताना है कि भारत सरकार को इस बात का पता है कि मौजूदा हालात में क्या हानि हो रही है और वह एक ऐसी नीति बनाना चाहती है कि देश के जल संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया

जाए और जल संसाधनों का उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए जिनके लिए अन्य देशों में होता है।

जलमार्गों को संविधान परिवर्तन द्वारा वही स्थान देना जो रेलवे को प्राप्त है निस्संदेह एक स्वागत योग्य परिवर्तन होगा। परंतु भारत सरकार यह आवश्यक नहीं मानती कि संविधान के परिवर्तन तक प्रतीक्षा की जाए। न ही सरकार यह समझती है कि यदि प्रांत सरकारें जल संसाधनों के उपयोग के लिए सहयोग करना चाहें तो संवैधानिक कठिनाइयां आड़े आएंगी।

भारत सरकार के ध्यान में अमरीका की टेनेसी घाटी परियोजना है। हम इस योजना का अध्ययन कर रहे हैं और अनुभव करते हैं कि यदि प्रांतीय सरकारें सहयोग की पेशकश करें या प्रांतीय अवरोध समाप्त कर दिए जाएं, जिनसे उनकी सम्पन्नता और प्रगति अवरुद्ध है, तो भारत में भी उसी ढंग से काम किया जा सकता है। देश के जल संसाधनों को सर्वाधिक उपयोग करने के सरकार ने आरंभिक कदम के रूप में एक केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड नाम से एक केंद्रीय संस्था का गठन किया है और एक अन्य संगठन केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई और नौवहन आयोग नाम से बनाने का विचार है।

इन दो संगठनों की स्थापना का उद्देश्य प्रांत सरकारों को सलाह देना है कि उनके जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है और किस प्रकार किसी परियोजना द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी पूरे हो सकते हैं। अन्य संस्थाओं का गठन भी आवश्यक हो सकता है जैसे केंद्रीय उपयोग बोर्ड अथवा तदर्थ जांच समितियां केंद्रीय बिजली बोर्ड और केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई व नौवहन आयोग की स्थापना से ऐसे संगठन अनावश्यक नहीं हो जाते।

इस दिशा में दामोदर नदी पहली परियोजना है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना होगी। इसका उद्देश्य मात्र दामोदर नदी की बाढ़ रोकना ही नहीं है, बल्कि सिंचाई, नौवहन और बिजली उत्पादन भी है।

परियोजना तैयार हो जाने पर यह प्राधिकरण बहुत कुछ टेनेसी घाटी प्राधिकरण के मॉडल पर बनाया जाएगा। यह एक सहकारी उपक्रम होगा जिसमें बिहार और बंगाल की प्रांतीय सरकारें और केंद्र सरकार भागीदार होंगी। भारत सरकार इस परियोजना को आकार, स्वरूप और जीवन प्रदान करना चाहती है। इसमें जरा सा भी समय नहीं गंवाना चाहिए।

जलमार्गों के लिए नई नीति

भारत सरकार अनुभव करती है कि जब तब आरंभिक संभावनाओं का पता नहीं लगा लिया जाए तब तक आगे न बढ़ा जाए। पहली बात बांध के स्थान का निर्णय

लेना है। परंतु यह केवल बंगाल की मर्जी से नहीं हो सकता। साथ ही, इसका निर्णय केवल बिहार की इच्छाओं के अनुसार भी नहीं लिया जा सकता और यदि दोनों प्रांत सहमत हो भी जाएं तो विशेषज्ञों की सलाह के बिना अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। कई पक्षों पर विचार करना है। जैसाकि मैंने कहा, दामोदर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। हम चाहते हैं कि यह केवल बाढ़ की समस्याओं तक सीमित न रहे, इससे सिंचाई बिजली, और नौवहन की सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। स्थान के प्रश्न के साथ इन मुद्दों पर भी विचार किया जाना है।

इस सम्मेलन का कार्य यह निर्णय करना है कि उक्त कार्य संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था क्या होगी। मेरा विचार है कि हम शुद्ध भाव से कार्य करें, संकीर्ण विचारों को त्याग दें और संकल्प के साथ सर्वोत्तम समाधान के लिए काम आरंभ करें और जल मार्ग की नई नीति प्रतिपादित करके एक नया मार्ग प्रशस्त करें तथा देश के करोड़ों गरीबों की सम्पन्नता की नींव डालें।

सम्मेलन में विचार-विमर्श

सम्मेलन ने एक बहुउद्देशीय दामोदर घाटी परियोजना पर विचार किया जिसका आशय दामोदर घाटी के दोहन द्वारा सिंचाई, विद्युतीकरण और नौवहन की संभावनाओं का पता लगाना है। इसकी अध्यक्षता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की। विचार-विमर्श का आधार आवश्यक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक नोट था।

इस नोट में सुझाव दिया गया था कि तीनों सरकारें अपने पास उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों की सूची तैयार करें। यह सूची केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की सलाह से तैयार की जाए और यदि सूची में पूरा वितरण नहीं दिया गया तो वांछित तथ्यों को फिर से एकत्रित किया जाए। तब केंद्र सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ आरंभिक ज्ञापन तैयार करेंगे ताकि दामोदर घाटी के बहुउद्देशीय विकास का समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जा सके। फिर तीनों सरकारें मिलकर विचार करेंगी तथा केंद्र और प्रांतीय सरकारों के तकनीकी विशेषज्ञों को परियोजना तैयार करने के विषय में निदेश देंगी।

सामान्य सहमति

जहां दामोदर योजना को बहुउद्देशीय बनाने पर आम सहमति थी, वहीं बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस बात पर बल दिया कि दामोदर नदी की बाढ़ की समस्या के नियंत्रण के मुद्दे पर पहले विचार किया जाए। कुछ देर के विचार-विमर्श

के बाद इस बात पर सहमति हुई कि बंगाल सरकार के विशेष अभियंता (सिंचाई) श्री मान सिंह के अंतर्गत केंद्र सरकार के सुझावों की पड़ताल की जाए। इस पड़ताल के लिए केंद्र और बिहार सरकारें श्री मान सिंह को सहायता हेतु अधिकारी उपलब्ध कराएंगी। बिहार के सिंचाई विभाग के उप मुख्य अभियंता श्री ए. करीब, श्री मान सिंह के संपर्क में रहेंगे।

इससे पूर्व बैठक में भारत सरकार के श्रम सचिव श्री एच.सी. प्रायर ने जलमार्ग समस्या के प्रशासनिक पक्षों पर प्रकाश डाला और बताया कि केंद्र सरकार किस तरह से इसमें भूमिका अदा कर सकती है।

सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधि थे माननीय श्री बी.पी. पौने, बंगाल के संचार और लोक निर्माण विभाग के मंत्री, श्री बी. सरकार, आई.सी.एस., सचिव संचार और लोक निर्माण विभाग, श्री बी. एल. सब्बरवाल, श्री जे. एफ. रसैल, मुख्य अभियंता बंगाल, श्री मान सिंह विशेष अभियंता (सिंचाई), श्री एन.के. बोस, निदेशक नदी अनुसंधान संस्थान, श्री एन. धर, सचिव युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति, श्री एच. एम. इशाक, विकास आयुक्त, श्री ए. करीब, उप मुख्य अभियंता, बिहार सरकार के प्रतिनिधि, श्री एम. एम. मैथ्यू, सचिव केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड, श्री डब्ल्यू. एल. वर्दवीन, बोर्ड के पन-बिजली सदस्य और श्री डी.एल. मजूमदार, भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में मौजूद थे।

*युद्धोत्तर बिजली विकास

युद्ध स्थिति के उपरांत भारत में बिजली के बड़े संयंत्रों की आवश्यकता को देखते हुए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है और देश के लिए आवश्यक बिजली उत्पादन की दिशा में कदम उठाए गए हैं। माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, श्रम सदस्य, ने लोक निर्माण और विद्युत विषय पर नीति समिति की दूसरी बैठक में अपने संबोधन में यह सूचना दी। बैठक 2 फरवरी को नई दिल्ली में हुई।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण का पूरा पाठ इस प्रकार है :

मैं सर्वप्रथम सभी नए और पुराने सदस्यों का इस बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नए और पुराने का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि इस बार कुछ नए सदस्य बैठक में सम्मिलित हुए हैं जो पिछली बैठक में नहीं थे। ये भारत के विद्युत उपक्रमों और संगठित श्रमिकों का भारत के भावी विद्युतीय विकास से महत्वपूर्ण संबंध है। कोई भी फैसला लेने से पूर्व विचार-विमर्श के दौरान वे जो कहते हैं उस पर गौर किया जाना चाहिए। मुझे खेद के साथ कहना है कि पिछली बार उनको सम्मिलित न करना एक भूल थी। मैं इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ क्योंकि वास्तव में यह एक बड़ी कमी थी। मैं समझता हूँ कि आज उन्हें अपने बीच देखकर हम बहुत खुश हैं और हमें अपने विचारणीय विषय पर उनके योगदान की आशा है।

बिजली इंजीनियरों का सम्मेलन

मेरे विचार से अध्यक्ष होने के नाते मुझे पहले यह बताना चाहिए कि भारत सरकार ने बिजली विकास के बारे में युद्धोपरांत क्या कदम उठाए हैं क्योंकि पिछली बैठक 25 अक्टूबर, 1943 को हुई थी, इसलिए हो सकता है कि इस कारण आपको यह जानकारी न हो।

इस समिति की पिछली बैठक के तुरंत बाद युद्धोपरांत बिजली विकास के लिए भारत के विद्युत आयुक्त श्री मैथ्यू ने सरकार की अनुमति से देश के प्रमुख सरकारी

* इंडियन इनफार्मेशन, 15 फरवरी, 1945, पृष्ठ 235-41

और गैर-सरकारी इंजीनियरों की बैठक बुलाई। सम्मेलन में सर्वप्रथम युद्ध के तुरंत बाद भारत में बिजली विकास के लिए भारी बिजली उपकरणों का कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके साथ ही सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जो, रिपोर्ट की भाषा में, उसके अध्ययनों, जांच और विचार-विमर्श के सर्वसम्मत निष्कर्ष थे। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

1. पहला, प्रांतों और रियासतों के अधिकार क्षेत्रों में पड़ने वाले इलाकों के बारे में बिजली विकास संबंधी सिफारिशों की गईं और सुझाव पेश किए गए।
2. दूसरा, उनके तकनीकी बिजली बोर्ड बनाए जाएं।
3. तीसरा प्रस्ताव था कि सम्मेलन में विचारित भावी बिजली विकास के परिप्रेक्ष्य की अविलंब जांच कराई जाए।
4. चौथा प्रस्ताव रेलवे विद्युतीकरण, उर्वरक निर्माण और ग्रामीण विद्युतीकरण से संबद्ध था।

सम्मेलन के सदस्यों ने अपनी सिफारिशों के साथ भेजे गए पत्र में कहा कि, “यह पहला अवसर है कि जब बिजली विकास कार्यक्रम के बारे में समन्वित रूप से विचार किया गया और सभी क्षेत्रों के अनुभवी इंजीनियरों की उपस्थिति से क्षेत्रीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ जिससे समस्त भारत की विविध दशाओं का समेकित अनुभव शामिल है।”

भारी बिजली संयंत्र

मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे कि हम सब सम्मेलन के अनुग्रहीत हैं कि इसने पूरे देश के बारे में युद्ध बंद होने के तुरंत बाद के समय के लिए आवश्यक बिजली उत्पादन की योजना प्रस्तुत की। सम्मेलन ने भारत सरकार से कहा है कि उसकी विभिन्न सिफारिशों के बारे में उपयुक्त कार्रवाई की जाए। सरकार का जिस कार्यवाही से संबंध है उस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। इसका संबंध उपकरण प्राप्त करने और तकनीकी बिजली बोर्ड बनाए जाने से है।

युद्ध समाप्ति के बाद के समय के लिए भारत की बिजली उपकरणों की आवश्यकता का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और उपाय कर लिए गए हैं कि भारत के लिए आवश्यक उत्पादन क्षमता सुरक्षित कर ली जाए। कुल आरक्षित क्षमता 850 मेगावाट होगी और उस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारत की नई अनुमानित बिजली क्षमता मौजूदा स्थापित क्षमता से 65 प्रतिशत अधिक होगी। हो सकता है कि अधिक विस्तृत जांच से पता चले कि हमारी उपकरणों की

आवश्यकता आरक्षित क्षमता से अधिक हो। परंतु भारत के हितों को हानि पहुंचाए बिना अभी इस विषय को और लटकाए रखना असंभव है। हम सीमित समय में जो आंकड़े तैयार कर सकें और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

तकनीकी बिजली बोर्ड

आपको 8 नवम्बर, 1944 की प्रेस विज्ञप्ति से पता चला होगा कि भारत ने एक तकनीकी बिजली बोर्ड का गठन किया है। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। भारत सरकार ने श्री मैथ्यू को इस विद्युत आयुक्त का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक सदस्य के रूप में अमरीका के श्री डब्ल्यू. एल. वूरदिन की सेवाएं ली गई हैं। भारत आने से पूर्व श्री वूरदिन टेनेसी घाटी प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी थे। तीसरे सदस्य को उपयोगिता सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। किसी योग्य इंजीनियर की भर्ती के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिसे उपयोगिता का अनुभव हो। उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की नियुक्ति से आप आश्वस्त होंगे कि भारत सरकार तकनीकी संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी उत्सुक हैं जो बिजली विभाग संबंधी विचारों को संकलित करेगा, कार्यक्रमों का सर्वेक्षण करेगा और योजनाएं बनाएगा। इसमें प्रांतीय और राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाएगा। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आपके लिए यह आवश्यक है कि आपको पता चले कि इस बीच क्या हुआ। हम यह भी दिखाना चाहते हैं कि भारत सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।

तिहरा कार्यक्रम

बिजली नीति के विषय में एक और भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि नीति समिति की पिछली बैठक में श्री कोलिंस ने बंबई सरकार की ओर से बंबई प्रेसीडेंसी में एक ग्रिड प्रणाली का विचार प्रस्तुत किया था। पिछले वर्ष के दौरान भारत सरकार ने इस बात पर गहराई से विचार किया कि देश के विभिन्न भागों में बिजली के स्थानीय विकास और क्षेत्रीय विकास को अलग-अलग रूप में देखा जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि यदि बिजली सेवाएं उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएं तो इससे कार्य क्षमता बढ़गी। हमें इस कार्य को सावधानीपूर्वक और धैर्य से पूरा करना होगा जैसा कि शुरू से ही इंग्लैंड में केंद्रीय बिजली बोर्ड ने किया है, अर्थात्

(क) बड़े पैमाने के बिजली घरों की स्थापना जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के नियंत्रण में हों।

(ख) मुख्य संप्रेषण प्रणाली का निर्माण (कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए छोटी वैकल्पिक लाइनें बिछाना) जिससे कि बड़े बिजली घरों की मुख्य प्रणाली से आसपास के पूरे क्षेत्रों का विकास हो सके।

(ग) बिजली प्रणाली के माध्यम से विकसित किए जाने वाले क्षेत्र में फ्रिक्वेंसी का यथासंभव मानक तैयार करना।

जैसाकि हम जानते हैं, इंग्लैंड में यह कार्यक्रम 1926 से चालू है। हमारे इस तिहरे कार्यक्रम की बुनियाद भी ग्रिड प्रणाली है और मुझे आशा है कि यदि हमारे देश में भी क्षेत्रीय विकास पर कार्यक्रम शुरू किया जाए तो हम जल्दी ही उपभोक्ता को चाहे वह बड़ा हो या छोटा बहुत वाजिब दरों पर बिजली उपलब्ध करा सकेंगे।

आपको यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि जब इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर ग्रिड प्रणाली शुरू की गई थी तो यह अनुमान लगाया गया था कि 1940-41 तक बिजली का राष्ट्रीय उत्पादन 2 अरब 50 करोड़ यूनिट तक पहुंच जाएगा और बिजली पर कार्य लागत 1925-26 के 9.4डी से घटकर 4डी प्रति यूनिट रह जाएगी, जबकि बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1/2डी पर बिजली मिलेगी।

कार्यसूची की मर्दें

अब मैं आज की बैठक की कार्यसूची पर आता हूं। जैसाकि आप जानते हैं, आज की कार्यसूची में चार मर्दें हैं। मर्द में दो योजनाएं हैं। उनमें से एक है तकनीकी बिजली बोर्ड और दूसरी, बिजली में प्रशिक्षण के लिए भारतीयों को विदेश भेजना। इनमें कोई भी विवादास्पद मामला नहीं है। इसलिए इन पर मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

दूसरी मर्द दुर्भाग्य से उतनी विवादहीन नहीं है जितनी चौथी मर्द है। दूसरी मर्द बिजली उपक्रमों पर कुल लेखा सिद्धांत लागू करने संबंधी है ताकि उनकी आय, खर्च और लाभ को निश्चित किया जा सके। परंतु यह मर्द उतनी विवादास्पद नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है। इस मर्द पर दो प्रश्न उठते हैं। यदि उन पर अलग-अलग विचार किया जाए तो विवाद बहुत कम रह जाएगा।

पहला प्रश्न यह है कि बिजली आपूर्ति उपक्रम के डिवीडेंड का कोई संबंध बिजली के उपयोग की दरों के साथ होना चाहिए या नहीं। दूसरा प्रश्न है वाजिब डिवीडेंड कैसे निर्धारित किया जाए। पहले प्रश्न पर मेरा कहना है कि उस पर बहुत कम विवाद हो सकता है। बिजली, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए ऐसी बुनियादी सुविधा की दरें आपूर्तिकर्ताओं की इच्छा पर नहीं छोड़ी जा सकती। यदि देश में बिजली की सस्ती दरें और उसकी प्रचुरता

सुनिश्चित नहीं की गई तो भारत का औद्योगिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि डिवीडेंट सापेक्ष हो। यदि इसकी स्वीकृति नहीं दी गई तो यह निर्विवाद है कि उपक्रमों को लेखा रखने की विवशता होगी और वे कमियां दूर की जा सकेंगी जिनके कारण वे लाभ छिपा लें।

लेखा रखने का सिद्धांत

फिर यह विषय गौण हो जाता है। लेखा रखने के सिद्धांत पर जोर हम किसी क्रांतिकारी इरादे से नहीं दे रहे हैं। हम बिजली के संबंध में ब्रिटिश कानून का ही अनुसरण कर रहे हैं जो लंदन बिजली अधिनियम, 1925 और बिजली सप्लाई अधिनियम, 1926 में उल्लिखित है। भारत के विद्युत आयुक्त ने एक ज्ञापन तैयार किया है जिसमें उन्होंने इस प्रकार के लेखाकरण सिद्धांत का एक सैट पेश किया है जो बिजली उपक्रमों पर लागू किया जाए। उनका ज्ञापन प्रांतीय सरकारों और बिजली उपक्रमों के पास भेज गया ताकि वे इस पर अपने विचार प्रकट करें। दुर्भाग्य से इस पर विरोधी विचार प्रकट किए गए हैं। इस खाई को पाटने के लिए भारत सरकार का इरादा एक सलाहकार बोर्ड बनाने का है जो उन सिद्धांतों पर परामर्श देगा जो न्यायसंगत और उचित हों। मुझे आशा है कि आपको इस समाधान से संतोष होगा।

अब कार्यसूची की मद संख्या 1 और 3 बची हैं। दरअसल यह हमारी कार्यसूची की महत्वपूर्ण मदें हैं और आप मुझे इस पर बोलने का कुछ समय देंगे।

मद संख्या एक पर मैं आपको याद दिला दूँ कि नीति समिति की पिछली बैठक में क्या स्थिति थी। इस मद पर नीति समिति ने विचार-विमर्श की समाप्ति पर इच्छा प्रकट की थी कि सम्पन्न समझौते में निहित उपायों पर श्रम विभाग एक प्रस्ताव तैयार करे और इस पर नीति समिति की अगली बैठक में समुचित विचार-विमर्श हो। तदनुसार प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है जो इस प्रकार है :-

“कि यह बैठक सिफारिश करती है कि भारत में बिजली के विकास को सरकारी या अर्ध-सरकारी उपक्रम बनाया जाए और उन तत्वों का उन्मूलन किया जाए जो प्रांत, राज्य अथवा स्थानीय शासन के स्वस्थ बिजली विकास में बाधक हैं या व्यावसायिक उपक्रमों के विकास को कुप्रभावित करते हैं।”

यह अनुभव किया गया है प्रारूप प्रस्तुत बहुत स्पष्ट नहीं था। इसमें ऐसे उपक्रमों के विषय में कुछ नहीं कहा गया था जो पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। वास्तव में उन तत्वों के नियंत्रण की बात कही गई थी जिनसे बिजली का स्वस्थ विकास रुकता है। किंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वे कौन से तत्व हैं। इसलिए यह

आवश्यक समझा गया कि प्रस्ताव पर नीति समिति में फिर से ध्यानपूर्वक विचार किया जाए ताकि संदेह दूर हो सके। इसलिए मद संख्या 1 इस रूप में लाया गया।

सरकारी नियंत्रण और स्वामित्व

नीति समिति की पिछली बैठक में जो विचार-विमर्श हुआ उसमें इस इरादे को स्पष्ट करने पर विचार किया गया कि जहां बिजली आपूर्ति का कोई प्रतिष्ठान नहीं है वहां सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी उपक्रमों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाए, परंतु इस विषय में फिर भी यह संदेह बना रहा कि जहां बिजली प्रतिष्ठान मौजूद हैं वहां सरकारी उपक्रम आएँ या नहीं। उदाहरणार्थ क्या यह उचित रहेगा कि सामान्यतः राज्य या दूसरे प्राधिकरण के पास इस बात का विकल्प रहे कि वह किसी उपक्रम का अधिग्रहण कर लें जहां व्यक्तिगत लाइसेंस की शर्तों में यह विकल्प है। क्या क्षेत्रीय विकास या बिजली उत्पादन और आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए मौजूदा निजी स्वामित्व के प्रतिष्ठानों को सरकारी नियंत्रण में लेना युक्तिसंगत है? क्षेत्रीय विकास के लिए कुछ अन्य प्रतिष्ठानों से थोक बिजली लेना आवश्यक हो सकता है। इसके लिए उन प्रतिष्ठानों को मौजूदा प्रतिष्ठानों की तरह चलाया जाना होगा और सामान्य योजना के तहत एक ही रास्ते पर लाया जाएगा। इस प्रकार हमें आशा है कि इस विचार-विमर्श के दौरान न केवल इस दृष्टि से कि उन्हें किस सीमा तक सरकारी स्वामित्व में लाया जाए बल्कि इस दृष्टि से भी स्पष्टीकरण होना चाहिए कि सरकार उन मामलों में कितना नियंत्रण रखे जहां सरकारी स्वामित्व फिलहाल संभव नहीं है।

“जेवंस” का आर्थिक मानदंड

सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों का मामला सदा विवाद में रहा। इस समय यह विवाद पूरे जोरों पर है क्योंकि हमने नियोजित अर्थव्यवस्था आरंभ कर दी है। ओल्ड जेवंस ने अपने लेख राज्य बनाम उद्योग में सरकार और उद्योगों के संबंध में कुछ आर्थिक मानदंड बनाने का प्रयत्न किया है जो सरकारी उद्यमों और निजी उद्यमों के बीच लक्षमण रेखा का काम करें। परंतु ये सरकारी उद्यमों के सिद्धांत के विरोधी हैं। जेवंस के अनुसार चार मानदंड हैं जो उद्योगों में सरकार के लिए नियत हैं। वे हैं : (1) लघु पूंजी लेखा (2) सामान्य संचालन (3) डाक तार और टेलीफोन जैसी सेवाओं का समय और (4) बिजली और गैस सप्लाई जैसी बहुउद्देशीय आवश्यकताएं।

इस देश में जेवंस के अनुयायियों ने प्रस्ताव किया है कि कुछ और मानदंड निश्चित किए जाएं जिनका उद्देश्य सरकारी उपक्रमों का क्षेत्र एक को छोड़कर अन्य मामलों में सीमित कर दिया जाए। जैसे, वे उन क्षेत्रों में सरकारी दखल का विस्तार करने के

लिए तैयार हैं जो निजी क्षेत्रों के लिए लाभदायक नहीं हैं। निजी क्षेत्र जब वास्तविकता थी तब इस विवाद का ठोस आधार हो सकता था। परंतु आज निजी क्षेत्र केवल एक अवस्था है। आज की अर्थव्यवस्था में वास्तविकता में कोई निजी क्षेत्र नहीं है क्योंकि उद्योग आजकल बड़ी-बड़ी पब्लिक स्टॉक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। आजकल की अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्तिगत उद्योग नहीं रहा और उद्योगों का घोषित उद्देश्य जोखिम न रह कर सावधानी बन गया है और जहां मुख्य लक्ष्य मौजूदा आर्थिक स्थिति का लाभ बनाए रखना और व्यवस्थित अस्तित्व बनाए रखना है। मेरे लिए इस विवाद में फंसना व्यर्थ है क्योंकि सरकारी स्वामित्व और सरकारी नियंत्रण का बहुत कम विरोध है। इसलिए बिजली के मामले में अपवाद नहीं हो सकता।

मद तीन में प्रश्न उठता है कि जब किसी बिजली आपूर्ति उपक्रम का कोई लाइसेंस रद्द किया जाए तो उसे चलाने का विकल्प क्या हो। किसी बिजली प्रतिष्ठान की खरीद का सवाल। इस प्रश्न का नियमन अब भारतीय बिजली अधिनियम की धारा 7 के अधीन होता है। इस धारा के अनुसार, उसकी खरीद का पहला विकल्प स्थानीय प्राधिकरण है। उनके अनिच्छा व्यक्त करने पर प्रांतीय सरकार का स्थान है। कार्यसूची की मद तीन में प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह उचित नहीं है कि केंद्र सरकार को भी यह विकल्प दिया जाए और यदि ऐसा हो तो किस चरण पर और किन परिस्थितियों में। प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को भी खरीद का विकल्प दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिजली जनसाधारण की सुविधा की चीज है, केंद्र सरकार को यह अधिकार देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

प्रांत सरकार का नियंत्रण हो या केंद्र सरकार का?

दुर्भाग्यवश इस सिद्धांत को मानने में कुछ अनिच्छा है। भारत में नियोजन के मुद्दे पर दो मामलों में टकराव है - निजी उद्योग बनाम सरकार और प्रांत सरकारों का या केंद्र का नियंत्रण। हम सब इन बातों से पूरी तरह अवगत हैं, परंतु मद 3 में विशेष रूप से दूसरा मामला लिया गया है, कि उपक्रम को प्रांतीय सरकार नियंत्रित करे या केंद्रीय सरकार। जो लोग सरकारी प्रतिष्ठानों में विश्वास रखते हैं उन्हें थोड़ा सोचना होगा कि प्रतिष्ठान प्रांतीय हो या केंद्रीय और यदि प्रांतीय सरकार नियंत्रण लेने को तैयार न हो तो केंद्र सरकार यह कार्य अपने हाथ में ले ले और जहां क्षेत्रीय विकास किसी प्रांत की सीमाओं को लांघता हो तो केंद्र सरकार के विषय में विचार करना आवश्यक है। जलमार्गों की तरह बिजली भी ऐसा क्षेत्र है जो प्रांत की सीमाओं को लांघता है और यद्यपि केंद्र तथा प्रांत सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग और तालमेल होना चाहिए, यह उचित नहीं लगता कि वहां केंद्र सरकार उन क्षेत्रों में बीच में आए जहां क्षेत्रीय विकास के लिए सरकारी नियंत्रण आवश्यक हो और प्रांत सरकार प्रतिष्ठान चलाने को सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध हो।

कार्यसूची के मुद्दों पर मैंने आमतौर से जो कहा है उससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, समापन से पूर्व मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको यह ध्यान रखना कितना आवश्यक है कि जो निर्णय आप लें वह भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में देश के लोकमत पर आधारित हो। यह समझ लेना एक गलती होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कोई लोकमत नहीं है, यह मत उससे भी अधिक वाममार्गी है जितनी अनुमति हम उद्योगों के बारे में दे सकते हैं।

मैं जिस बिंदु को प्रस्तुत करने को उत्सुक हूँ वह यह है कि नियोजन और लोकमत के बीच कोई समझौता होना इस देश की बड़ी आवश्यकता है जिसका आदर्श लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है। लोग रूस में नियोजन की सफलता की बात करते हैं। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस सफलता का श्रेय वहां लोकतांत्रिक सरकार का न होना है। एक संसदीय सरकार जो योजना तैयार करती है उसके सामने हर समय यह खतरा रहता है कि न जाने उसे कब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़े और उसे भरोसा नहीं रहता कि वह इतने समय तक चल भी पाएगी या नहीं जब तक कि उसकी योजनाएं पूरी हों। क्या नियोजित अर्थव्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र में परस्पर विरोध है, और यदि है तो दोनों के बीच किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। यह इतना बड़ा प्रश्न है कि यहां इस पर विचार नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सावधानी बरतें कि यदि हमारी योजना नई सरकार के आने पर बदली न जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि योजना ऐसी हो जिसके बारे में बड़ा बहुमत यह विश्वास रखता है कि वह अधिकतम लोगों के अधिकतम हित साधन के लिए है।

समिति की सिफारिशें

“लोक निर्माण और बिजली” पर नीति समिति ने सिफारिश की कि मौजूदा लाइसेंस क्षेत्रों की परिधि से बाहर के क्षेत्रों में बिजली विकास हेतु यथासंभव प्रयास किए जाएं और यह कार्य सरकारी उपक्रमों को सौंपा जाए। यदि किसी कारण से सरकार समुचित अवधि में उस क्षेत्र का विद्युत विकास करने के लिए तैयार न हो, तो निजी उद्यमियों को यह कार्य सौंपने से वंचित न रखा जाए। यह भी सिफारिश की गई है कि यदि जनता को सक्षम और आर्थिक संचालन का भरोसा हो तो मौजूदा लाइसेंस सामान्य नियम के अधीन जारी रखा जाए। क्षेत्रीय आधार पर बिजली विकास के मार्ग में बाधक तत्वों का उन्मूलन किया जाए चाहे वे प्रांतीय, सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण या व्यावसायिक उपक्रमों से संबद्ध हों।

एक अन्य सिफारिश यह स्वीकार की गई है कि सार्वजनिक उपयोगिता के बारे में जनहित और उपयोग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वित्तीय सिद्धांत निर्धारित किए जाएं। विद्युत अधिनियम की धारा 35 के अधीन एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाए जो सरकार को इन सिद्धांतों के लागू करने के विषय में उनके स्वरूप, सीमा और उपायों के विषय में परामर्श दे। इस सलाहकार बोर्ड में दो प्रतिनिधि सरकार के हों, दो प्रांतीय सरकारों की सहमति से नियुक्त किए जाएं, और एक प्रतिनिधि बिजली उद्यमों के संघ का हो।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 7 में संशोधन पर विचार-विमर्श के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा जांच के विभिन्न मुद्दे उठाए गए ताकि बिजली विकास के बारे में कोई समन्वित और व्यवस्थित नीति तैयार की जा सके। समिति में इस बात पर सहमति थी कि कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाए कि प्रतिष्ठानों के बारे में पहला विकल्प प्रांतीय सरकारों को दिया जाए। अंतर-प्रांतीय विकास के लिए केंद्रीय नियंत्रण आवश्यक समझे जाने पर बिजली उद्यमों को केंद्र सरकार को सौंपे जाने के प्रश्न पर विचार किया गया। इस प्रश्न के कुछ पक्षों पर विचार में भिन्नता थी और यह फैसला किया गया कि प्रांतीय सरकारों से परामर्श करके इस विषय पर और आगे गौर किया जाए।

सरकार की प्रशिक्षण योजनाएं

नीति समिति ने बिजली सप्लाई उद्योग में व्यावसायिक और प्रशासनिक मामलों में भारतीय इंजीनियरों को विदेश में प्रशिक्षण पर भेजने का और केंद्रीय तकनीकी बोर्ड के गठन का स्वागत किया। चार अधिकारी ब्रिटेन में, चार अमरीका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण में और दो कनाडा में प्रशिक्षण लेंगे। इनमें से दो अधिकारी केंद्र सरकार के चार प्रांतीय सरकारों के, दो रियासतों के और दो सार्वजनिक बिजली उद्योगों के होंगे। दोनों केंद्रीय अधिकारियों का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह कहा गया है कि भारतीय इंजीनियर बिजली उद्योग के व्यावसायिक और प्रशासनिक पक्ष का प्रशिक्षण लेंगे, सरकार का इरादा तकनीकी पक्ष का प्रशिक्षण लेने के लिए दो दल और भेजने का है।

बैठक की अध्यक्षता माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की। इसके सदस्य थे: भारत सरकार के योजना और विकास सदस्य, माननीय सर आर्देशिर दलाल : बंगाल के वाणिज्य श्रम और उद्योग मंत्री, माननीय श्री. के. शहाबुद्दीन, सिंध के लोक निर्माण मंत्री, माननीय रायबहादुर गोकुल दास, मिर्जा इस्माइल और राजा धमकर्म बहादुर। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकारियों और भारतीय मजदूर कांग्रेस बिजली उद्योग के संघ और भारतीय इंजीनियर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

*भारत के खनिज साधनों पर सरकार की नीति

श्री के.सी. नियोगी : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि ‘भूगर्भ सर्वेक्षण’ शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए की कटौती की जाए।”

मैं भारत के खनिज साधनों की नीति के बारे में दिए गए अपने नोटिस के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। परंतु समय के तकाजे को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि माननीय मित्र वक्तव्य देने के लिए यथासंभव जितना समय चाहें उतना लें। मैंने उन्हें विभिन्न मुद्दे बता दिए हैं जिन पर मैं समय मिलने पर भाषण देता। किन्तु बजाए इसके कि मैं बोलूँ, यह महत्वपूर्ण है कि वे अपना स्पष्टीकरण दें। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा यदि मेरे मित्र कोई जानकारीपूर्ण वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि ‘भूगर्भ सर्वेक्षण’ शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए की कटौती की जाए।”

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : उपाध्यक्ष जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री नियोगी ने ऐसा कटौती प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि इससे सरकार को अपनी खनिज नीति की व्याख्या करने का अवसर मिला। इस संबंध में इतनी अज्ञानता है और इतनी अधिक भ्रांतियां हैं कि यह सभी के हित में होगा कि खनिज नीति जैसे विषय पर सदन को पूरी जानकारी दी जाए। श्रीमन्, मुझे खेद है, और मुझे इसमें संदेह नहीं कि सन में और भी सदस्य हैं जिनको इससे सहमति होगी और वे यह अनुभव करेंगे, कि समय सीमा के कारण श्री नियोगी के अवसर नहीं मिल सका कि वे अपने बिंदुओं की व्याख्या सदन में प्रस्तुत करते। मुझे इस बात का अहसास है और वास्तव में मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने भाषण को संक्षिप्त करके मुझे अपना वक्तव्य देने का समय दिया।

श्रीमन्, यह एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी स्पष्टवादिता होनी चाहिए और यह बता देना चाहिए कि वास्तव में अभी तक भारत की कोई खनिज नीति नहीं है। यह

बात शिकायत का आधार हो सकती है। परंतु इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। खनिज नीति न होने की जिम्मेदारी कुछ लोग भूगर्भ सर्वेक्षण पर डालना चाहते हैं। मेरा विचार है कि यह आरोप गलत है और मैं इस बात पर ही पहले कुछ मिनट बोलूंगा और इन धारणाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा।

मैं समझता हूँ कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि किसी भी सरकार की खनिज नीति उसकी औद्योगिक नीति पर निर्भर है। खनिज आवश्यक रूप से देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि किसी देश की औद्योगिक नीति नहीं होती तो अवश्य ही उसकी खनिज नीति भी नहीं हो सकती। सदन इस बात से अवगत है कि जब युद्धोत्तर काल के लिए भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए उससे पूर्व इस देश के आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगीकरण के लिए सरकार की भूमिका बहुत अल्प मात्रा में थी।

डॉ. पी.एन. बनर्जी : कितने खेद की बात है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : चाहे यह खेद की बात हो या क्षोभ की, इस समय यह मेरी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि कोई खनिज नीति नहीं है। इसमें भूगर्भ सर्वेक्षण की कोई गलती नहीं, यह गलती सरकार की है, व्यवस्थापिका की भी हो, और शायद उन संगठनों की भी हो सकती है जिनकी देश के आर्थिक और औद्योगिक जीवन में रुचि थी।

भूगर्भ सर्वेक्षण वह भूमिका नहीं निभा सका जो विश्व के अन्य भागों में भूगर्भ सर्वेक्षणों ने निभाई है, इसका दूसरा कारण यह है कि यह एक ऐसा विभाग है जिसमें कार्मिकों की संख्या आवश्यकता से कम है। मैं सदन को इसके कर्मचारियों और तकनीकी कार्मिकों के संबंध में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 1920 में भूगर्भ सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी राजपत्रित अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति ली गई थी। दुर्भाग्य से प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति में बहुत कड़नाइयाँ सामने आईं। वांछित कर्मचारी नियुक्त करने में नौ वर्ष लग गए। दुखद बात यह हुई कि जैसे ही ये पद भरे गए, 1931 में व्यवस्थापिका ने मितव्ययता बरतने का प्रस्ताव पास कर दिया और लगभग उन सभी कर्मचारियों को हटाना पड़ा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि भूगर्भ सर्वेक्षण भारत सरकार की खनिज नीति में कोई भूमिका नहीं निभा सका तो कुछ हद तक व्यवस्थापिका पर भी इसका उत्तरदायित्व है।

मेरे पास सीमित समय है। मैं अतीत की बातें कहीं कहना चाहता। मैं भविष्य के बारे में बताऊंगा। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि अब भारत सरकार ने एक निश्चित खनिज नीति की आवश्यकता स्वीकार कर ली है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि देश में उद्योगीकरण का अभियान

चलाया जाए। भारत सरकार की खनिज नीति का उल्लेख पुनर्निर्माण और नियोजन संबंधी दूसरी रिपोर्ट की धारा 14 में है। मेरे पास धारा 14 पढ़ने और न ही उसका सार संक्षेप देने का समय है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि सदन के जो सदस्य इस मामले में रुचि रखते हैं वे स्वयं धारा 14 देख लें कि यह नीति क्या है।

अपनी बात का संक्षिप्त करते हुए मुझे कहना है कि इस विषय के दो भाग हैं— भारत सरकार की खनिज नीति और भारत सरकार द्वारा उस नीति पर प्रस्तावित कार्यक्रम। पहली बात तो यह है कि इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रस्ताव भूगर्भ सर्वेक्षण को पुनर्गठित करने का है। तदनुसार सर्वेक्षण के विस्तार हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसकी प्रशासनिक पुष्टि हो चुकी है। हमारा प्रस्ताव भूगर्भ सर्वेक्षण की और शाखाएं गठित करने का है जिनका संबंध अभियांत्रिक भूगर्भ खनिजों के औद्योगिक उपयोग, केंद्रीय खनिज विकास, भू-भौतिकीय कार्य और तेल विकास से होगा। एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और प्रचार अनुभाग की स्थापना भी की जाएगी ताकि गतिविधियों से जनता को अवगत कराया जा सके।

हमारी खनिज नीति का दूसरा अंग खनिजों के नियंत्रण के उद्देश्य से कानून तैयार करना है जिसमें निम्न बातों पर ध्यान रखा जाएगा : पहली, रक्षा की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर खनिज का महत्व; दूसरे; खनिजों का तकनीकी पक्ष; तीसरी ; खनिजों के उपयोग का उद्देश्य; चौथी, खनिजों अथवा खनिज उत्पादों का मूल्य। हमारा कानूनी प्रावधान दो भागों में होगा, या कहिए कि खनिजों के दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा : एक तो वे जो हमारे सामान्य नियंत्रण में होंगे और इसमें हमारा काम खनिज निकालने तथा खनिजों की खुदाई के लिए पट्टे देने उन लाइसेंसों की शर्तें तय करने तथा लाइसेंस रद्द करने के अधिकार तक सीमित होगा, और दूसरे खनिज ऐसे होंगे जिन पर हमारा विस्तृत नियंत्रण होगा। जिन खनिजों पर हमारा विस्तृत नियंत्रण का सुझाव है वे लगभग 28 होंगे। मैं उनके विषय में विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। विस्तृत नियंत्रण में लाइसेंस देने का अधिकार खदान के तरीकों, प्रक्रिया, श्रेणीकरण, मानकीकरण, नियंत्रित करने का अधिकार होगा ताकि खदान और माल निकालने में सुधार हो सके। अधिक उपयोगिता के उद्देश्य से इसमें गवेषणा का अधिकार तथा अन्य उद्देश्य शामिल हैं।

उपलब्ध समय सीमा में मैंने संक्षेप में उस सामान्य नीति का उल्लेख किया है जो खनिजों के बारे में भारत सरकार बनाना चाह रही है।

अब मैं कुछ उन विशेष मुद्दों पर आना चाहता हूँ जो श्री नियोगी ने मुझे लिखित सूचना में दिए हैं। उनका पहला मुद्दा है खनिजों को निर्यात करना। मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि प्रस्तावित कानून में निस्संदेह ऐसा प्रावधान होगा जिसका संबंध खनिजों के निर्यात से होगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम अपने खनिजों का

निर्यात पूर्णतः रोक सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आवश्यक रूप से एक अन्य प्रश्न पर आधारित है। वह है कि निर्यात रोकने पर क्यों उन खनिजों का आयात पूरी तरह बंद कर सकते हैं जिनका हमारे यहां अभाव है? जैसाकि माननीय सदस्य अवगत होंगे, भारत में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव है जैसे तेल, तांबा, सिक्का, जस्ता, टिन और गंधक। परिणामस्वरूप, निर्यात के प्रश्न पर हम इसी परिप्रेक्ष्य में विचार कर सकते हैं कि क्या हम उन वस्तुओं को मांगने में सक्षम होंगे जिनका हमारे यहां अभाव है? भारत के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि उन खनिजों का निर्यात विनियमित किया जाए जो भारत के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं और दूसरे यह देखना कि हमारे खनिज कच्चे माल के रूप में निर्यात न किए जाएं बल्कि हम अपने देश में ही ऐसे उद्योग स्थापित करें जिनमें निर्यात से पूर्व अपने माल का परिशोधन कर सकें। श्री नियोगी ने जो अन्य मुद्दा मेरे सम्मुख रखा है उसका उद्देश्य मेरा ध्यान तेल संबंधी रियायतों की ओर आकृष्ट करना है। जैसा कि श्री नियोगी अवगत हैं और मैं समझता हूँ अन्य सदस्य भी अवगत होंगे, तेल निकालने की इजाजत सरकार द्वारा अभी किसी को नहीं दी जा रही, तेल की खुदाई के लाइसेंस जारी करना बंद है। यह बंदिश मुख्यतः इसलिए लगाई गई थी कि भारत सरकार नहीं चाहती थी कि विभिन्न तेल कंपनियां अपने काम में तकनीशियनों को लगा लें जिनकी इस देश में वैसे ही बहुत कमी है। यह बंदिश युद्ध तक और उसके कुछ समय तक जारी रहेगी। अब, जहां तक लाइसेंस दिए जाने का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के पास हो जाने के बाद से यह मामला प्रांतीय सरकारों के हाथ में आ गया है। परंतु प्रांतीय सरकारें अभी तक उन्हीं नियमों का पालन कर रही हैं जो इस बारे में केंद्र सरकार ने बनाए थे अर्थात् 'बंद द्वार' की नीति। इस नीति से गैर-ब्रिटिश प्रजा पर पाबंदी लगाई गई थी, उनके लिए तेल के खनन और निकालने का द्वार बंद कर दिया गया था। किसी भी कंपनी के लिए यह शर्त थी कि लाइसेंस लेने से पूर्व उसे साबित करना होगा कि उसके कर्मचारी भारतीय हैं और बोर्ड के आधे से अधिक सदस्य ब्रिटिश प्रजा के हैं। मैं नहीं समझता कि श्री नियोगी के मन में यह प्रश्न क्यों है कि भारतीय और ब्रिटिश प्रजा के बीच भेदभाव है। मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इस मामले का संबंध एक और महत्वपूर्ण बात से हैं। वह है भारत सरकार अधिनियम की धाराओं III से 118 तक जिन पर सदन में अलग से विचार हो रहा है। कोयले के प्रश्न पर, जैसा मैंने कहा, इसे हमारे कानून में स्थान दिया जाएगा। इसमें घटिया कोयले का खनन, वर्गीकरण, विपणन और उपयोग शामिल है। हमारे उस कानून को सफल बनाने के लिए खान मालिकों और वसायियों का सहयोग जरूरी होगा। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इसे अपनी युद्धोत्तर नीति में शामिल करना चाहते हैं।

मैंने सामान्य तौर पर और अल्पावधि में बता दिया है कि भारत सरकार की नीति क्या है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यापक और गतिशील नीति तीन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यह भारत के औद्योगिक अभियान पर निर्भर करेगी। यदि उद्योगीकरण होता है तो इस देश को पहले की अपेक्षा और बलवती खनिज नीति बनानी होगी। हमारी खनिज नीति की सफलता और इससे बहुत से लोगों का लाभ भी दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो संवैधानिक स्थिति अर्थात् केंद्र तथा प्रांतों के बीच अधिकारों का वितरण, और सरकार को क्या भूमिका निभाने दी जाती है। मुझे विश्वास है कि मैंने सदन को देश की प्रस्तावित खनिज नीति के विषय में काफी बता दिया है।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रस्ताव है कि प्रश्न रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्ता) : प्रश्न यह है :

“कि अब प्रश्न रखा जाए।”

(कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं)

मैं समझता हूँ कि सदन की आम राय यह है कि प्रश्न अभी न रखा जाए।

एक माननीय सदस्य : आप बहस स्थगित कर सकते हैं।

श्री एच. ए. सत्तार, एच. इशाक सेत (पश्चिमघाट और नीलगिरी : मुस्लिम) : जो व्यवस्था रखी गई है और परिचालित की जा चुकी है उसके अनुसार नेशनलिस्ट पार्टी को दिया गया समय समाप्त हो गया है। उसके लिए गिलोटीन की स्थिति है। अब अन्य दलों की बारी है। सदन इस पर विचार प्रकट नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्ता) स्थिति यह है कि यह कटौती प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सकता।

*भारत सरकार की श्रम नीति

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : अब श्री जोशी द्वारा कल प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर आगे बहस होगी।

प्रो. एन. जी. रंगा : श्रीमन्, मैं और मेरी पार्टी के सदस्य श्री जोशी के प्रस्ताव से हार्दिक सहयोग करते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : अब प्रश्न रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : प्रश्न यह है

श्री एच.ए. सत्तार एच. इशाक सेत (पश्चिमी घाट और नीलगिरी : मुस्लिम) : सरकार के उत्तर का क्या हुआ?

(इस समय माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर खड़े होते नजर आए)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : क्या माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : सदन अधीन है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश करूंगा। यह मेरा आश्वासन है।

कल अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते समय श्री जोशी ने श्रम विभाग पर कुछ आरोप लगाए। समापन के समय श्री जोशी ने न केवल यह कहा कि श्रम विभाग, जिसको श्रमिकों के हितों को व्यक्त करना और संरक्षण देना चाहिए, अपने कर्तव्य पालन में विफल रहा है। अंत में उन्होंने कहा, जिसे मैं अतिशयोक्ति समझता हूँ। कि श्रम विभाग को श्रमिकों से कोई सहानुभूति नहीं है। श्रीमन्, मेरे माननीय मित्र ने

* श्रम विभाग की मांग 23 पर चर्चा, विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 2, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1456-62

अपना वक्तव्य कमोबेश टैलीग्राफ की भाषा में दिया है, उसमें विभक्तियां नहीं हैं, संयोजक और नियोजक भी नहीं है और अपने निष्कर्षों में कोई ठोस तर्क भी प्रस्तुत नहीं किए हैं और उनके प्रस्ताव का उत्तर देने में मुझे कुछ कठिनाइयां हैं। फिर भी मैं उनको आरोपों का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

श्रीमन्, श्रम विभाग पर उनका पहला आरोप मंहगाई भत्ते के बारे में है। उनका लांछन है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मंहगाई भत्ता अपर्याप्त है। भारत सरकार ने जो मंहगाई भत्ता स्वीकार किया है उसमें समानता नहीं है। उनकी पहली बात के विषय में, मैं सोचता हूं कि पर्याप्तता का अर्थ अलग-अलग लगाया जाता है। यह मुश्किल होगा कि कोई भी दो व्यक्ति किसी रकम के बारे में सहमत हों कि वह पर्याप्त है। इसलिए मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने मंहगाई भत्ते पर काफी रुचि ली है और वह स्थिति पर नजर रखे हुए है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि सरकार ने समय-समय पर मंहगाई भत्ता बढ़ाया है। मैं सदस्यों को कुछ तथ्य बताता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार मंहगाई भत्ता अगस्त 1942 में दिया गया था। जनवरी, 1943 में इसमें फिर वृद्धि की गई। जून, 1943 में इसमें फिर वृद्धि की गई। (एक माननीय सदस्य : “1942 में कितना मंहगाई भत्ता दिया गया?”) इसके विस्तार में जाने का समय मेरे पास नहीं है, और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मुझे आगे बोलने देंगे। मार्च, 1944 में इस में फिर वृद्धि की गई। हमने केवल भत्ता ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि समय-समय पर हमने अधिकतम आय राशि भी बढ़ाई है जिस पर कर्मचारी मंहगाई भत्ते का अधिकारी होता है। पहली बार जब मंहगाई भत्ता दिया गया था तो यह राशि 100 से 200 रुपए थी। तीसरी बार में इसे 150 रुपए कर दिया गया और चौथी बार यह सीमा 250 रुपए कर दी गई। क्या मैं सदन को बता सकता हूं कि सरकार मंहगाई भत्ते में और वृद्धि पर विचार कर रही है और मुझे आशा और विश्वास है कि इस मामले पर भारत सरकार का फैसला जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।

जहां तक एकरूपता के अभाव का प्रश्न है, मैं मानने को तैयार हूं कि कोई एकरूपता नहीं है और विविध वर्गों के कर्मचारियों को अलग-अलग भुगतान किया जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि एकरूपता के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मंहगाई भत्ते में एकरूपता के अभाव के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वह स्वयं श्री जोशी हैं।

श्री एन. एम. जोशी : कैसे? मैं तो सरकार नहीं हूं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जब मैं श्री जोशी कहता हूं तो मेरा तात्पर्य

है पूरा श्रम संगठन। इसी के कारण एकरूपता का अभाव है। मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के समय क्या हुआ? श्रमिकों के विभिन्न वर्ग हैं। आपका एक संगठन है, रेलवेमैन्स फेडरेशन एक संगठन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन, इसी तरह टेक्सटाइल यूनियन और दूसरे संगठन हैं और अन्य भी लोग हैं जिनका कोई संगठन नहीं है। मैं समझता हूँ कि श्री जोशी सहमत होंगे कि अधिकांश श्रम संगठनों की नीति संगठित लूट के सिवाए वास्तव में कुछ और नहीं है। पहला व्यक्ति सोचता है कि वह सरकार से जितना ले सकता है ले ले, दूसरों की परवाह नहीं। एक रेलवेमैन्स फेडरेशन है, जो रेलवे बोर्ड से मिलता है, अपनी राजनीति का इस्तेमाल करता है और रेलवे बोर्ड को मजबूर कर देता है कि अधिकाधिक मंहगाई भत्ता ले लिया जाए। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन है। वे लोग मेरे मित्र जो इस विभाग के प्रभारी हैं उनसे मिलते हैं। वे हड़ताल की धमकी देते हैं। वे कहते हैं कि देश की सेवा का यह सबसे आवश्यक अंग है और उतना ले लेते हैं जितना से सर्वाधिक समझते हैं। बाकी लोगों की परवाह करने वाला कोई नहीं और मैंने निश्चित रूप से कोई नहीं देखा जिसे भारतीय मजदूर कांग्रेस या अखिल भारतीय मजदूर संघ कहते हैं कि इकट्ठा होकर कोई नीति तैयार करें, जो समान रूप से सभी सरकारी कर्मचारियों के विषय में समान नीति तैयार करे।

श्री एन. एम. जोशी : क्या यह भारत सरकार का दायित्व नहीं है कि समान नीति तैयार करें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : है, अवश्य है, बशर्ते कि हमें ऐसा करने की स्वतंत्रता हो। परंतु हर बार श्रमिकों का कोई वर्ग आ जाता है, धमकी देता है और कहता है “हम काम नहीं करेंगे और यदि आप हमें इतना नहीं देंगे तो हम हड़ताल कर देंगे।” सरकार इस बारे में निश्चय ही विवश है। (एक माननीय सदस्य : “आप आपस में क्यों नहीं मिलते?”) श्री जोशी ने इस ओर ध्यान न दिए जाने का जिक्र किया है कि कई परिस्थितियों में जबरन बेरोजगारी लाद दी जाती है। यदि मैं उनकी बात को सही समझता हूँ तो उन्होंने सरकार के परिपत्र की शर्तों को तिरस्कारपूर्वक देखा है जो हमने प्रांतों और मालिकों को भेजा है कि भारत सरकार का दृष्टिकोण है कि जब कोयले की कमी या कच्चे माल के अभाव में कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दे दी जाए तो कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाए। प्रांतीय सरकारों को लिखे गए पत्र में हमने कहा है कि भारत सरकार बेरोजगारी की इस अवधि का कुछ भुगतान करने को तैयार है। हमने उनसे कहा है कि पहले पखवाड़े में सामान्य वेतन का 75 प्रतिशत और दूसरे पखवाड़े में 50 प्रतिशत दिया जाए। यह सुविधा एक महीने तक दी जाएगी। कर्मचारी सात महीने तक ही इंतजार कर सकेगा। अंत में श्री जोशी ने कहा कि भारत सरकार ने यह देखने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं कि इन

सुविधाओं का कर्मचारियों को वास्तव में लाभ हो। श्रीमन्, यदि श्री जोशी ने प्रांतीय सरकारों और मालिकों को लिखा गया पत्र पढ़ा होता तो उन्हें पता चल जाता कि हमने कुछ निश्चित प्रस्ताव जबरन बेरोजगारी के बारे में रखे हैं। परिपत्र में हमने कहा है कि जबरन बेरोजगारी पर दी जाने वाली सुविधाओं पर आयकर और ई पी टी का लाभ प्राप्त होगा क्योंकि इन्हें राजस्व खर्च में गिना जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट रूप से पत्र में यह विशेष प्रावधान है और हम इससे अधिक की जरूरत नहीं समझते। भारत रक्षा अधिनियम के नियम 81-क में व्यवस्था है कि श्रमिकों को छूट है कि वे यदि इन परिस्थितियों में हैं तो वे प्रांतीय सरकार को आवेदन दें कि यह मामला पंच-फैसले के लिए सौंप दिया जाए। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इस दिशा में काम हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, अहमदाबाद में इस विषय में पंच-फैसले की कार्रवाई चल रही है।

जो तीसरा मुद्दा श्री जोशी ने उठाया है वह कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का है। मैं पूरी तरह उनके आरोप की गंभीरता नहीं समझ पाया कि देश में मौजूदा स्थिति में इस संबंध में क्या कमी है, वे वास्तव में क्या चाहते हैं? उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वे समझते हैं कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है। सदन को स्मरण होगा कि कर्मचारी मुआवजा कानून में वेतन की परिभाषा बहुत विस्तृत है। इसमें केवल नकद वेतन ही शामिल नहीं है, बल्कि वह सब राशि शामिल है जो उसे मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का मामला आता है तो उसे केवल वेतन ही नहीं मिलता बल्कि मुआवजा लेते समय वह वेतन के साथ मंहगाई भत्ता लेने का भी अधिकारी है। श्री जोशी ने एक बात और कही है कि ग्रेट ब्रिटेन में कानून बदल दिया गया है पर इस देश में हमने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वहां युद्धकाल में कर्मचारी क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की राशि बढ़ा दी गई है। मैंने यह मामला देखा। मुझे कहते हुए खेद है कि श्री जोशी ने अंतर को वास्तव में समझा नहीं है। जैसाकि सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा, इंग्लैंड में कर्मचारी को मुआवजा आवधिक मिलता है जब कि भारत में भुगतान अधिकांशतः एकमुश्त किया जाता है। यह महत्वपूर्ण अंतर है। एकमुश्त भुगतान से कर्मचारी को भुगतान हुआ और बात खत्म हुई। उसको कोई आवधिक भुगतान नहीं करता रहाता। परंतु जहां भुगतान एक क्रमिक दायित्व है, वह अधिक समय तक किया जाता है और इसलिए स्पष्ट है कि मालिक का दायित्व भी जारी रहता है और मालिक को मंहगाई भत्ते का भुगतान करते रहना पड़ता है जैसाकि नौकरी पर लगे कर्मचारियों को किया जाता है। अंग्रेजी कानून के अनुसार बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता भी देना होता है। यदि सदन की ऐसी ही मर्जी है कि एकमुश्त के बजाए सावधिक भुगतान किया जाता रहे चाहे उसके जीवनकाल तक या जब तक उसके बच्चे बड़े न हो जाएं तो कोई संदेह नहीं कि जैसा इंग्लैंड में होता है यहां भी वैसा ही हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : यह सदन की इच्छा है कि अगला प्रस्ताव रखा जाए। आप संक्षेप में बोलें।

सर कावस जी जहांगीर : नहीं, श्रीमन्, यह सदन की इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं इन्हें सुनना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : शांति, शांति।

यह सदन की इच्छा नहीं है। श्रीमन्, आप सदन के नाम से बोलते हैं। मैं कहता हूँ जहां तक सदन के इस पक्ष का प्रश्न है, हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

डॉ. पी. एन. बनर्जी : यहां कुछ अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो चाहते हैं कि वे अपना भाषण समाप्त करें।

सर कावस जी जहांगीर : परंतु हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : आप पूरा सदन नहीं हैं।

श्री अब्दुल कयूम : ठीक बात है।

माननीय श्री सुल्तान अहमद : श्रीमन्, आखिरकार सदन का यह पक्ष उन्हें सुनना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : दिक्कत कहां हैं? मैं कह रहा हूँ कि यह अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं है, यह तो माननीय सदस्य के अध्यक्ष का अनुरोध ही है और यह उन पर है कि वे इसे स्वीकार करें या न करें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, माननीय श्री जोशी ने जो अगला मुद्दा उठाया है वह तकनीकी कार्मिक अध्यादेश के बारे में है। उन्होंने कहा है कि यह तकनीकी कार्मिक अध्यादेश नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच असमानतापूर्ण व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित है। यहां यह मुद्दा उठाया गया है कि तकनीकी कार्मिक अध्यादेश के अनुसार कोई कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र नहीं है जब कि उसी अध्यादेश के अंतर्गत कोई मालिक किसी कर्मचारी को हटाने के लिए स्वतंत्र है। श्रीमन्, मैं वस्तुस्थिति बताना चाहता हूँ जो इस अध्यादेश को पढ़ने पर पता चल जाएगी। वास्तविकता यह है कि यदि कोई कर्मचारी त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे मालिक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अध्यादेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी त्यागपत्र देना चाहता है तो वह न्यायाधिकरण से अनुमति ले। कर्मचारी को हटाए जाने की जो बात है उसमें भी स्थिति यह है कि नियमानुसार जब तक वह न्यायाधिकरण की अनुमति न ले ले। वह किसी कर्मचारी को न तो हटा सकता है और न ही बर्खास्त कर सकता है। इसका निस्संदेह एक अपवाद है

और वह अपवाद है कि अवज्ञापूर्ण आचरण के लिए वह कर्मचारी को हटा सकता है। श्रीमन्, मैं ऐसा नहीं सोचता कि यह प्रावधान विशेष जिससे कोई मालिक अपने ऐसे कर्मचारी से मुक्ति पा सकता है जो दुर्व्यवहार करता है और अवज्ञा करता है तो इसमें कोई शिकायत का आधार बनता हो।

एन. एम. जोशी : इसका फैसला कौन करता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं श्री जोशी से पूछना चाहूंगा कि जिन आम मामलों में न्यायाधिकरण की आवश्यकता नहीं है, वहां कौन निर्णय करता है? जिस ढंग से हमारे उद्योग चलते हैं, सहीं हों या गलत, किसी कर्मचारी को मालिक ही बर्खास्त करता है जिसके विषय में वह सोचता है कि उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात में कोई सार नहीं है। परंतु मैं सदन और विशेषतः श्री जोशी को बताना चाहता हूं कि हमने अध्यादेश को दो महत्वपूर्ण मामलों में संशोधित किया है ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। पहली चीज जो हमने श्री जोशी की इच्छानुसार की है वह है न्यायाधिकरण के साथ एक परामर्श समिति को संबद्ध करना। इन परामर्श समितियों में श्रम प्रतिनिधि भी रखे गए हैं और इसे रंचमात्र भी संदेह नहीं है कि जिस प्रकार इन समितियों का गठन किया गया है उससे न्यायधिकरण का ध्यान उस मामले की ओर दिलाया जा सकेगा जिनमें बदले की भावना निहित हो।

दूसरा और अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय जो हमने किया है वह यह है कि हमने न्यायाधिकरण के लिए आदेश जारी किए हैं कि यदि कर्मचारी को त्यागपत्र देने या नौकरी छोड़ने की अनुमति देने से इंकार किया गया है तो उसके कारणों को दर्ज किया जाए। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे हमने दंड प्रक्रिया संहिता से लिया है ताकि सरकार को यह जानना संभव हो सकेगा कि क्या किसी कर्मचारी को त्यागपत्र की अनुमति न देने के बारे में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पास कोई वैध और समुचित कारण है।

श्रीमन्, श्री जोशी ने मुद्दा पेश किया है कि कोयला खदानों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि वहां स्थिति बहुत अच्छी है। मैं नहीं कहता कि श्रम विभाग ने कोयला खदानों में बेहतर स्थिति के लिए कोई निश्चित कदम उठाए हैं। हमारे कोयला खदानों में दो प्रकार के श्रमिक हैं - स्थानीय श्रमिक और बाहर से बुलाए गए श्रमिक, खासतौर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के। मैं सदन को उनके वेतनों के विषय में बताना चाहता हूं। गोरखपुर के श्रमिकों को प्रतिदिन बारह आने मूल वेतन मिलता है। इसके साथ ही उसे चार आने उत्पादन बोनस के रूप में

मिलते हैं। भूमिगत कार्य करने पर उसे चार आने अतिरिक्त मिलते हैं। उसे निःशुल्क भोजन मिलता है जिसकी लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 14 आने बैठती है।

श्रीमती रेणुका रे (मनोनीत गैर-सरकारी) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं समझती हूँ माननीय सदस्य ने 25 मिनट का समय पहले ही ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : प्रभारी माननीय सदस्य 20 मिनट से अधिक बोल सकते हैं।

श्री एन. एम. जोशी : नियम 20 मिनट का है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : नहीं, 20 मिनट या आवश्यक होने पर अधिक भी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, इस वेतन के अतिरिक्त गोरखपुर के श्रमिक को 14 आने प्रतिदिन भोजन के लिए मिलते हैं। उसे निःशुल्क आवास और चिकित्सा सहायता मिलती है।

अब मैं अन्य खदानों पर आता हूँ। उनके वेतन की स्थिति इस प्रकार है : उनके नकद वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। युद्ध पूर्व सतह पर उनका वेतन 8 आना और भूमिगत के लिए 14 आना था। उसे कुछ राशन भी दिया जाता है। प्रति स्थानीय खदान मजदूर को चार सेर अनाज नियंत्रित मूल्यों पर स्वयं के लिए मिलता है। चार सेर प्रति वयस्क आश्रित के लिए और दो सेर प्रति अवयस्क के लिए जिसकी आयु दो से बारह वर्ष के बीच हो। इसके साथ ही, उसे रियायती दरों पर 6 सेर प्रति रुपए के हिसाब से अनाज और दालें मिलती हैं। उपस्थिति वाले प्रतिदिन एक सेर चावल मिलता है। जिस श्रमिक का कोई आश्रित नहीं है, उसे प्रतिदिन दो आने और एक आश्रित होने पर तीन आने और एक वयस्क आश्रित तथा एक या अधिक बच्चे होने पर पांच आने प्रतिदिन मिलते हैं।

श्री श्री प्रकाश : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि किसी सरकारी सदस्य को 20 मिनट से अधिक दिए जा सकते हैं। यह अधिक समय संबद्ध प्रभारी सदस्य को दिया जाता है। हरेक सरकारी सदस्य को नहीं जो बीच में ही बोले। इस विषय में संबद्ध सरकारी सदस्य वित्त सदस्य हैं, जिनका प्रस्ताव सदन के सम्मुख है। यह प्रस्ताव श्रम सदस्य का नहीं है।

श्री सामी वेंकटचलम चेट्टी (मद्रास : भारतीय वाणिज्य) : श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि प्रश्न प्रस्तुत किया जाए।

कई माननीय सदस्य : अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस प्रकार व्यवधान नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : शांति, शांति। समापन प्रस्ताव भाषण समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकता। विपक्ष के संतोष के लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया है। परंतु अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।

श्री अब्दुल कयूम : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। सरकारी सदस्य 20 मिनट या इससे अधिक समय तक बोल सकते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई सरकारी सदस्य जब तक चाहे अपने भाषण को लंबा खींचता चला जा सकता है? या यह अध्यक्ष को फौसला करना है कि माननीय सदस्य ने पर्याप्त समय ले लिया है या नहीं? मेरा तर्क है कि यह अधिकार मात्र अध्यक्ष का है, सरकारी सदस्य को यह अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वह तब तक चाहे बोलता रहे। मेरा एतराज है कि वे बहुत समय ले चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : मेरे लिए यह कहना बड़ी मुश्किल बात है कि उन्होंने काफी समय ले लिया है या वे जानबूझकर समय खींच रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाए।

श्री सामी वेंकटचलम चेट्टी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। लगता है अध्यक्ष की यह धारणा है कि मैं समापन का प्रस्ताव नहीं रख सकता, परंतु इस समय माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। मैं समापन प्रस्ताव रख सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : यह परंपरा है कि जब तक कोई सदस्य बोल रहा हो तो समापन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। परंतु प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य इसलिए नहीं बैठ गए हैं कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है, वे व्यवधान के कारण बैठे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : फिर, श्रीमन्, श्री जोशी ने कहा कि श्रम विभाग में कर्मचारी कम हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि श्री जोशी ने यह बात क्यों कही। मैं सदन को कर्मचारियों के बारे में बताना चाहूंगा कि नियुक्ति श्रम विभाग में हाल ही में की गई है। जहां तक कोयला खानों का संबंध है, वहां कोयला खदान कल्याण अधिकारी और उसके अधीन दो निरीक्षक हैं - उनमें से एक महिला कल्याण निरीक्षक है। फिर, एक अकुशल मजदूर आपूर्ति निदेशक है। उसके अधीन तीन उप-निदेशक और चार सहायक निदेशक हैं।

(इस समय विपक्ष की ओर से भारी शोर और मेजें थपथपाने की आवाजें हुईं)

श्री अब्दुल कयूम : आपकी मांग एकदम रद्द हो जाएगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : खान मुख्य निरीक्षक के अधीन 20 अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, हमने केंद्र में एक मुख्य श्रम आयुक्त की नियुक्ति की है। उसके अधीन तीन उप-श्रमायुक्त हैं जो सभी कल्याण गतिविधियों के प्रभारी हैं।

फिर श्री जोशी ने कहा कि श्रम विभाग कार्रवाई करने में सदा पिछड़ा रहता है। यह देरी नियमों के कारण है। इस विषय में मुझे कहना है कि जिन परिस्थितियों में हम श्रम विभाग की गतिविधियां चला रहे हैं उनमें विलंब अवश्यंभवी हैं। हमें प्रांतीय सरकारों से परामर्श करना होता है, हमें श्रम संगठनों से परामर्श करना होता है, हमें मालिकों से परामर्श करना होता है। इस सब में अवश्य विलंब होता है। इसलिए मैं हीं समझता कि श्री जोशी के यह कहने का क्या मतलब है कि हम विलंब करते हैं।

श्री एन. एम. जोशी : उपाध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। आपकी व्यवस्था है कि सरकार का कोई सदस्य कितनी भी देर तक बोल सकता है। मैं अध्यक्ष से निश्चित व्यवस्था चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

श्री एन. एम. जोशी : श्रीमन्, मैं सदन का समय बचाना चाहता हूं। इसलिए मैं सदस्य की अनुमति चाहता हूं कि मुझे कटौती प्रस्ताव वापस लेने दिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि मेरे मित्र श्री जोशी ने मुझे बता दिया होता कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेने जा रहे हैं तो मैं इतनी देर न बोलता।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : श्री जोशी इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि वे माननीय सदस्य को यह बताते कि वे कटौती प्रस्ताव वापस लेने जा रहे हैं।

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

*खानों में महिलाओं को भूमिगत काम देने पर से हटाए गए प्रतिबंध को फिर लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेणुका राय : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

“कि श्रम विभाग की मांग में से सौ रुपए की कटौती की जाए।”

श्रीमन्, अगस्त, 1943 से जब से खानों में महिलाओं को भूमिगत काम देने पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाया गया है तब से ही देश में इस अवांछित काम का लगातार जोरदार विरोध किया जा रहा है। भारत सरकार इस बात से पूरी तरह अवगत है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय संकल्प का उल्लंघन किया है परंतु इसने बहुत आघात पहुंचाया है और विश्व जनमत का अनादर किया है।

एक साल पहले अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अनुरोध पर मैंने दुबारा तुरंत प्रतिबंध लगाए जाने की मांग में एक कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और बजट सत्र में मेरे माननीय मित्र श्री सुब्बारायण भी एक कटौती प्रस्ताव पर बोले थे। परंतु उस समय माननीय श्रम सदस्य की दलील थी कि यह एक बहुत अल्पकालिक उपाय है और अगले कटाई के मौसम तक ही चलेगा। उनका कहना था कि यह पूरे युद्धकाल के लिए नहीं की गई है, श्रमिकों के अभाव के कारण की गई है और अभाव दूर करने की व्यवस्था की जा रही है तथा श्रमिकों का अभाव दूर होते ही प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। श्रीमन्, एक साल बीत गया है पर मैं समझती हूँ कि रवैया और भी कड़ा हो गया है। माननीय श्रम सदस्य ने यह स्पष्ट ही कर दिया है कि उनका इरादा प्रतिबंध लगाने का नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्य सभी परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं और उन्हें इसका पूरा अहसास होगा कि जो दलीलें दी गई हैं वे निर्दयी पूंजीवादी मालिकों की ओर से दी गई दलीलें समझी जा सकती हैं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 2, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1463-66

इस समय अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) ने पुनः अपना आसन ग्रहण किया।

परंतु जिन पर मुख्यतः आम जनता के संरक्षण और कल्याण का दायित्व है वे इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं यह समझ में नहीं आता।

श्रीमन्, मैं सदन के सभी सदस्यों का समर्थन चाहती हूँ - सभी सदस्यों का, चाहे वे इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के। सरकारी और अन्य सभी दलों का, क्योंकि यह बहुत जायज मांग है जिसकी अनदेखी करना मानव शिष्टता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव रखती हूँ।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि श्रम विभाग की मांग में से सौ रुपए की कटौती की जाए।”

कुछ माननीय सदस्य : अब प्रश्न रखा जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे लिए इतने कम समय में इस कटौती प्रस्ताव पर समुचित प्रकाश डालना कठिन है। मैंने पिछली बार इस विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है उस पर मुझे बहुत अप्रसन्नता है और मैं आज भी उससे अप्रसन्न हूँ। किंतु परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसके अलावा कोई कदम उठाना असंभव था जो हमने उठाया। यदि सदन कुछ मिनट तक मेरी बात सुनने का धैर्य रखे तो

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं सदन को उन प्रासंगिक परिस्थितियों के विषय में बताऊंगा जिनके कारण हमें इस पर विवश होना पड़ा।

मैं शुरू में सदन को यह बताना चाहता हूँ कि कोयले की स्थिति क्या है। 1941 में कुल निकासी 29,381,000 टन थी। 1942 में वह गिर कर 29,270,000 टन हो गई और 1943 में यह मात्र 23,753,000 टन रह गई। इसी संकटपूर्ण वर्ष में यह कमी 6,62,80000 टन तक पहुंच गई। मैं यह बताना आवश्यक नहीं समझता कि कोयला बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उद्योगों की दृष्टि से भी और युद्ध प्रयत्नों के लिए भी। किसी भी सरकार के लिए यह असंभव था कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और उत्पादन में इतनी गिरावट की अपेक्षा कर दे, वह भी कोयले जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ की।

अगली जो बात जिस पर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह है इन वर्षों में शुरू की गई नई खदानों की संख्या। 1941 में खदानों की कुल संख्या 440 थी। 1942 में यह संख्या 670 हो गई और 1943 में वह 706 तक पहुंच गई। साधारण परिस्थितियों में 1943 में खदानों की बढ़ी हुई संख्या के बाद हमें उस मात्रा से बहुत अधिक कोयला मिलना चाहिए था जो हमें प्राप्त हुआ, परंतु हमारे सामने चिंताजनक स्थिति आई। एक ओर खदानों की संख्या में 366 की वृद्धि हुई तो दूसरी ओर कोयले के उत्पादन में 6,628,000 टन की कमी आ गई।

अब हम श्रमिकों की स्थिति पर दृष्टि डालें। 19541 में कोयला खदानों में श्रमिकों की संख्या 2,11,601 थी, 1942 में यह 2,08,742 थी और 1943 में यह संख्या 2,05,822 रह गई। नई खदानों के संदर्भ में यह एक अजीब हालत थी, अर्थात् खदानों की संख्या में वृद्धि परंतु श्रमिक संख्या में गिरावट। दरअसल यह कमी 4879 श्रमिकों की थी। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि वास्तविक तथ्य क्या है। यदि सदन को यह बताया जाए तो उसे अहसास होगा कि कोयला काटने वालों की जो संख्या 55691 थी, वह 1942 में घटकर 51438 रह गई। 1943 में वह और कम होकर 45306 ही रह गई। इस तरह 10385 की कमी आई। मैं सदन को यह बताने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता कि कोयले की संपूर्ण प्रक्रिया में कोयला काटने वालों का महत्वपूर्ण स्थान है। खदानों में कोयला काटने वालों के अभाव में अन्य श्रमिकों की भरमार से कोई लाभ नहीं क्योंकि वही मूल कार्य है। सारी समस्या का केंद्र यही है।

ये कोयला कटर कम क्यों हुए, वास्तव में सदन इससे भलीभांति अवगत है। जहां कोयला खदानें हैं, वहां विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बहुत संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें विभिन्न सैनिक कार्य, वैकल्पिक रोजगार शुरू हो रहे हैं। कोयला खानों की अपेक्षा वहां वेतन काफी अच्छे हैं। वैकल्पिक रोजगार में और भी लाभ हैं जैसे यह कार्य भूमि सतह पर होता है जो भूमिगत कार्यों की अपेक्षा निस्संदेह अधिक आकर्षक है। कोयला काटने वाले अपने कार्य की जगह भूमितल पर ही दूसरा काम करना इसलिए भी पसंद करते हैं कि वे अपनी पत्नियों को भी साथ रख सकते हैं और इस तरह अपनी और अपने परिवार की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। यदि वह खान में कार्य करता है तो वह स्त्रियों के खान में काम करने पर लगे प्रतिबंध के कारण अपनी पत्नी को मिलने वाले काम के लाभ से वंचित रह जाता है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि कोयला काटने वाले खानों को छोड़ रहे हैं और आसानी से मिलने वाले वैकल्पिक रोजगार तलाश कर लेते हैं।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोयला काटने वाले को वापस बुलाने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं कि उसे अवसर दिया जाए कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वेतन भी कमाए। हमसे कहा गया कि पुरानी स्थिति लाने का एक और साधन है - यदि हमें कोयला कटर को वापस बुलाना है तो हम उनका वेतन बढ़ा दें। इस मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगा कि इस तर्क में सीमित बल हैं, परंतु इसे लागू करना व्यर्थ होगा। कल मेरे मित्र श्री जोशी ने कहा कि इंग्लैंड में कोयला मजदूरों को अधिक वेतन दिया जाता है और यह उद्योग बहुत अच्छा वेतन देने वाले उद्योगों में है। निस्संदेह यह सही है। किन्तु श्री जोशी एक वास्तविकता भूल गए कि इंग्लैंड में भी जहां कोयला श्रमिकों को इतना अधिक वेतन दिया जाता है, वहां भी कोयला खदान मजदूरों का अभाव है। इसलिए श्रीमन्, बात यह है कि यह जो उपाय बताया गया है पूरी तरह प्रभावशाली नहीं है। हमारी समझ में इस बदतर और बहुत गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जो उपाय किया गया है वही एक उपाय बचा था।

सरकार के फैसले के बारे में एक और मुद्दा उठाया गया है। मैं ईमानदारी से उस पर बताऊंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें वजन भी है। मैंने सदा इस बात पर विचार किया कि इंग्लैंड में कोयले का अभाव है और अन्य देशों में जब स्त्रियों को भूमिगत कार्यों में क्यों लगाएँ? इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहला यह कि इंग्लैंड जैसे देशों में जहां स्त्रियां को भूमिगत कार्यों में नहीं लगाया जाता वहां उनके लिए वैकल्पिक कार्य हैं। वे पुरुषों पर जोर डाल सकती हैं और डालती भी हैं कि वे कोयला खदानों में कार्य करें। मैंने हाल ही में एक समाचार पढ़ा था कि 1941 में बेल्जियम में पुरुषों का सेना के लिए भर्ती किया गया, परंतु इसके बजाए उन्हें वहां की सरकार ने कोयला खदानों में भेज दिया। सदन को यह अहसास होगा कि वह अधिकार हमारे पास नहीं हैं और इसलिए हम समस्या का वह निदान नहीं निकाल सके।

श्रीमन्, मेरा दूसरा उत्तर इस प्रकार है। ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऐसे अन्य देशों में स्त्रियों के भूमि के अंदर काम करने की परंपरा नहीं है। उनकी स्त्रियां यह कार्य करती थीं, किन्तु 60-70 साल पहले। मैं सदन से अपील करता हूँ कि वह वास्तविक रवैया अपनाएं। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हमारे देश में 1937 तक स्त्रियां कोयला खानों में काम करती थीं? क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे देश में आठ वर्ष पहले तक स्त्रियां कोयला खदानों में काम करती थीं? क्या भारत में कोई कह सकता है कि जैसाकि इंग्लैंड के लोग कहते हैं, कि उनकी महिलाओं ने जमीन के भीतर एक शताब्दी से काम नहीं किया है और इसलिए यह नई बात है।

मैं समझता हूँ कि जिस माननीय महिला ने कटौती प्रस्ताव पेश किया है वह उन विचारों को भूल गई है। जो 1934 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में प्रकट किए गए थे। मैं उन्हें सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। भारत सरकार ने 1929 में महिलाओं के जमीन के अंदर कार्य करने बंद करने के व्यावहारिक कदम उठाए थे और, जैसाकि सदन को याद होगा, एक व्यवस्था की गई थी जिससे कि महिलाएं उस कार्यक्रम के अनुसार 1937 से खान में भूमि के अंदर काम नहीं कर सकती हैं। यह सम्मेलन के काफी पहले की बात है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का क्या रुख था? मुझे पता चला कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने 26 दिसम्बर, 1934 को इस पर विचार किया। मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है (श्रीमती रेणुका राय द्वारा व्यवधान) कृपया बीच में न बोलें। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई और मैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा भारत सरकार के कदम पर प्रकट किए गए विचारों से संबद्ध दो वाक्य पढ़ना चाहता हूँ। मैं पृष्ठ 53 से पढ़ता हूँ। रिपोर्ट में पहले इसके लाभ और फिर हानियां बताई गई हैं। रिपोर्ट में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वह महिला जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा नियुक्त समिति की सदस्य थीं शुरू में ही यह कहा गया है :-

“महिलाओं को जमीन के भीतर काम करने से रोकने पर हमारी धारणा है कि कुल मिलाकर यह उन दशाओं के अनुकूल नहीं है जिसमें खनिज रहते हैं।”

रिपोर्ट में उन्होंने अंत में कहा :

“यदि मौजूदा हालात में महिलाओं को भूमितल से नीचे काम करने से रोका गया तो खनिकों के परिवारों के लिए जो संकट पैदा होगा वह स्त्रियों के भूमिगत काम करने से बढ़कर होगा।”

(श्रीमती रेणुका राय द्वारा व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य बीच में रुकावट के लिए तैयार नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, यह सच है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अधिवेशन में उपरोक्त निष्कर्ष निकाला गया, इस सत्य के बावजूद कि भारत सरकार के निर्णय पर उन्हें गहरी आपत्ति थी, उन्होंने निश्चय किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन का समर्थन करेंगी। 1935 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने जो रुख अपनाया वह उसके 1934 के रवैये से इतना भिन्न उक्त कंवेंशन के कारण था और मुझे विश्वास है कि यदि 1935 में अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन पास नहीं होता तो

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भारत सरकार के उस फैसले के विरुद्ध आंदोलन जारी रखता कि महिलाओं की कोयला खानों में नियुक्ति रोक दी जाए। मैं यह नहीं कहता कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने जो अपना रवैया बदला उसके पीछे कोई दुर्भाव था, परंतु मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि इस साल के भीतर लोगों के नैतिक और राजनैतिक विचारों में इतना क्रांतिकारी बदलाव हो गया कि वे उस कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं जो आपात स्थिति समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा।

श्रीमन्, मुझे बताया गया है कि कोयला खानों के अंदर काम करने वाली स्त्रियों की संख्या केवल 15000 है और वे अधिक कोयला उत्पादन करने में असमर्थ रही हैं। तब भारत सरकार 15000 को भूमिगत कार्यों पर लगाने पर क्यों जोर देती है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। पहली बात तो यह

श्री सामी वेंकटचलम चेट्टी : क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय श्रम सदस्य कोई पक्का आश्वासन देंगे कि वे उन्हें काम पर लगाए रहेंगे, चाहे लोकमत कुछ भी क्यों न हो?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि माननीय सदस्य के विचार मेरे प्रति ऐसे दुर्भाग्यवश हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें अधिकार है कि वे मेरे बारे में जो चाहें सोचें और मुझे भी स्वतंत्रता है कि मैं उनके विषय में अपनी राय रखूँ। मैं नहीं समझता कि हमें सदन में अपनी राय प्रकट करनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि हम महिलाओं को भूमिगत कार्यों में क्यों लगाते हैं। इसके तीन कारण हैं। पहली बात तो यह कि इन परिस्थितियों का अहसास किया जाए जिनमें हम आज हैं। हम उनके भूमि के नीचे काम करने को महज उसकी एक इकाई के रूप में नहीं देख सकते। उसमें एक संभाव्यता है, यदि वह काम के लिए जाती है.....

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं 20 मिनट से अधिक नहीं बोला हूँ।

पहला परिणाम तो यह होगा कि यदि स्त्रियां कोयला खदानों से चली जाएंगी तो कोयला काटने वाले कटर भी खान छोड़ देंगे और स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। दूसरा परिणाम यह होगा कि कोयला खानों में उपस्थिति और कम हो जाएगी। और तीसरे, कोयला कटर और भी कम हो जाएंगे क्योंकि कोयला कटरों को ढलाई का

काम करना पड़ेगा जिसे अब स्त्रियां करती हैं। यह कहना सही नहीं है कि स्त्रियां अधिक काम नहीं कर पातीं और मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा.....

कई माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसाकि मैंने कहा, हम स्त्रियों को उस समय एक मिनट के लिए भी भूमिगत कार्य नहीं करने देंगे जब तक यह नितांत आवश्यक नहीं होगा। जैसाकि सदन अवगत है, स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने गोरखपुर से श्रमिक बुलाए हैं, हमने मशीनों का आयात किया है और हमने कई और कार्य किए हैं।

(पांच बज गए)

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न है :

“कि श्रम विभाग की मांग में से 100 रुपए की कटौती की जाएं”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*श्रम विभाग

माननीय सर जेरेमी राइसमैन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि 31 मार्च, 1945 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान श्रम विभाग के संबंध में किए जाने वाले भुगतानों के लिए 2,40,000 रुपए से अनधिक की अनुपूरक राशि गवर्नर जनरल इन कौंसिल को प्रदान की जाए।”

सभापति महोदय (सैयद गुलाम भिक नैरंग) प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

* * * * *

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : जैसाकि मेरे मित्र प्रो. रंगा शायद जानते हैं, पिछले वर्ष भारत सरकार ने कोयला खान कल्याण उपकर के नाम से कोयले पर उपकर लगाया था जो तैयार कोयले पर 4 आना प्रति टन के हिसाब से वसूल किया जाता है। इसी कारण इस कोयला कोष के प्रशासन के लिए कोयला खान कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोयला खान कल्याण कोष का संचालन एक समिति द्वारा होता है। समिति ने मालिकों और कोयला खदान श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि और बिहार तथा बंगाल प्रांतों के प्रतिनिधि रखे गए हैं। और इसके अध्यक्ष श्रम विभाग के सचिव हैं। समिति कुल मिलाकर एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका अपना बजट है जो कोयला आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। यह समिति के सामने पेश किया जाता है और कोयला खान कल्याण सचिव खर्च के लिए अधिशासी अधिकारी हैं। मलेरिया, जल आपूर्ति, चिकित्सा और कोयला कल्याण संबंधी सभी प्रश्नों पर समिति विचार करती है।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : क्या आप किसी प्रकार का नियंत्रण रखते हैं?

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 3, 27 मार्च, 1945, पृष्ठ 2138-41

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, मैं नियंत्रण रखता हूँ क्योंकि श्रम विभाग का सचिव इसका अध्यक्ष है। बजट विचार के लिए हमारे पास आता है। जब वह पारित हो जाता है तो और संशोधन के लिए समिति के पास भेज दिया जाता है।

श्रम आयुक्त के बारे में मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र प्रोफेसर रंगा को पता होगा कि सभा प्रांतीय सरकारों में श्रम आयुक्त हैं। उनके अधीन उनके अपने समझौता अधिकारी और श्रमिकों के मामलों को देखने वाले अधिकारी हैं। भारत सरकार में यह अनुभव किया गया कि चूँकि उसके अधिकार में भी कुछ उपक्रम हैं इसलिए यह वांछित होगा कि भारत सरकार के भी वैसे ही और संगठन हों जो इन केंद्रीय उपक्रमों में लगे कर्मचारियों के कल्याण कार्यों को देखें। परिणामस्वरूप, हमने अभी यह संगठन स्थापित किया है। इस संगठन का प्रधान भारत का मुख्य श्रम आयुक्त है। शेष भारत को तीन भागों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र का एक उप श्रम आयुक्त होगा। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर रंगा जानना चाहेंगे कि हमने इस नए संगठन का लाभ उठाते हुए समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे श्रम सुपरवाइजर सहित केंद्रीय उपक्रमों के कार्य को समेकित कर दिया है। जो श्रम कल्याण अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग कार्य कर रहे थे और सीधे भारत सरकार के अधीन थे वे अब इन भिन्न-भिन्न श्रम आयुक्तों के अधीन होंगे। इसी प्रकार जो रेलवे निरीक्षक रेलवे समझौता अधिकारी के अंतर्गत अलग से काम कर रहे हैं और वेतन भुगतान अधिनियम तथा काम के घंटों का नियंत्रण करते हैं उन्हें भी नए कार्यक्रम के अधीन लाया जा रहा है और हमने एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार कर लिया है।

जहां तक श्रम जांच समिति का संबंध है, मैं समझता हूँ कि यह ध्यान रखा जाएगा कि गत वर्ष, बल्कि 1943 में, त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि भारत सरकार बेबरिज रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा उपाय अपनाए। तब यह अनुभव किया गया कि ऐसा कार्यक्रम बनाने से पूर्व एक तथ्य अन्वेषण समिति बनाई जाए जो सभी प्रश्नों पर विचार करे जैसे आवास, वेतन, स्वच्छता स्थिति, और श्रम कल्याण से संबद्ध अन्य कार्यों को देखे और जब तथ्यों का पता लग जाए तो भारत सरकार इस अनुसंधान समिति के सुझावों के अनुसार ऐसे सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करेगी। यह समिति लगभग सात महीने से काम कर रही है और इसकी रिपोर्ट जून या जुलाई में मिल जाने की आशा है। जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो जांच के दूसरे भाग का कार्य शुरू किया जाएगा और वे तथ्य त्रिपक्षीय सम्मेलन के सामने रखे जाएंगे। दूसरी समिति में भी पहली समिति की तरह मालिकों, कर्मचारियों और प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधियों को रखा जाएगा।

अकुशल श्रम आपूर्ति के संबंध में स्थिति यह है। पता चला है कि विभिन्न ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा है और अपने लिए अधिक मजदूर जुटाने के लिए वे निर्धारित दरों से अधिक मजदूरी ले लेते हैं और दूसरे ठेकेदारों के लिए संकट उत्पन्न कर देते हैं। परिणाम यह है कि जहां एक जगह फालतू मजदूर रख लिए जाते हैं वहीं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी पड़ जाती है जिससे सैनिक कार्यों के लिए मजदूरों की बहुत कमी हो गई है। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि श्रम शक्ति बनाए रखने की आवश्यकता है और इसके लिए पहला कदम यह उठाया गया है कि एक अकुशल मजदूर आपूर्ति समिति बनाई गई है। इसके अनुसार जो ठेकेदार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मजदूरों को ले जाना चाहते हैं वहां वे काम नहीं करते हैं तो उन्हें उस समिति को आवेदन देना होगा और आपूर्ति समिति द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने पर ही वह अन्य क्षेत्रों में मजदूर ले जा सकते हैं। ऐसे कई श्रमिकों की भर्ती के लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना को चलाने वाला एक ठेकेदार होता है। मैं इस योजना का पूर्ण विवरण इस समय नहीं दे सकता परंतु यदि मेरे मित्र चाहें तो वे अल्प सूचना प्रश्न डाल सकते हैं जो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ और इस विषय पर सूचना दूंगा।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण (मदुरा और रामनाद-तिन्नेवलि : गैर मुस्लिम ग्रामीण) श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने एक लंबा बयान देकर प्रो. रंगा और उनके सार्थियों को सूचना दी। परंतु मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक आवश्यक प्रश्न पर सूचना नहीं दी कि कोयला आयुक्त महिलाओं के भूमि के नीचे कार्य करने पर दुबारा प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा या नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा विश्वास है कि यह उसका कार्य नहीं है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोयला आयुक्त अथवा समिति इस बात पर विचार करेगी या नहीं कि इस समय खदानों में जो श्रम स्थिति है वहां महिलाओं को अभी और भूमिगत काम करने की इजाजत रहेगी? क्या स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए ऐसी खानों में काम करना घातक नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला उनके अंतर्गत नहीं आता।

श्री अब्दुल कयूम : फिर उनकी क्या आवश्यकता है?

श्री एन. एम. जोशी : (मनोनीत गैर-सरकारी) : जैसा मैं समझता हूँ, जो समिति नियुक्त की गई है उसका काम तथ्यों का पता लगाना है और निश्चित रूप से यह समिति इस प्रश्न पर भी तथ्यों का पता लगाएगी कि महिलाओं को खान के नीचे काम करने दिया जाए या नहीं और हर प्रश्न पर

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने समझा कि श्रीमती राधाबाई सुब्बारायण कोयला आयुक्त और उसके कार्यों की बात कर रही है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : और उस समिति की जिसका जिक्र माननीय मित्र ने किया था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, हां वह कर सकती है।

श्री एन. एम. जोशी : मेरा विचार है कि समिति प्रत्येक प्रश्न पर विचार करेगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने सोचा वे कोयला आयुक्त की बात कर रही है।

श्री एन. एम. जोशी : महिलाओं पर लगी पाबंदी को हटाने और श्रमिक संबंधी सभी प्रश्नों पर। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह धन स्वीकार कर लिया जाए।

सभापति महोदय (सैयद गुलाम भिक नैरंग) प्रश्न है :

“कि 31 मार्च, 1945 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान श्रम विभाग के संबंध में किए जाने वाले भुगतानों के लिए 2,40,000 रुपए से अनधिक की अनुपूरक राशि गवर्नर जनरल इन कौंसिल को प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*खदान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जो श्री एम. अनंत शयनम आयंगर, प्रोफेसर एन. जी. रंगा, श्री के. बी. जिनराजा हेगडे, मौलाना जफर अली खां, सर सैयद रजा अली, श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, श्री एन.एम. जोशी, राव बहादुर एन. शिवराज, श्री एच. जी. स्टोक्स, श्री एस.सी.जोशी और प्रस्तावक द्वारा गठित हो तथा जिसे निर्देश हो कि वह अपना प्रतिवेदन सोमवार 2 अप्रैल, 1945 तक दे और बैठक के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या पांच होगी।”

श्री बन्नीदत्त पांडे (रुहेलखेड और कुमाऊं मंडल : गैर मुस्लिम देहात) : इसमें कोई महिला सदस्य क्यों नहीं हैं?

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेदिट्टयार (सेलम और कोयम्बटूर व उत्तरी अर्काट : गैर-मुस्लिम देहात) : मैं श्रीमती सुब्बारायण के नाम का सुझाव देता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र बाद में संशोधन रख सकते हैं, मैं उसे देख लूंगा।

जैसाकि सदन अवगत है, खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, जो 1941 में पारित किया गया था, पहले से ही मौजूद है। इस विधेयक का उद्देश्य उस अधिनियम में संशोधन करना है। इस संशोधन को लाना क्यों आवश्यक है, यह मैं संक्षेप में बताता हूँ।

जब 1941 का अधिनियम पारित किया गया था, जो इसका उद्देश्य धरातल पर काम करने वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाना था। जैसा मैं कई बार सदन को बता

चुका हूँ, दुर्भाग्य से हमें कोयला खदानों में महिलाओं को भूमि के नीचे काम करने की अनुमति देनी पड़ी। मैं कह चुका हूँ कि यह व्यवस्था अस्थायी है और मुझे आशा तथा विश्वास है कि सरकार इस पर फिर जल्दी ही प्रतिबंध लगा देगी। परंतु इसके बावजूद कि प्रतिबंध अस्थायी रूप से ही हटाया गया है, हमने यह अनुभव किया कि इस सदन में तथा बाहर हुई आलोचनाओं के मुद्देनजर यह आवश्यक है कि अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि भूमि के नीचे काम करने वाली गर्भवती स्त्रियों का मामला अनुकूल बन सके। धरातल के नीचे काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति लाभ मिले, यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

इस विधेयक में मुख्यतः दो व्यवस्थाएं हैं अधिनियम में पहले से ही प्रावधान है कि प्रसव के बाद महिलाएं चार सप्ताह तक काम पर न जाएं। अब हमारा प्रस्ताव है कि सतह के नीचे काम करने वाली महिलाओं को प्रसवपूर्व भी काम पर न लगाया जाए। यह अवधि दस सप्ताह की होगी जिससे कि वर्तमान विधेयक के अनुसार महिलाएं प्रसव से दस सप्ताह पहले से धरातल के नीचे काम नहीं कर सकतीं। इसी प्रकार उसे आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रावधान भी है। यह लाभ उन्हें प्रसवपूर्व और इसके पश्चात की अवधियां मिलाकर 14 सप्ताहों तक बारह आना प्रतिदिन मिलेगा अर्थात् दस सप्ताह प्रसव से पूर्व और चार सप्ताह प्रसव के उपरांत। यह लाभ प्राप्त करने की शर्त है कि 6 महीने की अवधि में उसने 90 दिन धरातल के नीचे कार्य किया हो। विधेयक के ये मुख्य प्रावधान हैं।

श्रीमन्, मुझे लगता है कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जो पटल पर रखे गए हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ संशोधन के विषय में विचार किया। उनमें से कुछ को तो मैं सरकार की ओर से रखना चाहता था, परंतु क्योंकि समय बहुत कम है और मामला अविलंबनीय महत्व का है, इसलिए मैं समझता हूँ इसे प्रवर समिति में रखा गया तो सभी संबद्ध व्यक्तियों के हितों को पूरा किया जाएगा। इस तरह जो संशोधन मेरे मन में हैं और पटल पर रखे गए हैं उन पर आमने-सामने बैठकर विचार कर लिया जाएगा। इसी कारण मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए (जो मूल रूप से मेरा विचार नहीं था) मैं इस विधेयक पर अधिक नहीं बोलना चाहता। इसके साथ ही मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मेरा यह विचार नहीं है कि जो बहस में माननीय सदस्यों ने कहा है कि उसके जबाब में उस पर और अधिक कुछ

कहूं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि मैं वक्ताओं की भावनाओं को समझता हूं जिनमें दो प्रश्न उठाए गए हैं। वे हैं स्त्रियों को धरातल के नीचे काम पर लगाने का और विधेयक पर उठे प्रश्नों को अलग-अलग लिए जाने का और मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि वक्ताओं ने उन्हें अलग-अलग ही उठाया है। उन्होंने विचार प्रकट किया और स्त्रियों को धरातल के नीचे काम पर लगाए जाने के गुणावगुणों पर प्रकाश डाला। सरकार का विचार पहले ही बनाया जा चुका है और मुझे उन विचारों पर कोई विवाद नहीं उठाना है जो सरकार के विरुद्ध व्यक्त किए गए। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि सभी वक्ताओं ने इस विधेयक को आवश्यक समझा है और मुझे आशा है कि मुझे वैसा ही सहयोग मिलता रहेगा जैसा सदस्यों ने इस समय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) प्रश्न है :

“कि खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जो श्री एम. अनंत शयनम आयंगर, प्रोफेसर एन.जी. रंगा, श्री के. बी. जिनराजा हेगड़े, मौलाना जफर अली खां, सर सैयद रजा अली, श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, श्री एन.एम. जोशी, राव बहादुर एन. शिवराज, श्री एच. जी. स्टोक्स, श्री एस.सी.जोशी और प्रस्तावक द्वारा गठित हो तथा जिसे निर्देश हो कि वह अपना प्रतिवेदन सोमवार 2 अप्रैल, 1945 तक दे और बैठक के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या पांच होगी।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कारखाना (दूसरा संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।”

श्रीमन्, प्रवर समिति का प्रतिवेदन काफी समय से सदन के समक्ष है। मुझे संदेह नहीं कि इस विषय में रुचि रखने वाले सदस्यों ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पढ़ लिया है और इसे हृदयंगम कर लिया है। मैं प्रस्तुत विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा किए गए कतिपय आधारभूत परिवर्तनों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा। प्रवर समिति ने कुल मिलाकर पांच महत्वपूर्ण और मूलभूत परिवर्तन किए हैं। पहला परिवर्तन जो प्रवर समिति ने किया है वह कर्मचारी को मिलने वाले संवैतनिक अवकाश के अधिकार की रक्षा करना है, जो अधिनियम में विद्यमान नहीं है। वह छुट्टियां जिन्हें प्रत्यावर्तन में मान्यता प्राप्त है या सेवा संविदा समझौते में वर्णित हैं उनके बारे में प्रावधान मूल विधेयक में नहीं था। परंतु अब धारा 49 'क' की उपधारा (2) के जरिए इसकी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा परिवर्तन जो प्रवर समिति द्वारा किया गया है वह बच्चों के लिए भी संवैतनिक अवकाश की व्यवस्था है जो सदन में प्रस्तुत मूल विधेयक में नहीं थी। प्रवर समिति ने न केवल अवकाश लाभ बाल श्रमिकों को भी उपलब्ध कराया है बल्कि उनकी छुट्टी के दिनों की संख्या भी बढ़ा दी है। वयस्क को सात दिन की छुट्टियां मिलेंगी किंतु बालकों को 14 दिन का अवकाश मिलेगा। माननीय सदस्य यह प्रावधान धारा 49 'ख' में देख सकेंगे, फिर, सदन को याद होगा कि जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो ऐसे कर्मचारियों के मामलों में कोई व्यवस्था नहीं थी जिनका अवकाश अर्जित नहीं हुआ हो अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो और वे कार्यमुक्त कर दिए गए हों इसलिए वे अवकाश के पात्र नहीं रहते। मैंने कहा था कि इस पर कालांतर में

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 3, 29 मार्च, 1945, पृष्ठ 2270-71

सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। प्रवर समिति का विचार था कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है कि विधेयक में इसका प्रावधान किया जाए। तदनुसार, प्रावधान कर दिया गया है।

विधेयक में एक अन्य नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। वह है कि जो कर्मचारी अपना अवकाश नहीं ले सका है या उसको अवकाश के बदले वेतन नहीं मिल पाया है, तो कर्मचारी के हित रक्षण के लिए निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। प्रवर समिति ने अहसास किया कि उसे अपने कानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मालिक पर जो उसे लाभ उपलब्ध कराने में विफल रहा है फौजदारी या दीवानी का मुकदमा अपने खर्च से चलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार का दायित्व है कि वह देखे कि कर्मचारी को लाभ मिले। अब निरीक्षक को अधिकार देने से यह संभव होगा कि वह कर्मचारी की ओर से कदम उठा सकेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जो प्रवर समिति ने किया है वह नियम बनाने से संबंधित है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मूल विधेयक में नियम बनाने के अधिकार प्रांतों पर छोड़ दिए गए थे। अब प्रवर समिति में यह अनुभव किया है कि यदि नियम बनाने के अधिकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिए जाएंगे तो वे भिन्न-भिन्न नियम बनाएंगी; इससे एक ही अधिनियम के भिन्न-भिन्न नियम हो जाएंगे और इसका विभिन्न उद्योगों पर निस्संदेह गंभीर प्रभाव पड़ेगा। एक राज्य में किसी उद्योग पर कोई नियम लागू है, तो दूसरे राज्य में अलग नियम लागू होंगे और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यह अवांछनीय होगा। इसलिए प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि नियम बनाने के बारे में भारत सरकार को चाहिए कि वह प्रांतीय सरकारों के नियमों के संबंध में निर्देश दे ताकि एकसमान नियम रचना की इच्छा और उद्देश्य की पूर्ति हो सके। प्रवर समिति में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप ये कुछ बुनियादी सिद्धांत विधेयक में शामिल किए गए हैं शेष प्रावधान कुल मिलाकर ऐसे ही हैं जो मूल विधेयक में थे और उन पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अखिल चंद्र दत्त) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।”

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मैं नहीं समझता कि मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं उन सभी मुद्दों पर बोलूँ जो इस विधेयक पर सदस्यों ने उठाए

हैं, खासतौर से इसलिए कि मैंने देखा है कि वह प्रत्येक मुद्दा संशोधन के अधीन आ जाता है। परिणामस्वरूप, बहस दुबारा हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता। मुझे जो कहना होगा तभी कहूंगा जब विभिन्न मुद्दों पर यथोचित संशोधन पेश किया जाएगा।

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि उन संशोधनों को स्वीकार करना संभव नहीं है कि जो श्री जोशी अथवा प्रोफेसर रंगा ने पेश किए हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि यदि किसी कर्मचारी ने वांछित सेवा काल पूरा कर लिया है तो उसे छुट्टियों का अधिकार प्राप्त हो, चाहे उसने एक मालिक की नौकरी की हो अथवा अधिक की। परंतु दो तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रशासनिक व्यावहारिता। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन मामलों में बीमे की राशियों का भुगतान मालिक द्वारा किया जाना है और उसके प्रयोजन के लिए कोई कोष बना हुआ है, उस दशा में, यदि मैं अपने मित्रों का संशोधन स्वीकार कर लूँ, तब इस प्रावधान की क्रियान्वित संभव नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाती है तो उसका आधार कार्ड टिकट प्रणाली या कोई अन्य प्रशासनिक व्यवस्था होगी और तब उनका संशोधन स्वीकार करना संभव होगा। परंतु फिलहाल मेरा कहना है कि मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता।

मेरा निवेदन है कि सदन अथवा प्रवर समिति की इच्छा थी कि विधेयक के लागू होने की कोई तिथि निश्चित कर दी जाए। मेरे माननीय मित्रों को याद होगा कि मूल विधेयक में हमने इसके परिपालन की तिथि प्रांतों पर छोड़ दी थी। परंतु हमने उस प्रक्रिया को त्याग दिया है और यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया है कि इस विधेयक में ही उस तिथि का उल्लेख कर दिया जाए जब से इसे लागू किया जाना है। इस विधेयक में वह तिथि पहली जनवरी, 1946 निश्चित की गई है इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विधेयक के परिपालन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता है वह पहली जनवरी तक या इससे पूर्व स्थापित कर दिया जाए। किन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि भारत सरकार अथवा प्रांतीय सरकारें ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ हैं जो इन दोनों संशोधनों द्वारा अपेक्षित हैं। जैसा कि मैंने कहा है, मेरी इस पर सहमति है, परंतु प्रशासनिक कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि इस समय मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ेगा।

प्रोफेसर एम. जी. रंगा : क्या मैं एक सुझाव रख सकता हूँ? यदि यह सरकार को स्वीकार्य हो तो, अन्यथा नहीं। यदि हम प्रस्तावित संशोधन की पहली पंक्ति

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 3, 29 मार्च, 1945, पृष्ठ 2280

से शब्द “अथवा विविध प्रबंधों” हटा दें और केवल इतना रहने दे “अथवा उन्हीं प्रबंधकों के कारखाने”।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे लिए इस सब में कठिनाई है, मैंने इस पर गौर कर लिया है।

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य)** : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि जिन्होंने ये संशोधन प्रस्तुत किए हैं अथवा इनका समर्थन किया है उन्होंने कोई बहुत न्यायसंगत कार्य किया है। हमारे मानक उपाय वही रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में स्वीकार किए गए हैं और सदन को स्मरण होगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में रखा जाना है। उस दृष्टिकोण से देखने पर मैं स्वीकार नहीं करता, न ही कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने जो मानक निर्धारित किया है प्रस्ताविक विधेयक में उससे कम की व्यवस्था है। अपनी ओर से मैं एक और कठिनाई का उल्लेख करूंगा। माननीय सदन को याद होगा कि श्रम कानून बनाने का विषय समवर्ती सूची में है। इन उपायों को कार्यान्वित कराना प्रांतीय सरकारों के अधीन है जिनके लिए प्रशासनिक अधिकारी की संविधान में व्यवस्था है। इसके अनुसार एक परंपरा स्थापित हुई है कि जहां तक समवर्ती कानूनों का प्रश्न है, उन पर हम जो भी उपाय करें उन पर प्रांतीय सरकारों की सहमति होनी चाहिए। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो समयावधि निर्धारित की गई है वह प्रांतीय सरकारों से परामर्श करने के बाद नियत की गई है। फिर भी मैं संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूँ और मैं उसका कारण बताना चाहूंगा। जो इस संशोधन को स्वीकार करने के विषय में मेरे विचार में आया। मेरी समझ में जो कारण आया है वह भौगोलिक कारण है। मैं अहसास करता हूँ कि औद्योगिक केंद्रों और जनसंख्या स्रोतों में बहुत फासला है। एक फैक्ट्री बंबई में लगाई गई है, श्रमिक संयुक्त प्रांत अथवा मध्यप्रांत में रहते हैं और उन्हें काम के लिए दूर आना पड़ता है। इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती है, मैं सोचता हूँ कि शायद एक छोटा सा अंतर प्रस्तावित विधेयक में लाया जा सकता है। इसी आधार पर मैं संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूँ। साथ ही मैं एक और शर्त रखता हूँ। मैंने देखा है कि प्रो. रंगा और श्रीमती सुब्बारायन के नाम से एक अन्य संशोधन है जिसका उद्देश्य “कम से कम” शब्द जोड़ने का है, जिसे प्रवर समिति ने हटा दिया था। इन शब्दों को विसंगति उत्पन्न होगी। मैं ऐसे मामलों में एकरूपता के सिद्धांत को बुनियादी मानता हूँ और इसलिए मेरी स्थिति यह है कि जिन्होंने यह संशोधन किया है वे, मैं आशा करता हूँ, इसे त्यागने पर सहमत हो जाएंगे। मैं “दस दिन” वाला संशोधन मानने के लिए तैयार हूँ।

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 4, 2 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2315-16

प्रो. एन. जी. रंगा : (गुंटूर और नैल्लौर : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : हम दूसरा संशोधन छोड़ने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न है :

“कि विधेयक के खंड तीन में प्रस्तावित धारा 49ख की धारा 34 धारा (1) और (2) में, “सात” के स्थान पर “दस” कर दिया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस संबंध में एक आनुषंगिक संशोधन होना है कि उपखंड (2) में “सात” के स्थान पर “दस” हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : मैं समझता हूँ कि इस बारे में माननीय सदस्य कोई उपयुक्त संशोधन रखें। यह बाद में भी हो सकता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उपधारा (2) में, प्रथम पंक्ति में “सात” के स्थान पर “दस” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : इस बारे में एक औपचारिक संशोधन लाया जाना चाहिए।

* * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे माननीय मित्र श्री इसकिप ने कहा है कि बीमारी की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा होता है कि हम बीमारी की परिभाषा कर सकते। मैंने स्वास्थ्य बीमा अधिनियम में तलाश किया, और मुझे पता चला कि बीमारी की कोई परिभाषा नहीं है इसका सीधा सा कारण यह है कि बीमारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह प्रमाणीकरण का मामला है। यदि कोई चिकित्सक कहता है कि फलां व्यक्ति बीमार है तो सभी को यह परिभाषा माननी होगी। यदि मेरे माननीय मित्र का कहना यह है कि प्रमाणपत्र का कोई तरीका होना चाहिए तो मैं उनकी शिकायत को समझ सकता हूँ। परंतु इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उनकी शिकायत का कोई आधार नहीं है क्योंकि हमारा विचार ऐसे नियम बनाने का है जिनके अनुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति प्रमाणपत्र देने के अधिकारी होंगे, उनकी योग्यता निर्धारित की जाएगी। मुझे आशा है कि परिणामस्वरूप ऐसी कोई आशंका नहीं रहेगी कि ऐसे चिकित्सक लाभ उठा पाएंगे जो आमतौर पर लोगों का इलाज

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 4, 2 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2318

नहीं करते, मात्र झूठे प्रमाणपत्र देते हैं। मुझे आशा है कि ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि यह संकट दूर हो जाएगा। इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कठिनाई इसलिए है कि मेरे माननीय मित्र का कहना है कि बीमारी के बारे में केवल प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए बल्कि मालिकों को यह छूट दी जाए कि वे फैसला दबा कर बैठे रहें, चाहे प्रमाण-पत्र दे भी दिया गया हो, प्रमाण-पत्र के बावजूद, वह चाहे तो छुट्टी स्वीकार करे या न करे। मैं कहूंगा कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार भागीदार नहीं बन सकती। सरकार मालिक को यह छूट नहीं दे सकती कि वह कह दे कि नियमों में डॉक्टरों की जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उसके प्रमाणपत्र को मानना या न मानना मालिक पर निर्भर है, और इसी कारण मैं इस संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

मेरे माननीय मित्र ने एक और बात कही है कि हमने उनकी सभी तीन आकस्मिकताओं अर्थात् बीमारी, दुर्घटना और अधिकृत छुट्टी के बारे में नब्बे दिन की सीमा निर्धारित कर दी है। परिणामतः कर्मचारी का बीमारी का बहाना अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता क्योंकि तीनों आकस्मिकताओं के लिए हमने नब्बे दिन की सीमा बांध दी है और यदि नब्बे दिन की सीमा बीत जाती है, तब कानूनी लाभ की पात्रता समाप्त हो जाएगी। इन परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं संशोधन का विरोधा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न है :

“कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित धारा 49 (ख) के अंत में स्पष्टीकरण में शब्द ‘बीमारी, दुर्घटना अथवा अधिकृत छुट्टी’ के स्थान पर ‘बीमारी, दुर्घटना अथवा सहानुभूतिक कारणों से स्वीकृत छुट्टी’ प्रतिस्थापित किए जाएं।”

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

*खदान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।”

श्रीमन्, मैं मानता हूँ कि विधेयक प्रवर समिति ने उल्लेखनीय संशोधन किए हैं। इसके संदर्भ में यह उचित होगा कि विधेयक में किए गए कुछ परिवर्तनों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊँ जो प्रवर समिति ने किए हैं।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुरहीम) फिर पीठासीन हुए)

प्रवर समिति ने जो पहला परिवर्तन किया है कि वह गर्भवती स्त्री को धरातल के नीचे कार्यों पर भेजे जाने की अवधि संबंधी प्रतिबंध है। मूल विधेयक में प्रसूति से 10 सप्ताह पूर्व और प्रसूति के चार सप्ताह बाद तक प्रतिबंध था। प्रवर समिति ने मूल से प्रसूति पूर्व की प्रस्तावित अवधि में परिवर्तन नहीं किया है परंतु प्रसूति उपरांत की अवधि में जो परिवर्तन किए गए हैं कि वे व्यापक हैं। यह प्रतिबंध अवधि चार सप्ताह से बढ़ाकर छत्तीस सप्ताह कर दी है। छत्तीस सप्ताह की अवधि के दो चरण हैं। पहला है, पूर्ण प्रतिबंध और दूसरा चरण है आंशिक प्रतिबंध। पूर्ण प्रतिबंध की अवधि प्रवर समिति ने बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह कर दी है। आंशिक प्रतिबंध की अवधि दस सप्ताह है। आंशिक अवधि के भी दो भाग हैं जो शिशु गृह की सुविधा और सुविधाहीनता पर आधारित हैं। यदि शिशु गृह की व्यवस्था नहीं है, तो स्त्री चार घंटे से अधिक धरातल के नीचे कार्य नहीं कर सकती और दूसरा, यदि शिशु गृह है भी और किसी समय उसकी सुविधा न हो तो भी स्त्री चार घंटे से अधिक काम नहीं कर सकती। प्रवर समिति ने धरातल के नीचे कार्य पर प्रतिबंध के संदर्भ में ये परिवर्तन किए हैं।

धरातल के नीचे कार्य करने वाली स्त्रियों को प्रसूति लाभ के प्रश्न पर प्रवर समिति ने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं : मूल विधेयक में धरातल के नीचे कार्य

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 4, 11 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2788-89

करने वाली स्त्रियों की प्रसूति लाभ की पात्रता की दो शर्तें रखी गई थी। ये शर्तें थीं: प्रसूति से न्यूनतम छः महीने पहले खदान में कार्यरत होना और इन छः महीनों में 90 दिन तक धरातल के नीचे कार्य। प्रवर समिति ने पहली शर्त हटा दी है, अर्थात् खदान में न्यूनतम छः मास की सेवा, ताकि संशोधित विधेयक में बस इतना ही पर्याप्त माना जाए कि स्त्री ने प्रसूति से पूर्व के छह महीनों में नब्बे दिन तक तल के नीचे कार्य किया है। उस स्थिति में वह प्रसूति लाभ की पात्र होगी।

प्रवर समिति ने लाभ की अवधि के बारे में भी संशोधन किए हैं। मूल विधेयक में प्रसूति लाभ की अवधि प्रसूति से दस सप्ताह पूर्व और प्रसूति उपरांत चार थी। प्रवर समिति ने प्रसूति उपरांत लाभ प्राप्त करने की अवधि चार से बढ़ाकर छह सप्ताह कर दी है। साथ ही लाभ राशि में भी परिवर्तन कर दिया गया है। मूल रूप से, लाभ राशि आठ आना प्रतिदिन थी। प्रवर समिति ने इसे बढ़ाकर छः रुपए प्रति सप्ताह कर दिया है जो चौदह आना प्रतिदिन से कुछ ही कम है। फिर, पूरी अवधि को अधिकृत छुट्टी घोषित कर दिया गया है ताकि इस काल के दौरान कोई मालिक इस विधेयक के अधीन आने वाली स्त्री को निकाल न सके।

प्रवर समिति ने जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किया है वह है लाभ की पात्र स्त्री की मांग पर उसकी डाक्टरी जांच महिला डाक्टर से कराई जाएगी। यह प्रावधान मूल विधेयक में नहीं था। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि छत्तीस प्रतिबंधित सप्ताहों के बीच कोई स्त्री बत्तीस सप्ताहों के दौरान धरातल के नीचे कार्य को छोड़कर अपनी आमदनी के लिए अन्य कार्य कर सकती है। यह व्यवस्था मूल विधेयक में नहीं थी। जिस अवधि में उसे काम नहीं दिया जा सकता, वह प्रसूति के बाद मात्र चार सप्ताह है। इस तरह संशोधन के अधीन कोई स्त्री, स्त्री को प्राप्त होने वाले प्रसूति लाभ की ही पात्र नहीं है अपितु वह भूमि पर काम करने पर भी मूल अधिनियम में प्राप्त पूर्व लाभ का पचास प्रतिशत भी प्राप्त करेगी।

ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो प्रवर समिति ने किए हैं। जैसा कि मैंने कहा है, प्रवर समिति के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कुल मिलाकर सरकार संशोधनों में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करना चाहती और इस विषय में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वह प्रवर समिति के संशोधनों के अनुरूप विधेयक स्वीकार करने को तैयार है।

मान्यवर मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुरहीम) प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।”

*औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा

स्थायी श्रम समिति में अदारकर रिपोर्ट पर विचार

स्थायी श्रम समिति की छठी बैठक में भारत के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए प्रो. अदारकर की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ, जो 12 मार्च को नई दिल्ली में समाप्त हुई। माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, श्रम सदस्य, भारत सरकार ने इसकी अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के श्री स्टैक और श्री राव अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योजना पर उनकी कुछ टिप्पणियों को परिचालित किया गया।

मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने प्रो. अदारकर की रिपोर्ट की प्रशंसा की और चिकित्सा तथा नकदी लाभ, पात्रता और प्रतीक्षा अवधि, इलाज की विधियों, चिकित्सा संगठनों और सरकारी अंशदान के विषय में अपने-अपने विचार प्रकट किए। अनेक सदस्यों ने योजना पर यथाशीघ्र कार्यवाही करने के महत्व पर बल दिया। इस बात पर आम सहमति थी कि योजना का आधार बढ़ाने वाले लाभों की प्राप्ति के लिए यह वांछनीय है कि इसे सभी संगठित उद्योगों और स्थायी कारखानों पर लागू किया जाए।

प्रसूति लाभ

इस बात पर भी सहमति थी कि केंद्र सरकार योजना बनाने का कार्य आरंभ करे, और यदि वह यह संभव समझती हो, तो इसमें प्रसूति लाभ और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति को भी सम्मिलित किया जाए। योजना तैयार हो जाने पर केंद्र को प्रांतों, मालिकों और श्रम संगठनों से भी परामर्श करना चाहिए और उनका उत्तर मिल जाने पर वह विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत करे।

बैठक की कार्यसूची में दूसरी मद थी त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के विधान और कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना ताकि उसके कार्यों को दो

* इंडिया इन्फार्मेशन, 15 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 505

भागों में बांटा जा सके : पहला, सामान्य विषयों पर जैसे रोजगार की शर्तें, श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा आदि; और दूसरा श्रम कल्याण तथा श्रम कानूनों के ठोस प्रश्न।

समिति में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि दूसरी सूची में उल्लिखित कार्यों को देखने के लिए एक श्रम कल्याण समिति बनाई जाए ताकि इसके माध्यम से एक ऐसा निकाय गठित किया जाए जो विभिन्न उद्योगों की वास्तविक समस्याओं को देखे और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के सामने रखे। श्रम सम्मेलन और इसकी स्थायी श्रम समिति का कार्यक्षेत्र रोजगार, श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा तक सीमित है। वह इस क्षेत्र में व्यापक आधार पर विचार करे और अखिल भारतीय नीति बनाए। इस बात पर सहमति थी कि इस प्रस्तावों की जांच के लिए एक उप-समिति बनाई जाए।

*राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण का युद्ध कार्य

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की श्रद्धांजलि

“जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था और जब भारत पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था उस समय हमारी सेनाओं तथा युद्ध उद्योगों के लिए तकनीकी कार्मिकों की तुरंत आवश्यकता की पूर्ति के मामले में गंभीर अवरोध थे। तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण बनाया गया। तकनीकी कार्मिकों को शीघ्रता से कार्यकुशल बनाना था और इसलिए, हमारी अनुभवहीनता के कारण, स्वाभाविक रूप से हमारी योजना कमजोर रही। इस कार्य में कठिनाइयां थीं, परंतु इसका कार्य सम्पादन आपके प्रशंसनीय प्रयासों का द्योतक है।”

श्रम सदस्य, भारत सरकार, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राष्ट्रीय सेवा न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए ये विचार प्रकट किए जिनकी बैठक 19 अप्रैल को शिमला में राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कार्मिक) अध्यादेश और रोजगार कार्यालयों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी।

श्रम सदस्य ने आगे कहा :

न्यायाधिकरणों ने करीब 15 हजार तकनीशियनों का राष्ट्रीय सेवाओं में प्रवेश कराया है। उन्होंने तकनीकी कार्मिकों को कारगर रूप से पहुंचाने का काम भी किया। कर्मचारियों को अपने घरों से दूर भेजना भी आवश्यक था और उन्हें अन्यत्र बेहतर काम ढूंढने से रोकना भी आवश्यक था। इंग्लैंड में ऐसा कार्य अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि वहां रोजगार की अवस्था कुल मिलाकर मानकीकृत है और श्रम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा के व्यापक संगठन हैं जो अनिवार्य लामबंदी में विशेष रूप से उनके हितों का ध्यान रखते हैं जिन्हें घरों से दूर भेजा जाता है। भारत में न्यायाधिकरणों की परिस्थिति भिन्न है और आमतौर से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने युद्ध प्रयासों को दृढ़ करने के अपने कार्य को, कर्मचारियों के हितों की अनुचित रूप से अनदेखी किए बिना, प्रशंसनीय होशियारी और संयम से निभाया है।

* इंडिया इन्फार्मेशन, 15 मई, 1945, पृष्ठ 39-40

कुछ ऐसे मालिक हैं जिन्होंने शिकायत की है कि न्यायाधिकरण ने अनुचित रूप से कर्मचारियों के प्रति उदारता बरती है। दूसरी ओर, यह भी शिकायतें हैं कि उसने श्रमिकों के प्रति अनुचित कड़ाई बरती है। मैंने कर्मचारियों अथवा मालिकों की शिकायतों को दरकिनार नहीं किया है। मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि शिकायतों पर सावधानी से विचार करने से सरकार सही उपाय कर सकती है। आप देखेंगे कि एक ओर तो हमने सुझाव दिया कि कर्मचारियों के बहिर्गमन पर नियंत्रण कठोर किए जाएं जिसके बारे में हमें कलकत्ता से गंभीर शिकायतें मिली हैं। दूसरी ओर हमें न्यायाधिकरणों से अपेक्षा है कि वे उन कर्मचारियों की रोजगार अवस्थाओं पर भली भांति ध्यान दें जिन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए निर्दिष्ट किया गया है या जिनके बेहतर रोजगार अवसरों पर रोक लगा दी गई है।

न्यायसंगत नियंत्रण

मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता जो आगामी बैठक में सुझावों में सामने आएंगे, किंतु मैं आपको इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि युद्ध से कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ा है और यदि युद्ध के कारण उनसे और त्याग करने को कहा गया तो हम आश्वासन देते हैं कि वह एकतरफा नहीं होगा। मालिकों की ओर से कितना भी दबाव डाला जाए, युद्ध का संकट श्रमिकों की दुर्दशा नहीं कर सकता अथवा श्रमिकों का महत्व कम नहीं कर सकता।

ब्रिटेन में श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्री के पास व्यापक अधिकार हैं। ये अधिकार ऐसे हैं कि उनका उपयोग दोनों पक्षों पर समान रूप से किया जाता है, अर्थात् मालिकों के विरुद्ध और उतना ही श्रमिकों के विरुद्ध। इन अधिकारों से मालिक और श्रमिक समान स्तर पर आ गए हैं ताकि दोनों के बीच समन्वय रहे। यही सहयोग भावना है जिसे मैं भारत में जागृत करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि यदि हम इस नियंत्रण को कड़ाई से और न्यायपूर्वक लागू करें तो यह संभव है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और श्रम न्यायाधिकरणों का एक अन्य पक्ष भी है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। भारत और इंग्लैंड में प्रशिक्षण योजनाओं का कार्य इन्हीं को सौंपा गया है और मैं उस सावधानी की हार्दिक प्रशंसा करना चाहता हूँ जो उन्होंने इस कार्य में बरती है। इसके अभाव में हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते थे।

बेविन प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में मैं जानता हूँ कि श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय प्रशिक्षुओं के उत्कृष्ट चयन से प्रभावित है जिन्हें ब्रिटेन भेजा गया। निस्संदेह बेविन प्रशिक्षुओं में कुछ सदिग्ध लोग भी थे। परंतु उनकी संख्या को देखते हुए हम स्वयं को सफल मानते हैं कि वे इतने कम थे कि उनके विषय में यह नहीं कहा

जा सकता कि इस कार्यक्रम पर जो धन और समय खर्च किया गया वह व्यर्थ गया। दूसरी ओर, बेविन प्रशिक्षितों में से अधिकांश लोग हमारे यहां कुशल कर्मचारियों का स्तर ऊंचा उठाने में बहुत सहायक होंगे। वे एक ऐसे देश से अनुभव लेकर लौटे हैं जो संपूर्णतः युद्ध में तल्लीन है। इस प्रकार संगठित देश क्या प्राप्त नहीं कर सकता? ये उपलब्धियां केवल युद्ध तक ही क्यों सीमित रहें? क्या हम इन्हें शांति के दौरान प्राप्त नहीं कर सकते? हमें आशा है जल्दी ही हम ऐसा कर पाएंगे।

पुनर्वास व्यवस्था

अब मैं युद्धोपरांत स्थिति पर आता हूँ तो हमारे समक्ष युद्ध से भी बढ़कर जटिल मुद्दे उत्पन्न करेगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण समस्या होगी बेरोजगार हुए कार्मिकों का पुनर्वास। अब मेरे दिमाग में केवल लड़ाकू सैनिकों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि भारी संख्या में उन कामगारों का ध्यान है जो युद्ध सामग्री कारखानों में तैनात हैं। कोई सरकार बेरोजगार हो गए भूतपूर्व कर्मियों और युद्ध उद्योग के कर्मचारियों को युद्ध और शांति की संक्रांति में उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। पुनर्वास करना सरकार का प्रशासनिक कर्तव्य है और सरकार ने फैसला किया है कि यह दायित्व श्रम विभाग का होगा। हमारे पुनर्वास प्रस्तावों पर आपके साथ विचार-विमर्श होगा। जो व्यवस्थातंत्र स्थापित होने की आशा है उसमें राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बुलाया जाएगा।

पुनर्वास की समस्या ऐसी है जिसे केंद्र और प्रांत सरकारें मिल कर घनिष्ट सहयोग से हल करेंगी। प्रांतों के अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख होंगे। उसका दायित्व होगा केंद्र तथा प्रांत सरकारों के विभागों के साथ निकट संपर्क रखना। आपको अत्यधिक चतुराई, क्षमता और मेहनत से काम करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते समय युद्ध काल से कम सहयोग नहीं करेंगे।

सक्षम रोजगार सेवाएं

पुनर्वास संगठनों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं एक ऐसी सेवा के विषय पर बल दूंगा जो बेकाम हुए पूर्वकर्मियों के बारे में आवश्यक है। हम जो संगठन बनाना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य देश में एक सक्षम सेवा आरंभ करना है। हमने पहले ही कुछ कार्यालय खोल दिए हैं जिनके अच्छे परिणाम निकले हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें यह व्यवस्था ठोस आधार पर संगठित करनी चाहिए। ये दफ्तर चलाने के लिए हमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है और उपयुक्त इमारतों की जरूरत है यहां कर्मचारी और मालिक आ सकें। दोनों मामलों में हमारे मौजूद रोजगार कार्यालयों के सामने काफी कठिनाइयां हैं। जहां तक स्टाफ का संबंध है, हम प्रबंधकों

और सहायक प्रबंधकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने की सोच रहे हैं। हमें आशा है कि इस प्रशिक्षण से नए कार्यालयों को सही ढंग से स्थापित किया जा सकेगा।

पुनर्वास संगठन का कार्य यह भी होगा कि वह प्रशिक्षण और युद्ध सेवा से निकाले गए कर्मियों के प्रशिक्षण तथा कल्याण का काम देखें और नए रोजगार में उनके हितों का ध्यान रखें। प्रचार की व्यवस्था की जाएगी। संगठन का विवरण आपके विचार के लिए पेश किया जाएगा और हम प्रांतीय सरकारों के सुझावों की भी प्रतीक्षा करेंगे।

बहुत विशाल कार्य

सज्जनों, यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने प्रांतों में लौट कर इन प्रस्तावों पर प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करें और उन्हें हमारे कार्यक्रम से अवगत कराएं। हम इसकी परिधि के विषय में कोई भ्रांति नहीं रखना चाहते। यदि कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते तो आप हमारे ध्यान में लाइए और अपने सुझाव दीजिए कि उनसे कैसे निपटा जाए। हमने एक जटिल और विशाल कार्य अपने हाथ में लिया है। हमें उन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मिल जुल कर यह कार्य करना है।

मैंने आपका काफी समय ले लिया है। सज्जनों, आपके रवाना होने से पूर्व मैं आपके कार्यों में तीव्रता और सौभाग्य की शुभकामना करता हूँ।

* * *

*क्षेत्रीय श्रमायुक्तों की नियुक्ति

तीन क्षेत्रीय श्रमायुक्त - श्री डी.जी. जाधव, डॉ. सेठी और श्री अबु तालिब - केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः बंबई, कलकत्ता और लाहौर में नई व्यवस्था के प्रशासन के लिए नियुक्त किए गए हैं जो औद्योगिक संबंधी और केंद्रीय क्षेत्र के उद्योगों तथा उपक्रमों का कार्य देखेंगे। संगठन को मुख्यालय पर तैनात केंद्र सरकार के मुख्य श्रमायुक्त श्री एस.सी. जोशी के अधीन रखा गया है।

नई व्यवस्था में दिल्ली का एक उप-श्रमायुक्त, 9 समझौता अधिकारी, 24 श्रम निरीक्षक (केंद्रीय) जो पूरे भारत में विभिन्न केंद्रों पर तैनात हैं, और औद्योगिक कैंटीनों का केंद्रीय निरीक्षक रखे गए हैं।

केंद्रीय क्षेत्र के अधीन ये उद्योग हैं : (1) भारत सरकार के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा नियंत्रित सभी औद्योगिक उपक्रम; (2) संघीय रेलवे; (3) खानों और तेल कुएं, और (4) प्रमुख बंदरगाह।

* इंडिया इन्फार्मेशन, 15 मई, 1945, पृष्ठ 152

*दामोदर घाटी का बहुउद्देशीय विकास

कलकत्ता सम्मेलन में श्रम सदस्य का भाषण

“यह परियोजना (दामोदर नदी के जल का सदुपयोग) भारत सरकार के लिए स्वागत योग्य है। यह नदी के पानी के नियंत्रण की अच्छी संभावना प्रकट करती है। इससे बाढ़ नियंत्रण की संभावना है। योजना से काफी क्षेत्र में अनवरत सिंचाई हो सकेगी और इसका परिणाम होगा अकाल से मुक्ति और बिजली की वांछित आपूर्ति की संभावना। मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें इस बात का अहसास हो जाए कि इस परियोजना का उनके और उनकी जनता के लिए क्या अर्थ है तो इसका बंगाल और बिहार की सरकारें और भी उत्साह से स्वागत करेंगी।”

ये विचार भारत सरकार के श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 23 अगस्त को कलकत्ता में दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना पर विचार करने हेतु हुए सम्मेलन में बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रकट किए। सम्मेलन दो दिन चला जिसकी अध्यक्षता श्रम सदस्य ने की।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण का पूरा पाठ इस प्रकार है :

“दामोदर घाटी के पानी के सदुपयोग की परियोजना पर विचार करने के लिए आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि इस संबंध में हमारी प्रथम बैठक 3 जनवरी, 1945 को हुई थी। तब हमने बंगाल सरकार द्वारा 1944 में गठित दामोदर नदी बाढ़ जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था।

हमारे सामने मुद्दा था कि क्या हम केवल नदी में बाढ़ रोकने के लिए बांध बना कर ही संतोष कर लें या हम इसे बहुउद्देशीय परियोजना बनाएं, जिसमें बिजली उत्पादन और सिंचाई तथा नौवहन के लिए जलापूर्ति शामिल हो? उस बैठक में आम सहमति थी कि हम दूसरे विकल्प का कार्य करें। तदनुसार, सम्मेलन में अगला कदम उठाने

* इंडिया इन्फार्मेशन, 1 अक्टूबर, 1945, पृष्ठ 45-49

का फैसला किया गया, अर्थात् एक बहुउद्देशीय योजना के लिए आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से एक मशीनरी बनाई जाए। भारत सरकार की ओर से मैं आरंभिक कार्य के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता की पेशकश करता हूँ।

“बंगाल के इंजीनियरों के सहयोग से विशेषज्ञों ने दामोदर घाटी के समन्वित विकास के लिए एक प्रारंभिक दस्तावेज तैयार कर लिया है। इसकी प्रतियां बंगाल और बिहार सरकारों के पास हैं।”

“इस दस्तावेज के संबंध में मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, कि हम श्री वूरद्विन का आभार व्यक्त करें जिन्होंने इस दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया और बंगाल के इंजीनियरों ने भी उनका सहज सहयोग किया। केंद्रीय बिजली प्राविधिक बोर्ड के अध्यक्ष श्री मैथूस ने भी अपने परामर्श से हमें लाभान्वित किया और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि हमें जलमार्ग और नौवहन बोर्ड के अध्यक्ष श्री खोसला से पूरी सहायता मिलेगी।”

“फिलहाल हमारे पास दामोदर नदी घाटी की पूरी संभावनाओं के विषय में बहुत स्पष्ट, बहुत व्यापक और बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण मौजूद हैं। उसके साथ ही पर्याप्त आंकड़े हैं जिससे हम अगला कदम विश्वास के साथ उठा सकते हैं।”

“आज हमारी बैठक में इस प्रारंभिक दस्तावेज और इससे उठने वाले मुद्दों पर विचार होगा। यह बिंदु कार्यसूची में सम्मिलित है, जो इस बैठक के लिए तैयार की गई है। इस कार्यसूची में वे सभी विषय शामिल हैं जो प्रारंभिक दस्तावेज में उठाए गए हैं और जिन पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। चूंकि इसे बंगाल और बिहार की सरकारों के पास पहले ही भेज दिया गया है, इसलिए इस पर और बोलना मेरे लिए अनावश्यक है। अतः मैं दो सामान्य बातों तक ही सीमित रहूंगा - (1) नीतिगत मामले और (2) प्रक्रियागत प्रश्न।”

“बाढ़ नियंत्रण एक नीतिगत प्रश्न है। मुझे आशा है कि बाढ़ से संरक्षण देने वाले उपायों पर आम सहमति होगी क्योंकि इससे दामोदर पेटे के पीड़ित क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी जहां विकट प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बनी रहती है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि प्रारंभिक दस्तावेज में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें सुरक्षा के संपूर्ण उपाय रखे गए हैं।”

“दूसरा नीतिगत मामला तीनों सरकारों की इस सामूहिक जिम्मेदारी का प्रश्न है कि वे इस काम को मिलजुल कर करें। मैं सोचता हूँ कि इस बात पर सब सहमत होंगे कि प्रारंभिक दस्तावेज में यह औचित्य दर्शाया गया है कि दामोदर नदी घाटी के विकास के लिए तीनों सरकारें दस्तावेज में वर्णित सामान्य आधार पर प्रभावशाली ढंग से कार्य करें।”

“यह परियोजना भारत सरकार के लिए स्वागत योग्य है। यह नदी के पानी के नियंत्रण की अच्छी संभावना प्रकट करती है, बाढ़ नियंत्रण की संभावना, काफी क्षेत्र में अनवरत सिंचाई और परिणामस्वरूप अकाल से मुक्ति तथा बिजली आपूर्ति की संभावना। मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें इस बात पर अहसास हो कि इस परियोजना का उनके और उनकी जनता के लिए क्या अर्थ है तो बंगाल और बिहार की सरकारें इसका और भी उत्साह से स्वागत करेंगी।”

ठोस शब्दों में कहा जाए तो इस परियोजना से (1) 4,700,000 एकड़ क्षेत्र में नियंत्रित जलाशय से जल मिलेगा (2) 760,000 एकड़ क्षेत्र की अनवरत सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा (3) 300,000 किलोवाट बिजली मिलेगी और (4) 50 लाख लोगों का प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य लाखों का अप्रत्यक्ष रूप से कल्याण-वर्द्धन होगा।

अब प्रक्रियागत बातों पर आते हैं जो निम्नलिखित बिंदुओं पर प्राथमिकतानुसार इस प्रकार है :

- (1) सबसे पहले बांध स्थल का चयन किया जाना।
- (2) निर्माण आरंभ करने से पूर्व निश्चित किए गए स्थल की विस्तृत जांच-पड़ताल।
- (3) ऐसी अगली पड़तालों के लिए एक अभिकरण।
- (4) बांध के (डिजाइनिंग) और निर्माण के लिए अभिकरण।
- (5) इस विशाल कार्य को चलाने के उद्देश्य से तालमेल के लिए एक तकनीकी और प्रशासनिक उच्च स्तरीय तंत्र का गठन होगा यह कार्य जांच पड़ताल के समय किया जाएगा और निर्माण के समय उस पर अमल होगा।
- (6) विकसित क्षेत्र में संभावित रूप से प्राप्त होने वालो पानी और बिजली के विषय में सर्वेक्षणों का सिलसिला।

प्रक्रिया संबंधी मामलों के बारे में मैं शीघ्र निर्णय पर बल दूंगा। निस्संदेह यह परियोजना मूल रूप से उद्देशीय नदी घाटी योजना के संरक्षण और विकास के लिए है। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि यह परियोजना युद्धोपरांत रोजगार परियोजना है। अब क्योंकि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त हो गया है हमारे सामने शांतिकाल की समस्याएं हैं। उनमें से एक है युद्धकाल के सेवा अभियोजन और खर्च में अचानक भारी कमी जो हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या बनने वाली है।

केंद्र सरकार की भूमिका

“इस दृष्टिकोण से दामोदर घाटी परियोजना अत्यधिक तात्कालिक आवश्यकता वाली परियोजना है और इसके संबंध में जल्दी फैसला न करना अक्षम्य भूल होगी, क्योंकि इसके बिना हम इस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मुझे आशा और विश्वास है कि आपके सहयोग से आपका फैसला संपूर्ण और दृढ़ होगा।”

समापन से पूर्व मैं आपको बता दूँ कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

(1) भारत सरकार अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार स्वीकृति के आधार पर परियोजना में तीव्रता लाने के लिए जो कुछ कर सकती है वह करने का दायित्व स्वीकार करती है और इस प्रयास में अपनी पूर्व क्षमतानुसार कार्य करेगी। यद्यपि परियोजना चलाने के प्राधिकरण और उसकी स्थापना का तरीका अभी निश्चित किया जाना है, तथापि भारत सरकार का पहले की तरह दृढ़ विचार है कि ऐसे प्राधिकरण की स्थापना अपरिहार्य है।

(2) भारत सरकार निर्माण कार्य में दोनों सरकारों की सहायता से युद्धोपरांत विकास कार्यों में बाधा डाले बिना कर्मचारी उपलब्ध कराने और वांछित संगठन की सीधी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। वैसे भारत सरकार को अहसास है कि बंगाल में इंजीनियरों का अभाव है और वह सेना से आवश्यक कर्मचारी ले सकती है। यदि किसी सैनिक एकक या उसके उपकरणों की आरंभिक पड़ताल के लिए आवश्यकता पड़ी तो वे लिए जा सकते हैं। प्रांत के इंजीनियरी स्रोतों पर दबाव से बचने के लिए शीघ्रता से उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) उसकी ओर से आरंभिक पड़ताल पर शुरू में जो आवश्यक खर्च होगा केंद्र इस भरोसे पर उस धन को मुहैया कराने को तैयार है कि यदि परियोजना शुरू होती है तो इसका खर्च उठाया जाएगा; यदि यह शुरू नहीं होती है तो केंद्र और प्रांत सरकारें आधा-आधा खर्च उठाएंगी।

परियोजना से केंद्र सरकार को एक अपेक्षा है। वह अपेक्षा करती है कि प्रांत को यह ध्यान रहे कि यह योजना नितान्त आवश्यक है और अंततोगत्वा परियोजना का जो लाभ होगा वह निम्नतर स्तर के लोगों को भी मिलना चाहिए, अर्थात् घाटी और निकटवर्ती क्षेत्रों के सभी निवासियों को उनका समृद्धि का भाग मिले जो परियोजना से आएगी। मेरा विचार यही है परियोजना के महत्व को देखते हुए, हम जल्दी ही कोई अभिकरण बनाना चाहते हैं ताकि वह तुरंत कोई आवश्यक योजना तैयार करे जिससे अंतिम लक्ष्य पूरा हो।

सम्मेलन में विचार-विमर्श

सम्मेलन में फैसला लिया गया कि समन्वित और बहुउद्देशीय दामोदर घाटी विकास परियोजना के बारे में आगे जांच पड़ताल और प्रगति की जाए।

प्राकृतिक परिस्थितियों के विरुद्ध आवश्यक बाढ़ संरक्षण के अधिकतम उपायों की योजना पर सहमति हुई।

दामोदर नदी पर निर्माण आरंभ करने से पहले संभावित बांध स्थलों के बारे में जांच-पड़ताल करना आवश्यक है, और जिन स्थलों पर जांच आवश्यक है वे हैं : मैथन, अइयार तथा सोनालापुर। सम्मेलन में प्रश्न के तकनीकी पक्ष पर विचार किया गया और फैसला लिया गया कि पड़ताल की प्राथमिकता में, पहले मैथन, दूसरे अइयार और तीसरे स्थान पर सोनालापुर को लिया जाए और केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड इन सभी स्थलों पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करे। सोनालापुर के मामले में कोयला उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

आवश्यक कर्मचारी

“केंद्र सरकार ऐसी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे जांच हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारी प्राप्त कराने की चेष्टा करेगी। लेकिन इस बीच तुरंत उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा जांच प्रारंभ की जाए।

“सम्मेलन इस बात पर सहमत था कि बांध स्थल की जांच में लगे सभी कर्मचारी केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड के तकनीकी निर्देशन में कार्य करें ताकि आरंभिक कार्य संचालन पर एक ही नियंत्रण रहे।

यह भी फैसला किया गया कि प्रस्तावित समन्वित कार्यक्रम के अधीन पहले बनने वाले, दो बांधों के आकलन और निर्माण के लिए अमरीका के चार इंजीनियरों की सेवाएं ली जाएं। इन इंजीनियरों का एक तकनीकी मिशन होगा और यदि संभव हो सके तो यह अगले वर्ष के शुरू में आ जाएं। यह आशा की गई कि तब तक वांछित आंकड़े एकत्र कर लिए जाएंगे।

संपूर्ण आशय का उद्देश्य कार्यक्रम चलाना और दामोदर घाटी प्राधिकार बनाना है। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि आंतरिक उपाय के रूप में प्रस्तावित परियोजना के तालमेल और आरंभिक कार्य में तेजी लाने के लिए उच्च पद का एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाए।

यह सहमति हुई कि परियोजना से संबद्ध अन्य समस्याओं के विषय में भी साथ ही साथ छानबीन होनी चाहिए। बंगाल और बिहार के सिंचाई विभाग, केंद्रीय सिंचाई

जल मार्ग और नौवहन आयोग के परामर्श से सिंचाई के लिए उपलब्ध होने वाले पानी के उपयोग के तरीकों का पता लगाए। जिन अन्य मामलों में छानबीन होनी है उनमें बिजली की मांग में विकास, नर्सरी स्टेशनों की स्थापना, क्षरण रोधी कार्य और नौवहन तथा भूगर्भीय विषय और योजना का जलापूर्ति पक्ष तथा बिजली लाइनें बिछाना शामिल है।

बैठक में केंद्र सरकार तथा बंगाल और बिहार के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया :

भारत सरकार - श्रम विभाग के सचिव श्री एच. वी. प्रियर; श्रम विभाग के उप-सचिव श्री डी. एल. मजूमदार; आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव, श्री एम. इकरामुल्ला; केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, श्री एच. एम. मैथ्यूज; केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड के पनबिजली सदस्य, श्री डब्ल्यू. एल. वूरदिन; आपूर्ति विभाग के उप-सचिव, श्री सी. कोट्टस; कोयला उपायुक्त, श्री जे.आर. हैरीसन।

बंगाल सरकार - गर्वनर के संचार और निर्माण सलाहकार, श्री ओ. एम. मार्टिन; महामहिम गर्वनर के वित्त, वाणिज्य, श्रम और उद्योग विभाग के सलाहकार, श्री आर. एल. वाकर; संचार और निर्माण विभाग के सचिव, श्री बी. बी. सरकार; मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, पश्चिम बंगाल, राय बहादुर एस. के. गुप्ता; दामोदर योजना के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधीक्षक अभियंता, श्री मानसिंह; जन स्वास्थ्य निदेशक, मेजर एम. जफर और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव, श्री अजीज अहमद।

बिहार सरकार - विकास आयुक्त, श्री एस. एम. धर और मुख्य अभियंता, सिंचाई और बिजली, श्री डब्ल्यू. जी. केन।

*भारत के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था

हाल ही में दिल्ली में आयोजित स्थायी श्रम समिति की सातवीं बैठक में भारत के औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था पर बल दिया गया। माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, श्रम सदस्य, भारत सरकार, ने बैठक की अध्यक्षता की।

समिति ने संकल्प किया कि कर्मचारियों के आवास संबंधी निम्नलिखित मामलों पर विचार करने के लिए एक उप-समिति बनाई जाए :

(क) क्या कर्मचारियों के आवास के लिए एक आवास कोष हो और इसे किस रीति से बनाया जा सकता है, विशेष रूप से उन मालिकों के संबंध में जो पहले ही आवास उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) वह आधार जिस पर कर्मचारियों से किराया वसूला जाए;

(ग) कर्मचारियों के लिए आवास का न्यूनतम मानक;

(घ) कर्मचारियों के आवास के लिए उपलब्ध धन (चाहे सरकारी हो, मालिकों का हो या कर्मचारियों से प्राप्त किया गया हो) के प्रबंधन की सर्वाधिक अनुकूल नीति; और

(ड.) कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र, प्रांतीय सरकारों और स्थानीय संस्थाओं से वांछनीय सुविधाएं।

समिति में केंद्र सरकार के दो, प्रांतीय सरकार के दो, देसी राज्यों के दो प्रतिनिधि और नगरपालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के कर्मचारियों और मालिकों तथा कर्मचारियों के तीन-तीन प्रतिनिधि होने चाहिए।

* इंडिया इन्फार्मेशन, 15 दिसम्बर, 1945, पृष्ठ 464

सवेतन छुट्टी

स्थायी श्रम समिति ने केंद्र सरकार द्वारा कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1945 के अधीन सवेतन छुट्टी के लिए नियमों के प्रारूप पर भी विचार किया।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन के लिए आम सहमति थी ताकि कर्मचारी की परिभाषा चार सौ रुपए महीना वेतन पाने वालों पर भी लागू हो सके।

बैठक में केंद्र और प्रांतीय सरकारों, देसी राज्यों और चेंबर आफ प्रिंसेस, औद्योगिक प्रबंधकों, एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया, भारतीय मजदूर कांग्रेस, इंडियन फेडरेशन आफ लेबर और अन्य मालिक तथा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्रमिकों के प्रति सरकारी दायित्व

26 नवम्बर को नई दिल्ली में आयोजित सातवें श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जो अब भारतीय श्रम सम्मेलन कहलाएगा, माननीय श्रम सदस्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए सरकार के दायित्व का लेखा-जोखा पेश किया और आग्रह किया कि भारतीय मजदूरों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कानून बनाया जाए।

रॉयल श्रमिक आयोग की सिफारिशों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कंवेंशनों की स्वीकार्यता के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का लेखा-जोखा पेश करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने केवल दस सिफारिशें ही शेष हैं जो विचाराधीन हैं और 63 कंवेंशनों में से भारत को 19 की पुष्टि करनी है। परंतु श्रम सदस्य ने बताया कि “यह भारत की अनिच्छा के कारण नहीं है” अपितु इसका कारण “यह नियम है कि भारत उन्हें बिना परिवर्तन अथवा संशोधन के स्वीकार कर ले।” श्रम सदस्य ने कहा कि “यह संभव हो सकता है यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक ऐसा समझौता मसौदा तैयार करे जिसमें पुष्टि के चरणों की व्यवस्था की जाए।”

उपस्थित जन का स्वागत करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा :-

“मैं समझता हूँ हम प्रसन्न हैं कि शांति स्थापित हो गई है। हमें छह साल तक कठोर संघर्ष करना पड़ा जिसमें जन धन की अपार हानि हुई। इस बात का तो कुछ कहना ही नहीं कि हमें कितने कष्ट भोगने पड़े। यह हमारे लिए सकून की बात है कि अब हमारे सामने युद्ध की समस्या नहीं है, न युद्ध प्रयासों की, जिससे हमें सब कुछ न केवल तैयार रखना पड़ता था बल्कि अत्यंत अल्पावधि सूचना पर तैयार करना पड़ता था। भगवान का धन्यवाद है कि वह बात अब नहीं रही। परंतु आप सब जानते हैं कि हमें कष्ट देने के लिए अब युद्ध वाली स्थिति नहीं है, अब हमारे शांति काल की समस्याएं हैं जैसे कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का पुनर्निर्माण। इन समस्याओं से भारत विश्व के अन्य देशों से कम प्रभावित नहीं है।

सरकार का दायित्व

इस सम्मेलन के समक्ष जो विचारणीय समस्याएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रमिक कल्याण और मालिकों व श्रमिकों के संबंध। इस परिप्रेक्ष्य में सम्मेलन अपने काम से अवगत है। मैं सोचता हूँ कि इस अवसर का जो उपयोग मैं करूंगा वह है एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना ताकि हमें इस बात का सही अनुमान हो कि हमने अपने क्षेत्र में क्या किया है और क्या करना बाकी है।

लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मैं पहले अपने दायित्वों से आरंभ करूंगा। हमारे दायित्व कई दिशाओं में हैं। ये श्रमिकों के लिए रॉयल श्रम आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न हुए हैं जो 1930 में दी गई थीं। हमारे दायित्वों का दूसरा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका भारत शुरू से ही सदस्य है, के कंवेशन हैं।

रॉयल श्रम आयोग ने 357 सिफारिशों की थीं। इस दुर्जेय संख्या से पता चलता है कि भारत 1929 में श्रम कानूनों के क्षेत्र में अन्य देशों से कितना पीछे था। इन 357 सिफारिशों में से (पूर्ण और आंशिक) 133 के लिए कानून बनाना है। सरकार ने इन 133 में से 126 स्वीकार कर ली हैं। स्वीकृत 126 में से केवल सात को अस्वीकार किया गया। 106 पर कार्यवाही की गई। अब केवल 20 विचाराधीन हैं। इन 20 में से 10 का संबंध कार्यशाला के लिए कानून बनाने से हैं। कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इनका विवेकाधीन अधिकार प्रांतीय सरकारों का है। इस प्रकार, दरअसल केवल 10 सिफारिशें बची हैं। इस संबंध में हमारा दायित्व बहुत कम है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कंवेशन

“दूसरे स्रोत के दायित्व के सवाल पर यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1919 से 1943 तक श्रम संबंधी विभिन्न विषयों पर कुल 63 कंवेशन स्वीकार किए हैं। भारत ने केवल 14 की पुष्टि की है और 49 की पुष्टि करनी है।”

अब आपके सामने स्थिति का ब्यौरा उपस्थित है। रॉयल श्रम आयोग पर हमारा काम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कंवेशनों की अपेक्षा बेहतर है। दरअसल यह संभावित था क्योंकि रॉयल श्रम आयोग की सिफारिशें भारतीय परिस्थितियों के अधिक अनुकूल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें सामान्य श्रेणी की हैं।

“वास्तविकता यह है कि रॉयल आयोग की सिफारिशों के दृष्टिकोण से हमारा दायित्व नगण्य है, कंवेशनों की पुष्टि से यह विशाल है। जिन कंवेशनों की पुष्टि नहीं हुई है उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए आवश्यक है कि उनको बहुत सावधानी से अध्ययन करें और अपने श्रमिकों का स्तर ऊंचा उठाएं जैसाकि

राष्ट्रीय परिस्थितियों का तकाजा है। उसका मानक तुरंत निश्चित किया जाना चाहिए। आशा है यह संक्षिप्त सर्वेक्षण हमें यह सोचने का अवसर देगा कि कानूनों के बारे में कितना कार्य शेष है यह एक ऐसा ऋण है जिससे हमें उन्मत्त होना है। जब मैं यह कहता हूँ कि इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते तो आप मुझसे सहमत होंगे। हम इससे पलायन नहीं कर सकते। विश्व जनमत हमें इससे मुंह नहीं मोड़ने देगा।”

“मैंने अपने दायित्वों को निभाने की जो बात कही है इसका कारण यह है कि आप देश में बहुत सी गलतफहमियां सुन सकते हैं - श्रम कानूनों की आवश्यकता और तात्कालिकता के बारे में बहुत शिकायतें की जा रही हैं। कई लोग सदा ब्रिटेन का अनुसरण करने की बात करते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन में मौजूदा श्रम संहिता लागू करने में एक शताब्दी लगी। दूसरे लोगों का आग्रह है कि उद्योगों पर श्रम कानूनों का भार लादना अनुचित होगा क्योंकि ये उद्योग अभी अपनी शैशव अवस्था में हैं और रूस की मिसाल देते हैं जहां कर्मचारीवर्ग को विवश किया जाता है कि वे उद्योगों को फलने-फूलने देने के लिए बहुत निम्न स्तर को स्वीकार कर लें। यह भी कहा जाता है कि भारत में श्रम कानूनों का पालन कराने के लिए अभी प्रशासनिक तंत्र मौजूदा नहीं है, इसलिए ये कानून बट्टे खाते में पड़े रहेंगे। आमतौर पर एक और तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है और वह श्रमिकों की विलासिता का भार सहन नहीं कर सकता।

श्रम कानून

“मैं नहीं समझता कि विश्व जनमत इस बात को स्वीकार कर सकेगा। इन तर्कों को अच्छा और सही मानने के बजाय श्रमिक वर्ग इन बातों को बहानेबाजी मानेगा।”

“श्रमिक का यह कहना सही होगा कि ब्रिटेन में यदि श्रम कानून संहिता को 100 साल लगे तो यह कोई तर्क नहीं है कि भारत भी 100 साल लगाए। इतिहास के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि हम अन्य देशों की गलतियां दोहराएं। हम इतिहास के अध्ययन से गलतियों का पता लगाते हैं यह जानने के लिए कि लोगों ने जो गलतियां की हैं उनसे कैसे बचा जाए। इतिहास मिसाल नहीं। अक्सर यह एक चेतावनी होती है।”

श्रमिकों को यह कहने का अधिकार है कि ऐसे देश में जहां उद्योग निजी क्षेत्र में हैं और उनका लाभ उद्योगपतियों को मिलता है, रूस का उदाहरण देना व्यर्थ है। रूस के उद्योग सरकारी हैं और उनसे प्राप्त लाभ सरकारी खजाने में जाता है, कुछ व्यक्तियों की तिजोरियों में ही नहीं। जहां उद्योगों का लाभ सरकार को मिलता है

वहां के लोगों से यह कहना अनुचित नहीं कि अंतरिम काम में वेतनों में और जीवन स्तर में कमी कर दें ताकि उद्योग पनप सकें। यह जानकार श्रमिकों को क्षोभ नहीं होगा कि आखिर उद्योग सरकार के ही हैं और उसे सरकार की सम्पन्नता में हिस्सा मिलता है। ऐसी अर्धव्यवस्था में श्रमिक जीवन स्तर और वेतन घटाने पर क्यों सहमत हो जाएगा जहां लाभ कुछ व्यक्तियों की जेबों में जाता हो। मुझे विश्वास है कि आप मानेंगे कि इस बात में वजन है।

श्रम कल्याण के लिए धन

श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है, यह तर्क भी कोई ठोस दलील नहीं है। श्रमिक कई प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं और हर बिंदु पर आप अपने को लाचार पाएंगे। सरकार कानून और व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा पुलिस बल रखती है। कर संग्रह के लिए राजस्व कर्मचारी रखती है। श्रमिक कह सकते हैं कि सरकार का कर्तव्य केवल कर संग्रह और कानून की अवज्ञा करने वालों को सजा देना ही है? क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सेवा की शर्तों का पालन कराने के लिए भी ऐसी व्यवस्था करे जो सभ्य जीवन के अनुरूप हो? यदि सरकार का यह कर्तव्य है, तो क्या सरकार इसके लिए बाधित नहीं है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करे और उसे चलाए? व्यवस्था के अभाव का तर्क आधारहीन है।

‘श्रम कानूनों पर आने वाले खर्च की क्षमता के विषय में जो तर्क है वह महत्वपूर्ण है और श्रमिकों को इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही इस तर्क के पीछे विश्वास का प्रश्न भी है। क्या यह जायज तर्क है? या यह जिम्मेदारी से हाथ खींच लेने का बहाना मात्र है। श्रमिक कहेंगे कि लागत का तर्क बेदम है, क्योंकि युद्ध पर कितना धन खर्च हुआ? हम सभी जानते हैं कि युद्ध के लिए विशाल धनराशि एकत्र की गई और धनवानों की कमर पर युद्ध करों का कितना भारी बोझ लादा गया।’

श्रमिकवर्ग राजनीतियों से पूछ सकता है कि यदि युद्ध पर हुआ खर्च जन-कल्याण पर किया जाता है तो कितने बेघर लोगों को अच्छे आवास दिए जा सकते थे, कितने नंगे बदनो को ढंग के वस्त्रों से ढका जा सकता था, कितने भूखे पेटों की आग बुझाई जा सकती थी, कितने निरक्षरों को शिक्षित किया जा सकता था, कितने बीमारों का इलाज कराया जा सकता था? श्रमिक धनवानों से पूछ सकते हैं जब युद्ध का खर्च उठाने पर आपको मलाल नहीं हुआ तब श्रमिकों का जीवन स्तर उठाने पर आने वाले खर्च से क्यों नाक भौं सिकोड़ते हों? मैं सोचता हूँ इन सवालों का जवाब हंसी खेल नहीं है।

“मैंने आपको उन श्रम कानूनों का विवरण दे दिया है जो शेष हैं। मैंने यह भी बता दिया है हम इनसे क्यों नहीं बच सकते। इस प्रकार मुझे इस बात के लिए खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तुत कार्यसूची इतनी लंबी है। कार्यसूची में आठ मदें हैं। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं विशेष रूप से मद संख्या 2 जिसका संबंध काम के घंटे कम करने से है, मद संख्या 3 जो न्यूनतम वेतन कानून से संबद्ध है और मद संख्या 8 जो मजदूर संघों की मान्यता के बारे में है।

मंदी का सामना करने के उपाय

“आप कल्पना कर सकते हैं कि विशेष बल देने के लिए मैंने इन्हीं मदों को क्यों चुना। शांति स्थापना सुखद है लेकिन इससे समस्याओं का पिटारा भी खुल जाएगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी बेरोजगारी की भीषण समस्या। हमें इसका जोर कम करने के लिए और श्रमिकों का स्तर घटने से रोकने के तुरंत उपाय करने होंगे। मेरा विश्वास है कि स्थिति सहज बनाने के लिए तीन काम जरूरी हैं। पहला, काम के घंटे घटाना ताकि बहुत से लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए व्यवस्था की स्थापना। बेरोजगारी के साथ ही ऐसी तंत्र व्यवस्था के अभाव में श्रमिकों के स्तर में गिरावट अवश्यभावी है जिसे रोकना होगा। तीसरा, मालिकों और मजदूरों से संकल्प कराना कि वे मिल बैठकर बात करेंगे और मिलजुल कर साझा समस्याओं को सुलझाएंगे। मेरे निर्णय में इससे अधिक प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता कि मजदूर संघ मजबूत और जिम्मेदार बनें।”

“मैं यह दावा नहीं कर सकता कि श्रम विभाग में शिथिलता नहीं है। मैं कहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से उत्पन्न हुई हैं जो कंवेंशन निर्णयों के कारण हैं। मैंने कहा है कि कंवेंशनों की पुष्टि न किए जाने से ये समस्याएं विकराल बन गई हैं। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि सरकार द्वारा कंवेंशनों की आवश्यक बातों को मान्यता न देने का कारण आनाकानी करनी नहीं है। इसका कारण मुख्य रूप से वे नियम हैं जिनके कारण यह आवश्यक है कि समझौतों को बिना परिवर्तन या संशोधनों को ही स्वीकार किया जाए। इन्हें संपूर्ण रूप में ही स्वीकार करना है या नहीं करना है। मेरा विश्वास है कि यहीं प्रावधान है जिसके कारण हमें यह नीति अपनानी पड़ती है। यही बड़ी कठिनाई है। इससे हमें यह छूट नहीं कि हम एक-एक करके उठाएं जो भारत जैसे पिछड़े देश के लिए एकमात्र विकल्प और आशा है।

चरणबद्ध प्रगति

मैं इस नियम में संशोधन पर बल देना चाहता हूँ क्योंकि यह एशियाई देशों के लिए बहुत आवश्यक है जिन्हें एक लंबा सफर तय करना है। मौजूदा प्रावधान में यह संशोधन करना असंभव नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए यह संभव है कि एक समझौते का प्रारूप तैयार किया जाए जिससे विभिन्न चरणों की व्यवस्था की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए यह भी संभव है कि वह एक ऐसा समझौता नियत करे जो चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके, जिसमें यह व्यवस्था भी हो कि समझौतों की सूची पर नियत समय में काम पूरा किया जा सके। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि ऐसा परिवर्तन किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कई चरणों में पूरा किया जाए, जो ऐसे नियमों के अलावा हों जिनके कारण काम रुक जाता है।

कहीं आपको भ्रांति न रहे, इसलिए मैं एक और प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने सम्मेलन का विधान बदलने पर विचार के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव किया था। आप जानना चाहेंगे कि सरकार समिति की रिपोर्ट पर क्या करना चाहती है।

समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार का, सम्मेलन का विधान बदलने का कोई इरादा नहीं है। सरकार इतना ही काफी समझती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार संगठन का नाम बदलने के सिवाय और कुछ न किया जाए। सम्मेलन की बैठकें कई नामों से होती हैं जैसे - मंत्री सम्मेलन, त्रिपक्षीय सम्मेलन और पूर्ण सम्मेलन। मुझे प्रसन्नता है कि समिति ने फैसला किया है कि इसे "श्रम सम्मेलन" कहा जाए। शेक्सपीयर के इस कथन के बावजूद कि नाम में क्या रखा है, "श्रम सम्मेलन" नाम से "पक्षीय" या "पूर्ण" का आभास नहीं होता। मैं केवल यह टिप्पणी करना चाहता हूँ कि समिति द्वारा सुझाए गए नाम में रंगत नहीं है। यह ऐसा दोष है जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। यदि इसे निर्णयानुसार "श्रम सम्मेलन" कहीं कहना है तो हम फैसला करें कि इसे "भारतीय श्रम सम्मेलन" कहा जाए। मैं समझता हूँ कि आपकी इस बिंदु पर सहमति होगी।

"सरकार एक और चीज करना चाहती है जिसका रिपोर्ट से संबंध नहीं है। वह है सम्मेलन का कार्यक्षेत्र विस्तृत करना।"

"पेरिस में हुए पिछले श्रम सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि ने वचन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पारित समझौतों को इस संस्था में सिफारिशों के लिए पेश किया जाएगा। भारत सरकार उस वचन को निभाना चाहती है। इससे प्रांत और देसी राज्यों को यह पता चल करेगा कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में क्या किया गया ताकि उसे संदर्भ में विचारों का लाभ उठाया जा सके।"

सम्मेलन की कार्यवाही

भारतीय श्रम सम्मेलन ने 27 नवम्बर की बैठक में, कारखानों में सप्ताह में 48 घंटे काम की अवधि निर्धारित करने का सर्वसम्मत समर्थन किया था। इसमें केंद्र और प्रांतीय सरकारों, महत्वपूर्ण देसी राज्यों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सरकार के इस प्रस्ताव पर कि औद्योगिक कैंटीनों की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 1934 के कर्मचारी मुआवजा कानून में संशोधन किया जाए लगभग पूरी सहमति थी।

श्रम विभाग के ज्ञापन में कहा गया कि कर्मचारी को कारखाने के अतिरिक्त समुचित समय दिया जाए। इससे उन्हें वंचित रखना अन्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण है। यह नागरिक भाव जागृत करने और उनकी शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस बात पर बल दिया गया कि इस समय एक अच्छा अवसर है कि इस विषय पर बात की जाए क्योंकि उन कारखाना कर्मचारियों को राहत पहुंचानी होगी, जिन पर युद्ध के दौरान भारी दबाव पड़ा। जब काम के घंटे कम होंगे, तो नौकरी ज्यादा लोगों को मिलेगी। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि काम के घंटे कम करने से मूल वेतन और मंहगाई भत्ते पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जब तक कीमतों में गिरावट न आए। अंशकालिक कर्मचारियों की दरें इस सिद्धांत पर समायोजित की जाएं कि उनकी आय नियतकालिक कर्मचारियों से कम नहीं होनी चाहिए।

सम्मेलन में इस बात पर भी विचार किया गया कि युद्ध के पश्चात निठल्ले हुए सैनिक कार्मिकों और छंटनी किए गए युद्ध कर्मचारियों की सहायता के लिए श्रम विभाग द्वारा बनाए गए रोजगार दफ्तरों का संगठन और कार्यप्रणाली क्या हो।

इस विषय पर श्रम विभाग के ज्ञापन में कहा गया है कि रोजगार दफ्तर केवल तभी उपयोगी सहायता पहुंचा सकते हैं जब उनके पास उपलब्ध या संभावित रोजगार अवसरों की सूचना हो। इसमें आगे कहा गया है कि रोजगार कार्यालय संगठन प्रबंधकों और रोजगार चाहने वालों को लाभ पहुंचाएगा और उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में जनशक्ति का संतोषजनक वितरण भी करेगा। इससे, एक स्थान के कर्मचारियों में व्यावसायिक और औद्योगिक गतिशीलता आएगी और विविध श्रेणियों के कर्मचारियों की आपूर्ति में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी।

आज के अधिवेशन में हड़तालों, तालाबंदी जबरदस्ती काम से हटाए जाने वाले कर्मचारियों को मुआवजे से उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रणों के अतिरिक्त दो अन्य मुद्दों पर विचार किया गया। इनमें पहला प्रश्न कल के लिए स्थगित कर दिया गया और दूसरे के बारे में सम्मेलन में सहमति नहीं हो पाई।

न्यूनतम वेतन

जब सम्मेलन के सातवें अधिवेशन की समापन बैठक 28 नवम्बर हो हुई तो माननीय डाक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की कि मालिकों और श्रमिकों के दो-दो प्रतिनिधि शामिल करके एक समिति बनाई जाएगी जो न्यूनतम वेतन के विषय में कानून का प्रारूप तैयार करेगी और भारतीय श्रम संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन का प्रारूप बनाएगी।

हालांकि इन दोनों उपायों के बारे में सिद्धांतों पर सहमति हो गई, किंतु विचार-विमर्श के दौरान विविध विचार प्रकट किए गए। सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा इन दोनों उपायों के महत्व पर जोर देने से, समिति के गठन से इन पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी।

सम्मेलन में औद्योगिक मामलों पर स्थायी व्यवस्था करने पर हड़ताल तथा तालाबंदी के दौरान रोजगार दफ्तरों की संभावित भूमिका पर सर्वसम्मति थी। इस पर सहमति थी कि हड़तालों और तालाबंदी के समय ये दफ्तर रिक्तियों को स्वीकार कर लें और पात्र उम्मीदवारों को श्रम विवाद के बारे में सूचित करें। वे कर्मचारियों के नाम दर्ज करें और उन्हें दूसरी नौकरियों के लिए भेजें और संभावित प्रबंधकों को बताएं कि ये लोग श्रम विवाद के कारण बेरोजगार हुए हैं।

*उड़ीसा की नदियों के विकास की बहुउद्देशीय योजना

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का कटक में भाषण

“उड़ीसा, बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति चाहता है। उड़ीसा मलेरिया से मुक्ति पाना चाहता है और, एक अमरीकी मुहावरे के शब्दों में, कम आयु और कमजोरी से उत्पन्न बीमारियों से अपनी जनता पर लगे कलंक को धोना चाहता है। उड़ीसा, नौवहन तथा सस्ती बिजली तैयार करके अपनी जनता का जीवन-स्तर सुधारना चाहता है। उसके ये सभी उद्देश्य सौभाग्य से एक योजना से पूरे हो सकते हैं अर्थात् जलाशयों का निर्माण और नदियों के बह जाने वाले पानी का भंडारण”

भारत सरकार के श्रम सदस्य, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने यह विचार उड़ीसा की नदियों के संभावित विकास पर विचार करने के लिए 8 नवम्बर को कटक में आयोजित सम्मेलन को अध्यक्ष पद से संबोधित करते हुए प्रकट किए। इसमें केंद्र सरकार, उड़ीसा सरकार, सेंट्रल प्रोविंसेस और पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उड़ीसा की समस्याएं

उड़ीसा की समस्याओं का जिक्र करते हुए श्रम सदस्य ने कहा : ‘यह कहना कि समस्या बाढ़ की है, समस्या को अति सहज मान लेना और उसे बहुत कम करके देखना है। मैं इन समस्याओं को दूसरे रूप में देखता हूँ। मैं जब उड़ीसा के विषय में विचार करता हूँ मेरे मन में एक तस्वीर उभरती है कि वहां के लोगों के सामने केवल एक विपदा नहीं, अनेक हैं।

“ऐसी एक विपदा जो सब की जुबान पर है वह है बाढ़ जिससे लोगों को बराबर जूझना पड़ता है और जिससे जन-धन की बर्बादी होती है। विपदा केवल बाढ़ के कारण ही नहीं है, बल्कि सूखा और अकाल से भी है। सूखे और अकाल से भी

* इंडियन इन्फार्मेशन, 15 दिसम्बर, 1945, पृष्ठ 692-95

उतना ही अधिक नुकसान पहुंचता है जितना बाढ़ से। कहा जाता है कि 1866 के सूखे में पुरी जिले के 40 प्रतिशत लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था।

“ उड़ीसा के लोगों के स्वास्थ्य में आई गिरावट भी एक और विपदा है। उड़ीसा प्रांत की कुल जनसंख्या 77.5 लाख है। प्रांत की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, 1944 में कुल 2,35,581 लोगों की मृत्यु हुई जिनमें से आधे मलेरिया के कारण मारे गए। छात्रों में से 19 प्रतिशत को कृपोषण के स्पष्ट चिह्न थे, और 8.7 प्रतिशत में विटामिनों की कमी थी।”

यदि यह तथ्य है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उड़ीसा गरीबी की रेखा के ऊपर है। उड़ीसा की तीसरी विपदा, यदि इसे विपदा का नाम दिया जा सकता है तो आंतरिक संचार की है। उड़ीसा एक अलग-थलग प्रांत है। उसके पूर्वी समुद्र तट की इकलौती रेल लाइन को छोड़कर वहां न आय कोई थल मार्ग है और न जल मार्ग जो समुद्र तट और उसके अंदरूनी भागों को जोड़ता है।”

“क्या उड़ीसा उतना ही दरिद्र राज्य बना रहे जितना वह आज है? “डॉ. अम्बेडकर ने पूछा और कहा : “ऐसा नहीं रहेगा। उसके पास प्राकृतिक संपदा है और वह भी कोई कम मात्रा में नहीं। उड़ीसा में कोयला है, उड़ीसा में लोहा है, क्रोम, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, अभ्रक है, और उड़ीसा में बांस है। ये उसके कुछ प्राकृतिक साधन हैं।”

“उड़ीसा की एक और बहुमूल्य चीज है उसकी जल संपदा। उड़ीसा की नदियों में जितना जल बहता है उसे विशाल कहा जा सकता है। इसके डेल्टा में जिसमें तीन जिले कटक, पुरी और बालासोर हैं जिनका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मील है - तीन नदियों महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी की सहायक नदियों का जाल बिछा है।”

“अपेक्षाकृत कम महत्व की दो अन्य नदियों बूढ़ाबलंग और सुवर्णरेखा भी डेल्टे में बहती है। उपरोक्त तीन मुख्य नदियां 69,000 वर्ग मील में पूर्वी राज्यों, मध्य प्रांतों और बिहार से होकर आती हैं। इनमें से सबसे बड़ी महानदी 51,000 वर्ग मील में बहती है। ये तीनों नदियां प्रतिवर्ष 9 करोड़ एकड़ फुट पानी समुद्र में छोड़ती हैं।”

जल संपदा का उपयोग

श्रम सदस्य ने आगे कहा, “इतने साधनों के बावजूद, उड़ीसा इतना निर्धन, इतना पिछड़ा और इतना दरिद्र क्यों है? इसका मैं एक ही उत्तर दे सकता हूँ कि उड़ीसा ने अपनी जल संपदा का सदुपयोग नहीं किया है। बाढ़ के बारे में निस्संदेह काफी प्रयत्न किए गए हैं। कम से कम 1872 में श्री रेहंद ने एक बड़ी जांच की थी। पता नहीं उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। लगता है 1928 तक उस पर कुछ नहीं किया गया। उस

साल से 1945 तक इस समस्या को सुलझाने के लिए कई समितियां बनाई गईं।

“1928 में उड़ीसा बाढ़ जांच समिति के अध्यक्ष बंगाल के सुप्रसिद्ध मुख्य अभियंता श्री एडम्स विलियम थे। 1937 में यह कार्य सुयोग्य हस्ती श्री एम. विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। उन्होंने अपनी दो रिपोर्ट में से एक 1937 में पेश की और दूसरी 1939 में। उनके काम को उड़ीसा बाढ़ परामर्श समिति ने आगे बढ़ाया। समिति ने 1938 में अपनी आरंभिक रिपोर्ट पेश की और 1942 तक कार्य जारी रखा। इस अवधि में इसने तीन अंतरिम रिपोर्ट पेश कीं। इस दिशा में नवीनतम प्रयत्न 15 मार्च, 1945 में किया गया जब उड़ीसा सरकार ने कटक में एक बाढ़ सम्मेलन बुलाया।

“समितियों के सदस्यों से मैं सादर खेद प्रकट करते हुए कहता हूँ कि इस समस्या पर उन्होंने सही नीति प्रकट नहीं की। उन पर यह विचार हावी है कि पानी की बहुतायत एक संकट है। जब पानी अधिक मात्रा में आता है तो उसे अपने तरीके से समुद्र में बह जाने दिया जाए। ये दोनों गलत धारणाएं हैं क्योंकि जन कल्याण की दृष्टि से ये खतरनाक हैं।

जल संरक्षण

“यह सोचना गलत है कि पानी की बहुतायत कोई संकट है। मनुष्य को पानी की बहुतायत के बजाए पानी की कमी के कारण ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। कठिनाई यह है कि प्रकृति जल प्रदान करने में केवल कंजूसी ही नहीं करती, उसका वितरण भी अनिश्चित है जो कभी सूखे से सताता है तो कभी तूफान ला देता है। परंतु इससे इस तथ्य पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि जल एक संपदा है। इसका वितरण अनिश्चित है इसके लिए हमें प्रकृति से शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि जल संरक्षण करना चाहिए।

“जनहित के लिए यदि पानी का संरक्षण अनिवार्य है, तो पुश्ता बनाने की योजना गलत है। यह ऐसा तरीका है जिससे जल संरक्षण का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसे त्याग दिया जाना चाहिए। उड़ीसा का डेल्टा ही एकमात्र उदाहरण नहीं है जहां अत्यधिक पानी आता है और उसके कारण बहुतायत से संकट उत्पन्न होता है। अमरीका में भी यह समस्या है। वहां कुछ नदियां हैं - मिस्सौरी, नियामी और हेतेसी, जिन्होंने ऐसी समस्याएं उत्पन्न की हैं।

“इसलिए उड़ीसा को भी वहीं तरीका अपनाना चाहिए जो नदियों की समस्या से निपटने के लिए अमरीका ने अपनाया है। वह तरीका है पानी का स्थायी भंडार रखने के लिए कई जगह नदियों पर बांध बनाना। ऐसे बांध सिंचाई के साथ अन्य कई लक्ष्य

भी साधते हैं। मुझे बताया गया है कि यदि महानदी में बह जाने वाले पूरे पानी का भंडारण संभव है, तो इतनी भूमि होने पर, दस लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। जलाशयों में एकत्र जल से बिजली उत्पादन भी हो सकता है।

“यदि प्राकृतिक साधन होने के बावजूद उड़ीसा औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो इसका कारण कारखाने चलाने के लिए सस्ती बिजली का अभाव है। यहां बहुत बिजली मिलेगी, उससे भी अधिक जितनी उड़ीसा दीर्घावधि के लिए आशा कर सकता है। पानी का अन्य उपयोग नौवहन के लिए हो सकता है।

“भारत में नौवहन का बहुत उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में कंपनी सरकार में अंतर्देशीय नौवहन के लिए लोक निर्माण बजट में अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया जाता था। आज भी भारत में कई नौवहन नहरें हैं - यहां उड़ीसा में भी एक है - ये उसी नीति के अवशेष हैं। रेल बाद में आई और बहुत समय तक रेलवे और नौवहन दोनों चलते रहे। 1875 में रेलवे बनाम नहर का भारी विवाद उठा। नहरों का पक्ष सर आर्थर काटन ने बड़ी प्रबलता से रखा जो उच्च विचारों वाले एक इंजीनियर थे। दुर्भाग्य से रेल के पक्षधर जीत गए।”

“मैं नहरों पर रेलवे की विजय से प्रसन्न नहीं हूँ। रेलवे के समर्थकों के बारे में सबसे ज्यादा क्षोभ की बात तो यह अनभिज्ञता है कि नहरें समाप्त की जाएं क्योंकि उनसे आय नहीं होती यह जाने बिना कि नहरें इसलिए आमदनी नहीं दे पाईं क्योंकि उनकी आय देने की क्षमता नहीं है बल्कि उनकी आमदनी की क्षमता को बुरी तरह तहस-नहस किया गया और नहरों को अधूरा छोड़ दिया गया। मुझे विश्वास है कि अंतर्देशीय नौवहन को पहले की तरह इस प्रकार नकारा नहीं जा सकता है। इस बारे में जर्मनी और रूस से कुछ सीखना होगा और न केवल अपनी पुरानी नहरों का पुनर्निर्माण करना होगा बल्कि नई नहरें भी बनानी पड़ेगी और रेलवे के लिए उन्हें कुर्बान नहीं किया जा सकता।”

विशेष पहलू

श्रम सदस्य ने दोहराया कि उड़ीसा की नदियों के लिए जो जल भंडारण कार्यक्रम लागू किया गया है इससे न केवल सिंचाई और बिजली की सुविधाएं मिलेगी बल्कि काफी दूरी का अंतर्देशीय नौवहन मार्ग भी खुलेगा। “मुझे बताया गया है कि इससे चंदबली से संबलपुर और उससे आगे तक का जल मार्ग खुलेगा जिसके लिए तीन बांध बनाने होंगे - (1) पहाड़ों से नदी के निकास स्थल पर (नराज से सात मील ऊपर), (2) टिक्कीपाड़ा 42, (3) संबलपुर के ऊपर। यदि इस योजना पर काम किया जाता है तो 350 मील की जल परिवहन योग्य नहर बन सकती है जो पूरे साल चलती रहेगी और यात्री तथा माल ढुलाई के लिए सुविधाजनक साधन हो सकती है।

कल्पना कीजिए, तटगामी यान अथवा हल्के जल यान सागर से कटक होकर संबलपुर और आगे मध्य प्रांत एक नहर मार्ग से जा सकें। यह एक योजना है जो दुखद को सुखद बना सकती है।

“उड़ीसा, बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति चाहता है। उड़ीसा मलेरिया से मुक्ति पाना चाहता है और एक अमरीकी मुहावरे के अनुसार, कम आयु, कमजोरी से उत्पन्न बीमारियों से अपनी जनता पर लगे कलंक को धोना चाहता है। उड़ीसा अपनी नौवहन क्षमता तथा सस्ती बिजली तैयार करके अपनी जनता का जीवन-स्तर सुधारना चाहता है। उसके ये सभी उद्देश्य सौभाग्य से एक योजना से पूरे हो सकते हैं अर्थात् जलाशय तैयार करना और नदियों के बह जाने वाले पानी का भंडारण।”

बहुउद्देशीय जलाशय

“इसलिए मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 1945 में नियंत्रण समिति ने ठीक टिप्पणी की जब उसने कहा कि उड़ीसा में पानी की समस्या का अंतिम समाधान यही है कि बहुउद्देशीय बांध बनाए जाएं। मेरा कथन है कि इसे मात्र के उपाय या तत्कालिक कार्यक्रम ही समझा जाए न कि अंतिम लक्ष्य। इस परियोजना की संभावना से सभी अवगत नहीं लगते। परंतु यह बहुत विशाल है। मैं चाहता हूँ कि इसक महत्व को उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के राज्यों के प्रतिनिधियों और उड़ीसा के लोगों को अच्छी तरह बताया जाए ताकि इसमें लोगों की रुचि बढ़े।

“इस विचार से एक तुलनात्मक विवरण देना श्रेयस्कर होगा। हमने सुना है कि अमरीका में बोल्टर बांध पर एक झील बनाई गई है जो विश्व में विशालतम मानव-निर्मित झील है। हमने मद्रास के मटूर बांध और हैदराबाद में प्रस्तावित तुंगभद्रा बांध के विषय में सुना है जो प्रतिस्पर्धी है। पहले झील से तुलना करें तो हम पते हैं कि उड़ीसा की नदियों में जो पानी बहता है वह झील के पानी से तीन गुना बैठता है। मद्रास के मटूर बांध और हैदराबाद के तुंगभद्रा से तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि महानदी में साढ़े छह करोड़ एकड़ फुट से अधिक भूमि पर पानी आता है जो मद्रास के मटूर जलाशय की क्षमता से 30 गुना अधिक है और प्रस्तावित तुंगभद्रा बांध से 20 गुना अधिक। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पानी लाभकारी और प्रभावशाली ढंग से एकत्र किया जा सकता है। उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के राज्य, और उड़ीसा के लोगों को अपने आपको भाग्यशाली समझना चाहिए और परियोजना पर गर्व करना चाहिए और वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।”

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा : “इस बैठक की कार्यसूची बहुत साधारण सी है। इसमें (1) एकमुश्त और बहुउद्देशीय विकास योजनाओं के विकास की दृष्टि

से उड़ीसा की नदियों के सर्वेक्षण और अन्वेषण की आवश्यकता पर विचार करना शामिल है जिसके अंग हैं : (क) बाढ़ नियंत्रण, (ख) नौवहन, (ग) सिंचाई और जल निकासी, (घ) भूमि संरक्षण, और (ङ.) बिजली उत्पादन। (2) सर्वप्रथम महानदी पर नियंत्रण और इसके विकास के उद्देश्य से सर्वेक्षण और अन्वेषण की आवश्यकता पर विचार करना। (3) केंद्र सरकार के सामान्य निर्देश के अंतर्गत और केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग के सहयोग से, प्रांतीय सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण और अनुसंधान की वांछनीयता का पता लगाना।”

आज हमारा मुख्य प्रयोजन यह देखना है कि क्या हम क्षेत्र विकास के लिए व्यापक सर्वेक्षण और प्राकृतिक संपदा के अनुसंधान की आवश्यकता पर सहमत हो सकते हैं। स्थिति का संतुलित आकलन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सिंचाई की सुविधाओं, नौवहन, बिजली विकास और उनसे जनित सुविधाओं तथा क्षेत्र से जल निकासी के उद्देश्य से एक व्यापक सर्वेक्षण कराएं। अभी तक का सर्वेक्षण मात्र डेल्टा तक सीमित है हालांकि 1872 में महानदी की पांच सहायक नदियों तलकोमा, इबकोमा, मौडकोमा, हसद और जोंक पर छोटे जलाशय बनाने के बारे में कुछ काम हो चुका है।

भारत सरकार ने “योग्य और प्रसिद्ध सिंचाई इंजीनियर रायबहादुर खोसला की अध्यक्षता में केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग का गठन किया था। वह अपनी जांच पड़ताल के सिलसिले में जल्दी ही उड़ीसा की नदियों के जल विज्ञान और दूसरे सर्वेक्षण आरंभ करेगा। प्रांतों और राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आयोग के सामान्य निर्देश और सहयोग से संबंधित सर्वेक्षण शुरू करें।

क्षेत्रों का जलमग्न होना

समापन से पूर्व, डॉ. अम्बेडकर ने कहा : “इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पक्षों का ध्यान मैं दो बातों पर दिलाना चाहता हूं। उनका इस परियोजना की सफलता से घनिष्ठ संबंध है और वे जल्दी ही इस संबंध में निश्चय कर लें। पहला मुद्दा है कि वे भूमि के जलमग्न होने के प्रश्न पर विचार करें। बांधों के बनने पर जो जलाशय बनेंगे उनसे उड़ीसा और पूर्वी राज्यों की बहुत सी जमीन पानी में डूब जाएगी। यदि इन बांधों को नदी या सहायक नदियों की सतह से ऊंचा उठाकर बनाया जाएगा तो मध्य प्रांत के भाग भी पानी से नीचे आएंगे। इस प्रश्न पर समन्वित योजना के लाभों को देखते हुए विस्तार से विचार करना है।”

“नदियों के फालतू पानी को बहने और तबाही रोकने के लिए भूमि का पानी में डूबना अवश्यभावी है। समन्वित और बहुउद्देशीय विकास इस जलमग्नता की हानि की क्षति पूर्ति कर देगा। यह परियोजना तभी सफल हो सकती है तब इसे क्षेत्रीय

परियोजना समझा जाए। इसे स्थानीय समझने से यह सफल नहीं होगी। उड़ीसा प्रांत यदि इसे अपनी सीमाओं तक रखेगा तो वह सफल नहीं होगा। यदि उड़ीसा का कोई राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा तो भी वही परिणाम होगा।

यह परियोजना मूलतः क्षेत्रीय है, इससे राज्यों और प्रांतीय क्षेत्रों का आवश्यक क्षेत्र पानी में डूबने का सवाल जुड़ा हुआ है। यह दूसरा प्रश्न है जो मैं रखना चाहता हूँ। उड़ीसा के राज्यों और प्रांतीय सरकार को अपने सत्ता वाले विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वह भूमि छोड़नी पड़ेगी जहां से नदियां बहती हैं जिससे कि परियोजना पर काम हो सके, उनकी योजना बन सके और राज्यों अथवा प्रांत सरकार के हस्तक्षेप के बिना एक प्राधिकरण उसे चला सके। यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लोगों का कल्याण उड़ीसा सरकार और देसी राजाओं की सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है। वे अपनी सत्ता का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करें, उसमें बाधा डालने के लिए नहीं। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार तथा रजवाड़ों के सहयोग और तालमेल से उड़ीसा की उस अक्षय जल संपदा का सदुपयोग हो सकता है जो बेकार जाता है और सागर में पहुंचने से पूर्व अकथनीय आपदाएं उपस्थित करता है।

उड़ीसा की नदियों का सर्वेक्षण : सम्मेलन का फैसला

सम्मेलन में फैसला किया गया कि समन्वित और बहुउद्देशीय विकास हेतु उड़ीसा की नदियों का सर्वेक्षण करने की योजना बनाई जाए। इस आरंभिक सर्वेक्षण के बाद जो बहुउद्देशीय योजना बनाई जाएगी उनमें बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, सिंचाई, जल निकासी, भूसंरक्षण और बिजली उत्पादन शामिल है।

सम्मेलन में सहमति थी कि पहले महानदी के नियंत्रण और विकास की आवश्यकता है। फिर यह निश्चय हुआ कि सर्वेक्षण का काम प्रांतीय सरकार तथा केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग के सहयोग और उसी की देखरेख में किया जाए।

यह स्पष्ट किया गया कि शुरू में आयोग महानदी का पूरी लंबाई में सर्वेक्षण कराएगा और यदि खोजबीन में प्रथम दृष्टि से प्रांत और राज्यों से लाभ की दृष्टि से विकास की गुंजाइश का पता चला, तो आगे सर्वेक्षण और छानबीन की जाएगी। इसके लिए संबद्ध पक्षों का प्रशासनिक और आर्थिक सहयोग आवश्यक होगा। तब तक केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग का, हाल में ही गठित उड़ीसा प्रांत के नदी मंडल के सहयोग से आरंभिक टोह लेने का इरादा है। इस बात पर सहमति थी

कि मध्य प्रांत सरकार और पूर्वी राज्य केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग को पूरे आंकड़े और सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे क्योंकि यह उनके पास मौजूद है और महानदी की संभावनाओं का पता लगाने में पूरा सहयोग करेंगे।

श्री गोखले का भाषण

उड़ीसा के महामहिम गवर्नर के सलाहकार श्री बी.के. गोखले ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा वर्णित योजना का स्वागत करते हुए कहा, “उड़ीसा शायद भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है और प्रस्तावित बहुउद्देशीय विकास की इस योजना से अधिक कोई एकल योजना यहां के लोगों की दशा में सुधार नहीं कर सकती। उन्होंने आधुनिक काल तक के उड़ीसा के इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रीय विकास की जिस योजना पर विचार किया जा रहा है उससे इस क्षेत्र की खुशी और सम्पन्नता का मार्ग प्रशस्त होगा।

*युद्धोत्तर सिंचाई और पनबिजली योजनाएं

“भारत निस्संदेह सिंचाई के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। भारत के लिए इसके महत्व पर भी संदेह नहीं। अपनी तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से जीवित रहने के लिए सिंचाई जरूरी है।” यह विचार 26 नवम्बर को नई दिल्ली में वाइसराय भवन के परिषद कक्ष में महामहिम वाइसराय ने केंद्रीय सिंचाई मंडल की 16वीं वार्षिक बैठक में प्रकट किए। भारत सरकार के विशेषज्ञों, प्रांतों और राज्यों के मुख्य अभियंताओं, श्रम सदस्य, माननीय डॉ. अम्बेडकर, श्रम सचिव, माननीय श्री एच.सी. प्रियोर ने बैठक में भाग लिया।

वाइसराय ने कहा, “मुझे इस केंद्रीय सिंचाई मंडल की 16वीं बैठक का उद्घाटन करने पर प्रसन्नता है। आपकी इंजीनियरी शाखा पुरानी है, महत्वपूर्ण है, और बहुत सम्माननीय है। सिंचाई इंजीनियर संसार के प्राचीनतम विशेषज्ञों में से हैं। जेनेसिस के द्वितीय अध्याय से पता चलता है कि एक “नदी ईडन से निकल कर वाटिका को सिंचित करती है।” सिंचाई का यह पहला उदाहरण है। मिस्र और मेसोपोटामिया की दो प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में सिंचाई की देन थी और आपके शिल्प में शायद अति सम्माननीय संगम अथवा इन देशों के बीच भ्रातृत्वभाव था।

* इंडियन इन्फार्मेशन, 15 दिसम्बर, 1945, पृष्ठ 697

“आरंभिक प्राचीनतम सिंचाई विशेषज्ञों में मोसेस को कहा जा सकता है जिनकी उपलब्धि में हम कम से कम दो को गिनते हैं; जब उसने होरेब की चट्टान पर प्रहार किया तो उसकी तलहटी के जल से जनसमूह की प्यास बुझाई और शरण दी और जब उसने मराह के खारे पानी को मीठा बना दिया, शायद एक बांध बनाकर और उसके खारेपन के तत्वों को नष्ट करके।

भारत की उपलब्धियां

“अन्य इंजीनियर हमें यात्रा में गति और जीवन के सुख प्रदान कर सकते हैं। आपकी देन तो जीवन ही है। यदि आपको अपने श्रम का उदाहरण चाहिए तो यह कविता है - मैं बियाबान में जल प्रदान करता हूँ, मरुभूमि में नदियां बहाता हूँ ताकि लोग प्यास बुझा सकें।”

*छंटनी के बारे में रेलवेमेंस फेडरेशन की मांगें अस्वीकृत

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : अध्यक्ष महोदय, सुबह जब कार्य स्थगन प्रस्ताव बहस के लिए स्वीकार किया गया तो मैंने यह नहीं सोचा था कि श्रम विभाग का इस बहस में उल्लेख होगा जिसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। परंतु जब बहस शुरू हुई तो मैंने देखा कि प्रस्ताव का समर्थन करने वाले दो सदस्य श्रम विभाग पर बुरी तरह बरसे। उनका आरोप था कि यद्यपि काफी समय से विवाद चल रहा है, तथापि श्रम विभाग से जो भूमिका निभाने की अपेक्षा थी वह उसने नहीं निभाई। श्रीमन्, मैं स्वीकार करता हूँ कि इस मामले में श्रम विभाग का बहुत दायित्व है। इस विभाग की स्थापना इसलिए की गई है कि वह श्रमिकों के हितों का संरक्षण करें, किन्तु यदि वह इसमें असमर्थ रहा है तो निस्संदेह वह निंदा का पात्र है जो प्रस्ताव में की गई है। परंतु मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र सरदार मंगल सिंह ने सबसे पहले श्रम विभाग के दायित्वों की ओर संकेत किया और हल्के तौर से कुछ ऐसा कहा, यदि मैं ठीक समझा कि श्रम सदस्य या तो सो गए हैं या हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वह शायद वस्तु स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और उन्हें पता नहीं है कि इस मामले में श्रम विभाग ने क्या किया है। मैं सोचता हूँ कि यह वांछनीय है कि मैं सदन के समक्ष इस बारे में संगत तथ्य पेश करूँ।

श्रम विभाग को तब 5 अक्टूबर, 1945 को सबसे पहले पता चला कि रेलवेमेंस फेडरेशन और रेलवे बोर्ड के बीच विवाद है जब रेलवेमेंस फेडरेशन के एक अधिकारी ने एक पत्र भेजा जिसमें रेलवेमेंस फेडरेशन की ओर से पारित कई प्रस्तावों का उल्लेख था। उस पत्र के बाद 10 अक्टूबर, 1945 को श्रम विभाग को दूसरा पत्र भेजा गया। उस पत्र में यह अनुरोध किया गया था कि श्रम विभाग आगे आए और एक निर्णायक

नियुक्त करे जो प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के विषय में फैसला करे। श्रीमन्, यह स्वीकार करना होगा कि इतना बड़ा कदम उठाने जैसे निर्णायक की नियुक्ति करने से पूर्व श्रम विभाग दोनों पक्षों की बात कराए, उनके बीच चल रहे मुद्दों पर मिल बैठकर बातचीत करे, जहां तक संभव हो उनके विवादों को कम करे, और देखें कि वे एक-दूसरे की मांग को किस हद तक स्वीकार करते हैं। मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि वह कार्य श्रम विभाग ने तुरंत किया। रेल विभाग ने कहा कि वह रेलवेमेंस फेडरेशन के प्रतिनिधियों से मिले और विवाद के मुद्दों पर बातचीत करे। माननीय सदस्य अवगत होंगे कि रेलवेमेंस फेडरेशन और रेल विभाग के प्रतिनिधियों के बीच जब विवादित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ तो रेल विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई कि दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई है और कुछ विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत हुई है। पांच दिसम्बर को यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। पांच दिसम्बर से आज तक के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि अनावश्यक देरी हुई है या अनावश्यक देरी की गई है या श्रम विभाग की ओर से कोई विलंब हुआ हो कि जब उसे पता चला तो उसने वह कदम नहीं उठाया जो उठाया जाना चाहिए था।

परंतु एक और मुद्दा है जिस पर मुझे सदन का ध्यान दिलाना है। यह नहीं कहा जा सकता - और मैं सोचता हूँ कि श्री गुरुस्वामी को यह पता होगा - कि बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है। बातचीत अभी चल रही है और मैं सदन को बताता हूँ कि रेल विभाग और फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन के बीच सहमति हो चुकी है कि इंडियन रेलवेमेंस फेडरेशन की एक लघु समिति बनाई जाए ताकि रेल विभाग से आगे बातचीत की जा सके। इसकी तिथि जनवरी, 1946 का अंत रखी गई है। अभी जनवरी समाप्त नहीं हुई है। अभी बातचीत का समय बचा है।

श्री श्रीप्रकाश : अंत समय आ गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हां, परंतु यह ऐसा मामला है जिसे मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

दीवान चमनलाल (पश्चिम पंजाब-गैर मुस्लिम) : क्या मैं एक मिनट के लिए बीच में बोल सकता हूँ? क्या यह सच है कि नियमित नियुक्ति की मांग सरकार ने निश्चित रूप से रद्द कर दी है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अभी बताता हूँ, मैं बता रहा था कि जब तक श्रम विभाग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाता कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते का अंतिम प्रयत्न भी विफल हो गया है तब तक नियुक्ति के निर्णय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, और मैं अपने माननीय मित्र को बता दूँ कि एक अवसर अब भी शेष है। एक अवसर दिया गया है, और रेलवेमेंस फेडरेशन

को रेल विभाग को बताना है कि रेल विभाग से उनके मिलने की निश्चित तारीख कौन सी है।

दीवान चमनलाल : क्या मैं अपने माननीय मित्र से एक बार फिर पूछ सकता हूँ कि क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवेमेंस फेडरेशन को यह सूचना देने से इंकार कर दिया है कि उसने कितने लोगों की छटनी का फैसला किया है और, दूसरे क्या उन्होंने निर्णायक की नियुक्ति करने से इंकार कर दिया है और तीसरे क्या वे अब भी लोगों की छटनी कर रहे हैं? मेरा विचार है कि लगभग 10,000 की पहले ही छटनी कर दी गई है। फिर आगे बातचीत का प्रश्न ही कहां रह गया जब सरकार अपने मन से काम कर रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र शायद भूल गए कि जब मैं बहस में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं केवल निर्णायक के प्रश्न तक ही सीमित रहूंगा। शेष प्रश्न कि और कितनी छटनी होगी, क्या कोई छटनी होगी, यदि होगी तो उनके साथ क्या होगा - यह सब वह मामला है जिस पर मेरे मान्यवार सहयोगी मेरे बाद बताएंगे। जैसाकि मैंने कहा, मैं केवल उतना ही दायित्व बता रहा हूँ जो श्रम विभाग का है। मेरा कहना यह था कि जब तक श्रम विभाग समझता है कि अब समझौते की आगे संभावना नहीं है, तो यह असंभव होगा और अनुचित भी तथा प्रक्रिया के विरुद्ध होगा कि श्रम विभाग बीच में आए और कहे, "हम निर्णायक नियुक्त करते हैं।" इसलिए मैं कहा रहा था कि जिस माननीय सदस्य ने श्रम विभाग पर आरोप लगाया है कि इस समय उसने कोई कदम नहीं उठाया निश्चित रूप से वह अनुचित आरोप है और मैं सोचता हूँ कि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा जो मैंने स्पष्ट किया है। इस बयान को वह स्वयं ही वापस ले लेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रम सदस्य हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैंने निश्चित ऐसा नहीं किया।

अब मैं प्रश्न के अगले पहलू पर आता हूँ। यह सच है कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत सरकार के पास यह अधिकार है कि वह भारत रक्षा अधिनियम के नियम 81 के अनुसार पंच नियुक्त कर सके। किंतु मैं यह बताना उचित समझता हूँ कि यह एक आपातकालीन अधिनियम है परंतु फिर भी हम पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम नियम 81 के अधीन इसे न्यायनिर्णय के लिए न भेज सकें। पंच फैसले या न्याय निर्णय के लिए विचारणीय विषय पर किसी विवाद का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें कोई विवाद नहीं है, मामला विचाराधीन है। दूसरे, किसी निर्णायक के बारे में फैसला करने से पूर्व हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मामला सेवा नियोजन की शर्तों से संबद्ध है - जैसे काम के घंटों, वेतन और इसी तरह की

बातों से। अब मुद्दा यह है कि क्या रेल विभाग और रेलवेमेंस फेडरेशन के बीच ऐसा विवाद है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि रेलवेमेंस फेडरेशन ने यह मामला ऐसे नहीं उठाया जैसे उसे उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने निश्चय ही स्वयं अपना नुकसान किया है। मैं इस संबंध में यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर वह मुद्दा क्या है जिस पर रेलवेमेंस फेडरेशन जोर दे रही है? क्या यह श्रमिकों के कार्य के घंटों के बारे में है? क्या यह वेतन से संबंधित है? फेडरेशन ने अनेक प्रस्ताव पास किए हैं उनमें से कई काम के घंटों और श्रमिकों की दशा से संबद्ध है। परंतु हमें यह अंतर करना है कि विवाद के मूल मुद्दे कौन से हैं और किनको उनके साथ जोड़ दिया गया है। यदि रेलवेमेंस फेडरेशन द्वारा पारित प्रस्तावों को देखा जाए, तो हम पाते हैं कि उनकी शिकायतों का सार यह है कि रेलवे एक भी व्यक्ति को न हटाए। समय के प्रश्न को सिर्फ जोड़ दिया गया है, वह मतभेद का मुद्दा नहीं है जो कुछ में कह रहा हूँ उसकी पुष्टि के लिए यह बताना है कि रेल विभाग और रेलवेमेंस फेडरेशन के बीच प्रश्न छटनी का है, प्रश्न यह है कि कितने लोगों को हटाया जाएगा। मैं एक-दो और परिस्थितियों की ओर संकेत करना चाहता हूँ।

पहली यह है - जैसा कि मैंने कहा, अपने 5 अक्टूबर, 1945 के पत्र में उन्होंने पन्द्रह या चौदह मांगें पेश की हैं। यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में कौन से मुद्दे मूलभूत मुद्दे हैं, श्रम विभाग ने रेलवेमेंस फेडरेशन के अध्यक्ष श्री गिरी के साथ एक बैठक का आयोजन किया, और मैं सदन को बताऊंगा कि वैसे तो पन्द्रह प्रस्ताव थे, परंतु श्रम विभाग के सम्मुख विचार के लिए केवल तीन मुद्दे पेश किए गए, रेलवेमेंस फेडरेशन ने अन्य को महत्वपूर्ण नहीं माना। फिर जब रेलवेमेंस फेडरेशन और रेल विभाग की औपचारिक बैठक कराई गई, तो भी जो तीन मुद्दे श्रम विभाग के सामने रखे गए थे वे छोड़ दिए गए और जो एकमात्र मुद्दा रखा गया वह छटनी के बारे में था। रेलवेमेंस फेडरेशन के प्रति पूरा सम्मान बरतते हुए मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं नहीं समझा कि - कितने लोगों को विभाग नौकरी पर रखेगा - इसे न्यायाधीन विवाद कैसे माना जाए? जैसा कि मैंने कहा, रेलवेमेंस फेडरेशन के अध्यक्ष की ओर से इस विभाग से बातचीत के तरीके की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई मुद्दा हो जो न्यायाधीन हो जिससे कि श्रम मंत्रालय को बीच में आने लायक कुछ बात मिले और उसे निर्णायक नियुक्त करने के लिए तैयार किया जा सके। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि निंदा प्रस्ताव अनावश्यक है।

*दामोदर घाटी परियोजना चलाने के लिए गांवों को खाली कराने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : दामोदर योजना की प्रक्रिया के संबंध में बिहार के हजारीबाग, मानभूमि और संथाल परगना के सैंकड़ों गांवों के हजारों लोगों को गांव खाली करने के लिए विवश करने के बारे में श्री रामनारायण सिंह का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव का क्या आशय है।

बाबू राम नारायण सिंह (छोटी नागपुर डिवीजन : गैर-मुस्लिम) : मान्यवर, कुछ जिलों में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। दामोदर योजना की प्रक्रिया में सरकार द्वारा अनेक गांवों को अधिग्रहीत किया जाएगा, और लोगों से क्षेत्र खाली करने के लिए कहा जाने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं जान सकता हूँ कि योजना कब शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय कोई भी बात विचार किए जाने वाली नहीं है। निस्संदेह सरकार दामोदर नदी पर, जो बिहार और बंगाल से होकर बहती है, कुछ बांध बनाना चाहती है। परंतु इस कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो विशेष मुद्दे उठाए गए हैं जिनमें जबरन जगह खाली कराए जाने की बात कही गई है उस पर मुझे इतना ही कहना है कि अभी बिल्कुल ही शुरूआती चरण है। हम केवल यह जाच कर रहे हैं कि जल को रोकने के लिए कितनी जमीन पानी के नीचे आएगी और कितने क्षेत्र पर असर पड़ेगा आदि। हम यह देखने की चेष्टा कर रहे हैं कि कितने लोगों को हटाना पड़ेगा, उनकी जोत कितनी है और उनके अधिकार क्या हैं? वास्तव में अभी कुछ निश्चित नहीं है। इस समय तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है जिस पर बहस की जा सके। मैं कहना चाहता

हूँ कि मुझे आशा है कि जब सरकार इस मामले में कोई निश्चित फैसला कर लेगी तो मैं सरकार के फैसले पर सदन में एक पत्र परिचालित करूँगा और सदस्य जिस तरीके से चाहें इस विषय पर बहस के लिए मुझे उठा सकते हैं।

बाबू राम नारायण सिंह : मेरी सूचना है कि हजारी बाग जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वे लोगों से जाने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को विश्वास है कि यह कार्रवाई उसी योजना से संबंधित है?

बाबू राम नारायण सिंह : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : परंतु ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी कुछ नहीं किया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सरकार मात्र संपर्क सड़कें बनाने के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस योजना के लिए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, उन्होंने संपर्क सड़कें बनाने के बारे में मात्र नोटिस जारी किए हैं। इस समय तक अधिग्रहण का कोई सवाल नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : अधिग्रहण क्या आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस स्थिति में अधिग्रहण का सवाल नहीं है। निस्संदेह यदि सरकार दामोदर नदी पर बांध बनाने का फैसला करती है तो इस आशय से कुछ संपर्क सड़कें बनानी होंगी और सड़कें बनाने के लिए उसने लोगों को छोटी सी पट्टी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के नोटिस दिए हैं। इस कार्य स्थगन प्रस्ताव में विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है, कि हजारी बाग, मानभूमि और संधाल परगना में सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों से जबरन अपने घरों से हटने के लिए कहा गया है परंतु वह सवाल इस स्थिति में पैदा ही नहीं होता क्योंकि सरकार को पता नहीं कि क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल आरंभिक चरण है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कठिनाई अनुभव कर रहा हूँ कि यदि सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि बांध बनाया जाए और यदि वह संपर्क मार्गों के लिए आरंभिक कदम उठा रही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनको यह निश्चय है या नहीं कि कितने लोगों को हटाना होगा क्योंकि बांध तो एक मान्य तथ्य है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, श्रीमान् जी, हम क्या सही फैसला लें यह जानने के लिए हम अभी बाहरी सलाहकारों से परामर्श की सहायता ले रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि यह नितान्त आरंभिक है। मैं सदन में कोई बयान नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने फैसला कर लिया है कि बांध बनाया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह उसकी योजना है—यह अभी कोई पक्की योजना नहीं है।

श्री मोहनलाल सक्सेना (लखनऊ : गैर-मुस्लिम) : क्या मैं समझूँ कि यह सदन के सामने रखी जाएगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अभी इस पर जांच हो रही है। अभी हमें इसके लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।

*कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है :

“कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

यह एक साधारण सा विधेयक है और इसका उद्देश्य 300 रुपए तक के वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ मौजूदा परिस्थितियों में होने वाले अन्याय को दूर करना है। जैसाकि माननीय सदस्य अवगत होंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में दी गई “कर्मचारी” की परिभाषा के अनुसार क्षतिपूर्ति उन्हीं कर्मचारियों के लिए की जाती है जो 300 रुपए तक वेतन पाते हैं। युद्ध के पूर्व 300 रुपए तक के वेतनभोगी कर्मचारियों को इस अधिनियम से लाभ मिलता था। युद्ध भत्ता और दूसरे लाभों जैसे मंहगाई भत्ता, बोनस सदव्यवहार वेतन और अन्य भुगतानों के शुरू किए जाने के फलस्वरूप हुआ यह कि जिन कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति मिलती थी वे उससे वंचित हो गए क्योंकि उनका वेतन 300 रुपए से अधिक हो गया। इसका कारण है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार ये सारे अतिरिक्त भुगतान क्षतिपूर्ति की गणना में “वेतन” समझे जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि पहले जिन कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति होती थी अब वह नहीं होती। इस विधेयक में कहा गया है कि कर्मचारी के संरक्षण के लिए उसके वेतन की मासिक अधिकतम सीमा 300 रुपए के बजाए 400 रुपए कर दी जाए। इसलिए विधेयक में दो प्रावधान हैं, एक है कर्मचारी की परिभाषा बदलना जिससे कि वेतन सीमा 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए हो जाए और दूसरा है अधिनियम की अनुसूची-IV में संशोधन करना जिसमें कर्मचारी की मृत्यु, स्थायी और पूर्ण अपंगता तथा अस्थायी अपंगता की दशा में क्षतिपूर्ति का निर्धारण है।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, यह विधेयक एक साधारण सा विधान है। यह उसका अनुसरण मात्र है जो वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन में किया गया है। वहां भी कर्मचारियों के संरक्षण के लिए मूलतः जो मुआवजा उन्हें मिलता था उनके वेतन की सीमा 350 पाँड से बढ़ाकर 425 पाँड कर दी गई है। विधेयक साधारण ही नहीं, बल्कि एक विवादास्पद व्यवस्था है। इस विधेयक के प्रावधानों पर प्रांतों से परामर्श कर लिया गया है और वे सर्वसम्मति से सहमत हो गई हैं कि विधेयक के संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाए। यह प्रस्ताव स्थायी श्रम समिति के सामने भी रखा गया था और वहां भी समिति के सभी सदस्यों से इसका सर्वसम्मत अनुमोदन हो गया। मैं नहीं सोचता कि विधेयक के प्रावधानों पर मैं बहुत ज्यादा बोलूँ। अब मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ।

* * *

***अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

“कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

शीर्षक और प्रस्तावना विधेयक में जोड़े गए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“विधेयक पारित किया जाए।”

***अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को कुछ कहना है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, यह विधेयक कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ अन्याय को दूर करने के आशय से लाया गया है। इस विधेयक में इससे अधिक कुछ नहीं है। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे उन

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 1, संख्या 2, 8 फरवरी, 1946, पृष्ठ 716

** विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 1, संख्या 12, 8 फरवरी, 1946, पृष्ठ 716

*** वही पृष्ठ 716

बातों को ध्यान में रखना है कि जो मेरे उन माननीय मित्रों ने कही हैं जो इस विधेयक पर बोले हैं। हम यह देखेंगे कि क्या उन सुझावों को लागू किया जा सकता है जो उन्होंने दिए हैं। मैं सदन को यह बता दूँ कि हम एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं जो राज्य बीमे से संबद्ध होगा। इसमें बीमारी बीमा, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, प्रसूति लाभ शामिल होंगे। कुल मिलाकर यह इंग्लैंड की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था जैसा होगा और मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र को उसमें अपने सुझावों की झलक मिलेगी कि एकमुश्त अदायगी को आवधिक किशतों के भुगतान में बदल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय खान (संशोधन) विधेयक

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि भारतीय खान अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

यह एक बहुत सरल विधेयक है।

(इस समय अध्यक्ष ने आसन खाली किया और उनके स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय (सर मोहम्मद यामीन खां) पीठासीन हुए)

इस विधेयक का उद्देश्य खान मालिकों पर इस बात की अनिवार्यता लागू करना है कि वे खानों की ऊपरी सतह पर नहाने के स्नानागार बनाएं जिनमें शावर तथा लाकर-रूम का प्रबंध हो और शौचालय भी हों। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी अलग से ऐसी ही व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए स्नानागारों और शौचालयों की संख्या पुरुष व स्त्री कामगारों की संख्या के अनुपात में होगी। मैं नहीं समझता कि ऊपरी सतह पर स्नानागार बनाने की आवश्यकता पर कोई विवाद हो सकता है। खदान कर्मियों के आत्म-सम्मान के लिए यह आवश्यक है और मेरे विचार में वांछनीय भी है कि वे अपने घर साफ-सुथरे होकर पहुंचें, और संभव हो तो साफ कपड़े भी पहन कर जाएं। इस विषय पर खान सलाहकार समिति में भी विचार किया गया था जिसकी नियुक्ति सरकार ने कोयला खान कल्याण कोष के संचालन हेतु की है। समिति ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि ऊपरी सतह पर स्नानागार की खान मालिकों पर बाध्यता हो। इसी को लागू करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। सरकार को खान अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत नियम बनाने के जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें इस विधेयक द्वारा उसे ऊपरी सतह पर स्नानागार बनाए जाने के नियम बनाने का भी अधिकार दिया जा रहा है। विधेयक का यही उद्देश्य है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 1, संख्या 13, 8 फरवरी, 1946 , पृष्ठ 716

विधेयक के दूसरे खंड में इसके सिवाय कुछ नहीं है कि सरकार को कोयला खान अधिनियम की सामान्य प्रक्रिया से छूट दी गई है जिसका उल्लेख धारा 31 में है। अधिनियम की धारा 31 में कहा गया है कि लागू करने से पहले नियमों को प्रकाशित किया जाए। हम उस नियम से छूट चाहते हैं इसलिए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि उस प्रावधान से सरकार को छूट दी जाए जो धारा 31 में है। ऐसी छूट हम इसलिए चाहते हैं कि यह दायित्व न केवल लागू किया जाए बल्कि इस पर तुरंत अमल हो; हम विलंब से बचना चाहते हैं। दरअसल मैं सदन का बताना चाहता हूँ कि सरकार सभी खानों में ऊपरी सतह पर स्नानागार तुरंत बनाने को इतनी उत्सुक है कि उसने स्वयं ही प्रावधान कर दिया है कि यदि खदान मालिक बारह महीने के भीतर स्नानागार बनवा देते हैं तो उन्हें पूंजी लागत का दस प्रतिशत भाग सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसी कारण हम नहीं चाहते कि धारा 31 इस काम में आड़े आए। यह विधेयक इतना आवश्यक, इतना साधारण और इतना विवादहीन है कि सदन इसे बिना विलंब किए स्वीकार कर लेगा। श्रीमन्, मैं अपना प्रस्ताव करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारतीय खान अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

* * *

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम इसमें शीघ्रता चाहते हैं इसी कारण हम इस प्रोत्साहन की पेशकश कर रहे हैं कि यदि खान मालिक निर्धारित तिथि से बाहर महीने के भीतर ये स्नानागार बना देते हैं तो उन्हें यह रियायत मिलेगी, अन्यथा उन्हें पूरी लागत स्वयं वहन करके स्नानागार बनने होंगे।

पंडित गोविंद मालवीय : क्या यह उद्देश्य इस अपेक्षा से पूरा नहीं हो जाएगा कि खान मालिकों से कहा जाए कि वे “बारह महीने तक स्नानागार अनिवार्यतः तैयार कर लें.....”

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र श्री सिद्दीकी, जो इस समय सदन में नहीं हैं, शावर वाले स्नानागार से इतने परेशान होंगे। परंतु मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि स्नानागार में शावर हों या न हों, यह विशिष्टता सरकार की ओर से नहीं रखी गई है और न ही यह उसकी नई खोज है। जैसा कि मैंने कहा, एक सलाहकार समिति है जिसमें खानकर्मियों, खान-मालिकों

तथा बंगाल और बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं और यह समिति सरकार को खानकर्मी कल्याण कोष के संचालन पर सलाह देती है। स्नानागार कैसे हों यह प्रश्न समिति के सामने रखा गया और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें केवल मजदूर संघों के प्रतिनिधि ही नहीं हैं, बल्कि महिला और पुरुष कामगारों के प्रतिनिधि भी हैं। इनमें एक प्रतिनिधि खनिकों का है, एक प्रतिनिधि खनिक महिलाओं का है और उनकी सहमति से ही सरकार ने शावर वाले स्नानागार बनाए जाने का फैसला किया है।

जहां तक मैं समझ सकता हूँ, कोयला खनिक को डुबकी लगाकर नहाने या नल के नीचे नहाने की अपेक्षा शावर में नहाने से अधिक स्वच्छता प्राप्त होगी। मुझे आगे कहना है कि भारत सरकार ने शावर वाले स्नानागारों का फैसला मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की डिगबोई कोयला खदान के अनुभवों के परिणामस्वरूप लिया है। वहां काफी समय से शावर या फव्वारा स्नानागार बने हैं। हमें बहुत संतोष है कि मजदूर फव्वारों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जहां तक साबुन का प्रश्न है, मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूँ कि कुछ विनियमों के अधीन हम भी प्रत्येक खनिक को साबुन उपलब्ध कराएंगे और मैं समझता हूँ कि इस विषय में सदन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे आशा है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो मात्र घोषणा है और इसमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वह सदस्य धारा 39 का उल्लेख कर रहे हैं, तो वह पाएंगे कि एक सामान्य दंडात्मक खंड है जिसके अनुसार सजा दी जा सकती है।

प्रो. एन. जी. रंगा : महिलाओं के विषय में एक छोटी सी कठिनाई है। वे पानी से ही अपने बाल गीले नहीं करना चाहेंगी, उन्हें तेल या कुछ और चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्हें टोपियां दी जा सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

“कि भारतीय खान अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गए।

शीर्षक और प्रस्तावना विधेयक में जोड़ी गई।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कारखाना (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

विधेयक में कुल मिलाकर सात खंड हैं, परंतु इन सात में से केवल दो प्रमुख हैं। वे हैं विधेयक के खंड 2 और खंड 7 । ये दोनों, पृथक-पृथक बातों से संबंधित हैं। खंड 2 का संबंध काम के घंटों से है और खंड 7 का समयोपरि भुगतान की दर से।

पहले, काम के घंटों में कमी को लेते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है। मौजूदा स्थिति यह है कि कारखानों अधिनियम की धारा 34 के अनुसार पूरे साल चलने वाली फैक्ट्रियों में काम के अधिकतम घंटे 54 प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं और पूरे साल न चलने वाले अर्थात् मौसमी कारखानों में यह संख्या 60 घंटे प्रति सप्ताह है। विधेयक के खंड 2 में प्रस्ताव है कि धारा 34 के अनुसार पूरे साल चलने वाले कारखाने में काम के अधिकतम घंटे 48 नियत किए जाएं और मौसमी फैक्ट्री में अधिकतम 54 घंटे नियत किए जाएं। सदन को यह बनाया आवश्यक है कि सरकार ने यह संशोधन क्यों जरूरी समझा।

सदन के कुछ सदस्यों को स्मरण होगा कि कारखानों में काम के घंटों का प्रश्न पहली बार 1919 में वाशिंगटन में हुए सम्मेलन में उठा था। सम्मेलन ने कारखाना श्रमिकों के लिए काम के अधिकतम घंटे 40 नियत किए थे, परंतु भारत की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन इस बात पर तैयार हो गया था कि यहां काम के घंटों की अधिकतम सीमा 60 रखी जाए जो एक समय लागू थी। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 60 घंटों को जारी रखने की अनुमति दे दी। तब

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 1, संख्या 7, 21 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1304-6

रॉयल श्रम आयोग ने इस मामले की जांच की और कहा कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने भारत सरकार पर ऐसा कोई दायित्व नहीं डाला था कि वह वाशिंगटन सम्मेलन के अनुरूप फ़ैक्ट्री कानून बनाए फिर भी इस आयोग ने सिफारिश की कि यह जरूरी है कि भारत में काम के घंटों की संख्या 54 रखी जाए। भारत सरकार ने वह सिफारिश स्वीकार कर ली और 1934 में संशोधन विधेयक लाया गया जिसके अधीन धारा 34 में मौजूदा अवधि लागू हुई। भारत सरकार का विचार है कि अब समय और परिस्थितियां आ गई हैं कि यह जरूरी है कि भारत के फ़ैक्ट्री कर्मचारियों को वाशिंगटन सम्मेलन के काम के घंटों का लाभ दिया जाए और यही कारण है कि यह विधेयक लाया गया है।

मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत सरकार इस विषय में इतना तात्कालिक क्यों समझती है। परंतु मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह कदम उठाया। मैं समझता हूँ कि इस बात पर सहमति होगी कि अन्य कारणों के अतिरिक्त किसी कारण पर विचार किया जाना चाहिए तो वह है भारत की जलवायु की परिस्थितियां। इस बात पर सहमति होगी कि भारत जैसे देश में अन्य देशों की अपेक्षा काम के घंटे कम होने चाहिए। एक अन्य कारण यह है कि युद्ध के दौरान जारी अध्यादेश की धारा 8 के अनुसार हमने प्रांत सरकारों को काम के घंटे बढ़ाए जाने की छूट दे दी थी। श्रमिक वर्ग और भारत सरकार सोचती है कि युद्ध के दौरान काम के घंटे बढ़ाए जाने से जो मेहनत मजदूरों पर बढ़ी वह इतनी ज्यादा है कि सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य के हित में यह आवश्यक समझती है। इस कदम से बेरोजगारी कम करने पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा जिसकी कि छंटनी के कारण आशंका है। यदि 48 घंटे और 54 घंटे जो मौजूदा विधेयक में निश्चित किए गए हैं

श्री वी.एन. गाडगिल (बंबई केंद्रीय डिवीजन : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : इसे 40 कर दें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :सब जगह लागू किए जाएं तो मैं निश्चय ही उससे अधिक लोग काम पर आएंगे जितने कि इस समय आ रहे हैं और कुछ हद तक हमारी युद्धोपरांत कठिनाइयों में राहत मिलेगी। कुछ सदस्य शायद सोच रहे हों कि यह बहुत ही बुनियादी परिवर्तन लाने वाला कदम है। मैं उनकी इस धारणा को दूर करना चाहूंगा। फिलहाल जो चल रहा है उसमें इस विधेयक से कोई बुनियादी परिवर्तन आने वाली नहीं है। मैं सदन में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ, यह बताने के लिए कि साल भर चलने वाले कारखानों में 48 घंटे और मौसमी कारखानों में 54 घंटे की सीमा बांधना किस हद तक समय की पुकार बन गई है।

मैं 1939 केसाल भर चलने वाले कारखानों की संख्या बता रहा हूँ, वे कुल मिलाकर 8,644 थे और उनमें से 2315 कारखाने 48 घंटे प्रति सप्ताह काम ले रहे थे अर्थात् 27 प्रतिशत कारखाने। 1940 में कारखानों की संख्या 8115 थी और जो 48 घंटे प्रति सप्ताह काम ले रहे थे उनकी संख्या 2525 थी अर्थात् 28 प्रतिशत। 1941 में कारखानों की संख्या 10261 थी और जो 48 घंटे काम लेते थे वे 2921 थे अर्थात् 29 प्रतिशत। 1942 में उनकी कुल संख्या 10483 थी और 48 घंटे काम लेने वालों की 2687 अर्थात् 26 प्रतिशत। 1943 में कुल 11239 कारखानों में से 48 घंटे काम लेने वालों की संख्या 2761 थी अर्थात् 25 प्रतिशत। 1944 में 11835 कारखानों में 48 घंटे काम कराने वाले 3191 अर्थात् 27 प्रतिशत थे। मौसमी कारखानों के बारे में भी ऐसे ही तथ्य निम्न प्रकार हैं : 1939 में इनकी संख्या 6522 थी, इनमें से 2409 में 54 घंटा प्रति सप्ताह की दर पर काम हुआ, अर्थात् 39 प्रतिशत में। 1940 में कुल 6239 कारखानों में से 2440 में 54 घंटे काम लिया जाता था। प्रतिशत इतना ही था। 1941 में यह संख्या 6265 थी, इनमें से 54 घंटे काम कराने वाले 2439 थे जिनका प्रतिशत 39 ही था। 1942 में 5925 में से 54 घंटे काम लेने वाले 2358 कारखाने थे। यह संख्या 40 प्रतिशत बैठती है। 1943 में इनका योग 6255 था, इनमें से 2398 में 54 घंटे काम लिया गया। यह संख्या 40 प्रतिशत बनती है। 1944 में, 5950 कारखानों में से 2368 ने 54 घंटे काम किया। यह 40 प्रतिशत बैठता है। (एक माननीय सदस्य : “बाकी में 54 घंटों से अधिक”) अधिकतम से ऊपर नहीं, परंतु इस विधेयक में निर्धारित घंटों से अधिक।

श्री श्रीप्रकाश (बनारस और गोरखपुर डिवीजन : गैर-मुस्लिम देहात) कामगारों की संख्या क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस पर आ रहा हूँ। कामगारों की संख्या के बारे में दुर्भाग्य से हमारे पास संपूर्ण आंकड़े नहीं हैं। परंतु हाल ही में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या इस प्रकार है : मौसमी और गैर-मौसमी सभी फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की वर्ष 1945 की कुल संख्या 25,20,251 है। जो कर्मचारी 48 से 54 घंटे काम करते हैं, उनकी संख्या 9,47,000 है जो 37 प्रतिशत बैठती है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि पूरे साल चलने वाली और मौसमी फैक्ट्रियों में से बहुतों ने विधेयक में नियत काम के अधिकतम घंटे पहले ही लागू कर रखे हैं और इस दृष्टिकोण से यह नहीं कहा जा सकता कि विधेयक मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा बुनियादी परिवर्तन कर रहा है।

एक और मुद्दा जो विधेयक के आलोचकों ने उठाया है जिसका उल्लेख मैं अपने उत्तर में करूंगा। कहा गया है कि इस विधेयक से उत्पादन पर असर पड़ेगा -

उत्पादन घटेगा, और यह जोर देकर कहा गया है। विशेष कपड़ा मिल वाले यह बात करते हैं। उनका कहना है कि उनके दृष्टिकोण से और देश के दृष्टिकोण से यह असामयिक कदम है। देश में कपड़े की बहुत कमी है। दरअसल इस समय कपड़े का अकाल है और वे कहते हैं कि इन परिस्थितियों में यदि कुछ आवश्यक है तो यह कि मिलों और खासतौर पर कपड़ा मिलों को काम के घंटों में अधिक रियायत मिलनी चाहिए जिससे कि कपड़े के उत्पादन की कमी पूरी की जा सके। काम के घंटों में कमी के उत्पादन पर प्रभाव को जानने के लिए खासतौर से कपड़ा मिलों में श्रम विभाग ने जांच कराई और मेरे पास बड़े रोचक आंकड़े हैं। आंकड़े तो बहुत से हैं, परंतु मैं उनसे सदन को उबाना नहीं चाहता। किन्तु मैं कपास के प्रयोग, करघों, तकुओं आदि की संख्या में वृद्धि का जिक्र करूंगा जिससे कि सदन अनुमान लगा सके। मैं 1934 के आंकड़ों को लेता हूँ जिस साल काम के घंटों में परिवर्तन किया गया था और 60 से घटा कर 54 कर दिया गया था। 1934 में स्थिति यह थी। उस समय 352 कपड़ा मिलें थीं और कुल 9613174 तकुए, 194388 करघे तथा 384938 श्रमिक थे। इस दौरान 2703940 कपास की गांठों का प्रयोग हुआ। अगले साल 1935 में जब कानून के प्रावधान लागू हुए तो मिलों की संख्या बढ़कर 365 हो गई। तकुए 9685175 हो गए और करघों की संख्या बढ़कर 198867 हो गई। कर्मचारी भी 4,14,884 हो गए। कुल गांठे 3,123,418 प्रयोग में आईं। आखिरी सात जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, 1938 है। इस वर्ष मिलों की संख्या 380 हो गई और तकुओं की संख्या भी बढ़कर 1020275 हो गई।

श्री श्रीप्रकाश : क्या माननीय सदस्य उनकी संख्या लाख में बताएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ये यहां मिलियन में दिए गए हैं। जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ सदन के दूसरे पक्ष के सदस्य उनसे पूरी तरह अवगत हैं। जितना सदस्य महोदय दर्शा रहे हैं वह उतने अनभिज्ञ नहीं हैं।

करघों की संख्या 200,286 थी, मजदूर 437,690 लगाए गए और 3,662,648 गांठें इस्तेमाल हुईं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि पिछले अनुभवों को भविष्य की संभावनाओं में देखा जाए तो मुझे विश्वास है कि ऐसी आशंकाएं निराधार हैं। फिर भी, भारत सरकार यह मानती है कि कपड़े का अकाल है। यदि अकाल भी नहीं तो मौजूदा हालत में अभाव है, इसलिए कुछ व्यवस्था करना जरूरी है जिससे कि मौका पड़े तो मिलों और अन्य प्रतिष्ठानों को जिनमें ज्यादा समय तक काम की जरूरत पड़े तो उन्हें यह छूट हो। तदनुसार, विधेयक में एक खंड जोड़ दिया गया है, जो खंड 5 है, और उससे धारा 44 संशोधित होती है। इस खंड की शब्दावली से पता चलेगा

कि प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वे आदेश की अवधि एक बार छह महीने बढ़ा सकती है - यदि यह प्रमाणित हो जाए कि आपात स्थिति में जनहित का प्रश्न है। जब आपात स्थिति हो, तो कारखाना अधिनियम को स्थगित कर दिए जाने का भी प्रावधान है। यह समझा गया कि कपड़े का अभाव आपात स्थिति नहीं कही जा सकती, और परिणामस्वरूप प्रांतीय सरकारें मौजूदा कानून में विद्यमान धाराओं के पालन की स्थिति में नहीं होती। इसलिए भारत सरकार ने विधेयक में एहतियात के तौर पर एक खंड जोड़ दिया है जो एक अन्य स्थिति के लिए प्रावधान है जो जनहित कहलाती है। मुझे आशा है कि यह खंड कपड़ा निर्माण के बारे में कपड़ा मिल मालिकों की विधेयक के प्रभाव के बारे में आशंकाएं दूर कर देगा।

श्रीमन्, अन्य खंड अर्थात् खंड 3, 4 और 6 शुद्ध रूप से आनुषंगिक है। खंड 3, साल भर चलने वाली फैक्ट्रियों में दैनिक अधिकतम सीमा को 11 से 9 और मौसमी फैक्ट्रियों में 11 से 10 करता है। यह साल भर चलने वाली और मौसमी फैक्ट्रियों में नई अधिकतम सीमा नियत करने के प्रमुख परिवर्तन के अनुरूप है। खंड 4 और 6 समय सीमा को 13 घंटे से 12 घंटे करने में संबद्ध हैं और मुझे इसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक के दूसरे प्रमुख प्रावधान के बारे में जिसके विषय में मैंने कहा है कि यह समयोपरि भुगतान की दर से संबंधित है, माननीय सदस्य देखेंगे कि समयोपरि भुगतान पर मौजूदा कानून में कोई समान व्यवस्था नहीं है। दरअसल दो भिन्न नियम हैं : एक साल भर चलने वाली फैक्ट्रियों के बारे में है और दूसरा मौसमी फैक्ट्रियों के बारे में। यदि 60 घंटे से अधिक काम लिया गया है तो $1\frac{1}{2}$ गुने का भुगतान होगा। असल में दो भिन्न-भिन्न दरें हैं, एक है साल भर चलने वाली फैक्ट्रियों के लिए और दूसरी है मौसमी फैक्ट्रियों के लिए। मौसमी फैक्ट्री के लिए यदि काम के घंटे 60 से अधिक हैं तो $1\frac{1}{2}$ गुना भुगतान होता है। यदि 54 से 60 घंटों के बीच है तो भुगतान $1\frac{1}{4}$ गुना है और यदि 60 से ऊपर है तो $1\frac{1}{2}$ गुना। सरकार समझती है कि समयोपरि भुगतान की दरों में भेदभाव और अंतर न्यायोचित नहीं है इसलिए यह वांछनीय है कि समयोपरि भुगतान का एक ही नियम रहना चाहिए, चाहे फैक्ट्री किसी श्रेणी की हो। इसलिए विधेयक का उद्देश्य यह संशोधन करना है कि दरें डेढ़ गुना होनी चाहिए। मुझे आशा है कि सदन को अहसास होगा कि यह एक साधारण सा कदम है जो पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था और सदन दर से उठाए गए इस कदम का समर्थन करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्थापित मानक के अनुसार ही भारतीय कानून को बनाया जाए।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मैंने एक संशोधन पेश करने वाले प्रस्तावक का भाषण सुना और यदि उस संशोधन के पक्ष में मात्र वही भाषण होता तो मैं उसका विरोध करता क्योंकि अब तक जो मैं सुन सका हूँ माननीय प्रस्तावक ने अपना संशोधन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने संशोधन इसलिए पेश किया है कि मैंने अपने भाषण में यह व्याख्या नहीं की है कि क्या भारत सरकार ने विधेयक पेश करने से पूर्व इस बारे में विभिन्न दलों से सलाह-मशविरा किया था। निश्चित रूप से मैं यह नहीं कह पाया, परंतु मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि पिछले कई वर्षों से एक संस्था श्रम सम्मेलन नाम से विद्यमान है जिसकी वार्षिक बैठक होती है। उसकी एक स्थायी समिति है जिसकी बैठक हर तिमाही में होती है। इसमें श्रमिकों, मालिकों और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार यथासंभव सम्मेलन के समक्ष श्रम संबंधी प्रस्तावित कानूनों का मसौदा रखती है ताकि उन पर विभिन्न पक्षों का मत जाना जा सके। श्रीमन्, इस विधेयक के बारे में भी ऐसा ही किया गया था। मेरे पास खास तौर से तो यह सूचना नहीं है कि स्थाई श्रम समिति के विचार के लिए यह कितनी बार रखा गया परंतु मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस विधेयक पर उन दोनों में से एक समिति में (मैं भूल गया किस में) बहुत बारीगी से विचार किया जा चुका है। हमें पता चला कि सूती मिल मालिकों की कुछ कठिनाइयाँ हैं और कुछ आपत्तियाँ हैं और उसी दृष्टिकोण से एक खास संशोधन रखा गया है। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन के प्रस्तावक ने कोई ठोस बात कही है। जैसा कि मैंने कहा, यदि वही एकमात्र आधार होता तो मैं विरोध करता परंतु बहस ने एक अजीब मोड़ ले लिया है।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर और नेल्लोरा : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) एक स्वागत योग्य मोड़।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : शायद यह स्वागत योग्य मोड़ है। मैंने भाषणों में देखा, जो सदन के विभिन्न पक्षों से दिए गए हैं, कि श्रमिकों के प्रति प्यार जताने की होड़ लगी है। एक पक्ष एक बात कहता है। फिर दूसरा उठता है, जैसे वह ऊंची बोली लगा रहा हो, फिर तीसरा उससे भी बढ़कर।

एक माननीय सदस्य : आप और भी ऊंची बोली लगा सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस पूरी बहस के दौरान मुझे एक अप्रसन्नता है। इस सदन में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो रॉयल श्रम आयोग के सदस्य थे और जिन्हें

चाहिए था कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर इन व्यवस्थाओं को पास कराते जिनकी उन्होंने आयोग के सदस्य के नाते सिफरिश की थी, सरकारी पक्ष से भी नहीं तो कम से कम गैर-सरकारी पक्ष से ही सही। परंतु वे ही कहते हैं कि मैं अनुदारवादियों से भी अनुदार हूँ। मुझे यह दोषारोपण स्वीकार नहीं, परंतु मैं अनुभव करता हूँ कि यह आवश्यक है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिससे कि जो-जो बयान दिए गए हैं, जो-जो दावे किए गए हैं, वे सामने आएँ और जो दृष्टिकोण उन्होंने व्यक्त किए हैं, वास्तविक मत विभाजन में उनकी परीक्षा हो जाए और यह पता चले कि जो भावनाएँ उन्होंने व्यक्त की हैं वे भावनाएँ ही हैं या उनकी वास्तविक धारणाएँ हैं। यदि ऐसा मैंने न किया होता, तो यह विपक्ष को छूट है कि वह कहता कि मैं अनुदारवादी हूँ और विधेयक को कुछ सीमाओं से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता और इसी कारण प्रस्ताव से मुंह मोड़ रहा हूँ।

(इस समय माननीय सदस्यगण उठकर खड़े हो गए)

***श्री आर. वेंकटसुब्बा रेड्डियार :** प्रवर समिति में नामों के बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है। मैं दो नाम और जोड़ना चाहता हूँ - श्री डी.ए. रामलिंगन चेट्टियार और रायबहादुर भट्टाचार्य।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

“कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें माननीय सर अशोक राव, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, प्रोफेसर एन.जी. रंगा, श्री वी. एन. गाडगिल, श्री वाडीलाल लालू भाई, दीवान चमनलाल, पंडित बाल कृष्ण शर्मा, श्री मोहम्मद नौमान, श्री मोहम्मद एम किलेदार, श्री हसन अहरावर्दी, श्री एस.सी. जोशी, श्री एस.सी. इसकिप, कु. मणिबेन कारा, श्री एस. गुरुस्वामी, चौधरी श्री चंद, श्री टी. ए. रामलिंगम चेट्टियार, राय बहादुर डी.एम. भट्टाचार्य और प्रस्तावक शामिल हों और समिति को निर्देश दिया जाए कि वह 7 मार्च, 1946 या उससे पूर्व अपनी रिपोर्ट दे दें और बैठक में कम से कम पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*पुनर्वास योजनाएं

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : अध्यक्ष महोदय, यूरोपियन दल के नेता ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि वे नहीं समझते कि भारत सरकार की पुर्नस्थापना और पुनर्वास योजनाएं विस्थापकों की संख्या को देखते हुए ठीक गति से चल रही हैं। मान्यवर, इसी उद्देश्य से इस विषय में सदन को वांछित सूचना देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पुर्नस्थापना का कार्य दो भागों में विभाजित है - भूमि का पुर्नस्थापना और उद्योग में पुर्नस्थापना। भूमि पर पुर्नस्थापना का मामला राज्य सरकारों को सौंपा गया है। भूमि पर पुर्नस्थापना प्रांतों को सौंपे जाने का कारण सदन को पता है। संवैधानिक दृष्टि से भूमि प्रांतों का अधिकार-क्षेत्र है। चाहे इस बारे में कोई भी तर्क दिए जाएं कि पुर्नस्थापना का मामला एक ही सरकार अर्थात् भारत सरकार के अधीन रहे, इससे अंतर नहीं पड़ता क्योंकि इन तर्कों से दूसरे तर्कों को निरस्त नहीं किया जा सकता जो इस तथ्य पर आधारित है कि भूमि प्रांतीय अधिकार-क्षेत्र का विषय है। इसलिए मेरी इस बात से सहमति है कि यह प्रश्न प्रांत सरकारों को सौंप दिया गया है। भारत सरकार के अधिकार-क्षेत्र में उद्योगों में की जाने वाली पुर्नस्थापना आती है। इसी विषय में मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

पुर्नस्थापना का कार्य पुर्नस्थापना और रोजगार महानिदेशक के कार्य क्षेत्र में है। विभाग या शाख को सात विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है - (1) रोजगार विभाग, (2) तकनीकी प्रशिक्षण, (3) व्यावसायिक प्रशिक्षण, (4) अपंग सैनिक का पुनर्वास, (5) भूतपूर्व सैनिकों और अपंग सैनिकों को रोजगार देने के लिए प्रेरणा, (6) बाद की सेवाएं, (7) छंटनी किए गए या हटाए गए लोगों के आंकड़े।

भूतपूर्व सैनिकों और अपंग सैनिकों को फिर से नौकरी देने की प्रेरणा देने और साथ ही बाद की कार्यवाही सेवाओं, छंटनी के आंकड़े स्पष्टतः इतनी आवश्यक और स्वयं व्याख्यायित सेवाएं हैं कि उनके विषय में मैं सोचता हूं कि इन पर व्याख्या

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 3, संख्या 4, 5 मार्च, 1946, पृष्ठ 1898-1900

करके मैं अपना समय नष्ट न करूँ कि ये सेवाएं क्यों शुरू हुईं की गई हैं और उनका आशय क्या है। इसलिए मैं इन विषयों को माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूँ कि वे भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी की गई पुस्तक पढ़ लें। इसकी एक प्रति पुस्तकालय में है और यदि कोई माननीय सदस्य व्यक्तिगत उपयोग हेतु इसकी प्रति चाहता है तो मुझे उन्हें देने में बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री एम. अनन्तशयनम अध्यक्ष : शीर्षक क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : “द डायरेक्टरेट जनरल आफ रिसेटलमेंट एंड एम्प्लायमेंट।”

बाबू राम नारायण सिंह : कृपया उसे परिचालित कर दें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पिछली बार जब श्रम सलाहकार समिति की बैठक हुई थी तो उसमें इसकी प्रतियां दी गई थीं। एकमात्र प्रश्न जिसकी व्याख्या जरूरी है वह है रोजगार दफ्तर, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास। मैं उनको क्रमानुसार लूंगा।

तकनीकी प्रशिक्षण में स्थिति यह है। तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के तकनीकी केंद्र हैं। इन केंद्रों में 14,000 सीटें युद्धोपरांत बेरोजगार लोगों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी। तकनीकी केंद्रों में 48 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसकी विस्तृत सूची इस पुस्तिका के परिशिष्ट-VII के पृष्ठ 55 पर है। अब व्यावसायिक प्रशिक्षण को लें। इसका संबंध कृषि, दुग्ध उद्योग, कुटीर उद्योग, लिपिकीय और वाणिज्यिक व्यवसायों के प्रशिक्षण से है। यह योजना बन चुकी है और पुष्टि के लिए प्रांत सरकारों को भेजी गई है। प्रस्ताव यह है कि इन व्यावसायिक केंद्रों में 20,000 सीटें कृषि संबंधी व्यवसायों के लिए आरक्षित होंगी और 50,000 अन्य व्यवसायों के लिए होंगी।

अब पुनर्वास के प्रश्न पर आते हैं। इसमें युद्ध विभाग और श्रम विभाग दोनों का साझा है, और इसका कारण स्पष्ट है। एक सैनिक जो युद्ध में घायल हुआ है, उसके पुनर्वास का दायित्व दो चरणों में है। पहला चरण चिकित्सा का है जहां घाव भरना और अस्पताल से छुट्टी के बाद उसका पुनर्वास प्राथमिक महत्व का है। स्पष्ट है कि चूंकि सैनिक युद्ध विभाग की सेवा में था, इसलिए यह मामला युद्ध विभाग देखेगा। जब वह बाहर आएगा, अर्थात् चिकित्सा के बाद पुनर्वास के प्रथम चरण की समाप्ति पर, तो वह श्रम विभाग के पास जाएगा और दूसरा काम श्रम विभाग देखेगा। सैनिकों के पुनर्वास के उद्देश्य से श्रम विभाग न दो प्रकार के केंद्र खोले हैं : एक तो प्राथमिक केंद्र कहलाते हैं, जिनमें 5000 लोगों के लिए स्थान है, और दूसरा विशेष

प्रशिक्षण केंद्र जिसमें तीन हजार लोग होंगे। प्राथमिक केंद्र का उद्देश्य व्यक्तिगत रुचि का पता लगाना है। उसकी रुचि क्या है? उसे किस प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाए जहां उसे उसकी चोट विशेष का ध्यान रखकर अनुकूलतम व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए? पुनर्वास चाहने वाले सैनिकों के लिए कुल छह केंद्र खोलने की श्रम विभाग की योजना है। बंगलौर के पास जलादी में एक केन्द्र खोल दिया गया है और जल्दी ही पूना के पास औंध में दूसरा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।

अब मैं रोजगार दफ्तरों पर आता हूँ जो दरअसल पुर्नस्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। श्रम विभाग इस निर्णय पर पहुंचा है कि ऐसे 71 रोजगार कार्यालय खोलना पर्याप्त होगा। उसने अब तक 38 ऐसे दफ्तर खोल दिए हैं और निर्णयानुसार जल्दी ही और दफ्तर खोले जाने की आशा है।

श्रीमन्, मैं जानता हूँ कि इस सदन के सदस्यों और बाहर की जनता दोनों की ओर से कुछ आलोचना की जाती है - वह है यह प्रश्न कि रोजगार दफ्तर खोले जाने में उतनी तीव्रता से काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। मैं इस आलोचना को समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए सदन के सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूँ जिनसे स्पष्ट होगा कि श्रम विभाग शीघ्रता से क्यों रोजगार दफ्तर नहीं खोल पाता। एक बात जो याद रखनी है वह यह है कि जब तक किसी रोजगार दफ्तर को चलाने के लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलता है वह सफल नहीं हो सकता। यह ध्यान रखना होगा कि रोजगार दफ्तर चलाना विशेष प्रकार का कार्य है - अत्यधिक विशेष प्रकार का कार्य। कोई भी रोजगार दफ्तर पूरी तरह विफल हो जाएगा यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाएगा जिसे कार्य का अनुभव नहीं है। इसलिए कोई रोजगार दफ्तर खोलने से पूर्व यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ प्रशिक्षण दिया जाए जो रोजगार दफ्तर का प्रभारी हो। इसी कारण यह एक कठिनाई है कि रोजगार कार्यालय शीघ्र शुरू नहीं किए जा रहे हैं।

श्री पी.के. ग्रिफिथ : प्रशिक्षण कहां दिया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस पर आ रहा हूँ। इसलिए हमने दिल्ली में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। श्री जोन्स के अधीन यह एक स्कूल जैसा है। उनकी सेवाएं हमें इंग्लैंड के श्रम विभाग ने दी हैं। वह इस प्रशिक्षण केंद्र को चलाते हैं। उसमें एक रोजगार दफ्तर के सभी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रो. एन.जी. रंगा : एक समय में आप कितने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको सही संख्या नहीं बता सकता। इन पुस्तकों में यह संख्या है। मेरा ख्याल है एक बार में 35 को।

प्रो. एन.जी. रंगा : उनकी नियुक्ति में आप कितना समय लेते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कठिनाई यह है कि इन पदों को संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर भरा जाता है और संघीय लोक सेवा आयोग तीन महीने के करीब समय लेता है। मैं नहीं जानता कि और कहना भी नहीं चाहता कि क्या संघीय लोक सेवा आयोग अनावश्यक विलंब करता है। (प्रो. एन.जी. रंगा द्वारा व्यवधान) मैं मात्र इतना कह रहा था कि इन दफ्तरों को शीघ्र शुरू करने में देर क्यों होती है। पहली कठिनाई यह है कि संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां करने के कारण काफी समय लग जाता है। दूसरे जब नियुक्ति हो जाती है तो हमें उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है। इसलिए इस सब में समय लगता है और मैं नहीं समझता कि समय बर्बाद किया जाता है।

श्रम आयोग की आलोचना में एक और मुद्दा उठाया जाता है कि सभी रोजगार दफ्तर शुरू नहीं किए गए हैं। श्रम विभाग ने अभी सभी दफ्तरों को कार्यक्षेत्र में नहीं उतारा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई संगठन कार्यक्षेत्र में नहीं है जो इस काम को चला सके। सदस्यों को जानकारी होगी कि युद्ध विभाग में एक भर्ती और रोजगार ब्यूरो है जो अपना काम कर रहा है और सरकार की नीति है कि समय आने पर इस संगठन से यह कार्य ले लिया जाए और संपूर्ण कार्य श्रम विभाग को दे दिया जाए। श्रम विभाग जब रोजगार दफ्तर खोलने का काम आगे बढ़ाएगा तो वह युद्ध विभाग से इस काम को अपने हाथों में ले लेगा। फलस्वरूप, आज स्थिति यह है कि वास्तव में दो भिन्न संगठन आपस में पूरा सहयोग कर रहे हैं - एक है श्रम विभाग और दूसरा है युद्ध विभाग और हमें आशा है कि समय आने पर सभी कार्य जो अभी भर्ती संगठन कर रहा है रोजगार दफ्तरों पर आ जाएगा और पुनर्स्थापना के संपूर्ण कार्य को चलाने के लिए एक भरा-पूरा सक्षम संगठन तैयार हो जाएगा।

श्रीमन्, मुझे आशा है कि सदन को इससे संतोष होगा कि जिन परिस्थितियों में श्रम विभाग है उनकी दृष्टि में वह यथेष्ट प्रत्यन कर रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि इस बात का अहसास किया जाएगा कि युद्ध अनुमान से पहले समाप्त हो गया और जो मामले हमारे सामने आए उनसे हम पुनर्स्थापना के बारे में सकते में पड़ गए। फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि थोड़े समय में जो संभव है वह किया जा रहा है और मुझे संदेह नहीं है कि जो सैनिक हटा दिए गए हैं उन्हें यह संगठन अपने असैनिक रोजगार के लिए बहुत उपयोगी लगेगा।

*कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य स्पष्ट है। उनका आशय तीन विशिष्ट विषयों पर विचार करना है जिन पर कार्यकारी परिषद विफल रही है। उनके अनुसार वे हैं बेरोजगारी राहत, समुचित मंहगाई भत्ता और सामाजिक सुरक्षा लाभ। कटौती प्रस्ताव के बारे में पहले मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगा कि यदि प्रस्ताव सामान्य होता है तो निस्संदेह इसका आधार भिन्न होता परंतु सदन देखेगा कि यह कटौती प्रस्ताव केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विषय में है और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि इस कटौती प्रस्ताव में गंभीर गलती है। मैं नहीं जानता कि क्या कटौती प्रस्ताव देने वाले सदस्य की एकमात्र इच्छा यह है कि भारत सरकार तीन मामलों में जिनका उन्होंने जिक्र किया है कोई ऐसी नीति बनाए कि इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त कर्मचारियों की एक श्रेणी बना दे, महज इसलिए कि वे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं।

देश में केवल सरकार ही कर्मचारी नियुक्त नहीं करती। निजी मालिकों द्वारा भी काफी संख्या में कर्मचारी रखे जाते हैं। जैसा कि इस सदन में सभी सहमत होंगे, जब भारत सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए कोई नीति बनाए तो वह इस ढंग से बनाई जाए कि एक श्रेणी विशेषाधिकार संपन्न और दूसरी श्रेणी विशेषाधिकार हीन न बन जाए। केवल भारत सरकार ही नियोजक नहीं है। वह एक राज्य है, वह एक सरकार है, और उसका दायित्व उन्हीं के प्रति नहीं है जो सीधे उसके कर्मचारी हैं। उसका दायित्व सभी श्रमिकों के बारे में सामान्य रूप से है। इसलिए उन सभी शिकायतों पर भारत सरकार को काम करना है जिनका प्रस्तावक ने प्रश्न उठाया है। भारत सरकार कर्तव्यबद्ध है कि वह इस ढंग से नीति बनाए जो श्रमिकों के लिए सामान्य रूप से लाभदायक हो, किसी वर्ग विशिष्ट के लिए ही नहीं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 3, संख्या 7, 11 मार्च, 1946, पृष्ठ 2138-40

श्रीमन्, मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि भारत सरकार के अपने ही विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ और मुझे इसका खेद है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि इस श्रेणीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है जो हमें वेतनों में - चाहे मूल वेतन हो या मंहगाई भत्ते या ग्रेच्युटी अथवा अन्य सुविधाएं हों - देखने के लिए मिलती है। मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि इसका पूरा दायित्व मजदूर नेताओं पर है। हमारे यहां एक रेलवेमेंस फेडरेशन है। कोई रेलवेमेंस फेडरेशन की नीति का अध्ययन करेगा तो मैं सोचता हूँ वह मेरे साथ सहमत होगा कि उसने अपने हितों के संदर्भ में सदा संकीर्ण रुख अपनाया है। फेडरेशन का एक महत्वपूर्ण सेवा पर नियंत्रण है जिस पर समाज का जीवन निर्भर है इसलिए वह रेल विभाग को दबा लेता है और जोर डालता है कि रेल कर्मचारियों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं। मैं कह सकता हूँ कि वे विधानमंडलों के कुछ सदस्यों को भी अपने हितों के दायरे में लपेट लेते हैं। तब पक्षपात का भाव पैदा होता है, जो अन्य हितों की अनदेखी करके केवल रेल कर्मचारियों के लिए कुछ विशेषाधिकार ले लेता है। हालांकि यह खुल्लमखुल्ला नहीं कहा जाता, परंतु रेल कर्मचारी चाहते हैं कि अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा उनका पलड़ा भारी रहे। यदि एक विभाग के कर्मचारियों को रेल विभाग के समान कुछ दिया जाता है तो रेल विभाग के कर्मचारियों में तुरंत असंतोष पैदा हो जाता है क्योंकि वे कहने लगते हैं कि परंपरा और प्रथा के अनुसार उनके विशेषाधिकार की स्थिति बनी रहनी चाहिए और उनके वेतन में और आगे वृद्धि होनी चाहिए। यह चल रहा है, और श्रम विभाग के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि श्रम विभाग न्यायनिर्णय बोर्ड की स्थापना नहीं कर रहा है जो इसे करनी चाहिए, परंतु किसी खास सेवा के लिए या किन्हीं खास मामलों में न्यायनिर्णय बोर्ड बनाने का क्या लाभ है जब कि हर मामला एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है? नतीजा आपके सामने है - तदर्थ बोर्ड, तदर्थ रिपोर्ट, तदर्थ फैसले जिन पर तदर्थ कार्य हुआ। परिणाम रहा है अनवरत असमानता, अनवरत विविधता। इसलिए हमारे सामने फिलहाल जो स्थिति है वह गलत संगठनों की देन है। मैं इसे भारत के कर्मचारी वर्ग की देन कह सकता हूँ और खासतौर पर भारत सरकार के कर्मचारी वर्ग की। मेरे विचार में सदन सहमत होगा कि सरकार ने जो हाल ही में वेतन आयोग गठित किया है वह सही दिशा में एक कदम है क्योंकि देश में वेतन ढांचे के पूरे प्रश्न पर और भारत सरकार के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में तथा निजी क्षेत्र में वेतन के बारे में यह आयोग जांच करेगा। मुझे आशा है कि आयोग से हमें कुछ सिफारिशें प्राप्त होंगी जिनसे हम देश में वेतन प्रणाली में एकरूपता ला सकेंगे जिससे कि सभी का पता चलेगा कि जिस आधार पर वेतन

नियत किए जाते हैं उसका सिद्धांत क्या है।

दूसरी कठिनाई जो मैं समझता हूँ, वह यह है कि भारत सरकार के अधिकांश कर्मचारी जो उन सेवाओं में तैनात हैं जिनसे राजस्व प्राप्त होता है, यह समझने लगे हैं कि उनके विभाग के राजस्व में सबसे पहला हिस्सा उन्हीं का है। रेलवे कर्मचारी यह समझते हैं कि चूंकि रेल विभाग को लाभ हो रहा है इसलिए उन्हें औरों से अधिक वेतन मिलना चाहिए। यदि डाक कर्मचारी ऐसा समझते हैं कि डाक विभाग को लाभ हुआ है तो वे भी दावा करते हैं कि उस विभाग के राजस्व से उनही बेहतरी, रहन-सहन के स्तर में सुधार किया जाए। श्रीमन्, जहां तक मेरा संबंध है, मुझे निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं और मैं सदा इसका विरोध करूंगा। भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्त हाता है, चाहे वह कर लगाने से हो या व्यावसायिक उपक्रमों से हो, वह भारत सरकार का है। वह समाज के किसी खास वर्ग का नहीं है। वह भारत सरकार के निजी विभाग विशेष का नहीं है। वह भारत सरकार का राजस्व है, और पूरी जनता का उस पर दावा है। कर्मचारियों के किसी वर्ग द्वारा किए गए ऐसे दावे का मैं सदा प्रतिरोध करूंगा अर्थात् इस बात का कि यदि उनका विभाग कोई लाभ कमाता है तो उस पर पहला हक उनका है। इससे अफरा-तफरी फैलेगी और मैं इसमें भागीदार नहीं बन सकता।

श्रीमन्, मेरे मित्र, कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक, ने बेरोजगारी का प्रश्न उठाया है। मैं उस विशिष्ट प्रश्न पर बोलना नहीं चाहता जो उन्होंने उठाया है, लेकिन मैं बेरोजगारी लाभ के सामान्य मुद्दे पर बोलूंगा और मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि यह एक अत्यंत भ्रामक तर्क है। बेरोजगारी का निराकरण रोजगार देना है, इस प्रकार की राहत देना नहीं। राहत देकर बेरोजगार से तभी छुटकारा मिल सकता है जब बेरोजगारी बहुत कम पैमाने पर हो, जब यह हाथी की पूंछ हो पूरा हाथ नहीं। जैसाकि सभी जानते हैं, इस देश में बेरोजगारी 50-60 प्रतिशत है और हमें इनके लिए रोजगार चाहिए। क्या कोई यह कह सकता है कि 50-60 प्रतिशत जो बेरोजगार भारत में हैं इन राहतों से उन्हें काम मिल जाएगा? मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि यदि यह जिम्मेदारी ले ली जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। मेरे मित्र इस बात पर सहमत होंगे कि राहत अधिक औद्योगिकीकरण के लिए दी जाए। तीव्र और व्यापक औद्योगिकीकरण ही बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकता है और जैसा कि यह सदन अवगत है, भारत सरकार ने अपनी योजना तैयार कर ली है और औद्योगिकीकरण के बारे में फैसले की घोषणा कर दी है। मैं इस विषय में और नहीं बोलूंगा। परंतु मैं सदन को बता दूँ कि भारत सरकार ने वास्वत में देश के कर्मचारियों की आम बेहतरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या किया है।

जैसा कि माननीय सदन अवगत है, भारत सरकार ने श्रमिकों के विषय में अपनी नीति घोषित कर दी है। इस प्रश्न से संबद्ध अंशों को पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। यह सूचना परिषद की पुनर्निर्माण समिति के दूसरे भाग के शीर्ष XXV के पृष्ठ 55 और 56 में उपबंध है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि इस बारे में सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि भारत सरकार ने केवल उद्देश्य तय नहीं किए हैं, बल्कि एक कार्य योजना बनाई है। सदन को कार्य योजना से पता चलेगा कि भारत सरकार ने देश भर में मजदूरों की दशा जानने के लिए सर्वेक्षण कराने के आशय से तथ्यान्वेषी समिति नियुक्त कर दी है, वह भी दो साल पूर्व। हमें इस समिति की 34 उद्योगों के विषय में 34 रिपोर्टें मिल गई हैं। साथ ही एक सामान्य सिंहावलोकन सभी विशिष्ट रिपोर्टों पर कर लिया गया है। इनमें से 18 छप चुकी हैं, शेष मुद्राकों के पास है। कर्मचारियों के इस सामान्य औद्योगिक सर्वेक्षण के साथ ही देश में श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा के बारे में रिपोर्टें तैयार करने हेतु प्रो. अडारकर को विशेष अधिकारी बनाया गया है। जैसाकि मैंने कहा है, हमने केवल उद्देश्य ही निर्धारित नहीं किए हैं बल्कि हमारा एक कार्यक्रम भी है जिन पर सामाजिक सुरक्षा की योजना आधारित होगी। जैसा कि सदन को मालूम है, इस समय दो प्रकार के विचार हैं। एक है कि अन्य देशों की तरह हम चरणवार चलें। जैसे हमारे उद्योग बढ़ेंगे हम असुरक्षा के मामलों में विशेष रूप से देखेंगे और असुरक्षा से राहत दिलाने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाएंगे। एक अन्य विचार भी है जिस पर न्यूनाधिक 'वेवरिज योजना' का प्रभाव है और जिसके अंतर्गत बीमे सहित सुरक्षा नीति संबंधी सभी मामले एक साथ देखे जाएंगे। मैं किसी मामले को लेना नहीं चाहता और यह नहीं कहूंगा कि कौन सी योजना बेहतर होगी। भारत सरकार एक समिति या ऐसी ही संस्था बनाने का विचार रखती है। यह रिपोर्ट देखकर भारत सरकार को सलाह देगी कि किसी मामले में क्या किया जाए, चरणवार कार्य किया जाए या एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई जाए जैसाकि वेवरिज रिपोर्ट में कहा गया है। जो सर्वेक्षण मैंने पेश किया है वह बहुत संक्षिप्त है। मेरे पास विस्तार से बताने का समय नहीं है। इससे सदन को पता चलेगा कि कटौती प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य कौन हैं। जो शिकायत है वह पूरी तरह निराधार है कि कार्यकारी परिषद निष्क्रिय है, उदासीन है और श्रमिकों के कल्याण तथा सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। मुझे आशा है कि सदन उनके द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

*मुसलमानों की स्थिति श्रम विभाग में बेहतर है

सभापति महोदय : अब श्री जफर के कटौती प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : अध्यक्ष महोदय, सदन के बहुत सदस्यों को याद होगा कि श्रम विभाग पर बहुत पत्थर फेंके गए.....

नवाबजादा लियाकत अली खां (मेरठ डिवीजन : मुस्लिम ग्रामीण) : ईंटें, पत्थर नहीं

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : या ईंटे कहिए, पिछले सप्ताह इस कटौती प्रस्ताव के पूर्व। यह उचित ही है कि मैं अपने विभाग में मुसलमानों की स्थिति बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने दो वक्ताओं की धाराप्रवाह टिप्पणियां सुनी जो कटौती प्रस्ताव पर बोले। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न विभागों में मुस्लिमों की स्थिति पर आंकड़े रखे। चूँकि मैंने वह टिप्पणियां सुनी, मुझे अपने पास मौजूद तथ्य बताने होंगे। मुझे यह कहने में बहुत गर्व है कि श्रम विभाग में मुसलमानों की स्थिति उस तस्वीर से बहुत बेहतर है जो उन्होंने भारत सरकार के अन्य विभागों के बारे में चित्रित की। यह बेकार की शेखी बधारने वाली बात नहीं है बल्कि यह तथ्यों के बलबूते पर आधारित है। उन्हें कुछ ही मिनटों में वे मिल जाएंगे। वह हमने एकत्र कर लिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत से भारत सरकार के श्रम विभाग में मुसलमानों के प्रतिशत के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए हैं। न केवल श्रम अनुभाग में बल्कि लोक निर्माण विभाग और अन्य संबद्ध कार्यालयों में भी इस संख्या से पता चलता है कि इस समुदाय की क्या स्थिति है और मुसलमानों के साथ-साथ अन्य समुदायों की भी क्या स्थिति है। परंतु मुझे अहसास है कि जो समय मुझे मिला है उसमें मेरे लिए असंभव होगा कि मैं इन भिन्न-भिन्न समुदायों के बारे में पूरी स्थिति पेश कर सकूँ। इसलिए आज मैं केवल मुसलमानों की स्थिति पर बताऊंगा - न केवल उनकी कुल संख्या बल्कि उनका प्रतिशत भी ताकि मुस्लिम लीग के सदस्य सही स्थिति को जान लें।

मैं श्रम विभाग के सचिवालय की सम्प्रदाय स्थिति से आरंभ करता हूँ, और इसमें मेरा विचार न केवल मौजूदा संख्या बताने का है बल्कि मैं तुलनात्मक संख्या बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि तुलनात्मक संख्या बताना आवश्यक और अनिवार्य हैं इस नियम पर अब तक जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ मैं कह सकता हूँ कि यह एक निशाने पर तीर मारना है और वह निशाना सटीक बैठाना कठिन लक्ष्य है जिसका एक आंतरिक वृत्त है और एक बाह्य वृत्त। प्रतिशत निश्चित रूप से सटीक निशाना है। परंतु मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार के किसी सदस्य के लिए यह संभव न होगा, चाहे उसकी कितनी भी निष्ठा क्यों न हो, कि वह सेवाओं की ऐसी व्यवस्था करे कि वह सटीक लक्ष्य भेद दें। मैं यहीं निवेदन कर रहा हूँ कि हर सदस्य का यह प्रयास होना चाहिए कि जहां तक संभव हो कोई समुदाय पिछड़ न जाए। इसलिए, किसी विभाग विशेष के कार्य व्यवहार के बारे में कोई निर्णय देने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उस विभाग विशेष में किसी समुदाय विशेष की स्थिति गिरी है या बेहतर हुई है और इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक विवरण देख लेना उचित है।

मैंने सभी मामलों में मार्च 1939 और मार्च 1946 के आंकड़े संकलित किए हैं। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले श्रम विभाग के सचिवालय के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। 1939 में राजपत्रित पद 12 थे और मुसलमान 8 प्रतिशत थे। 1946 में कुल राजपत्रित पद 80 हैं और इनमें मुसलमान 20 प्रतिशत हैं। मैं अराजपत्रित पदों के आंकड़े देता हूँ। 1939 में कुल संख्या 457 थी और मुसलमानों की संख्या 24 प्रतिशत थी।

अब मैं बहुचर्चित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पर आता हूँ। मैं राजपत्रित पदों की संख्या दूंगा। लोक निर्माण विभाग में 1939 में कुल राजपत्रित स्थान 43 थे, इनमें मुसलमान 21 प्रतिशत थे। 1946 में कुल पदों की संख्या 181 थी और माननीय गृह सदस्य द्वारा वर्णित युद्ध संकट के समय की कठिनाइयों के कारण सांप्रदायिक अनुपात बनाए रखने की कठिनाइयों के बावजूद, मुसलमानों की संख्या 21 प्रतिशत थी। अब, शायद इस कठौती प्रस्ताव के प्रस्तावक को यह बहुत अच्छा लगे, मैं 1946 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के गठन और राजपत्रित पदों के वर्गानुसार विश्लेषण के लिए सदन का और समय लूंगा और उनका प्रतिशत बताऊंगा। कुल 14 अधीक्षक अभियंताओं में से एक मुस्लिम है जो 7 प्रतिशत बैठता है। कार्यकारी अभियंताओं के 64 पद हैं। इनमें मुसलमान 15 प्रतिशत हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 12 हैं, मुस्लिम 6-2/3 प्रतिशत हैं। सहायक कार्यकारी अभियंताओं में 14 प्रतिशत मुसलमान है। अथायी इंजीनियर कुल 72 हैं, इनमें मुसलमान 32 प्रतिशत हैं। केंद्रीय लोक निर्माण पर बहस के दौरान मेरे एक माननीय मित्र ने मैं भूल गया वे कौन थे, लोदी रोड के

ठेकों का प्रश्न उठाया.....

श्री अहमद ई.एच. जफर (बंबई दक्षिणी डिवीजन-मुस्लिम देहात) : मैंने उठाया था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, हां, आपने। मैं भूल गया हूं कि माननीय सदस्य ने कितनी संख्या बताई थी।

श्री अहमद ई.एच. जफर : पांच करोड़।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनकी शिकायत थी कि लोदी रोड कार्य में मुसलमान ठेकेदारों का प्रतिशत कम था। मैं सही आंकड़े देता हूं।

श्री अहमद ई.एच. जफर : मैंने लोदी रोड कालोनी का खास जिक्र किया था, पर और भी बहुत से हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य उस दिन लगभग अंत में बोले और मेरे लिए असंभव था कि आवश्यक आंकड़े एकत्र कर पाता, परंतु आंकड़े ये हैं।

डॉ. जियाऊद्दीन अहमद (संयुक्त प्रांत दक्षिणी डिवीजन : मुस्लिम देहात) : इस समय आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। आप कुछ समय बाद बोल सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य की इस सलाह के लिए कृतज्ञ हूं। परंतु मैंने इसे वांछनीय समझा कि मुस्लिम सदस्यों को अन्य कटौती प्रस्तावों के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। यही कारण है कि मैं बीच में बोला, अन्यथा यह एक आम प्रस्ताव था। मैं बीच में बिल्कुल न बोलता और न जरूरत थी। यह तो कुछ सदस्यों की आशंका दूर करने के लिए था, जो श्रम विभाग के बारे में थीं।

श्री अहमद ई.एच. जफर : आपकी बहुत मेहरबानी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : लोदी रोड के काम की स्थिति यह थी। मुख्य अभियंता द्वारा मुझे दी गई सूचना के अनुसार, मुसलमान ठेकेदारों को कुल मिलाकर 10.5 लाख रुपए के ठेके मिले। यह राशि उससे बहुत अधिक है जो मेरे माननीय मित्र ने बताई है।

श्री अहमद ई.एच. जफर : कितने में से?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तीन करोड़ में से। मेरे माननीय मित्र याद करें और इस बात को भी ध्यान में रखें कि इन कामों का दायित्व एक मुस्लिम कार्यकारी अभियंता का था।

श्री अहमद ई.एच. जफर : उस पर सरकारी दबाव के बारे में क्या कहना है कि मुसलमानों को काम न दें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र हर प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके पास इसके पक्ष में पर्याप्त सबूत होंगे। इस पर मुझे किसी ने नहीं बताया। यदि मेरे मित्र तथ्य पेश करें तो मैं जरूर जांच कराऊंगा।

श्री अहमद ई.एच. जफर : मैं वह आपको सदन में ही दूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तथ्य यह है कि इन कार्यों का प्रभारी एक मुस्लिम कार्यकारी अभियंता है। दूसरा तथ्य है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का एक प्रभारी अधिकारी, कोई अंतर नहीं कि वह मुस्लिम हो अथवा हिंदू, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता से बंधा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता है कि ठेका उसी को दिया जाए जिसकी निविदा निम्नतम है। रात को ही मैंने जांच की और मुझे मुख्य अभियंता ने बताया कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जिसकी निविदा निम्नतम हो और उसे ठेका मिला हो।

श्री अहमद ई.एच. जफर : व्यवस्था का प्रश्न है

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं रुकने को तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत कम समय मिला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को भाषण जारी रखने दिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के नियम हैं कि ठेका सबसे कम बोली पर दिया जाए। इस बात को दो दिशाओं में जांचा जाता है। एक महालेखापरीक्षक द्वारा और दूसरे लोक लेखा समिति द्वारा। वे दोनों ही विभागीय अधिकारी से जिसने नियम तोड़ा होगा, पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया।

सैयद गुलाम भीक नैरंग : यह तो बाद की बात है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य इस बारे में काफी जानते हैं। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में महान कार्य किए हैं। उन्हें लोक निर्माण विभाग के ऐसे काम के बारे में पता होगा। मैं इसमें नहीं जाता।

अब मैं संपदा निदेशालय पर आता हूँ। हालांकि वहां 8 राजपत्रित पद हैं, उनमें से एक खाली है। वहां स्थिति यह है कि 6 हिंदू हैं और एक अनुसूचित जाति का है। वहां एक मुस्लिम था जिसे उसके पैतृक विभाग को भेज दिया गया है। अराजपत्रित पदों की संख्या 235 है जिनमें से 18.2 प्रतिशत मुसलमान हैं।

श्रीमन्, अब मैं भूगर्भ सर्वेक्षण को लेता हूँ। भूगर्भ सर्वेक्षण अभी आरंभिक अवस्था में है। युद्ध के दौरान, युद्धोत्तर विकास के लिए भारत सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए भूगर्भ सर्वेक्षण के विस्तार का काम शुरू किया। हमने 13 सहायक भूगर्भवेत्ताओं के लिए भूगर्भ सर्वेक्षण के विस्तार का काम शुरू किया। हमने 13 सहायक भूगर्भवेत्ताओं

के स्थायी पद भर काम शुरू किया। अब मैं अपने माननीय मित्र को अब तक की नियुक्तियों के बारे में बताऊंगा। स्वभावतः हमें ये पद संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने थे जिसमें योग्यतानुसार 40 नामों की सिफारिश की। हमें केवल 13 छांटने थे। इन 13 में केवल एक मुस्लिम था जो छांटा जा सका।

नवाबजादा लियाकत अली खां : 40 नामों में से।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, नाम योग्यतानुसार दिए गए थे और हमारे यहां केवल 13 पद थे। स्पष्ट है कि हम सूची में 13 पर रुक गए। जैसा कि मैंने कहा, ये तकनीकी पद हैं और इसलिए हमें अर्हता पर बहुत ध्यान देना था। यदि श्रम विभाग अपनी मूल नीति पर चलता कि केवल वे ही उम्मीदवार लिए जाएं जिनकी संघीय लोक सेवा आयोग ने मात्र योग्यता के आधार पर सिफारिश की है, तो केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार लिया जाता। परंतु श्रम विभाग ने यह जानकर कि यह मुसलमानों की दृष्टि से संतोषजनक नहीं रहेगा क्योंकि सूची में मुसलमान पिछड़ जाएंगे और इसलिए 4 का कोटा पूरा करने के लिए 13 के बहुत नीचे जाकर और मुस्लिम उम्मीदवार लिए गए। एक और काम हमने किया, और जिसके बारे में मैं जानता हूँ कुछ लोग इसे गलत समझ सकते हैं। हमने देखा कि भूगर्भ सर्वेक्षण महानिर्देशालय कार्यालय में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं है। हमने क्या किया? हमने अपने माननीय मित्र सर जियाउद्दीन अहमद के विश्वविद्यालय से दो मुस्लिम छात्रों को चुन लिया.....

डॉ. जियाउद्दीन अहमद : इसका श्रेय आपको नहीं जाता।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे प्रशिक्षित भूगर्भवेत्ता नहीं थे। उनकी योग्यता केवल भूगोल में थी, परंतु इसके बावजूद हमने दो को चुना। हमने उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि उन्हें बाद में भूगर्भ सर्वेक्षण कार्यालय में नियुक्त किया जा सके।

अब श्रीमन्, मैं खान विद्यालय पर आता हूँ। इस पर पिछली सभा में कुछ प्रश्न थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा कितना समय बचा है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य 20 मिनट ले सकते हैं। जरूरी हुआ तो मैं उन्हें और भी समय देने को तैयार हूँ। वे 1.15 तक बोल सकते हैं।

श्री श्रीप्रकाश (बनारस और गोरखपुर डिवीजन : गैर-मुस्लिम देहात) : आप सदन का 25 प्रतिशत समय ले सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस विषय पर अर्धदान खाते या अर्ध गंभीरता से नहीं बोलना चाहता हूँ जैसा कि मेरे मित्र ने किया।

श्री श्रीप्रकाश : मैं बिल्कुल गैर-गंभीर नहीं था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं खान विद्यालय आ रहा हूँ। 1937 से हमने इस विद्यालय के लिए भर्ती 24 तक सीमित कर दी है, पहले यह 50 थी। यह पाया गया कि इतनी संख्या में छात्रों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए इसे 24 तक सीमित कर दिया गया। इसके दाखिले के लिए चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय हैं, सांप्रदायिक नहीं। 16 सीटें राज्यों के लिए नियत हैं, 2 भारतीय रियासतों के लिए। मैंने 1937 तक के आंकड़ों की जांच की है और मुझे कोई ऐसा वर्ष नहीं मिला जिसमें कम से कम 2 मुस्लिम न हों जिन्होंने खान विद्यालय में दाखिल मांगा। इसलिए मैंने नहीं समझा कि खान विद्यालय में मुस्लिमों के संरक्षण के लिए किसी खास आरक्षण की आवश्यकता है। फिर भी, जब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने दबाव डाला, पूर्व विधान-सभा के सदस्यों ने, तो मैंने आदेश दिए कि भारतीय खान विद्यालय में कम से कम दो स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं।

सर मोहम्मद यामीन खां : कितने में से?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 24 में से। अब मान्यवर यहां भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह आश्वस्त किया गया कि मुसलमानों के लिए जो कोटा निर्धारित है वह उन्हें मिले, और मैं इस साल के आंकड़े दूंगा। हमने नियंत्रक संस्था की सिफारिश पर 48 दाखिले किए हैं। इन 48 में से केवल एक मुस्लिम योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है।

श्री मोहम्मद नौमान (पटना, छोटा नागपुर, और उड़ीसा मुस्लिम) : यहीं मैंने आपसे कहा था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : लेकिन आरक्षण को पूरा नहीं करने के लिए यह किया गया कि 59वां उम्मीदवार जो मुस्लिम था, उसे दूसरे लड़कों को लांघकर लिया गया।

अब मान्यवर मैं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षेप में जिक्र करूंगा जो भूगर्भ सर्वेक्षण के पुनर्गठन के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाई गई योजना का भाग हैं जिसके अंतर्गत 34 भूगर्भवेत्ताओं को प्रशिक्षण के लिए आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय में भेजा जाता है। इसमें भी श्रम विभाग बहुत उदार रहा है। यह योजना 1946 में शुरू हुई। इसमें कुल 9 लोग चुने गए जिनमें 5 हिंदू, 3 मुस्लिम और एक अन्य अल्पसंख्यक हैं। इसमें मुसलमानों का अनुपात 33-1/3 प्रतिशत है।

श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दूसरा कार्यक्रम बिजली के क्षेत्र में व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्य के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण में बिजली एक महान भूमिका निभाने जा रही है। इसलिए भारत में ऐसे लोग होने चाहिए जो इसके व्यावसायिक और प्रशासनिक पक्ष

में प्रशिक्षण हों। हमने कुछ लोगों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों के अनाड़ी लड़के नहीं रखे जा सकते। आपको ऐसे लोग लेने होंगे जिन्हें इस मामले में कुछ अनुभव हो। इसलिए हमने प्रांत सरकारों से पूछा कि क्या वे विदेश भेजने के लिए अपने बिजली विभाग के कर्मचारियों के नामों का सुझाव देंगे। यह चुनाव श्रम विभाग या भारत सरकार ने नहीं किया। यह चयन पूर्णतः प्रांत सरकारों के अधिकार क्षेत्र में था। कुल 10 व्यक्ति चुने गए। इनमें से एक मुसलमान था। उसे हैदराबाद रियायत ने चुना था और राज्यों ने मुस्लिमों को नहीं चुना, पता नहीं क्यों, शायद उनके बिजली विभाग में मुस्लिम नहीं थे।

खान अब्दुल गनी खां (पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत - सामान्य) : सीमांत प्रदेश में बिजली महकमें में लगभग 90 फीसदी मुसलमान हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है, परंतु आपके प्रांत ने किसी मुसलमान के नाम की सिफारिश नहीं की। आप सीमांत प्रांत की विधान सभा में यह प्रश्न उठाएं तो बेहतर है।

अब मैं तीन अन्य योजनाओं पर आ रहा हूँ जिन्हें श्रम विभाग ने विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया है। एक है बेविन प्रशिक्षण योजना। इसमें 787 लड़के भेजे गए। उनमें से 154 मुस्लिम थे अर्थात् 19 प्रतिशत। फिर कल्याण कार्यों के लिए श्रम अधिकारियों के भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है इन अधिकारियों का चयन श्रम विभाग द्वारा नहीं किया जाता, उन्हें विभिन्न संबद्ध विभाग चुनते हैं। इसमें स्थिति यह है। कुल 23 को अब तक भेजा गया है। इन 23 में से 18 मुसलमान हैं जो 79 प्रतिशत अनुपात है। फिर, श्रीमन्, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने की एक अन्य योजना है। भारत सरकार ने निजी मालिकों को परिपत्र भेजा है कि यदि वे भारतीयों की तकनीकी क्षमता सुधारने के उद्देश्य से अपने किसी कर्मचारी को विदेश भेजना चाहें तो भारत सरकार का श्रम विभाग यथेष्ट प्रयत्न करेगा कि उन्हें विदेश में प्रशिक्षित किया जाए। इस संबंध में अब तक 6 व्यक्ति भेजे गए हैं। दुर्भाग्य से, उनमें कोई मुसलमान नहीं था। परंतु इसमें निश्चित रूप से श्रम विभाग की कोई गलती नहीं है क्योंकि वह प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है।

अब मैं एक और मुद्दे का जिक्र करूंगा। वह है परियोजना अधिकारियों और उपयोग अधिकारियों की नियुक्ति। ये नियुक्तियां भी संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं। दुर्भाग्य से जो स्थान भरे गए उनमें एक भी मुस्लिम नहीं था। इस संबंध में मैं प्रस्तावक का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि श्रम विभाग ने संघीय लोक सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार किया। हमने पूछा कि जब हमें चयन सूची मिली तो भी उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। मैंने अपने विभाग से कहा कि संघीय लोक

सेवा आयोग से पूछें कि जो नाम उन्होंने सुझाए हैं उनमें कोई भी मुसलमान क्यों नहीं है। संघीय लोक सेवा आयोग का उत्तर यह था। यह दिलचस्प बाता है कि उसने इस विषय पर दूसरा ही प्रकाश डाला। संघीय लोक सेवा आयोग ने कहा कि विज्ञापन पर 240 आवेदन मिले थे। उनमें से केवल 8 मुस्लिम थे जिनमें से आयोग ने 3 को साक्षात्कार के लिए बुलाया। उनमें से इस पद के लिए उसने किसी को भी योग्य नहीं समझा। महोदय, संक्षेप सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में यह श्रम विभाग का रिकार्ड है। मेरा दावा है कि मेरे यह पद पाने के बाद से यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों की स्थिति बिगड़ने के बजाए काफी सुधार है। अपने विभाग के लिए मैं और कोई दावा नहीं करता। मैं दो बातें कह कर समाप्त कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जानते हैं कि सांप्रदायिक अनुपात प्रस्ताव पर मैंने क्या भूमिका निभाई है। मैं समझता हूँ कि यदि लंदन के गोलमेज सम्मेलन में कोई मुस्लिम लीग का सदस्य उपस्थित था तो उसे अच्छी तरह अहसास होगा कि जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया उनमें मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुझे मुसलमानों की मांगों या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों के प्रति सहानुभूति नहीं है। मैं इसके लिए लड़ा, इसके लिए लड़ा रहा हूँ और इसके लिए लड़ता रहूँगा।

मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ - यदि मेरे माननीय सहयोगी गृह सदस्य मुझे कहने की अनुमति दें तो-वह यह है कि उन्होंने सदन में जो वायदा किया था कि वे देखेंगे कि विभिन्न विभागों में न केवल केवल संरक्षण आश्रय दिया जाए बल्कि कमियों को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई भी की जाए और जिस समय नियुक्तियां की जाए तब समुचित पड़ताल की जाए। उसका श्रेय मुझे है क्योंकि मैंने ही उन्हें पत्र लिखा था कि स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अहमद ई.एच. जफर : श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आंकड़े अभी उन्होंने दिए हैं उनमें क्या पुर्नस्थापना की नियुक्तियां भी शामिल है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, हां, यह श्रम सचिवालय का समेकित अनुभाग है।

श्री अहमद ई.एच. जफर : पुर्नस्थापना सहित।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। मैं कहता हूँ वे इतने रोचक हैं कि यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं उन्हें और अध्ययन के लिए देने को तैयार हूँ।

*भारतीय वित्त विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बहस के बीच में बोलने का अवसर दिया। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मुद्दे पर मुझे बोलना है वह श्रम विभाग से संबद्ध नहीं है, जिसका मैं प्रभारी हूँ। दरअसल अब तक वित्त विधेयक पर जो बहस हुई मुझे प्रसन्नता है कि उस विभाग के बारे में कोई गंभीर टिप्पणियाँ नहीं गई हैं। परंतु मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र पंडित गोविंद मालवीय ने कहा वित्त विधेयक पर अपने भाषण में कुछ विचार प्रकट किए हैं तो मैं समझता हूँ अनुसूचित जातियों के एक कालेज की परियोजना पर हैं। श्रीमन्, मैं आमतौर से यह मामला शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के लिए छोड़ देता क्योंकि परियोजना का परीक्षण उन्होंने किया है और वित्त विभाग ने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरी भूमिका इतनी है कि मैंने उसकी शुरूआत की थी। परंतु मैंने सोचा कि इस परियोजना का औचित्य ठहराना शिक्षा विभाग पर ही न छोड़ दूँ क्योंकि इस परियोजना को मेरे माननीय मित्र राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। इसी कारण मैं आज उनकी टिप्पणियों का जबाव देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मेरे माननीय मित्र ने यह कहकर शुरूआत की कि वह इस परियोजना पर आश्चर्यचकित हैं और जब मैंने उनका भाषण पढ़ा तो मैंने पाया कि उन्हें जो आश्चर्य अनुभव हुआ वह उनकी इस धारणा के कारण है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में वर्गभेद की भावना भरेगी। मान्यवर, एक कहावत है कि सुविदित मुहावरा है, कि जो व्यक्ति स्वयं शीशे के घर पर रहता है वह दूसरों पर पत्थर न फेंके। मुझे आश्चर्य है कि मेरे माननीय मित्र पंडित मालवीय इस तथ्य को जानते भी हैं। मुझे बड़ा कौतुक लगा - मैं चकित हूँ - कि मालवीय मुझे और सदन के किसी सदस्य को राष्ट्रीयता का उपदेश देने के लिए खड़े हो जाएं। किसी के लिए यह अजूबा है भी नहीं क्योंकि यह तो उनकी आदत

ही है। मैं सोचता हूँ ये कहना सही है कि वे किसी साधारण हिंदू के हाथ का ही नहीं बल्कि मैं जानता हूँ दूसरे कुल के ब्राह्मण के हाथ का पानी भी नहीं पीएंगे।

श्री अनंत शयनम आयंगर (मद्रास सीडेड जिला और चित्तूर : गैर-मुस्लिम देहात) : वह बराबर का न्याय करते हैं।

श्री श्रीप्रकाश : ब्राह्मण भी वेबकूफ हो सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कहूँ तो उनकी सोच उस चूहे के समान है जो अपनी शुचिता बचाए रखने के लिए एक बिल में घुसा रहता है, मानवों के संसर्ग से दूर। और मैं समझ सकता हूँ कि वह इंसान जो ऐसी बातों में विश्वास रखता है वह वर्गवाद की बातें करने और देश के लोगों को राष्ट्रवाद का उपदेश देने से पूर्व अवश्य दो बार सोचेगा। मैं समझता हूँ कि उन्हें जानना चाहिए कि वे एक संस्था से घनिष्टता से जुड़े हैं जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। यदि यह वर्गवादी संस्था नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्गवादी संस्था क्या होती है? श्रीमन्, मैं जानता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि यह विश्वविद्यालय न केवल एक हिंदू विश्वविद्यालय है, यह ऐसा विश्वविद्यालय है जो एक समुदाय विशेष का हितसाधन करता है। मैं अपने माननीय क्षेत्र से पूछना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि बनारस विश्वविद्यालय के कर्मचारी और शिक्षक वर्ग में मुश्किल से ही कोई और गैर-ब्राह्मण होगा।

एक माननीय सदस्य : है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद का यह 1916 का स्थायी संकल्प नहीं है कि कोई गैर-ब्राह्मण, चाहे वह हिंदू धर्म का कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ाने का अधिकारी नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वे भूल गए हैं कि कुछ महीने पहले ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कायस्थ छात्रा को इसलिए भूख हड़ताल करनी पड़ी कि उसे धर्मशास्त्र संकाय में प्रवेश नहीं दिया गया। यदि यह वर्गवाद नहीं है तो मैं पूछना चाहूँगा कि यह क्या है?

जब मैं कल बहस की कार्रवाई का वृत्तांत पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे माननीय मित्र श्री आयंगर अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग कालेज पर कुछ आश्चर्य जता रहे थे जो सदन के कार्यवाही वृत्तांत में मौजूद हैं। पता नहीं वे जानते हैं या नहीं कि हाल ही में सेलम में क्या हुआ। शायद वे भूल गए हैं।

श्री अनंत शयनम आयंगर : मुझे पता नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : या वे राजनीति में इतने संलिप्त हैं कि वे नहीं जानते कि उनके अपने समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं। मैं मद्रास के “हिंदू”

का प्रसंग देता हूँ, किसी पिछले वर्ष का नहीं बल्कि इसी महीने की 12 तारीख का। उन्हें पता चलेगा कि सेलम के ब्राह्मणों की बैठक में यह संकल्प लिया गया कि एक ब्राह्मण संघ बनाया जाए जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करना हो और ब्राह्मणों के लिए उद्योग चलाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों के लिए एक कालेज खोला जाए। और सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? महापुरुष साचिवोत्तम सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर।

श्री अनंतशयनम आयंगर : आपका पुराना साथी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे पता नहीं। जब देश में सभी राष्ट्रवाद की बातें करें और वर्गवाद पर अमल करें

श्री अनंतशयनम आयंगर : मुझे दोनों पर अफसोस है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अनुसूचित जातियों में अपने जीवन में पहली बार अपने दुखों की चेतना आई है और वे ऐसी शिक्षा संस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें उच्च शिक्षा पा सकें - इसके लिए सदस्य यहां आकर यह कहें कि वे एक वर्गवादी कार्य कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि में यह बुद्धिहीनता है। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि यह कहना पूरी तरह मिथ्या बात है कि यह अनुसूचित जातियों का कालेज है। यह ऐसा कालेज है जो अन्य कालेजों की तरह सबके लिए खुला रहेगा। इसमें किसी पर पाबंदी नहीं है।

पंडित गोविंद मालवीय (इलाहाबाद और झांसी डिवीजन : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : बजट में क्या कहा गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पूरे महीने बजट आपके पास था और इसका विरोध करने से पहले आपको अल्पकालिक प्रश्न द्वारा ब्यौरा पूछना चाहिए था। अब, जैसा मैंने कहा, यह संस्था सबके लिए खुली है। यह कालेज न केवल सबके लिए खुला है, बल्कि इसका स्टाफ भी सभी वर्गों से लिया गया है। इसमें हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, गैर-ब्राह्मण हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब इसे बंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का आवेदन किया गया तो उन्हें संबद्ध करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। वास्तव में यह माना गया कि बंबई विश्वविद्यालय के सामने कभी ऐसी परियोजना पेश ही नहीं की गई। और मैं कहता हूँ कि बंबई विश्वविद्यालय के पूरे इतिहास में यह पहला उदाहरण है जहां किसी कालेज को आरंभ में ही पूरा कालेज मान लिया गया। इसका कारण है कि इसका संगठन, स्टाफ और प्रबंधन इतना उत्तम है। किसी भी दृष्टि से, यह अनुसूचित जातियों का कालेज नहीं है। इस कालेज में केवल यह अंतर रहेगा कि जहां तक

अनुसूचित जातियों का संबंध है, उन्हें प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी, निःशुल्कता लागू रहेगी और छात्रावास में आरक्षण रहेगा। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस कालेज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। माननीय सदस्य शायद अवगत नहीं है कि बंबई प्रांत में इस समय छात्रों की संख्या किस विकराल रूप में बढ़ रही है। विपक्ष में बैठे मेरे मित्र श्री गाडगिल जानते होंगे कि गत वर्ष बंबई विश्वविद्यालय ने उन्नीस नए कालेज खोले हैं। इससे पता चलता है कि प्रवेश पाना कितना कठिन है। इस बढ़ती संख्या से अनुसूचित जातियों के छात्रों को सबसे अधिक हानि हुई है। अनुसूचित जातियों के लड़के मैट्रिक पास करके विभिन्न कालेजों में दाखिला नहीं ले पाते। मैंने इसीलिए भारत सरकार को लिखा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसका पहला कार्य हो ऐसे लड़कों को प्राथमिकता देना। इस परियोजना में और कुछ नहीं है जिसे वर्गवादी या सांप्रदायिक कहा जा सके।

महोदय, एक और भी मामला है जो मेरे माननीय मित्र ने इसमें जोड़ दिया है और मेरी समझ में नहीं आता उसे क्यों जोड़ा गया। उन्होंने राजनीति घुसेड़ दी और कहा कि वह चुनावों से जुड़ा है। मैं तो हक्का-बक्का रह गया। पता नहीं वे क्या कहना चाहते हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि वे ऐसा संकेत देना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा मेरा नाम नहीं रखा जाना चाहिए था और कुछ इसी प्रकार की बात जो मैं नहीं जानता।

पंडित गोविंद मालवीय : क्या आप नहीं जानते?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, चुनावों में जो कुछ हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब मैं एक मुरझाया हुआ पौधा हूँ। परंतु मैं अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूँ कि मैं जड़ से मरा हुआ पौधा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरे माननीय मित्र चुनाव परिणामों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अनुसूचित जातियों की सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। हां जीती हैं। परंतु मैं अपने माननीय मित्र से पूछूंगा कि क्या उन्होंने यह जानने का कष्ट किया कि क्या तरीके अपनाकर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है?

प्रो. एन.पी. रंगा : हम तैयार हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जो तरीके अपनाए गए वे मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ।

श्री अनंत शयनम आथंगर : वहीं पुराने आरोप?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ये घिसे पिटे आरोप नहीं हैं। इसके प्रमाण हैं जिनकी जांच हो सकती है।

प्रो. एन.पी. रंगा : संदेह के रास्ते मत चलिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को पता होगा कि कई स्थानों पर अछूत मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ही नहीं जाने दिया गया। मैं सतारा जिले का मामला बता रहा हूँ जिसे इस सदन के अनेक सदस्य जानते होंगे क्योंकि उस जिले में एक समानांतर सरकार थी। 631 गांवों के अनुसूचित जातियों के मतदाताओं को गांवों के हिंदू ग्रामीण कचहरी में ले आए। उनसे पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। जब उन्होंने इंकार कर दिया तो उनसे कचहरी में बैठने के लिए कहा गया और उन पर पहरा बिठा दिया गया। उन्हें जाने नहीं दिया गया। मैं कई मामले बता सकता हूँ।

पंडित गोविंद मालवीय : हां, कृपया बताएं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यहां तक कि कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए अनुसूचित जातीय उम्मीदवारों पर हमले किए गए। पास के ही आगरा के मामले को लें जो हाल ही का है। चुनाव के दिन अछूतों के पचास घर जला दिए गए। मतदान के लिए गए लोगों के 20 घर लूट लिए गए। कानपुर में सात लोगों की हत्या कर दी गई।

दीवान चमन लाल (पश्चिम बंगाल - गैर-मुस्लिम) : किसने लूटा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हिंदुओं ने। ये तरीके हैं जिनसे चुनाव जीते गए (व्यवधान)। मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने सीटें जीती या परिगणित जाति संघ ने। इसका पैमाना अंतिम निर्वाचन नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होगी। अंतिम चुनावों में जहां अनुसूचित जातियां अत्यधिक अल्पसंख्या में, 19 प्रतिशत हिंदुओं के मुकाबले 5 प्रतिशत हैं, वहां यह सोचना भी मूर्खता है कि अंतिम चुनाव भी कोई पैमाना था कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक पैमाना प्राथमिक चुनाव है। प्राथमिक चुनाव अनुसूचित जातियों के लिए पृथक मतदान है। प्राथमिक चुनावों में क्या हुआ? मैं विपक्ष के अपने मित्रों को प्राथमिक चुनावों के परिणामों का कुछ आभास करा दूँ। पंजाब में तीन निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें प्राथमिक चुनाव हुए। बंबई में भी तीन निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां प्राथमिक चुनाव हुए।

श्री मोहन लाल सक्सेना : कितने में से?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समाप्त कर लूँ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आगे बोलने दें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मध्यप्रांत में 4 थे। मद्रास प्रेसीडेंसी में 10, संयुक्त प्रांत में दो (व्यवधान)। यदि मेरे मित्र जानना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि प्राथमिक चुनाव अनिवार्य नहीं है। जब तक पांच लोग खड़े न हों तब तक प्राथमिक निर्वाचन नहीं हो सकता और अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्राथमिक चुनाव नहीं चाहता क्योंकि इस पर बहुत खर्च आता है और हमारे पास काला धन नहीं है (व्यवधान); कुल मिलाकर 22 प्राथमिक चुनाव हुए। कांग्रेस सभी में लड़ी। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इन 22 में से 19 में परिगणित जाति संघ जीता था।

दीवान चमन चंद : पंजाब में कितने?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : एक मिनट रुकें। बंबई प्रेसिडेंसी मेंपूरे आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास समय कम है.....

पंडित गोविंद मालवीय : यह आपके विरुद्ध जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बंबई शहर में दो निर्वाचन क्षेत्र थे जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया। एक था भावकुला निर्वाचन क्षेत्र। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 11334 मत प्राप्त हुए, कांग्रेस को 2096 मत। बंबई शहर के उपनगरीय क्षेत्र में परिगणित जाति संघ को 12899 मत प्राप्त हुए, कांग्रेस को कुल 2088 मत मिले। मध्य प्रांत में भी मैं केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों को ही उदाहरणार्थ लेता हूँ

श्री अनंत शयनम आथंगर : यहां कला धन नहीं चला।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नागपुर निर्वाचन क्षेत्र में परिगणित जाति संघ को 1933 मत मिले और कांग्रेस उम्मीदवार को 270। भंडारा जिले में संघ को 3187 मत प्राप्त हुए, कांग्रेस और शेष सभी निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला कर 976 मत मिले। संयुक्त प्रांत के आगरा निर्वाचन क्षेत्र में परिगणित जाति संघ को 2248 मत मिले जबकि कांग्रेस और शेष सभी को मिलाकर 840 मत मिले। पंजाब में लुधियाना फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र में भी - एक ही उदाहरण ले रहा हूँ - परिगणित जाति संघ को 1900 वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस को केवल 500 ही।

दीवान चमन लाल : पंजाब में अनुसूचित जाति का उम्मीदवार नहीं था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या मेरे मित्र मुझे बोलने देंगे? इस विषय में मुझे उनसे अधिक पता है।

दीवान चमन लाल : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि वहां एक भी अनुसूचित जाति का उम्मीदवार नहीं था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : परिगणित, जाति संघ जो

दीवान चमन लाल : यह बिल्कुल झूठ है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र इस शब्द को वापस लें। मान्यवर, मैं अध्यक्ष से संरक्षण चाहता हूँ।

दीवान चमन लाल : मैं अपने मित्र को चुनौती देता हूँ कि वह इस बात से इंकार करें कि वहाँ कोई उम्मीदवार उनकी पार्टी (संघ) ने खड़ा किया था।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति जब एक माननीय सदस्य तथ्य रख रहा हो तो बहस में कटुता लाने से कोई लाभ नहीं। मुद्दा उठाया गया और जवाब मांगा गया और जो वह कह रहे हैं वह सही है या नहीं, पर सदन के किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं कि वह कहे कि दूसरे सदस्य ने जो कहा है वह 'झूठ' है।

दीवान चमन लाल : मैं इसे वापस लेता हूँ श्रीमन्, परंतु इसके विकल्प में कहता हूँ कि यह 'तकनीकी अयथार्थ' है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं मद्रास के एक निर्वाचन क्षेत्र आमलापुरम को लेता हूँ। संघ के सदस्य को 10540 मत मिले और कांग्रेस को 2683 मिले। प्राथमिक चुनावों का यह परिणाम है और मैं कहता हूँ कि यदि ईमानदारी से आप कोई मापदंड रखना चाहते हैं तो वह है प्राथमिक चुनाव। मैं विपक्ष के अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूँ कि उन्होंने इस चुनाव में जो किया क्या उसका कोई मूल्य है। इससे केवल मेरे मत की ही पुष्टि हुई है और प्रमाणित होता है कि चुनाव छलावा है और अनुसूचित जातियों के लिए अलग मतदान प्रणाली होनी चाहिए।

मेरे माननीय मित्र पंडित मालवीय ने एक और मुद्दा बनाने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अनुसूचित जातियों में रुचि ले रहा है और वे इन जातियों के नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए काफी धन दे सकते हैं। श्रीमन्, मैं नहीं जानता.....

पंडित गोविंद मालवीय : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि क्या इस सदन का कोई सदस्य किसी सदस्य के बारे में गलत जानकारी देता रहे, उसके कथन को गलत तरीके से प्रस्तुत करता रहे और गलत बातें बोलता रहे, और क्या उसे इसका अवसर नहीं मिलेगा कि वह गलत कथन की और तकनीकी अयथार्थ की वास्तविकता बता सके? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस स्थिति से निपटने का क्या तरीका है?

अध्यक्ष महोदय : यह हवाई प्रश्न है और मैं नहीं समझता कि मुझे इसका उत्तर देना है। परंतु तथ्यों का विवरण देना एक बात है और कोई कथन दूसरी, और माननीय सदस्य कथन और तथ्यों का घालमेल न करें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं इस विषय पर बोल रहा था जो

मेरे माननीय मित्र ने अपने भाषण के दौरान उठाया कि हिंदू समाज अनुसूचित जातियों के कल्याण और उसके नैतिक तथा भौतिक उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा कि यदि कोई इस सदन के वातावरण से ही जानना चाहे कि क्या हो रहा है तो किसी ईमानदार व्यक्ति को बड़ी कठिनाई होगी कि वह इसके समर्थन में कुछ कह सके जो मेरे माननीय मित्र ने कहा है।

यह सत्य है कि मैं इस सदन का सदस्य बहुत कम समय से हूँ, किन्तु मैं इस सदन की कार्यवाही बिल्कुल नियमित रूप से पढ़ता आ रहा हूँ और इस सदन के विषय में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने न पढ़ा हो और पढ़ने योग्य हो। और श्रीमन्, पहले के बारे में मैं सोचता हूँ यह कहना ठीक है कि बिरला ही कोई अवसर है जब यहां बैठे विपक्ष के किसी सदस्य ने सरकार से पूछा हो अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार और दमन के बारे में जो सभी गांवों में रोजाना होते हैं। मुझे कार्यवाही में ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने किसी सदस्य को प्रस्ताव रखते नहीं देखा.....

श्री अनंत शयनम आथंगर : आप कहेंगे यह तो प्रांतीय प्रश्न है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कुछ किया जाए। एक अवसर था, जो मुझे याद है, जिस समय विपक्ष में बैठे सदस्यों ने अस्पृश्यता के विरुद्ध साहसपूर्ण प्रयत्न किया था। शायद वह 1932 या 34 में था, मैं सही समय भूल गया

एक माननीय सदस्य : 1933

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :जब मंदिर प्रवेश का विधेयक लाया गया तो कितना हौहल्ला मचा जब वाइसराय ने उसकी अनुमति नहीं दी। लोगों ने भूख हड़ताल की और धमकी दी कि यदि विधेयक रखने की अनुमति नहीं दी गई तो वे आत्महत्या कर लेंगे। और जब इजाजत मिल गई तो क्या हुआ? हुआ यह कि इन सज्जनों ने विधेयक रद्दी में फेक दिया। उन्होंने इससे नाता तोड़ लिया। उन्होंने श्री रंगा अय्यर को मझधार में छोड़ दिया। उन्होंने इन्हें इस धोखे के लिए जमकर गालियां दीं। केवल दो मौकों पर

एक माननीय सदस्य : आपने कार्यवाई नहीं पढ़ी है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस सदन में जो हुआ वह सब मैंने पढ़ा है। मुझे केवल दो घटनाएं मिली हैं जब इस सदन में अनुसूचित जातियों के प्रश्न पर बहस चली। एक 1916 में जब श्री मानेकजी दादाभाई ने, जो अब दूसरे सदन के

सभापति हैं, एक संकल्प पेश किया कि सरकार अनुसूचित जातियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन करें और विपक्ष में बैठे मेरे उन्हीं मित्रों के पिता ने जिन्होंने यह बहस शुरू की है उस कार्यवाही के दौरान हंगामा किया था। उन्हें पता चलेगा कि उनके पिता उस संकल्प के घोर विरोधी थे। दूसरा मौका 1927 में आया जब लार्ड बिकेनहैड ने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक बनाकर उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिए जाने की बात कही थी। विपक्ष के मेरे मित्रों को उस समय मेरा बड़ा ध्यान आता है जब मैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा उठाता हूँ। यदि मैं पृथक मतदान की बात करता हूँ, सेवाओं में आरक्षण मांगता हूँ, यदि मैं शैक्षणिक अनुदान मांगता हूँ, तब इन्हें पता चलता है कि मेरा अस्तित्व है। अन्यथा इनके लिए मैं मुर्दा हूँ

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :और मुझे कोई सामाजिक या आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वे कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। यदि भाईचारा है भी तो मैं कहता हूँ कि मैं उनका चेचरा भाई हूँ, सगा भाई नहीं।

जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा वह बहुत रचनात्मक है। मैं अपने हिंदू मित्रों से कहता हूँ कि मैं उनकी कृपा पर जीना नहीं चाहता। मुझे उनकी दया की जरूरत नहीं। मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं सरकार से उतना धन और लाभ लेने का अधिकारी हूँ जितना दूसरे अपने लिए दावा करते हैं। मैं कृपा नहीं चाहता, कृपा वह चीज है जो मुझे और मेरे समाज को दास बनाती है और विश्वास घटाती है। अनुसूचित जाति के लोग अपना अधिकार चाहते हैं और इस अवसर पर मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि यदि उनके दावों का विरोध किया गया तो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

*कलकत्ता के गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस के कर्मचारियों की हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री सत्यप्रिय बनर्जी से सूचना मिली है कि वह अविलंबनीय लोक महत्व के एक विषय पर चर्चा कराए जाने के लिए विधान सभा की कार्यवाही के स्थगन के इरादे से एक प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, जो इस प्रकार है :

“गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस कलकत्ता, के कर्मचारियों द्वारा उनकी शिकातियों को दूर करने में सरकार की विफलता के कारण हड़ताल।”

मैंने देखा है कि माननीय सदस्य ने दो-तीन दिन पहले इस विषय पर एक प्रश्न रखा था और एक अल्पकालिक प्रश्न के रूप में इसका उत्तर मांगा था। परंतु माननीय श्रम सदस्य ने उस अल्पकालिक प्रश्न को स्वीकार नहीं किया। इस मौजूदा सूचना में एक हड़ताल का जिक्र है, उस समय यह एक संभावित हड़ताल का प्रश्न था। क्या वहां कोई हड़ताल चल रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : इस संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री सत्यप्रिय बनर्जी (चटगांव और राजशाही डिवीजन : गैर-मुस्लिम देहात): मेरे पास पक्की सूचना है कि हड़ताल चल रही है और कल फ्री प्रेस जरनल' ने भी यह समाचार छपा है।

अध्यक्ष महोदय : सूचना का स्रोत 'फ्री प्रेस जरनल' है?

श्री सत्यप्रिय बनर्जी : विपक्ष के नेता को एक तार भी मिला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य हड़ताल की स्थिति से परिचित हैं? क्या सारा प्रेस हड़ताल पर है?

श्री सत्यप्रिय बनर्जी : जी, हां। लगभग 1200 कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : स्थिति यह है। कलकत्ता प्रेस के कर्मचारियों ने 13 मार्च को हड़ताल की एक सूचना दी थी। हड़ताल की ऐसी ही सूचनाएं विभिन्न स्थानों पर चल रही भारत सरकार की प्रेसों ने भी दी थी। कलकत्ता प्रेस के कर्मचारियों ने 13 मांगों की एक सूची भी भेजी थी। सरकार ने उन सब पर विचार किया और प्रेस कर्मचारियों को निम्नलिखित रियायतें दी - जिन दिनों प्रेस का राजपत्रित अवकाश होता है उन दिनों में काम करने का पूरक अवकाश, आंशिक कर्मचारियों की दक्षता अवरोध पार करने का पदोन्नति, पिछली तिथि से बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता, पहली जनवरी 1945 के बजाय पहली जुलाई, 1944 से पेंशन की गणना में आधा मंहगाई भत्ता शामिल, छोटे कर्मचारियों को औसत वेतन की आधी तक पेंशन, हड़ताल की पूरी अवधि को औसत वेतन सहित छुट्टी की स्वीकृति और उसे अनिश्चित दशा में समझ कर छुट्टी में जोड़ना, प्रेस कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की विसंगतियों पर रिपोर्ट देने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, पारी पर काम करने वालों के काम के घंटों में कमी करके 48 के बजाए 44 करना और रात्रि में काम करने पर 44 के बजाए 38 करना; आंशिक कर्मचारियों को 23 दिन का सवेतन अवकाश जैसा कि वेतनभोगियों को मिलता है।

अन्य मांगों के बारे में, जैसे वेतनमानों में संशोधन और रियायती दरों में वृद्धि के विषय में, सरकार ने सभी सरकारी प्रेस के कर्मचारियों को सूचित कर दिया है कि जब तक वेतन आयोग की रिपोर्ट आए तब तक वे लंबित रहेंगी और इसलिए फिलहाल सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह इन मांगों के विषय में कोई घोषणा करे।

मैं सदन को बता दूँ कि जहां तक दिल्ली प्रेस के कर्मचारियों का संबंध है, ये रियायतें उन्होंने स्वीकार कर ली हैं और वे काम पर लौट आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा ही रवैया कलकत्ता प्रेस के कर्मचारियों ने क्यों नहीं अपनाया। मुझे कार्यालय से अभी पता चला है कि जिस मांग पर वे तत्काल बल दे रहे हैं वह है काम के घंटों में और कमी करके 44 के बजाए 40 घंटे करना। मैं तुरंत निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, परंतु यह ऐसा विषय है जिस पर मैं विचार कर सकता हूँ। मेरा विचार है कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बहस से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

श्री सत्यप्रिय बनर्जी : श्रीमन्, माननीय सदस्य अवगत होंगे कि उनके विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक ने 42 घंटों की सिफारिश की है परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और 44 घंटों पर जोर दे रहे हैं। आखिरकार बंगाल सरकार के प्रेस कर्मचारी सप्ताह में 40 घंटे काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह जिरहबाजी है। फिलहाल में यह जानना चाह रहा था कि श्रम सदस्य ने अभी जो कुछ कहा है, उसकी दृष्टि से क्या यह पर्याप्त रूप से अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है।

श्री सत्यप्रिय बनर्जी : श्रीमन्, बहुत से कर्मचारियों का प्रश्न है और इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके आश्रितों का जीवन दाव पर लगा हुआ है जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। श्रीमन्, यदि यह पर्याप्त रूप से अविलंबनीय लोक महत्व का मामला नहीं है तो मैं नहीं जानता कि और क्या हो सकता है।

प्रो. एन.जी. रंगा (गुंटूर और नेल्लौर : गैर-मुस्लिम देहात) : श्रीमन्, क्या मैं एक 'निवेदन कर सकता हूँ? यदि विभाग के लिए यह संभव हो तो किसी विशेष अधिकारी को भेजा जाए कि वह इन रियायतों का स्पष्टीकरण करे और उनसे विचार-विमर्श करे, संभव है वे हड़ताल जारी न रखें। आखिकार 1300 कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, यह गंभीर मामला है, यहां तक कि सरकार के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि उसका काम रुका पड़ा है।

माननीय गोविंद दास (मध्यप्रांत हिन्दी डिवीजन : गैर-मुस्लिम) : माननीय सदस्य ने कहा है कि विभिन्न प्रेसों से हड़ताल के नोटिस मिले हैं। क्या कलकत्ता के साथ कहीं और भी हड़ताल है या हड़ताल की आशंका है?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता इसका मौजूदा मामले से कोई प्रसंग है। श्रम सदस्य ने जो कहा है उसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि यह विषय कोई ऐसा है कि मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दूं।

*कारखाना (संशोधन) विधेयक

सभापति : अब सदन में कारखाना विधेयक पर विचार किया जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। मेरे माननीय सह-सदस्य ने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा है और मैं इस बारे में बोलने के लिए सक्षम हूँ क्योंकि इस सरकार के प्रत्येक सदस्य को पूरी सरकार की ओर से बोलने का अधिकार है।

दीवान चमन लाल (पश्चिम बंगाल : गैर मुस्लिम) : श्रीमन्, मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जब तक माननीय सदस्य मुझे बाद में भी बोलने के लिए सहमत न हों।

सभापति : यदि वह सहमत भी हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि मैं आदरणीय सदस्य को बहस का उत्तर देने के पश्चात नियमानुसार आज्ञा दे सकता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है अतः अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, अब तक जो बहस की जा चुकी है, उसके अनुसार मेरे लिए बहुत कम कहने की गुंजाइश है क्योंकि एक पक्ष ने विधेयक के विरुद्ध जो कुछ भी कहा है और दूसरे पक्ष ने प्रभावकारी ढंग से उसका उत्तर दिया है, अतः इस समय ऐसी कोई अधिक आवश्यकता नहीं है कि मैं उन्हीं बातों को दोहराऊँ जो पहले ही कही गई हैं। यदि मुझे कुछ कहना भी है तो मैं उस आलोचना का उत्तर देना चाहूँगा जो मेरे माननीय मित्र श्री वाडीलाल लालूभाई ने की है। मैंने ध्यानपूर्वक उनका भाषण सुना और मैं यह समझने में नितांत असमर्थ हूँ कि उन्होंने इस विधेयक के बारे में क्या शिकायत की है। मैं भलीभाँति अवगत हूँ और प्रत्येक व्यक्ति इस बात से परिचित है आज कपड़े का भीषण अभाव है और यदि हम श्रमिकों के कार्य करने के घंटों से

संबंधित उपबंधों को प्रभावित करने वाले कारखाना अधिनियम के संबंध में संशोधन करते हैं। तो हमें इस बात से सचेत होना चाहिए कि कपड़े के मामले में स्थिति और भी गंभीर न हो जाए। मेरे मित्र की आलोचना के उत्तर में मुझे कहना है कि हमने कपड़े के भीषण अभाव के बारे में ही विचार नहीं किया है, परंतु हमने इस स्थिति पर भी विचार किया है जो उपभोग की अन्य वस्तुओं के अभाव के बारे में उत्पन्न हो सकती है। भारत सरकार ने ऐसा संशोधन ही प्रस्तुत नहीं किया है जो केवल कपास उद्योग को ही राहत प्रदान करेगा, अपितु इस संशोधन को ऐसे व्यापक शब्दों में बनाया गया है कि जिससे उन अन्य उद्योगों को भी राहत मिलेगी जिनमें उपभोक्ता के लिए अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं।

मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह ऐसे सामान्य उपबंध से सहमत क्यों नहीं है जो केवल उन्हें ही राहत नहीं देता अपितु अन्य कई उद्योगों को भी राहत देता है। मैं उनकी आलोचना की विशिष्टता को समझने में अभी भी असमर्थ हूँ।

उन्होंने दो बातें कहीं हैं जिनके बारे में वह इस बात के अधिकारी हैं कि मुझे उत्तर देना ही है। उन्होंने एक तर्क दिया, वह इस प्रकार है - मेरे सामने उनके भाषण की प्रति भी है - कि यह छूट भारत सरकार द्वारा स्वयं इसी अधिनियम में दी जानी चाहिए थी और इसे प्रांतीय सरकार के विवेकात्मक प्राधिकार पर नहीं छोड़ना चाहिए था। इस आलोचना के लिए मेरा दो प्रकार का उत्तर है : प्रथम, जैसा कि मेरे माननीय सदस्य को ज्ञात है, कानून के अंतर्गत छूट दिए जाने का अर्थ उस संविधान के अंतर्गत कार्यकारी प्राधिकार का प्रयोग करना है जो अब लागू किया जा रहा है, यद्यपि श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है जिससे भारत सरकार को केवल कानून बनाने का प्राधिकार ही मिलता है। इससे भारत सरकार को यह प्राधिकार नहीं मिलता कि उस कानून को कार्यान्वित किया जाए। समस्त कार्यान्वयन का कार्य प्रांतीय सरकार के हाथ में होना चाहिए और यदि हमने इस अधिनियम में सीधे छूट नहीं दी तो इसका कारण यह है कि यह केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति से परे है कि ऐसा किया जाए। उन्होंने दूसरी कठिनाई का जो उल्लेख किया है, वह यह है : भारत सरकार के लिए यह संभव कार्य नहीं है कि सूती वस्त्र उद्योग जैसे किसी विशेष उद्योग को रियायत देने के लिए अन्य उद्योगों की सूची से अलग से अधिनियम में वर्णित किया जाए। यह श्रम विभाग में किसी अन्य व्यक्ति के लिए असंभव है कि अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जाए और इस दिशा में विशेष उपबंध बनाए जाएं। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि प्रांतीय सरकारें ऐसी छूट प्रदान नहीं करेंगी जिन्हें अधिक तत्परता से प्राधिकृत किया गया है और यदि मैं उन्हें सही तरीके से समझ सका हूँ तो उन्होंने कहा कि प्रांतों में श्रमिक ऐसी छूट देने के मामले

में प्रांतीय सरकारों के विषय में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। मैं आशंका के विषय का पक्षधर नहीं हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है प्रांतीय सरकारें निस्संदेह रूप से उन श्रमिकों के तर्क सुनेंगी जिन्होंने छूट दिए जाने के विरुद्ध तर्क दिए हैं तथा वे आवश्यक रूप से सार्वजनिक आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक हितों पर ध्यान देंगे और वे ऐसा करेंगे जिनकी परिस्थितिवश आवश्यकता है। अतः जहां तक उनके प्रथम विचार का संबंध है, मैं नहीं सोचता कि मैं उसकी पूर्ति कर सकूंगा क्योंकि कानून मुझे ऐसा नहीं करने देगा और दूसरे, मुझे यह नहीं लगता कि प्रांतीय सरकारों पर विश्वास क्यों नहीं किया जाए जो सामान्य रूप से जनता के हित में आवश्यक है।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न यह उठाया कि क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति विभाग इस कानून के लिए उत्तरदायित्व वहन करने के लिए तैयार है। मेरे विचार से उन्हें यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने यदि इस बात पर विचार किया होता कि भारत सरकार किस प्रकार कार्य करती है तो उन्हें इस बात का पता हो जाता है कि कोई भी अधिनियम इस सदन के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक इस बारे में कार्यकारी परिषद की पूर्ण अनुमति न हो। इस कौंसिल में उद्योग तथा नागरिक पूर्ति के प्रभारी सदस्य को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि श्रम विभाग ने इस बात पर पूरा-पूरा विचार किया है जिसके विषय में उद्योग और नागरिक पूर्ति विभाग ने जोर दिया था और उसी के मतानुसार इस विधेयक में खंड 5 को सम्मिलित किया गया है। उसे इस बात की आशंका थी कि श्रमिकों के कार्य करने के घंटों के सीमित करने के बारे में सामान्य उपबंध आवश्यक और अनिवार्य हैं तथा उन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी देश कतिपय अनुच्छेदों के साथ बंधा हुआ था और उन पर भी विचार किया जाना आवश्यक था तथा उसके विशेष आग्रह पर ही इस खंड को विधेयक में स्थान दिया गया है। मुझे आशा है कि मेरे माननीय सदस्य इस बात से संतुष्ट होंगे कि उद्योग एवं नागरिक पूर्ति विभाग पर इस विधेयक से जल्दबाजी में कोई बात नहीं थोपी जा रही है और इस विधेयक पर उसकी पूर्ण सहमति है। श्रीमन्, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि कारखाना अधिनियम, 1934 को संशोधित करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।”

सभापति महोदय : सर्वप्रथम, मैं खंड 2 पर चर्चा कराऊंगा और अंत में खंड 1 पर विचार किया जाएगा। सर्वश्री वाडीलाल लालूभाई और रामालिंगम चेट्टियार ने

खंड 2 के बारे में संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

श्री वाडीलाल लालूभाई : मुझे कुछ कहना है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि कानून में छूट की व्यवस्था नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इस संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है कि यह कानून के अंतर्गत आ जाएगा, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मेरे द्वारा खंड 2 का जो संशोधन दिया गया है, वह कानून के अंतर्गत आता है।

सभापति महोदय : यह बात स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का क्या मतव्य है।

श्री वाडीलाल लालूभाई : माननीय सदस्य ने यह बताया कि कानून के अंतर्गत छूट की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि वह खंड 2 का मेरा संशोधन पढ़ें, तो उन्हें विदित होगा कि इसमें कोई वैध अवरोध नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वैध अवरोध वह मेरे संशोधन का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इससे कानूनी बाधा आएगी अथवा कोई अन्य कारण हैं।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में पर्याप्त रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं यह नहीं समझता कि इस प्रश्न पर कोई संदेह है। उन्होंने वैध अवरोध की बात एक तर्क के रूप में कही। उसके अतिरिक्त भी एक तर्क था कि उनकी राय में जो कुछ भी आवश्यक होगा, उसे सरकार सम्पन्न करेगी। क्या मेरा कथन सही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, श्रीमन्।

* * * * *

***सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ :

“कि विधेयक के खंड 4 में शब्द 6 साढ़े दस घंटे अथवा यदि फैक्टरी मौसमी है तो साढ़े ग्यारह घंटे के स्थान पर “बारह घंटे” प्रतिस्थापित किए जाएं।”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं इस संशोधन का विरोधा करता हूं। इसमें मुझे दो आपत्तियां नजर आती हैं। पहली आपत्ति सामान्य प्रकार की है। इस संशोधन के माननीय प्रस्तावक सदस्य की राय है कि यह किसी विशेष उद्योग के नियोक्ताओं ने अपने कारखनों में अपनी विशेष योजना के अनुसार अपने मजदूर काम पर लगाए हैं, तो कानून इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह कानून ऐसा हो जो उस समय प्रचलित व्यवस्था के अनुकूल हो। यह ऐसी स्थिति है जिसे मैं स्वीकार

करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अनेक नियोक्ता ऐसे कई साधन अपना सकते हैं जो नियोक्ताओं के हित में ही विशेष सहायक होते हैं और इस बारे में मेरा विचार है कि इस दायित्व को स्वीकार करना राज्य की ओर से एक भूल होगी कि वे उनके हित में विधान बनाने का प्रस्ताव करें। अतः विधान को ऐसा होना चाहिए कि वह व्यवहार के अनुकूल हो और कानून को व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए यदि यह पाया जाए कि यह व्यवहार ठीक नहीं है। यह मेरा पहला तर्क है कि मैं यह संशोधन क्यों नहीं स्वीकार कर सकता।

दूसरा तर्क जो इस संशोधन के विरुद्ध उत्पन्न होता है यह है। यदि मैंने अपने माननीय सदस्य को ठीक समझा है, जिसे तरीके से नियोक्ता अपने मजदूरों की नियुक्ति करता है, वह कुछ इस प्रकार सरल शब्दों में अभिव्यक्त की जानी चाहिए; वास्तव में उसके अंतर्गत मजदूरों के दो वर्ग होते हैं जिन्हें व्याख्या की दृष्टि से 'क' समूह और 'ख' समूह कहा जा सकता है और जिस तरीके से नियोक्ता उन मजदूरों को नियुक्त करता है वे इस प्रकार हैं : 'क' समूह वर्ग के मजदूर अपना काम प्रातः 8 बजे प्रारंभ करेंगे और अपराह्न 4 बजे समाप्त करेंगे। 'ख' समूह वर्ग के मजदूरों को 4 बजे शाम छुट्टी दे दी जाएगी और उसके बाद 'क' समूह वर्ग अपने काम पर लौट आएगा तथा 8 बजे शाम तक काम करता रहेगा। 8 बजे शाम को 'क' वर्ग समूह के मजदूरों को छुट्टी दे दी जाएगी और 'ख' वर्ग समूह के मजदूर काम करने लेंगे तथा वे मध्यरात्रि 12 बजे तक काम करेंगे। यदि मैंने माननीय सदस्य को ठीक समझा है तो यही तरीका है जिसके अनुसार कि नियोक्ता मजदूरों से काम लेते रहेंगे

श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार : बिल्कुल ठीक।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे लगता है कि यह व्यवस्था आधार रूप से विस्तार के सिद्धांत के विपरीत है। विस्तार का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि यथासंभव किसी भी मजदूर को कानून के अंतर्गत नियम अधिकतम कार्य के घंटों से अधिक अवधि के लिए फैक्टरी के अहाते में ठहरने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस विधेयक में अधिकतम 9 घंटे प्रतिदिन काम करने की व्यवस्था की है। यदि संशोधन स्वीकृत हो जाए तो कामगार को अहाते में तीन घंटे अधिक ठहरना पड़ता जिसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह विस्तार के सामान्य सिद्धांत के समरूप नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि कारखाना कोई उद्यान नहीं है और वास्तव में कारखानों में आज वे सभी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए और यह अधिक वांछनीय है कि कामगार को यथाशीघ्र फैक्टरी छोड़ देने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वह अपने घर

पहुंच सके, स्वस्थथा श्वास ले सके और वहां जो भी सुविधाएं हैं उनका आनंद उठा सके और अपने आरंभ के समय का ऐसा सदुपयोग कर सके जो कानून के अंतर्गत उसे प्राप्त है। मेरे विचार से इन कारणों के फलस्वरूप यह संशोधन ठीक नहीं है और इसलिए मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

* * * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मैं नहीं समझता कि मुझे इस समय कुछ भी कहने की आवश्यकता है सिवाए इसके कि मैं सदन तथा प्रवर समिति के सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करूँ जिन्होंने इस विधेयक को पारित कराने में पूरा सहयोग दिया। जहां तक उन अनेक सुझावों का संबंध है जो ऐसे कई वक्ताओं ने प्रस्तुत किए जो इस विधेयक पर बोले, उन सभी के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कोई भी सरकार अस्तित्व में आएगी, वह इन सुझावों पर ध्यान देगी। जैसा कि मेरे माननीय मित्र दीवान चमन लाल ने कहा, हम अब उस समय में नहीं रह रहे हैं जब फैक्टरी कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समय काफी आगे चला गया है। विश्व आगे बढ़ गया है और हमें भी अन्य आधुनिक देशों के समान उन नैतिक मानकों पर ध्यान देना है जिन पर हमारे औद्योगिक संबंध आधारित हैं। मुझे इस बारे में संदेह नहीं है कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उनके सुझावों को कार्यान्वित किया जाएगा।

श्रीमन्, मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सदन ने मेरे लिए सद्भावना व्यक्त की है।

सभापति महोदय, प्रश्न यह है :

“कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि अभ्रक खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए कार्यकलापों को वित्तपोषित करने हेतु एक कोष के निर्माण का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

विधेयक का महत्वपूर्ण खंड 3 है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि अभ्रक के निर्यात पर कर लगाया जाए ताकि एक ऐसा कोष बनाया जा सके जिसे अभ्रक खनन उद्योग में कार्यरत मजदूरों के कल्याणार्थ प्रयुक्त किया जाए। कल्याण संबंधी कार्यकलापों के वे प्रकार इस विधेयक के खंड 2 में दिए गए हैं जो इस कोष से सम्पन्न किए जाएंगे। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं इन खंड को दुहराऊं तथा सदन के समक्ष उनका वाचन करूं। इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूं, मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने यह क्यों आवश्यक समझा है कि इस विधेयक के खंड 3 में वर्णित कोष का निर्माण किया जाए तथा मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी बात कोई और हो सकती है। मैं अभ्रक खनन तथा अभ्रक निर्माण उद्योग के लिए श्रमिक समिति की रिपोर्ट के कुछ उद्धरण पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट प्रोफेसर अदारकर ने तैयार की है जो त्रिपक्षीय श्रमिक सम्मेलन द्वारा नियुक्त तथा खोज समिति के सदस्य थे। श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस रिपोर्ट के कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर प्रोफेसर अदारकर ने कहा है :

“हमने किसी भी खान में कोई मूत्रालय अथवा शौचालय की व्यवस्था नहीं देखी। इस बारे में खान अधिनियम के उल्लंघन का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। यह आश्चर्य की बात है कि 500 फुट नीचे खान में काम करने वाले श्रमिक उस समय क्या करते हैं जब उन्हें मल-मूत्र त्यागने की आवश्यकता

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 5, संख्या 7, 9 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3745-47

होती है। अभ्रक खनन उद्योग में पीने के लिए शुद्ध जल के अभाव की पूर्ति की मांग है। डॉक्टरों ने हमें बताया कि मजदूरों को सप्लाई किए जाने वाले जल में हानिकारक खनिज मिले रहते हैं जिनके फलस्वरूप उन्हें दुष्पचन, आंत्र-रोग आदि हो जाते हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कुछ बड़ी फर्में खानों में लॉरियों से जल ले जाती हैं, परंतु सामान्यतया महिलाओं को जल एकत्र करने के काम में लगाया जाता है और ये महिलाएं पांच से छह मील दूर गंदे तालाबों से जल एकत्र करती हैं। यह जल गंदे मिट्टी के घड़ों अथवा ड्रमों में भरा जाता है और उन्हें खदानों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के जल की पूर्ति भी बहुत कम होती है। धोने के प्रयोजनों के लिए जल उपलब्ध नहीं कराया जाता। यह गंभीर समस्या है जिसकी ओर शीघ्र ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।”

आवास व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है :

“ऐसे घरों” के लिए कोई भी विशेषण उपयुक्त नहीं दिखते जिनमें मजदूर रहते हैं। उनमें से अधिकांश घर अस्थायी है और उन्हें मजबूत बांस अथवा लकड़ी के खंभों के सहारे पत्तियों से बनाया गया है। ये घर दो प्रकार के होते हैं, हम उनका अलग-अलग वर्णन करेंगे :-

(i) पूर्णतया बांस और घास से निर्मित घर - हमने एक ऐसा विचित्र घर देखा, जिसे खान के मालिक ने मजदूरों के लिए बनाया था, जिसकी छत हरी पत्तियों की बनाई गई थी। सामान्य रूप से उसे देखने पर ऐसा लगता था मानों वह पशुओं का शेड हो। उस घर में शायद ही दरवाजों और खिड़कियों की आवश्यकता हो क्योंकि वह चारों ओर से खुला हुआ था। शेडनुमा घर में पति और पत्नी तथा उनके दो बच्चों के परिवार के साथ अन्य 10 मजदूर रहते थे। परिवार के लिए किसी प्रकार का कोई परदा नहीं था। उनके अलग-अलग चूल्हे बने हुए थे। फर्श पर घास बिछी हुई थी जिस पर रात के समय मजदूर सो जाते थे। इस प्रकार उपलब्ध किए गए आवास के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता था। यह उल्लेखनीय है कि परिवार सहित मजदूर को घर में बसाने के बाद नियोक्ता अन्य 8 या 10 मजदूरों को उस घर में स्थान देता था। चूंकि मजदूर को कोई किराया नहीं देना पड़ता था अतः वह किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर पाता था।

(ii) अधिक अच्छे घर - इस प्रकार के घरों की संख्या बहुत कम है। ये घर सामान्यतया दरबान, खलासी तथा बढ़ई के लिए बनाए गए हैं। ये घर एक ही पंक्ति में एकल कमरों के रूप में बने हुए हैं और उनका किराया नहीं लिया

जाता है। उनकी दीवारें झाड़ियों की लकड़ियों अथवा कच्ची ईंटों की बनी होती हैं और उनकी छतें लकड़ी की शहतीरों की बनी होती हैं। वे बंद कमरों के घर होते हैं और उनमें दरवाजे होते हैं परंतु उनमें बहुत कम रोशनदान होते हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि ये क्वार्टर साधारण मजदूरों के लिए नहीं होते अपितु उन्हें उच्च कुशल कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाता है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन क्वार्टरों में रहने वालों के लिए मूत्रालय अथवा शौचालय की व्यवस्था नहीं है अतः वे लोग मलमूत्र त्यागने के लिए बाहर खुले मैदान में जाते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इसके कारण संधि स्थैर्य और रक्तक्षीणता - जैसे रोग हो जाते हैं। मजदूर इन क्वार्टरों में रहना नहीं चाहते यद्यपि उनके नियोक्ताओं के प्रयास होते हैं कि वे उन क्वार्टरों में रहें। मजदूर 4 या 5 मील आते जाते हैं तथा इस प्रकार के प्रोत्साहन की अवहेलना करना अच्छा समझते हैं। इसके अलावा उनकी अपनी निर्मित झोपड़ियां नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध किए गए क्वार्टरों से अधिक अच्छी होती हैं।

मैं एक अन्य पैरा पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें उन व्यावसायिक और अन्य प्रकार के रोगों का वर्णन है जो अभ्रक खानों में प्रचलित हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है :

“अभ्रक के मजदूरों को जो रोग लग जाते हैं, उनका वर्गीकरण इस प्रकार है: (क) ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष रूप से खनन क्रियाओं और काम करने की दशाओं में फैल जाते हैं, और (ख) ऐसे रोग जो खनन क्षेत्र की परिस्थितियों तथा वहां प्राकृतिक वनस्पति उगने से हो जाते हैं। इस बारे में हमने बिहार से कुछ सूचना एकत्र की है और आगे दिया गया विश्लेषण इसी सूचना पर आधारित है।

(क) निम्नलिखित रोग प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते हैं :-

(i) सिलिकोसिस (सिलिका धूल के श्वसन से होने वाला रोग) यह फुफ्फुसों का रोग है और यह स्फटिक चट्टान की सूखी मशीन ड्रिलिंग के कारण पैदा होता है। मशीन की ड्रिलों के अष्टकोणीय किनारे होते हैं जिनमें ड्रिल के मीटर तक सीधा छिद्र होता है। मशीन द्वारा ड्रिल घूमती है और इस ड्रिलिंग प्रक्रिया में जो स्फटिक कण पैदा होते हैं वे बड़ी ताकत के साथ छिद्र में से निकलकर बिखर जाते हैं और ड्रिलर से टकराते हैं। कुछ ही सैकिंड में स्फटिक धूल के मोटे बादल ड्रिलर को ढक लेते हैं और मजदूर की सांस से वह धूल लगातार उसके फुफ्फुसों में जाती है। स्फटिक के लघु कण मजदूर के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके फुफ्फुसों को हानि पहुंचाते हैं। सिलिकोसिस की पहली निशानी

ब्रानकॉइटिस है और यह रोग धीरे-धीरे बढ़कर सिलिकोसिस हो जाती है। इस रोग का प्रभाव काफी होता है परंतु श्रमिकों के अधिक हो जाने के कारण वे इसे प्रारंभ में नहीं जान पाते। इनमें से अधिकांश मजदूर शीघ्र मौत से इसलिए बच पाते हैं कि वे मौसमी खेती का काम करने वहां से चले जाते हैं। यदि ड्रिलर के आगे मजदूर बराबर पूरे वर्ष तक काम करता रहे तो वह इस रोग से बच नहीं पाता और पांच वर्ष या इससे कुछ ही अधिक अवधि में काल-कवलित हो जाता है। एक नियोक्ता ने यह बताया कि गत पांच वर्ष में उसके 16 सर्वोत्तम ड्रिलर अपने प्राण खो बैठे। ऐसा लगता है कि इस रोग से ड्रिलरों को बचाने का संभव उपाय यह है कि भारतीय खनन अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश द्वारा ड्राई मशीन ड्रिलिंग का निषेध किया जाए क्योंकि यह रोग लगभग सभी मामलों में प्राणघातक सिद्ध हुआ है। क्रैसटीन माइनिंग कंपनी ने अपने आप अपनी कुछ खानों में आर्द्र ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ किया है। परंतु किसी अन्य फर्म ने वर्तमान युद्ध के दौरान किसी भी कीमत पर इसका अनुसरण करने के लिए योजना नहीं बनाई। फिर भी इस बात पर यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी नियोक्ताओं ने अपने आप ही ड्राइड्रिलिंग के वैध निषेध के पक्ष में घोषणा की।”

इसके बाद दुष्पचन, गठिया, काली खांसी और मलेरिया के होने का विवरण दिया गया है। मुझे उन तमाम रोगों की पूरी सूची में जाने की आवश्यकता नहीं है परंतु मैं इस रिपोर्ट के आगे दिए गए पैरे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :-

“कल्याणकारी कार्यकलाप अपनी नितांत अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट हैं। कैंटीन, क्रैच, मनोरंजन और धुलाई अथवा अन्य प्रकार की सुविधाएं अभ्रक खनन क्षेत्र में बिल्कुल सुनने को नहीं मिलती। बड़ी-बड़ी फर्मों यथा क्रैसटीन माइनिंग कम्पनी, छनुराम होरिलराम कंपनी और इंडिया माइका सप्लाय कंपनी ने चिकित्सीय सहायता के प्रबंध किए हैं।”

इसके बाद इनके विवरण आगे दिए जाते हैं :-

“जहां कहीं भी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध की जाती है, वह सहायता निशुल्क होती है। फिर भी शिशु अथवा प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं।”

श्रीमन्, इस रिपोर्ट के अंशों को उद्धृत करने में काफी समय लग जाएगा, परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभ्रक खानों में कार्य करने की परिस्थितियां वस्तुतः

असहनीय हो गई हैं और अब समय आ गया है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा अभ्रक की खानों में कामगारों के लिए कुछ न कुछ करें।

श्रीमन्, अब प्रश्न यह है कि इस विषय से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। मुझे यह लगता है कि इस विषय के प्रतिपादन के लिए वस्तुतः दो तरीके हैं। पहला यह है कि यह दायित्व नियोक्ता पर डाल दिया जाए और कल्याण के कुछ उपाय निर्धारित कर दिए जाएं तथा नियोक्ता पर ही यह दायित्व डाला जाए कि यह उन उपायों को कार्यान्वित करे तथा सरकार के लिए यह शक्ति आरक्षित की जाए कि वह इस कार्य का निरीक्षण करे और यह देखे कि नियोक्ता पर जो दायित्व डाला गया है क्या वह उसको कार्यान्वित कर रहा है। दूसरा उपाय यह है कि सरकार को ही कल्याण संबंधी उपाय की प्रभारी होना चाहिए तथा इस संबंध में नियोक्ता को व्यय भार उठाना चाहिए। मेरे विचार से पहला उपाय अधूरा उपाय है और इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम अलग-अलग नियोक्ताओं की अलग-अलग क्षमताएं होती हैं और वे भिन्न-भिन्न तरीके से कल्याण संबंधी उपायों के व्यय भार उठा पाते हैं। बात यह है कि छोटे नियोक्ताओं के लिए यह संभव नहीं है उस स्तर को बनाए रखा जाए जैसाकि इस अधिनियम में निर्धारित किया गया है। दूसरे, सरकार के लिए कठिनाई से ही यह संभव है कि निरीक्षकों की अधिक संख्या में भर्ती की जाए ताकि वे बराबर आते-जाते रहें, निगरानी करते रहें और यह देखते रहें कि कल्याण संबंधी स्तर बनाए रखे जा रहे हैं। अतः सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस प्रकार के मामलों में सरकार के लिए यह अच्छा होगा कि वह अपने आप ही इस दायित्व का वहन करें और नियोक्ताओं पर इस बात को जोर दे कि वे इन कल्याणकारी उपायों के व्यय भार को उठाएं। श्रीमन्, यहीं सिद्धांत है जो अभ्रक उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण से संबंधित विधेयक में निहित है। मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि जहां तक सरकार का संबंध है यह कोई ऐसा नया सिद्धांत नहीं है जिसे उसने अभी स्वीकार किया है। सदन को यह ज्ञात है कि युद्ध के दौरान सरकार ने कोयला खदान में कार्यरत लोगों के कल्याण कार्यों के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। यह कल्याण कार्य अध्यादेश द्वारा सम्पन्न हुआ। इस वर्तमान विधेयक में वे ही सिद्धांत दिए गए हैं जो इस अध्यादेश में सम्मिलित किए गए थे। इसलिए मेरे लिए यह अनावश्यक है कि मैं उस सिद्धांत की आवश्यकता अथवा वांछनीयता पर विस्तार से चर्चा करूं जिस पर यह विधेयक आधारित है।

श्रीमन्, एक दूसरा विचार बिंदु है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, इस विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि दो

समितियों का गठन किया जाए जो इन प्राधिकारियों को परामर्श दें जिन्हें इस कोष को संभालना है - कि इस कोष से किस प्रकार व्यय किया जाए। एक सलाहकार समिति मद्रास प्रांत के लिए होगी और दूसरी समिति बिहार प्रांत के लिए होगी। कुछ सदस्य यह सोचेंगे कि भारत सरकार ने ऐसा कोई कारण क्यों नहीं बताया कि उदाहरणार्थ किसी अन्य अभ्रक उत्पादन क्षेत्र, जैसे राजपूताना, को अभ्रक उत्पादन क्षेत्र के रूप में विचार करने से क्यों छोड़ दिया है। मैं सदन को इस कारण की व्याख्या देना चाहूंगा कि हमने यह आवश्यक क्यों नहीं समझा कि राजपूताना के लिए भी तीसरी समिति गठित की जाए। इस समय अभ्रक उद्योग में राजपूताना का बहुत छोटा स्थान है और इस बारे में मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारत की अभ्रक खानों पर विचार किया जाए। मेरे पास 1941 के आंकड़े हैं। 1941 में बिहार में खानों की कुल संख्या 623 थी और इनमें से वर्ष पर्यन्त काम करने वाली खानों की कुल संख्या 297 थी। मद्रास में खानों की कुल संख्या 108 थी और वर्ष पर्यन्त काम करने वाली खानों की संख्या 47 थी जबकि राजपूताना में खानों की कुल संख्या 62 थी और उनमें से वर्ष भर काम करने वाली खानों की कुल संख्या केवल 8 थी। यदि इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या पर विचार किया जाए तो मेरे पास 1943 के आंकड़े हैं। ये आंकड़े इस प्रकार हैं : बिहार में अभ्रक खदानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 81,431 थी, मद्रास में यह संख्या 18,379 थी और राजपूताना में यह संख्या केवल 15,000 थी। इसलिए यह समझा गया कि राजपूताना के लिए अलग समिति का गठन न किया जाए।

इन सभी समितियों में बहुत अधिक प्रशासनिक व्यय होता है और मैं नहीं चाहता कि कोष को केवल प्रशासन के ऐसे मामलों पर व्यय किया जाए जिसमें हम सहायक हो सकते हैं। इसलिए वहां के लिए मेरा प्रस्ताव है कि एक समिति न बनाकर मितव्ययता बरती जाए और इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए कोई अलग उपाय किया जाए। श्रीमन्, जैसा सदन को ज्ञात है, यह मामला तात्कालिक आवश्यकता का है और मेरी उत्कृष्ट इच्छा है कि इस विधेयक को कानूनी पुस्तक में स्थान दिया जाए।

मुझे यह विदित हुआ कि माननीय सदस्यों के नाम पर एक संशोधन यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को भिजवाने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह विधेयक न तो इतना विवादग्रस्त है और न इतना जटिल कि इसे प्रवर समिति को अपना समय देने के लिए विचारार्थ भेजा जाए। फिर भी यदि इस सदन के सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं और वे इस

बात से सहमत हैं कि प्रवर समिति को यह निदेश दिया जाए कि वह इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व यह विधेयक सदन को लौटा देंगे ताकि इस विधेयक का दूसरा वाचन किया जाए तो ऐसी स्थिति में मैं यह संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव है :

“अभ्रक खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को प्रोन्नत करने वाले कार्यकलापों को वित्तपोषित करने का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री अहमद ई.एच. जफर - (बंबई दक्षिण डिवीजन : मुस्लिम ग्रामीण क्षेत्र) : श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है :-

“कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जिसके सदस्य माननीय सर अशोक राय, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, कु. मनीबेन कारा, श्री एस.सी. जोशी, बाबू राम नारायण सिंह, सर आर. वेंकटसुब्बा रेड्डीयार, श्री गौरी शंकर शरण सिंह, सर ए. करुणाकर मेनन, प्रोफेसर एन. जी. रंगा, श्री जोफरे डब्ल्यू. टाइसन, श्री मदनधारी सिंह, डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद, खान बहादुर हाफिज, गजनफरुल्ला, श्री मुहम्मद नौमेन तथा प्रस्तावक हों और उसे निदेश दिया जाए कि वह अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल, 1946 तक प्रस्तुत कर दे और इस समिति की बैठक के गठन के लिए उपस्थित सदस्यों की आवश्यक संख्या पांच होगी।”

सभापति महोदय : क्या 15 तारीख ठीक रहेगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी नहीं, इसमें बहुत देर लग जाएगी।

* * * * *

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा कि राजपूताना को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। मैं एक अन्य समिति का गठन करूंगा।

दीवान चमन लाल : मैंने अपने माननीय मित्र को यह कहते हुए नहीं सुना कि वह अलग समिति का गठन करेंगे। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, “कुछ अन्य उपाय किया जाएगा।” मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने कहा है कि “एक अलग समिति का गठन किया जाएगा।” जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इस विधेयक में राजपूताना को छोड़ दिया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ये कल्याणकारी योजनाएं इस कोष की सहायता से सम्पन्न की जाएंगी।

दीवान चमन लाल : क्या मद्रास और बिहार से प्राप्त धन को राजपूताना के मजदूरों की सहायता के लिए व्यय किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम मजदूरों के कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के लिए किसी अन्य एजेंसी अथवा संगठन को काम पर लगा सकते हैं। इसका भुगतान कोष द्वारा किया जाएगा।

* * * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मैं उस आलोचना का उत्तर देने में अधिक समय नहीं लगाना चाहता जो इस विधेयक के विरुद्ध की गई है। मैं इस संबंध में उन बातों पर सारांश में अपनी राय प्रकट करना चाहता हूँ जो मेरे मत के बारे में तीन वक्ताओं ने उठाई हैं। सर्वप्रथम, मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा जो मेरे मित्र श्री टाइसन ने उठाई हैं। मैंने अपने भाषण में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया है जो मैंने अभ्रक के अतिरिक्त स्टॉक अथवा उन अन्य करों के बारे में हो, जिनके लगाए जाने का प्रस्ताव है और मैंने न्यायमूर्ति रियूबेन की रिपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। श्रीमन्, मैंने जानबूझ कर अपने भाषण में इन बातों का उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि मैं जानता था कि इन बातों को मेरे मित्र श्री टाइसन अपने भाषण में उठाएंगे और मुझे उनकी बातों का उत्तर देना होगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मुख्यतया इसका कारण यह था कि मैं सदन का समय बचाना चाहता था।

श्रीमन्, अब स्थिति यह है कि यद्यपि श्रम विभाग और भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि प्रोफेसर आदरकर की रिपोर्ट के आधार पर समाज कल्याण के अधिनियम पर विचार किया जाए, तथापि उनके कल्याणार्थ कदम उठाने का निर्णय आदरकर रिपोर्ट से बहुत पूर्व ही श्रम विभाग ने लिया था। मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि श्रम विभाग ने जो निर्णय लिया है, उसका न्यायमूर्ति श्री रियूबेन ने खनन उद्योग की अपनी रिपोर्ट में पूर्णतया समर्थन दिया है।

उन्होंने वस्तुतः यह सुझाव दिया है कि उत्पादित अथवा निर्यात की गई अभ्रक पर सामान्य रूप से उपकर लगाया जाना चाहिए और इस सामान्य उपकर की प्राप्तियों का लगभग 5/12वां भाग अभ्रक खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए अलग रख देना चाहिए। अतः इस अधिनियम के अनुसार कार्य करने में रियूबेन रिपोर्ट से कोई भिन्नता नहीं है। हमने जो किया है वह यह है कि श्री रियूबेन रिपोर्ट द्वारा अलग-अलग प्रयोजनों के लिए वितरित और आवंटित एकल उपकर के बजाय

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 5, संख्या 7, 9 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3757-59

यह आवश्यक समझा है कि कल्याण कार्यों के लिए एक अलग कोष होना चाहिए तथा कुछ प्रशासकीय उपायों के लिए ऐसा कोष होना चाहिए जो इस उद्योग के लिए आवश्यक समझा जाए। इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि कल्याण कार्यों के कोष का प्रशासन एक अलग एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए जबकि अन्य प्रयोजनों के लिए प्रशासन किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार मेरे माननीय मित्र श्री टाइसन यह देखेंगे कि भारत सरकार का निर्णय श्री रियूबेन की रिपोर्ट से पूर्णतया मेल खाता है।

जैसाकि मेरे माननीय मित्र देखेंगे, अतिरिक्त उपकर के संबंध में प्रारंभिक अवस्था में बहुत कम उपकर निर्धारित किया गया है। रियूबेन रिपोर्ट में मूल्यानुसार प्रस्तावित आंकड़ा 6 प्रतिशत है।

श्री ज्योफे डब्ल्यू टाइसन : श्रम या सामान्य?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सामान्य।

यह ऐसा मामला है जिसकी बाद में जांच करने की आवश्यकता है कि उपकर की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए ताकि उपकर से ऐसा पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सके जो कल्याण और अन्य प्रयोजनों दोनों के लिए पर्याप्त होगी।

दीवान चमन लाल : मेरे माननीय मित्र को कितने उपकर की आशा है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जरा रुकें, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। जहां तक अधिक स्टॉक का प्रश्न है, मैं सदन को सूचित करूंगा कि भारत सरकार उस अभ्रक के अधिक स्टॉक के निपटाने के प्रश्न पर काफी समय से महामहिम की सरकार से विचार-विमर्श कर रही है जो महामहिम सरकार तथा अमरीका में रोक लिया गया है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि अब हम ऐसे समझौते पर आ गए हैं कि अधिक स्टॉक के निपटान द्वारा अभ्रक उद्योग को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यह विचार-विमर्श अब अंतिम चरण में आ गया है और कुछ ही दिनों में एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा जिसमें ऐसे समझौते के बारे में उद्योगकर्मियों तथा आम जनता को सूचित कर दिया जाएगा कि महामहिम सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस समझौते के लिए स्वयं अभ्रक उद्योग का सर्वाधिक समर्थन है।

इस विधेयक के बारे में मैं सदन को यह भी सूचित करूंगा कि इसको स्वयं उद्योग ने पूर्व अनुमति दी है। इस प्रश्न को सर्वप्रथम मैंने उस सम्मेलन में उठाया था जो 29 अप्रैल, 1944 को कोडरमा में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मैंने की थी और इसमें अभ्रक उद्योग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुझे

इस बात की प्रसन्नता है कि कुल मिलाकर उद्योग ने कल्याण विधि के बारे में मेरे सुझाव को स्वीकार किया। यह मामला पुनः 9 नवम्बर, 1945 को उठाया गया जब कोयला खनन कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में धनबाद में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भी अभ्रक उत्पादकों में इस सुझाव को स्वीकार किया। अंत में 19 दिसम्बर, 1945 को धनबाद में तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रम विभाग के सचिव ने की और इस सम्मेलन में सरकार तथा अभ्रक खदान मालिकों के मध्य अंतिम समझौता सम्पन्न हुआ। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस उद्योग पर उपकर लगाए जाने के हमारे प्रस्ताव ने अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने के संबंध में उद्योग को हतोत्साहित नहीं किया और मैं समझता हूँ कि अंतिम कुछ महीनों के दौरान, जहां तक मुझे ज्ञात है, तीन बड़ी नई कंपनियां अभ्रक के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। उदाहरणस्वरूप, मैं यह बताना चाहूंगा कि 5 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी की सहायता से मद्रास में माइकैटिक एंड माइका प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी अस्तित्व में आई है। एक दूसरी कंपनी 5 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी से कलकत्ता में सरस्वती माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से बनी है। मुझे इस तथ्य का भी पता है कि क्रिश्चियन माइलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अभ्रक खनन और माइकेनाइट फैक्टरी की स्थापना के लिए पूंजी निर्गम के लिए आवेदन किया था। इन परिस्थितियों से यह विदित होगा कि उद्योगों ने इस उपकर को दुःखद नहीं समझा है और मेरा विचार है कि उन उद्योगपतियों को विश्वास है कि इस उद्योग के लिए यह संभव होगा कि यह कल्याण उपकर उद्योग का भार वहन कर सकेगा।

मेरे मित्र दीवान चमन लाल ने जो बातें उठाई हैं, उसके बारे में मैं क्षमाप्रार्थी हूँ कि मैं उन्हें रिपोर्ट की वह प्रति नहीं दे सका जो वह प्रारंभ में चाहते थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल ही भूल गया। परंतु मेरा विचार यह नहीं है कि उन्होंने उस मामले को ठीक उसी प्रकार उठाया है जैसा कि उन्हें चाहिए था। शायद वह कहते कि यदि उसके पास रिपोर्ट होती तो वे अपने इस भाषण की लंबाई इससे दुगनी कर देते।

उन्होंने एक प्रश्न किया है कि इस उपकर से कितना राजस्व प्राप्त होगा, मैं सदन को उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता और इसका कारण स्पष्ट है। अभ्रक का उत्पादन नियमित रूप से स्थिर नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ मेरे पास 1934 से 1944 तक के आंकड़े हैं। 1934 में उत्पादित अभ्रक का मूल्य 6,30,525 रुपए था जबकि 1944 में उसका मूल्य 273,01,458 रुपए था और समय-समय पर अन्य

वर्षों में ये आंकड़े अलग-अलग रहे। अतः मेरे लिए यह नहीं होगा कि सदन को कोई विशेष आंकड़ा बताऊँ। हमें युद्धोत्तर काल में कुछ समय इस उद्योग को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए देना चाहिए। परंतु 1944 के आंकड़ों को देखते हुए मेरी यह गणना है कि यह उपकर लगभग 5 लाख रुपए तक होगा। मैं यह कहता हूँ कि यह अधिक राशि नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं एक सिद्धांत की स्थापना के लिए संघर्षरत हूँ। यदि बाद में यह पाया जाए कि यह कोष पर्याप्त नहीं है तो सरकार के ऐसे किसी सदस्य के लिए यह खुला आमंत्रण होगा कि वह आगे आए और इस उपकर में वृद्धि करवाए। इस प्रकार राशि में वृद्धि होगी तथा इससे उन समाज कल्याण के कार्यों को सम्पन्न किया जा सकेगा जिन्हें अन्यथा सम्पन्न करना संभव नहीं होगा।

जहां तक अभ्रक खरीद मिशन की बात है जो मेरे मित्र ने उठाई है, उसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। अतः अभ्रक खरीद मिशन के कार्यकलापों से उभरने वाले प्रश्नों के संबंध में विचार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। परंतु मैं अपने मित्र को बता सकता हूँ कि जहां तक मुझे इसके बारे में ज्ञात है, इस देश में अभ्रक उत्पादन में कार्यरत उद्योगपतियों को इस बारे में कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है, अपितु मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उन्होंने सामान्य की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया है।

मेरे मित्र दीवान चमन लाल ने खनन अधिनियम के प्रशासन की शिथिलता के बारे में काफी लंबा भाषण दिया है। उन्होंने बच्चों को काम पर लगाने तथा महिलाओं को काम पर लगाने से उत्पन्न अन्य मामलों के बारे में उल्लेख किया है। मैंने कहा, मैं इस तथ्य से काफी अवगत हूँ और श्रम विभाग इस विधान के प्रारंभ करने से पूर्व उन तमाम दोषों को दूर करना चाहता है जो श्री आदरकर ने अपनी रिपोर्ट में अभ्रक खदानों के मजदूरों के संबंध में बताई है। यदि सरकार के पास समय होता, तो इस सत्र के दौरान यह संभव होता कि इस विधेयक में उन दोषों को दूर कर दिया जाए। परंतु इसमें मुझे संदेह नहीं है कि यह काम विलंब किए बिना ही सम्पन्न कर लिया जाएगा।

मेरे मित्र श्री राम नारायण सिंह ने कुछ बातें उठाई हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस अधिनियम के पारित करने में बहुत विलंब हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले से ही अभ्रक उद्योग विद्यमान था और इसके अपने दोष भी थे, सरकार भी थी परंतु इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वह एक बात का उल्लेख करना भूल ही गए कि वे भी इन कार्यों के साथ संलग्न थे और कई वर्ष से कार्यरत रहे हैं। यदि उन्होंने इस मामले को उठाने के शीघ्र अवसर का लाभ उठाया होता, सरकार और उद्योगपतियों के अंतःकरण को उत्प्रेरित और संगठित किया होता, तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि जिस विलंब की उन्होंने शिकायत की है वह कभी

नहीं करते। परंतु मुझे यह आशा है कि वह इस बात से सहमत होंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद।

कोष के प्रशासन के प्रश्न पर विचार करते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात उठाई है उसका इस बात से संबंध है कि कोष के प्रशासन के कार्य को प्रांतीय सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। मुझे यह कहने में खेद है कि मैं इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता। यह विधान केंद्रीय विधान है, यह ऐसा विधान है कि इसके लिए केंद्रीय सरकार उत्तरदायी है। यह कोष केंद्रीय सरकार कानून द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसको प्राप्त करने का उद्देश्य किसी विशेष और विशिष्ट प्रयोजन के लिए है। इन परिस्थितियों से मुझे लगा कि भारत सरकार की ओर से यह संगत नहीं है कि इस समूची राशि को प्रांतीय सरकारों को आवंटित कर दिया जाए जहां यह राशि प्रांत के सामान्य राजस्व में मिला दी जाए और अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर दी जाए। मेरा विचार है कि इस कोष का उत्तरदायी केंद्रीय उत्तरदायित्व है क्योंकि यह कोष किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए है और चूंकि यह एक प्रकार का न्यास होगा जिसका प्रशासन भारत सरकार करेगी इसलिए प्रत्येक दशा में वांछनीय है, वांछनीय ही नहीं अपितु आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार प्रारंभ से लेकर अंत तक इस कोष के प्रशासन को अपने हाथ में रखे। जब बात ऐसी है तो मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहूंगा कि शायद उन्होंने इस व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया है जिसके अनुसार कोयला खनन श्रमिक कल्याण कोष का प्रशासन किया जाता है। इसलिए मैं उनसे इसके बारे में कुछ विस्तार से कहना चाहूंगा क्योंकि कोयला खनन श्रमिक कोष का प्रशासन एक आदर्श होगा, यह केवल आदर्श ही नहीं अपितु एक नमूना होगा जिसके आधार पर इस कोष का प्रशासन चलाया जाएगा। जहां तक कोयला खनन श्रमिक कोष के प्रशासन का संबंध है, उसकी शक्ति उस आयुक्त में निहित है जो सामान्यतया एक प्रांतीय अधिकारी होता है और ऐसा अधिकारी होता है जिसे प्रांतीय सरकार तैनात करती है। यदि मैं माननीय सदस्य को यह बताऊं कि इस समय जो व्यक्ति कोयला खनन कल्याण कोष का प्रशासन चला रहा है वह वही अधिकारी है जिसे बिहार सरकार ने तैनात किया है। माननीय सदस्य को इस बात से आश्चस्त होना चाहिए कि जहां तक अभ्रक कोष के प्रशासन का मामला है, हम बिहार सरकार से कहेंगे कि वह अपने किसी अधिकारी को इस कार्य के लिए तैनात करे। जैसाकि मैंने कहा, और जैसाकि विधेयक में व्यवस्था की गई है, समिति का गठन ऐसा होना चाहिए कि इसमें बिहार और मद्रास के अभ्रक उद्योग के जो प्रतिनिधि हों वे ऐसे स्थानीय व्यक्ति होंगे जो स्थानीय परिस्थितियों से परिचित हों। इसके अलावा, कोयला

खनन कल्याण कोष के गठन के नियमों के अनुसार इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रांतीय सरकारें सलाहकार समिति के सदस्य होने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजेगी। इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण अभ्रक सलाहकार समिति के संबंध में भी किया जाएगा। हम नियमों द्वारा इसकी व्यवस्था करेंगे। इन समितियों की प्रति तीन माह में बैठक होती है, इसके लिए कार्यसूची तैयार की जाती है और समिति की सलाह मांगी जाती है। इसके लिए उत्पादकों, मालिकों, कार्यकर्ताओं और प्रांतीय सरकारों से भी व्यक्ति लिए जाते हैं। सलाहकार समिति के समक्ष इसके लिए वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। उनकी सलाह ली जाती है। उनकी सलाह के बाद अलग-अलग उन प्रयोजनों के लिए कोष व्यय किया जाता है जिनके लिए धन की व्यवस्था की गई है।

मेरा विश्वास है कि इस व्यवस्था के बाद मेरे मित्र श्री राम नारायण सिंह को यह विदित होगा कि केंद्र से किसी प्रकार की कोई निरंकुशलता नहीं होगी। पर्याप्त विकेंद्रीकरण है और उत्पादकों, कार्यकर्ताओं तथा प्रांतीय सरकार के बीच इस कोष के प्रशासन में पूरा सहयोग है। श्रीमन्, मैं यह नहीं सोचता कि अब कोई ऐसी बात रह गई है जिसे इस विधेयक पर भाषणों के दौरान उठाया गया हो और जिसका कि मैंने उत्तर न दिया हो। अंतः इस विषय में मुझे कुछ और नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

“कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जिसके सदस्य माननीय सर अशोक राय, माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, कृ. मनी बैन कारा, श्री एस. सी. जोशी, बाबू रामनारायण सिंह, सर आर. वैकटसुब्बा रेड्डीयार, श्री गौरी शंकर शरण सिंह, सर ए. करुणाकर मेनन, प्रोफेसर एन.जी. रंगा, श्री जोफरे डब्ल्यू टाइसन, श्री मदनधारी सिंह, डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद, खान बहादुर हाफिज, एम.गजनफरुल्ला, श्री मोहम्मद नौमेन और प्रस्तावक हों और उसे यह निर्देश दिया जाए कि वह अपनी रिपोर्ट 12 अप्रैल, 1946 तक प्रस्तुत कर दें और इस समिति की बैठक के गठन के लिए उपस्थित सदस्यों की आवश्यक संख्या पांच होगी।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से यह अपेक्षा करने वाले विधेयक पर कि वे अपने अंतर्गत काम की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करें विचार किया जाए।”

श्रीमन्, यह बहुत ही सरल विधेयक है और जहां तक मैं समझता हूँ यह विवादहीन है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि इसमें ऐसी शर्तें होनी चाहिए जिन्हें इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए और इसमें ऐसा रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए जिसमें किसी विशेष प्रतिष्ठान की शर्तों का उल्लेख हो। इस विधेयक में रोजगार की शर्तों के महज पंजीकरण और उनकी विश्वसनीयता और औचित्य के निर्णय के बीच अंतर किया गया है। इस विधेयक में रोजगार की शर्तों के विश्वसनीयता और औचित्य के निर्णय के प्रश्न पर चर्चा नहीं की गई है। प्रत्येक नियोक्ता इस विधेयक के अंतर्गत इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपनी इच्छानुसार रोजगार की शर्तें निश्चित करे। इस विधेयक के अनुसार इस बात की आवश्यकता है कि नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में कार्य पर लगाए गए कर्मियों पर लागू रोजगार की शर्तों के निर्धारण के पश्चात उन्हें उस अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और वह अधिकारी उन शर्तों का उल्लेख अपने रजिस्टर में करेगा तथा इस रजिस्टर से पता चलेगा कि वास्तव में शर्तें क्या निश्चित की गई थी। दूसरे शब्दों में, यदि मैं इसे अन्य प्रकार से अभिव्यक्त करूँ, इस विधेयक में केवल यह प्रावधान होगा जो साक्ष्य का नियम कहलाता है। इस प्रकार यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और यदि नियोक्ता और कामगार के बीच किन्हीं संबंधित

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 5, संख्या 9, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3914

शर्तों के बारे में कोई विवाद उठता है तो इस साक्ष्य को कानून के अंतर्गत प्रलेखी साक्ष्य स्वीकार किया जाएगा। प्रमाणित करने वाला अधिकारी नियोक्ता को प्रमाणित प्रति देगा और मौखिक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सदन इस विधेयक के खंड 12 को देखें तो पायेगा कि यह बिंदु पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। इस खंड में कहा गया है :

“किसी न्यायालय में कोई ऐसा मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके प्रभाव से इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप में प्रमाणित स्थायी आदेशों में किसी प्रकार का अंतर आता हो या विरोध पैदा होता हो।”

वास्तव में इस विधेयक का यही उद्देश्य है। जैसाकि मैंने कहा था, इसमें कोई भी नया नियम निहित नहीं है। इस प्रकार का अधिनियम पहले से ही बंबई प्रांत में विद्यमान है और इस विधेयक में उन सभी बातों का प्रस्ताव है कि उस अधिनियम के उपबंधों को भारत के अन्य प्रांतों में भी लागू किया जाए।

इस विधेयक में ऐसे अनेक खंड हैं जो केवल प्रक्रिया के मामलों से संबंधित हैं और जिनमें यह परिभाषित है कि प्रमाणित करने वाला अधिकारी इस मामले में किस प्रकार आगे बढ़ेगा जब उसे नियोक्ता से शर्तें और निबंधन की सामग्री प्राप्त होती है। उस अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उस प्रतिष्ठान में नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित करे और कोई भी प्रमाणपत्र देने से पूर्व उनकी बात सुने। यदि नियोक्ता को यह पता लगे कि उसने जो शर्तें प्रस्तावित की हैं, वे पूर्णतया इसके उपबंधों के अनुकूल हैं और प्रमाणित करने वाला अधिकारी उसे प्रमाणपत्र नहीं देता तो नियोक्ता को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी अपीली अदालत में जा सके और इस प्रकार वह प्रमाणित करने वाले अधिकारी का निर्णय रद्द कराए।

मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि मैं इस सदन का अधिक समय इस समय लूं जब हमारे पास बहुत ही कम समय है और इस विधेयक के अलग-अलग खंडों पर विचार-विमर्श कर सकूं। परंतु मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि सरकार यह क्यों समझती है कि यह विधेयक न केवल आवश्यक है अपितु बड़ा तात्कालिक भी है। यह विधेयक एक अन्य कानून से अधिक समन्वित रूप से संबंधित है जिसके बारे में सरकार विचार कर रही है और जिसका संबंध स्वास्थ्य बीमा से है तथा जिसके बारे में सरकार अगले सत्र में विधेयक लाने का विचार करती है। स्वास्थ्य विधेयक में कर्मचारी को लाभों से संबंधित कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है : इसमें उन पर कुछ ऐसे दायित्व डाले गए हैं कि वे स्वास्थ्य बीमा निधि में योगदान करें। ये अधिकार और दायित्व परस्पर संबंधित हैं जैसाकि अलग-अलग प्रतिष्ठानों में कर्मचारी

मजदूरी लेते हैं। अब उस योगदान के लिए विवाद उठ सकते हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा इस कोष में अदा किया जाना है। इस बात के भी विचार उठ सकते हैं कि किसी कर्मचारी की बीमा कोष के अधीन क्या लाभ उठाने का अधिकार है। सरकार यह आवश्यक समझती है कि कर्मचारियों की शर्तों को प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उन्हें एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए ताकि जब विवाद उठे, उस समय मजदूरी और उन अन्य शर्तों के संबंध में ऐसा अकाद्यू साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके जिससे कर्मचारी प्रतिबन्धित हो। वास्तव में यह महसूस किया जाता है कि स्वास्थ्य बीमा कोष से आकलन उस समय तक अधिक कठिन होगा जब तक हमने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों के रोजगार से संबंधित कतिपय प्रश्नों को मिथ्या-दोषारोपण, संदेह और विवाद से अलग न किया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

* * * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, मैं यह नहीं समझता था कि यह विधेयक पारित कराया जाने वाला प्रस्ताव इस प्रकार की बहस को प्रेरित करेगा जो अभी हमने सुनी है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मुझे अपने मित्र माननीय डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद के भाषण पर विशेष आश्चर्य हुआ है और मुझे इस बात की आशंका है कि उनका भाषण इस तथ्य के कारण हुआ कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया जो उनके दोपहर के भोजन में पाचन योग्य नहीं था क्योंकि हम वह जानते हैं कि डॉ. जियाउद्दीन अहमद श्रम-कानून बनाने के अनवरत समर्थक रहे हैं और कई बार उन्होंने इसी सदन में अधिक विस्तार और देरी किए बिना श्रम कानून बनाने की आवश्यकता के लिए मुझ पर जोर डाला है। आज उन्होंने विरोधी स्वर में अपना भाषण दिया है, परन्तु मैं यह देखकर प्रसन्न हूँ कि टिप्पणियों का पूर्ण उत्तर मेरे मित्र श्री सिद्दीकी ने दे दिया है और मेरा विचार है कि मेरे लिए यह संगत न होगा कि सदन में इस मामले को फिर उठाया जाए।

अब केवल एक बात रहती है जो उन्होंने उठाई है और मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा कि उन्हें इस विधेयक के बारे में पर्याप्त नोटिस नहीं मिला था। इस संबंध में स्थिति यह है कि इस विधेयक से संबंधित कार्यसूची को शुक्रवार 6 तारीख को माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया था। इसी कार्यसूची में यह विधेयक इस सभा के कार्यक्रम की पहली मद थी। यह केवल सभा के कार्यक्रम का ही अंग नहीं था, परन्तु उसमें इस आशय की एक टिप्पणी भी निश्चित रूप से

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 5, संख्या 9, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3926

की गई थी कि शुक्रवार 12 अप्रैल, 1946 के दिन इस पर विचार किया जाएगा और यह सभा के कार्यक्रम की पहली मद होगी। मैं नहीं समझता कि क्या 6 दिन का नोटिस अपर्याप्त है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मुझे यह आशा थी कि मैं इसे 15 मिनट में ही पारित करा लूंगा, परंतु अब हमने इस संबंध में लगभग एक घंटे पांच मिनट का समय ले लिया है। अंत में, मैं यह नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को सदन में शीघ्रता से पारित कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

मेरे मित्र श्री इन्सकिप्ट ने यह बात उठाई है कि इस मामले में नोटिस के लिए पर्याप्त समय नहीं था कि वे अपने मुवक्किलों से परामर्श कर सकें। मैं यह अवश्य कहूंगा कि उन्होंने इस विधेयक के पूर्व इतिहास को एकदम गलत समझा है अथवा वह इस विधेयक के पूर्व-इतिहास को भूल गए हैं। यह विधेयक वर्ष 1944 में स्थायी श्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में पूर्णतया एकमत थी और उसने यह सुझाव दिया कि यह विधेयक इतना आवश्यक और विवादाहीन है कि सरकार इस विधेयक को एक अध्यादेश के रूप में भी पारित कर सकती है, जो हमने नहीं किया। इसके बाद यह मामला फिर भी भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए उठा।

उन्होंने जो दूसरी बात उठाई है, उसके अनुसार यह विधेयक जो अब इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, उस रूप में नहीं है जैसाकि श्रम सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि यह नितान्त भ्रमपूर्ण विचार है। सरकार ने ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किए हैं जो इस विधेयक के प्रारूप में हों जैसाकि इस विधेयक को त्रिपक्षीय सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

मेरे मित्र प्रोफेसर रंगा ने एक प्रश्न उठाया है कि यह विधेयक छोटे कारखानों पर किस प्रकार लागू किया जाएगा। मेरे मित्र श्री गिवल्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है और कहा है कि मैं इस बारे में स्पष्टीकरण दूँ। यदि किसी ने भी खंड 1 के उपखंड (3) को पढ़ा है तो उसे किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए कि यह केवल ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित है जहां 100 या इससे अधिक श्रमिक काम पर लगाए जाते हैं क्योंकि उस खंड में यह कहा गया है कि सरकार को यह शक्ति और प्राधिकार होगा कि वह इसे “ऐसे अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग अथवा वर्गों पर लागू करे जिसे समय-समय पर सरकार उचित समझे और इसका उल्लेख सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किया जाएगा तथा इस विज्ञप्ति में इस बात का स्पष्टीकरण किया जाएगा।” अतः सरकार ने अपने हाथों में ही यह

शक्ति रखी है कि इस कानून को उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाए जहां 100 से कम लोग काम करते हैं। अतः ऐसी कोई भी आशंका कि यह विधेयक उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर मुख्यतया लागू होगा जहां 100 या इससे अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं और इसके फलस्वरूप अन्य प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया जाएगा जहां श्रमिकों की संख्या कम है, एक ऐसी आशंका है जिसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह पूर्णतया निराधार है।

दीवान चमन लाल : क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूँ? पृष्ठ 2, खंड 2 (ग)(ii) में औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया है कि “कारखाना अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कारखाने से अभिप्रेत है।” मैं समझता हूँ कि कारखाने की वह परिभाषा कारखाना अधिनियम के अनुसार है। परंतु बीस व्यक्तियों के कारखाने को “औद्योगिक प्रतिष्ठान” की परिभाषा में नहीं समझा जाएगा जो यहां दी गई है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : परंतु सरकार ऐसे कारखाने पर भी इसे लागू कर सकती है जिसमें बीस व्यक्ति काम करते हों।

दीवान चमन लाल : सरकार ऐसा कर सकती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम पहले उन कारखानों में उसे लागू कर रहे हैं जहां 100 व्यक्ति काम करते हैं।

श्री लेसिली गिव्ल्ट : इससे कम कर्मचारियों वाले कारखाने से आरंभ क्या नहीं करते है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ऐसी कोई बाधा नहीं है कि सरकार इससे कम कर्मचारियों वाले कारखाने पर यह कानून लागू न कर सके।

दीवान चमन लाल : यदि भारतीय कारखाना अधिनियम ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू किया जा सकता है जहां केवल बीस व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं तो यह विधेयक इसी प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू क्यों नहीं होता?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसी स्थिति है, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इस विधेयक के दायित्व को उन कारखानों पर लागू करने पर सरकार को रोके जहां बीस व्यक्ति काम करते हैं। हमने यह उचित समझा कि कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रशासकीय तंत्र शायद इतना विशाल होना चाहिए कि यह कानून प्रत्येक कारखाने पर लागू किया जाए। प्रमाणित करने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और कोई भी प्रांतीय सरकार

इस स्थिति में नहीं हो सकती कि वह इस प्रकार के प्रशासकीय तंत्र की व्यवस्था कर सके। यह आवश्यक है कि साधारण स्तर पर कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए और ऐसे अधिकार अपने पास रखने चाहिए कि यह कानून उन सभी कारखानों पर लागू किया जा सके जहां इसके विस्तार की आवश्यकता है।

मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई अन्य बात है जो इस प्रस्ताव पर भाषणों के दौरान उभरी है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

श्रीमन्, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति : प्रश्न है :

“कि विधेयक, यथा-संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि अभ्रक खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को प्रोन्नत करने के कार्यकलापों को वित्तपोषित करने हेतु एक कोष का निर्माण करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।”

यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा विचार के बाद जिस रूप में आया है यह न्यूनाधिक मूल विधेयक के समान ही है क्योंकि प्रवर समिति ने उसमें नाममात्र के परिवर्तन किए हैं। इसलिए यह गलत होगा कि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में मैं समय लगाऊँ। अतः मैं और कुछ न कर इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

उप-सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि अभ्रक खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को प्रोन्नत करने के कार्यकलापों को वित्तपोषित करने हेतु एक कोष का निर्माण करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उप-सभापति महोदय : प्रश्न यह है

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उप-सभापति महोदय : खंड 5

पंडित मुकुट बिहार लाल भार्गव (अजमेर-मेरवाड़ा : सामान्य) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

* विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय), खंड 5, संख्या 4, 15 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 4024

“कि इस विधेयक के खंड 5 के उपखंड 3(क) में शब्द ‘कोष’ के बाद तथा शब्द ‘और’ से पूर्व निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाए :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि कोई भी अधिकारी किसी आवासीय घर में सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच के समय में प्रवेश करने हेतु सक्षम नहीं समझा जाएगा और यदि ऐसे आवासीय घर में महिलाएं रहती हों तो घर में रहने वाले सदस्यों को उचित सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा।”

उप-सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने संशोधन के लिए यह सूचना अभी दी है। इस संशोधन को सदस्यों में भी परिचालित नहीं किया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, इस बारे में मेरी आपत्ति है।

उप-सभापति महोदय : मुझे यह आशंका है कि यह संशोधन देर से प्राप्त हुआ है और इस व्यवस्था में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रोफेसर एन.जी.रंगा (गुंटूर-और-नेल्लोर : गैर-मुस्लिम ग्रामीण क्षेत्र) : क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

उप-सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य खंड 5 पर कुछ कहना चाहते हैं?

पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव : जी नहीं।

उप-सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 और 6 विधेयक के अंग बनें”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 विधेयक में जोड़े दिया गया।

शीर्षक और प्रस्तावना विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।”

उप-सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

“कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।”

66

*विविध

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

अनुसूचित जातियों की शैक्षिक और आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1946-47 में उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं जो ब्रिटिश भारत में इन वर्गों के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी इच्छा है कि वे मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के बाद वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विषयों में अपना अध्ययन आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये छात्रवृत्तियां केवल भारत में ही दी जाएंगी। इस वर्ष बोर्ड द्वारा कोई भी छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को नहीं दी जाएगी जो विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं।

प्रदत्त छात्रवृत्ति की राशि में शिक्षा की कुल लागत सम्मिलित की जाएगी जिसमें ट्यूशन फीस और अन्य रखरखाव के व्यय सम्मिलित हैं। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग के संबंध में प्रतिमास बीस रुपए के अल्पावधि वजीफे भी दिए जाएंगे।

जिन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार हैं :

- (1) विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडियेट; (2) बी. एस. सी. (पास अथवा आनर्स); (3) एम.एस.सी.; (4) इंजीनियरिंग; (5) टेक्नोलॉजी; (6) चिकित्सा; (7) कृषि; (8) अध्यापक प्रशिक्षण; और (9) स्टेनोग्राफी तथा टाइपिंग।

इंटरमीडियेट और ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में कला विषयों में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जा सकेंगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि उन्हें वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रम के बाद अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करेंगी। यदि वे इस शर्त को पूरा नहीं करतीं तो उन्हें छात्रवृत्तियों की राशि वापस करनी होगी।

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 मार्च, 1946, पृष्ठ 310

दामोदर घाटी परियोजना पर परामर्श देने के लिए टेनेसी घाटी (टी.वी. ए.) प्राधिकरण के विशेषज्ञ

श्री रास. एम. रीगेल और श्री फ्रेड सी. श्लेम्मेर, टेनेसी वेली ऑथोरिटी (टी.वी.ए.) के प्रमुख इंजीनियर भारत में इस मिशन के लिए आ गए हैं कि वे मैथोन, अल्यार और पंचेत पर्वत श्रेणी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय टेक्नीकल पॉवर बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं के संबंध में परामर्श दे सकें। दामोदर परियोजना में ये प्रथम बांध स्थल है जिनके लिए डिजाइनों की रूपरेखा और ब्यौरेवार तखमीने इस समय तैयार किए जा रहे हैं। मैथोन परियोजना के लिए योजना तथा डिजायन का काम तुलनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ चुका है। अन्य परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त रूप से स्थलाकृति तथा अन्य विवरण अभी भी तैयार किए जा रहे हैं।

चार रिपोर्टें

श्री रीगेल और श्री श्लेम्मेर भारत में आठ सप्ताह से अधिक नहीं रुकेंगे क्योंकि उनकी सेवाएं वाशिंगटन स्थित स्टेट डिपार्टमेंट के अनुमोदन से टेनेसी वेली ऑथोरिटी द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई है। यह आशा की जाती है कि इस मिशन के साथ दो प्रमुख भारतीय इंजीनियर संबद्ध किए जाएंगे, परंतु “अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन” के संबंध में सिंचाई परियोजनाओं को चलाने के लिए अथक प्रयत्नों में लगे रहने के कारण, वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय इंजीनियरों को अभी तक मिशन में सम्मिलित होने में कठिनाई है। इस मिशन को चार रिपोर्टें तैयार करनी हैं। दो रिपोर्ट केंद्रीय टेक्नीकल पॉवर बोर्ड को प्रस्तुत की जानी हैं तथा इन रिपोर्टों में अपनाए जाने वाले डिजाइन के प्रारूप के लिए बोर्ड के प्रस्तावों की तार्किक जांच तथा बांध के स्थलों पर निर्माण का कार्यक्रम सम्मिलित किया जाता है। अन्य दो रिपोर्टें भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी हैं तथा इनमें वे सिफारिशें होंगी जिनका संबंध विस्तृत काम चलाऊ डिजाइनों को तैयार करने की विधियों तथा निर्माण कार्य सम्पन्न करने से होगा।

*श्रमिकों के लिए कल्याण न्यास निधि

श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 15 और 16 मार्च को आयोजित स्थायी श्रम समिति के आठवें सत्र में औद्योगिक श्रमिकों के लिए कल्याण न्यास कोषों के बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। एक प्रस्ताव यह था कि नियोक्ताओं को हुए लाभ के कुछ प्रतिशत के आधार पर इन कोषों को वित्तपोषित किया जाना चाहिए और एक ऐसी समिति द्वारा इसको प्रशासित किया

@ इंडियन इनफोर्मेशन, 1 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 403

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 442

जाना चाहिए जिसमें श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाएं। इस प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया कि क्या सभी वर्गों के नियोक्ताओं के लिए कानून द्वारा कल्याण योजनाओं को अनिवार्य बनाया जाए।

इस समिति द्वारा जिन अन्य मदों पर विचार-विमर्श किया गया वे हैं अनियमित कारखानों के लिए केंद्रीय विधान की वांछनीयता, व्यापार विवाद अधिनियम में संशोधन, उद्योगों में होने वाली बेरोजगारी की संभावित सीमा, हड़ताल अथवा तालाबंदी के दौरान रोजगार कार्यालयों की प्रवृत्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित खनन श्रमिक अधिकार-पत्र।

केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों, भारतीय रियासतों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। लाला कृपा नारायण, श्री शांति लाल मंगलदास, श्री भगवानदास सी. मेहता, माननीय श्री एच.डी.टोनेंड और रायबहादुर श्यामा नंदन सहाय नियोक्ताओं की ओर से प्रतिनिधि थे तथा सर्वश्री एन.एम.जोशी, एन.वी. फडके, वी.एस. कर्णिक, ए.के. मुखर्जी और आर.आर. भोले ने श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया।

*श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

रेगे समिति की रिपोर्टें

भारत सरकार द्वारा 12 फरवरी, 1944 को नियुक्त श्रमिक जांच समिति ने लगभग बीस लाख शब्दों की 35 रिपोर्टों में निहित श्रमिकों की दशा के सभी पक्षों के बारे में आंकड़े एकत्र किए। इस समिति के अध्यक्ष श्री डी.वी.रेगे, आई.सी.एस. और सदस्य श्री एस.आर. देशपांडे, डॉ. अहमद मुख्तार और प्रोफेसर बी.पी.आदरकर थे। श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 9 अप्रैल को केंद्रीय विधान सभा के पटल पर इन रिपोर्टों में से 20 रिपोर्टें रखी गईं।

चयन किए गए 38 उद्योगों पर समिति द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए। ये उद्योग हैं :

खनन - कोयला, मेंगनीज, सोना, अभ्रक, कच्चा लोहा और नमक;

बागान - चाय, कॉफी तथा रबड़;

कारखाने - सूत, जूट रेशम, ऊन, खनिज तेल, डॉकयार्ड, इंजीनियरी, सीमेंट, माचिस, कागज, कालीन, बुनाई, नारियल, जटा, उत्पाद, चर्म शोधन तथा चमड़े के सामान का निर्माण, मिट्टी के पॉटरी, छपाई के प्रेस, कांच संबंधी रसायन और औषध

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 568

निर्माण शालाएं, लाख, बीड़ी बनाना, अभ्रक की परतें करना, शक्कर, कपास, कपास ओटना, और गट्ठर बनाना तथा चावल मिलें;

परिवहन - ट्रामवे और बसें तथा अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी; और अन्य प्रकार-पत्तन श्रमिक, नगरपालिका श्रमिक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और रिक्शा चालक। यह आशा की जाती है कि भविष्य में सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए व्यवस्था करने और कानून बनाने की भावी योजना में इससे सहायता मिलेगी।

नमूने तैयार करने की विधि

यह महसूस किया गया कि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का संबंध क्षेत्रवार बिखराव की अपेक्षा उद्योगवार बिखराव से अधिक है; अतः समिति ने नमूने के अनुसार चयन का तरीका अपनाया तथा भारत भर में उद्योगवार सर्वेक्षण किया। दो वर्षों की कार्यविधि में अध्यक्ष और सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से समस्त भारत का दौरा किया तथा श्रीनगर और त्रिचिनोपल्ली, क्वेटा और शिलांग जैसे सुदूरवर्ती भागों सहित 65 औद्योगिक केंद्रों का निरीक्षण किया। 528 केंद्रों की जांच पड़ताल मौके पर की गई जिनमें बागान और खदानें सम्मिलित हैं। विभिन्न उद्योगों से संबंधित कम से कम 1,631 एककों का सर्वेक्षण किया गया। सैकड़ों प्रश्नों की प्रश्नावली औद्योगिक संस्थाओं, प्रांतीय तथा राज्य सरकारों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं तथा कार्यकर्ताओं के संगठनों को भेजी गई। समिति द्वारा किस मात्रा में तथ्यपरक सामग्री का विश्लेषण किया गया यह इस तथ्य से विदित होता है कि केवल मजदूरी के आंकड़ों के संबंध में ही 34,080 फार्म प्राप्त हुए।

समिति ने ऐसे 16 पर्यवेक्षकों तथा 45 जांचकर्ताओं का एक कर्मचारीवर्ग नियुक्त किया जिन्हें तदर्थ सर्वेक्षणों के लिए भेजा गया। इन कर्मचारियों ने न केवल विभिन्न केंद्रों में मौके पर जाकर सूचना एकत्र की अपितु कुछ अन्य संभव स्रोतों से भी तथ्य एकत्र किए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नियोक्ताओं, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से अपनी जांच पड़ताल के समय संपर्क स्थापित किए।

सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रों का चयन किया ताकि देश के अलग-अलग भागों में एक ही उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के अंतर का पता चल सके। सामान्यतया किसी भी संस्थान का चयन उसके महत्व, आकार आदि के आधार पर किया गया और पता किया गया कि वह कानूनी विनियमों के अंतर्गत आती है या नहीं। मौजूदा श्रम कानून द्वारा किया गया संरक्षण, मजदूरी तथा श्रमिकों की आय कार्य करने की दशाएं, ऋण, आयु तथा मृत्यु दर के आंकड़े, कल्याण संबंधी कार्यकलाप और सामाजिक सुरक्षा कानून के बारे में पूछताछ की गई।

इस समिति को अपने काम में पर्याप्त रूप से प्रांतीय तथा रियासतों की सरकारों, स्थानीय निकायों, पत्तन प्राधिकारियों और नियोक्ताओं तथा कार्यकर्ताओं के संगठनों की सहायता मिली।

निर्माण, खान और विद्युत विभाग

नव-निर्मित निर्माण, खान और विद्युत विभाग की स्थापना के बाद 8 अप्रैल को श्रम विभाग का डिवीजन अस्तित्व में आया।

निर्माण, खान और विद्युत विभाग के अंतर्गत इस प्रकार के विषय होंगे जैसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एवं केंद्रीय निर्माण कार्य प्रोजेक्टर के कार्यों का निष्पादन, सिविल इंजीनियरी, खानों और खजिन पदार्थ, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग, बिजली तथा स्टेशनरी और छपाई।

श्रम विभाग उन सभी विषयों से संबंधित रहेगा जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रमिकों का कल्याण, श्रमिक संबंध और सुरक्षा कानून, श्रम कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन, सुरक्षा के उपाय, पूर्व सैनिकों तथा महिलाओं का पुनर्वास, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं, श्रम नियम तथा आंकड़ें शोध और जांच पड़ताल से है।

श्रम सदस्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अधीन दोनों विभाग होंगे। कोयला उत्पादन अस्थायी रूप से उद्योग और आपूर्ति सदस्य के अधीन रहेगा।

माननीय श्री एच.सी. प्रायर निर्माण, खान और विद्युत विभाग के सचिव होंगे तथा श्री एस. लाल श्रम विभाग के सचिव होंगे।

*दामोदर परियोजना

भारत सरकार के श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 23 और 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित केंद्र सरकार तथा बंगाल और बिहार सरकारों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में 55 करोड़ रुपए के दामोदर नदी परियोजना में पहले बांध (तिलैया पर) के शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ करने की संभावना पर तुरंत जांच पड़ताल कराने की सिफारिश की गई।

इस बहु-उद्देशीय योजना का प्रयोजन दामोदर और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ को नियंत्रित करना है और साथ ही इससे घाटी में रहने वाले लगभग 4,000,000 लोगों को लाभ के लिए सतत सिंचाई और बिजली तथा नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस पूर्ण योजना के अनुसार आठ बांधों तथा जलाशयों की एक श्रृंखला बनेगी। जब इनका निर्माण हो जाएगा, तब लगभग 800,000 एकड़ भूमि की सिंचाई

* इंडियन इनफोर्मेशन, 1 जून, 1946, पृष्ठ 682

के लिए लगभग 4,700,000 एकड़ फीट जल उपलब्ध होगा और लगभग 350,000 किलोवॉट बिजली उत्पन्न होगी।

मैथोन बांध

केंद्रीय टेक्नीकल बिजली बोर्ड की रिपोर्टों पर विचार करने तथा टनेंसी वेली ऑथोरिटी के इंजीनियरों सर्वश्री रॉस रीगेल और फ्रेड सी-श्लेम्मेर तथा उनके सहयोगियों राय बहादुर ए.एन. खोसला और श्री एम. नरसिंहैया, चीफ इंजीनियर, मैसूर रियासत से परामर्श करने के बाद सम्मेलन इस बात से आश्वस्त हो गया कि कुल मिलाकर यथासंभव शीघ्रता के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। सम्मेलन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि एक बांध दामोदर की सहायक नदी बराबर के आर-पार तिलैया में (कोडर्मा के समीप) बनाया जाए और दूसरा मैथोन में मुख्य नदी के संगम पर।

फिर भी, सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि बृहद मैथोन बांध के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए निर्माण कार्य अक्टूबर, 1947 तक स्थगित कर दिया जाए क्योंकि बिहार और बंगाल दोनों की सरकारों के लिए यह संभव नहीं था कि वे पर्याप्त समय में निश्चित वचन दे सकें ताकि इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच करार किया जा सके। परंतु यदि बांध का कार्य अक्टूबर 1946 तक प्रारंभ करना है तो ये उपरोक्त काम शीघ्र पूरे किए जाने चाहिए क्योंकि यही एक अन्य विकल्प है। किन्तु इस स्थगन से ऐसा समय मिलेगा कि मैथोन बांध की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर ब्यौरेवार ढंग से विचार किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप बराबर क्षेत्र में दूसरे जलाशय के निर्माण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

तिलैया बांध के संबंध में यह महसूस किया गया कि इस कार्य को प्रारंभ करने में कुछ कठिनाइयां थीं। इसके शीघ्र निर्माण से सिंचाई के लिए न केवल जल उपलब्ध होगा और पुनर्वास की समस्याओं का समाधान होगा, अपितु विद्युत उत्पादन होगा जो मैथोन बांध के निर्माण में उपयोगी होगी। इसलिए सम्मेलन ने अन्य परियोजनाओं से पूर्व तिलैया बांध पर निर्माण कार्य के प्रारंभ करने की संभावना की शीघ्र जांच पड़ताल करने की सलाह दी।

बंगाल और बिहार की सरकारों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी सरकारें स्वयं यह योजना कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं हैं और यह सुझाव दिया कि यह योजना को प्रशासित करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति की जाए। भारत सरकार ने कहा कि उड़ीसा के राज्यपाल के पूर्व सलाहकार श्री बी.के. गोखले के नियुक्ति कर लिया जाए जो प्रशासकीय पक्षों का निरीक्षण करें तथा दामोदर घाटी प्राधिकरण के लिए छह महीने के भीतर योजना तैयार करें।

अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा

यह निर्णय किया गया कि जलाशयों के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए पूर्ण और सही मुआवजा अदा किया जाना चाहिए और यथासंभव यह मुआवजा भूमि के बदले में भूमि के रूप में दिया जाना चाहिए। प्रशासन का प्रभारी अधिकारी विस्थापित व्यक्तियों को नई भूमि पर बसाने के लिए ब्यौरेवार योजना तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन लोगों को जीविका का उतना ही अच्छा साधन मिल सके जो उन्हें अपनी मूल भूमि पर प्राप्त था।

सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि जांच-पड़ताल और सर्वेक्षण की लागत संबंधित केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में विभाजित की जानी चाहिए तथा सामान्य सर्वेक्षण का कार्यभार केंद्रीय टेक्नीकल बिजली बोर्ड को सौंपा जाए और सिंचाई और नौवहन के मामले केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग के सुपुर्द किए जाएं।

*अनुसूचित जातियां और केंद्रीय सेवाएं

15 जून, 1946 के भारत सरकार के गजट में प्रकाशित एक संकल्प द्वारा भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि केंद्रीय सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा अनुसूचित जातियों के पक्ष में सेवाओं के आरक्षण को 8% प्रतिशत से बढ़ाकर 12% प्रतिशत कर दिया जाए ताकि यह जनसंख्या के अनुपात के अनुकूल हो सके।

11 अगस्त, 1943 के प्रस्ताव के पैरा 4 के नियम (1) और (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है :-

“(1) केंद्रीय सेवाओं में अखिल भारतीय आधार पर भारतीयों की प्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाने वाले सभी रिक्त स्थानों के 12% प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे।”

“(2) ऐसी सेवाओं में जिनकी भर्ती स्थानीय क्षेत्रों अथवा सर्किलों के आधार पर की जाती है, और अखिल भारतीय आधार पर नहीं, अर्थात् रेलवे, डाक और तार विभाग सीमा शुल्क सेवाएं, आयकर विभाग में अधीनस्थ पदों आदि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कुल मिलाकर 12% प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित होंगे और यह अनुपात क्षेत्र अथवा सर्किल की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या और संबंधित क्षेत्र अथवा सर्किल की प्रांतीय सरकार द्वारा अपनाए गए भर्ती के नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।”

* इंडियन इनफोर्मेशन, 15 जुलाई, 1946, पृष्ठ 34

24 अगस्त, 1946 को वायसराय हाउस से जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया कि महामहिम सम्राट ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। नये मंत्रालय में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को सम्मिलित नहीं किया गया।



भारतीय रक्षा परिषद् के कुछ सदस्यों के साथ डॉ. अम्बेडकर
(साभार : मिक्कू सुमेध, बंबई)



सोमवार 6 सितम्बर, 1943 को दिल्ली में आयोजित पूर्ण श्रम सम्मेलन के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए श्रम सदस्य माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(साभार : डॉ. बाबा साहेब अनुसंधान संस्थान, नागपुर)



9 दिसम्बर, 1943 को कोयला खनन क्षेत्र के दौरे पर कोयला खान के मजदूरों से बातचीत करते हुए माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (साभार : डॉ. बाबा साहेब अनुसंधान संस्थान, नागपुर)



भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री एस. लाल के साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कलकत्ता स्थित रोजगार कार्यालय का निरीक्षण किया। वह 23 अगस्त, 1944 को बंगाल सरकार के श्रम आयुक्त श्री हयूजेज से विचार-विमर्श करते हुए (साभार : डॉ. बाबा साहेब अनुसंधान संस्थान, नागपुर)

अनुक्रमणिका

- अकुशल मजदूर आपूर्ति समिति, 241
- अखिल भारतीय कांग्रेस, 15
- अखिल भारतीय कार्मिक संघ, 95
- अखिल भारतीय मजदूर संघ, 225
- अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 232, 236-37
- अग्निरोधक व्यवस्था, 154
- अदारकर, प्रो. 254, 312, 339, 346, 349
- अधिक अन्न उपजाओ, 133
- अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन, 236
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 268-69, 272-73
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 147, 178, 249, 299
- अनुपस्थिति 127, 202
- अंतर्राष्ट्रीयता, 32
- अनुसूचित जातियां, 366
- अभ्रक उत्पादन क्षेत्र, 344
- अभ्रक उद्योग, 160, 162-63, 339, 344-45
- अभ्रक खरीद मिशन, 349
- अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष विधेयक, 339, 357
- अभ्रक नियंत्रण आदेश, 163
- अभ्रक मजदूरों में रोग, 341-42
- अम्बेडकर, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जीवन झांकी, ix
- श्रम सदस्य के रूप में नियुक्ति, xvii
- अम्बेडकर, सुबेदार रामजी मालोजी, x
- अर्ध-कुशल कार्मिक, 66
- अहिंसा, 13, 15, 16
- अस्पृश्यता, xiii, 328
- आर्थर काटन, सर, 279
- आवासीय व्यवस्था, 47, 340
- इकोमोमाइजर, 69-70
- ईस्ट इंडिया कंपनी, 279
- उड़ीसा की समस्याएं, 276
- उड़ीसा बाढ़ जांच समिति, 277
- उपयोगिता शाखा, 22-25
- एडम्स विलियम, 278
- एलफिंस्टोन कालेज, xi
- ओल्ड जेवंस, 214
- औद्योगिकी कर्मचारी आवास व्यवस्था, 266
- औद्योगिक नीति, 219
- औद्योगिक विवाद, 6
- कर्मचारी कल्याण, 309
- कर्मचारी मुआवजा कानून, 226, 274
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 267, 292-93
- कल्याण कार्यक्रम, 159
- कल्याण न्यास निधि, 361
- कल्याणकारी उपाय, 343
- कल्याणकारी योजनाएं, 345
- कागज उत्पादन, 38, 43, 45-47
- कागज नियंत्रण आदेश, 35
- कामगार मुआवजा अधिनियम, 58, 79-80
- कार्य योजना, 312
- कार्यसूची, 179
- कार्यमुक्त कर्मचारी, 198
- काम के घंटे, 298-99 246-47, 269, 298, 334-35
- कारखाना विधेयक, 182, 302, 332

- कारलाइल, 98
 किराया बिल, 44
 केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग, 281-83
 केंद्रीय टेक्नीकल पावर बोर्ड, 361, 366
 केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड, 206, 217, 264
 केंद्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय, 36-37
 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, 314, 316
 केंद्रीय सेवाएं, 366
 कोयला खदानें, 234-35
 कोयला खनन श्रमिक कोष, 350
 कोयला खनन उद्योग, 128-129
 कोयला खान, 120-21, 130, 133
 कोयला खान सुरक्षा अधिनियम, 135-36
 कोयला खान कल्याण कोष, 157, 239, 295
 कोयला खान श्रमिक कल्याण अध्यादेश, 128
 कोयला खानों में महिलाएं, 144
 कोयले की स्थिति, 233
 कोलम्बिया विश्वविद्यालय, ix
 खदान प्रसूति लाभ अधिनियम, 243, 245, 252-53
 खदान प्रसूति लाभ विधेयक, 75
 खनन अधिनियम, 349
 खनिजों का निर्यात, 221
 खनिज नीति, 218-20, 222
 खानकर्मी कल्याण कोष, 296
 खान मजदूर, 121
 खान मालिक, 295
 खान विद्यालय, 318
 खान सलाहकार समिति, 295
 खोसला रायबहादुर, 281
 गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, कलकत्ता, 330
 गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल, 17
 ग्रिड प्रणाली, 211-12
 ग्रेगरी समित, 127
 ग्रेच्युटी, 199
 गोखले, बी.के., 283
 चाय बागान, 53, 56, 63
 चाय नियंत्रण अधिनियम, 52-53
 चिकित्सीय सहयता, 342
 छात्रवृत्तियां, 360
 छुआछूत, xiv
 छुट्टियां, अनिवार्य, 187
 जबरन बेरोजगारी, 185- 225-26
 जय प्रकाश नारायण, 16
 जल भंडारण कार्यक्रम, 279
 जलमार्ग, 208
 जलमार्ग नीति, 205
 जल संपदा, 277
 जल संरक्षण, 278
 जल संसाधन, 204-06
 जातीय समझौता, 21
 जोन्स, 307
 टेनेसी घाटी प्राधिकरण, 206,-361
 डाकतार, 41
 डाक विभाग, 311
 तकनीकी कार्मिक अध्यादेश, 227
 तकनीकी प्रशिक्षण योजना, 168-70, 172-73, 306
 तकनीकी बिजली बोर्ड, 210-12
 तथ्यान्वेषी समिति, 300
 तिलैया बांध, 365
 त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन, 3, 88-89, 91, 143-44,
 175,-183, 240, 255, 339, 355
 तुंगभद्रा बांध, 280

- दंड प्रक्रिया संहिता, 228
 दामोदर घाटी परियोजना, 204, 206-07, 258-61, 263, 288, 361, 364
 देवली नजरबंदी कैंप, 16
 धनबाद, 120-24, 158
 नाज़ी व्यवस्था, 29, 30
 निबंकर, आर.एस., 120-21, 42
 नीति समिति, 111-12, 213-14, 216
 नौवहन, 279
 नौवहन आयोग, 206
 न्यायाधिकरण, 228
 न्यायनिर्णय बोर्ड, 310
 परामर्श समिति, 158-59
 परिगणित जाति संघ, 326
 पुनर्निर्माण नीति समिति, 110, 312
 पुनर्वास, 305-07
 पुनर्वास व्यवस्था, 258
 पुनर्वास संगठन, 259
 पुनर्स्थापना, 305, 308
 पूना पैक्ट, xiv
 पूर्ण श्रम सम्मेलन, 51, 88, 90, 91, 176
 पूरक छुट्टियाँ, 187
 प्रकाशन, 46
 प्रलेखी साक्ष्य, 353
 प्रशिक्षण केंद्र, 307
 प्रशिक्षण योजनाएं, 217
 प्रसूति लाभ, 75-76, 252-54
 प्राकृतिक साधन, 277
 प्राथमिक केंद्र, 306
 प्राथमिक निर्वाचन, 326
 प्रायर, एच.सी., 210-21, 208
 पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन, 225
 पंच फैसला, 141-42
 फिरोज खां नून, सर, 4
 फ्रेड्रिक, सर जेम्स, 43-45, 48
 फ्रांसिसी क्रांति, 31
 बड़ौदा के गायकवाड़, Xi
 बनारस विश्वविद्यालय, 322
 बंबई विश्वविद्यालय, 323-24
 बाढ़ नियंत्रण, 261-62
 बायलर दुर्घटना, 69
 ब्राह्मण संघ, 323
 बिकेनहैड, लार्ड, 329
 बिजली आपूर्ति विभाग, 115
 बिजली विकास, 209-10, 213, 216-17
 बिजली संयंत्र, 210
 बीमा निधि, 60
 बेरोजगारी लाभ, 311
 बेविन प्रशिक्षण योजना, 183, 257, 319
 भविष्य निधि, 199
 भाईचारा, 28
 भारत की स्थिति, 13
 भारत रक्षा अधिनियम, 141, 226, 287
 भारतीय औद्योगिक आयोग, 118
 भारतीय कारखाना अधिनियम, 356
 भारतीय कोयला खान अधिनियम, 131, 295
 भारतीय बॉयलर्स विधेयक, 69
 भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग, 11, 22-24
 भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 102, 105, 109
 भारतीय मजदूर संघ विधेयक, 165
 भारतीय वित्त विधेयक, 43
 भारतीय विद्युत अधिनियम, 217
 भारतीय श्रम सम्मेलन, 268, 273-74
 भूगर्भ सर्वेक्षण, 218-20, 316-17
 भूमिगत कार्यों में महिलाएं, 130, 232
 भोले, आर.आर., 147

- मजूदर संघ, 41, 99, 100, 102-03, 106-07, 109
- मजूदर संघ संशोधन अधिनियम, 182
- मजूदरी भुगतान अधिनियम, 125
- मजूदरों की दशा, 139
- मस्जिदों का संरक्षण, 150
- मंहगाई भत्ता, 40, 42, 127, 224-26, 274
- महात्मा गांधी, xiv, 13, 15-16
- मार्क्स, 98-99
- मुआवजा, 59, 58, 62, 226, 365
- मुदलियार 4
- मुसलमान, 313, 320
- मेहता, जमनादास एम, 17, 41-42, 48, 143
- मैथोन बांध, 365
- मोटर चालक अध्यादेश, 72
- मौखिक साक्ष्य, 353
- युद्ध आहत अध्यादेश, 58, 59
- युद्ध आहत विधेयक 55, 57
- युद्धकालीन उपाय, 140-41
- युद्ध विभाग, 306-08
- युरोपियन दल, 305
- रानीगंज कोयला क्षेत्र, 122
- रायल श्रमिक आयोग, 52, 55, 103, 268-69, 299, 303
- राहत, 58, 62
- राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण, 256, 258
- राष्ट्रीयता, 31-32
- रियुबेन रिपोर्ट, 346-47
- रीगेल, एस.एम., 361
- रेल विभाग, 286-88, 310-11
- रोजगार कार्यालय, 66, 173, 258, 274-75, 307-08
- रोजगार की शर्तें, 352
- रेलमार्ग, 205
- रेलवेमेंस फेडरेशन, 41, 225, 285-88, 310
- लदान बोर्ड, 135, 137
- लिनलिथगो, लार्ड, 110
- वर्गवाद, 322
- विधानमंडल, 19-20
- विद्युत शक्ति, 110-11
- विश्वेश्वरैया, एम., 278
- वीटो, 18-19
- वेतन, 197-98, 274-75, 292
- वेतन आयोग, 310
- वेतन भुगतान अधिनियम, 197-98, 201
- वेतन भुगतान संशोधित विधेयक, 182
- वेतन वृद्धि, 200
- वित्त विधेयक, 322
- वेवरिज योजना, 312
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड, 24
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, 306
- शांतिवाद, 30
- श्लेम्मेर, श्री फ्रेड.सी. 361
- श्रम आपूर्ति समिति, 134, 149
- श्रम कल्याण, 126, 128, 161, 182, 255, 269, 271
- श्रम कानून, 66, 249, 270-72, 354
- श्रम जांच समिति, 185, 240
- श्रम विधान, 5
- श्रम विभाग, 43, 46, 48, 49, 142, 231, 239, 242, 272, 274, 285-88, 306-08, 310, 313-14, 317-22, 334-35, 346, 364
- श्रम संगठन 100, 272

श्रम सम्मेलन, 177, 188, 255
 श्रमिक, 27, 28, 33, 34, 133, 234
 श्रमिक नेता, 146
 श्रीवास्तव, जे.पी., 110
 समानता, 28
 सरस्वती माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 348
 सलाहकार समिति, 129, 344, 351
 संघीय लोक सेवा आयोग, 308, 317, 319, 320
 संपदा निदेशालय, 316
 संसदीय लोकतंत्र, 95-98, 100, 216
 समायोपरि भुगतान, 302
 संवेतन छुट्टियां, 187, 189-90, 192, 246, 266

सामाजिक सुरक्षा, 88, 92, 143, 185, 240, 309, 312, 362
 स्थायी वित्त समिति, 118
 स्थायी विधेयक, 352
 स्थायी श्रम समिति, 49, 61, 90, 126, 165-66, 176-77, 181, 183-85, 254-55, 266, 193, 355, 361
 स्वतंत्रता, 28, 32
 स्वास्थ्य बीमा, 254, 312, 353-54
 स्वास्थ्य बीमा अधिनियम, 250
 हिटलर, 29

बाबाशाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

- खंड 01 भारत में जातिप्रथा एवं जातिप्रथा—उन्मूलन, भाषायी प्रांतों पर विचार, रानडे, गांधी और जिन्ना आदि
- खंड 02 संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं
- खंड 03 डॉ. अम्बेडकर—बंबई विधान मंडल में
- खंड 04 डॉ. अम्बेडकर—साइमन कमीशन (भारतीय सांविधिक आयोग) के साथ
- खंड 05 डॉ. अम्बेडकर — गोलमेज सम्मेलन में
- खंड 06 हिंदुत्व का दर्शन
- खंड 07 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि
- खंड 08 हिंदू धर्म की पहेलियां
- खंड 09 अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी
- खंड 10 अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट
- खंड 11 ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध
- खंड 12 रुपये की समस्या : इसका उद्भव और समाधान
- खंड 13 शूद्र कौन थे
- खंड 14 अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने
- खंड 15 पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन
- खंड 16 कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया
- खंड 17 गांधी एवं अछूतों का उद्धार
- खंड 18 डॉ. अम्बेडकर — सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में
- खंड 19 अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र—व्यवहार आदि
- खंड 20 डॉ. अम्बेडकर — केंद्रीय विधानसभा में (1)
- खंड 21 डॉ. अम्बेडकर — केंद्रीय विधानसभा में (2)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-149-3

सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-21

के 1 सेट का मूल्य :

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15, जनपथ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली — 110 001

फोन : 011-23320588, 23320571

जनसंपर्क अधिकारी मोबाईल नं. 85880-38789

वेबसाइट : <http://drambedkarwritings.gov.in>

ईमेल : cwbadaf17@gmail.com

ISBN 978-93-5109-167-7



9 789351 091677